सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
तथा
अनुसूचित जनजाति आयोग

एन सी
एस सी एण्ड एस टी

चौथी रिपोर्ट
1996-97 **एवं** 1997-98

खंड I

फैक्सः कार्या. 011-4625378
निवास. 011-3385460
फोनः कार्या. 4632298
4620435
निवास. 3782056

सत्यमेव जयते

एच.हनुमंतप्पा बी.ए.बी एल.
संसद सदस्य
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार,लोकनायक भवन (पांचवा तल), नई दिल्ली 110003
निवास : 5-एबी,पंडारा रोड, नई दिल्ली-110003

अप्रैल 25, 1998

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मुझे आपको वर्ष 1996–97 और 1997–98 की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की चौथी रिपोर्ट सौंपने का गौरव प्राप्त हुआ है।

राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। निःसंदेह, हमारे देश ने उस समय से अब तक काफी प्रगति की है जब वह 15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। राष्ट्र ने पिछले 50 वर्षों में बहुत प्रगति की है। तथापि आयोग को खेंद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि विकास के जो–जो लाभ प्राप्त हुए उनमें से अनेक लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीबों तक नहीं पहुंचे यहां तक कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। योजना एवं सामाजिक–आर्थिक विकास के पांच दशक बीत जाने के बाद भी 20 करोड़ (10 करोड़ से अधिक) से भी अधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनमें से कई लोग आज भी सिर पर मैला ढोने का अपना परंपरागत व्यवसाय कर रहे हैं और सदियों से चले आ रहे इस कलंक को सह रहे हैं। कई मामलों में जहां कुछ लोगों के लिए यह विकास कार्यक्रम था वहीं इस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि और संपत्ति की हानि हुई है। कई जनजातियां भोजन की तलाश करने और शिकार करने की आदिकालीन अवस्था में ही रह रही हैं।

हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जिसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। उन्नत संचार व्यवस्था और यात्रा के आधुनिक साधनों के कारण, हम एक दूसरे के काफी निकट आ गए हैं। लेकिन बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण गरीब लोग और भी अधिक गरीब हो गये हैं। 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते हुए हमारे देश को यह सुनिश्चित करना है कि उसके कमजोर और दलित वर्ग विकास संबंधी लाभ लेने में पीछे न रहें और देश के कार्यों और शासन में उनका भी बराबर का प्रतिनिधित्व हो। उनकी जरूरतों पर ध्यान दिये बिना उग्रवाद और विखण्डनकारी प्रवृत्तियों को रोका नहीं जा सकेगा।

आज देश की उच्च प्रौद्योगिकी उधोगों, निर्यात, आयात, इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों, कंम्पूटरों, मोटर कारों, सेल्यूलर और बेतार (कॉर्डलैस) टेलीफोनों, वित्तीय संसाधनों, निर्यात संसाधन क्षेत्रों (जोनों) और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, शेयर बाजार, सुख–साधन की वस्तुओं जैसे – रंगीन टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीनों, ए.सी., आधुनिक कृषि तकनीकों, खाद्य संसाधन तकनीक आदि के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इन क्षेत्रों में हुई भारत की प्रत्यक्ष प्रगति के संबंध में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता निराशाजनक है। सभी प्रयास केवल नौकरियों में आरक्षण देने तक ही सीमित हैं और ये प्रयास भी निर्धारित सीमा तक पूरे नहीं हुए हैं।

आयोग ने यह माना कि इन लक्ष्य समूहों की स्पष्ट प्रगति के उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में व्यावसायिक विविधता लाने और गतिशीलता बढ़ाने के लिए उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने की बात पर बल दिया जाए। उन्हें प्रशिक्षण, शिक्षा और वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराके आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में स्व–रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कई कार्य आवश्यक समझे गए हैं और इन समूहों की समुचित सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीति तैयार की जाए, जिसमें उनके सुरक्षण भी दिए गए हों।

तीसरी रिपोर्ट के पैटर्न के अनुसार, यह रिपोर्ट भी दो खण्डों में प्रस्तुत की जा रही है। खण्ड–1 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांविधानिक सुरक्षण, शैक्षिक, आर्थिक विकास, भूमि, सेवा संबंधी सुरक्षण, झूठे सामुदायिक (जाति) प्रमाणपत्रों, अपराधों एवं अत्याचारों से संबंधित मामले दिए गए हैं और उन पर राष्ट्रीय स्तर पर एवं व्यापक पैमाने पर विचार किया गया है। खण्ड–2 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अध्याय दिए गए हैं और इनके विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है ताकि इन्हें राज्यपालों के माध्यम से संबंधित विधानमंडलों में रखा जा सके।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माताओं के सपनों को बहुत से लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों में आज भी साकार किया जाना है। अब समय आ गया है जब केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के प्रति पूर्णतः

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	
I	प्रस्तावना	1-10
II	स्वतंन्त्रता के 50 वर्ष – पश्चावलोकन और आगे के नियत कार्य	11-40
III	संविधानिक सुरक्षण तथा संरक्षणात्मक उपाय	41-60
IV	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास	61-117
V	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास	118-201
VI	भूमि	202-249
VII	सेवा सुरक्षण	250-302
VIII	समुदाय (जाति) संबंधी झूठे प्रमाण पत्र	303-325
IX	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अपराध और अत्याचार	326-353
X	सांविधानिक और वैधानिक संशोधन	354-362
XI	मुख्य सिफारिशों का सार	362-391

अध्याय - I

प्रस्तावना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिकए शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए तथा सेवाओं और पदों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में विशेष सुरक्षणों का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सुरक्षण के विभिन्न उपबंधों को संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जाता है,। संविधान के अनुच्छेद 338 (I) के अधीन नवम्बर, 1950 में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहा गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त को उपरोक्त सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने और इन सुरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करने की शक्ति प्रदान की गयीं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए जुलाई 1978 में एक बहु-सदस्यीय निकाय, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की भी स्थापना की गयी। इस आयोग के कार्यों में सितम्बर, 1987 में परिवर्तन किया गया। और इसका नया नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग रखा गया है और इसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नीति विकास स्तरों पर सलाह देनेवाली राष्ट्रीय स्तर का परामर्शी निकाय बना दिंया गया। इस बात को देखते हुए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितनी अधिक समस्याओं का सामना करना पडता है और उन पर ध्यान दिया जाना कितना अधिक महत्पूर्ण है, संविधान के अनुच्छेद-338 में संशोधन किया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग को (जिसे इसके बाद आयोग कहा गया है) संविधान (पैसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अधीन सांविधानिक दर्जा दिया गया। प्रथम सांविधानिक आयोग 12 मार्च, 1992 को बना जिसके अध्यक्ष श्री रामधन थे। यह सांविधानिक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और सितंबर 1987 में गठित आयोग दोनों के स्थान पर, बनाया गया था। वर्तमान आयोग अक्तूबर, 1995 में गठित किया गया। आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति है:

1. श्री एच. हनुमनतप्पा, संसद सदस्य (राज्यसभा), अध्यक्ष
2. श्रीमती ओमेम मोयोंग देवरी, उपाध्यक्ष
3. श्री नरसिंह बैठा, सदस्य
4. श्रद्धेय लामा लोबजंग, सदस्य
5. श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी, सदस्य
6. श्री बी. यादय्या, सदस्य
7. श्री आनंद मोहन बिस्वास, सदस्य

आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का दर्जा क्रमशः केन्द्रीय केबिनेट मंत्री और राज्य–मंत्री का है।

1.2 संविधान के संशोधित अनुच्छेद –338 (**अनुबंध**-1.I) में यथाउपबंधित के अनुसार आयोग के कार्यों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न सुरक्षणों का अन्वेषण करना उन्हें अनुवीक्षण (मानीटर) करना और उनका मूल्यांकन करना, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित रखने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और योजना प्रक्रिया में भाग लेना आदि शामिल है। केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। संविधान के संशोधित अनुच्छेद–338 के उपबंधों के अनुसार किसी मामले या किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में, सारी शक्तियां प्राप्त हैं

(क) भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना, आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण के लिए आदेश देना।

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति मंगाना।

(ङ) गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें।

1.3 आयोग को राष्ट्रपति के समक्ष वर्ष में एक बार और जब कभी भी आयोग उचित समझे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिनमें उनके कल्याण और उत्थान के उपायों से संबंधित सिफारिशें भी होंगी। आयोग ने एक विशेष रिपोर्ट के अलावा अभी तक तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

1.4 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे स्थित आयोग के 16 राज्य कार्यालय हैं। उन कार्यालयों का स्थान और क्षेत्राधिकार और कार्यालय प्रमुखों के पदनाम **अनुबंध 1.II** में दिए गए हैं। ये कार्यालय आयोग के सूचना स्रोत के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ये कार्यालय अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रो के प्रशासनों के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों और निर्णयों/ आदेशों के बारे में आयोग को सूचित करते रहते हैं। राज्य कार्यालय, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की योजना प्रक्रिया में अपना सक्रिय योगदान देते हैं और विभिन्न समितियों /बोर्डों में आयोग का प्रतिनिधित्व भी करते है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों और संस्थाओं/ यूनियनों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों पर भी इन कार्यालयों द्वारा आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त मामलों में उन्हें राहत दिलाने की व्यवस्था भी की जाती है। वर्तमान आयोग ने अपने कार्यों में विशेषतया अधिक सक्रिय रूप से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में राज्य कार्यालयों का, जिनमें अब राज्य के अध्याय भी शामिल है, सहयोग लेना शुरू किया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अधिक कारगर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए आयोग के राज्य अधिकारियों की बैठके क्रमशः अगस्त, 1996 और जून 1997 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

1.5 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोग अपने सांविधानिक दायित्वों को पूरा करने में प्रभावशाली ढ़ंग से जुटा रहा । आयोग ने इस अवधि के दौरान 25 बैठकें की और इन बैठकों में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्व महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही चर्चा की। इन बैठकों में आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

आयोग की बैठकों के अतिरिक्त आयोग द्वारा निम्नलिखित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की गयी :

(i) 10 जुलाई, 1996 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली मे भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सम्पर्क अधिकारियों की बैठक।

(ii) 27 अगस्त, 1996 को कंस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संपर्क अधिकारियों की बैठक।

(iii) कलकत्ता स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संपर्क अधिकारियों की बैठक। यह बैठक दिनांक 31 अक्तूबर, 1996 को कलकत्ता में आयोजित की गई।

(iv) 16 दिसम्बर, 1996 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य गृह सचिवों/महानिदेशकों/ पुलिस महानिरीक्षकों (राज्यों में सी आर ई सैल के प्रभारी अधिकारियों) की बैठक।

(v) 11 दिसम्बर, 1996 को संसद भवन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय मंच की बैठक।

(vi) महाराष्ट्र स्थित केन्द्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सम्पर्क अधिकारियों की बैठक। यह बैठक मुम्बई में 14.6.97 को आयोजित की गयी।

(vii) 25.7.1997 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक।

(viii) आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सम्पर्क अधिकारियों की बैठक। यह बैठक 17.10.1997 को बेंगलूर में आयोजित की गई।

उपर्युक्त बैठकों में आयोग की भूमिका, कार्यों और शक्तियों पर प्रकाश डाला गया तथा इनसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की वास्तविक दर को आंकने में भी मदद मिली।

1.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकास स्कीमों/ कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उनका मूल्यांकन करने से संबंधित कार्य का महत्व समझते हुए आयोग ने पूरा स्टाफ न होते हुए भी अपने "प्रबोधन एवं मूल्यांकन" स्कन्ध को पूर्ण रूप से कारगर बनाने का प्रयास किया। अपने निगरानी एवं मूल्याकंन कार्य को सार्थक बनाने के लिए आयोग ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राज्येां/ संघ राज्य क्षेत्रों में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्ष 1996–97 के दौरान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्ष 1997–98 के दौरान समीक्षा बैठकें आयोजित की। इन बैठकों से विभिन्न क्षेत्रो में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई गई विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन और उनके लिए उपबंधित सुरक्षणों को लागू करने का आयोग द्वारा प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जा सका और इन बैठकों में आयोग, राज्यों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अधिक प्रभावी और स्पष्ट उपाय सुझा सका।

1.7 जहां तक आयोग के अन्वेषण कार्यों का संबंध है, आयोग के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने

की शक्ति है और वह इसके लिए सक्षम इस सांविधिक उपबंध के पीछे छिपी इस भावना को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित किए जाने की उनकी विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के कार्यो को यथोचित महत्व दिया है। इस संबंध में प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आयोग ने व्यक्तियों/संस्थाओं से प्राप्त इन शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ मार्गनिर्देश अपनाए हैं। आयोग को प्राप्त अधिकांश शिकायतें सेवा सुरक्षणों से संबंधित हैं क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी सेवाओं/ पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान में किए गए विभिन्न उपबंधों और सरकार द्वारा जारी आदेशों/ से पूर्णतया अवगत हो गए हैं। चूंकि आयोग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान बहुत ही सकारात्मक ढंग से करता है इसलिए इसके इस रवैये से प्रोत्साहित होकर बहुत से कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए रोजाना आयोग के कार्यालय में स्वयं पहुँचने लगे हैं। आयोग को दी गयी सिविल न्यायालय की शक्तियां समय पर आयोग को अपेक्षित सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्रशासनिक प्राधिकारियों की ओर से बरती गयी सामान्य लापरवाही से संबंधित शिकायतों का निपटान करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई हैं। आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष में कई मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को सुसंगत दस्तावेजों सहित बुलाने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग किया। इससे मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सका जिसके परिणामस्वरूप उपयुक्त मामलों में चिर–प्रतीक्षित राहत प्रदान की जा सकी।

1.8 आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों को लेकर बहुत ही चिंतित है और वह संबंधित प्राधिकारियों पर दबाव डालता रहा है कि वे हर संभव तरीके से इस सामाजिक बुराई पर रोक लगाएं। आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की किसी भी प्रमुख घटना के घटित होने के समय से 24 घंटे के अन्दर 'निकनेट' के जरिए आयोग को सूचित करें। अत्याचार से पीड़ितों को आर्थिक राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए उपाय करने और दोषियों को तुरन्त गिरफ्तार करने के प्रयासों पर आयोग कड़ी नजर रखता है। शिकायतों की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए आयोग के अधिकारी उन स्थानों पर भी गए जहां अत्याचार हुए थे।

1.9 आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग दे रहा है। आयोग के अधिकारी योजना आयोग और कल्याण मंत्रालय और राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों की विभिन्न बैठकों में भाग लेते हैं। भारत सरकार के मत्रालयों/ विभागों और राज्यों/

संघ क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं पर भी आयोग विचार करता है और जहां आवश्यकता होती है, वहां आयोग अपने उपयोगी सुझाव भी देता है।

1.10 आयोग बार–बार इस बात को दोहराता है कि संविधान के अनुच्छेद–338 (9) के अधीन केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करें। इस बात को अब प्राधिकारियों ने विधिवत स्वीकार कर लिया है और आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजे गए विधेयकों और अन्य नीतिगत मामलों की जांच करता है। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, अनुसूचित जातियों को समूह "क" "ख" "ग" और "घ" में वर्गीकृत करने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के मामले में आयोग से परामर्श नहीं किया गया था और बाद में इसी बात को लेकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ये ओदश रद्द कर दिए गए थे।

1.11 आयोग को मानव शक्ति के अभाव में और उसके लिए रखे गए बजट के अपर्याप्त होने के कारण, अपने उपरोक्त कार्यों और क्रियाकलापों को सहज रूप से करने में काफी कठिनाई आ रही है। पूर्व अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयुक्तों और राष्ट्रीय असांविधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के 72 पदों को 12.3.1992 को समाप्त कर दिया गया था और इस बारे में लम्बे समय से पत्राचार किए जाने और उच्च स्तरीय बैठकें बुलाने के बावजूद अभी तक ये पद दुबारा नहीं बनाए गए। इन 72 पदों के अतिरिक्त आयोग अपने कम्प्यूटर सैल, विधि सैल, जनसम्पर्क सैल के लिए 15 नए पद देने के लिए अनुरोध करता आ रहा है जो आयोग द्वारा निर्बाधरूप से अपना कार्य करने हेतु बहुत आवश्यक हैं, अभी सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। जहांतक बजट का संबंध है, आयोग मुख्यालय और राज्य कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने की योजना को अभी रोक रखने के लिए विवश है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए सरकार ने आवश्यक धनराशि मंजूर नहीं की है। अतः यह जरूरी है कि सरकार आयोगों को अपेक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराए और पर्याप्त बजट मंजूर करे जिससे आयोग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हुए अपने सांविधानिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

अनुबंध– 1.1
[संदर्भ पैरा– 1.2]

रजिस्ट्री सं. डी(डीएन)127/88 REGISTERED NO. D(DN)127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 1990/ज्येष्ठ 18, 1912
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 1990/JYAISTHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि तथा न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, जून 8, 1990/ज्येष्ठ 18, 1912 (शक)

संसद् के निम्नलिखित अधिनियम को जून 7, 1990, को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और एतद्द्वारा इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है—

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990

(जून 7, 1990)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 में,— अनुच्छेद 338 का संशोधन।

(क) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग।";

(ख) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाएगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेंगे।

(4) आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्याकन करना;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफ़ारिश करना; और

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफ़ारिशों पर की गई या प्रस्थापित कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिफ़ारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।

(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफ़ारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्थापित कार्रवाई को, और किन्हीं ऐसी सिफ़ारिशों

की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेंगे।

(8) खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत के बारे में जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां, जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां, होंगी, अर्थात् :—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,

(ङ) साक्षियों और दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीति के विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।"

(ग) विद्यमान खंड (3) को खंड (10) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

अनुबंध 1.II
(संदर्भ पैरा 1.4)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के राज्य कार्यालयों की अवस्थापन और अधिकार क्षेत्र

क्रम सं.	अवस्थापन	कार्यालय का पदनाम	अधिकार–क्षेत्र
1.	अगरतला	सहायक निदेशक	त्रिपुरा
2.	अहमदाबाद	निदेशक	गुजरात, दादरा और नगर हवेली
3.	बेंगलूर	निदेशक	कर्नाटक
4.	भोपाल	निदेशक	मध्यप्रदेश
5.	भुवनेश्वर	निदेशक	उड़ीसा
6.	कलकत्ता	उप–निदेशक	पंश्चिमबंगाल, सिक्किम,अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
7.	चण्डीगढ़	निदेशक	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, जम्मू–काश्मीर और हिमाचल प्रदेश
8.	गुवाहटी	निदेशक	असम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैण्ड
9.	हैदराबाद	उप–निदेशक	आन्ध्र प्रदेश
10.	जयपुर	सहायक निदेशक	राजस्थान
11.	लखनऊ	निदेशक	उत्तर प्रदेश
12.	मद्रास	निदेशक	तमिलनाडु और पांडिचेरी
13.	पटना	सहायक निदेशक	बिहार
14.	पुणे	निदेशक	महाराष्ट्र, गोवा दमन एवं दीव
15.	शिलांग	सहायक निदेशक	मेघालय, मिजोरम
16.	तिरूअनंतपुरम	सहायक निदेशक	केरल और लक्षद्वीप

अध्याय – II

स्वतंत्रता के 50 वर्ष – पश्चावलोकन और आगे के नियत कार्य

देश स्वतंत्रता की अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। जब हम पीछे इन 50 वर्षों में हुई उपलब्धियों और राष्ट्र के भाग्य निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हैं तो हमें उन मुद्दों के बारे में सोचना पड़ेगा जो संविधान निर्माताओं के मन में व्याप्त थे और यह देखना पड़ेगा कि अब कितनी सफलता प्राप्त की गई है। हमें अनिवार्यरूप से उन क्षेत्रों का विश्लेषण करना होगा जहां प्रगति यथेष्ट नहीं हुई है और ऐसे क्षेत्रों का भी पता लगाना होगा जहां आगामी वर्षों के दौरान अधिक महत्व और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2.2 संविधान सभा के माननीय सदन की बहस से यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हुआ कि हमारे 'फाउन्डिंग फादर्स' और संविधान निर्माता कमजोर तथा दलितों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिन्तित थे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था "अपने पिता और पूर्वजों" द्वारा प्राचीन समय में उनके विरूद्व किए गए पापों को धोने के लिए आप हरिजन सेवक बनें"। विदेशी शासन की पराधीनता और शताब्दियों से शोषण से पीड़ित होने के बाद स्वतंत्र भारत की प्रगति समाज के सभी वर्गों के एक साथ विकास पर निर्भर है। संविधान निर्माताओं ने, अस्पृश्यता का उन्मूलन और सामाजिक भेदभाव दूर करने, अन्तः करण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, जाति के आधार पर भेदभाव न करने और विचारों की स्वतंत्रता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण, जनता के कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा संबंधी और आर्थिक हितों की ओर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें उन्नत करने, उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने, जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संभालने, जनजातिय क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान देने, राजनीतिक रक्षोपाय और विधान सभाओं, मंत्रिपरिषद और स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और सेवाओं में आरक्षण करने, वैधानिक प्रतिनिधि निकायों में 10 वर्षों के बाद आरक्षण को आगे बढ़ाने आदि की मांग की। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के रक्षोपायों का मूल्यांकन करने हेतु सांविधानिक व्यवस्था पर विस्तार में चर्चा की गई। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित अधिकांश विचारों का संविधान में उपबंध किया गया। जिसे 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया था।

संविधान निर्माताओं की परिकल्पना

2.3 संविधान निर्माताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नीचे स्पष्ट किया गया है:

श्री एस.नागप्पा

मैं आरक्षण के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि प्रत्येक हरिजन परिवार को दस एकड़ खेती योग्य भूमि,बीस एकड़ शुष्क भूमि दी जाए और हरिजनों के सभी बच्चों को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तक निशुल्क शिक्षा दी जाए तथा असैनिक विभागों अथवा सैन्य विभागों में 1/5 मुख्य पद दिए जाएं।

सरदार बल्लभभाई जे. पटेल

किसी भी समुदाय का कोई सदस्य इस देश का प्रधानमंत्री क्यों न बने ? श्री नागप्पा, जिन्होंने आज ब्राह्मण को चुनौती दी है, वह ही क्यों न बनें? मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 20 एकड़ भूमि का स्वामित्व भी उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति बनने का अधिकार नहीं देता —— गरीब लोग निरन्तर उत्पीड़ित हैं और उन्हें अभी तक संरक्षण देकर उनकी रक्षा नहीं की गई है। हम न्यासी हैं, हमने पुणे समझौते के अन्तर्गत सत्ता में भागीदारी का वचन दिया है। क्या हमने इस वचन को पूरा किया है।

माननीय जे.जे. जेसेम डीसूजा

कुछ लोगों का यह विचार है कि आरक्षण लोकतंत्र विरोधी है और इससे अगले दस या बारह वर्षों की अवधि में किसी प्रकार से इससे छुटकारा पा लिया जाए। निवेदन है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। आरक्षण एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए निर्वाचन का सिद्वान्त पूरी तरह से कारगर सिद्व हो सकता है।

श्री वी.आई.मुनीस्वामी पिल्लै

यदि आप जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में होना आवश्यक है।

श्री एच.जे. खांडेकर

यदि विधान मण्डल के बारे में आरक्षण के साथ–साथ उसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों में भी की जाती है तो यह उनकी स्थिति को सुधारने में काफी सहायक होगा। यदि आप एक प्रान्त के मंत्रिमंडल को देखें जहां 24 से 25 प्रतिशत लोग हरिजन हैं, आप पाएगें कि वहां पर मंत्रिमंडल में केवल एक हरिजन

है। परन्तु यह खेद का विषय है कि जहां एक प्रान्त में हिन्दू जाति अर्थात ब्राह्मण अल्पसंख्य में हैं और इतने कम अल्पसंख्यक अर्थात जनसंख्या का केवल दो प्रतिशत है, बारह में से दस मंत्री ब्राह्मण हैं। क्या आप इसे अन्याय नहीं मानेंगे?

"सैकडों हरिजनों ने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए आवेदन भरे थे और उनका साक्षात्कार भी लिया गया। परन्तु, खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से किसी का भी पदों के लिए चयन नहीं किया गया। इसके लिए यह कारण बताया गया कि उनमें से किसी को भी पदों के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। आज हमारी अनुपयुक्तता के लिए आप जिम्मेदार हैं।"

डा.बी.आर.अम्बेडकर

यदि दस वर्षों के बाद अनुसूचित जातियां यह पाती हैं कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है अथवा वे इस अवधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह उनकी क्षमता अथवा बुद्धि से परे नहीं होगा कि वे वैसा ही संरक्षण प्राप्त करने के लिए नए तरीके खोजें जिसका उन्हें यहां वादा किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए मैं अधिक समय देने को तैयार हूं। परन्तु वे सभी लोग, जिन्होंने अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बात की है, इतने सतर्क हो गए हैं कि यह कार्य दस वर्ष में समाप्त हो जाना चाहिए।

डा. धर्मप्रकाश

हिन्दु , मुसलमानों, ईसाईयों और सिक्खों को उनके अल्पमत में होने के आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं होगा। परन्तु, हिन्दु में हरिजन ऐसे आरक्षण के लिए पात्र हैं जब तक "वे जनसंख्या के अन्य वर्गो के अनुरूप संस्कृति के समान स्तर तक नहीं पहुंच जाते।"

डा.पी कक्कन

गरीब हरिजन उम्मीदवार को अब तक सरकारी सेवाओं में उपयुक्त नियुक्तियां प्राप्त नहीं हुई थी। अधिकारियों ने केवल अपने स्वयं के लोगों का चयन किया, न कि हरिजनों का। प्रोन्नतियों के मामले में भी हमें न्याय नहीं मिला।

श्री टी. चैनइया

मैं आरक्षण 150 वर्षों के लिए चाहता हूं क्योंकि इतनी ही अवधि के लिए उन्हें अवसरों से वंचित रखा गया था।

डा.एच.जे.खांडेकर

मुझे डर है कि यदि ऐसी प्रक्रिया जारी रहती है और यदि इस खंड को लागू कर भी दिया जाता है, तो भी अनुसूचित जातियों को एक अवसर भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि "पिछड़ा" शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की जाएगी कि हम लोगों को सेवाओं में कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अन्य जातियों के लोग भी पिछड़े होने का दावा करेंगे और आरक्षित पदों पर अवसर प्राप्त करेंगे।

डा.बी.आर. आम्बेडकर

अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट "अखिल भारतीय और प्रान्तीय सेवाएं" के अनुसार जो सदन द्वारा स्वीकार की गई थी, प्रशासन में कुशलता के विचार से सभी अल्पसंख्यकों के दावों को, इन सेवाओं में नियुक्तियां करते समय, ध्यान में रखा जाएगा। परन्तु सलाहकार समिति मुसलमानों तथा इसाईयों को अल्पसंख्यक के रूप में मानने के पक्ष में नहीं थी। सदन ने यह अब स्वीकार किया है कि इस विषय के लिए स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक केवल अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां हैं। अतः प्रसारण समिति सदन के इस निर्णय को मानने के लिए और ऐसे निर्णय के अनुसार अनुच्छेद में परिवर्तन करने के लिए बाध्य है।

संविधान में अनुवीक्षण (मानीटरिंग)

2.4 अतः यह देखा जा सकता है कि उपयुक्त विषय पर विचार–विमर्श के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान मण्डलों, मंत्रिमंडल और नगर बोर्डो तथा स्थानीय निकायों में आरक्षण का सुझाव दिया गया था इसके अतिरिक्त, यह भी महसूस किया गया था कि संविधान में न केवल विशेष और सुस्पष्ट उपबंध होने चाहिए, बल्कि, इन रक्षोपायों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और निरीक्षण करने के लिए एक अनुवीक्षण (मानिटरिंग) ऐजेंसी होनी चाहिए। प्रारंभ में यह सुझाव दिया गया था कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए अल्पसंख्यकों हेतु एक विशेष अधिकारी होना चाहिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए किए गए रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा। काफी चर्चा के बाद, श्री के.एम. मुन्शी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों कि लिए किए गए रक्षोपायों से संबंधित मामलों का अन्वेषण करेगा *और इस संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाएंगे। उसके बाद कई* अन्य सुझाव आए। अन्ततः श्री मुन्शी द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया गया और संविधान के अनुछेद – 338 के रूप में सम्मिलित किया गया।

50 वर्षों में विकास

2.5 अब हम गत 50 वर्षों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के संबंध में हुए विकास को देखने के लिए जनसंख्या, साक्षरता, व्यावसायिक प्रोफाइल, सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ आंकड़े और सूचक देखेंगे। नीचे **तालिका 2.1** में स्वतंत्रता से लेकर अब तक के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1

स्वतंत्रता प्राप्ति से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

(जनसंख्या दस लाख में)

वर्ष	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	कुल जनसंख्या मे अनु. जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	अनु.जन.जाति की जनसंख्या	कुल जनसंख्या में अनु.जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत
1951	356	52	14.61	19	5.30
1961	439	65	14.60	30	6.90
1971	458	80	14.50	39	6.90
1981	685	106	15.50	54	7.90
1991	846	138	16.33	68	8.08

2.6 **तालिका 2.1** से यह देखा जा सकता है कि 1951 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की संख्या कुल जनसंख्या का 14.61 प्रतिशत थी, जो 1991 जनगणना के अनुसार बढ़कर 16.33 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो 1951 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 5.3 प्रतिशत थी, 1991 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 8.08 प्रतिशत हो गई। यह भी दर्शाया गया है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या चार दशकों की अवधि में अनुसूचित जातियों की तुलना में अधिक बढ़ी है।

साक्षरता

2.7 1961 की जनगणना से 1991 की जनगणना तक देश में कुल जनसख्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों में पुरुष, महिलावार और कुल साक्षरता स्तर **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका-2.2

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कुल जनसंख्या में पुरुष/महिलावार साक्षरता की प्रवृत्ति

वर्ष	कुल			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1961	34.44	12.95	24.02	16.96	3.29	10.271	3.83	3.16	8.54
1971	39.45	18.72	29.46	22.36	6-44	14.67	17.63	4.85	11.39
1981	65.50	29.85	43.67	31.12	10-93	21.38	24.52	8.05	16.35
1991	64.13	39.29	52.21	49.91	23-76	37.41	40.65	18.19	29.60

स्रोत: जनगणना रिपोर्ट

2.3 **तालिका 2.2** 1961 से 1991 तक तीन दशकों के लिए कुल और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में साक्षरता का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करती है। इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि कुल जनसंख्या में साक्षरता दर बढ़ी है, फिर भी कुल जनसंख्या में वृद्धि की दर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों में वृद्धि की दर से अधिक है। अतः आने वाले वर्षों में इस पहलू पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यह भी सामाजिक विकास के मुख्य सूचकों में से एक है।

व्यावसायिक विविधता

2.9 1961 से 1991 तक मुख्य कामगारों का व्यावसायिक वर्गीकरण नीचे **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3

1961 से 1991 तक की जनगणना में अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों और कुल जनसंख्या में मुख्य कामगारों का व्यावसायिक वर्गीकरण

मदें	कुल				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	1961	1971	1981	1991	1961	1971	1981	1991	1961	1971	1981	1991
खेतिहर	2.78	43.38	41.53	39.74	37.76	27.87	28.17	25.44	68.18	57.56	54.43	54.50
कृषि मजदूर	16.71	26.32	25.16	19.66	34.48	51.74	48.22	49.06	19.71	33.04	32.67	32.69
घरेलू उद्योग	6.38	3.55	3.99	2.56	6.56	3.33	3.31	2.41	2.47	1.03	1.42	1.04
अन्य कामगार	24.13	26.75	29.32	38.04	21.20	17.06	20.30	23.08	9.64	8.37	11.84	11.76

2.10 इन आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि 1961 से 1991 तक तीन दशकों की अवधि में सभी वर्गों में खेतिहरों की संख्या में कमी हुई है। परन्तु, यह कमी अनुसूचित जातियों की तुलना में सामान्य और अनुसूचित जनजाति वर्ग में अधिक हुई है। यधपि, कृषि मजदूरों की संख्या सभी वर्गों में बढ़ी है, फिर भी अनुसूचित जातियों में यह वृद्वि अधिक हैं घरेलू उद्योगों में, सभी समुदायों का हिस्सा कम हुआ है, परन्तु, यह कमी सामान्य वर्गों और अनुसूचित जनजातियों की तुलना में और सेवा में अनुसूचित जातियों में बहुत अधिक है। अन्य कामगारों के व्यवसाय में उद्योग और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। "अन्य कामगारों" की संख्या सभी वर्गों के मुख्य कामगारों में वृद्वि दर्शाती है, हालांकि सामान्य वर्गों में यह वृद्वि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की तुलना में बहुत अधिक है। नई आर्थिक नीतियों और सुधारों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों को रोजगार दिलवाने में विशेष ध्यान देना होगा।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या

2.11 1977–78 से 1987–88 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुल जनसंख्या की प्रतिशतता **तालिका 2.4** में दी गयी है।

तालिका 2.4

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुल जनसंख्या की प्रतिशतता

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल जनसंख्या
1977–78	56.30	68.10	48.30
1983–84	50.10	57.20	37.40
1987–88	41.50	49.90	29.90

2.12 योजना आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के बोझ का अनुमान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग लगाने के लिए, विशेष दल की रिपोर्ट में निर्धारित कार्य–प्रणाली को अपनाया है। कुल जनसंख्या में अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनंसख्या का प्रतिशत नीचे दिया गया है।

	अनसूचित जातियां		अनसूचित जनजातियां		कुल जनसंख्या	
वर्ष	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1993-94	49.48	48.11	41.14	51.94	39.09	38.20

2.13 उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है। कि यद्यपि, अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी वर्गों में 1977–78 से गरीबी के प्रभाव में कमी हुई है, परन्तु यह कमी अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के मामले में कम थीं

आज भी अनसूचित जाति/अनसूचित जनजाति की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार की स्थिति

2.14 नीचे **तालिका 2.5** में वर्ष 1965 और 1995 के लिए केंद्र सरकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार की स्थिति दर्शायी गयी है।

तालिका-2.5

केंद्र सरकार में अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के रोजगार की स्थिति

समूह	कुल		अनसूचित जाति		कुल का प्रतिशत		अनसूचित जनजाति		कुल का प्रतिशत	
	1965	1995	1965	1995	1965	1995	1965	1995	1965	1995
श्रेणी–I	19379	65408	318	6637	1.64	10.12	52	1891	0.27	2.89
श्रेणी–II	30621	108857	864	13797	2.82	12.67	103	2913	0.34	2.68
श्रेणी–III	1082287	2341863	96114	378172	8.88	16.15	12390	133179	1.14	5.69
श्रेणी–IV (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	1132517	1041082	101073	221380	17.75	21.26	38444	67453	3.39	6.48
कुल (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	2264795	3557210	298369	619986	13.17	17.43	50989	205436	2.25	5.78
सफाई कर्मचारी	–	177527	–	78719	–	44.34	–	12269	–	6.91
कुल जोड़	2264795	3734737	298369	698705	13.17	18.71	50989	217705	2.25	5.83

1995 में सफाई कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े, श्रेणी–4 समूह के आंकड़ों में सम्मिलित है।।

2.15 यद्यपि, 1965 से 1995 तक सेवाओं के सभी समूहों में अनुसूचित जातियों का हिस्सा बढ़ा है, परन्तु यह, समूह "ग" और "घ" वर्गों को छोड़कर, वांछित स्तर तक नहीं बढ़ सका है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में उन्हें किसी भी वर्ग में निर्धारित हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ।

शासन में हिस्सेदारी

2.16 विश्वविद्यालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय, दूतावासों, आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कुछ विश्लेषण नीचे पैराग्राफों में किए गए हैं। विश्लेषण मोटे तौर पर दिखाता हैं कि इन महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से अपर्याप्त बना हुआ है।

तालिका -2.6

देश के 150 विश्वविद्यालयों से अधिक में समाज विज्ञान और विज्ञान संकायों में विभिन्न सामाजिक समूहों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व

वर्ग	समाज विज्ञान संकाय	विज्ञान संकाय
अल्पसंख्यक	1.7	3.2
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	1.2	0.5
अन्य पिछड़े वर्ग	6.8	2.3
उच्च जाति	90.30	94.00

स्रोतः डा. पी. एस. वर्मा द्वारा रचित और सामाजिक अनुसंधान एवं पुर्नरचना संस्थान द्वारा प्रकाशित– "अन्ततः आरक्षण ही क्यों"।

2.17 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में यह विश्वास बनने के लिए कि वे अन्य लोगों के समान हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु **तालिका 2.6** में प्रस्तुत किए गए उनके प्रतिनिधित्व पर उपलब्ध आंकड़े एक खेदजनक स्थिति परिलक्षित करते हैं। यह तालिका दर्शाती हैं कि समाज विज्ञान और विज्ञान संकायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हिस्सा क्रमशः 1.2 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत है यद्यपि, समस्या दोनों विषयों में गम्भीर है, परन्तु विज्ञान संकाय में यह अधिक गुरूतर है। यह सागर में एक बूँद मात्र है। वे कम से कम कुल जनसंख्या में अपनी जनसंख्या के बराबर हिस्सा पाने के पात्र हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व भी निराशाजनक है।

2.18 **तालिका 2.7** दूतावासों में सेवा के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व दर्शाती है।

तालिका-2.7

भारतीय दूतावासों में विभिन्न वर्गों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्यों का प्रतिनिधित्व

(प्रतिशत में)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	उच्च जाति
समूह "क"	8.00	1.00	0.00	91.00
समूह "ख"	4.20	0.60	5.00	94.00
समूह "ग"	4.30	1.20	1.50	93.00
समूह "घ"	7.00	1.00	0.20	91.83

स्रोतः श्री पी.एस. वर्मा द्वारा अन्ततः आरक्षण ही क्यों

2.19 जैसा कि उपर्युक्त तालिका में चित्रित किया गया है भारतीय दूतावासों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा नगण्य है,। भारत में सामान्यतः सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में समूह "घ" में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या प्रतिशत से अधिक रहा है। परन्तु, दूतावासों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम है, जबकि, उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व, जो समूह "घ" वर्ग के कार्य को नापसन्द करते हैं, 90 प्रतिशत से अधिक है।

2.20 नीचे **तालिका 2.8** विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना दर्शाती है।

तालिका 2.8

उच्च न्यायालयों में विभिन्न सामाजिक समूहों का न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में प्रतिनिधित्व

वर्ष	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
मार्च, 1982	325	4(1.23%)		32(98.77%)
मार्च, 1993	547	13(2.38%)	4(0.73%)	530(96.89%)

स्रोतः श्री पी. एस. वर्मा द्वारा रचित "अन्ततः आरक्षण ही क्यों?

2.21 चूंकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, इसलिए उनका हिस्सा नगण्य है, जैसा **तालिका 2.8** में दिखाया गया है। मार्च 1982 में

अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों की संख्या चार थी, जबकि अनुसूचित जनजाति का कोई न्यायाधीश नहीं था। यद्यपि, एक दशक से अधिक में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है, फिर भी यह उनकी जनसंख्या की तुलना में लगभग नगण्य है।

2.22 नीचे **तालिका-2.9** में 1996 में विभिन्न राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है।

तालिका - 2.9

1996 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थिति की तारीख	न्यायाधीशों की संख्या		
			कुल	अनु.जातियां	अनु.जनजातियां
1.	गुजरात	1.1.1996	27		
2.	सिक्किम	1–1–1997	03		–
3.	इलाहाबाद	1–1–1996	उपलब्ध नहीं	2	
4.	हिमाचल प्रदेश	1–1–1996	07		
5.	केरल	1–1–1996	25	1	
6.	गुवाहटी	1–1–1996	13	1	2
7.	तमिलनाडु	1–1–1996	20	2	(अनु.जनजाति भी शामिल है)
8.	पंजाब और हरियाणा	उपलब्ध नहीं	29		
9.	आंध्र प्रदेश	1–1–1996	उपलब्ध नहीं		2
10.	कर्नाटक	1–1–1996	उपलब्ध नहीं	3	1
11.	दिल्ली	1–1–1996	28		

2.23 उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य ही बना हुआ है। यह उनकी दयनीय दशा को दर्शाता है कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां न्यायिक व्यवस्था में हाशिये पर ही हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भारतीय न्याय तंत्र में आरक्षण का प्रावधान करने का यह उचित समय है।

2.24 नीचे **तालिका- 2.10** में वर्ष 1935 और 1989 में सरकारी और गैर–सरकारी दोनों में विभिन्न जातियों और समुदायों की जनसंख्या तथा उनका सर्वोच्च सेवा में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत

करती है। इस तालिका से देखा जा सकता है कि 1935 में ब्राह्मणों की जनसंख्या 3.5 प्रतिशत थी और सेवा में उनका हिस्सा 3 प्रतिशत था। 5 दशकों के भीतर उनकी जनसंख्या 5.20 प्रतिशत तक बढ़ी, परन्तु, सेवा में तत्संबंधी प्रतिशत 70.20 प्रतिशत तक बढा है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें 1935 से 1989 तक अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ। तस्वीर का पहलू यह है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों सहित दलितों की 1935 में जनसंख्या 64 प्रतिशत थी, परन्तु, उनका सेवा में हिस्सा केवल। प्रतिशत था। आधी शताब्दी के बाद यद्यपि उनका हिस्सा 8 प्रतिशत तक बढा है, किन्तु फिर भी यह वांछित स्तर से बहुत नीचे है।

तालिका- 2.10

निम्नलिखिति दो समयावधियों में श्रेणी 1 की सरकारी /गैर - सरकारी दोनों सेवाओं में विभिन्न जातियों/ समुदायों की प्रतिशतता और उनकी जनसंख्या

जाति	वर्ष 1935		वर्ष 1989	
	जनसंख्या (प्रतिशत में)	सेवाओं में हिस्सा (प्रतिशतमें)	जनसंख्या (प्रतिशतमें)	सेवाओं में हिस्सा (प्रतिशत में)
कायस्थ	0.85	40.00	1.03	7.00
मुसलमान	21.00	35.00	10.13	3.20
इसाई	4.00	15.00	2.08	1.00
ब्राह्मण(त्यागी) भूमिहार	3.5	3.00	5.20	70.20
राजपूत	2.5	2.00	3.80	1.70
बनिया	1.20	1.00	1.78	3.50
सिक्ख (अरोड़ा खत्री)	1.40	1.60	1.60	1.90
अन्य (मराठा और जाट)	1.60	0.9	5.50	2.50
दलित (अनु.जा., अनु.जनजा. और पिछड़ा वर्ग)	64.00	1.00	68.85	8.00

2.25 निम्नलिखित **तालिका 2.11** में, चुनिंदा राज्यों में जनजातीय और गैर–जनजातीय वर्ग के लोगों के विकास के स्तर से संबंधित सूचना दी गई है। यह

सूचना आर0जी0आई0 की 1988 में प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट और "सर्वेक्षण" में प्रकाशित आंकडों के आधार पर दी गई है।

तालिका 2.11

जनजातीय/गैर जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों के विकास को दर्शाने वाले आंकडे

राज्य	प्रतिव्यक्ति मासिक आय जनजातीय व्यक्ति	प्रतिव्यक्ति मासिक आय गैर जनजातीय व्यक्ति	साक्षरता दर का प्रतिशत जनजातीय व्यक्ति	साक्षरता दर का प्रतिशत गैर जन. जातीय व्यक्ति	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000) जन. जातीय व्यक्ति	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000) राज्य औसत (ग्रामीण)
आंध्र प्रदेश	128.83	156.55	13.2	45.11	130	87
बिहार	128.94	206.21	21.2	38.54	91	100
गुजरात	143.94	179.41	26.0	60.91	116	101
मध्य प्रदेश	122.83	224.34	15.6	43.45	*154	127
महाराष्ट्र	142.33	157.77	24.2	63.05	117	76
राजस्थान	147.83	205.95	15.7	38.81	105	111
उडीसा	124.16	131.17	18.8	48.55	**177	127

*मंडला जिले का आई एम आर **कोरापुट जिले का आई एम आर (जनजाति बहुल)

स्रोतः 1. एस आर एस, आर जी आई 1988
2. सर्वेक्षण 59वां अंक अप्रैल 1994

2.26 उपर्युक्त **तालिका 2.11** में दिए गये आंकड़ों से, गैर जनजातीय व्यक्तियों की तुलना में जनजातीय व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति का जायज़ा लेने का प्रयास किया गया है जिनके लिए संविधान में विशेष उपबंध किये गये हैं। इन तीन प्रकार के सूचक आंकडों से पता चलता है कि सामाजिक खुशहाली की दृष्टि से अर्थात स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, आय व व्यय तथा साक्षरता के क्षेत्र में भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में जनजाति वर्ग के व्यक्ति गैर–जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में काफी पीछे हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के प्रति अपराध

2.27 गैर–अनुसूचित जाति गैर–अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के प्रति 1981 से 1991 तक किए गए अपराधों का ब्यौरा, **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12

गैर-अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के प्रति किये गये अपराध।

क्र.स.	वर्ष	मामलों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	1981	14318	3432
2	1984	15987	4290
3	1985	15373	4055
4	1986	15416	3945
5	1991	17646	4778

2.28 उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि 1981 से 1991 तक एक दशक में, अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति अपराधों में 23.24 प्रतिशत की वृद्वि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में 39 प्रतिशत की वृद्वि हुई। अतः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए संगठित प्रयास किये जाने चाहिए। उनके प्रति निरंतर अपराध किये जा रहें हैं और इन अपराधों में हत्या, बलात्कार, आगजनी और यहां तक कि स्कूली बच्चों को अंधा बनाने जैसे अपराध भी शामिल हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का सुनियोजित विकास-समालोचना

2.29 योजनाकारों और प्रशासकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की विशेष समस्याओं की जानकारी रही है। आरम्भ से ही इन समस्याओं का उल्लेख, योजना दस्तावेजों में किया जाता रहा है। नीतियों और कार्यक्रमों को संविधानिक उपबंधों और भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किये गये जनजाति विकास के सम्बंध में पंचशील सिद्वांतों के अनुसार तैयार करने के प्रयास किये जाते रहे हैं।

2.30 दूसरी पंचवर्षीय योजना में, देश के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में 43 विशेष बहु–उद्देशीय ब्लॉक गठित किए गए थे। रेणुका रे टीम (1959) ने आर्थिक विकास, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल दिया था। इसके बाद ढेबर आयोग (1961) ने जनजाति वर्ग के लोगों के विकास का उददेश्य "उन्नति" और जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों का एकीकरण, निश्चित किया था। आयोग के अनुसार समस्या तो यह है कि जनजातिय जीवन–शैली के सामंजस्य में हस्तक्षेप किये बिना ही उनकी उन्नति के लिए किस प्रकार कार्य किया जाए। शिलू आओ टीम (1969) ने इस

बात पर बल दिया कि "जनजातिय वर्ग के लोगों को कई शताब्दियों से जिन असमर्थताओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि गरीबी, कुपोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शोषण और बुरी स्थिति, उन्हें दूर करने में समय लगेगा, और विकास परिणाम, व्यय के अनुरूप नहीं रहे तथा सामान्य विकास कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ का उचित हिस्सा जन–जातीय विकास के लिए आबंटित किया जाना चाहिए।

2.31 विकास कार्यक्रम बिना किसी उचित परिप्रेक्ष्य के तदर्थ रीति से तैयार किये जाते रहे और उनका स्वरूप कल्याण योजनाओं का था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम विकास के सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत समग्र विकास कार्य अनुपूरक के रूप में तैयार किये गये परन्तु व्यवहार में इन विशेष कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को केवल सामान्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ मिले। इसके परिणाम स्वरूप उनके विकास के लिए निर्धारित राशि से काफी कम राशि व्यय की गई जैसा कि
निम्नलिखित **तालिका 2.13** से स्पष्ट होता है।

तालिका 2.13

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए योजना परिव्यय

योजना अवधि	योजना परिव्यय (करोड रू. में)				
	कुल	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	अनुसूचित जाति	प्रतिशत
पहली योजना	1,960	19.93	1.00%	6.13	0.35%
दूसरी योजना	9,672	42.92	0.90%	28.56	0.61%
तीसरी योजना	8,577	50.53	0.60%	40.42	0.48%
चौथी योजना	15,779	79.85	0.50%	72.19	0.46%
पांचवी योजना	39,426	1,157.67	3.00%	204.90	0.52%
छठी योजना	1,09,212	3,640.25	3.33%	3,722.97	3.41%
सातवी योजना	1,80,000	6,744.85	3.75%	7,223.32	4.02%
आठवी योजना	1,81,735	14,873.43	8.18%	22,380.80	12.32%

स्रोत : कल्याण मंत्रालय

2.32 योजना प्रक्रिया के इतिहास का अवलोकन करने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विकास पर, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विकास की तुलना में कम ध्यान दिया गया है उदाहरण के लिए ऐसी कोई नई प्रशासनिक संरचनात्मक व्यवस्था नहीं की गई जैसी कि पचास के दशक में विशेष बहु–उदेशीय ब्लाक और साठ के दशक में जनजातीय विकास ब्लॉक बनाकर की गई थी। संभवतः यह मानलिया गया था कि योजना प्रक्रिया के आगे बढने के साथ–साथ अनुसूचित जाति के लोग, सामान्य विकासात्मक लाभ में से लाभ प्राप्त कर लेगें क्योंकि इस वर्ग के लोग शेष अन्य लोगों के बीच में ही रहते हैं। परन्तु जैसा कि साठ के दशक के बाद के वर्षो में इस मुददे की जांच से पता चला, कि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के निचले तबकों तक लाभ पहुँचाने का जो सिद्वांत था वह उपयोगी सिद्व नहीं हुआ और इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए विशेष तंत्र गठित करना आवश्यक होगया। विशेष घटक योजना 1980 में आरम्भ की गई जो पूर्ववती योजना अवधि की जनजातीय उप–योजना के समान थी। विशेष संघटक योजना, (एस.सी.पी.) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

I. केन्द्र से प्राप्त निधि और राज्य के संसाधनों का, राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में प्रमात्रा निर्धारण।

II. विशेष संघटक योजना को लागू करने के लिए आधारभूत प्रशासनिक व्यवस्था करना और

III. उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनों, लोगों की अभिक्षमता और निधि की उपलब्धता के आधार पर परियोजना क्षेत्र के लिए परियोजना रिपोर्ट।

स्पष्ट प्रगति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी

2.33 पहली अवस्था में दोनों नीतियों के लिए मुख्य आवश्यक यह है कि दो विशेष योजनाओं हेतु केन्द्रीय व राज्य योजनाओं में से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में निधि अलग रखी जानी चाहिए। केन्द्र में प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हेतु 7.5 प्रतिशत निधि अलग से निर्धारित की जानी चाहिए। राज्य स्तर पर, प्रत्येक राज्य द्वारा अपने यहां मौजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में, राज्य योजना में से अलग निधि निर्धारित की जानी चाहिए। इस प्रकार से निर्धारित निधि केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को सौंपदी जानी चाहिए और राज्य के नोडल विभाग से, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के

अनुरूप कार्य करवाना चाहिए। कार्यक्रमों व योजनाओं को लागू करते समय अत्याधिक सावधानी बरती जाए और उनकी कसौटी यह हो कि वे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कितनी प्रासंगिक एवं उपयोगी हैं।

2.34 आयोग, नियुक्तियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण किए जाने के संबंध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता पर बल देता रहा है। हालांकि विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है परन्तु उसे अभी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है उसे अधिनियम बनाने के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है अतः आरक्षण को स्पष्ट एवं असंदिगध रूप से कानूनी हैसियत प्रदान करने के लिए परम अग्रता के आधार पर ऐसा अधिनियम पारित किया जाना आवश्यक है जिसमें आरक्षण नीति के दुरूपयोग, गलत निर्वचन और उसे लागू न करने के लिए दंड की व्यवस्था की गई हो। यद्यपि केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न नीतियों से, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्राथमिक शिक्षा के सार्विकीकरण, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा नीति और आश्रम विद्यालयों, छात्रावास छात्रवृत्ति, वर्दी, मध्यान्ह भोजन व बुक बैंक की योजनाएं शामिल हैं, शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है परन्तु इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक ठोस व व्यापक प्रयास किये जाने अपेक्षित है कि जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वे अपनी शिक्षा जारी रखें और बीच में ही विद्यालय जाना बंद न कर दें। जहां तक भूमि समस्या का संबंध है इसके बारे में आयोग ने पहले यह सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में हस्तांतरित (भूमि अन्य संक्रामण) करने की बढ़ती प्रवृति को रोकने के लिए मॉडल विनियम/कानून बनाया जाना चाहिए जिसे सभी राज्य अपना लें। आयोग फिर से उसी बात की सिफारिश करता है ताकि इस सबंध में सभी राज्य समान व्यवस्था का अनुपालन कर सकें। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रयोजनों विशेषकर औधौगिक परिसरों का निर्माण करने व सिंचाई परियोजनाओं को संचालित करने के लिए जनजातिय क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कम से कम किया जाना चाहिए और यह अधिग्रहण केवल तभी किया जाए जब कोई अन्य उपाय न हो। यदि भूमि का अधिग्रहण करना वास्तव में आवश्यक हो तो पुनर्वास के लिए उपयुक्त पैकेज तय करने के बाद ही अधिग्रहण किया जाए। उक्त पैकेज में, प्रभावित व्यक्ति को उस परियोजना में भागीदार बनाए जाने की बात शामिल है, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा हो। मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था सहित सम्पूर्ण सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान देना एक अन्य ऐसा महत्वपूर्ण मुददा है जिसे सरकार के सभी नीतिगत निर्णयों में शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

2.35 आज देश की प्रगति ऐसे कार्य क्षेत्रों से प्रकट होती दिखाई दे रही है जिनमें कई करोड़ रूपये की बड़ी–बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। देश में बहुत उन्नति हुई है और

भारी मात्रा में वैज्ञानिक शोध व नाभिकीय अनुसंधान हुआ है। देशवासियों के आर्थिक विकास के लिए कई वित्तीय संस्थाए गठित की गई हैं। ये संस्थाएं मुख्यतः राज्य वित्त निगम, भारतीय औधोगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) और भारतीय निर्यात आयात बैंक आदि हैं। आज देश की प्रगति उस तकनीकयुक्त उधोगों, आयात, निर्यात, इलैक्ट्रानिक उधोगों, कंप्यूटरों, मोटरकारों, सेल्युलर व कार्डलेस टेलीफोनों, वित्तीय संस्थाओं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन व अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों, शेयर बाजार, विलासिता की वस्तुओं जैसे रंगीन टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कपड़े धोने की मशीन, वातानुकूल यंत्रों आदि के माध्यम से प्रकट होती दिखाई देती है। बहुत से संस्थानों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करादी गई है और कृषि उत्पादन बढाने के लिए लाभार्थियों को कृषि के आधुनिक उपकरण दिए गए हैं।

2.36 भारत की स्पष्ट प्रगति के उपयुक्त सूचकों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी नगण्य हैं सभी प्रयास, उन्हें केवल सेवाओं में आरक्षण दिये जाने पर केंद्रित हैं जिसे भी अभी निर्धारित सीमा तक नहीं दिया जा सका है।

2.37 आयोग ने यह मत प्रकट किया है कि इन लक्ष्य समूहों की स्पष्ट प्रगति के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लोगों के व्यावसायिक परिवर्तन और उनकी उन्नति के लिए उधमवृत्ति के संवर्धन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, शिक्षा और वित्तीय व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पारंपरिक श्रमिक समुदायों के व्यक्तियों में से पहली बार ठेकेदारी का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष नीति बनाकर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ठेके लेने हेतु अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए कार्यकलाप आवश्यक माने गए हैं और इस वर्ग के लोगों को उचित लाभ प्राप्त होने की बात सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्यकलापों में ही अपेक्षित रक्षोपाय शामिल करने हेतु नीति बनाई जानी चाहिए। इन सभी रक्षोपायों को प्रभावी बनाने की सुनिश्चितता बरतने के लिए लक्ष्य समूहों में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त रूप से भागीदार बनाने व कार्य सौपने हेतु संबंधित नीतियों में ही कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

2.38 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास न होने का मुख्य कारण, उनके विकास के लिए अग्रता आधार पर संसाधनों का आबंटन न किया जाना है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के सभी मामलों पर कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अधीन, योजना आयोग के समान ही राष्ट्रीय स्तर का विकास प्राधिकरण गठित

किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। किसी गैर–सरकारी व्यक्ति को उसका उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्यों में भी इस प्रकार का प्राधिकरण गठित किया जाना चाहिए जिसका अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष कोई गैर–सरकारी हो। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनंसख्या प्रतिशत के अनुपात में संसाधन अलग से निर्धारित कर दिए जाने चाहिए और उन्हें उक्त प्राधिकरण को अंतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि प्राधिकरण, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विकास व कल्याण योजना बना सके और उन्हें लागू कर सके। यही व्यवस्था, राज्य और जिला स्तर पर भी लागू किये जाने की आवश्यकता है। इस प्राधिकरण को संसाधन प्राप्त होने और इन योजनाओं के अनुवीक्षण (मानीटरिंग) व कार्यान्वयन कार्य के नियंत्रण की शक्तियां दिए जाने से, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जा सके।

2.39 सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता, शैक्षिक समानता व लोगों के जीवन स्तर के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की विकास संबंधी आवश्यकताओं तथा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय व राज्य योजनाओं, वार्षिक योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं एव संदर्श योजनाओं को बनाने व उन्हें अनुमोदित करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

2.40 अभीतक केवल सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया है। रक्षा सेनाओं, वैज्ञानिक संगठनों, न्यायपालिका आदि में कोई आरक्षण नहीं है। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद जब कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, आयोग को इन क्षेत्रों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का कोई ऐसा कारण नजर नहीं आता जिसकी वजह से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को अवसर नहीं दिया जा रहा है।

2.41 सरकार, महिलाओं को संसद/राज्य विधान मंडलों/अन्य सार्वजनिक निकायों में आरक्षण दिए जाने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। आयोग का मत है कि महिलाओं को दी जा रही इस समानता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.42 लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं व अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाए और उन्हें सामाजिक मर्यादा एवं आर्थिक सक्षमता प्रदान की जाए ताकि वे समाज के अन्य वर्गों के बराबर आ सकें तथा समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें, यही वह चार्टर है जिसकी 50 वर्ष पहले संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी। ऐसी नीति से न केवल अलगाव, कुंठा की भावना

और बढ़ता उग्रवाद, व सिविल संघर्ष रूकेगा बल्कि राष्ट्र निर्माण में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग सक्रिय रूप से भागीदार भी बनेंगे।

2.43 आयोग ने उपर्युक्त मुददों में से कई मुददों पर अपनी पिछली रिपोर्ट में चर्चा की है। राष्ट्रपति को सौंपी गई तीसरी रिपोर्ट में निहित अतीत का एक मूल्यांकन शीर्षक वाला उदाहरण, सुलभ संदर्भ के लिए **परिशिष्ट 2.1** में पुनः दिया गया है।

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ पैरा 2.43)

(4.2.98 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से लिए गए उद्धरण)

पश्चावलोकन

50 वर्ष की अवधि के बाद भी

जब हमारे राष्ट्र के नेता और संविधान निर्माता यह संकल्पना कर रहे थे कि नव–निर्मित भारत को रहने के लिए एक बेहतर स्थान कैसे बनाया जाए, किस प्रकार सदियों से शोषित लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जाए, किस प्रकार गरीबी, निरक्षरता, गंदगी, और बीमारी को हटाया जाए, तब वे अच्छी तरह जानते थे कि दलितों को विशेष सुविधाएं दिए बिना यह सब असम्भव प्रतीत होता है। तथापि, यह स्पष्ट है कि विकास के सभी लाभ जरूरतमंद वर्ग तक नहीं पहुंच पाते और कई मामलों में तो ये लाभ सम्पन्न वर्ग ही छीन लेता है। अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए आयोग द्वारा विकास के जिस किसी कार्य की समीक्षा की गई है, उससे यह दिखाई देता है कि आजादी के पचास वर्ष बाद भी भारत के गाँवों में तथा शहरी गंदी बस्तियेां में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है।

इच्छा का अभाव

राष्ट्रीय एजेंडा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान को प्राथमिकता देने की इच्छा का ही अभाव है। इन सार्वजनिक निकायों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण तथा प्रक्रिया इन मुददों का हल करने के लिए अपेक्षित के अनुकूल नहीं है।

अपर्याप्त आबंटन

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के विकास की गति धीमी होना इस बात पर निर्भर करता है कि योजना आयोग और विभिन्न एजेंसियों द्वारा योजना प्रक्रिया किस प्रकार लागू की गई है। आयोग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार छठी योजना तैयार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में आबंटन अलग से निर्धारित करने संबंधी स्पष्ट दिशा–निदेशों का

अनुपालन नहीं किया गया। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप–योजना के अंतर्गत वर्ष 1995–96 के लिए 19365 करोड़ रूपये की राशि अलग से रखी जानी चाहिए थी । इसके बावजूद कुछ मंत्रालयों द्वारा किया गया वास्तविक आबंटन केवल 1884 करोड़ रूपये ही था। इस संबंध मे सभी राज्यों की जो तस्वीर उभर कर सामने आई वह भी कुछ बेहतर नहीं है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सभी राज्यों को चाहिए था कि वे 181735 करोड़ रूपये के कुल राज्य योजना परिव्यय में से विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप–योजना के अन्तर्गत 44361 करोड रूपये की राशि अलग से रख दें। तथापि, वास्तव में केवल 38221 करोड़ रूपये ही आंबटित किये गये थे। यदि इनके विकास के लिए संसाधनों के आबंटन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वे समाज के शेष वर्गो के बराबर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा, जो भी राशि आबंटित की जाती है उसे भी पूर्णतः खर्च नहीं किया जाता या फिर उसका समुचित उपयोग नहीं किया जाता।

प्रयोजनेत्तर उपयोग

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और इन वर्गो की बुनियादी जरूरतों को नजर अंदाज करते हुए, इनके लिए आबंटित धनराशि अन्यवर्गो के विकास में लगादी जाती है। निधि का उपयोग इस प्रकार अन्य प्रयोजन के लिए करने से अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, अतः इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि निधि के प्रयोजनेतर उपयोग पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तैयार की गई परियोजनाएं धन के अभाव के कारण विफल हो जाती हैं और ये वर्ग उचित लाभों से वंचित रह जाते हैं।

मंदगति

योजना के आकार को कम करने का प्रभाव अक्सर इन्ही वर्गो के कार्यक्रमों पर पड़ता है। अभीष्ट लाभ भोगियों की अज्ञानता और उनके दुर्गम तथा अगम्य स्थानों पर रहने के कारण भी कार्यान्वयन का स्तर और भी गिरा है, परियोजनाओं हेतू जिन जनजातीय लोगों की जमीनें ले ली जाती हैं, उनके लिए बनाए गए पुनर्वास पैकेज न तो

व्यावहारिकता है और न ही उनका समुचित कार्यान्वयन किया जाता है और इस प्रकार उनकी हालत और भी दयनीय होती जाती है ।

भूमि

किसी भी परिवार का सामाजिक व आर्थिक स्तर निर्धारित करने वाली प्रमुख परिसम्पत्ति भूमि है और भूमि ही अन्य विकासपरक कार्य करने का आधार भी है, जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, उधोग आदि । यधपि अनुसूचित जातियां /अनुसूचित जनजातियां पूरी जनसंख्या का लगभग 25% हैं, परन्तु उनके द्वारा धारित कुल भूमि अपर्याप्त और सीमान्त है। आयोग द्वारा की गई विभिन्न राज्य सरकारों की समीक्षा से यह तथ्य सामने आया है कि राज्यों के पास वह दिखाने के लिए मूल आंकड़े भी नहीं हैं कि भूमि सुधार का कार्यान्वयन कितना कारगर रहा है। भूमि–सीमा संबंधी कानून भी लागू नहीं किए गए हैं, भूमि के आबंटन में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती, गैर–अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को अवैधरूप से हस्तांरित भूमि भी मूल आबंटियों को लौटाई नहीं जाती है और जहां कहीं सरकार ने कार्यवाही की भी, वहां निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में मामले दर्ज कर दिये जाते हैं जिनका फैसला वर्षो तक नहीं होता और इन अधिनियमों का मूल उददेश्य ही विफल होकर रह जाता है।

वितरण में असमानता

अन्य उत्पादक परिसम्पत्तियों का स्वामित्व भी समान आधार पर नहीं दिया जाता जिससे अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां लाभ से वंचित रह जाती हैं। कारखानों, संसाधन (प्रक्रमण) इकाइयों, दुकानों भवनों, वाहनों आदि के स्वामित्व में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा भी नगण्य है। ये जातियां/ "जनजातियां आधुनिक भारत में" मात्र शोषित वर्ग एवं कम मजदूरी पाने वाले कामगार ही हैं। किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा इन परिसम्पत्तियों को अल्पसुविधा प्राप्त वर्गो को दिलाने अथवा अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियों द्वारा नई इकाइयों के संवर्धन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई गई परियोजनाओं की औसत लागत केवल 20000 हजार रूपये बैठती है, जबकि अनुमोदित परियोजना के लिए अधिकतम सीमा 1लाख रूपये है। पर्याप्त धन के अभाव में, अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों

के उधमी अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते और यूनिटें बेकार हो जाती हैं अर्थात घाटे में चलती हैं।

जनजातियां

अनुसूचित जनजातियां आज भी गरीबी और निरक्षरता की दलदल में फँसी हुई हैं और सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्तव किसी भी श्रेणी में निर्धारित सीमा से अत्याधिक कम है। बताया जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में लोग कुपोषण तथा भूख से मर रहे हैं। जनजातिय लोग मलेरिया, क्षय–रोग, संक्रमण तथा पानी से होने वाले अन्य रोगों के शिकार हो जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल, औषधालय बैंक, सड़कें बिजली आदि जैसी बुनियादी सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जनजातीय क्षत्रों में कारगर ढंग से कार्य नहीं कर रही है। 75 जनजातीय समूहों को अल्प–विकसित घोषित किया गया है जिनके विकास के लिए तीव्र प्रयास करने की आवश्यकता है संस्थागत वित्त उपलब्ध न होने के कारण गरीब जनजातीय लोग आज भी निसन्देहः साहूकारों और व्यापारियों द्वारा शोषित किये जाते हैं। जनजातिय क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी की घटनाओं के बारेमें परस्पर विरोधी रिपोर्टे प्राप्त हुई हैं।

अलगाव

पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास की हालत आज भी बहुत खराब है। समुचित सम्प्रेषण तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव और इनके परिणाम स्वरूप होने वाले अपर्याप्त आर्थिक विकास ने जनजातीय युवाओं के मन में उपेक्षा और अलगाव की भावना पैदा करदी है। इन क्षेत्रों में उग्रवाद पनपने का यह एक कारण है जिसने स्थानीय जनजातीयों की परेशानियां और भी बढा दी है। यह भीषण स्थिति जनजातीय क्षेत्रों में ठोस वास्तविकताओं को न समझ पाने का परिणाम है। चूंकि, इनकी समस्याएं अन्य क्षेत्रों में रहने वाले वर्गो की समस्याओं से भिन्न है अतः इस क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए परिणामोन्मुखी विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

सेवाओं में आरक्षण

सेवाओं में इनके प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े भी यही इंगित करते हैं कि, यधपि, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सफाई कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क आदि जैसे निम्नश्रेणी पदों पर कार्यरत हैं, सरकार ने स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी सर्वोच्च पदों में अनसूचित

जातियों/ अनसूचित जनजातियों के लिए पूर्ण कोटा सुनिश्चित करने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये हैं। स्वतन्त्रता के 50 वर्ष बाद भी विश्वविद्यालयों और अध्यापन व्यवसाय में इन वर्गो का लगभग "शून्य" प्रतिनिधित्व इनके प्रति सरकार की उदासीनता दर्शाता है। एक ओर तो आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है ओर दूसरी ओर सरकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से उन्हें मिले मौजूदा विशेष अधिकार और रियायतें भी वापस ले रही है। वस्तुतः यह मुददा अत्याधिक गम्भीर है और इसके परिणाम इतने व्यापक है कि आयोग ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30–1–97, 02–7–97, 22–7–97 13–8–97 और 29–8–97 के का0ज्ञा0 के संबंध में राष्ट्रपति को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इन ज्ञापनों में निम्नलिखित मुददे दिए गए हैं।

(क) पदोन्नत अनुसूचित जाति उम्मीदवार को प्रत्यावर्तित किया जाना,

(ख) न्यायालय के निदेश का उल्लंघन करते हुए रिक्ति–आधारित रोस्टर को पद–आधारित रोस्टर में बदलना,

(ग) छूट एवं रियायतें वापस लेना,

(घ) सांविधानिक संशोधन के अनुरूप नहीं हैं, और

(ड़) विशेष भर्ती अभियान को अमान्य करना

हाल ही में आयोग में जिन विभिन्न मामलों पर विचार किया है, उनसे यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए दिखाई जानेवाली सहानुभूति उनके प्रति उपेक्षा बनती जा रही है। उदाहरण के लिए एक समान शैक्षिक अर्हता वाली दो विधवाओं ने एक ही सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पी.एस.ई.) में अनुकम्पा आधार पर आवेदन किया तो सामान्य श्रेणी की विधवा को लिपिक पद का प्रस्ताव देने का निर्णय लिया गया जबकि अनुसूचित जाति की महिला को चपरासी पद का। आयोग के हस्तक्षेप करने पर यह विभेद दूर कर दिया गया । ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की तैनाती दूर–दराज के स्थानों पर या उपेक्ष्य पदों पर की जाती है। इससे उनका मनोबल गिरता है और

उनमें हीन भावना आ जाती है। अधिकारी नियमों व उपबंधों का निर्वचन देते हैं जिससे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का अहित हो जाता है। इस "संकीर्ण मानसिकता" को दूर करने की तंत्र में व्यवस्था नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारी उस समय सहायता की उपेक्षा कर सकें जब उन्हें न्याय नहीं मिलता।

कानूनी अड़चनें

जब कभी अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हित सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के हितों से टकराते हैं तो सामान्य श्रेणी की यूनियनें ही न्यायालय तक पहुँचती है यहां तक कि प्रबंधक वर्ग भी सामान्य यूनियनों को ही समर्थन देता है, या तो वह मामले पर मुकदमा लड़ता ही नहीं या फिर उनके कार्यो की तरफदारी करते हुए उनका समर्थन करता है असहाय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी सुनिश्चित कानूनी सहायता के अभाव में बहुत दुख उठाते हैं। ऐसे कई उदाहरण है जहां न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में दिए गए फैसलों का अवमानना की कार्यवाहियों के बावजूद अनुपालन नहीं किया जाता जबकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किये गये फैसलों का अविलम्ब अनुपालन किया जाता है। आयोग ने सरकार से यह सिफारिश की है कि आरक्षण संबंधी मामलों को सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आधार पर इन मामलों पर विचारण हेतु विशेष व्यवस्था की जाए।

संस्थागत व्यवस्था का समापन

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई सम्पर्क अधिकारियों की संस्था को दुर्बल बनाया जा रहा है क्योंकि इसका कारण है वरिष्ठ प्रबंधकों का विद्वेष, नीति तैयार करने तथा निर्णय की प्रक्रिया, जैसे भर्ती नियमों में परिवर्तन, पदोन्नति नीति आदि में सम्पर्क अधिकारियेां को शामिल न करना। आयोग ने प्रादेशिक आधार पर दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, बैगंलूर में सम्पर्क अधिकारियों से बातचीत की है और उन्हें आवश्यक संरक्षण एवं पदावधि की सुरक्षा देकर तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों में उन्हें शामिल करके सम्पर्क अधिकारियों की संस्था को सशक्त बनाने का प्रयास किया है।

शासन में भागीदारी

इस प्रयास की सफलता के लिए नीति और योजनाएं तैयार करने वालों को राजनीतिक इच्छा और संकल्प की आवश्यकता है। यदि हम राज्यपालों, मंत्रियों, न्यायाधिशों, सचिवों के पदों पर प्रतिनिधित्व की ओर देखें तो हमे मालूम होगा कि देश के शासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बेहद कम है। यही स्थिति जिला क्लेक्टरों, सरकार के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, योजना आयोग के सदस्यों आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता की है। आयोग की आशंका है कि जब तब राज्य के सभी महत्वपूर्ण निकायों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती, इन लोगों की आवाज ठीक से नहीं सुनी जाएगी।

अपर्याप्त शिक्षा सुविधाएं

सरकार ने अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा करने के लिए छात्रवृति देने, छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराने और पुस्तक कोर्स (बुक बैंक) आदि जैसी कई योजनाएं बनाई हैं तथापि इस क्षेत्र के लिए किया गया कुल आबंटन और इन योजनाओं का कार्यान्वयन अपेक्षित स्तर का नहीं है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 10 रू. से 250/– प्रति माह है जो छात्रों की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। छात्रावास की सुविधाएं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

अस्पृश्यता का प्रचलन

यद्यपि, अनुच्छेद 17 द्वारा "अस्पृश्यता" समाप्त कर दी गई है और किसी भी रूप में इस प्रथा को जारी रखना वर्जित है, तथापि अस्पृश्यता का प्रचलन देश में विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है।

(क) गाँव में अनुसूचित जाति के दूल्हों को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता,

(ख) यदि अन्य जातियों के लोग पास से गुजर रहे हों तो अनुसूचित जाति के लोग अपनी चारपाइयों पर बैठे नहीं रह सकते,

(ग) अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता और कुछ स्थानों पर तो हैंड पंप से भी नहीं,

(घ) उड़ीसा में अनुसूचित जाति का एक बैंक अधिकारी त्यौहार के दिन अपनी पत्नी के साथ मंदिर चला गया तो उसे अपमानित किया गया और 1 लाख रू0 तक का जुर्माना लगाया गया जिसे बाद मे घटाकर 10,000/– रू0 कर दिया गया।

(ड) तमिलनाडु में स्थानीय लोगों ने अनुसूचित जाति के किसी नेता के नाम पर बस का नाम रखा जाना भी सहन नहीं किया,

(च) अनुसूचित जाति की लड़कियां यदि सरकार द्वारा चलाऐ जा रहे स्कूलों में लगे सार्वजनिक नल से पानी पीले तो उन मासूम लड़कियों को अंधा कर दिया जाता है।,

(छ) चाय की कई दुकानों व ढाबों पर अनुसूचित जातियों के लिए अलग कप–प्लेट और बर्तन आदि रखे जाते हैं,

(ज) नाई अनुसूचित जाति के लोगों के बाल काटने से मना कर देते हैं,

(झ) यहां तक कि इंदिरा आवास और अम्बेडकर आवास योजनाओं में इन्हें और आगे विभाजित किया गया है क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए अलग बस्तियां बनाई गई हैं ,

(त्र) तमिलनाडु में 1231 "आदि–द्रविडर" स्कूल अलग से चलाऐ जाते हैं। जिसके व्यय की पूर्ति विशेष संघटक योजना से की जाती है, जिससे अन्य विकासात्मक योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।

वर्ग संघर्ष

ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह परिलक्षित होता है कि निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों के दिलों में आज भी भेद भाव की जड़ें काफी गहरी हैं। इस प्रवृत्ति ने दलितों को अलग–थलग कर दिया है और इससे इस नफरत को आतंकवाद और अलगाववादी प्रवृति में पनपने का मौका मिलता है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों में बार बार होने वाले वर्ग संघर्षो में पहले ही स्पष्ट चेतावनी–संकेत मिल चुके हैं। जब कभी दलित संगठित होने का या अपने अधिकार जताने का प्रयत्न करते हैं, तो उन पर सामन्तशाहियों के चाबूक की मार पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप दलितों का मारा जाना, सामूहिक बलात्कार,

हरिजन बस्तियों में लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाएं होने लगती हैं।

संरक्षण

एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब देश में दलितों पर अत्याचार की कोई प्रमुख घटना न घटे और इनमें अपराधियों ने नृशंस और निष्ठुर तरीके न अपनाए हों। हाल ही में, आयोग ने सभी जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये हैं कि वे अत्याचार की घटना के 24 घटों के भीतर "निकनेट" के माध्यम से आयोग को इसकी सूचना भेजें ताकि अभियुक्त की गिरफतारी, पीड़ितों को चिकित्सीय राहत व उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके और प्रशासन द्वारा ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जा सकें। आयोग ने इन मुददों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में सभी राज्यों के गृह–सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की एक कांफ्रैस आयोजित की थी। आयोग ने देखा है कि अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अभी तक इन मामलों के लिए विशिष्ट न्यायालय नहीं बनाए गए हैं। मामले का निबटान काफ़ी मंद गति से किया जाता है, अनुसूचित जातियों के गवाहों को अलग कर दिया जाता है। क्यों कि स्वार्थी पक्ष एवं अन्य गवाह उनके प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने लगते हैं। दोषसिद्वि बहुत कम मामलों में हो पाती है जिससे अधिनियम का मूल उददेश्य ही विफल हो जाता है।

झूठे जाति प्रमाण पत्रों के मामले

चिन्ता की एक अन्य बात जो आयोग के ध्यान में आई है, वह है जाति संबंधी झूठे प्रमाण–पत्रों के मामले। कुछ बेईमान लोगों ने कानूनी दाव–पेचों, सुनने में एक जैसे जाति नामों और भ्रष्ट प्रशासन का सहारा लेकर झूठे प्रमाण पत्र बनवालिये हैं और इसप्रकार वे गरीब अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं आयोग इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल विधि–व्यवस्था से पहले ही सहमत है। आयोग ने जाति के झुठे प्रमाण–पत्रों से संबंधित 1000 से अधिक मामलों की जांच प्रारम्भ कर दी है और जब तक 100 से अधिक कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्तगी और उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की है। इसप्रकार के अधिकतम मामले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से देखने में आ रहे हैं।

अनिवार्य परामर्श

संविधान के अनुच्छेद 338 (9) के अनुसार केन्द्र व राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत विषयों के बारे में आयोग से परामर्श करें। आयोग का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से वह अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के बेहतर हितों के लिए सरकार को अपनी विशेषज्ञ सलाह दे सकता है। तथापि, ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं कि कई सरकारें इस संविधानिक निदेश का पूर्णतः पालन नहीं कर रहीं हैं और एकपक्षीय निर्णय लेरहीं हैं। हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने आयोग से परामर्श लिये बिना एक आदेशजारी करके अनुसूचित जातियों को 4 समूहों मे विभाजित कर दिया है। आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह आयोग के परामर्श के बिना जारी किया गया था। और सरकारों द्वारा ऐसे प्रयास किये जाएं कि वे ऐसे नीतिगत निर्णयों की योजनाएं तैयार करते समय आयोग से परामर्श करें जो अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं।

बाधाएं

आयोग को स्टाफ की कमी और अपेक्षित बजट के अभाव में काम करने में कठिनाई आती है। आयोग ने अपनी कार्य क्षमता और प्रभाव कारिता बढाने के लिए एक आर्थिक प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, कम्प्यूटर और जन–संपर्क प्रकोष्ठ बनाने और सभी राज्यों में अपने कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि वह वहां के कार्यों पर नजर रख सके। लेकिन आयोग पदों की कमी और सरकार द्वारा पर्याप्त बजट की मंजूरी न दिये जाने के कारण अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है।

समर्थन

आयोग अपेक्षा करता है कि इस रिपोर्ट के दोनों खण्डों में दिए गए विश्लेषण और सिफारिशों के माध्यम से सांसद एवं विधायक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित विशिष्ट मुददों पर चर्चा कर सकेगें। हम आशा करते हैं कि समाज के उपेक्षित वर्गों को न्याय एवं उनका न्यायोचित भाग दिलाने में आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पूरा समर्थन मिलेगा।

अध्याय - III

सांविधानिक सुरक्षण तथा संरक्षणात्मक उपाय

जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह अनुभव किया कि समाजिक आर्थिक व्यवस्था में व्याप्त न्यायाविरोधी तत्वों और राजनीतिक संगठनों ने समाज में असंतुलन पैदा किया और कतिपय लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिकूल स्थिति में रख दिया। भारत के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दी गई है। राज्य के नीति निदेशक सिद्वान्तों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है कि "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के,विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्वि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा"। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में उपेक्षित, कमजोर व असुरक्षित वर्गो का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सेवा संबंधी सुरक्षणों तथा संरक्षणात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में तथा समाज के अन्य वर्गो के बराबर लाया जा सके।

सामाजिक सुरक्षण

3.2. **अनुच्छेद 17** "अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद से संबंधित दो महत्वपूर्ण कानून है अर्थात नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 ।

3.3 **अनुच्छेद 23** मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु, चूंकि बहुसंख्यक बंधुवा मजदूर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के होते है, अतः इस अनुच्छेद का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में बंधक मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 बनाया गया हैं और बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी है। परन्तु पिछले

20 वर्षो से इस अधिनियाम को लागू किये जाने के बावजूद बधुंआ मजदूरी अभी तक विधमान है और इसकी रोकथाम करने व तत्संबंधी पुनर्वास कार्य को अधिक कारगर बनाये जाने की आवश्यकता है।

3.4 **अनुच्छेद 24** में यह व्यवस्था की गई है कि 14 (चौदह) वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम को रोकने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य कानून है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खतरनाक नियोजन में लगे बाल श्रमिकों का बहुमत नही, तथापि काफी बड़ा भाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का है। यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था होने तथा इस संबंध में प्रचार किये जाने के बावजूद काँच चूड़ी उधोग, कालीन बुनाई और बीड़ी उद्योग आदि में बाल श्रमिक कार्यरत हैं। इन बच्चों की दयनीय स्थिति और इन कानूनों के उल्लंघन की जानकारी जन संचार माध्यमों अर्थात प्रेस व टेलीविजन द्वारा भी प्रकट की गई है। दुर्भाग्यवश बाल विरोधी प्रथा अभी तक जारी है और इस कुप्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एक ओर तो स्वैच्छिक प्रयास के माध्यम से सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने तथा दूसरी ओर केन्द्र व राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा नियमों का कड़ाई से अनुपालन करवाने एवं सतर्कता बरतने जैसे विशेष उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

3.5 **अनुच्छेद 25 (2),** (ख) में यह व्यवस्था की गई है कि सभी हिन्दू धार्मिक संस्थाएँ, हिन्दुओं के सभी वर्गों और जातियों के लिए खुली रहेंगी। 'हिन्दू शब्द में सिक्ख, जैन व बौद्व धर्म को मानने वाले व्यक्ति शामिल हैं और हिन्दू धार्मिक संस्थाओं का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा। यह उपबंध सुसंगत है क्योंकि हिन्दुओं के कुछ सम्प्रदाय दावा करते रहे हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मन्दिरों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि अंतर्निहित स्वरूप की यह सामाजिक कुप्रथा धीरे–धीरे समाप्त हो रही है परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की घटनाएं समाचार पत्रों में कभी–कभी छपती रहती है और उन्हें इस आयोग के ध्यान में भी लाया गया है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास से सदभावपूर्ण समाधान निकाला जा सकता है।

आर्थिक सुरक्षण

3.6 पांचवी अनुसूची में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान हैं। 8 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं ये राज्य इस प्रकार हैः– आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन राज्यों के एकशब्द के विशेष उत्तरदायित्व हैं और उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदें है। इन

राज्यों के राज्य पालों के पास किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए, विशेषकर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विनियम, रेग्युलेशन बनाने की शक्ति है।

क. ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या आपस में ही भूमि के अन्तरण का प्रतिषेध अथवा निबंधित करना;

ख. ऐसे क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियो के सदस्यों की भूमि के आबंटन को विनियमन करना;

ग. ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते है, के साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन करना;

3.7 इन आठ राज्यों के अतिरिक्त तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, सांविधिक जनजाति सलाहकार परिषदें है।

3.8 **अनुच्छेद 244** के खण्ड (I) के अनुसार पांचवी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे।

3-9 **अनुच्छेद 275** (I) में प्रावधान है कि "किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चो को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्वि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोज़न के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए"।

3.10 इस अनुच्छेद में छठी अनुसूची में शामिल किए गए राज्यों को भारत की संचित निधि में से ऐसे विशेष अनुदान दिए जाने के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। छठी अनुसूची में असम (उत्तरी कछार पर्वतीय जिला तथा कार्बी अंगलोग जिला), मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा (स्वशासी पर्वतीय जिला) राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। इन क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषद तथा स्वशासी प्रादेशिक (रीजनल) परिषदें हैं। इन क्षेत्रों में स्वप्रबंध की पुरानी परंपरा है। ये स्वशासी परिषदें न केवल विभिन्न विभागों तथा विकास कार्यक्रमों का प्रशासन करती हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित जैसे भूमि, वन, झूम –खेती, ग्राम अथवा नगर प्रशासन जिसमें ग्राम और शहर की पुलिस और जन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सहित ग्राम और शहरी प्रशासन संपत्ति की विरासत, विवाह [illegible] विवाह–[illegible] तथा सामाजिक रीति–रिवाज पर कानून बनाने की [illegible] [illegible] प्राप्त है

शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षण

3.11 **अनुच्छेद 15 (4)** राज्य को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह उपबंध संविधान में, संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसके द्वारा कई अनुच्छेद संशोधित किए गए। इस उपबंध ने राज्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में जिनमें तकनीकी, इंजीनियरी और मेडिकल कॉलेजों में स्थान आरक्षित करने के अधिकार दिए। इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 16 (4) में "पिछडे वर्ग" शब्दों का प्रयोग व्यापक जेनेरिक रूप में किया गया है तथा इसमें पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां अन्य पिछडे वर्ग, विमुक्त जातियां और घुमन्तू/ अर्ध घुमन्तू (खानाबदोश) जातियाँ या समुदाय आदि शामिल हैं।

3.12 **अनुच्छेद 29 (1)** में यह प्रावधान है कि "भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा"। सभी अनुसूचित जातियों के लिए इस अनुच्छेद का विशेष महत्व है। संथालों की अपनी अलग लिपि भी है जिसे ओलचिकी कहते हैं। परन्तु इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि जनजाति के लोगों को केवल उनकी ही भाषा में शिक्षित किया जाए क्योंकि ऐसा करने से वे अलग–अलग हो जाएगे। उन्हें राज्य की भाषा के साथ–साथ राष्ट्रीय भाषा में भी शिक्षित किया जाए ताकि उन्हें बाह्य जानकारी प्राप्त हो सके।

3.13 **अनुच्छेद 350 (क)** के अनुसार "राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं।" अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी–अपनी भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा से अलग किसी अन्य भाषा परिवार की होती है। तथापि उन्हें मातृभाषा और स्थानीय बोली के अतिरिक्त राष्ट्रीय भाषा व अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

राजनीतिक सुरक्षण

3.14 **अनुच्छेद 164 (1)** में यह प्रावधान है कि बिहार, मध्यप्रदेश, और उडीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जिसे साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछडे वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है।

3.15 **अनुच्छेद 330** में लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है, इस अनुच्छेद के अनुसरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, 545 में से 106 स्थान आरक्षित है। 11 वीं लोक सभा में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के 123 संसद सदस्य थे, जिससे यह पता चलता है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के अतिरिक्त लोक सभा की अनारक्षित सीटों के लिए भी निर्वाचित हुए। यह सामाजिक परिर्वतन का अच्छा संकेत है।

3.16 **अनुच्छेद 332** में, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है।

3.17 **अनुच्छेद 334** में, यह व्यवस्था है कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान (और लोक सभा व राज्यों की विधान सभाओं में नामजदगी द्वारा एग्लोइंडियन लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान) संविधान में प्रत्येक दस वर्ष बाद संशोधन करके इस प्रावधान को आगे बढ़ाया जाता है। अब यह व्यवस्था वर्ष 2000 में समाप्त होगी।

318 **अनुच्छेद 243 घ**– संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार पंचायतों में ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संबंधित स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये जाएंगे।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित ये स्थान, प्रत्येक स्तर पर किसी पंचाचत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी–बारी से आबंटित किये जाएंगें।

3.19 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) बना दिए जाने से, पंचाचत से संबंधित संविधान के भाग IX के उपबंध इन अपवादों व आशोधनों के अध्यधीन कि किसी राज्य का विधान मंडल निम्नलिखित किसी भी मुद्दे से असंगत कोई कानून नहीं बनाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू कर दिये हैं।
ये मुद्दे इस प्रकार हैं :–

प्रथागत विधि, सामाजिक और धार्मिक आचरण, तथा सामुदायिक सेवाओं का पारम्परिक प्रबंध आचरण।

3.20 **अनुच्छेद 243 न.** संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नगरपालिका निकायों में प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये जाएंगे। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित इन स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

3.21 **अनुच्छेद 371 क** में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 371ख में असम से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 371ग में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 371च में सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 371छ में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 371ज में अरूणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान हैं।

सेवा सम्बन्धी सुरक्षण

3.22 **अनुच्छेद 16 (4)** में राज्य को उन पिछड़े वर्ग के नागरिकों के सम्बन्ध में नियुक्तियों या पदों पर आरक्षण का प्रावधान करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनका राज्य की राय में, उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

3.23 **अनुच्छेद 16 (4) क** – उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी मामले में दिनांक 16-11-1992 के अपने निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी नहीं रखा जा सकता है। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की वर्तमान नीति को पांच वर्ष अर्थात 15-11-1997 तक जारी रखने की अनुमति दी है।

3.24 तथापि, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखना आवश्यक समझा क्योंकि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। तदनुसार, संविधान (77 वॉ संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया जिसमें सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई और इसमें निम्नलिखित खंड 4 क को अन्तः स्थापित किया गया।

" इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गो के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण का उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेंगी।"

3.25. संशोधन के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, यह अपेक्षा की गई थी कि चूंकि विशेष रूप से समूह 'क' और 'ख' श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए समूह 'क' के निम्नतम स्तर से ऊपर के, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति पर रोक लगाई गई है, सभी श्रेणियों और पदों में सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के बाद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी टिप्पणियॉ प्रेषित करते हुए इस बात से अवगत कराया कि समूह 'क' सहित अन्य सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तथापि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-8-1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012 / 18/95 स्था (आरक्षण) भाग II में ऐसे किसी उपबंध को शामिल नहीं किया गया और केवल आरक्षण की विद्यमान नीति' को ही जारी रखा गया।

3.26 इस सम्बन्ध में यह पाया गया है कि भारत सरकार द्वारा इस संशोधन को उसके सही प्रयोजन से कार्यान्वित नहीं किया गया है यह आदेश आयोग के परामर्श की अवहेलना करते हुए जारी किया गया ओर इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अलग से एक रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। **आयोग सिफारिश करता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-8-97 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए पदों की सभी श्रेणियों में सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए ।**

3.27. **अनुच्छेद 335** " संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।"

3.28 **अनुच्छेद - 338** – जैसा कि संविधान के संशोधित –338 (कृपया अध्याय–I का अनुबंध–I देखें) में प्रावधान किया गया है कि आयोग के कार्यों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबन्धित विभिन्न सुरक्षणों का अन्वेषण करना, उनका अनुवीक्षण (मानिटरिंग) और मूल्यांकन करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना तथा योजना प्रक्रिया में भाग लेना शामिल है। संघ और राज्य सरकारों को उन सभी मुख्य नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करते हैं। संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 के उपबन्धों के अनुसार किसी भी मामले का अन्वेषण या शिकायत की जांच–पड़ताल करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशेषरूप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां, होगी, अर्थात:–

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'समन' करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना।

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना।

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(च) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।

3.29 आयोग को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यकरण और उनके कल्याण तथा उत्थान के उपायों के सम्बंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवर्ष और ओर ऐसे अन्य समयों पर जो वह ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत गठित आयोग द्वारा विशेष रिपोर्ट के अतिरिक्त तीन रिपोर्टें अब तक प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आयोग द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई तीनों रिपोर्टों में से कोई भी रिपोर्ट संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं की गई हैं। इन रिपोर्टो को सदन में न रखे जाने का कारण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब बताया गया है। विधमान उपबंधों के अनुसार प्रत्येक रिपोर्ट को अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सहित सदन में प्रस्तुत करना होता है। भारत सरकार, अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट के अभाव में, संसद के समक्ष इन रिपोर्टो को प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है । इसके फलस्वरूप ये रिपोर्टें संसद–सदस्यों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को उपलब्ध नहीं हो सकी और इन रिपोर्टो में वर्णित महत्वपूर्ण सुझावों/ सिफारिशों की जानकारी सभी संबंधित व्यक्तियों को नहीं मिल पाई और रिपोर्टें निष्फल सिद्व हुई। **इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाए और अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट इसके प्रस्तुत करने के छ :माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाए। अनुच्छेद 338 के खंडो में समुचित संशोधन करते हुए यह कार्रवाई की जाए।**

3.30 हालांकि आयोग को व्यापक दायित्व सौपें गये हैं जिनमें न केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य ही शामिल हैं, अपितु योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन सभी मुख्य नीतिगत मामलों में परामर्श देना भी शामिल है जिनका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रभाव पड़ता है, किन्तु इसे जो शक्तियां दी गई है, वे इन मुद्दों पर कारगर ढ़ग से कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये

सुझाव स्वरूप में अनुशंसात्मक है और बाध्यकारी नहीं हैं। आयोग महसूस करता है कि इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने और संविधान के अन्तर्गत आयोग को और कारगर शक्तियां प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

3.31 देश के सामाजिक और आर्थिक ढाचें में व्याप्त न्याय–विरूद्व शक्तियां समाज में शोषणात्मक प्रतिक्रिया के लिए सहायक बन गई है। इसलिए शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्र में सुरक्षणों की व्यवस्था करना आवश्यक समझा गया है ताकि जाति और धर्म को ध्यान में रखे बिना समाज के सभी वर्गों को विकास का लाभ मिल सके। सांविधानिक उपबन्धों और राष्ट्रपति के निदेशों के आधार पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किये गये हैं।

3.32 टिप्पपियों और सिफारिशों सहित संशोधनों के कुछ प्रस्ताव इस रिपोर्ट के एक पृथक अध्याय में दिए जा रहे हैं।

संरक्षात्मक और शोषण-रोधी उपाय

3.33 अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत **अनुच्छेद 17** के अनुसरण में बनाए गऐ उपबंधों को अधिक कारगर नहीं पाया गया, अतः इस अधिनियम में वर्ष 1976 में संशोधन करके इसमें अधिक कठोर दण्डों को समाविष्ट को किया गया। इस अधिनियम को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के के रूप में पुनः नामित भी किया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय एवं अप्रशम्य हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा उठाये गए कदमों को समन्वित करने और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कार्यकरण पर प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रिपोर्ट रखने का दायित्व सौंपा गया है। केन्द्र सरकार वर्ष 1993 तक की अवधि को शामिल करते हुए अब तक 14 रिपोर्टे सदन के समक्ष रख चुकी है। इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा नियम अर्थात् नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 बनाये गये हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

3.34 चूंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर सभी मामलों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए वर्ष 1989 में संसद में एक और कानून अर्थात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (पी.ए.ए) बनाकर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस अधिनियम को 11-9-89 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे 30-1-1990 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के लागू होने के बाद कल्याण मंत्रालय, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है, ने अब तक इस अधिनियम के कार्यकरण पर संसद को केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट वर्ष 1990 से सम्बन्धित है। देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों और अपराधों के औसतन लगभग 35,000 से लेकर 40,000 तक मामले दर्ज किए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में अत्याचारों के अधिक मामले प्रकाश में आए हैं।

3.35 **राज्य सरकारें, जो राज्यों में मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों और अपराधों को कम करने के उपाय करने चाहिए। शिकायतों पर अविलम्ब कार्रवाई करना, समय पर जांच कार्यो को पूरा करना तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए अपेक्षित विधिक कार्रवाई करना ही सर्वाधिक कारगर तरीका होगा। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को न्याय प्रदान करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही शिकायतों की जांच प्रारम्भ कर दी जाए। पुलिस स्तर पर किए गए मामलों का नियमित रूप से अनुवीक्षण और परीक्षण किए जाने की भी आवश्यकता है ताकि सच्चे मामलों को बंद न किया जाए।**

3.36 न्यायालय में बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं और वर्ष 1993 से 1996 के बीच लम्बित मामलों की संख्या में वृद्वि हुई है। न्यायालयों में मामलों के लम्बित रहने का मुख्य कारण मामलों के अभियोजन और निपटान में विलम्ब होना है।

3.37 राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा भूमि, वन, उत्पादन–शुल्क नीति, साहूकारी, बंधुआ मजदूर और विस्थपित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में अनेक नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं। इन लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपायों की कुछ विशिष्टताए निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जाती हैं।

वन

3.38 राष्ट्रीय वन नीति, 1988 वनों के विकास और संरक्षण में लोगों की भागीदारी पर ध्यान देती

है। वनों में व उसके आसपास रहने वाले जनजातीय लोगों एवं अन्य ग्राम वासियों की आग जलाने की लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी जैसे भवन–निर्माण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनोत्पादों पर उनका पहला हक समझा जाना चाहिए। वन में रहने वाले इन समुदायों को वनों के विकास और संरक्षण के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिनसे वे लाभ प्राप्त करते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन और वन्य जीवन विभाग) ने जनजातीय लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले अनेक पहलुओं पर राज्यों को मार्गनिर्देश जारी किए है। इनमें (क) निम्नकोटिकृत वन भूमि को पुनः खेती के लिए तैयार करने हेतु ग्राम–वासियों और एजेंसियों को भागीदार बनाना (ख) वनों के बन्दोबस्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले वन भूमि से सम्बन्धित विवादास्पद दावों की समीक्षा करना, (ग) वन भूमि से संबंधित पट्टों पर भूमि देने संबंधी मामलों/ अनुदानों, से संबंधित विवाद और उनका निपटारा (घ) वन भूमि का अतिक्रमण और उसको रोकने के उपाय करना, (ड़) वन ग्रामों को राजस्वग्रामों में बदलना, (च) जंगली जानवरों द्वारा हमला किए जाने के कारण जन–जीवन और सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करना, (छ) बिचौलियों को समाप्त करना और वानिकी कार्यों में लगे श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान करना, आदि शामिल हैं। **तथापि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनजातीय लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए नीति निर्देशों का सच्ची भावना से अनुपालन किया जाता है। इसलिए इन मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन का संस्थागत तरीके से अनुवीक्षण (मानिटरिंग) और समीक्षा करना आवश्यक है।**

भूमि हस्तांतरण

3.39 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भूमि का गैर–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को हस्तांतरण की पद्धति दशकों से चली आ रही है, किन्तु स्वतंत्रता के बाद इस प्रक्रिया में निरन्तर वृद्वि हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं।

(i) वह सीमान्त भूमि जिसमें भौतिक और वित्तीय साधनों और तकनीकी जानकारी की कमी के कारण कृषि उत्पादकता कम हुई हो,

(ii) भूमि के अतिक्रमण और धोखाधड़ी से किये जाने वाले हस्तान्तरण को रोकने संबंधी विधिक प्रक्रिया में अपर्याप्तता और विलम्ब,

(iii) न्यायालय के अनुकूल निर्णय के बावजूद भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेने में कठिनाइयां

(iv) सिंचाई, उधोग, खान और आवास, आदि क्षेत्रों में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि के हस्तान्तरण/अधिग्रहण पर दबाव ।

(v) विस्तृत और अद्यतन भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का अभाव

3.40 भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए कानूनों/विनियमों का होना मात्र ही अपने आप में एक निवारक उपाय नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन नियमों की अपेक्षित जानकारी न होने तथा मुकदमा लड़ने की सामर्थ्य की कमी के कारण, वे कानून के अन्तर्गत कारगरता से संरक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए यह महत्पूर्ण है कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

(i) **भूमि हस्तांतरण के मामलों का पता लगाने तथा इससे संबंधित कानून को लागू करने के लिए कार्य प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।**

(ii) **इस सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया तथा कानूनो को सरल बनाने और समय तथा धन दोनों के सन्दर्भ में कटौती की कार्यवाही करने और जहां सम्भव हो वहां पूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।**

(iii) **भूमि के संर्वेक्षण, बन्दोबस्त और भूमि संबंधी अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जानी चाहिए, और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भू-धारकों के रूप में स्वामित्व का पक्का प्रमाण दिया जाना चाहिए।**

(iv) **भूमि के हस्तांतरण का पंजीकरण संगत अधिनियम अथवा विनियमों के अन्तर्गत क्लीयरेंस के अधीन किया जाना चाहिए।**

(v) **उन गैर-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कठोर दंड दिये जाने की आवश्कता है जो न्यायालय के बेदखली के आदेश के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भूमि को अपने कब्जे में रखे हुए है।**

3.41. इसमें कोई सन्देह नही है कि ये सभी उपाय केवल तभी प्रभावी सिद्ध होगें जब राज्य सरकारें विशेष रूप से भूमि के हस्तान्तरण और सामान्यत भूमि सुधार के प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान दें। आयोग का मत है कि 70 के दशक में जिन सुधार कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया था, उनमें धीरे–धीरे कमी आई है। ऐसा पता चला है कि विभिन्न राज्यों में न्यायालयों में लम्बे समय से पर्याप्त संख्या में मामले लम्बित पड़े हैं और मामलों के निपटान में विलम्ब के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग भूमि पर वास्तविक और विधिक कब्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कई मामलों में भूमि के आबंटन के बाद भी स्वामित्व/काश्तकारी अधिकार नहीं दियें गये हैं। भूमि संबंधी ये मामले और कानूनी झगडें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अपराध और अत्याचार का कारण भी बन गये है जो बढ़ती हुई चिन्ता का विषय है।

3.42 केरल अनुसूचित जाति (भूमि के हस्तांतरण पर रोक और हस्तान्तरित भूमि की वापसी अधिनियम, 1975 वर्ष 1960 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू हुआ। इस संबंध में नियम 1986 में बनाये गये थे, जो 1-1-1982 से प्रभावी हुए। इसके बाद से राज्य में 8647 मामलों पर कार्रवाई की गई है किन्तु केवल कुछ मामलों में ही भूमि की वापसी की जा सकी है।

3.43 **प्रस्तावित संशोधन के अधीन, जिन उपनिवेशियों ने एक हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया हुआ है, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि का भुगतान करके बेदखली से बचने का विकल्प दिया जा रहा है। प्रभावित जनजातीय लोगों को आनुपातिक वैकल्पिक भूमि आबंटित करके और वित्तीय सहायता प्रदान करके क्षतिपूर्ति की जानी है। आयोग का दृढ मत है कि इस संशोधन से वह प्रयोजन तथा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था। इससे जनजातीय लोग अपनी भूमि खो देंगे, उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा और यहां तक कि इस प्रक्रिया में उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि वापस करने की कार्रवाई की जानी चाहिए और उपनिवेशियों को भूमि के समतुल्य क्षेत्र ओर मुआवजा दिया जाना चाहिए।**

3.44 यह स्पष्ट है कि जनजातीय लोगों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन का आधार भूमि है जो जनजातीय भूमि के हस्तान्तरण पर नियन्त्रण से सम्बन्धित अधिनियमों और विनियमों के बावजूद गैर–जनजातीय लोगों के हाथों में जा रही है। ऐसी शोषणात्मक पद्धति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि (i) भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाए ताकि उनमें पाई जाने वाली कमियों को दूर किया जा सके, (ii)कानून के उल्लंघन से सम्बन्धित उपबन्धों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित किया जाए, (iii) जनजातीय लोगों को भूमि के विकास तथा अन्य प्रकार के विकास कार्यों और अन्य आधुनिक कृषि पद्धतियों के विकास के लिए साधन उपलब्ध करवाए जाएं, और (iv) भूमि के हस्तांतरण के पुराने मामलों की समीक्षा की जाए और हस्तान्तरित भूमि को जनजातीय लोगों को वापस दिलाया जाए।

जनजातीय क्षेत्रों में आबकारी नीति

3.45 सरकार शराब की वाणिज्यक बिक्री के कारण अनुसूचित जनजातियों को होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में चिन्तित है जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए समाज कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में आबकारी नीति के सम्बन्ध में वर्ष 1975 में निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए थे:–

(i) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शराब की वाणिज्यक बिक्री बन्द की जानी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजातीयों के लोगों को घर में तथा धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर उपभोग के लिए अपनी परम्परागत शराब तैयार करने की अनुमति दी जाए।

(iii) अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की शराब पीने की आदत को छुड़ाने के प्रयास किए जाएं और इस प्रयोजन के लिए सरकारी और गैर –सरकारी स्वयं सेवी संगठनों को जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

उपर्युक्त बातों को ध्यान मे रखते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:–

(1) **मौजूदा मार्गनिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।**

(2) **जनजातीय क्षेत्रों में आबकारी ठेकेदारों के प्रवेश पर पूर्णत : रेाक लगाई जानी चाहिए।**

(3) **जनजातीय क्षेत्रों में, यदि गॉव के अधिकांश लोग वाणिज्यक शराब की दुकानों के खोलने का विरोध करते है, तो ऐसी दुकाने नहीं खोली जानी चाहिए।**

3.46 पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी आबकारी नीति में निम्नलिखित उपबन्ध किए हैं:–

(i) जिन क्षेत्रों (अर्थात मौजाज) में जनजातीय लोग अधिक संख्या में रहते हैं, वहां शराब की कोई नई दुकान न खोली जाए,

(ii) जनजातीय बहुल क्षेत्रों (मौजाज) में स्थित मौजूदा, देशी शराब बनाने की दुकानों को धीरे–धीरे गैर– जनजातीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाएगा।

(iii) पचारी की दुकानों को जनजातीय क्षेत्रों (मौजाज) में केवल उस स्थिति में बने रहने दिया जाए अथवा स्थापित किया जाए यदि उन्हें जनजातीय लोगों द्वारा चलाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली पचारी की दुकानों को बंद कर दिया जाए।

(iv) घर पर बनाई जाने वाली पचारी के लिए लाइसेंस केवल आवेदन प्राप्त होने पर ही जारी किए जाएं।

साहूकारी

3.47 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लोगों में ऋणग्रस्तता एक गम्भीर समस्या है। यह खराब आर्थिक स्थिति का परिणाम है। घरेलू स्तर पर, यह निर्धनता, आय और उपभोग आवश्यकताओं के बीच असंतुलन तथा लाभप्रद क्रियाकलापों के निष्पादन में संसाधनों की कमी का सूचक है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में ऋणग्रस्तता के कुछ कारण इस प्रकार हैः–

(1) अत्यधिक गरीबी।

(2) संस्थागत वित्तीय संसाधनों और मौजूदा विधिक संरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव।

(3) बैकों/सहकारी समितियों द्वारा उधार देने की जटिल प्रक्रिया और सरकार तथा बैंक कर्मचारियों का असहयोगशील व्यवहार

(4) उचित दामों पर आवश्यक वस्तुओं और कृषि साधनों की आपूर्ति में कमी। वन और कृषि उत्पादों का उचित दामों पर भुगतान न किया जाना।

(5) रोजगार के अवसरों की कमी।

3.48 हालांकि आधिकांश राज्यों ने साहूकारी कारोबार को नियन्त्रित करने के लिए कानून बनाए हैं और उनके द्वारा ऋण राहत भी प्रदान की गई है किन्तु इस संरक्षा कानूनों को पूर्णतया लागू नही किया गया। इसके अलावा संविधान की 5वीं अनुसूची में सरकार को प्रदत्त शक्तियों का साहूकारों द्वारा किए जा रहे शोषण को रोकने लिए उपयोग नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों मे व्याप्त ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए निम्नलिखित बाते प्रासंगिक हो सकतीहैं।

(i) साहूकारी और ऋण राहत के सम्बन्ध में मौजूदा अधिनियमों/ विनियमों को सख्ती से लागू करना।

(ii) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्तमान उधार/वित्तीय व्यवस्था में उपभोग आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए उत्पादनकारी प्रयाजनों के लिए ऋण देते समय समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति भी सम्बन्ध रखते हैं।

न्यूनतम मजदूरी

3.49 सांविधिक न्यूनतम मजदूरी में भी वर्तमान असमानता को दूर किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदुरी अधिनियम में इस आशय का प्रावधान होना चाहिए कि सभी आर्थिक क्रियाकलापों में सामान्य मजदुरों की दैनिक मजदूरी इस सिद्वान्त के आधार पर निर्धारित की जाए कि परिवार में एक व्यक्ति की आय पूरे परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त हो।

3.50 उन स्थितियों को छोड़कर, दैनिक मजदूरी में यथानुपात कटौती सहित कार्य के घंटों में कमी न की जाए, जहां कार्य निरन्तर न किया जाता हो और कार्य की मात्रा किसी एक व्यक्ति को पूरे दिन काम पर लगाने के लिए पर्याप्त न हो

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूची में शामिल करना और उन्हें सूची से हटाना

3.51 भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में किसी राज्य **अथवा** संघ राज्य क्षेत्र के सम्बंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट **करने की** प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस विषय में संगत सांविधानिक अनुच्छेदों को नीचे उदधृत किया जाता है।

3.52 **अनुच्छेद 341 (1)** "राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां यह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों के भागों अथवा उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथा–स्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा"

3.53 **अनुच्छेद 341 (2)** :– "संसद विधि द्वारा जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा किसी जाति, मूलवशं या जनजाति के भाग या उसके समूह को खण्ड (I) के अन्तर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकेगी अथवा उसमें से अपवर्जित कर सकेगी किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है, उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा "।

3.54 **अनुच्छेद 342 (1)** :– "राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों अथवा जनजाति समुदायों या जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों के भागों अथवा उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र, के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा"।

3.55 **अनुच्छेद 342 (2)** संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भाग अथवा उसके समूह को खण्ड (I) के अर्न्तगत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर सकेगी अथवा उसमें अपवर्जित कर सकेगी किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए मापदंड

3.56 अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के बारे में संविधान में कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है, सरकार द्वारा अनुसूची में समुदायों को शामिल करने के लिए अपनाया गया मापदंड सामाजिक आर्थिक स्थिति और वास्तविकताओं पर आधारित है। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए अपनाया गया

मापदंड परम्परागत व्यवसाय अथवा अस्पृश्यता के फलस्वरूप उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन है। अनुसूचित जातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए मापदण्ड निर्धारित करने के विषय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की 28वीं रिपोर्ट 1986-87 में विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट में दलित वर्गों (उस समय इस शब्द का प्रयोग किया जाता था) के रूप में किसी जाति को वर्गीकृत करने के लिए मापदंडो के सम्बन्ध में 1931 की जनगणना रिपोर्ट को उदधृत किया गया है। इस सम्बन्ध में "अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा" "अभिव्यक्ति के स्पष्टीकरण के लिए, इन मापदंडों को नीचे दोहराया जा रहा है।

(i) क्या विशुद्व ब्राहमण द्वारा प्रश्नगत जाति या वर्ग के धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं अथवा नहीं

(ii) नाई, पानी लाने वाले व्यक्ति और दर्जी जो हिन्दू जाति के लोगों को कार्य करते हैं क्या वे प्रश्नगत जाति या वर्ग के लोगों का कार्य भी कर सकते हैं अथवा नहीं।

(iii) क्या प्रश्नगत जाति या वर्ग के व्यक्ति द्वारा उच्च जाति के हिन्दू के छू जाने या उनके समीप जाने से वे अपवित्र हो जाते हैं।

(iv) क्या प्रश्नगत जाति या वर्ग के लोग उस जाति या वर्ग के हैं जिनके हाथ से हिन्दू जाति के लोग पानी ले सकते हैं।

(v) क्या प्रश्नगत जाति या वर्ग के लोग सार्वजनिक सुविधाओं जैसे– सड़कों, नावों, कुओं अथवा विद्यालयों का उपयोग करने से वंचित किए गए हैं।

(vi) क्या प्रश्नगत जाति या वर्ग के लोगों को हिन्दुओं के मन्दिरों में जाने की मनाही है।

(vii) क्या सामाजिक सामान्य व्यवहार की दृष्टि से प्रश्नगत जाति या वर्ग के सुशिक्षित व्यक्ति को समान शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उच्च जाति के व्यक्तियों के समतुल्य समझा जाएगा।

(viii) क्या प्रश्नगत जाति या वर्ग के व्यक्तियों को मात्र उनकी अज्ञानता, अशिक्षा अथवा गरीबी के कारण दलित समझा जाता है न कि सामाजिक भेदभाव के कारण।

(ix) क्या इस वर्ग या जाति के लोगों को उनके द्वारा अपनाए गए व्यवसाय के कारण दलित समझा जाता है न कि किसी सामाजिक भेदभाव के कारण।

3.57 "राज्य के दृष्टिकोण से, इस विषय में सार्वजनिक सुविधाओं जैसे–सड़कों कुओं और स्कूलों का उपयोग करने का अधिकार महत्वपूर्ण मापदंड है और यदि इसे प्राथमिक मापदंड के रूप में लियो जाता है तो उनमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल धार्मिक भेदभावों और सामाजिक कठिनाईयों को केवल

सहायक मापदंडों के रूप में समझा जा सकता है। उन्हें कुछ महत्व अवश्य दिया जाना चाहिए चूंकि स्पष्ट रूप से यदि सामान्य जनता किसी समूह के लागों को इतना नापसंद करती है कि उन्हें दूर रखने के लिए सम्मिलित प्रयास किये जाते हैं, तो उन समूहों के लोगों को गम्भीर भेदभाव का सामना करना पड़ेगा''।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए मापदंड:-

3.58 अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में, किसी जनजाति को इस सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए।

(i) मूल विशेषताओं का संकेत

(ii) विशिष्ट संस्कृति

(iii) भौगोलिक अलगाव

(iv) सामान्यतः सामाजिक सम्पर्क से संकोच करना

(v) पिछड़ापन,

3.59 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (समय–समय पर यथा संशोधित) में यह उल्लेख किया गया है कि हिन्दू अथवा सिक्ख अथवा बौद्ध धर्म से भिन्न किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य समझा जाएगा। तथापि, ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का समझे जाने पर कोई धार्मिक रोक नहीं है।

3.60 सरकार पिछले कई वर्षो से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में कुछ जातियों को शामिल करने/हटाने तथा अन्य संशोधन करने के सम्बन्ध में सिफारिशें और दावे प्राप्त कर रही है। हाल ही में इस मामले को कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोग को भेजा गया और आयोग को मिली जानकारी से पता चला है कि इस समय 1300 समुदायों को शामिल करने/हटाने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस मामले की 1965 में पहले लोकुर समिति द्वारा और तत्पश्चात श्री ए.के.चन्दा की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की गई थी जिसके अध्यक्ष श्री ए.के. चन्दा थे तथापि, आयोग ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि चन्दा समिति की सिफारिशों पर आज तक भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

3.61 **यह मामला अत्याधिक संवेदनशील और जटिल है क्योंकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाने से सूची में शामिल समुदाय आरक्षण और अन्य सुरक्षणों के साथ-साथ**

विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अधीन लाभ प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। इसलिए सरकार को सामाजिक आर्थिक स्थितियों और वास्तविक तथ्यों को निर्धारित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण सुस्पष्ट पद्धति तैयार करनी चाहिए ताकि केवल वास्तविक दावों (प्रत्यक्ष रूप से समानार्थ दावों को शामिल करने सहित) को ही स्वीकार किया जा सके। इस प्रकार की पद्धति यथा सम्भव पारदर्शी होनी चाहिए।

3.62 हाल में यह देखने में आया है कि विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक कल्याण के कार्यों में लगी संस्थाओं/संगठनों और राजनीतिक संगठनों एवं उनके नेताओं ने भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को शामिल करने के अनेक मामलों की सिफारिश की है। हालांकि वर्तमान सामाजिक ढाचे के सन्दर्भ में ये सिफारिशे कुछ मूलभूत वास्तविकताओं पर आधारित है। किन्तु इनमें निहित हितों से अनुकूल वोट बैंक तैयार होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। भारत सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण प्रारम्भ करने के बाद, केन्द्र सरकार की सेवाओं में संयुक्त आरक्षण 49.5% तक बढ़ गया है। इन्दिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को इन सिफारिशों /दावों की जांच करते समय पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिए उपरोक्त मापदण्ड का स्पष्ट रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय कार्य पद्वति पर आधारित होनी चाहिए जिसे उचित और समान प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और जिसमें विशेषज्ञ मूल्यांकन की व्यवस्था हो।

3.63. जैसा कि इससे पहले की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में पहले शामिल कुछ समुदायों को सही दर्जा देने में कुछ विसंगतियां रही हैं। यह भी हो सकता है कि पहले से निर्धारित मापदंड अब कुछ समुदायों के सम्बन्ध में प्रासंगिक न रह गए हों। वर्तमान परिस्थितियों मे, जहां किसी समुदाय को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने का मामला महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहीं कुछ सुस्पष्ट कारणों से इस सूची में से किसी समुदाय को हटाने की मांग भी कम है।

3.64 **भारत सरकार को अनेक विशेषज्ञ/जनप्रतिनिधि शामिल करते हुए एक नियमित निकाय स्थापित करना चाहिए जो अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की सूची में समुदायों को शामिल करने/हटाने से संबंधित मामलों का अध्ययन और जाचं नियमित आधार पर करे। इस मामले**

में निर्णय लेते समय इस निकाय की सिफारिशों को आधार माना जाना चाहिए। संवैधानिक उपबंधो के अनुसार सरकार को अन्तिम निर्णय लेने से पहले आयोग से भी परामर्श करना चाहिए।

3.65 अगले अध्यायों में हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सेवाओं, शिक्षा, अपराध और अत्याचारों से संबंधित सांविधानिक सुरक्षणों तथा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार करेंगे।

अध्याय - IV

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास

भारत में प्रत्यक्ष सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साधन के रूप में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किसी भी संगठित सेवा क्षेत्र के लिए प्रत्येक कर्मचारी को कुछ आधारभूत न्यूनतम औपचारिक स्कूली शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। भारतीय समाज की संरचना इस प्रकार है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सदैव ही अशिक्षा, निर्धनता, अन्ध-विश्वास और अज्ञानता के कारण शोषण और दमन का शिकार हुई हैं। चूंकि इन वर्गों की जनसंख्या भारत की कुल जनसख्या का लगभग 25 प्रतिशत है, इसलिए संविधान निर्माताओं द्वारा विशेष रूप से इन समुदायों के विकास पर विचार किया गया और अनुच्छेद 46, 15 (4), 29 (2) और 350 (क) में विशेष उपबन्ध बनाए गए और सुनिश्चित किया गया कि उन्हें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के पूरे अवसर प्राप्त होते हैं तथा उन्हें औपचारिक रूप से शिक्षित किया जाए।

सांविधानिक उपबन्ध

4.2 राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को सार्वभौम शिक्षा और कमजोर वर्ग के लोगों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए विशेष उपबन्धों की व्यवस्था करना शामिल है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार, सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध बना सकती है। अनुच्छेद 29(2) यह सुनिश्चित करता है किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक कारण के आधार पर राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य से निधि प्राप्त करने वाल शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेने से इन्कार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 350 (क) में, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निदेश दिए गए हैं। चूंकि राज्य की राजभाषा से भिन्न अधिकांश जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएं है, इसलिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा सिफारिश की गई है कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को कम से कम कक्षा I और कक्षा II में शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में दी जाए। तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि इन बच्चों को उच्चतर शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंग्रेजी भाषा की जानकारी भी दी जाए।

4.3 उपर्युक्त अनुबन्धों के अनुपालन में संध और राज्य सरकारों द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो जाने के बाद अनेक कदम और शैक्षिक स्कीमें शुरू की गई थी जो निम्न प्रकार से हैं : –

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शैक्षिक स्कीमें

4.4 पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई गई शैक्षिक स्कीमें निम्न प्रकार से थीं : –

1. छात्रवृत्ति (मैट्रिक से पहले और मैट्रिक के बाद)।
2. जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल खोलना।
3. पुस्तकें और छात्रावास शुल्क प्रदान करना।
4. आवासीय स्कूल, बालबाड़ी, सामुदायिक केन्द्र आदि खोलना।

4.5 धीरे–धीरे शैक्षिक विकास कार्यक्रमों में विस्तार किया गया और अधिक स्कीमें प्रारम्भ की गईं। इस समय जो विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं, वे इस प्रकार हैं :–

(क) केन्द्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां प्रदान करना
2. अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था
3. अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास
4. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक–कोष (बुक–बैंक)
6. शिक्षण और संबद्ध स्कीमें
7. राष्ट्रीय विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति (नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप)
8. अनुसूचित जाति के बालकों के लिए छात्रावास
9. अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए छात्रावास 10.2% से कम साक्षरता वाले कम साक्षरता (पॉकिटों) में शिक्षा परिसर

11. अनु. जाति / अनु जनजाति के विद्यार्थियों में योग्यता (मेरिट) बढ़ाने के लिए स्कीमें
12. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय
13. अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण

(ख) राज्य क्षेत्र (सेक्टर) स्कीमें

1. विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्तियां और वजीफे
2. पाठ्य–पुस्तकों, लेखन–सामग्री, उपकरणों, वर्दियों, खेल–सामग्री आदि की आपूर्ति

3. बालबाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों (प्राईमरी स्कूल), मिडिल विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन

4. अनु. जाति / अनु. जनजाति के विद्यार्थियों को उपस्थिति पुरस्कार

5. आवासीय विद्यालय

6. छात्रावास

7. प्राईवेट छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को सुख–सुविधाएं और आवास के किराये के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

8. मेरिट स्कालरशिप

9. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर परीक्षा शुल्क और शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति

10. अध्ययन भ्रमण

11. दोपहर का भोजन

12. शिक्षा जारी रखने के लिए विद्यार्थियों को ऋण

13. व्यावसायिक शिल्प कक्षाएं

14. कोचिंग और अध्ययन केन्द्र

15. अध्यापकों को प्राथमिक शिक्षा में उनके योगदान के लिए पुरस्कार

4.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास की वर्तमान स्थिति को देखने के पश्चात् हम केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों का विस्तार से विश्लेषण करना शुरू करेंगे।

4.7 यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता का 50वां वर्ष तथा 9 वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ है। इसलिए यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के विभिन्न सूचकों का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त समय है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या में साक्षरता की समग्र स्थिति **परिशिष्ट 4.1** में देखी जा सकती है।

4.8 देश में वर्ष 1961 और उसके बाद की जनगणना में कुल जनसंख्या और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच पुरूषों और महिलाओं में साक्षरता की प्रवृत्ति तथा उनका कुल साक्षरता स्तर **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.1

वर्ष 1961 से 1991 तक की साक्षरता प्रवृत्ति

वर्ष	कुल			अनु. जाति.			अनु. जनजाति		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1961	34.44	12.95	24.02	16.96	3.29	10.27	13.83	3.16	8.54
1971	39.45	18.72	29.46	22.36	6.44	14.67	17.63	4.85	11.39
1981	65.50	29.85	43.67	31.12	10.93	21.38	24.52	8.05	16.35
1991	64.13	39.29	52.21	49.91	23.76	37.41	40.65	18.19	29.60

स्रोत : जनगणना रिपोर्ट

4.9 उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की साक्षरता के विकास की दर में लगातार वृद्धि हो रही है और वर्ष 1981 के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई है, परन्तु अनुसूचित जाति और कुल जनसंख्या की साक्षरता दर में अन्तर बहुत अधिक हो रहा है। तालिका से यह भी चित्रित होता है कि वर्ष 1981 से वर्ष 1991 के दौरान साक्षरता की विकास दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो अनुसूचित जाति के पुरूषों के मामले में प्रतिवर्ष औसतन 1% से अधिक है। महिलाओं के संबध में भी साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है हालांकि पुरूष और महिला की साक्षरता के बीच का अन्तर प्रत्येक दशक में बढ़ा है।

4.10 जहाँ तक अनु. जनजाति के व्यक्तियों का प्रश्न है, तालिका चित्रित करती है कि वर्ष 1961 की तुलना में वर्ष 1991 के दौरान अनु. जनजातियों में साक्षरता तीन गुणा से अधिक बढ़ी है। यह देखकर बहुत निराशा हो रही है कि उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति और कुल जनसँख्या के बीच की साक्षरता दर के अन्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 1971 से पुरूषों और महिलाओं दोनों के मामलों में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में दो गुणा से अधिक वृद्धि हुई है। साथ ही यह देखकर निराशा हो रही है कि इस अवधि के दौरान पुरूष और महिला के बीच साक्षरता अन्तर में वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जातियां और शैक्षिक विकास

4.11 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्ष 1961 से 1991 तक की राज्य वार साक्षरता स्थिति **अनुबंध 4.I, 4.II** में देखी जा सकती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों और अनु. जनजातियों की कुल साक्षरता दर 52.21% की तुलना में पीछे रहने वाले राज्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है : –

तालिका 4.2

क्र0 सं0	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर (वर्ष 1991 की जनगणना) अनुसूचित जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	39.59	17.16
2.	असम	53.94	49.16
3.	बिहार	19.49	26.78
4.	गुजरात	61.07	36.45
5.	गोवा	58.73	42.91
6.	हरियाणा	39.22	–
7.	हिमाचल प्रदेश	53.20	47.03
8.	कर्नाटक	38.06	36.09
9.	मध्य प्रदेश	35.08	21.54
10.	महाराष्ट्र	56.46	36.79
11.	मेघालय	44.27	46.71
12.	उड़ीसा	36.78	22.31
13.	पंजाब	41.09	–
14.	राजस्थान	26.29	19.44
15.	तमिलनाडु	46.74	27.89
16.	त्रिपुरा	56.66	41.37
17.	उत्तर प्रदेश	26.85	35.70
18.	पश्चिम बंगाल	42.29	27.78
19.	अरूणाचल प्रदेश	57.27	34.45
20.	दादर एवं नगर हवेली	77.64	28.21

टिप्पणी : - अन्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 52.21% से अधिक है।

4.12 यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी 12 राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में से 50% व्यक्ति भी साक्षरता प्राप्त नहीं कर सके

हैं। इन राज्यों में बिहार (19.49%) राजस्थान (26.29%) और उत्तर प्रदेश (26.85%) ऐसे राज्य हैं जो 30% तक की साक्षरता दर को पार नहीं कर पाए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास के परिप्रेक्ष्य में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत के सभी राज्यों में इनका विकास एक समान नहीं है। ये असमानताएं न केवल पिछड़े या विकसित राज्यों में है बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और राज्यों की विभिन्न जातियों/जनजातियों के बीच भी हैं। इसलिए राज्यों को शैक्षिक असमानताओं के इस प्रकार के आंकड़ो को एकत्र करना चाहिए ताकि क्षेत्रों, स्त्री, पुरूष और समुदायों के बीच के शैक्षिक अंतरों को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा सके। इससे नीति बनाने संबंधी प्रक्रिया में भी मदद मिलेगी।

4.13 तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि 62% अनुसूचित जाति के साक्षर व्यक्ति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, परन्तु उनमें से केवल 27% व्यक्ति ही साक्षर हैं।

4.14 हरियाणा (39.22%) और पंजाब (41.09%) दोनों में मिलाकर 80% अनुसूचित जाति के व्यक्ति साक्षर हैं, ऊपर उल्लिखित राज्यों में साक्षरता की दृष्टि से इनका स्थान क्रमशः 7 वां और 5वां है।

4.15 उपर्युक्त **तालिका 4.2** यह भी चित्रित करती है कि सात राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली में 29.60% से कम अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति साक्षर हैं।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में महिलाओं की साक्षरता दर

4.16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में वर्ष 1961 से 1991 तक की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर **अनुबंध 4-III** में देखी जा सकती है। नीचे तालिका में उन राज्यों का ब्यौरा दिया गया है जिनमें अखिल भारतीय कुल सामान्य महिला (39.29%) साक्षरता दर और अनुसूचित जाति महिला (23.76%) साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर कम है :–

तालिका-4.3

क्रम सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर
1	2	3
1.	बिहार	7.07
2.	राजस्थान	8.31
3.	उत्तर प्रदेश	10.69
4.	मध्य प्रदेश	18.11
5.	उड़ीसा	20.74
6.	आंध्र प्रदेश	20.92
7.	हरियाणा	24.15
8.	कर्नाटक	25.95
9.	पश्चिम बंगाल	28.87
10.	पंजाब	31.03
11.	मेघालय	31.19
12.	तमिलनाडु	34.89

4.17 उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत में 25 राज्यों में से 12 राज्यों में देश की कुल महिला साक्षरता दर (39.29%) की तुलना में अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता दर कम है। बिहार और राजस्थान दो राज्यों में महिला साक्षरता दर 10% से भी कम बतायी गई है। **जैसा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति आयोग (1994-95) एवं (1995-96) की तृतीय रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, यह दोहराया जाता है कि राज्यों को मौजूदा शैक्षिक आधारिक संरचना मजबूत करनी होगी और राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों तथा अध्यापकों दोनों के लिए नई विधियों और नई स्कीमों को लागू करके शिक्षा और अध्ययन के लिए स्कूल वातावरण को अधिक अनुकूल बनाया जाए। कार्य स्थलों, गाँवों आदि में समुचित सहायता प्रणाली शुरू की जानी चाहिए ताकि माताओं की सहायता करने और परिवार के लिए आय अर्जित करने में उन्हें समर्थ बनाने में बच्चों को अपनी शिक्षा न छोड़नी पड़े।**

प्राइमरी और मिडिल शिक्षा स्तर के विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन

4.18 अनुसूचित जाति के बच्चों का प्राइमरी–पूर्व, प्राइमरी और मिडिल शिक्षा स्तर के विद्यालयों में नाम दर्ज करना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिससे अनुसूचित जाति के समुदायों का

आगे का शैक्षिक विकास निर्धारित हो सकेगा। चूँकि प्राइमरी पूर्व शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नाम दर्ज करने संबंधी आंकड़े नहीं हैं, इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा **अनुबंध 4-III** में प्रस्तुत की गई सूचना का विश्लेषण किया गया है। वर्ष 1995-96 के लिए अनूसूचित जाति के बच्चों के सबंधं में प्राइमरी औ मिडिल स्तर के विद्यालयों में नामांकन अनुपात का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है : –

तालिका 4.4

अनुसूचित जाति के बच्चों का सकल नामांकन सकल नामांकन (कुल) अनुपात

वर्ष	I-V	VI-VIII	I-V	VI-VIII
	प्राथमिक (प्राइमरी)	माध्यमिक (मिडिल)	प्राथमिक (प्राइमरी)	माध्यमिक (मिडिल)
1995-96	111.91	61.33	104.30	67.60

4.19 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1996-97 की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि चूंकि देश में समग्र रूप से और इसके अधिकांश राज्यों में प्राइमरी शिक्षा स्तर के विद्यालयों में सकल नामाकंन 100% से अधिक है, इसलिए बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुपात बहुत कम है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर और मेघालय राज्य शामिल हैं। अच्च प्राथमिक (प्राइमरी) स्तर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के अलावा इन राज्यों में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। अधिकाश राज्यों की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है।

प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा स्तर पर शिक्षा छोड़ देने वाले छात्र

4.20 प्राइमरी या मिडिल शिक्षा स्तर के विद्यालय में नामांकन शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धि का वास्तविक द्योतक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने बच्चे मिडिल विद्यालयों, सेकेंडरी विद्यालयों और इससे ऊपर के स्तर के विद्यालयों में अध्ययन (पढ़) कर रहे हैं।

बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों की दर

4.21 वर्ष 1981-82 और 1990-91 के दौरान प्राइमरी, मिडिल ओर सेकेंडरी स्तरों पर शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की दर निम्नानुसार रही है :–

तालिका- 4.5

शिक्षा का स्तर	बीच में शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की दर वर्ष 1981-82	वर्ष 1990-91
1	2	3
प्राइमरी	59.21	49.35
मिडिल	74.76	67.77
सेकेंडरी	85.72	77.65

4.22 यह देखा गया है कि वर्ष 1981-82 से 1990-91 की अवधि के दौरान प्राइमरी स्तर पर शिक्षा छोड़ देने वाले छात्र की दर 10%, मिडिल शिक्षा स्तर पर 7% और सेकेंडरी शिक्षा स्तर पर 8% कम हो गई है। इससे सुधार की बहुत धीमी गति का पता चलता है। **राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपने शासन तंत्र की कार्य कुशलता को बढ़ाना चाहिए और सभी कर्मचारियों और गैर कार्मचारियों को इस नुकसान को रोकने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। समुदाय के लोकाचार को ध्यान में रखते हुए सभी शैक्षणिक स्कीमें तैयार की जानी चाहिएं ताकि उस समुदाय की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बच्चों को विद्यालय भेजने मे गरीब माता-पिता को विशेष प्रोत्साहान देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।**

4.23 वर्ष 1990-91 के दौरान बीच में ही शिक्षा छोड़ देने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की राज्यवार दर के संबंध मे **अनुबंध 4.IV** से यह देखा जा सकता है कि 10 राज्यों अर्थात सिक्किम, मणिपुर, पंजाब आदि में प्राइमरी कक्षाओं में ही शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की दर 50% से 81% दर्ज की गई है। 19 राज्यों में मिडिल कक्षाओं में शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की कम दर दर्ज की गई है और 21 राज्यों में सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की भी कम दर दर्ज की गई है। **इस प्रकार राज्यों के बीच मे शिक्षा छोड़ देने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों की दर को नियंत्रित करने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए।**

अनुसूचित जन जातियाँ और शैक्षिक विकास

4.24 वर्ष 1961 से 1991 के दौरान अनुसूचित जन जातियों की राज्यवार साक्षरता दर **अनुबंध 4-III** में दर्शायी गई है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता की तुलना में पीछे रहने वाले राज्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है : –

तालिका-4.6

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर से	दशवार्षिक 1961 से 1971 तक	1971 से 1981 तक	1981 से 1991 तक
1.	आंध्र प्रदेश	17.16	0.92	2.49	9.34
2.	राजस्थान	19.44	2.50	3.80	9.17
3.	मध्य प्रदेश	21.54	2.52	3.06	10.86
4.	उड़ीसा	22.31	2.10	4.50	8.35
5.	बिहार	26.78	2.48	5.35	9.79
6.	पश्चिम बंगाल	27.78	2.37	4.29	14.57
7.	तमिलनाडु	27.89	5.11	11.54	7.43
8.	दादर एवं नगर हवेली	28.21	4.50	7.76	11.55
9.	अरूणाचल प्रदेश	34.45	-	8.84	20.41
10.	उत्तर प्रदेश	35.70	-	5.96	15.25
11.	कर्नाटक	36.09	6.70	5.29	15.95
12.	गुजरात	36.45	2.43	9.02	15.31
13.	महाराष्ट्र	36.79	4.33	10.55	14.50
14.	त्रिपुरा	41.37	5.02	8.04	17.30
15.	गोवा	42.91	-	-	-
16.	मेघालय	46.71	-	5.1	15.15
17.	हिमाचल प्रदेश	47.03	7.26	10.04	21.16
18.	असम	49.16	2.44	-	-

4.25 उपर्युक्त तालिका चित्रित करती है कि आरोही क्रम में 8 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात आंध्र प्रदेश (17.16%), राजस्थान (19.44%), मध्य प्रदेश (21.54%), उड़ीसा (22.31%) बिहार (26.78%) पश्चिम बंगाल (27.78%), तमिलनाडु (27.89%) और संघ राज्य क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली (28.21%) में 29.60% से कम अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति साक्षर हैं। जिन राज्यों में इससे कुछ ज्यादा साक्षरता दर अर्थात 30% से अधिक है, परन्तु भारत की कुल साक्षरता दर 52% से कम हैं, वे राज्य है अरूणचल प्रदेश (34.45%) उत्तर प्रदेश (35.70%) कर्नाटक (36.09%), गुजरात (36.45%), महाराष्ट्र (36.79%), त्रिपुरा (41.37%), गोवा (42.91%), मेघालय (46.71%), हिमाचल प्रदेश (47.09%) और असम (49.16%)

4.26 जहां तक साक्षरता दर मे वृद्धि का संबंध है, तालिका दर्शाती है कि वर्ष 1981-91 से दशक में वृद्धि दर पिछले दशकों की तुलना में दो गुना से अधिक बढ़ी है। परन्तु तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में इन्ही वर्षों में कम वृद्धि दर्ज की गई है।

अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता।

4.27 वर्ष 1961 से 1991 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वार अनुसूचित जन जाति की महिला साक्षरता दर को **अनुबंध 4.II** में देखा जा सकता है। निम्नलिखत तालिका में उन राज्यों को दर्शाया गया है जिनमें वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की सामान्य जातियों की महिलाओं की कुल साक्षरता दर (39.29%) और अनुसूचित जनजाति महिलाओं की कुल साक्षरता दर (18.19%) की तुलना में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की साक्षरता दर कम है।

तालिका-4.7

क्रम. सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर से	दशवार्षिक		
			1961 से 1971 तक	1971 से 1981 तक	1981 से 1991 तक
1.	राजस्थान	4.42	0.21	0.71	3.22
2.	आंध्र प्रदेश	8.68	0.65	1.33	5.22
3.	उड़ीसा	10.21	0.81	2.18	5.45
4.	मध्य प्रदेश	10.73	1.21	1.42	7.13
5.	बिहार	14.75	1.67	2.90	7.00
6.	पश्चिम बंगाल	14.98	1.33	1.92	9.97
7.	दादरा एवं नगर हवेली	15.94	3.79	0.58	7.52
8.	उत्तर प्रदेश	19.86	-	2.01	9.16
9.	तमिलनाडु	20.23	1.75	9.52	6.23
10.	कर्नाटक	23.57	4.86	2.36	13.54
11.	महाराष्ट्र	24.03	2.46	7.73	12.09
12.	गुजरात	24.20	2.06	13.49	4.56
13.	अरूणाचल प्रदेश	24.94	-	5.61	17.63
14.	त्रिपुरा	27.34	3.45	6.51	15.07
15.	हिमाचल प्रदेश	31.18	3.79	2.29	18.36

4.28 यह देखा जा सकता है क भारत में महिलाओं की कुल साक्षरता दर (18.19) से जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर से कम है उनमें राजस्थान (4.42), आंध्र प्रदेश (8.68), उड़ीसा (10.21), मध्य प्रदेश (10.73), बिहार (14.75), पश्चिम बंगाल (14.78) और संघ राज्य क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली (15.94) शामिल है, और 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों मे 58% राज्य भारत की अनुसूचित जनजाति महिला की कुल साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजाति महिला की कुल साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजाति महिला की साक्षरता दर से काफी पीछे है। उपर्युक्त सभी 15 राज्यों और संघ क्षेत्रों में पिछले दशक के दौरान साक्षरता दर में 3 से 11 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है।

4.29 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता प्रवृत्ति दर्शाती है कि कई स्कीमें लागू किए जाने के बावजूद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता और शिक्षा, समाज के अन्य वर्गो की तुलना में कहीं ज्यादा कम है। **इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इन राज्यों को विभिन्न शैक्षिक गंभीरता से वास्तविक रूप में लागू किए जाने पर ध्यान केन्द्रित कना चाहिए, ताकि 9 वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता की इस व्यापक असमानता को दूर किया जा सके।**

अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन

4.30 1995-96 के लिए प्राइमरी और मिडिल शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन अनुपात की प्रगति इस प्रकार रही है :

तालिका-4.8

वर्ष	नामांकन अनुपात (अनु॰ जनजाति)		नामांकन अनुपात (कुल)	
	प्राइमरी	मिडिल	प्राईमरी	मिडिल
1995-96	113.03	50.04	104.30	67.60

4.31 जैसा कि पहले बताया गया है कि प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन और प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन के आकड़ों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। **वर्ष 1995-96 के दोरान प्राइमरी शिक्षा स्तर के विद्यालयों में नामांकन अनुपात 113.03% था परन्तु मिडिल शिक्षा स्तर के विद्यालयों में यह अनुपात घटकर 50.04% रह गया। इस तरह मिडिल स्तर पर बहुत बड़ी कमी बताई गई है। इसकी तुरंत जाँच किए जाने की आवश्यकता है।** अन्य राज्यों में भी मिडिल शिक्षा स्तर पर होने वाली कमी भयप्रद है जिसका वर्णन **अनुबंध 4.V** में किया गया है। **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मिडिल स्तर के**

विद्यालयों में नामांकन अनुपात में होने वाली कमी को रोकने के लिए अपने प्रशासन तंत्र को चुस्त-दुरूस्त करना चाहिए।

4.32 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से यह पता चला है कि कतिपय मामलों में 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या के अनुपात में प्राइमरी विद्यालय स्तर पर नामांकन आंकड़े काफी अधिक है। इसका कारण यह है कि बड़ी आयु के वर्गों के बच्चे भी प्राइमरी स्तर के विद्यालयों में दाखिल किए जाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में प्राइमरी स्तर के विद्यालयों में नामांकन शत प्रतिशत नामांकन से काफी अधिक है।

बीच में शिक्षा छोड़ देने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों की दर

तालिका-4.9

शिक्षा का स्तर	वर्ष	
	1981-82	1990-91
प्राइमरी	74.00	62.52
मिडिल	84.99	78.57
सेकेंडरी	91.65	85.01

4.33 उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि बीच में शिक्षा छोड़ देने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों में भी कमी आयी है, प्राइमरी स्तरक विद्यालयों में यह दर 11%, मिडिल स्तर के विद्यालयों में 6% और सेकेंडरी शिक्षा स्तर के विद्यालयों में यह दर 7% रह गई है।

4.34 इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि बीच में शिक्षा छोड़ देने वाले अनुसूचित जाति/अनु० जन० जाति के विद्यार्थियों की दर में बहुत कम कमी आयी है, परन्तु प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से सेकेंडरी शिक्षा स्तर पर शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या में अपेक्षाकृत अधिक सुधार नहीं हुआ है। वस्तुतः वर्ष 1990-91 में प्राइमरी से मिडिल शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जाति के मामले में यह वृद्धि 15.55% और अनु० जनजाति के मामले में 10.99% दर्ज की गई है। 1981-82 के दौरान अनुसूचित जाति के मामले में 18.42% और अनुसूचित जन जाति के मामले में 16.05% की वृद्धि दर्ज की गई है।

4.35 **अनुबंध 4-VI** में यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जन जातियों के मामले में ग्यारह (11) राज्यों अर्थात सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, राजस्थान और उड़ीसा आदि

में प्राइमरी कक्षाओं के स्तर पर शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या 60% से अधिक दर्ज की गई है, जबकि 16 राज्यों में मिडिल कक्षाओं के स्तर पर शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या 70% से अधिक दर्ज की गई है। 21 राज्यों में सेकेंडरी कक्षाओं के स्तर पर शिक्षा छोड़ देने वाले छात्रों की 60% से अधिक दर दर्ज की गई है और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में यह दर 80% से अधिक दर्ज की गई है। इन आकंड़ों से देश में जनजातीय स्कूली शिक्षा के बारे में बहुत ही खराब स्थिति का पता चलता है, जिसके सबंधं में राज्य स्तर पर आवश्यक और गंभीर उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

4.36 छठी अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों में दर्शायी गयी भारी कमियों के कारण ही अनुसूचित जातियों/अनु॰ जन॰ जातियों में शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षो का विवरण इस प्रकार है:–

(1) कुल निवास स्थानों की संख्या और प्राइमरी विद्यालयों की उपलब्धता के बीच अंतर

(2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या की वृद्धि में असंतुलन

4.37 देश में वर्ष 1993 में ग्रामीण क्षेत्रों के निवास–स्थानों की कुल संख्या 10, 59, 191 में से केवल 5,32,962 निवास स्थानों के लिए प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय 1,45,824 निवास स्थानों के लिए उच्च प्राथमिक (प्राइमरी) विद्यालय, 53,174 निवास स्थानों के लिए सेकेंडरी विद्यालय ओर केवल 11,955 निवास स्थानों के लिए उच्चतर सेकेंडरी (माध्यमिक) विद्यालय थे। इस प्रकार देश के पांच (5) लाख से अधिक निवास स्थानो के लिए, जो कुल ग्रामीण निवास स्थानों का लगभग 50% है, प्राइमरी विद्यालय नहीं है।

4.38 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा में दूसरी बड़ी बाधा विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठनों द्वारा हाल ही में आई॰ टी॰ डी॰ पी॰ के संबंध में तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चला है कि विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या असंतोषजनक है। योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जिलों में अध्यापकों की कमी का उदाहरण निम्नलिखत तालिका में दिया गया है : –

तालिका 4.10

क्रम॰ सं॰	राज्य (आई.टी.डी.पी.)	प्राइमरी स्तर विद्यालय	प्राइमरी स्तर अध्यापक	मिडिल स्तर विद्यालय	मिडिल स्तर अध्यापक
1.	बिहार	93	93	81	90
2.	गुजरात	98	94	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	**मध्य प्रदेश**				
	(i) कोंटा	63	50	71	
	(ii) मांडला	89	60	100	
4.	**महाराष्ट्र**				
	(i) तालुरा	100	97.2	100	
	(ii) किवाट	97	90.78	100	
5.	**उड़ीसा**				
	(i) लोंघेर	72	83.75	77	90
	(ii) नौरंगपुर	98	79	90	89
6.	राजस्थान	93	87	76	79

4.39 रिपोर्ट में यह पाया गया है कि "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" (सभी के लिए शिक्षा) मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय के पास कम से दो कमरे, दो अध्यापक और शिक्षण सामग्री अवश्य होनी चाहिए। उपर्युक्त तालिका से ऐसा लगता है कि कई प्राइमरी विद्यालयों को एक ही अध्यापक से चलाया जाता है। वर्ष 1986 के पांचवे शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार 5, 28730 प्राइमरी विद्यालयों में 0.43% विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं और 28.91% प्राइमरी विद्यालयों में केवल एक अध्यापक है। **इसलिए यह सुझाव दिया जाता है। कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनु॰जन॰जाति विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापक सुविधाएँ, पर्याप्त अध्यापन, विद्यालय के लिए भवन, शिक्षण सामग्री जैसी मूल शैक्षिक आवश्यकताएँ उपलब्ध कराई ज़ाती है।**

कल्याण मंत्रालय की केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की प्रगति

अनुसूचित जाति एवं अनु॰जन जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृति (केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सी॰ एस॰ एस) -100%

4.40 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जिससे

वे मैट्रिक के पश्चात अपनी पढ़ाई जारी रख सकते है। सभी पात्र विद्यार्थी, जिनके माता–पिता/अभिभावक नियमों के अंतर्गत निर्धारित अधिक माप दण्डो को पूरा करते हैं, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने पर छात्रवृत्ति के हकदार है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्कीम को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कार्यन्वित किया जाता है, और अध्ययन के स्थान का ध्यान किए बिना विद्यार्थी उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वे मूल रूप से निवासी हैं। दिनांक 1-10-95 से यथा संशोधित "मैट्रिकोत्तर" छात्रवृति के लिए पात्रता शर्ते और भरण–पोषण भत्ते की विद्यमान दरें **तालिका 4.11** में दी गई है। दिनांक 1.10.95 से प्रभावी "मेट्रिकोत्तर" छात्रवृत्ति आदि की वर्तमान दरों के संबंध मे कल्याण मंत्रालय का दिनांक 14-2-92 का परिपत्र सं. 11017/1/92 एस॰ सी॰ एच॰ सेल **अनुबंध 4.VII** पर उपलब्ध है।

तालिका-4.11

भरण-पोषण भत्ता दरें

पाठ्यक्रम समूह	**संशोधन से पूर्व भरण पोषण भत्ता दरें**		**संशोधित भरण पोषण भत्ता दरें**	
	होस्टल में रहने वाले विद्यार्थी	दिवाछात्र	होस्टल में रहने वाले विद्यार्थी	दिवाछात्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क *	280	125	425	190
ख *	190	125	290	190
ग *	190	125	290	190
घ *	175	90	230	120
ड. *	115	65	150	90

स्कीम के अधीन समूह "क" से ड." के अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों का ब्यौरा

* क चिकित्सा शास्त्र, (बी॰ ए॰, एम॰ एस॰ सी॰ आदि सहित) इंजीनियरी, कृषि, पशु चिकित्सा, मछली उद्योग आदि में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम।

* ख चिकित्सा शास्त्र, इंजीनियरी, आदि में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम, वाणिज्य, पायलट लाईसेंस पाठ्यक्रम व्यावसाय प्रशासन, नर्सिंग/फार्मेसी आदि में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम, विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम। व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों में अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

* ग इंजीनियरी/प्रोद्यौगिकी आदि में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, कृषि, फार्मेसी, पशु चिकित्सा, मत्स्यपालन, डेरी विकास आदि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अध्यापक के प्रशिक्षण, लाइब्रेरी साइंस, शारीरिक शिक्षा आदि में स्नातक/स्नाकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम। कला और वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

* घ स्नातक स्तर तक (द्वितीय वर्ष और आगे) सामान्य पाठ्यक्रम
* ड. 10+2 पद्धित में XI वीं एवं XII वीं की कक्षाएं, इंटरमीडियेट और स्नातक स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष

4.41 समूह "क" से "ग" में दिए गए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में संशोधन पूर्व दरों की अपेक्षा संशोधित भरण–पोषण भत्ता दरें लगभग 50% अधिक है और समूह "घ" और "ड." में दिए गए गैर व्यावसायिक और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में ये दरें लगभग 30% अधिक है।

II पात्रता के लिए आय सीमा में संशोधन

4.42 निम्नलिखित तालिका संशोधन से पूर्व और संशोधित आय की अधिकतम सीमाएं दर्शाती है : –

तालिका 4.12

माता पिता/अभिभावकों की आय की अधिकतम सीमा (प्रति वर्ष)		भरण पोषण भत्ता और (फीस) हेतु छात्रवृत्ति पात्रता
1	2	3
संशोधन पूर्व	संशोधित	पूर्व भरण पोषण भत्ता और पूर्ण फीस
18000 रू.	33, 400 रू.	i) समूह क में पूर्ण भरण पोषण भत्ता और पूर्ण फीस
24000 रू.	44, 500 रू.	ii) समूह ख, ग, घ, और ड. के पाठ्यक्रमों के लिए आधा भरण पोषण भत्ता और पूर्ण फीस

संशोधित आय की अधिकतम सीमाए, अक्टूबर, 1995 तक औद्योगिक कामगार अपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है।

4.43 आय की अधिकतम सीमा प्रत्येक दो वर्षो मे एक बार संशोधन करने तथा उसे औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सबंद्ध करने की भी सिफारिश की गई है।

III एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो बच्चों तक स्कीम का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रतिबंधक खण्ड में बालिकाओं के मामले में छूट

4.44 संशोधन किए जाने से पहले इस स्कीम में एक ही माता–पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चों के लिए ही, यदि अन्यथा पात्र हों, छात्रवृत्ति देने का उपबंध था। बालिकाओं के लिए इस शर्त में अब छूट दे दी गई है और अब एक ही माता–पिता/अभिभावक की सभी बालिकाएं इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

4.45 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम कई वर्षो से लोकप्रिय हो रही है तथा इसमें अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को शामिल किए जाने का अनुमान है। निम्नलिखित तालिका वर्ष 1992-93 से प्रगति दर्शाती है।

तालिका-4.13

वर्ष	बजट आबंटन	दी गई केन्द्रीय सहायता	लाभभोगियों की संख्या	
1992-93	46.00	54.20	15, 30, 880	
1993-94	72.40	74.79	14,90,316 (बिहार छोड़कर),	
1994-95	96.35	96.35	15,34,063	
1995-96	145.00	144.86	17,90,355	
1996-97	149.00	179.93	21,48,291	(पूर्वानुमानित)

4.46 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भिन्न–भिन्न विषयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मंजूर करने तथा उसके संवितरण में किए जाने वाले प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, कल्याण मंत्रालय ने स्कीम के तहत मंजूरी तथा संवितरण प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया है। **आयोग का यह विचार है कि लाभभोगियों को छात्रवृत्ति राशि का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएं तथा स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।** अधिक नीति के उदाकरण की वजह से अनेक विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में हुई आधुनिक प्रौद्योगिकीय उन्नति का लाभ प्राप्त कर सकें। प्राइवेट संगठनों में आरक्षण न होने की वजह से इस लक्ष्य समूह का बहुत बड़ा हिस्सा उन लाभों से वंचित रहता है क्योंकि विशिष्ट एव अति विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए उन्हे बहुत अधिक फीस देनी होगी। जिसके फलस्वरूप, ये विद्यार्थी विभिन्न प्राइवेट संगठनों द्वारा की जाने वाली कैम्पस भर्ती से वंचित रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इन लक्ष्य समूहों को ऐसे अवसर नहीं मिल रहे हैं जिनका लाभ अन्य समुदायों के व्यक्ति उठा रहे है। **अतः आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनतातियों के विद्यार्थियों को फीस में छूट देने के साथ साथ विशिष्ट एवं अति विशिष्ट पाठ्यक्रमों में आरक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने की सुविधा प्राप्त कर सके।**

4.47 मध्य प्रदेश की राज्य समीक्षा के दौरान **आयोग ने यह पाया कि अनु० जाति अनु० जनजाति के छात्रों की दी गई मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपये तथा अनु० जाति/अनुजनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि 150/- रू. है। यह देखा गया है कि मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति की राशि में कमी करना उन विद्यार्थियों के लिए दण्ड हैं जो**

परीक्षा की तैयारी कर रहे है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को इस राशि में वृद्धि करनी चाहिए।

4.48 पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में किसी भी केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार की राज्य योजना निधि अथवा योजनात्तर निधि से किया गया कुल व्यय अगली पंचवर्षीय योजनाओं के प्रत्येक वर्ष के दौरान उस राज्य सरकार की बचनबद्ध जिम्मेवारी बन जाती है। पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए यह व्यय राज्य सरकार के योजनात्तर बजट से किया जाता है। इस तरीके से प्रत्येक केन्द्र–द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत योजनात्तर व्यय एक पंचवर्षीय योजना से दूसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ता रहता है। राज्य सरकारो से विचार–विमर्श के दौरान यह पाया गया कि वित्त आयोग अवार्ड के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई योजनात्तर निधि राज्य सरकार की योजनात्तर आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। विभिन्न स्कीमों के लिए योजनात्तर निधि आंबटित करते समय, राज्यों के वित्त विभाग अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की स्कीमों के लिए सामान्यतः कम निधि आंबटित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजति कल्याण विभागो को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के लिए अपने निजी बजट से योजना हिस्से के साथ साथ योजनात्तर हिस्सों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते है और इस प्रकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्कीमें कार्यान्वित नहीं करते हैं। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (राज्य क्षेत्र) और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (सी. एस एस) के लिए भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति जैसी शिक्षा स्कीमों को प्राथामिकता मिलती है जिनमें आमतौर पर लाभ–भोगियों की संख्या सर्वाधिक होती है। चूंकि वित्तीय बाधाएं होने की वजह से राज्य सरकारों द्वारा वचनबद्ध जिम्मेवारियां पूरी नहीं की जाती है तथा वित्त एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लगाए गए कड़े वित्तीय नियंत्रणों की वजह से केन्द्र सरकार निधि प्रदान नहीं कर रही है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं को भी मैट्रिकोत्तर तथा मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान न होने पाने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। **अतः आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों को अस्वच्छ व्यवसायों मे लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति देने के लिए वित्त आयोग अवार्ड के एक विभाग के रूप में पूरी योजनेत्तर निधि मिलनी चाहिए। यदि राज्य योजनेत्तर हिस्से में आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो केन्द्र सरकार इन स्कीमों के तहत निधि देना जारी रख सकती है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनतातियों के शैक्षिक विकास के हितों की सुरक्षा की जा सके।**

बालिकाओं के छात्रावास (केन्द्र और राज्य का हिस्सा-50:50)

4.49 यह स्कीम तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, माध्यमिक तथा उच्चतर स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रही अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति की बालिकाओं

के लिए छात्रावास के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है।

(क) अनुसूचित जाति की वालिकाओं के लिए छात्रावास

4.50 इस स्कीम के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय 26.00 करोड़ रू॰ है। 1994-95 में 6.20 करोड़ रूपये का पूर्ण आबंटन राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को 7208 बालिकाओं के रहने की क्षमता वाले 73 छात्रावासों के निर्माण के लिए दिया गया था। वर्ष 1995-96 के लिए स्कीम के तहत परिव्यय 7.00 करोड़ रू॰ का था जिसमें से 5.65 करोड़ रू॰ की राशि दी गई थी। आन्ध्र प्रदेश की अनु॰ जाति की बालिकाओं के लिए उपलब्ध क्षमता 6080 है इसके बाद, उड़ीसा (390) कर्नाटक (550) असम (72), जम्मू एवं कश्मीर (48) पंजाब (68) का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों, जहाँ पर अनु॰ जाति की महिलाओं की साक्षरता दर 1999 की जनगणना के अनुसार 20% से भी कम है, 1993-94 में अनु॰ जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने के लिए समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ख) अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास

4.51 आठवीं योजना के दौरान वार्षिक बजटों में रखे गए 1555.00 लाख रूपये में से अनुसूचित जनजातियों के लिए 300 बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 1271.00 लाख रू॰ दिए गए। 1996-97 के दौरान अनु॰ जनजाति की बालिकाओं के लिए 68 छात्रावासों के निर्माण के लिए 3.18 लाख रू॰ की राशि दी गई थी।

4.52 **आयोग ने पाया कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्ताव कल्याण मंत्रालय को समय से नहीं भेजे जाते हैं। ऐसे विलम्ब होने की वजह से कल्याण मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को बराबर की केन्द्रीय सहायता समय पर उपलब्ध नहीं करा पाता है। अतः समय पर बराबर की सहायता लेने के लिए कल्याण मंत्रालय को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं । छात्रावास भवनों के समुचित रखरखाव के लिए राज्यों / संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को समुचित कार्यवाई करनी चाहिए।**

अस्वच्छ व्यवसायों मे लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (केन्द्र और राज्य का हिस्सा 50:50)

4.53 मैला उठाने, खाल उतारने तथा चमड़ा बनाने के कार्यो में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व स्तर की शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह स्कीम 1997-98 के दौरान शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत निधि 50:50 के आधार

पर दी जाती है। एक वर्ष में 10 महीनों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों तथा प्रत्येक दिवाछात्र को 500 रू॰ वार्षिक तदर्थ अनुदान भी दिया जाता है। एक ही माता–पिता के बच्चों पर प्रतिबंध को कुछ शर्तो तथा आय सीमा के साथ हटा दिया गया है। वर्ष 1996-97 के दौरान 7.50 करोड़ रू॰ के बजटीय प्रावधान के वजाए केन्द्र द्वारा 14.04 करोड़ रू॰ दिए गए जिससे लगभग 3.26 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे।

4.54 स्कीम के तहत 1992-93 से दी गई केन्द्रीय सहायता तथा इसमें शामिल लाभभोगियों की संख्या नीचे दी जाती है : –

तालिका-4.14

वर्ष	लाख रू॰ में		लाभ–भोगियों की संख्या
	बजट आबंटन	दी गई केन्द्रीय सहायता	
1992-93	11.00	6.39	99, 254
1993-94	14.00	5.61	1,30,715
1994-95	10.00	6.23	1,76,253
1995-96	7.50	8.92	2,83,676
1996-97	7.50	14.04	3,26,348(अनंतिम)

4.55 मध्य प्रदेश राज्य की समीक्षा के दौरान, **आयोग ने देखा है कि स्कीम के प्रति राज्य सरकार की प्रतिक्रिया असंतोषजनक रही है। यह भी देखा गया है कि अस्वच्छ व्यवसायों में लगे अनेक परिवारों को इस स्कीम की जानकारी नहीं है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों को ऐसे प्रयास करने चाहिएं कि मैल। ढोने वाले इस स्कीम के बारे में जान सके तथा कार्यक्रम को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत सर्वेक्षण में हुई प्रगति का भी अनुवीक्षण (मानीटर) करना चाहिए।** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 अगस्त, 1994 को की गई थी और आयोग ने केन्द्र, सरकार को एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए पद, सुविधाओं और अवसरों में असमानता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की सिफारिश की है। सफाई कर्मचारी आयोग, अस्वच्छ व्यवसायो में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन का राष्ट्रीय स्तर पर अनुवीक्षण (मानीटर) करता है।

अनूसूचित जाति और अनु॰ जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक-कोष केन्द्र और राज्य का हिस्सा 50:50)

4.56 यह स्कीम, चिकित्सा, शास्त्र, इंतीनियरी, कृषि, पशु–चिकित्सा तथा बहुशिल्प (पॉलीटेक्नीक) पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनु॰ जाति / अनु॰ जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उपेक्षित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 में शुरू की गई थीं इस स्कीम के तहत पाठ्यपुस्कों का प्रत्येक सेट दो विद्यार्थियों द्वारा मिलकर पढ़ जाना है। यह स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के तहत राज्य को केन्द्रीय सहायता बराबरी के आधार पर दी जाती है। 1995-96 के दौरान 3.60 करोड़ रू॰ के आबंटन के बजाय 2.64 करोड़ रूपये दिए गए, जिससे 26,567 विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे। 1996–97 के दौरान 3.60 करोड़ रूपये के बजाय 1.83 करोड़ रू॰ दिए गए जिससे 18927 विद्यार्थियों को लाभ मिला।

4.57 यह देखा गया है कि राज्य सरकारें केन्द्र को बजट प्रस्ताव बहुत देर से भेज रही हैं। अतः केन्द्र द्वारा अनुदान देने में भी देरी होती है। स्कीम को कार्यान्वित करते समय, राज्य सरकार अपना 50% बराबरी का हिस्सा आबंटित नहीं करती हैं और स्कीम केवल केन्द्र द्वारा दिए गए अनुदान पर ही चलती है। यह भी देखा गया है कि स्कीम वांछित स्तर तक कार्यान्वित नहीं की जा रही है। **अतः राज्य सरकारों को स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई तथा भारत सरकार के मार्गनिदेर्शो का कड़ाई से पालन करना चाहिए।** यह भी देखने मे आया है कि क्योंकि पहले अनु॰ जाति / अनु॰ जानजाति के विद्यार्थियों की संख्या कम थी इसलिए सभी विद्यार्थियों को पुस्तक–कोष (बुक बैंक) पुस्तकें मिल जाती थीं। इस समय विभिन्न शैक्षिक प्रोत्साहानों की उपलब्धता के साथ अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन निधि को कम आबंटन होने की वजह से पुस्तकों की संख्या उतनी ही हैं (बढ़ी नहीं है), और इसलिए पुस्तकें पुस्तकालय में रखी जाती है तथा सभी विद्यार्थी परीक्षाओं के दौरान भी पुस्तके जारी नहीं करवा सकते थे। कभी–कभी अध्यापक भी पुस्तकालय से पुस्तके ले लेते है जिससे पुस्तक कोष (बुक बैंक) स्कीम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम (केन्द्र और राज्य का हिस्सा 50:50)

4.58 यह स्कीम 5वीं योजनावधि से चल रही है। इस स्कीम का उदे्दश्य भर्ती निकायों जैसे संघ लोक सवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैकिंग सेवा भर्ती बोर्ड तथा अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करना है यह स्कीम 50:50 निधिकरण पद्धति के आधार पर है। अनु॰ जाति / अनु॰ जनजाति

के अभ्यर्थियों को तीन मुख्य श्रेणियों अर्थात सिविल सेवाओं, मेडिकल एवं इंजीनियरी की प्रवेश परीक्षा तथा राज्य सेवाओं सहित अन्य सेवा परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जाती है।

4.59 यह कोचिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रो में दी जाती है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों अथवा विश्वविद्यालयों मे से किसी एक द्वारा चलाया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय शतप्रतिशत सहायता के पात्र है। कुछ निजी (प्राइवेट) कोचिंग संस्थान भी इस स्कीम के तहत अनुदान ले रहे हैं, लेकिन ऐसे संस्थान केवल दिल्ली में ही हैं। अब तक 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, 18 विश्वविद्यालयों तथा 4 निजी (प्राइवेट) कोचिंग संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त हो रही है। अनु. जाति और अनु. जनजाति के विद्यार्थियों को तीन मुख्य श्रेणियों में परीक्षापूर्व कोचिंग दी जाती हैं। इन श्रेणियों में राज्य सिविल सेवाओं सहित सिविल सेवा परीक्षाएं शामिल हैं। इस स्कीम में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थि को 400 रू. प्रतिमाह तथा दिवा छात्र को 100/– प्रतिमाह वृतिका देने का प्रावधान है। प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए मानदण्ड कुछ परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्य समाज कल्याण विभागों तथा विश्वविद्यालयों के प्रधानों के साथ एक अखिल भारतीय बैठक 29–6–1996 को आयोजित की गई थी। इसमें दिए गए सुझावों में ये सुझाव शामिल हैं : – (I) अनु. जाति/अनु. जनजाति की जनसंख्या वाले बहुल क्षेत्रों में तथा जिन क्षेत्रों में कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में कोचिंग केन्द्र खोलना, (II) विद्यार्थियों का सावधानीपूर्वक चयन, (III) आरक्षित रिक्तियों की व्यवहार्यता को देखते हुए कोचिंग का उपलब्ध कराया जाना और, (IV) राज्य/जिला स्तर पर अनवीक्षण (मॉनीटरिंग) समिति का गठन तथा उत्कृष्ट परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को पुरस्कार देना। वर्ष 1995–96 के दौरान राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों तथा निजी (प्राइवेट) कोचिंग संस्थानों को 0.94 करोड़ रू. की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। वर्ष 1996-97 के दौरान, 3.00 करोड़ रूपए के कुल प्रावधान में से 1.07 करोड़ रू० दिए गए। ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय तथा प्राइवेट कोचिंग संस्थान इस स्कीम का पूरा लाभ उठाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। **राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों को इस स्कीम का पूरा लाभ उठाने के लिए के लिए आगे आना चाहिए जिससे विभिन्न सेवाओं में अनु० जाति / अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों के शमिल होने से उनकी संख्या में अतंतः वृद्धि होगी।**

4.60 तमिलनाडु राज्य की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यार्थियों का परिणाम बहुत अच्छा नहीं था और मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरी कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए प्रशिक्षण भी संतोषजनक नहीं था। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के 10+2 स्तर पर अच्छे अंक न होने की वजह से परिणाम

खराब रहा क्योकि 50% महत्व 10+2 स्तर के अंको तथा 50% महत्व प्रवेश परीक्षा में आए अंको को दिया जाता है। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों के परिणामों तथा अंको का नियमित अंतरालों पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। चैन्नई में चलाया जा रहा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा परीक्षाओं के लिए कोचिंग दे रहा है। इस केन्द्र के अब तक 65 विद्यार्थी सफल रहें हैं जिनमें से 3 महिलाएं है। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को बालिकाओं को इन परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

4.61 कर्नाटक राज्य में राज्य सरकार द्वारा बंगलौर में दो प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं जिनमें से एक बैकिंग सेवाओं के लिए तथा दूसरा सामान्य सेवाओं के लिए है। इन दोनों केन्द्रों के अलावा तीन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भी कार्य कर रहें है जो गुलबर्ग, धारबाड़ और मैसूर में है। ये प्रतियागिता परीक्षाओं में बैठ रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सामान्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा मे बैठ रहे केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए बंगलौर में खोला गया परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र अभी भी कायम है। चालू वर्ष के दौरान, अखिल भारतीय और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं बैकिंग सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के 260 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए 40 लाख रू॰ दिए गए है। नवीं योजना अवधि में 1300 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 200.00 लाख रू॰ की व्यवस्था की गई है।

4.62 यह पाया गया है कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या तथा पाठ्यक्रम संबंधी विवरणों आदि का केन्द्र मे अनुवीक्षण (मानीटर) नहीं किया जा रहा है। यह देखा गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तीन माह के लिए चलाया जाता है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त नहीं है। जिन्हें गहन कोचिंग दिए जाने की आवश्यकता है, चूँकि अधिकाशं लाभभोगी ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं इसलिए छात्रावास सुविधा के अभाव में उन्हें प्रशिक्षण जारी रखने में बहुत कठिनाई होती है। **यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों के परिणामों तथा अंको का विस्तार से नियमित अंतराल पर विश्लेषण करना चाहिए तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय करने चाहिए।**

राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (नेशनल ओवरसीज स्कॉलर शिप) केन्द्रीय क्षेत्र योजनेत्तर-प्रत्यक्ष कार्यन्वयन।

4.63 इस स्कीम का उद्देश्य विदेशों में उच्च डिग्री प्राप्त करने तथा डाक्टर की उपाधि के बाद अध्ययन करने के लिए अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों, अनुधिसूचित घुमन्त एवं अर्ध घुमन्त जनजाति अन्य धर्म परिवर्तन कर चुकी अनु॰ जातियों, तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारम्परिक शिल्पकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। विदेश यात्रा अनुदान भी उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जिन्हें विदेशी सरकार अथवा संस्थान से योग्यता छात्रवृत्ति मिल रहीं होती है। प्राप्त सूचना के अनुसार ये स्कीम 1954-55 से चल रही है तथा 525 उम्मीदवार इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

4.64 कल्याण मंत्रालय दो स्कीमें अर्थात राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (नेशनल ओवसीज स्कॉलरशिप) तथा विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए विदेश यात्रा अनुदान स्कीम चला रहा है । यह योजनात्तर स्कीम है और अनु जातियों / अनु जनजातियों के मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है तथा डा0 अम्बेडकर विदेशी अध्येतावृत्ति (ओवर सीज फेलोशिप) सभी समुदायों के विद्यार्थियों को चार छात्रवृतियाँ देती है ।

4.65 यह सूचना दी गई है कि कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (नेशनल ओबरसीज स्कॉरशिप) स्कीम चालु रखने के लिए योजनेत्तर समिति की अनुमति मांगी जा रही है।

4.66 जहां तक डा0 अम्बेडकर विदेश अघ्येतावृत्ति (ओवरसीज फेलोशिप) का संबंध है, पिछले दो वर्षो के दौरान किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है।

बालकों के लिए छात्रावास (केन्द्र और राज्य का हिस्सा-50:50)

(क) अनुसूचित जाति के बालकों के लिए छात्रावास

4.67 अनु0 जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास की पद्धति पर अनु0 जाति के बालकों के लिए छात्रावास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम की शुरूआत 1989-90 के दौरान की गई थी। आठवीं योजना के लिए स्कीम के तहत परिव्यय 33.00 करोड़ रूपए का था। वर्ष 1995-96 के लिए अनु0 जाति के बालकों के लिए 104 छात्रावासों को निर्माण करने के लिए 14.82 करोड़ रू0 की राशि दी गई थी। 1996-97 के दौरान , अनु0 जाति के बालकों के लिए 90 छात्रावासों का निर्माण करने के लिए 9.40 करोड़ रू0 दिए गए थे।

(ख) अनु0 जनजाति के बालकों के लिए छात्रावास

4.68 वर्ष 1995–96 के लिए, अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए 34 छात्रावासों का निर्माण करने हेतु 3.65 करोड़ रूपए दिए गए थे। वर्ष 1996–97 के दौरान अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए 59 छात्रावासें का निर्माण करने हेतु 2.25 करोड़ रूपए दिए गए थे।

4.69 यह देखने में आया है कि, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार में से किसी के द्वारा भी स्कीम का अनुवीक्षण और मूल्यांकन नियमित रूप से नहीं किया गया। छात्रावासों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई थी। **अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य को इन छात्रावासों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण करना चाहिए तथा इनकी कार्यशैली में सुधार करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएं। आयोग द्वारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दिल्ली का दौरा करने के दौरान इस सबंध में की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-**

हरियाणा

4.70 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त स्कीम की समीक्षा करने के संबंध में आयोग ने हरियाणा राज्य के दौरे के दौरान पाया कि अनु0 जाति के अधिकांश बालक/बालिकाओं द्वारा बीच में ही शिक्षा छोड़ने के कारणों में से एक कारण राज्य में छात्रावास सुविधाओं की कमी होना था। **राज्य को अनु0 जातिय के छात्रों के लिए, विभिन्न स्तर पर और अधिक छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दी गई ताकि अत्यधिक छात्रों द्वारा बीच में शिक्षा छोड़ देने की ऊँची दर को रोका जा सके।**

हिमाचल प्रदेश

4.71 हिमाचल प्रदेश में यह पाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए कुल 33 छात्रावासों में से 19 मैट्रिकोत्तर छात्रावास थे, जिसमें लगभग 1000 छात्र रह सकते थे। लेकिन छात्रावास सुविधा का लाभ लेने वाले मैट्रिकोत्तर छात्रों की संख्या 400 के आसपास थी। छात्रावास में कम प्रवेश लेने के कारणों में से एक कारण यह था कि भारत सरकार की स्कीम के तहत उन्हें दी गई छात्रवृत्ति राशि कम थी और छात्रावास में रहने का खर्च अधिक था। **आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को छात्रवृत्ति की दरों के अतिरिक्त और अधिक राशि देने की मंजूरी पर विचार करना चाहिए ताकि शिक्षित युवाओं की संख्या में वृद्धि हो सके। यह भी उल्लेख किया जाता है कि कुछ अन्य राज्य सरकारें भी अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों की सहायता के लिए समान प्रक्रिया अपना रहीं थीं।**

पंजाब

4.72 विकासात्मक कार्यक्रमों के बारे में राज्य की समीक्षा के समय **आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के छात्रों द्वारा बीच में ही शिक्षा छोड़ देने के कारणों का पता लगाए और यदि आवश्यकता हो तो वे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रावास और कोचिंग आदि के साथ-साथ पर्याप्त सुविधांए और प्रोत्साहन भी दें, ताकि अनु0 जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित विभिन्न पदों को भरने के लिए शिक्षित युवा पर्याप्त संख्या में मिल सकें। यह भी सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार को अनु0 जाति के छात्रों द्वारा सभी स्तरों पर बीच में ही शिक्षा छोड़ देने को रोकने के लिए और उपाय करने चाहिएं।**

दो प्रतिशत से भी कम साक्षरता वाले कम साक्षरता क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर

4.73 अभी भी कतिपय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 2% से भी कम है। आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि इन आठ राज्यों में ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है। 1993-94 में शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य संधटित साक्षरता प्रदान करना और अनु0 जाति/अनु0 जनजाति की बालिकाओं के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है, जो कम साक्षरता अर्थात 2% से भी कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में प्रथम पीढ़ी नौसिखिए है, जिनके परिवारों में शिक्षा ग्रहण (पढ़ाई) करने की परम्परा नहीं पाई जाती है। अनु0 जाति की महिलाओं मे मामले में, यह स्कीम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है और अनु0 जनजाति की महिलाओं के मामले में इसे विश्वसनीय और हितबद्ध और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। 1996-97 के दौरान अनु0 जातियों के लिए 21 आवासीय विद्यालयों के लक्ष्य की बजाय 20 आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 11 विद्यालय मध्य प्रदेश की 8 जिला परिषदों (सतना, पन्ना, छत्तरपुर, राजगढ़, शांजापुर, रीवा और सिद्धि में एक—एक, गुना जिले में चार तथा उत्तर प्रदेश की तीन जिला पंचायतों (देवरिया, ललितपुर और प्रतापगढ़ में एक—एक) में तीन आवासीय विद्यालय शामिल थे। एक परिसर (कॉम्पलेक्स) का अर्थ है जिसमें कक्षा I से V तक पढ़ रही 50 बालिकाओं को शिक्षा के साथ—साथ शिल्प / व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। परिसर (काम्पलेक्स) की स्थापना करने के लिए कल्याण मंत्रालय पूरी सहायता प्रदान करता है। मुफ्त भोजन एवं आवास व्यवस्था के अलावा विद्यार्थियों को वर्ष में दो जोड़ी वर्दियाँ, आवधिक अंतराल पर डाक्टरी जांच तथा उस बालिका के माता—पिता को सांयकाल के समय शिक्षा दी जाती है। बालिका के माता—पिता को 30/- रू0 प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। 1993-94 से लेकर 1995-96 के दौरान 52 शैक्षिक परिसरों की स्थापना करने के लिए 3.22 करोड़ रू0 की केन्द्रीय सहायता दी

गई थी और 1996-97 के दौरान अनु0 जनजाति की बालिकाओं के लिए 5 नए तथा 33 पुराने परिसरों के लिए 1.20 करोड़ रू0 दिए गए थे।

4.74 स्कीम का उद्देश्य ऐसे माडल स्कूलों की स्थापना करना है जिनमें आवासीय परिसर की सहज सुविधा हो तथा अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च कोटि की शिक्षा के माध्यम से लोगों पर ऐसा प्रभाव दिखाई दें जिससे अधिकांश सुविधा वंचित क्षेत्रों में रहने वाली अनु0 जाति / अनु0 जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में सामुदायिक प्रयास को और अधिक प्रेरित किया जा सकेगा। इस दिशा में किस सीमा तक सफलता प्राप्त की जा चुकी है, इस बात का मूल्याकंन करने की दृष्टि से **आयोग सिफारिश करता है कि स्कूलों को विशेष रूप से जनजातिय क्षेत्रों में खोलते समय विशिष्ट कदम उठाए जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ स्कूल ऐसे क्षेत्रों में खोले जाते है जहाँ आदिम जनजातिय समूह रह रहें है और यह कि इन स्कूलों में बढ़िया शिक्षा दी जाती हैं ताकि माता-पिता अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की योग्यता को बढ़ाना (केन्द्र का हिस्सा 100%)

4.75 इस स्कीम का उद्देश्य 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ रहे अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के बच्चों को सुधारक तथा विशेष, दोनों प्रकार की अधिक कोचिगं प्रदान करके सहायता देना है, जिससे उनकी सामाजिक और शैक्षिक कमियों को दूर किया जा सके तथा मेडीकल और इंजीनियरी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश को सरल बनाया जा सके जिनमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश किया जाता है। इस स्कीम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शत–प्रतिशत आधार पर सहायता दी जाती है। वर्ष 1993-94 के मध्य में इस स्कीम को शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान .022 करोड़ रू0 तथा .08 करोड़ रू0 दिए गए थे जिससे अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के क्रमशः 884 और 280 छात्रों को लाभ मिला।

4.76 कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1990-91 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार केवल पांच राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और त्रिपुरा ने ही इस स्कीम के लिए कल्याण मंत्रालय वित्तीय सहायता ली थी। तदनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान इन राज्यों को केवल 0.8 करोड़ रू0 ही दिए गए जबकि बजट पर ब्यय 1 करोड़ रू0 का था। यह स्कीम राज्यों / संध राज्य क्षेत्रों के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के बालकों और बालिकाओं द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में आने वाली सामाजिक–आर्थिक कठिनाइयाँ दूर करने की दृष्टि से सुधारात्मक और

विशेष, दोनों प्रकार की अतिरिक्त कोचिंग के लिए **कल्याण मंत्रालय को राज्य और संध क्षेत्र के प्रशासनों के साथ परामर्श करके स्कीम को सार्थक रूप से कार्यान्वयन करने तथा ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के बालक और बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए जिनमें लक्ष्य समूह के छात्र मेडीकल और इंजीनियरी आदि के क्षेत्र में अच्छे रोजगार पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। आयेाग ने पाया है कि मंत्रालय स्कीम को बेमन से कार्यान्वित कर रहा है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि स्कीम को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।**

जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों (टी. एस. पी.) में आश्रम स्कूल (केन्द्र और राज्य का हिस्सा 50 : 50)

4.77 आश्रम स्कूल की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम वर्ष 1990-91 के दौरान इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि अनु0 जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिवेश में आवासीय स्कूलों जैसी शिक्षा सुविधाएं दी जाएं। इस स्कीम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा शामिल है। इस स्कीम के अंतर्गत आश्रम स्कूल की बिल्डिगं, छात्रावास और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने पर होने वाल व्यय केन्द्र और राज्य द्वारा मिलकर 50:50 के आधार पर किया जाता है जबकि रख–रखाव पर होने वाले व्यय राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है। 13.00 करोड़ रू0 के आबंटन की बजाय आठवीं योजना के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों को 294 स्कूल बनवाने के लिए केवल 10.76 करोड़ रू0 दिए गए है वर्ष। 1996-97 के दौरान 15 आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए 3.87 करोड़ रू0 दिए गए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (केन्द्र का हिस्सा 100%)

4.78 इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य अनु0 जन जाति युवाओं के कौशलों का विकास करना है ताकि उन्हें रोजगार / स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में, इस स्कीम को 1992-93 में शुरू किया गया था और अब इसे राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की क्षमता 50 है और इनमें से 25 के लिए छात्रावास सुविधाएं हैं। केन्द्र में 3 व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यवसाय के पाठ्यक्रम की अवधि 4 माह की हो। एक वर्ष के प्रशिक्षण की अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रशिक्षणार्थी को 3 महीनों के लिए मास्टर क्राफ्ट मैन के साथ काम करने के लिए लगाया जाना है ताकि वह व्यावहारिक अनुभवों द्वारा अपने कौशलों में वृद्धि कर सके। इसके पश्चात्, प्रशिक्षणार्थी से एक ऐसे बहु–कौशलयुक्त व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आने की आशा की जाती है जो अपनी मौजूदा रोजगार संभावनाओं का बेहतर उपयोग कर सकने में सक्षम हो। प्रशिक्षणार्थियों को मासिक–वृत्तिका (वजीफा) तथा

कच्चे सामान के लिए अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था है। 1992-93 से लेकर 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों में 60 व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 8.13 करोड़ रू0 की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। चालू वर्ष के लिए 3.00 करोड़ रू0 के बजट प्रावधान में से 13 केन्द्रों के निर्माण के लिए वर्ष 1997 के दौरान 2.97 करोड़ रू0 दिए जा चुके हैं।

4.79 स्कीम का मुख्य उद्देश्य अनु0 जन जाति युवाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि वे मौजूदा रोजगार सभावनाओं का अपने लाभों के लिए प्रयोग कर सकने योग्य बन सकें। इसका स्कीम का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ जनजातीय क्षेत्रों में अनु0 जन जाति युवाओं को नक्सलवादी कार्य करने के लिए लुभाया जा रहा है। यह स्कीम अनु0 जन जाति युवाओं को आंतकवादी गतिविधियों से दूर रखने में सहायक होगी। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इन गैर सरकारी संगठनों को कल्याण मंत्रालय से अनुदान सहायता मिल रहीं है। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार कों स्कीम के बारे में अनुवर्ती जांच करनी चाहिए ताकि प्रशिक्षित अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के उम्मीदवारों को लाभप्रद रोजगार मिलना सुनिश्चित हो सके।**

उच्च शिक्षा

4.80 यह अत्यंत संतोषजनक बात है कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से वृद्धि हुई है। 1947 में आजादी के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कालेज थे। इस समय देश में 166 केन्द्र/राज्य विश्वविद्यालय, 37 डीमड–विश्वविद्यालय और 9278 कालेज हैं। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों का नामाकंन अनुमानतः 79.5 लाख था। इसके बावजूद उच्च स्तरीय शिक्षा की अवसंरचना में यह पाया गया है कि विभिन्न सामान्य, तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में अनु0 जाति/अनु. जनजाति का नामाकंन संतोषजनक नहीं था। तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में तो स्थिति और भी चौंकाने वाली है इन पाठ्यक्रमों में अनु0 जाति / अनु0 जनजाति की अधिकांश सीटें रिक्त ही रह जाती हैं। इस मुद्दे को राष्ट्रीय अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति आयोग की पहले की रिपोर्टो में मुख्य रूप से उठाया गया था। अनु0 जाति / अनु0 जनजाति की समस्याओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों तथा विभिन्न व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनके कम प्रवेश लेने के कारणों के बारे में अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.81 वर्ष 1978-79 और 1995-96 के दौरान पूर्व–स्नातक, स्नातकोत्तर और तकनीकी पाठ्यक्रमों एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन संबधी आंकड़े आगामी तालिका में दिए गए है : –

तालिका 4.15

बर्ष	विद्यार्थियों की संख्या		
	कुल	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
1978-79	25,43,449	1,80,058 (7.08%)	41,082 (1.62%)
1995-96	79,55,811	10,58,514 (23.31%)	3,57,477 (4.49%)

4.82 उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले 17 वर्षो की अवधि के दौरान पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन में असाधारण वृद्धि दर्ज हुई है जो इन पाठ्यक्रमों में सामान्य विद्यार्थियों के नामाकंन में हुई 3 गुना वृद्धि की तुलना में अनुसूचित जातियों के मामले में 6 गुना और अनुसूचित जनजातियों के मामले में 9 गुना है। इस वृद्धि के बावजूद कुल नामाकंन में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 23.31 % और अनुसूचित जनजातियों के विधार्थियों का नामांकन 4.49 % है।

व्यावसायिक शिक्षा के अलावा उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का नामंकन

4.83 वर्ष 1967-68 में उच्च शिक्षा के लिए नामांकित अनु0 जातिय के विद्यार्थियों की संख्या 1,39,000 थी, वर्ष 1995 के दौरान यह संख्या 4,96,872 हो गई। अतः पिछले 27 वर्षो के दौरान तीन गुना वृद्धि हुई है।

4.84 **अनुबंध-VIII** से यह देखा जा सकता है कि अनु0 जाति के विद्यार्थियों का सबसे अधिक नामाकंन महाराष्ट्र में 1,08,022 (21.74%) दर्ज किया गया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश 69,178 (13.92%) तमिलनाडु 44,936 (9.04%) आन्ध्र प्रदेश–38,174 (7.68%) कर्नाटक 38,410 (7.63%) गुजरात 33,779 (6.80%) का स्थान आता है और पश्चिम बंगाल में 25,117 (5.06%) कुल मिलाकर 9% से लेकर 5% तक नामाकंन दर्ज किया गया। जिन राज्यों में 1% से भी कम अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा नामांकन कराया गया है : – अरूणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेधालय, सिक्किम, त्रिपुरा तथा संघ राज्य शासित क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा पांडिचेरी। **अतः जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनु0 जातियों के विद्यार्थियों का नामांकन 5% से भी कम है, उन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यथोचित उपाय करने चाहिएं ताकि अनु0 जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा में आसानी से प्रवेश मिल सके।**

व्यावसायिक शिक्षा के अलावा उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामंकन

4.85 वर्ष 1967-68 के दौरान उच्च शिक्षा के लिए नामाकिंत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या 26,000 थीं। वर्ष 1995 के दौरान यह सख्या 1,70,239 हो गई, जो कि पिछले 27 वर्षो के दौरान दर्ज हुई वृद्धि का 6 गुना थी।

4.86 **अनुबंध-VIII** से यह पता चलता है कि अनु0 जनजाति के छात्रों का सबसे अधिक नामाकंन गुजरात 33,282 (19.55%) में दर्ज किया गया इसके बाद असम 23,024 (13.52%), और महाराष्ट्र 21,203 (12.45%), मध्य प्रदेश 14,275 (8.39%), बिहार 11,349 (6.67%) कर्नाटक 10,393 (6.10%) का स्थान आता है, और राजस्थान में 9,677 (5.68%), कुल मिलाकर 8 से 5% तक नामांकन दर्ज किए गए। केरल, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं संध राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में 1% से कम नमांकन दर्ज किया गया है। **इस प्रकार उच्च शिक्षा में अनु॰ जनजाति के विद्यार्थियों का 5% से भी कम नामाकंन दर्ज करने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनो तथा विशेष रूप से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को अनु॰ जानजाति के विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग सुविघाएं प्रदान करनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर अच्छे छात्रावास तथा स्कूली सुविधाएं प्रदान करने से भी नामांकन मे मदद मिलेगी।**

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश

4.87 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य आरक्षण के आधार पर अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के उम्मीदवारों का पाठ्यक्रमवार प्रवेश और नियुक्ति के बारे में आधारभूत सूचना एकत्र करना है। भारत में 176 विश्वविद्यालय और 39 सम (डीमड) विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ओर 22 सम (डीमड) विश्वविद्यालयों के संबध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई जानकारी **अनुबंध -4.IX** में देखी जा सकती है। **अनुबंध 4-IX** से यह भी देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति (16.33%) और अनुसूचित जनजाति (8.08%) की जनसंख्या को देखते हुए कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर अधिकांश विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा छात्रावासों में अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (14.78%) विश्व भारती (17.6%) और गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (14.5%) में गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनु॰ जाति के छात्रों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक बताया गया है। जिन सम (डिमड) विश्वविद्यालयों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनु॰ जाति के छात्रों का प्रतिनिधित्व बेहतर बताया गया है वे हैं दयालबाग शैक्षिक

संस्थान (20.7%) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (17.1%) और गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान (16.8%)। जहां तक छात्रवासों में अनु॰ जाति के छात्रों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है हैदराबाद विश्वविद्यालय (17.95%) विश्वभारती (22.9%) और टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टाटा इस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्स) (20.10%) में स्थिति बहुत अच्छी है।

4.88 अनु॰ जनजातियों से संबंधित स्थिति को देखकर यह पता चलता है कि गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों मे केवल नागालैंड विश्वविद्यालय (98.1%) को छोड़कर, अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में या तो प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों में अनु॰ जनजाति के छात्रों की स्थिति की सूचना ही नहीं दी या फिर इनमें अनु॰ जनजाति के छात्रों की संख्या उनकी जनसंख्या (8.08%) की तुलना में कम रही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में केवल एन॰ई॰एच॰यू में अनु॰ जनजाति के छात्रों का प्रतिनिधित्व (67.4%) अच्छा रहा है। नागालैंड विश्वविद्यालय 97.2% एन॰ई॰एच॰यू (58.3%), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (8.0%) के छात्रावासों में अनु॰ जनजाति छात्रों की संख्या अच्छी बताई गई है।

4.89 उपर्युक्त पैराग्राफों में किये गए वर्णन से यह स्पष्ट है कि व्यावसायिक तथा गैर–व्यावायिक पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा में अनुजाति अनु॰ जनजाति के छात्रों का नामांकन बहुत अधिक नहीं है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें प्राइमरी, मिडिल तथा सेकेंडरी स्तरों पर और अधिक जोर देना होगा। केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर स्कीमों की तो अधिकता है किन्तु इनके कार्यान्वयन की गति अत्यधिक धीमी प्रतीत होती है। **अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर की शिक्षा तक इस बात के लिए अधिक दबाव डालें कि प्रतिभाशाली छात्रों का चयन किया जा सके और उन्हें विभिन्न तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलवाया जा सके। कॉलजों तथा अन्य विशिष्ट संस्थाओं में विभिन्न पदों के लिए अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के प्रशिक्षित कार्मिकों के अभाव की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम अपने तंत्र हो प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय बनाएं।** इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनु॰जा॰/अनु॰ जनजाति आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कॉलेजों के प्राचार्यो के साथ जनवरी 1997 में एक बैठक आयोजित की और अध्यापन कार्यो तथा गैर–अध्यापन पदों में अनु॰जा॰/अनु॰जन॰जा॰ के प्रतिनिधित्व की स्थिति की समीक्षा की आयोग ने विभिन्न पदों पर अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति को प्रतिनिधित्व के बारे में अपना असंतोष प्रकट किया। स्थिति की समीक्षा करते समय यह टिप्पणी भी दी गई कि **दिल्ली विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह प्रवेश के स्तर पर ही आरक्षण की नीति अपनाएं और अनु॰जा/जन॰जाति के छात्रों को प्रोत्साहन तथा आवशक कोचिंग और वित्तीय सहायता प्रदान करे, ताकि वे विश्वविद्यालयों में अध्यापन, पदों के लिए होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। यह सुझाव देश के अन्य राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर भी लागू होता है।**

आयोग ने इस बात पर भी अब बल दिया कि विश्वविद्यालय तथा कॉलेज छात्रावासों प्रवेश मे अनुवीक्षण के (मानीटर) के लिए तथा अध्यापन/गैर-अध्यापन पदों मे भर्ती तथा उनके लिए कोचिंग सुंविधाएं देने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनु॰जा॰/अनु॰ जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने चाहिए।

4.90 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिव के साथ आयोजित एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय अनु॰जा॰/अनु॰जनजाति आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में अध्यापन तथा गैर अध्यापन पदों में अनु॰जा॰/अ ज॰जा॰ के कम प्रतिनिधित्व पर रोष प्रकट किया। **यह इच्छा जाहिर की गई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों मे अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करे और इस बात पर बल दिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के लिए विषय-वार प्रवेश के बारे में सूचना एकत्र करे। यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चाहिए कि वह मुख्यालय में अपने प्रकोष्ठ को भी सुदृढ़ बनाएं और यह सुनिश्चित करे कि वर्षवार आकंडे नियमित रूम मे एकत्र किये जाते है ताकि इससे केन्द्र तथा राज्य स्तर पर नीति तैयार करने की योजना बनाई जा सके।**

अनु॰जा॰/जनजाति के स्कूली बच्चों को परेशान किए जाने के विशिष्ट मामले जिनकी सूचना आयोग को दी गई थी।

4.91 सुविधाओं के अभाव के अतिरिक्ति, अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰जाति के विद्यार्थियों को विभिन्न राज्यों मे स्कूल प्राधिकरियों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। रिपोर्टाधीन वर्षो के दौरान शैक्षिक संस्थाओं मे विभिन्न ज्यादतियों के सबंधं में आयोग को जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए उनमे से 20 (35%) स्कूलों में की जा रही ज्यादतियों से संबंधित थे। जिस प्रकार की ज्यादतियों की सूचना दी गई, वे इस प्रकार है :—

4.92 दिल्ली के एक स्कूल मे पहली कक्षा में इस आधार पर प्रवेश नहीं दिया गया कि स्कूल उस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता जहां वह बच्चा रहता है। केन्द्रीय विद्यालय, उड़ीसा में अनु॰ जाति की एक लड़की को यह बहाना बनाते हुए तीसरी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया कि स्कूल में सीट नहीं है, इसी प्रकार अनु॰ जाति के एक लड़के की केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली द्वारा पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया गया। अनु॰ जा॰ के एक अन्य लड़के को लखनऊ मं एक प्राइवेट स्कूल में और केन्द्रीय विद्यालय देहरादून में पहली कक्षा में प्रवेश देने से इन्कार कर दिया। ऐसे कई मामले है जहां अनु॰ जा॰ के माता—पिता अपने बच्चों को उड़ीसा तथा दिल्ली के बेहतर स्कूलों में प्रवेश दिलवाना चाहते थे किन्तु उनके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया

गया एक मामले में, अनु॰ जाति के विद्यार्थी को, जिसने 1996 में सी॰ बी॰ एस॰ ई॰ की दसवीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की थी इस आधार पर ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया कि उसने कुल 50% अंक प्राप्त नहीं किए थे। अनु जाति के एक लड़के को केन्द्रीय विद्यालय, अजमेर में कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश नहीं दिया गया, हालांकि सैनिक स्कूल में पढ़ते हुए उसने दसवीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त किए थे। दिल्ली का एक अन्य अनु॰ जाति का छात्र, जो वर्ष 1995-96 में दसवीं कक्षा में कम्पार्टमेंट परीक्षा मे फेल हो गया था, उसने 1995-96 मे ही सभी विषय पास कर लिए थे, किन्तु फिर भी उसे केन्द्रीय विद्यालय में ग्याहरवीं कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया।

4.93 दो अन्य मामले है, जिनमें एक मामले में उत्तर प्रदेश के एक अनु॰जाति के छात्र को दसंवीं कक्षा में छात्रवृत्ति की राशि संवितरित नहीं की गई क्योंकि जिला समाज कल्याण विभाग ने 1996 तक राशि जारी नहीं की थी, और एक अन्य मामले मे राजस्थान की एक अनु॰जाति की लड़की को, जो आवेदन पत्र देने की अंतिम तारीख से भी पहले स्कूल प्राधिकारी के पास गई थी, इस आधार पर मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति परीक्षा मे बैठने की अनुमति नहीं दी गई कि उसे आवेदन--पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम तारीख को स्कूल आना चाहिए था। मध्य प्रदेश के अनु॰ जनजाति के छात्र को ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में इस आधार पर छात्रवृत्ति नहीं दी गई कि मध्य प्रदेश में भारत सरकार की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। राजस्थान में राज्य प्राइमरी स्कूल, जयपुर में पढ़ रही अनु॰ जाति की छात्राओं को छोड़कर अन्य सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई थी।

4.94 ऐसे कुछ अभ्यावदेन हैं जिनसे स्कूल के प्राधिकारियों और प्रशासन की लापरवाही का पता चलता है जैसे बताया गया है कि तमिलनाडु में मजदूर कल्याण स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद भी दो महीने तक बंद रहा। यह आरोप लगाया गया है कि स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हालत में नहीं है और उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है, और स्कूल के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें अपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसी तरह, बताया गया है कि, तमिलनाडु के एक सहायता प्राप्त हायर सैकेंडरी स्कूल मे कक्षाओं के लिए कमरे शौचालयों, पीने के पानी, प्रयोगशाला आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। स्कूल प्राधिकारी द्वारा परेशान किए जाने का एक अन्य ज्वलंत उदाहरण आगरा में लड़कियों के हाई स्कूल की प्रिंसिपल का है, जिन्होंने अपने स्कूल की अनु॰ जाति की सभी 400 छात्राओं को एक दूर के स्कूल मे स्थानांतरित कर दिया जिससे छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि यह स्कूल उनके घर से बहुत अधिक दूरी पर था। पूर्वाग्रह का एक अन्य उदाहरण बताया गया, कि उ॰ प्र॰ में देवती में एक केन्द्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने दसवीं कक्षा के एक अनु॰ जाति के छात्र को इस आधार पर बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह छात्र पढ़ाई में कमजोर था। अतः वह हाई स्कूल की

परीक्षा पास हीं कर पाएगा। एक अन्य मामले में एक अनुजाति छात्र को स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया और इसके लिए उससे पैसे मांगे गए। जब आयोग ने इस मामले मे हस्तक्षेप कर उस छात्र को यह प्रमाण पत्र दिलाया तब इतनी देर हो गई थी कि समय बीत जाने के कारण उसे सेना में नौकरी नहीं मिल पाई। काम करने वाले छात्रों को पढ़ाई जारी रखने की सुविधा देने के लिए नेशनल ओपन स्कूल खोला गया था। पहले विश्वविद्यालय 20% रू॰ रजिस्ट्रेशन फीस और 25% रू॰ प्रति विषय परीक्षा फीस लिया करता था। इस समय रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाकर 400/- रू॰ ओर परीक्षा फीस 50/- रू॰ प्रति विषय कर दी गई है। ऐसा करने से नेशनल ओपन स्कूल खोलने का उद्‌देश्य ही विफल हो गया है। हरियाणा में अनु॰ जा॰ के एक छात्र ने नेशनल ओपन स्कूल में अपना फार्म तथा पूरी फीस जमा कारवाई प्राधिकारियों ने उसका आवेदन पत्र रद्‌द कर दिया और उसे सूचित किया गया कि उसकी फीस लौटा दी जाएगी किन्तु आज तक स्कूल ने उसकी फीस नहीं लौटाई है। बिहार ने चंपारन जिले में अनु॰ जाति के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा, 1995 का परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वे अध्यापकों को दिया जाने वाला कम वेतन प्राप्त कर रहे है।

4.95 ये कुछ नकारात्मक पहलू हैं जो आयोग के ध्यान में आए हैं। देश में इस तरह तंग किए जाने के और भी कई मामले होंगे जिनकी सूचना प्राप्त नहीं होती है। ये सभी बातें अनु॰ जाति/जनजाति व्यक्तियों के लिए बेहतर स्कूली शिक्षा के विकास में भी बाधक बनती हैं। **अतः स्कूल के प्राधिकारियों व अध्यापकों के इस तरह के नकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।**

कॉलेज में पढ़ने वाले अनु॰ जाति और जनजाति के छात्रों द्वारा झेली जाने वाली परेशानियां

4.96 आयोग को रिपोर्ट की अवधि के दौरान कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में हुए भेदभाव से संबंधित कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनमें से कुछ की चर्चा आगे की गई। यह देखा गया है कि कई मामलों में कॉलेजा के प्राधिकारी अनु॰ जा॰/अनु॰ जनजाति छात्रों के दाखिले के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के अनु॰ जा॰/अनु॰ज॰जा॰ प्रकोष्ठ के अनुदेशों का अनुपालन नहीं करते। नियमानुसार अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ छात्रों को स्कूल पास करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित अनु॰ जा॰/ज॰जा॰ प्रकोष्ठ में अपना नाम दर्ज करवाना होता है। प्राप्त अंको के आधार पर यह प्रकोष्ठ छात्रों द्वारा उल्लिखित विषयों के संकाय क कॉलेज विशेष में दाखिले के लिए उन्हें पर्ची वितरित करता है। उस पर्ची के आधार पर कॉलेजों को उन छात्रों को अपने यहां दाखिला देना होता है। लेकिन ऐसे कई मामलों की सूचना मिली है कि कॉलेज यह प्रक्रिया नहीं अपनाते और अनु॰ जा/अनु॰ज॰जा॰ के छात्रों को परेशान किया जाता है। और उन्हें उन

कॉलेजो में दाखिला नहीं दिया जाता जिनके लिए अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ प्रकोष्ठ द्वारा पर्ची जारी की गई थी । कुछ मामलों के विवरण नीचे दिए गए है :–

4.97 अनु॰ जाति की एक लड़की को माता सुन्दरी कॉलेज, दिल्ली में बी॰ ए॰ प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए पर्ची दी गई थी। उसे दाखिला नहीं दिया गया और परेशान किया गया। बाद में आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने पर उसे दाखिला दिया गया। इस संबंध में 24.6.96 के राष्ट्रीय सहारा में एक समाचार छपा था। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि दिल्ली के कई कॉलेजों जैसे सेंट स्टीफैन्स, हिन्दू, श्रीराम और अम्बेडकर, ने विश्वविद्यालय ने नियमों का उल्लंधन किया। यह जानकारी भी मिली कि 55% तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी दाखिला देने से इन्कार कर दिया जाता है। इसके लिए बताए गए कारणों में से एक कारण था कि अनु॰ जा॰ के एक छात्र के पास बारहवीं कक्षा की परीक्षा में गणित एक विषय कं रूप में नहीं था। एक अन्य मामले में अनु॰ जा॰ के एक छात्र को इस आधार पर श्रीराम कालेज आफ कॉमर्स मे बी॰ काम (आनर्स) में दाखिला नहीं दिया गया कि "गैप वर्ष" समाप्त हो चुका है। पत्रकारिता पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा के बाद अनु॰ जा/ज॰ जा॰ के 2700 विद्यार्थियों को पंजीकरण पर्ची दी गई जिनमें से 500 विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया और केवल 400 विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल सका।

4.98 व्यावसायिक स्कूलों और कॉलेजों मे प्रवेश के समय अंको में छूट संबंधी नियमों का उल्लघंन करने के बारे में कुछ मामलों की सूचना भी दी गई है। जैसे, बताया गया है कि अनु॰ जाति के एक विद्यार्थी को साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर आंध्र प्रदेश में एक विधि विद्यालय में प्रवेश देने से इन्कार किया गया। विधि पाठ्यक्रम के लिए पात्रता की शर्त यह थी कि सभी मूल (कोर) विषयों में 50% अंक होने चाहिए। उसने 48% अंक प्राप्त किए। फिर भी उसे परीक्षा मे बैठना पड़ा और अंततः उसे प्रवेश नहीं दिया गया। आंध्र प्रदेश के अनु॰ जा॰ के एक छात्र ने बताया कि शोध करने के लिए राज्य नेट (एन ई टी) और यू॰ जी॰ सी नेट (एन ई टी) मे बैठने वाले अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰ जा॰ के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को अंकों में छूट देने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता।

4.99 यह भी जानकारी दी गई थी कि कई राज्यों मे कॉलेज प्राधिकरण प्रवेश के लिए अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰ जा॰ के छात्रों को परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए अनु॰ जा॰ के एक विद्यार्थी ने वर्ष 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय मे बी॰ फॉर्मेसी के लिए आवेदन पत्र भरा था, किन्तु, बिना कोई कारण बताए हुए उसे प्रवेश देने से इन्कार किया गया। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद ही उसे बी॰ फार्मेसी मे दाखिला मिल सका। ऐसे मामले भी हैं जिनमे अनु॰ जा॰ के छात्रों को कॉलेजों में दोबारा प्रवेश लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक अन्य मामले में दिल्ली के एक अनु॰ जा॰ छात्र को कॉलेज मे प्रवेश देने से इन्कार किया गया और मई 1996 मे होने वाली अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह

बीमार होने कारण फरवरी में 1996 में हुई परीक्षा में नहीं बैठ पाया था। महाराष्ट्र के एक अन्य अनु॰ जा॰ छात्र को एल॰एल॰बी॰ में प्रवेश देने से इन्कार किया गया क्योंकि वह एम॰एम॰सी॰ (विज्ञान निष्णात) का ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी सी) प्रस्तुत नहीं कर था। अनु॰ जा॰ के एक छात्र को बारहवीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के बाद भी विकलांग जन संस्थान (इंस्टीटयूट) ऑफ फिजीकली हैंडीकैप्ड नई दिल्ली द्वारा बी॰एस॰सी॰ (ऑनर्स) फिजीकल थिरेपी और बी एस सी (ऑनर्स) आक्यूपेश्नलथ्रिरेपी में प्रवेश देने से इन्कार किया गया था। अनु॰ जा॰ के एक अन्य विद्यार्थी को परीक्षा और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यह दिल्ली मे पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश नहीं दिया गया और न ही कोई कारण बताया गया। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद अंततः उसका चयन कर लिया गया। अनु॰ जा॰ के एक अन्य छात्र ने सी॰ बी॰ एस॰ ई॰, दिल्ली बोर्ड से वर्ष 1996 में वाणिज्य में बारहवीं की परीक्षा वर्ष 1996 (+2) 72% कुल अंक प्राप्त करके पास की थी। उसने रेवानश। कॉलेज, कटक में +3 वाणिज्य में दाखिले के लिए आवेदन किया किन्तु उसे दाखिला नहीं दिया गया। अनु॰ जनजाति के एक छात्र को हिन्दू कॉलेज दिल्ली में बी॰ कॉम॰ (आनर्स) में दाखिला नहीं दिया गया, हालांकि उसने कॉलेज द्वारा मांगी गई पूर्ण जानकारी दे दी थी। तथापि जब आयोग ने मामला अपने हाथ में लिया तो बाद में उसे प्रवेश मिल गया। यह सूचना दी गई है कि पश्चिम बंगाल मे व्यापार प्रबंध में मास्टर की उपाधि व डिग्री कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है। जम्मू विश्वविद्यालय में डॉक्टोरल फैलोशिप/रिसर्च फैलोशिप में आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जाता और अनु॰ जा॰/ज॰ जा॰ के छात्रों को उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों मे दाखिला नहीं दिया जाता, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मे अनु॰ जा॰ के एक छात्र को इस आधार पर पी॰एच॰डी॰, जीव विज्ञान मे प्रवेश नहीं दिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जब तक विज्ञान पाठ्यक्रमों के संबंध मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्पष्ट अनुदेश प्राप्त नहीं हो जाते।

4.100 उत्तर प्रदेश में दो मामलों मे इंडस्ट्रीयल इंस्ट्रूमेंटेशन डिप्लोमा कोर्स के अनु॰ जाति के छात्रों को 500/- रू॰ देने पड़े और उन्हें बताया गया कि अनु॰जा॰/अनु॰ ज॰ जा॰ के लिए फीस में छूट रोक दी गई थी। बी॰ टेक॰ के एक अनु॰ जा॰ के विद्यार्थी को बी॰ आर अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, जबलपुर द्वारा छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी, एक अनु॰ जा॰ छात्रा को एम फार्म की परीक्षा मे प्रथम श्रेणी पाने के बावजूद भी अनुसंधान अध्येतावृत्ति (रिसर्च फैलोशिप) नहीं दी गई और इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया जबकि उसने इसके लिए तीन बार आवेदन पत्र भरा था। एक अभ्यावेदन में यह आरोप लगाया गया है कि मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति के लिए केन्द्र प्रयोजित स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि का बिहार में दुरूपयोग किया जा रहा था, एक अभ्यावेदन में यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के रूप में 5000/- रू॰ की मंजूरी दी गई थी और उसे इसके लिए एक चैक जारी किया गया

था। किन्तु उसे आज तक उसे छात्रवृत्ति की यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। अखिल भारतीय अनु॰ जा॰/ज॰ जा॰ और मंत्रालय कर्मचारी कल्याण संस्था महासंघ, दिल्ली ने शिकायत की है कि मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति स्कीम की संशोधित दरें लागू नहीं की जा रही हैं।

4.101 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एम॰ फिल॰ और पी॰ एच॰ डी॰ पाठ्यक्रमों में आरक्षण नीति लागू न करने का एक मामला आयोग के ध्यान में लाया गया था। हिन्दी में एम॰ ए॰ पास करने वाले कुछ अनु॰ जा॰ के छात्रों ने उत्तर कैम्पस में हिन्दी में एम॰फिल॰ पाठ्यक्रम के लिए आवेदन पत्र भरे थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार अनु॰ जा॰ एवं अनु॰ जनजाति के लिए आरक्षण सभी स्तरों पर सभी पाठ्यक्रमों के लिए 30 सीटों में से 5 सीटें अनु॰ जा॰ व 2 सीटें अनु॰ ज॰ जा॰ के लिए आरक्षित की जानी थी, किन्तु बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के विभागाध्यक्ष ने अनु॰ जा॰ के केवल 3 ही सदस्यों को दाखिला दिया हैं। अतः यह अनु॰ जा॰ और जनजातियों के लिए बनाई गई आरक्षण नीति के उल्लघंन का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है। **आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय से आग्रह किया है कि वह जल्दी से जल्दी शैक्षिक परिषद् के निर्णय पर पुनर्विचार करे और शीघ्रतिशीघ्र एम॰ फिल॰/पी॰ एच॰ डी॰ पाठ्यक्रमों में आरक्षण दे। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वे एम॰ फिल॰ पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण संबंधी निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करे।**

4.102 यह बताया गया है कि अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰ जा॰ के लिए 1984 में स्थापित अम्बेडकर दिल्ली हॉस्टल सुविधाएं प्रदान नहीं करता और वहां हॉस्टल की धनराशि का दुरूपयोग किया जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि उसे स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी॰सी॰) इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि कॉलेज नें 400/- रू. के चंदे की मांग की थी और वह चंदे की राशि जमा नहीं करवा सका। पश्चिम बंगाल में इसी तरह के एक मामले में अनु॰ जाति के एक छात्र को परवर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई और जब उसने होटल प्रबंधन पाठ्यक्रम में दोबारा प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र भरा तो उसे प्रवेश देने से इंकार किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी में 45 अनु॰ जा॰ / अनु॰ ज॰ जा॰ छात्रों में से किसी को भी प्रवेश–पत्र (एड्मिट कार्ड) नहीं दिया गया था और यह आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने, अपने पक्षपाती व्यवहार के कारण सभी उम्मीदवारों को फेल कर दिया। पंजाब विश्वविद्यालय और राजस्थान में भी परीक्षकों पर, विद्यार्थियों को अंक देते समय, इस तरह का भेदभाव बरतने के आरोप लगाए गए हैं।

4.103 यह देखा गया है कि अनेक विश्वविद्यालय अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰ जा॰ के छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं करते। विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थाओं की ओर से यह महत्वपूर्ण

है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये विभिन्न दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इससे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर बेहतर होने के साथ–साथ उनकी पेरशानियां भी कम हो जाएंगी। **आयोग का सुझाव है कि नवीं योजना के दैरान अनु॰ जा॰/अनु॰ ज॰ जा॰ छात्रों को दी गई उच्चतर शैक्षिक सुविधाएं वस्तुतः दिए जाने और विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं।**

प्रमुख सिफारिशों का साराशं

4.104 शिक्षा क्षेत्र के संबंध मे निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैः—

स्कूली शिक्षा

1. स्कूलों, आंगनवाड़ियों तथा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों और सुविधाओं के बीच संयोजन स्थापित किए जाने चाहिए। यदि, आंगनवाड़ियां स्कूलों के पास ही हों तो वे शिशु सदन (क्रेच) और स्कूल जा रहे बच्चों के लिए स्कूल के बाद उनकी देखभाल करने वाले केन्द्रों के रूप मे कार्य कर सकती हैं। इस तरह की सहायता प्रणाली होने पर महिलाएं अपने सहोदर भाई एवं बहनों व स्कूल जा रहे बच्चों को ऐसे स्थानों पर छोड़कर स्वयं काम के लिए जा सकेंगी। इससे स्कूल में प्रवेश लेने वालों की संख्या बढ़ेगी और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर स्कूल से निकलने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाएगी।

2. प्रत्येक गांव में शिक्षा–सुविधा प्रदाने करने के लिए जनजातिय क्षेत्रों मे प्राथमिकता आधार पर प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए। शिक्षा के लिए सामान्य धनराशि और जवाहर रोजगार योजना, जनतीय कल्याण स्कीमों आदि से धनराशि लेकर स्कूल के भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

3 ब्लॉक स्तरों पर आश्रम सहित आवासीय स्कूल (माध्यमिक तथा उससे ऊपर के स्तर पर) उपलब्ध करवाये जाने चाहिए तथा उन नगरों तथा शहरी क्षेत्रों में हॉस्टल स्थापित किए जाने चाहिए जहां उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। माता–पिता के साथ बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए इन विद्यालयों में अधिमान्यतः प्रोढ़ साक्षरता की कक्षाएं भी शुरू की जानी चाहिए।

उच्चतर शिक्षा

4 तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ राज्यों में दी गई मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्तियां मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्रियों से कम होती हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे धनराशि के पर्याप्त न होने पर इसी से मिलती–जुलती अनुदान राशि का उपयोग करें। चूंकि राज्य सरकारें धन के अभाव के कारण उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती जिनके प्रति वह वचनबद्ध है और केन्द्र सरकार वित्त मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा लगाए गए कड़े वित्त नियंत्रण के कारण धन मुहैया नहीं करवा रहीं है, अतः अनु. जाति और जनजाति के लड़कों व लड़कियों को मैट्रिक पश्चात् तथा मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान न होने के कारण पेरशानियां झेलनी पड़ती है। अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्यों को अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पश्चात तथा मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां देने के लिए आवश्यक गैर योजना निधि वित्त आयोग पंचाट (एवार्ड) के रूप में दी जानी चाहिए। यदि राज्य गैर योजना निधि में से आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहते है तो केन्द्र सरकार अनु॰ जातियों और अनु॰ जनजातियों के शैक्षिक विकास तथा उनके हितों की रक्षा के लिए इन स्कीमों के अधीन राशि देना जारी रखेगी।

5. उच्चतर शिक्षा में अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के पांच प्रतिशत से कम विद्यार्थियों का नामांकन करने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को और विशेषकर अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ की अधिक जनसंख्या वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को चाहिए कि वे अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के विद्यार्थी के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं मुहैया करवायें। आयोग सिफारिश करता है कि नवीं योजना के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी गई उच्चतर शैक्षिक सुविधाओं और विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय आरक्षण दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं।

शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण

6. 10+2 स्तर से आगे पढ़ाई के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ताकि अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के लिए रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान किए जा सके। आवश्यकता इस बात है कि रोजगार की मौजूदा तथा भविष्य की जरूरतों का पता लगाया जाए तथा अुन॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के छात्रों को ऐसा व्यवसायों में कुशल बनाया जाए जो उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के छात्रों

को विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट पाठ्यक्रमों में फीस में रियायत तथा आरक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि वे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने की सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

लड़कियों की शिक्षा तथा छात्रावास

7. लड़कियों के नामांकन मे सुधार लाने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके सहोदर भाई बहनों तथा स्कूली बच्चों की शाम तक देखभाल करने की सुविधाएँ मुहैया करके, प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

8. यह पाया गया है कि अनेक राज्यों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बहुत कम है और जहां हॉस्टल थे, वहां उनमें सुविधाएं न के बराबर थीं। अतः इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि समय पर बराबर की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कल्याण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाए ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हॉस्टल के भवनों के समुचित रखरखाव तथा शिक्षा के लिए प्रेरक समुचित सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उचित कदम उठा सकें।

साक्षरता दरें -1991

परिशिष्ट - 4.I

(संदर्भ पैरा - 4.7)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
1	आंध्रप्रदेश	44.9	55.13	32.72	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
2	अरूणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69	57.27	66.25	41.42	34.45	44.00	24.94
3	असम	52.89	61.87	43.03	53.94	63.88	42.99	49.16	58.93	38.98
4	बिहार	38.48	52.49	22.89	19.49	30.64	7.07	26.78	38.40	14.75
5	गोवा	75.51	83.64	67.09	58.73	69.55	47.51	42.91	54.43	29.01
6	गुजरात	61.29	73.13	48.64	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.20
7	हरियाणा	55.85	69.10	40.47	39.22	52.06	24.15	-	-	-
8	हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.17	53.20	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
9	जम्मू और कश्मीर	-	-		-	-	-	-	-	-
10	कर्नाटक	56.04	67.26	44.34	38.06	46.69	25.95	36.01	47.95	23.57
11	केरल	89.81	93.62	86.17	79.66	85.22	74.31	57.22	43.38	51.07
12	मध्यप्रदेश	44.20	58.42	28.85	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
13	महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32	56.46	70.45	41.59	36.79	49.09	24.03
14	मणीपुर	59.89	71.63	47.60	56.44	65.28	47.41	53.63	62.39	44.45
15	मेघालय	49.10	53.12	44.85	44.27	54.56	31.19	46.71	49.58	43.63
16	मिजोरम	82.27	85.61	78.60	77.92	77.54	81.25	82.71	86.66	78.70
17	नागालैण्ड	61.65	67.62	54.75	-	-	-	60.59	66.27	54.51
18	उडीसा	49.09	63.09	34.68	36.78	52.42	20.74	22.31	34.44	10.21
19	पंजाब	58.51	65.66	50.41	41.09	49.82	31.03	-	-	-
20	राजस्थान	38.55	54.99	20.44	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
21	सिक्किम	56.94	65.74	46.69	51.03	58.69	42.77	59.01	66.80	50.37
22	तमिलनाडु	62.66	73.35	51.33	46.74	58.36	34.89	27.89	35.25	20.23
23	त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
24	उत्तर प्रदेश	41.60	55.73	25.31	26.85	40.80	10.69	35.70	49.95	19.86
25	पश्चिम बंगाल	57.70	07.81	46.56	42.21	54.55	28.87	27.78	40.07	14.98
26	अंडमान और निकोबार	73.02	78.99	65.46	-	-	-	56.62	64.16	48.74
27	चण्डीगढ़	77.81	82.04	72.34	55.44	64.74	43.54	-	-	-
28	दादर नगर हवेली	40.71	53.56	26.98	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15.94
29	दमन और द्वीव	71.20	82.66	59.40	79.18	91.85	67.62	52.91	63.58	41.49
30	दिल्ली	75.29	82.01	66.99	57.60	68.77	43.87	-	-	-
31	लक्षद्वीप	81.78	90.98	72.89	-	-	-	80.98	89.50	71.72
32	पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63	56.26	66.10	46.28	-	-	-
	भारत	52.21	64.13	39.29	37.41	49.91	23.76	29.60	40.65	18.19

स्रोत–1991 में हुई भारत की जनगणना, अन्तिम जनसंख्या जोड़ (1992का पेपर 2) और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई।

अनुबंध-4.1
(संदर्भ पैरा 4.11)

1961,1971,1981 एवं 1991 के दौरान अनुसूचित जाति की राज्य संघ/राज्य क्षेत्रवार साक्षरता दर

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1961	1971	1981	1991
1	आंध्रप्रदेश	8.47	10.66	17.64	31.59
2	अरूणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	36.28	37.14	57.27
3	असम	24.41	25.79	उपलब्ध नहीं	53.94
4	गोवा	NA	.	.	58.73
5	बिहार	5.9	6.53	10.4	19.49
6	गुजरात	22.46	27.69	39.78	61.07
7	हरियाणा	उपलब्ध नहीं	12.6	20.14	39.22
8	हिमाचल प्रदेश	8.47	18.82	21.5	53.2
9	कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	13.89	20.59	38.06
10	केरल	24.44	40.21	55.96	79.66
11	मध्यप्रदेश	7.89	12.49	18.97	35.08
12	महाराष्ट्र	15.78	25.27	35.56	56.46
13	मणिपुर	22.37	26.44	33.63	56.44
14	मेघालय	उपलब्ध नहीं	25.66	25.78	44.27
15	मिजोरम	0	48.44	77.92	
16	नागालैण्ड				
17	उडीसा	11.57	15.61	22.41	36.78
18	पंजाब	9.64	16.12	23.66	41.09
19	राजस्थान	6.44	9.14	14.04	26.29
20	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	17.42	28.06	51.03
21	तमिलनाडु	14.66	21.82	29.67	46.74
22	त्रिपुरा	13.42	20.51	33.89	56.66
23	उत्तर प्रदेश	7.14	10.2	14.96	26.85
24	पश्चिम बंगाल	13.58	17.8	24.37	42.29
25	अंडमान और निकोबार				
26	चण्डीगढ़	उपलब्ध नहीं	24.38	30.07	55.94
27	दादर नगर हवेली	26.6	33.18	51.2	77.64
28	दिल्ली	20.86	28.15	39.3	57.6
29	गौरा दमन और द्वीप	उपलब्ध नहीं	26.14	38.38	79.18
30	लक्ष्यद्वीप				
31	पांडिचेरी	11.11	18.17	37.36	50.26

1961,1971,1981 एवं 1991 के दौरान अनुसूचित जाति की राज्य संघ/राज्य क्षेत्रवार साक्षरता दर

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1961	1971	1981	1991
1	आंध्रप्रदेश	4.41	5.33	7.82	17.16
2	अरूणाचल प्रदेश		5.2	14.04	34.45
3	असम	23.58	26.02	उपलब्ध नहीं	49.16
4	बिहार	9.16	11.64	16.99	26.78
5	गोवा				42.91
6	गुजरात	11.69	14.12	21.14	36.45
7	हरियाणा				
8	हिमाचल प्रदेश	8.63	15.89	25.93	47.09
9	जम्मू काशमीर				
10	कर्नाटक	8.15	14.85	20.14	36.01
11	केरल	17.26	25.72	31.79	57.22
12	मध्यप्रदेश	5.1	7.62	10.68	21.54
13	महाराष्ट्र	7.21	11.74	22.29	36.79
14	मणिपुर	27.25	28.71	39.74	53.63
15	मेघालय	उपलब्ध नहीं	26.45	31.56	46.71
16	मिजोरम			59.63	82.71
17	नागालैंड	14.76	24.01	40.31	60.59
18	उडीसा	7.36	9.46	13.96	22.31
19	पंजाब				
20	राजस्थान	3.97	6.47	10.27	19.44
21	सिक्किम			33.13	59.01
22	तमिलनाडु	5.91	9.02	20.46	27.89
23	त्रिपुरा	10.01	15.03	23.07	40.37
24	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	14.49	20.45	35.7
25	पश्चिम बंगाल	6.55	8.92	13.21	27.78
26	अंडमान और निकोबार	11.1	17.85	31.11	56.62
27	चण्डीगढ़				
28	दादरा और नगर हवेली	4.4	8.9	16.16	28.21
29	दमन और द्वीव	उपलब्ध नहीं	12.73	26.48	52.91
30	दिल्ली				
31	लक्ष द्वीप	22.27	41.37	53.13	80.58
32	पांडिचेरी				

अनुबंध-4.III
(संदर्भ पैरा 4.16)

1961,1971,1981 और 1991 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुजनजाति के राज्य की राज्य संघ/राज्य क्षेत्रवार महिला साक्षरता

		अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1961	1971	1981	1991	1961	1971	1981	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्रप्रदेश	3.4	7.42	10.26	20.92	1.48	2.13	3.46	8.68
2	अरूणाचल प्रदेश		18.01	22.38	41.42		1.7	7.31	24.94
3	असम	16.09	15.74		42.99	15.72	17.16		38.98
4	बिहार	0.92	10.32	2.51	7.07	3.18	4.85	7.75	14.75
5	गोवा				47.51				
29.01									
6	गुजरात	10.72	14.95	25.61	45.54	4.09	6.15	19.64	24.20
7	हरियाणा		3.09	7.06	24.15				
8	हिमाचल प्रदेश	1.97	9.74	20.63	41.02	1.75	5.53	12.82	31.18
9	जम्मू काशमीर	1.09	4.18	11.7	-				
10	कर्नाटक	3.04		11.55	25.95	2.81	7.67	10.03	23.57
11	केरल	17.38	33.43	49.73	74.31	11.92	19.4	26.02	51.07
12	मध्यप्रदेश	1.33	3.88	6.87	18.11	0.97	2.18	3.6	10.73
13	महाराष्ट्र	5.7	12.85	21.53	41.59	1.75	4.21	11.94	24.03
14	मणिपुर	12.19	12.96	24.95	47.41	17.67	18.87	30.35	44.48
15	मेघालय		11.91	16.3	31.19		22.79	28.91	43.63
16	मिजोरम			53.33	81.25			55.12	78.7
17	नागालैंड	19.57			-	10.57	18.65	32.99	54.51
18	उडीसा	3.44	5.17	9.4	20.74	1.77	2.58	4.76	10.21
19	पंजाब	2.16	8.16	15.67	31.03				
20	राजस्थान	0.78	1.25	2.69	8.31	0.28	0.49	1.2	4.42
21	सिक्किम	5.69	11.38	18.47	34.89	2.73	4.48	14	0.23
22	तमिलनाडु		9.65	19.65	42.77			22.37	50.3
23	त्रिपुरा	4.1	10.06	23.24	45.45	2.31	5.76	12.27	27.34
24	उत्तर प्रदेश	1.14	2.46	3.9	10.69		10.70	8.69	19.86
25	पश्चिम बंगाल	4.61	9.13	13.7	28.87	1.76	3.09	5.01	14.98
26	अंडमान और निकोबार					6.45	11.01	23.24	48.74
27	चण्डीगढ़		1.21	25.31	43.54				
28	दादरा और नगर हवेली	20.14	24.43	44.47	66.61	0.41	7.84	8.42	15.94
29	दमन और द्वीव		17.38	27.84	67.62		35.09	18.89	41.49
30	दिल्ली	6.80	14.32	25.89	43.82				
31	लक्ष द्वीप					10.61	28.94	42.92	71.72
32	पांडिचेरी	4.38	9.6	21.21	46.28				
	भारत	3.29		1.93	23.76	3.16		8.04	1.19

अनुबंध-**4.IV**
(संदर्भ पैरा **4.23**)

अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 190.90

		प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की दर			माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की दर			सेकंडरी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वालों की दर		
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	आन्ध्र प्रदेश	62.41	67.76	64.72	79.30	86.89	82.63	84.00	88.63	86.00
2	अरूनाचल प्रदेश									
3	असम	48.85	56.80	52.27	65.90	65.18	65.58	63.38	61.09	62.42
4	बिहार	67.53	72.52	68.94	83.3	88.63	84.97	88.12	93.15	89.39
5	गोवा	53.67	51.72	52.81	68.07	73.30	70.42	78.06	84.49	81.07
6	गुजरात	23.05	44.17	32.46	52.35	70.37	60.05	65.19	79.26	71.29
7	हरियाणा	62.41	67.76	64.72	79.30	86.89	82.63	84.00	88.63	86.00
8	हिमाचल प्रदेश	39.10	40.00	39.50	42.04	50.33	45.64	62.85	74.30	67.78
9	जम्मू और कश्मीर	24.50	25.30	24.86	34.67	28.43	32.33	77.68	81.63	79.09
10	कर्नाटक	48.78	57.11	52.54	61.93	80.03	70.99	70.31	81.34	75.03
11	केरल	2.91	5.04	3.94	9.92	7.83	8.91	54.01	47.93	51.05
12	म०प्रदेश	33.44	53.08	41.17	58.87	78.44	65.62	51.87	85.28	61.58
13	महाराष्ट्र	35.30	48.92	41.73	52.17	68.43	59.66	65.84	79.40	71.96
14	मनीपुर	79.80	82.87	81.33	84.29	85.96	85.14	81.31	82.07	81.70
15	मेघालय	20.86	15.00	17.96	69.59	71.81	70.62	18.52	43.08	30.57
16	मिजोरम									
17	नागालेंड									
18	उड़ीसा	57.42	57.32	57.36	74.00	81.24	76.75	78.48	86.47	81.54
19	पंजाब	36.43	41.53	38.72	60.90	69.35	64.66	75.82	83.66	79.34
20	राजस्थान	63.22	71.07	66.02	72.12	85.46	74.99	79.97	81.82	82.07
21	सिक्किम	96.91	67.86	94.76	86.72	85.85	86.33	91.99	90.93	91.51
22	तमिलनाडु	23.14	29.57	26.16	49.03	50.83	19.85	73.39	82.33	77.32
23	त्रिपुरा	56.92	61.63	59.10	72.06	79.14	75.38	85.39	89.58	87.29
24	उ०प्रदेश	30.70	57.41	40.06	59.00	69.88	61.76	68.22	84.58	72.20
25	प०बंगाल	59.30	63.71	61.03	74.66	84.92	79.26	88.15	89.83	88.81
26	अण्डमान और निकोबार									
27	चंडीगढ़	16.33	36.39	25.02	99.58	24.14	60.97	25.49	17.97	21.90
28	दारा और नागर हवेली	45.90	52.94	49.61	16.67	10.34	5.63	44.90	34.15	40.00
29	दमन और दीव									
30	दिल्ली	50.80	55.17	52.82	44.96	53.33	48.81	58.98	73.39	65.36
31	लक्षद्वीप									
32	पांडिचेरी					25.49	14.23	74.30	83.38	77.65
	भारत	46.27	53.86	49.35	64.34	73.24	7.77	74.30	83.38	77.65

अनुबंध-4.V
(संदर्भ पैरा 4.31)

वर्ष 1995-96, के दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, सामान्य विद्यार्थियों की कक्षा I - V और VI -VIII में नामांकन अनुपात

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा (I-V)1995-96,			कक्षा (VI-VIII)1995-96,		
		अनु.जाति	अनु.जनजाति	सामान्य	अनु.जाति	अनु.जनजाति	सामान्य
1	आन्ध्र प्रदेश	131.14	122.96	94.9	55.08	34.6	47.7
2	अरूनाचल प्रदेश	26.2	116.26	110	17	48.9	53.3
3	असम	248.5	184.18	128.8	176.16	104.7	79.1
4	बिहार	77.8	77.4	75.1	26.62	28.34	35.3
5	गोवा	40.4	12.38	95.1	62.79	16.1	89.6
6	गुजरात	182.9	140.91	81.1	97.32	55.3	71.6
7	हरियाणा	107		85.6	57.36		64.2
8	हिमाचल प्रदेश	45.4	101.09	110.8	76.8	66.4	101.8
9	जम्मू और कश्मीर	90.6		81.2	70.34		60.5
10	कर्नाटक	148.5	149.52	127.4	70.04	65	92.6
11	केरल	10.5	121.32	96.9	116.46	100.4	103.3
12	म०प्रदेश	112.2	77.18	101.4	59.19	31.4	68.4
13	महाराष्ट्र	263.3	129.71	122.9	159.53	56.5	85
14	मनीपुर	165	125.38	96.4	92.86	67.9	66.4
15	मेघालय		111.86	114.4		47.2	48.6
16	मिजोरम		125.02	118.1		71	67.4
17	नागालेंड		151.62	127.3		61.7	51.9
18	उड़ीसा	123.7	89.64	95.6	57.29	32.9	56.2
19	पंजाब	132.4	-	91.5	72.65		69.7
20	राजस्थान	85.5	86.84	103.4	50.93	51.7	56.9
21	सिक्किम	108.4	100.35	40.6	47	43.4	50.7
22	तमिलनाडु	165.6	132.15	152.6	98.34	66	109.1
23	त्रिपुरा	145.7	143.95	123.5	65.01	50.9	62
24	उ०प्रदेश	68.8	82.54	89.1	35.7	41	54.7
25	प०बंगाल	123.5	123.09	125.5	70.59	76.8	97.2
26	अण्डमान और निकोबार		48.47	72.9		42.3	71.1
27	चंड़ीगढ़	87.3		38.2	68.83		35.6
28	दारा और नागर हवेली	79.6	116.02	112.7	96	44.9	50.6
29	दमन और दीव			90.8			89
30	दिल्ली	87		72.1	70.83		69.3
31	लक्षद्वीप		136.14	125.3		104	96.6
32	पांडिचेरी	154.4		124.5	157.03		111.3
	भारत	111.91	113.03	104.3	61.33	50.04	67.6

अनुबंध-4.VI

(संदर्भ पैरा 4.35)

अनुसूचित जनजाति, की बीच में ही पढाई छोडने वालों की दर 1990 - 91

		बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की प्राथमिकता स्तर पर दर			बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की माध्यमिक स्तर पर दर			बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की सेंकडरी स्तर पर दर		
		लड़के	**लड़कियां**	**जोड़**	**लड़के**	**लड़कियां**	**जोड़**	**लड़के**	**लड़कियां**	**जोड़**
1	आन्ध्र प्रदेश	66.65	71.95	68.64	85.6	90.92	87.57	90.1	93.3	91.29
2	अरूनाचल प्रदेश	62.21	58.19	60.71	77.67	77.81	77.72	80.32	87.44	82.93
3	असम	65.13	67.1	66	72.15	74.95	73.34	72.11	75.76	73.66
4	बिहार	70.96	71.8	71.26	85.12	86.81	85.71	90.72	92.37	90.99
5	गोवा									
6	गुजरात	53.98	66.51	59.39	75.35	83.26	78.66	84.59	88.9	86.39
7	हरियाणा									
8	हिमाचल प्रदेश	37.4	35.76	36.74	38.51	51.88	43.75	61.94	65.96	63.39
9	जम्मू और कश्मीर									
10	कर्नाटक	55.24	78.71	56.71	41.46	66.7	54.17	66.45	74.56	66.3
11	केरल	9.26	17.22	13.16	34.82	35.85	53.31	68.25	64.11	85.66
12	म०प्रदेश	31	52.27	38.59	67.52	84.47	75.98	81.61	91.79	83.71
13	महाराष्ट्र	56.24	63.88	59.48	70.86	80.25	74.84	80.62	88.19	85.94
14	मनीपुर	77.96	78.8	78.34	84.76	85.82	85.25	85.13	87.18	71.25
15	मेघालय	68	67.95	67.98	78.95	85.14	81.87	71.5	70.96	44.03
16	मिजोरम	57.91	58.37	58.13	76.75	53.81	55.31	45.08	42.29	74.42
17	नागालेंड	45.83	49.23	47.47	61.93	57.95	60.09	75.04	73.56	88.56
18	उड़ीसा	78.03	74.14	76.81	84.39	86.05	84.94	86.84	91.86	
19	पंजाब									
20	राजस्थान	73.01	84.2	75.92	76.83	89.97	79.6	79.8	91.67	81.61
21	सिक्किम	68.22	54.97	62.81	81.6	73.36	78.1	88.09	85.97	87.18
22	तमिलनाडु	37.82	50.55	43.71	51.48	50.89	51.24	62.83	71.4	66.4
23	त्रिपुरा	70.78	73.72	72.03	84.23	86.88	85.34	91.01	94.3	92.37
24	उ०प्रदेश	15.81	64.42	37.31	47.61	74.09	55.47	44.41	77.85	54.06
25	प०बंगाल	62.47.	69.68.	65.07	81.97	88.52	84.2	92.22	92.42	92.28
26	अण्डमान और निकोबार	7.67	17.1	12.09	35.54	30.3	33.2	64.8	64.21	64.54
27	चंडीगढ़									
28	दारा और नागर हवेली	35.79	63.57	48.36	62.31	74.51	67.26	89.19	91	87.09
29	दमन और दीव	गोवा में सम्मिलित								
30	दिल्ली									
31	लक्षद्वीप		10	7.64	29.66	44.92	37.07	69.69	78.12	73.72
32	पांडिचेरी									
	भारत	60.28	66.14	62.52	75.67	82.19	78.57	83.34	87.71	85.01

4	नागालैंड				
	6 नागालैंड विश्वविद्यालय	कुल	161		36
		अनु॰ जाति	1 (0.6)		1 (2.8)
		अनु॰ जन जाति	158		35(97.2)
5.	**पांडिचेरी**				
	7. पांडिचेरी विश्वविद्यालय	कुल	1217		458
		अनु॰ जाति	158 (13)		62 (13.5)
		अनु॰ जन जाति	8 (0.7)		7(1.5)
6.	**उत्तर प्रदेश**				
	8 अलीगढ़ विश्वविद्यालय	कुल	5385	1722	13569
		अनु॰ जाति	66(1.23)	14 (0.8)	28 (0.21)
		अनु॰ जन जाति			01(0.07)
	9 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	कुल	4926	2423	उपलब्ध नहीं
		अनु॰ जाति	728(14.78)	230 (9.48)	उपलब्ध नहीं
		अनु॰ जन जाति	71(1.44)	51 (2.10)	उपलब्ध नहीं
7	**पश्चिम बंगाल**				
	10 विश्व भारती	कुल	738		499
		अनु॰ जाति	130(17.6)	103 (17.6)	114 (22.9)
		अनु॰ जन जाति	26 (3.5)	23 (3.1)	20(4.0)
	11 जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	कुल	1345	-----	2615
		अनु॰ जाति	151 (11.23)	-----	205 (7.80)
		अनु॰ जन जाति	90 (6.68)	------	119 (4.55)
8.	**मेघालय**				
	12 एन॰इ॰एच॰यू॰	कुल	17222	2051	412
		अनु॰ जाति	385 (2.2)	14(0.7)	10 (2.4)
		अनु॰ जन जाति	14647 (85.1)	138 (67.4)	240 (58.3)

			मानित विश्वविद्यालय		
1.	**आन्ध्र प्रदेश**				
	1. सी॰आई॰इ॰एण्ड एफ॰एल॰	कुल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	87
		अनु॰ जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2(2.3)
		अनु॰ जन जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1(1.2)
	2. श्री सत्यााई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निग	कुल	281	70	1112
		अनु॰ जाति	4 (1.4)	आवासीय प्राकर का विश्वविद्यालय	
		अनु॰ जन जाति	1(0.4)	सभी को आवासा दिया जाता है।	
	3 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	कुल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	212
		अनु॰ जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5 (2.4)
		अनु॰ जन जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	10 (4.7)
2.	**दिल्ली**				
	4. जामिया हमदर्द	कुल	53	178	500
		अनु॰ जाति	1 (1.9)	5 (0.6)	11(2.2)
		अनु॰ जन जाति			
	5 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत	कुल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	90
		अनु॰ जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	--
		अनु॰ जन जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	---
3.	**उत्तर प्रदेश**				
	6 दयाल बाग एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट	कुल	588	464	229
		अनु॰ जति	71(12.1)	96(20.7)	14 (6.1)
		अनु॰ जन जाति	1 (0.2)	5(1.1)	2. (0.9)
	7. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट	कुल	------	23	53
		अनु॰ जाति	----	---	---
		अनु॰ जन जाति	----	----	----

4.	**बिहार**				
	8. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची	कुल	74	5.9	आवासीय प्रकार
		अनु० जाति	2 (2.4)	20 (4.0)	
		अनु० जन जाति	4 (5.4)	14 (2.8)	
	9. भारतीय खान संस्थान (इंडियान इंस्टीट्यूट ऑफ माइनस)	कुल	24	266	606
		अनु० जाति		36(13.5)	73(12.0)
		अनु० जन जाति		20(7.5)	49 (7.9)
5.	**हरियाणा**				
	10. हरियाणा डेरी अनुसंधान संस्थान (नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट)	कुल	---	105	257
		अनु० जाति	---	12(17.1)	18(12.7)
		अनु० जन जाति	---	4 (3.8)	4 (1.6)
6.	**कर्नाटक**				
	11. नेशनल इंस्टीयूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यरो–साइंसेज	कुल	---	70	71
		अनु० जाति	---	8 (11.4)	8 (11.3)
		अनु० जन जाति	---	2 (2.9)	2 (2.9)
7.	**मध्य प्रदेश**				
	12. लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पिजिकल एजुकेशन	कुल	---	167	424
		अनु० जाति	---	21(12.6)	63 (14.9)
		अनु० जन जाति	---	4 (2.4)	32(7.5)
8.	**महाराष्ट्र**				
	13. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनोमिक्स	कुल	55	-----	32
		अनु० जाति	2(3.6)	------	2(0.6)
		अनु० जन जाति	2 (3.6)	------	2 (0.6)
	14. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ	कुल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	----
		अनु० जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	----
		अनु० जन जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	----

	15. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन	कुल	-----	48	79
		अनु॰ जाति	-----	1 (2.1)	1 (1.3)
		अनु॰ जन जाति	---	1 (2.1)	1(1.3)
	16. दकल कॉलेज	कुल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	76
		अनु॰ जन	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2 (2.6)
		अनु॰ जन जाति	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1 (1.3)
	17. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोश्ल साइंस	कुल	-----	207	174
		अनु॰ जाति	-----	32(15.5)	35(20.1)
		अनु॰ जन जाति	-----	11 (5.3)	14 (8.0)
9	**पंजाब**				
	18. थापर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसैज	कुल	---	296	623
		अनु॰ जाति	-----	46 (15.5)	90(14.5)
		अनु॰ जन जाति	-----	---	------
				@ छात्रावास में रह रहे अनु॰ ज॰ जाति के छात्रों में शामिल	*छात्रावास में रह रहे अनु॰जाति के छात्रों में शामिल
10.	**राजस्थान**				
	19 जैन विश्व भारतीय इंस्टीट्यूट	कुल	57	लागू नहीं	50
		अनु॰ जाति	---	लागू नहीं	---
		अनु॰ जन जाति	---	लागू नहीं	---
11.	**तमिलनाडु**				
	20. गांधी ग्राम इंस्टीयूट	कुल	390	143	618
		अनु॰ जाति	64 (16.4)	24 (16.8)	89 (14.4)
		अनु॰ जन जाति	----	----	----
	21. श्री अविनाशिलिगंम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन	कुल	916	279	800
		अनु॰ जति	98 (10.7)	14(5.0)	68(8.5)
		अनु॰ जन जाति	2(0.2)		2(0.3)7

अध्याय-V

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियो का आर्थिक विकास

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति की कुल जनसंख्या क्रमशः 1382.280 लाख और 677.58 थी जो देश की कुल जनसख्या (जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर क्रमश 16.37% और 8.08% है। वर्ष 1981की कुल जनसंख्या में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता क्रमशः 15.47% और 7.85% थी। 1981 के दौरान दस वर्षो में अनुसूचित जति (30.04%) और अनुसूचित जनजाति (26.00%) की वृद्वि दर कुल जनसंख्या की वृद्वि दर 23-97% से अधिक थी। 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शहरी अनुपात कुल जनंसख्या के लिए 74.26 था जो अनुसूचित जाति के लिए 81.19 और अनुसूचित जनजाति के मामले में 93.7 था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनंसख्या और साक्षरता का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध 5.I, 5.II और 5.III** और मे दिया गया है।

5.2 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की प्रतिशतता समाज के अन्य वर्गो से कही अधिक है। इस संबंध मे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 1977-78, 1983 और 1987-88 में किए सर्वेक्षणो में से योजना आयोग द्वारा एकत्रित आंकडो को नीचे दोहराया है।

तालिका 5.1

योजना आयोग के पिछले आकलनों के अनुसार 1977-78 से 1987 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कुल जनसंख्या की प्रतिशतता

वर्ष	अनु.जाति	अनु.जन.जाति	कुल जनसंख्या
1977-78	56.30	68.10	48.30
1983-84	50.10	57.20	37.30
1987-88	41.50	49.90	29.90

5.3 योजना आयोग योजना बनाने की प्रक्रिया मे गरीबी के भार का अनुमान लगाता रहा है। सितम्बर, 1989 में इसने गरीबी को अनुमान लगाने के लिए निर्धारित प्रणाली पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया और प्रो.डी.टी. लक्कड़वाला की अध्यक्षता में गरीबो के अनुपात एंवं संख्या के आकलन के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। विशेषज्ञ दल ने गरीबी के आकलन के लिए कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया और जुलाई, 1993 मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर योजना ने 1973-74 से गरीबी के आकलन का संशोधन किया है। संशोधित आकलन नीचे तालिका में दिया है :–

तालिका 5.2

योजना आयोग द्वारा गरीबी का संशोधित आकलन

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित
1973-74	56. 44%	49.01%	54.88%
1977-78	53. 07%	45.24%	51.32%
1983-84	45. 65%	40.79%	44.48%
1987-88	39. 00%	38.20%	38.36%
1993-94	37. 27%	32.36%	35.97%
अ.जा.	48.11%	49.48%	वर्ष 1993-94
अ.ज.जा.	51.94%	41.14%	के लिए

5.4 **तालिका 5.1** में दिए गए योजना आयोग के पहले के आंकडों और योजना आयोग द्वारा अब प्रस्तुत आंकडो से यह देखा जा सकता है कि दोनों आकलनों मे गरीबों की प्रतिशतता में अंतर है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पहले के आंकड़ों में देश में गरीबी के भार का काम अनुमान लगाया। इस अलग से आयोग द्वारा पाया गया कि विशेषज्ञ दल ने अनुसूचित जाति को एवं अनुसूचित जनजातीयों की जनसख्या में गरीबी का आकलन नहीं किया हैं। तथापि, विशेषज्ञ दल की कार्यप्रणाली के आधार पर योजना आयोग ने वर्ष 1993-94 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण एव शहरी गरीबों के अनुमान तैयार किए जो **तालिका 5.2** में दिए गए है। इन अनुमानों से यह स्पष्ट है कि लगभग आधी अनुसूचित जाति जनसंख्या और 50% से अधिक अनु. जन.जाति जनसंख्या का अधम गरीबी की स्थिति में रहना जारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग सरकार से आग्रह करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में गरीबो का नियमित आधार पर आकलन किया जाए ताकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के उत्थान मे लगे विभिन्न मंत्रालयों और श्रमिकरणों द्वारा समुचित नीतिगत उपाय किए जा सके।

5.5 विभिन्नि जनगणना अवधियों में मुख्य कामगारो के ब्यावसायिक वर्गीकरण से यह प्रकट होता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसख्या कृषि पर निर्भर है। वर्ष 1961,1971, 1981 और 1991 की जनगणना के दौरान कामगारों के वर्गीकरण के विवरण के निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :–

तालिका 5.3

वर्ष 1961 से 1991 तक हुई जनगणनाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और सामान्य जनसंख्या में मुख्य कामगारों की अलग-अलग श्रेणियों का व्यावसायिक वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

वर्ष	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. कृषक			
1961	52.78	37.76	66.18
1971	43.38	27.87	57.56
1981	41.53	28.17	54.43
1991	39.74	25.44	54.50
2. कृषि मजदूर			
1961	16.71	34.48	19.71
1971	26.32	51.74	33.04
1981	25.16	48.22	32.67
1991	19.66	49.06	32.67
3. घरेलू उधोग			
1961	6.38	6.56	2.47
1971	3.55	3.33	1.03
1981	3.99	3.31	1.42
1991	2.56	2.41	1.04
4. अन्य कामगार			
1961	24.13	21.20	9.64
1971	26.75	17.06	8.37
1981	29.32	20.30	11.8
1981	38.04	23.08	11.76

5.6 इन आंकड़ो से यह देखा जा सकता है कि 1991 में लगभग आधी अनु.जाति (49.06%) और एक तिहाई अनुसूचित जनजाति 32.69%) के मुख्य कामगार कृषि मजदूरों के रूप मे कार्यरत थे। 1961-71 के दौरान अर्थात हरित क्रांति की प्रारंभिक अवधि में कृषि मजदूरों की संख्या मे तेजी से वृद्वि हुई। इसके पश्चात सामान्य जनसख्या में कृषि मजदूरों का प्रतिशत 1971 में 26.32% से 1991 में घटकर 19.66% हो गयी। तथापि इसी अवधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मुख्य कामगारों के मामले में कृषि मजदूरों के अनुपात में केवल मामूली सी ही कमी हुई। **कृषि मजदूर को मौसम के अनुपात में केवल मामूली ही कमी हुई।** कृषि मजदूर को मौसम के अनुसार और बहुत कम मजदूरी पर रोजगार मिलता है जो अधिकतर मानसून पर निर्भर है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति के विकास के संदर्भ मे कृषि मजदूरों के सामने आई समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक उपेक्षित वर्गों से एक हैं।

5.7 मुख्य कामगारों का व्यावसायिक वर्गीकरण यह भी दर्शाता है कि मुख्य कामगारों के सभी वर्गों में "अन्य कामगारों" की संख्या में वृद्धि हुई है, हालांकि अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति की जनसंख्या की अपेक्षा सामान्य जनसंख्या में यह वृद्धि अधिक है। इन व्यवसायों मे उधोग और सेवा क्षेत्र भी शामिल हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन हो रहे हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा ऐसे क्षेत्रों में अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है जिनका स्थान दूसरा अथवा तीसरा है। इन क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस संदर्भ मे यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार ने विगत कुछ वर्षो में आर्थिक सुधार की दिशा मे कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण नीति संबंधी परिवर्तनों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि भी शामिल है। बहुराष्ट्रीय निगमों सहित बहुत से क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उधमों में कर्मचारियों की संख्या घटाने के उपाय किए गए हैं ताकि घाटे को रोका जा सके। आर्थिक पुनः संरचना कार्यक्रम में कड़े आर्थिक उपायों, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाना भी शामिल है, को लागू करके बजट घाटा कम करना भी शामिल है। **इन उपायों से शिक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो के लिए रोजगार के अवसरों में कमी होने की संभावना है। इसलिए श्रम मत्रांलय को समग्र रूप से और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के मामले में आर्थिक सुधारों के कारण रोजगार के अवसरों पर पडने वाले प्रभाव का व्यापक सर्वेक्षण करना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभोन्मुख रोजगार देने के लिए और उन्हें अर्थव्यवस्था के उभर रहे क्षेत्रों में शामिल करने के लिए उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामान्य शिक्षा को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षोन्मुख बनाने के लिए सामान्य शिक्षा के मौजूदा ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए।**

विकास के लिए उपाय

5.8 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण एवं विकास के संदर्भ में सरकार द्वारा तीन उपाय स्वीकार किए गए हैं :–

(i) भारत के संविधान और विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत सुरक्षण एवं संरक्षात्मक उपाय,

(ii) शिक्षा और रोजगार में सकारात्मक विभेद और

(iii) विभिन्न स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके विकासात्मक उपाय।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और सेवाओं में सांविधानिक उपबंधों और सुरक्षणों पर तीसरे और चौथे अध्याय में अलग से चर्चा की गई है। इस अध्याय में आर्थिक विकास के उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है।

5.9 चूंकि देश में योजना युग की शुरूआत से ही गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन तथा सम दृष्टि सहित एवं विकास को हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातीयों के मामले में, प्रथम योजना के दौरान, शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया, दूसरी योजना में सामाजिक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गयी। तीसरी योजना में विद्यालय, आवास, अस्पताल आदि जैसी संस्थागत सेवाओं की व्यवस्था करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया तथा चौथी योजना का उद्देश्य सेवाओं का समेकन, सुधार और विस्तार रहा है। पांचवीं योजना में अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास, जिसे जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) नीति के नाम से जाना जाता है, के संदर्भ मे नई नीति को अपनाया गया। छठी योजना में अनु.जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना की संकल्पना को शुरू किया गया। सातवीं योजना में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण एवं विकास के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की गईं। आठवीं योजना में नियोजन, प्रशासन, लक्ष्य समूहों को लाभ देने जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के अलावा मनुष्य द्वारा मैला उठाने की अमानवीय प्रथा के पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

I. अनुसूचित जनजातीयों का आर्थिक विकास

जनजातीय उप-योजना

5.10 जनजातीय उप योजना नीति को पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, जिसमें जनजातीय बहुल विकास ब्लाकों की पहचान करना, इन पहचान किये गये क्षेत्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत धन का अलग करने के साथ–साथ इन क्षेत्रों के संस्थागत वित्त का संघटन करना और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना शामिल है। जनजातीय उपयोजना नीति के अनुसार जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर जनजाति संकेन्द्रण समूह एवं पाकेट आते हैं। हालांकि प्राथमिक रूप से क्षेत्र आधारित नीति होने के कारण यह उपयोजना लाभोन्मुख कार्यक्रम भी शामिल करती है। आज की स्थति के अनुसार जनजातीय उप–योजना नीति 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कशमीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमन एवं दीव में चल रही है। किसी क्षेत्र विशेष में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संकेन्द्रण होने के आधार पर 194 समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएं, 252 आशोधित क्षेत्र विकास उपागम पाकेटों और 78 समूहों की पहचान की गई और उन्हें स्थापित किया गया है। इसके अलावा, 75 आदिम जनजातीय समूहों की भी पहचान की गई है। उपर्युक्त का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है : –

तालिका- 5.4

पहचान की गई आदिम जनजातीयों की राज्यवार सूची

1. आंध्र प्रदेश

गदाबा,

1. गुटोब गदाबा
2. बोंड़ो गदाबा प्रजा
3. बोन्डो प्रजा
4. खोण्ड प्रजा
5. परेंगी प्रजा खोण्ड
6. कुटिया खोण्ड
7. डोंगरिया खोण्ड
8. कोण्डं सवारा
9. थोती
10. चेन्चू
11. कोण्डा रेड्डी
12. कोलम्स

2. बिहार

1. असुर
2. बिरहोर
3. बिरिजिया
4. कोरवा
5. मल पहाड़िया
6. परहैया
7. सवार
8. सौरिया पहाड़िया पटना
9. हिल खड़िया

3. गुजरात

1. कथोडी
2. कोलधा
3. पधार
4. कोटवालिया
5. सिद्दी

4. कर्नाटक

1. जेनू कुरूवास
2. कोरगा

5. केरल

1. चोलानायकन
2. कुरूम्बाज
3. कदार
4. कट्टूनायकन
5. कोरगा

6. मध्य प्रदेश

1. अबुझ मारियाज
2. बैगाज
3. भरियाज
4. पहाडी कोरवा
5. कमाग
6. सेहरिया
7. बिरहोर

7. महाराष्ट्र

1. कटकरी/कवौडी
2. कोलम
3. मदिया गौड़

4. मणिपुर

1. मारम

9. उड़ीसा

1. दिदायी
2. मनकिरीड़या
3. लोदा
4. खरिया
5. बोण्डो
6. डोंगरिया खोण्ड
7. जुआंग
8. कुटिया खोण्ड
9. लंजिया सौरा
10. पौड़ी भुजान
11. सौरा
12. बिरहोर
13. चुकटिया भुजिया

10. राजस्थान

1. सहारिया

11. तमिलनाडु

1. कट्टू नायकन
2. कौटास
3. कुरूम्बास
4. इरूलास
5. पनियास
6. टोडास

12. त्रिपुरा

1. रियांगस

13. उत्तर प्रदेश

1. बुक्सा
2. राजी

14. पश्चिम बंगाल

1. टोटो
2. बिरहोर
3. लकोडा

15. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

1. शोम्पेन्स
2. ओंगी
3. ग्रेट अंडमानीज
4. जारवा
5. सेन्टीनेलीज

5.11 अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण एवं विकास के लिए निधियां अलग से निर्धारित करने की नीति के कारण जनजातीय उप–योजना के वित्त पोषण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। जनजातीय योजना की राशि में लगातार वृद्वि हो रही है। यह पूरी पांचवीं योजना के लिए मात्र 751.33 करोड़ रूपये थी जो 1994-95 की वार्षिक योजना में बढ़कर 3061.23 करोड़ रूपये और 1995-96 में 3867.07 करोड़ रूपये हो गई । पांचवीं योजना के दौरान और उससे आगे जनजातीय उपयोजना के अधीन निधियों में वृद्वि को निम्नलिखित तालिका 5.5 में देखा जा सकता है : –

तालिका-5.5

राज्य योजनाओं से जनजातीय उपयोजना को मिली निधियां

(करोड़ रूपयों में)

योजनावधि	राज्य योजना	जनजातीय उप–योजना को मिली राशि	%
पाँचवीं योजना	17692.88	751.33	4.25
छठी योजना	42390.60	3718.56	8.77
सातवीं योजना	73952.90	7076.81	9.57
1990-91	20918.64	2011.97	9.62
1991-92	24337.93	2503.62	10.27
आठवीं योजना			
1992-93	24811.55	3019.73	12.17
1993-94	30375.90	2887.83	9.51
1994-95	34501.05	3061.23	8.87
1995-96	40549.26	3867.07	9.54
1996-97	36718.60	*2964.19	*8.04

* इसमें बिहार, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उ.प्र., अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का योजना परिव्यय तथा (टी: एस. पी. को मिलने वाली निधि शामिल नहीं है क्योंकि इन राज्यों के लिए जनजातीय उपयोजना के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।

5.12 उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति की 7.5% की जनसंख्या की तुलना में राज्यों द्वारा वार्षिक योजना 1996-97 के दौरान लगभग 8% परिव्यय की व्यवस्था की गई। हांलाकि उच्च परिव्ययों का कई बार काल्पनिक निर्धारण होता है तथा आयोग ने यह भी पाया है कि इस परिव्यय को खर्च करते समय प्रायः इसे बहुत अधिक घटा दिया जाता है। इसके अलावा साक्षरता, स्वास्थ्य, आय और अन्य मामलों में अनु.जन.जाति तथा शेष जनसंख्या के विकास के बीच निरंतर व्यापक अन्तर दर्शाता है कि अधिक परिव्यय से भी अनु. जनजातियों की दशा में अनुकूल सुधार

नहीं हुआ है। 1992-93 और 1996-97 के दौरान राज्य योजना और जनजातीय उप–योजना से निधियों का राज्यवार आबंटन **अनुबंध-5 .IV** में देखा जा सकता है।

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत निधि के आबंटन और उनके उपयोग पर योजना आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्ष

5.13 जनजातीय उप–योजना नीति को अनुसूचित जनजातीयों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए निधियों के पर्याप्त आबंटन तथा निवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। पिछले कई वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की गई। राज्यों द्वारा कई सेवा पैकेज तैयार और कार्यान्वित किए गए, जिनमे शैक्षिक सुविधाओं तथा स्वास्थ्य से लेकर खाद्य सुरक्षा, पीने के पानी की सुरक्षित व्यवस्था, धनोपार्जन स्कीमों तक को शामिल किया गया। इसके अलावा, केन्द्र और राज्य सरकारों ने जनजातीयों के शोषण को रोकने के लिए कई संरक्षात्मक कानून बनाए। जनजातीय उपयोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता तथा इसका अधिकतम उपयोग महत्वपूर्ण है। इसमें इस बात की जांच करने का प्रयास किया गया है कि क्या जनजातीय उपयोजना को आबंटित निधियां दिशार्निदेशों के अनुसार पर्याप्त थीं। साथ ही इन निधियों के उपयोग की सीमा और उनके प्रयोग के ढंग का भी मूल्याकंन किया गया है।

जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित निधियां

5.14 जनजातीयों के जीवन स्तर को शेष जनसंख्या के बराबर लाने के लिए जनजातीय उपयोजना नीति को कारगर बनाने हेतु जनजातीय उपयोजना के लिए निधियों का आबंटन का आवश्यक शर्त है। तदनुसार राज्य सरकारें जनजातीय उपयोजना विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए राज्य योजना निधियों से जनजातीय उपयोजना के लिए निधियां आबंटित करती रहीं हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना आबंटन 759.33 करोड़ रू. (कुल राज्य योजना परिव्यय का 4.2%) से बढकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 14873.43 करोड़ रूपये (8.18%) हो गया है।

5.15 दिशर्निदेशों के अनुसार राज्यों को जनजातीय उपयोजना में निधियों का आबंटन, कम से कम जनजातिय जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में करना अपेक्षित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल ने सिफारिश की कि जनजातीयों और गैर जनजातीयों के बीच विकास अंतराल को कम

करने के लिए जनजातीय उपयोजना के लिए निधियों का आबंटन जनजातीय जनसंख्या के हिस्से से कम से कम 3% अधिक होना चाहिए।

तालिका-.5.6

जनजातीय उपयोजना परिव्यय का उपयोग

(प्रतिशता में)

राज्य	जनजातीय जनसं(1981)	7वीं योजना में जनजातीय उपयोजना के लिए राज्य योजना परिव्यय	7वीं योजना में जनजातीय उपयोजना के लिए प्राप्त निधि का उपयोग	जन.जातीय जनसं. (1991)	8वीं योजना में जनजातीय उपयोजना के लिए राज्य योजना परिव्यय	8वीं योजना में जन. जा. उपयोजना के लिए प्राप्त निधि का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्रप्रदेश	5.93	4.2	107.2	6.31	4.5	73.70
बिहार	8.31	26.5	91.06	7.66	28.9	92.64
गुजरात	14.22	10.5	99.06	14.92	10.9	95.95
मध्यप्रदेश	22.97	19.7	उपलब्ध नहीं	23.27	23.0	94.97
महाराष्ट्र	9.19	6.5	132.50	9.27	7.2	95.19
उड़ीसा	22.43	26.6	44.57	22.21	24.4	77.88
राजस्थान	12.21	10.6	100.29	12.44	8.7	90.66
भारत	7.85	9.57	--	8.08	9.86	---

टिप्पणी : परिव्यय और व्यय पर मॉगी गई उपयोग दरें (क) उड़ीसा के लिए एक वर्ष (ख) बिहार के लिए दो वर्ष (ग) राजस्थान के लिए तीन वर्ष और (घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के लिए चार वर्ष है।

5.16 **तालिका-5.6** से प्रकट होता है कि बिहार और उड़ीसा ही संस्तुत आबंटन सिद्वांतों का पालन कर रहे हैं जबकि अन्य सभी राज्य जनजातीय उपयोजना के अनुपात से कम योजना निधियॉं आबंटित कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 8वीं योजना के 5 वर्षो के लिए निर्धारित जनजातीय उपयोजना को योजना निधि **(8.88%)** का आबंटन जनजातीय जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में ही है।

5.17 तथापि बिहार और उड़ीसा द्वारा जनजातीय उपयोजना को अनुपात से अधिक आबंटन की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि ये दो राज्य वास्तव में वित्तीय संसाधनों की एक बड़ी राशि जनजातीयों के लिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि आबंटन वास्तव में खर्च किया जा रहा हो। उपर्युक्त तालिका के कॉलम 4 और 7 इन राज्यों की जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित निधि की उपयोग दरें दर्शाते हैं।

5.18 सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल चार राज्यों यर्थात आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने ही जनजातीय उप योजना के लिए आबंटित निधि का पूरा या कुछ अधिक खर्च किया। मध्यप्रदेश ने सातवीं योजना के लिये उपयोग दर की कोई सूचना नहीं भेजी। परंतु यह जानना

भी दिलचस्प है कि उड़ीसा, जिसने जनजातीय उपयोजना को जनजातीय जनसंख्या से अधिक योजना गत धनराशि आबंटित की, उसने सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित धनराशि का केवल 44.57% ही खर्च किया। **तालिका-5.7** से स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

तालिका-5-7

प्रतिवर्ष योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना को प्राप्त निधि का प्रति व्यक्ति आबंटन और खर्च।

	राज्य	प्रति व्यक्ति आबंटन		प्रति व्यक्ति खर्च	
		7वीं योजना	8वीं योजना	7वीं योजना	8वीं योजना
1.	आन्ध्र प्रदेश	169	292	181 (107)	215 (73.70)
2.	बिहार	535	425	487 (91)	394 (92.0)
3.	गुजरात	252	387	252 (100)	371 (95.95)
4.	मध्यप्रदेश	236	298	उपलब्ध नहीं	282(95.19)
5.	महाराष्ट्र	182	379	241(132)	361 (95.19)
6.	उड़ीसा	755	476	336 (44.5)	370(77.88)
7.	राजस्थान	200	299	201 (100.3)	271 (90.66)

(लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आबंटन पर खर्च का प्रतिशत दर्शाते हैं)

5.19 आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उडीसा राज्यों में जनजातीय उपयोजना को दरें आबंटित योजनागत निधि के उपयोग की दरें, विशेष रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजना में बहुत कम है।

जनजातीय उपयोजना के लिए प्राप्त निधि का सेक्टरवार आबंटन

5.20 यह देखा गया है कि अधिकांश राज्य, योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियां जनजातीय उपयोजना को आबंटित करने के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः अधिकांश राज्य जनजाति विकास के लिए अनुपात से कम निधि आबंटित और खर्च कर रहे हैं। राज्यों द्वारा दिया जाने वाला एक तर्क यह है कि वे योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि के विभाज्य और गैरविभाज्य घटक के बीच भेद करते है और केवल विभाज्य घटक ही जनजातीय उपयोजना के लिए होता है। दूसरे शब्दों में सामान्य राज्य योजना निधियां भी जनजातीयों और अनुसूचित क्षेत्रों के लाभ के लिए खर्च की जाती है। यदि ऐसा है तो जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित निधि मुख्य रूप से जनजातीयों के विकास पर खर्च होनी चाहिए दूसरे शब्दों में जनजातीय उपयोजना निधियों का प्रयोग मुख्य रूप से जनजातीयों के लिए बने लाभोन्मुख कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए। आयोग का विचार है कि जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत अविभाज्य निधि को भी शामिल करने के स्थान पर केवल विभाज्य निधि को ही दर्शाया जाना चाहिए तथा जनजातीयों के लाभ के लिए ही इसे पूर्णतः खर्च करना चाहिए।

तालिका-5.8

प्रमुख सेक्टरों में जनजातीय उपयोजना निधियों का आबंटन

(प्रतिशता में)

राज्य	कृषि एवं ग्रामीण विकास	सिंचाई एवं बिजली	सामाजिक सेक्टर	अन्य
आबंटन (1992-96)				
आन्ध्र प्रदेश	17.00	21.07	12.18	48.81
बिहार	24.70	30.60	15.00	29.70
गुजरात	25.87	19.59	14.01	40.53
मध्यप्रदेश	30.12	21.20	28.35	20.33
महाराष्ट्र	30.61	40.88	20.38	18.13
उडीसा*	20.45	39.55	11.92	28.08
राजस्थान*	23.31	48.54	17.56	10.59

*केवल 3 वर्षो के लिए परिव्यय

5.21 जैसा कि तालिका 5.8 से प्रकट होता है, आबंटन का ढांचा इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि व्यवहारिक रूप में राज्यों द्वारा जनजातीयों उपयोजना निधियों के आबंटन के लिए सिद्वांत का पालन किया जा रहा था। तालिका-5.8 में श्रेणी अन्य में अधिकांशतः वे कार्यक्रम आते हैं जो जनजातीयों के परिवारों/ व्यक्तियों के लिए लक्षित होते हैं। जनजातीय उपयोजना निधि का एक बड़ा भाग सिंचाई एवं बिजली, विशेष रूप से लघु सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए आबंटित किया गया है। चूंकि अनेक समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं में जनजाति और गैर जनजातीय लोग साथ—साथ शामिल होते हैं, लघु सिंचाई से होने वाले लाभों को केवल जनजाति के लिए लक्षित नहीं किया जा सकता। कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों के मामले में जनजातीय परिवारों के लिए लाभ लक्षित किए जा सकते है हालांकि उपलब्ध सूचना यह सिद्ब करने के लिए अपर्याप्त है कि क्या लाभ वास्तव में केवल उन्हें ही मिल रहे हैं।

5.22 सामाजिक सेक्टर के मामले में आबंटित जनजातीय उपयोजना निधियों की राशि जनजातीयों के तीव्र विकास के लिए अपर्याप्त लगती है। यह सर्वादित है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल—आपूर्ति और आवास के क्षेत्रों में जनजातीयों और गैर—जनजातीयों के बीच विकास अन्तराल बहुत अधिक है। एक उपर्यूक्त अवधि के अन्दर इस अन्तर को कम करने के लिए इन सेक्टरों में निवेश काफी अधिक करना आवश्यक है । सामान्यता सामाजिक सेक्टरों के लिए जनजातीय उपयोजना निधियों के आबंटन का जनजातीयों की तुलना में गैर—जनजातीयों के समाजिक वंचन से कोई संबंध नहीं है।

5.23 किसी सेक्टर के लिए निधियों के आबंटन हो जाने मात्र का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नही है कि खर्च वास्तव में अभिष्ट प्रयोजन के लिए हो रहा है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि

बिहार और उड़ीसा ने जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित धनराशि से काफी कम खर्च किया। कुछ राज्यों के मामले में स्वतंत्र जांचों से पता चलता है कि जनजातीयों के नाम पर अधिकांश खर्च की गई धनराशि का लाभ वास्तव में गैर–जनजातीयों को मिला, इस प्रकार की कुछ बातों का खुलासा पी. साईनाथ की पुस्तक "एवरीबडी लब्स ए गुड ड्राउट" (पेंग्विन बुक्स इंडिया 1998) में किया गया है जिन्होंने देश के गरीब एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का व्यापक रूप से दौरा किया तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के तरीकों एवं प्रभाव का मूल्यांकन किया।

कुछ टिप्पणियाँ

5.24 आयोग ने कर्नाटक, केरल, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से अन्य बातों के साथ–साथ जन जाति उप–योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा की। आयोग ने पाया कि कई राज्य अपनी जनजाति जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय उप–योजना के लिए परिव्यय नहीं दे रहे हैं। आयोग ने यह भी पाया कि वार्षिक योजना पर विचार–विमर्श के समय जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित निधियों का अधिकांश राज्यों द्वारा उपयोग नहीं किया गया। **इस संबंध में आयोग सिफारिश करता है कि सभी राज्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय गठित कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार जनजातीय उप-योजना के लिए अपने राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता से 3% अधिक निधियां आबंटित करनी चाहिएं। सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा ही यह सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करना चाहिए कि आबंटित धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया है और जन जातीय उप-योजना पर राशि खर्च करने की बजाए विकास के अन्य किसी सेक्टर में खर्च नहीं की गयी है।**

5.25 जैसा कि स्पष्ट है, सामान्य तौर पर राज्य, कार्य दल (आठवीं योजना) द्वारा संस्तुत धनराशि आबंटन के सिद्वांतों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस आबंटन सिद्वान्त को हालांकि निर्देशात्मक माना जा सकता है, तो भी राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे जनजातीय उपयोजना हेतु योजना निधि के आबंटन के लिए अपने क्षेत्र की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ही वस्तु परक मानदण्ड तैयार करें। जनजातियों और गैर जनजातीयों के बीच विकास अंतराल दर प्रत्येक राज्य में भिन्न–भिन्न है और इसलिए इन अंतरालों को पाटने के लिए संसाधनों की जरूरतें भी अलग–अलग हैं। जनजातियों और शेष जनसंख्या के वंचन के स्तर में अंतरराज्यीय भिन्नता भी प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र में विधमान हो सकती है। प्रत्येक राज्य के लिए जनजातियों की तुलना में शेष जनसंख्या के साक्षेप वंचन का परिमापात्मक निधार्रण करना संभव हो सकता है, यदि सामाजिक महत्व के प्रत्येक क्षेत्र में संगत पैरामीटर संबंधी सूचना उपलब्ध हो। वैकल्पिक विश्वासनीय आंकड़ों के अभाव में विभिन्न सरकारी/ गैर सरकारी स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर विकास के कुछ संकेत–सूचकों संबंधी जानकारी इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए **तालिका 5.9** में प्रस्तुत की जाती है।

तालिका 5.9

विकास के संकेत सूचकः जनजाति बनाम गैर जनजाति

राज्य	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (रूपये)		साक्षरता दर (%)		शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000)	
	जनजातीय	गैर जनजातीय	जनजातीय	गैरजनजातीय	जनजातीय	राज्य का औसत (ग्रामीण)
1. आन्ध्र प्रदेश	128.83	156.55	13.2	45.11	130	87
2. बिहार	128.94	006.21	21.2	38.54	91	100
3. गुजरात	143.94	179.47	26.0	60.91	116	101
4. मध्यप्रदेश	122.83	224.34	15.6	43.45	154*	127
5. महाराष्ट्र	142.33	157.77	24.2	63.05	117	76
6. राजस्थान	147.83	005.94	15.7	38.81	105	111
7. उड़ीसा	124.16	131.17	18.8	48.55	177**	127

* मांडला जिला में शिशु मृत्यु दर

** कोरापुट जिला में शिशु मृत्यु पर (जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र)

स्रोतः–एस आर एस, आर जी आई, 1988;

5.26 तीनों संकेत–सूचक मोटे तौर पर सामाजिक महत्व के तीनों क्षेत्रों अर्थात आर्थिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास को प्रकट करते हैं। बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों में आर्थिक कल्याण (जो व्यय के अनुसार मापा जाता है) के क्षेत्र में जनजातीयों का सापेक्ष वंचन अत्यधिक है। विभिन्न सेक्टरों को जन–जातीय उपयोजना निधियां आबंटित करते समय राज्यों को चाहिए कि वे जनजातीयों के लिए धनोपार्जक परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रयाप्त निधियां आबंटित करें ताकि उपयुक्त समय के अन्दर आर्थिक कल्याण के स्तरों में अंतर को पाटा जा सके।

5.27 शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीयों का सापेक्ष वंचन सब ओर व्याप्त है। इसलिए शिक्षा के लिए निधि के आबंटन हेतु सामान्य केन्द्रीय दिशानिर्देश बनाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हालांकि जनजातीयों की हालत अन्यों से बदतर है तो भी सापेक्ष वंचन आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा को छोड़कर बहुत अधिक नहीं है। इसलिए इन राज्यों को जनजातीय स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक धनराशि आबंटित करनी चाहिए।

5.28 अन्ततः यहां जनजातीय उपयोजना को राज्य योजना निधियां आबंटित करने के लिए एक सामान्य आबंटन सिद्वान्त तैयार करने का प्रयास किया गया है। इस सुझाई गई विधि को निदर्शी के रूप में मानना चाहिए। अब आय, साक्षरता–दर और शिशु मृत्यु दर के अनुमान को कल्याण के तीन संकेत सूचकों के रूप में लें। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए. ई. आर, 1996) की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ये आकलन निम्नलिखित हैं **(तालिका-5.10)**

तालिका - 5.10

कल्याण के संकेत - सूचक

	प्रति व्यक्ति आय (रूपये)	साक्षरता दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति1000)
जनजाति	3504	39.3	98
अन्य	5113	59.4	79

* ऊपर दिए गए आंकड़े एन.सी ए.ई आर. सर्वेक्षण के अनुसार है न कि जनगणना आंकड़ों पर आधारित।

5.29 सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक सेक्टर जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिशु–देखभाल, मनोरंजन, परिवार–स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वच्छता और अन्य संबंधित गतिविधियों के विकास में समुदायों के भरपूर भाग लेने की आवश्यकता है। जनजातीय परिवारों की सक्रिय भागीदारी से इसके वांछित परिणाम हो सकते हैं और इससे जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदराज की बस्तियों में जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभ पहुँच सकते हैं। जनजातीय उपयोजना नीति को समुदायों की पूर्ण भागीदारी तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रामाणिक एवं प्रभावपूर्ण सहयोग के साथ सामाजिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

5.30 कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जन ज़ातीय उप–योजना के लिए उनके वित्तीय परिव्यय के अंतर को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग जनजातीय उपयोजना को मिली राशि के साथ संयोजन के रूप में किया जाना है ताकि उन अन्तरालों को पूरा किया जा सके जिनका अन्यथा राज्य योजना द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता। ये मूल रूप से कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, भूमि–संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मछली पालन, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि के क्षेत्रों में परिवारों के लिए धनोपार्जन स्कीमें हैं।

5.31 विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन का मापदण्ड समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, माडा पॉकेट समूहों, आदिम जनजातीय समूहों और बिखरे हुए जनजातीय समूहों के लिए निर्धारित मानकों के अधार पर निर्धारित किया गया है। आठवीं योजना के लिए जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन और 1992-93 से 1996-97 में उसका आबंटन एवं उन्हें जारी किए जाने का विवरण इस प्रकार है : –

तालिका- 5.11

आठवीं योजना के लिए जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन एवं जारी की गई राशि

(लाख रू. में)

वर्ष	आबंटन	जारी की गई राशि
8वीं योजना (1992-93 से 1996-97)	1,25,000,00	
1992-93	25,000,00	25,000,00
1993-94	29,500,00	29,484,50
1994-95	27,500,00	27,500,00
1995-96	33,000,00	33,000,00
1996-97	33,000,00	33,000,00

5.32 वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधियां **अनुबंध 5.V** में देखी जा सकती हैं।

5.33 यह देखा गया है कि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता यह दर्शाती है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में सहायता की राशि बढ़ रही है और यह राज्यों की जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर सामने आयी है। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उनसे उत्पादकता और धनोपार्जन के लिए अधिक व्यवहारिक और प्रभावपूर्ण स्कीमें बन सकें। जैसा कि पहले बताया गया है राज्यों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग न करना और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभ के लिए इसे खर्च न करना गंभीर चिन्ता का विषय है। यह सरकारों के लिए अच्छी बात नहीं है जिन्हें अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।

विकास परियोजनाओं का प्रतिकूल प्रभाव

5.34 बड़ी परियोजनाओं जैसे उद्योग, सिंचाई, जल–विधुत आदि की संस्थापना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले जनजाति के लोगों की समस्याएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं। जनजातीय लोग अपने इतिहास के अनोखे दौर से गुजर रहे हैं जब जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के आरंभ किए जाने के कारण उत्पन्न विस्थापन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने मार्गदर्शन के लिए उनके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है।

5.35 अनुसूचित जनजातियां हमेशा ही आर्थिक विकास योजनाओं की भागीदारी में गौण स्थिति में रही है और शायद ही वे कभी मुख्यधारा में शामिल हो पायें। वस्तुतः कुछ मुख्य विकासात्मक परियोजनाओं

जैसे सिंचाई और बहु–उद्देश्यीय बांध परियोजनाओं ने जनजातीयों को उनके सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से अलग–अलग करके उनके कष्टों को बढ़ाया ही है। यदि उदारीकरण की प्रक्रिया में उचित सुरक्षण न किए गए तो हाल के वर्षों में शुरू हुई यह प्रक्रिया अनुसूचित जनजातीयों सहित इन नुकसान उठाने वाले समूहों को और अधिक गौण स्थिति में डाल सकती हैं। इस संदर्भ में ही जनजातीयों को पूर्ण आर्थिक लाभ देने पर विचार किया जाना है। कृषि विभाग द्वारा 1992 के अपने प्रकाशन "कृषि संबंधी गणना" में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के संबंध में कृषि जोतों का ब्यौरा **अनुबंध 5.VI** में दिया गया है। निम्नलिखित विषय ऐसे हैं जिन पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है :–

(i) **सामान्य आर्थिक विकास के लिए जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से परिवहन, संचार विद्युत एंव व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास एक मूल पूर्वापेक्षा है।**

(ii) **यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास किए जाने चाहिए कि समुचित हिस्सेदारी और रोजगार के अवसरों के अनुसार उदारीकरण के लाभ अनुसूचित जनजातीयों तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों की जनजातीयों को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में निवेश, विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी संरचना निर्माण के लिए निवेश को रक्षोपायों सहित यह सुनिश्चित करेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजातीयों का शोषण न हो तथा रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उनके कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है।**

(iii) **जनजातीय महिलाओं के लिए, विशेष रूप से कृषि और अन्य जिन क्षेत्रों से वे जुड़ी हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण, ऋण विस्तार, उद्यम वृत्ति के विकास आदि के संदर्भ में प्रोद्योगिकी स्थान्तरण के माध्यम से उनके कौशल उन्नयन आदि के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए।**

(iv) **जनजातीय/जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सभी विकास विभागों द्वारा जनजातीय जीवन शैली के लिए अनुकूल विकास गतिविधियों पर अनुसंधान किए जाने चाहिए।**

(v) **जनजातीयों की बौद्विक सम्पत्ति विशेष रूप से जैव औषधियों जड़ी-बूटी, औषधीय और सुगंधित पौध आदि की रक्षा की जानी चाहिए और संसाधित तथा पारंपरिक जनजातीय ज्ञान के आधार पर उत्पादों के व्यापक विपणन से अर्जित लाभ को संबंधित जनजाति में रायल्टी तथा लाइसेंस शुल्क में हिस्से के रूप में वापिस जनजाति विकास के लिए पहुंचाना चाहिए।**

(vi) **तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत सरकार से ऋण एवं सुविधाएं प्राप्त करने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बड़े व्यापार संस्थानों को एक प्रशिक्षता (अप्रैन्टिसशिप) स्कीम विकसित करनी होती है जिसमें एक निश्चित संख्या में अनुसूचित जातीयों एवं अनुसूचित जनजातीयों के युवाओं, पुरूषों एवं महिलाओं दोनों को, किए जाने**

वाले कार्य के अनुरूप व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण, यूनिटों में निःशुल्क होता है और उस के पश्चात् इन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं को अनिवार्य रूप से उन्हीं औद्योगिक/ व्यापार यूनिटों में नौकरियों पर ले लिया जाता है। अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा भी इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

(vii) **अनुसूचित जनजातीयों की एक बड़ी संख्या पूर्वोत्तर में रहती है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण जनजाति लोगों के लिए आबंटित धन उन तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास किए जाने चाहिए कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण विकास प्रयोजनों की धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए न हो बल्कि उनका उपयोग अनुसूचित जनजातीयों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए हो। यह बात अन्य क्षेत्रों उदाहरणार्थ जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए भी सत्य है जहां अनुसूचित जनजातीयों के लोग रहते हैं और जहां कानून अथवा व्यवस्था संबंधी या अन्य समस्याएं मौजूद हैं तथा धनराशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। मूल्यवर्धन के लिए उत्पाद के संसाधन, परिरक्षण एवं विपणन संबंधी यूनिटों का विकास करने के उपाय भी किए जाने चाहिए।**

(viii) **विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के कारण जनजातीयों की बड़े पैमाने पर विस्थापना ने बहुत से जनजाति समुदायों के दुखों को बढ़ा दिया है। आयोग अपनी पिछली रिपोर्ट में की गई अपनी सिफ़रिशों को दोहराता है कि इन क्षेत्रों में स्थित बड़ी विकास परियोजनाओं में जनजातीयों को भागीदार बनाया जाना चाहिए।**

5.36 **विभिन्न औषधीय पौधों से संबंधित उत्पादों और उनके संसाधन के संबंध में बौद्विक स्वामित्व** ने आज देश के नए उदारवादी आर्थिक परिदृश्य तथा विश्व के संदर्भ में महत्व प्राप्त कर लिया है। ध्यान देने की बात यह है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की ओंज जनजाति को सेरीब्रल मलेरिया तथा अन्य रोगों का उपचार करने वाले एक पौधे के स्वामित्वाधिकार से वंचित कर दिया गया है। केरल सरकार के ट्रॉपीकल बोटानिकल गार्डन और अनुसंधान संस्थान ने बौद्विक स्वामित्वाधिकार के सकारात्मक प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने दक्षिणी केरल के अग्रथलार हिल्स की कनी जनजाति को अरोग्य पाचा पौधे से विकसित हर्बल औषधि पर स्वामित्वाधिकार पाने में मदद की, चूंकि कनी जनजाति ने इसे पहचानने में मदद की थी। ऐसा लगता है कि संस्थान ने औषधि की जानकारी एक फार्मेसी को स्थानान्तरित कर दी, जो छः वर्ष के नवीकरणीय लाइसेंस के अंतर्गत जनजातीयों से माल प्राप्त करेगी। लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत और औषधि की बिक्री के आधार पर रॉयल्टी का 2 प्रतिशत भाग कनी जनजाति को जाएगा। समझा जाता है कि इस जनजाति से संबंधित 50 प्रतिशत परिवार अब इसके वाणिज्यिक प्रयोग के लिए इसकी खेती कर रहे हैं। इसी प्रकार के प्रस्तावों पर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया जा सकता है कि औषधियों के विकास के लिए विभिन्न पौधों एवं उनके संसाधन की देशज जानकारी से जनजातीयों को लाभ पहुंचे। यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जैव–प्रौद्योगिकी विभाग नई आर्थिक व्यवस्था में जनजातीयों के लाभ के लिए बौद्धिक स्वामित्व की रक्षा के लिए विधायी उपायों सहित विभिन्न विषयों पर विचार करते हैं

संस्थागत वित्त

5.37 वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कोष प्रदान करने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों के ऋण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता से जुड़े हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की धनोपार्जन स्कीमों के लिए दिए जाने वाले ऋणों के अलावा कृषक, दस्तकारों आदि को सरकार द्वारा प्रयोजित स्कीमों से अन्यथा भी निजी रूप से विशेष केन्द्रीय सहायता, अल्पावधि, मध्यावधि एवं दीर्घावधि उत्पादन ऋण मिलता है। यहां तक कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में भी अनुसूचित जनजाति के ऋणी व्यक्तियों को मिलने वाले संस्थागत वित्त के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किसी निश्चित अवधि के दौरान दिए गए ऋण का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। अनुसूचित जनजातीयों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वाणिज्यिक बैंकों से मिली वित्तीय सहायता के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

5.38 **इस संबंध में आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है :-**

(i) **भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों को संस्थागत स्रोतों से दिए गए ऋणों और अनुसूचित जनजातीयों के लाभभोगियों की संख्या से संबंधित आंकड़े अलग-अलग रखने चाहिए।**

(ii) **बैंकिग विभाग को बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उनके द्वारा अनुसूचित जनजातीयों को वास्तव में दिए गये ऋणों की तिमाही मानिटरिंग शुरू करनी चाहिए और कल्याण मंत्रालय के साथ तिमाही आधार पर इस जानकारी पर विचार करना चाहिए।**

(iii) **वर्तमान नीति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र में 10 प्रतिशत ऋण कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित है। परन्तु बैंक कमजोर वर्गों के इस 10 प्रतिशत के ऋण का लक्ष्य भी पूरा नहीं करते। इस ऋण का प्रतिशत वर्ष 1992 में 8.1%, 1993 में 8.5%, 1994 में 8.9% और 1995 में 8.7% था। 1995-96 में दिसम्बर, 1995 तक यह घटकर 8.6% हो गया। वास्तव में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का केवल 4 प्रतिशत ही कमजोर वर्गों को जाता है। बैंकिग विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जनजातीयों को ऋण देने के लिए न केवल ऊंचे लक्ष्य विशेष रूप से निर्धारित किए जाएं, बल्कि इन्हें नियमित रूप से पूरा भी किया जाए।**

(iv) **नाबार्ड को चाहिए कि वह गिरिजन को-आपरेटिव कारपोरेशन, आंध्र प्रदेश की तरह ही राज्य जनजातीय सहकारी संघों के लिए ॠण सुविधा शुरू करें।**

(v) **संबंधित उपप्रभागीय अधिकारी (एस डी ओ) द्वारा साक्ष्यांकित और ग्राम प्रमुख द्वारा प्रमाणित सामुदायिक भूमि के आधार पर अनुसूचित जनजातीयों के व्यक्तियों को ऋण दिया जा सकता है क्योंकि बहुत से जनजाति समाजों में भूमि का स्वामित्व समुदाय के आधार पर होता है।**

(vi) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एन एस एफ डी सी) ने अपने प्रारंभ से फरवरी, 1996 के अंत तक 1,68,890 अनुसूचित जाति के तथा 33,474 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ऋण दिया। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिला ऋण पर्याप्त नहीं है। इस असंतुलन का उपचार होना चाहिए तथा इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए और एन एस एफ डी सी द्वारा यह देखने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए कि कम से कम एक तिहाई ऋण अनुसूचित जनजातीयों को मिले।**

(vii) **कल्याण मंत्रालय के अनुसूचित जाति विकास प्रभाव द्वारा दी जा रही न्यूनतम राशि में ऋण सहायता अनुसूचित जनजातीयों को भी मिलनी चाहिए।**

सहकारिता

5.39 हमारे देश की जनजातीयों अन्य किसी भी प्रकार की आर्थिक अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों से अनभिज्ञ होने के कारण अपनी आजीविका के लिए पूर्णतया कृषि अथवा वन संबंधी कार्यों पर निर्भर हैं। उनकी भूमि जोतें काफी नहीं है और उनके पास गैर–सिंचाई वाली शुष्क जमीन है और इनमें अधिकांश केवल सीमांत कृषक ही हैं। तार्किक रूप से भी जनजातीय क्षेत्र बहुत दूर और प्रायः पहुंच से परे हैं। इस कारण, वे कृषि की प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक संकल्पना से अछूते और अप्रभावित रहते हैं जिस कारण वे अपनी सदियों पुराने कृषि और विपणन के तरीके पर ही विश्वास करने के लिए विवश रहते हैं। आश्चर्य की बात नहीं कि उनका लगातार शोषण होता है और वे अत्याधिक आर्थिक पिछड़ेपन और पराधीनता के शिकार होते हैं।

5.40 जनजातीयां अपनी आय के अतिरिक्त लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में छोटे–छोटे वन उत्पादों (एम एफ पी) के संग्रह और विक्रय पर भी निर्भर करती हैं। यहां भी उनका अज्ञान और भोलापन निजी व्यापारियों के हाथों उनका शोषण कराता है। साहूकार उनकी इस आर्थिक निर्भरता के कारण फलते–फूलते हैं। संक्षेप में, जनजातीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य काफी करूणाजनक है।

5.41 वर्तमान परिस्थितियों में जनजातीयों के बीच सहकारिता आंदोलन का महत्व स्पष्ट है। इसलिए जनजातीयों की आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए सहकारी संस्थानों की स्थापना परम महत्वपूर्ण है। हालांकि इस दिशा में ब्लॉक स्तर पर एल.ए.एम.पी.एस की स्थापना, राज्य स्तर पर जनजातीय विकास सहकारिता निगमों की स्थापना और राष्ट्रीय स्तर पर ट्राईफेड की स्थापना जैसे कदम उठाए गए लेकिन विभिन्न जनजातीयों और वन उत्पादों के लिए बेहतर पारिश्रमिक और बेहतर बाजार

सुनिश्चित करने के लिए इन संगठनों का प्रभाव सीमित ही है। इन संस्थानों को पुनर्गठित करने और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि ये अच्छे कार्य निष्पादन और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सहायक सेवा प्रदान कर सकें जिसकी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपेक्षा होती है।

5.42 जनजातियों के बीच सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए विगत में कई अध्ययन किए गए। प्लान परियोजना समिति के समाज कल्याण दल (1959) ने सिफारिश की कि "वनों का वाणिज्यिक प्रयोग का अधिकार ठेकेदारों के स्थान पर सहकारी समितियों को सौंपा जाए।" ढेबर आयोग (1961) ने सिफारिश की कि "उत्पादक की बिक्री और विपणन तथा जनजातीय लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित मूल्य पर, आपूर्ति पर सहकारी समितियों के माध्यम से विशेष ध्यान देना चाहिए। पिछड़ा वर्ग की सहकारी समितियों के कार्यदल (1961) ने जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन के धीमें विकास का कारण संरचनात्मक कमजोरी, प्रक्रियात्मक दोष, प्रबंधन समस्या, दोषपूर्ण कार्यप्रणाली और जनजातीयों के सर्वथा अनुपयुक्त व्यापार तरीकों/परिपाटियों को अपनाना बताया है। श्री.के.एस. बावा की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल ने जनजाति सदस्यों को उत्पादन एवं उपभोग ऋण देने, कृषि एवं लघु वन उत्पाद का विपणन अपने हाथ में लेने तथा उपभोक्ता वस्तुओं एवं कृषि साधनों का वितरण करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में एल.ए.एम.पी.एस. के गठन का सुझाव दिया ताकि जनजातीय लोग एक ही जगह से सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। ग्रामीण निर्धनों के लिए बनी सहकारी समितियों के संगठन पर बनी समिति (1991) की रिपोर्ट में श्री एस. आर. शंकरन ने जनजातीयों के लिए मौजूद सहकारी संस्थानों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए कई सुझाव दिए।

5.43 इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्य–योजना हेतु रूपरेखा बनाए जाने की आवश्यकता है। योजना का मूल उद्देश्य जनजातीयों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि वे स्वयं अपनी–अपनी सहकारी समितियां स्थापित कर सकें और अपनी विपणन नीतियों पर निर्णय ले सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं।

5.44 देश के जनजाति क्षेत्रों में 31–3–94 की स्थिति के अनुसार 3671 एल.ए.एम.पी.एस. थे। परंतु इनमें से आधे अव्यवहार्य थे। हालांकि एल.ए.एम.पी.एस. जनजातीयों के लिए हैं, लेकिन बहुत से मामलों में जजनातीय लोग कम हैं और इसीलिए अधिकांशतः निर्णय की शक्ति गैर–जनजातीय सदस्यों के पास होती है। 31–3–94 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सभी एल.ए.एम.पी.एस. की कुल मिलाकर सदस्यता 47.48 लाख थी जिसमें से केवल 28.33 लाख अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। एल.ए. एम.पी.एस. के संबंध में अधिक जानकारी **अनुबंध-5.VII** में देखी जा सकती है। अनुबंध से यह भी पता चलता है कि कुल ऋण प्राप्तकर्ताओं में 61.85 प्रतिशत जनजातीय लोगों का था और वर्ष 1993–94 के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 36.71 प्रतिशत अल्पावधि ऋण और 57.04 प्रतिशत मध्यावधि ऋण मिला। विभिन्न मूल्यांकन रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश एल.ए.एम.पी.एस में अनिवार्य बुनियादी संरचना का अभाव है और जनजातीय लोगों के समाजिक–आर्थिक विकास पर इसका सीमित प्रभाव है। शंकरन समिति रिपोर्ट ने एल.ए.एम.पी.एस को मजबूत बनाने और उन्हें पुनः सक्रिय करने के

लिए विभिन्न उपाय सुझाए थे। ये **अनुबंध-5.VII** में दिए गये हैं। इन उपायों का तत्काल कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं :-

(i) **जनजातीयों की उत्पादन, विपणन और उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल.ए.एम.पी.एस. द्वारा एकीकृत सेवा सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

(ii) **एल.ए.एम.पी.एस. द्वारा एकीकृत आर्थिक विकास कार्यक्रम के एक अंश के रूप में आर्थिक विकास के भागों जैसे कृषि, पशु-पालन, उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य ग्राम उद्योग एवं हस्थकरधा उद्योग आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए।**

(iii) **नाबार्ड को जनजातीय विकास सहकारी निगमों को ऋण देने के लिए एक पृथक लाइन खोलनी चाहिए जैसा कि इसने एल.ए.एम.पी.एस. को प्रदान करने के लिए गिरिजन सहकारी निगम के मामले में किया है।**

(iv) **एल.ए.एम.पी.एस. की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य टी. डी.सी.सी. भी एल.ए.एम.पी.एस. को ऋण दे सकते हैं।**

(v) **जनजातीयों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। सभी संसाधनों को गतिशील बनाने के लिए स्वयं-सहायता समूह जैसी अग्रज समितियों का गठन करना चाहिए। जनजातीय किसानों एवं एल.इ.एम.पी.एस. के बीच सम्पर्क साधन के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षित जनजातीय युवाओं को लगाकर ग्रामीण स्तर पर सम्पर्क कार्यकर्त्ताओं का जाल बिछाया जा सकता है।**

(vi) **लघु वन उत्पादों का विभिन्न मदों, वर्तमान बाजार दरों तथा इन लघु वन उत्पादों के अंतिम संबंध में जनजातीय लोगों की स्पष्टीकरण देने के लिए एक आसूचना अभियान चलाया जाए ताकि वे जनजातीयों द्वारा संग्रह की गई मदों की आर्थिक संभावनाओं को जान सकें। ये अभियान उन औषधीय जड़ी-बूटियों के मामले में भी प्रासंगिक है, जो वनों मे मिलती हैं।**

(vii) **उपर्युक्त आसूचना अभियान के साथ-साथ जनजातीयों के बीच सहकारिता आंदोलन के संदेशों और लाभों को प्रसारित करने के भी प्रयास करने चाहिए।**

(viii) **अधिकांश राज्यों ने लघुवन उत्पादों के संग्रहण के लिए जनजातीयों के पूर्ण अधिकार को मान्यता दी हैं जहां कहीं ऐसा नहीं हुआ, संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए जनजातीयों को ये अधिकार देने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसी प्रकार उत्पाद के विपणन के लिए जनजातीयों की मदद करने के प्रयोजन से स्थापित राज्य टी.डी.सी.सी. अथवा समान प्रकार की सरकारी सहकारी समितियों को लघुवन उत्पाद मदों के संबंध में पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में, निजी व्यापारी, जो मुख्य रूप से इन मदों**

से जुड़े हैं। जनजातीयों के उनके उत्पादों के लिए बहुत कम मूल्य देकर उनका शोषण करते हैं।

(ix) **हालांकि लघुवन उत्पाद मदों के संबंध में सहकारी समितियों को पूर्ण अधिकार देना एक महत्वपूर्ण कदम हैं, फिर भी इन सहकारी समितियों के लिए यह भी आवश्यक है कि इन मदों की बाजार संभावनाओं को साकार रूप देने के लिए वाणिज्यिक नीति के संबंध में उनके पास स्पष्ट रूप-रेखा हो। सहकारी संस्थाओं जैसे भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड(ट्राइफैड) राज्य टी.डी.सी.सी. एल.ए.एम.पी.एस. आदि को मिलकर देश के लघुवन उत्पादों के अधिकतम उपयोग के लिए विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए।**

(x) **जनजातीय उत्पादों के प्रमाण एवं विक्रय के क्षेत्र में कई सहकारी संस्थायें पहले ही कार्य कर रही है। लेकिन जनजातीयों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिए जाने के अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनो को इकट्ठा करने और कार्य को सही ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। ट्राइफेड, जो कि एक शीर्षस्थ सहकारी संस्था है, के पास इस संबंध में पहले ही आदेश हैं और इसे इस मामले में पहल करनी चाहिए और अपनी सिफारिशों के साथ इस दिशा में काम करना चाहिए।**

5.45 राज्य और केन्द्रीय स्तर के जनजातीय संगठनों के सहायता के अलावा एल.ए.एम.पी.एस. राज्य और केन्द्रीय स्तर के संघों और अन्य विशेष वाणिज्य एवं व्यापार संस्थाओं की नेटवर्किंग की स्थापना की भी आवश्यकता है। राज्य स्तर की संस्थाओं द्वारा बुनियादी स्तर की संस्थाओं को व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिए जाने की भी आवश्यकता है।

कृषि

5.46 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति संख्या का 42.54% मुख्य कामगार थे उसमें से 54.43% कृषक और 32.67% कृषि श्रमिक थे। इसलिए लगभग 87% मुख्य कामगार पूर्णतया या अधिकांशतः कृषि पर निर्भर थे अनुसूचित जनजातीयों की 42.9% स्वकर्षित जोतें सीमांत किसानों (एक हेक्टेयर से कम) की थीं और 24.1% छोटे किसानो (1से 2 हेक्टेयर) से संबंधित थी। केवल 2.2% बड़ी स्वकर्षित जोतें (10 हेक्टेयर और अधिक) थीं। लेकिन अनुसूचित जनजातीयों द्वारा स्वकर्षित कुल क्षेत्र का केवल 9.9% सीमांत अनुसूचति जनजाति के किसानों द्वारा स्वकर्षित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीयों द्वारा स्वकर्षित क्षेत्र का 16.5 % अर्ध–मध्यम किसानों (2 से 4 हेक्टेयर) का और 31.12% मध्यम किसानों (4 से 10 हेक्टेयर) और 16.6% बड़े किसानों (10 और अधिक हेक्टेयर) संबंधित हैं।

5.47 यह स्पष्ट है कि कृषि ही अनुसूचित जनजातीयों का मुख्य आधार है और इनमें अधिकाशं या तो कृषक हैं और/अथवा कृषि श्रमिक। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में मुख्य फसल की उत्पादकता महत्पूर्ण है, जो अनुसूचित जनजातीयों को प्रदान की जानी चाहिए। यह सर्वविदित है कि सामान्यता जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में उत्पादकता अधिकांश फसलों के मामलों मे राज्य की औसत से कम होती है। कुछ जनजातीय विशेष फसलो जैसे तिल्ली, ज्वार आदि के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशे की जाती हैं:–

(i) कृषि विभाग को जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और गैर-जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में तुलना करते हुए उत्पादकता आंकड़ों की मानिटरिगं शुरू करनी चाहिए। उन्हें चुनी गई फसलों/केवल अनुसूचित जनजातीयों द्वारा की गई खेती की उत्पादकता को भी नियमित रूप से मानीटर करना चाहिए आंकडो में दिखाए गए उत्पादकता के रूख का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी कमियों को दूर करते हुए कदम उठाए जाने चाहिए।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) को अपनी अनुसंधान संबंधी गतिविधियों, विशेष रूप से जनजातीयों द्वारा खराब संसाधनों की सहायता से उगाई जाने वाली फसलों पर केन्द्रित करनी चाहिए। लम्बे समय तक रखे जा सकने वाले मोटे अनाज का विकास, उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर बीज, जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध बायोमास का प्रयोग करने के लिए कृषि पद्धतियों, जैव-खाद, बारानी खेती पद्धतियां अनुसूचित जनजातीयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

(iii) अनुसूचित जनजातीयों के लिए कृषि प्राधोगिकी को विकसित करने और उसके हस्तांरण के समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को देखना चाहिए कि इससे उनकी खाद सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसलिए अनुसंधान अध्ययन इस प्रकार कृषि पर केन्द्रित होने चाहिए जो अनुसूचित जनजातीयों की खाद सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें।

(iv) हालांकि जनजातीय अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर आधारित है, फिर भी अधिकांश जनजातीय किसान अभी भी सदियों पुरानी आदिम पद्धतियों से कृषि करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अपनी अनुसंधान गतिविधियों का लक्ष्य उनकी कृषि पद्धतियों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलो को बनाना चाहिए ताकि उसमें सुधार किया जा सके।

(v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्र खोले जाएं।

(vi) झूम खेती करने वाले जनजातीय लोगों के लिए व्यापक पैकेज विकसित किए जाने चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषकों के लिए कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित वर्तमान स्कीम उन अन्य राज्यों में भी शुरू की जानी चाहिए जहां अनुसूचित जनजातियां झूम खेती करती हैं।

(vii) बागवानी और पुष्पकृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(viii) बीजों के परिवहन के लिए आर्थिक सहायता की पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है, अन्य राज्यों में जनजातीय किसानों को भी दी जानी चाहिए क्योंकि इनमें से अधिकांश, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

(ix) जहां तक अनुसूचित जनजातीयों का संबंध है, छोटे किट्स के वितरण के स्थान पर अधिक पैदावार देने वाले बीजों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के पैकेज के सुसम्बद्ध प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(x) **अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को जो भूमि हीन हैं और रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं, कृषि मंत्रालयों की स्कीमों के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से कृषि श्रमिकों आदि द्वारा अपने कौशल उन्नयन के लिए प्रयोग किए जाने वाले कृषि औजारों एवं उपकरणों के क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।**

पशुपालन

5.48 जनजातीयों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्पूर्ण स्थान है। जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका के साध के रूप में इसका दूसरा स्थान है। जनजातीयों द्वारा दुधारु एंव भारवाही पशुओं के साथ–साथ सुअर, बकरी और कुक्कुट पालन भी किया जाता है। इस क्षेत्र में चलने वाले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत कई अनुसूचित जनजातियां लाभान्वित हुई हैं। परन्तु पशुपालन जिसमें जनजातीयों की आय बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं की पूर्ण स्थापना अभी तक नहीं हुई है। वस्तुतः विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीयों को मिलने वाले लाभों के संबंध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

5.49 इस संबंध में आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जनजातीयों को मिलने वाले लाभों के संबंध में पर्याप्त आंकड़े तैयार किए जाने चाहिए। संबंधित मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों को ग्रमीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से जनजातिय क्षेत्रों में पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के मूलभूत ढांचे तथा जनजातिय उपयोजना के लिए रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में पी. एच. सी. तथा उपकेन्द्रों की तरह पशुपालन केन्द्रों की स्थापना के लिए नियमों में छूट दी जानी चाहिए। जनजातिय क्षेत्रों में पशुधन के कोटि–उन्नयन के लिए विशेष नीति तैयार की जानी चाहिए। स्थानीय ग्रामीण/जनजातिय युवा को आवश्यक प्रशिक्षण दे कर उन्हें शमिल करते हुए सादे एंव मेहनती पशुचिकित्सकों की स्कीम तैयार की जाए। साथ ही, लोगों में जागरूकता लाई जाए तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इसमें लोगों को भागीदारी सुनिश्चत की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम

5.50 ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने सभी कार्यक्रमों और उप–योजनाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के लिए अलग से वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण एक समान नहीं कर रहा है। जबकि ऐसा किया जाना चाहिए और प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्कीम वास्तविक एवं वित्तीय प्रति व्यक्ति लाभ को नियमित रूप से मानीटर किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातीयों के हितों के विरुद्ध पाई गई। किन्हीं प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए और उसके तत्काल उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। उपचारात्मक उपाय स्कीम विशेष से जुड़े हुए और यदि आवश्यक हो तो राज्य विशेष से संबन्धित होने चाहिए।

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5.51 इसके अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजातीयों का प्रतिशत 1993–94 में 17.05 था, जो घटता हुआ 1994–95 में 15.26% और 1995–96 में 13.32% रह गया। अनुसूचित जनजातीयों

पर किया गया प्रति व्यक्ति निवेश सामान्य श्रेणी के प्रति व्यक्ति निवेश से कम है और यदि इसकी अनुसूचित जाति के लिए प्रति व्यक्ति निवेश से तुलना की जाए तो यह और भी कम है। उदाहरण के लिए 1993–94 में ये आंकड़े सामान्य श्रेणी के लिए 7449/– रुपये, अनुसूचित जनजातियों के लिए 6552/–रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 8670/– रुपये थे।

5.52 पिछले कुछ वर्षों के दौरान छोटे किसानों पर प्रति व्यक्ति निवेश अपर्याप्त रहा। सीमांत किसानों पर और भी कम तथा कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों पर तो और भी कम था। दूसरी श्रेणी की तुलना में तीसरी श्रेणी में अधिक अनुसूचित जनजातीयों के आने की संभावना है और जो प्रथम श्रेणी में होने थे, वे द्वितीय श्रेणी में हैं। (उदाहरण के लिए 1993–94 में छोटे किसानों के लिए प्रति व्यक्ति निवेश 10,569/– रुपये, सीमांत किसानों के लिए 9164/–रुपये और कृषि श्रमिकों के लिए 8210/– रुपये तथा ग्रामीण कारीगरो के लिए 8089/–रुपये था।) इन सभी प्रवृतियों का विश्लेषण और उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

(ii) जवाहर रोजगार योजना एंव ई.ए.एस.

5.53 केवल जवाहर रोजगार योजना में ही अनुसूचित जनजातीयों का अंश 18% से 19 % के बीच स्थिर रहा लेकिन ई.ए.एस. के अंतर्गत रोजगार उत्पन्न करने के लिए पहले से अधिक राशि मिल रही है। अनुसूचित जनजातीयों का अंश 1994–95 में 33.27% से घटकर 1995–96 से 28.06% हो गया। यहां भी अनुसूचित जनजातीयों का अंश 1994–95 में 28% से घटकर 1995–96 में 22% हो गया। इन प्रवृत्तियों को बदलने की जरूरत है।

(iii) इंदिरा आवास योजना एंव एम.डब्ल्यू.एस

5.54 मानिटर करने की पद्वति दोषपूर्ण है। आंकड़े मेल नहीं खाते क्योंकि अनूसूचित जनजाति प्रधान राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों कें आंकड़े नहीं दे रहे हैं।

(iv) डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए

5.55 डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. मूलतः गरीबी रेखा से नीचे रह रही ग्रमीण महिलाओं के उत्थान का कार्यक्रम है। इसलिए अनुसूचित जातियों एंव अनुसूचित जनजातीयों के सदस्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता पाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10–15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है और प्रत्येक समूह को 25,000/– रुपये की आवर्ती राशि दी जाती है। आवर्ती राशि का प्रयोग करने वाले धनोपार्जन किया जाता है। आठवीं योजना (1995–96 के अंत तक) के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीयों की सदस्यता इस प्रकार थी :––

तालिका-5.12

डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. समूहों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीयों का प्रतिनिधित्व

वर्ष	बनाया गया समूह	कुल	सदस्यता				
			अनुसूचित जाति	%	अनुसूचित जनजाति	%	अ.जा.,अ.ज.जा. की संयुक्त प्रतिशतता
1992-93	9029	125744	92155	24.98	32175	25.72	50.22
1993-94	15430	268525	121524	46.26	57447	21.43	66.69
1994-95	37884	591696	234481	39.63	1683	15.49	55.12
1995-96	22277	481651	481651	42.38	47273	9.81	53.19

5.56 यह देखा जा सकता है कि आठवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संचयी प्रतिशत 50% से अधिक था।

आर्थिक विकास और पंचायती राज संस्थाएं

5.57 संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य और सरपंच के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं सहित 7 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि समाज के इन वर्गों से होंगे। संविधान का अनुच्छेद 243 (छ:), जो पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, बताता है कि "संविधान के उपबंधों के अधीन, राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जिन्हें वह स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक समझता है और उक्त विधि में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने के संबंध में उन शर्तों को जो इसमें विनिर्दिष्ट हों, के अधीन उपयुक्त स्तर पर पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को बढ़ाने के लिए उपबंध निहित हो सकते हैं तथा उन्हें अनुसूची 11 के अधीन सूचीबद्ध मामलों से संबंधित शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं "11वीं अनुसूची पंचायतों को भूमि विकास से सामुदायिक परिसंपत्तियों के रख–रखाव तक 29 विषय सौंपती है।

5.58 इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं स्वयं तैयार करेंगे और निष्पादित करेंगे। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों को इन संस्थाओं को क्रियात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए ताकि ये संस्थाएं संविधान के अधीन यथा परिकल्पित स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करें।**

5.59 इसके अतिरिक्त, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम 1996 के उपबंध को अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है और इसे 24 दिसम्बर, 1996 से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में प्रवृत्त किया गया है।

5.60 यह अधिनियम, ग्रामसभा को ऐसे कार्यक्रम के अधीन लाभभोगियों की पहचान करने सहित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करने की शक्तियां प्रदान करता है। पूर्वेक्षण लाइसेंसों या खनन या खनिज पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या पंचायत से उपयुक्त स्तर पर परामर्श लिया जाएगा और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण या विकास परियोजनाओं अथवा परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पुनर्वास के लिए पहले उनकी सिफारिशें प्राप्त की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर लघु वनोत्पाद का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।

5.61 **चूंकि पंचायती राज संस्थाओं को अभी मजबूती से स्थापित होना है इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि संबंधित राज्यों को विधान को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए तत्काल उपयुक्त उपाय करने चाहिएं ताकि जनजातीयों को अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यों में पूरी सहभागिता मिल सके।**

II. अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास

5.52 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 1382.23 लाख थी और वे देश की कुल जनसंख्या (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) के 16.37% का प्रतिनिधित्व करते थे जिनमें से 11.23 करोड़ लोग (81.28%) ग्रमीण क्षेत्रों में रहते थे। देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 22 राज्यों और 5 संध राज्य क्षेत्रों में बंटी हुई है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब (28.31%), पश्चिम बंगाल (23.62%) और उत्तर प्रदेश (21%) में अनुसूचित जातियां मिलकर कुल जनसंख्या का काफी बड़ा भाग बनती है। 199 की जनगणना के अनुसार जाति की 11.23 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। अनुसूचित जातियों की कुल मिलाकर अधिकतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश (2.93 करोड़), पश्चिम बंगाल (1.61 करोड़) बिहार (1.16 करोड़), तमिलनाडु (1.07 करोड़), आंध्र प्रदेश (1.06 करोड़), और मध्य प्रदेश (0.96 करोड़) में है। अधिक जनसंख्या अर्थात अनुसूचित जातियों की 40% से अधिक जनसंख्या वाले देश में 119 ब्लाक हैं। ये ब्लाक बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु,

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना

5.63 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छठी योजना के दौरान विशेष संघटक योजना की नीति अपनाई गई थी। इस नीति में विकास के विभिन्न शीर्षों के तहत अनुसूचित जातियों के विकास से सीधा संबंध रखने वाली स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य और केन्द्र की योजना से परिव्यय का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार के इन प्रयासों को भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरा किया है। इस नीति का एक और महत्त्वपूर्ण घटक बैंक–ग्राह्य परियोजनाओं के लिए संस्थागत वित्त जुटाना था जिसमें अनुसूचित जाति विकास निगम को एक उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह करना था।

5.64 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी ने अपनी विशेष संघटक योजनाएं तैयार की थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (अर्थात 1992–93 से 1996–97) के दौरान विशेष संघटक योजना के अधीन परिव्यय का राज्यवा ब्यौरा **अनुबंध- 5.IX** में देखा जा सकता है।

5.65 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विशेष संघटक योजना के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि अधिकांश राज्यों, जिनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और चण्डीगढ़ शामिल हैं, में 1996–97 के दौरान अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के अधीन कम प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 1994–95 के दौरान केरल के अलावा इन राज्यों में से अधिकांश राज्यों ने अपनी अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के अधीन कम निधियां रखी थीं। आयोग चिन्ता के साथ यह भी नोट करता है कि 1995–96 के दौरान अधिकांश राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, चण्डीगढ़ और दिल्ली में राज्य की योजनाओं से विशेष संघटक योजना के लिए दी गई निधि का प्रतिशत 1994–95 में तत्संबंधी निधि की तुलना में 1995–96 में कम रहा है। **अनुबंध 5.IX** में उल्लिखित विशेष संघटक योजना के अधीन व्यय के ब्यौरों से यह पता चलता है कि 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्य और संघराज्य क्षेत्र वर्ष 1994–95 की योजना के दौरान इसके अधीन रखी गई राशि का व्यय नहीं कर सके।

5.66 1990–91 से 1996–97 तक की छठी, सातवीं और वार्षिक योजनाओं के दौरान विशेष संघटक योजना के अधीन राज्य योजना से कुल परिव्यय और व्यय निम्न प्रकार से थे :–

तालिका 5.13

राज्य योजना के विशेष संघटक योजना के अंतर्गत परिव्यय और व्यय

योजना अवधि	राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना परिव्यय	परिव्यय का प्रतिशत	वास्तविक व्यय प्रतिशत	व्यय का परिव्यय प्रतिशत का	
छठी योजना						
सातवीं योजना	47149.89	3614.66	7.66	2978.70	6.32	82.41
वार्षिक योजनाएं	89322.89	7385.42	8.27	6916.62	7.74	93.65
1990–91	23255.49	2377.82	10.23	2105.83	9.07	88.56
1991–92	28041.04	3066.37	10.93	2936.45	10.47	95.76
आठवीं योजना						
1992–93	30684.47	30.90	10.07	2892.89	9.43	93.61
1993–94	32728.54	3487.89	10.65	2933.98	8.96	84.12
1994–95	36842.12	4059.45	11.02	3466.94	9.41	85.40
1995–96	46958.01	5913.86	12.59	उपलब्ध नहीं है–		
1996–97	54400.83	6007.00		—वही—		

स्रोत: कल्याण मंत्रालय

5.67 कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात के लिए बार–बार जोर दिया है कि वे अपनी अनुसूचित जाति का जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विशेष संघटक योजना परिव्यय में वृद्धि करें। लेकिन देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.48% (1991) की तुलना में 1996–97 के दौरान विशेष संधटक योजना के अधीन राज्य योजना परिव्यय 11.02% परिकलित किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात की तुलना में सदैव कम रहा है। उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि **हालांकि इन वर्षो में विशेष घटक योजना के अंतर्गत परिव्यय में बढ़ोतरी होती रही है फिर भी विशेष संघटक योजना की निधि का कभी भी पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ है। आयोग यह महसूस करता है कि न केवल राज्य योजना परिव्यय से विशेष संघटक योजना के लिए निधियां प्रदान की जांए जो कम से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन इस योजना के तहत वास्तविक व्यय को भी उसी स्तर तक लाया जाना चाहिए। पुनरीक्षा बैठकों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों पर इसके लिए भी दबाव डाला गया था।**

विशेष संघटक योजना का प्रभाव

5.68 विशेष संघटक योजना की नीति अपनाने से एक मुख्य लाभ यह हुआ है कि इससे निधि का आबंटन और निधि के प्रवाह का विशेष तौर पर अनुसूचित जाति के विकास के लिए प्रयोग होगा और एक अवधि के बाद वित्तीय आबंटन के अनुसार विशेष संघटक योजना के आकार में भी वृद्धि होगी।

5.69 लेकिन अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य वर्गो के विकास के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या की स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। निम्नलिखित साक्षरता दरों में अंतर–दशवार्षिक प्रवृत्ति और व्यावसायिकता प्रवृत्ति (1981 की जनगणना और 1991 की जनगणना के आधार पर) दर्शाती है कि मुख्य विकास संकेतकों के संबंधों में अनुसूचित जातियां विकास के इस अन्तर को दूर करने में अक्षम हैं। नीचे दी गई तालिका से संकेत मिलता है कि महिला साक्षरता के मामले में 1981–91 के दौरान यह अन्तर और अधिक हुआ है।

तालिका 5.14

अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या में साक्षरता दर

वर्ष	शेष जनसंख्या (गैर अनुसूचित जाति जनसंख्या)		अनुसचित जाति/जनजाति	
	व्यक्ति	महिला	व्यक्ति	महिला
1981	41.22	29.51	21.39	10.93
1991	57.69	44.82	37.41	23.76

5.70 अनुसूचित जाति जनसंख्या की व्यवसायिक रूपरेखा से पता चलता है कि कृषि पर आधारित क्रियाकलापों पर निर्भरता अभी भी बहुत अधिक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष तौर पर कृषि श्रमिकों के संबंध में व्यवसाय विविधता में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है।

5.71 राष्ट्रीय आयोग ने इन राज्यों के विकास कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कर्नाटक, केरल, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल और चण्डीगढ़ के साथ बैठकें आयोजित की हैं। पुनरीक्षा के दौरान आयोग ने इन राज्यों की विशेष घटक योजनाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया। आयोग द्वारा यह अवलोकन किया गया कि अधिकांश राज्य, राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के लिए निधियों का आबंटन नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि कुछ राज्यों में आबंटित निधि अप्रयुक्त पड़ी रहती है। आयोग को यह भी पता चला कि कुछ राज्यों में बड़ी परियोजनाओं जैसे

पावर, सड़क आदि के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस प्रकार परिव्यय के अभिप्राय परक निर्धारण से विशेष संघटक योजना नीति का उद्देश्य पूरा नहीं होता और इसलिए राज्य सरकारों को विशेष संघटक योजना में केवल उन्हीं कार्यक्रमों/स्कीमों को शमिल करना चाहिए जिनका सीधा संबंध इस वर्ग के लोगों के विकास से हो। यह आयोग सिफारिश करता है कि **सभी राज्यों को राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के लिए निधि आबंटित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक मोनिटर करना चाहिए कि निधि का पूरा उपयोग किया गया है। राज्य सरकारों को अपनी विशेष संघटक योजना में उन कार्यक्रमों में सुधार लाना चाहिए जिनका प्रत्यक्ष संबंध अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण से हो।** इस संबंध में यह महत्त्वपूर्ण है कि आबंटित निधि के व्यय की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का किसी अन्य मद पर व्यय नहीं किया गया है, मुख्य सचिव स्तर पर नियमित पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

5.72 इस आयोग ने अपनी पुनरीक्षा बैठकों में यह भी देखा है कि अधिकांश राज्यों में विशेष संघटक योजना की मॉनिटरिंग पर्याप्त और प्रभावी नहीं थी। 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, से जिन्होंने विशेष घटक योजना तैयार की है, में से 18 राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों ने कार्यक्रम की मॉनिटारिंग में सुधार लाने के लिए अब तक विशेष बजट शीर्ष खोले हैं। शेष 6 राज्य नामतः जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम, बंगाल, गोवा और चंडीगढ़ ने विशेष संघटक योजना के लिए पृथक बजट शीर्ष अभी खोलना है। बारह राज्य नामतः असम, बिहार, गोवा, गुजराज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास से संबन्धित विभागों को विशेष संघटक योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए नोडल विभाग बनाया है। चौदह राज्य नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग समितियां गठित की हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि सभी राज्य सरकारों को तत्काल अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित निधि को अन्य मदों पर खर्च करने अथवा उनका दुरुप्रयोग न करने के लिए विशेष संघटक योजना के आबंटन के लिए पृथक बजट शीर्ष खोलना चाहिए और अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास से संबंधित विभाग को विशेष संघटक योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।**

5.73 विशेष संघटक योजना की एक बड़ी कमी अनुसूचित जाति से सीधा संबंध रखने वाली स्कीमें तैयार न करना और विशेष संघटक योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों का नैमी क्रियान्वयन न होना है। सामाजिक–आर्थिक विकास के संबंध में अनुसूचित जाति और शेष जनसंख्या के बीच असमानताओं को दूर करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य का न होना है। इस आयोग को यह पता चला है कि अनेक मामलों में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत आंबटित निधियों का प्रयोग अन्य क्षेत्रों की मांग पूरा करने के लिए किया गया है। इससे राज्य सरकार के पक्ष में प्रतिबद्धता की कमी और समानतावादी समाज का

गठन करने के लिए सांविधिक बाध्यताओं को पूरा करने की महत्त्वहीनता का पता चलता है। 28% की अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात वाले पंजाब राज्य का उदाहरण देते हुए यह विशेष रूप से कहा जा सकता है कि इस राज्य में विशेष घटक योजना को जोर–शोर से लागू नहीं किया गया। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में राज्य सरकार ने विशेष संघटक योजना के लिए 1994–95, 1995–96 और 1996–97 के दौरान क्रमशः 13.80 प्रतिशत, 11.94 और 11.08 प्रतिशत निधि आंबटित की गई। 1994–95 और 1995–96 की वार्षिक योजनाओं में दिखाए गए व्यय संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि तीन वर्षो के दौरान आबंटित अपर्याप्त परिव्यय विशेष संघटक योजना के क्रियान्वयन के दौरान घटकर मूल आबंटन का आधा रह गया। राज्य सरकार को विशेष संघटक योजना के लिए उनकी विकास योजना में उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि विशेष संघटक योजना के लिए निर्धारित की गई निधियों का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए न किया जाए। **कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से प्रभावशील बनाने के लिए राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष घटक योजना के अंतर्गत सभी स्कीम अनुसूचित जाति के लोगों की विशेष आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार हों। विशेष घटक योजना के अधीन उपयुक्त स्कीम तैयार करके मुख्य क्षेत्रों जैसे कृषि, पशु पालन, डेरी विकास, मछली पालन, लघु और कुटीर उद्योग, चमड़ा, बुनाई कपड़ा (वस्त्र), हथकरधा आदि में स्कीमों के लिए अधिक निधि का आबंटन किया जाना चाहिए।**

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

5.74 विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देना अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा किए जा रहे वित्त पोषण का महत्वपूर्ण साधन है। विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग इस अंतर को समाप्त करने के लिए और परिवारोन्मुख आय सृजित करने वाली स्कीमों में महत्त्वपूर्ण अप्राप्त निवेश को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए गए विकास कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। 1992–93 से 1996–97 के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता **अनुबन्ध-5.X** में देखी जा सकती है।

5.75 विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सापेक्षिक पिछड़ेपन, योजना में कम्पोजिट आर्थिक विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत, राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में राज्य की वार्षिक योजना के लिए विशेष घटक योजना का प्रतिशत, विशेष तौर पर पर असुरक्षित समूहों के लिए कार्यक्रम और पिछले वर्ष के दौरान विशेष संघटक योजना के क्रियान्वन जैसे मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस शर्त, कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग ऐसी रीति से करना चाहिए जिससे अनुसूचित जातियों के विकास के प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहन मिले, के अधीन 50% अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ब्लॉक में आधारभूत विकास शील कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकारों को योजना

और योजनेतर आबंटन के अंतर्गत दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता निधि के संबंध में राज्य सरकारों के दायित्व को बदलना नहीं चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 1992–93 से लेकर अब तक दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि नीचे दर्शायी गयी है :

तालिका-5.15

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और उसका उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	दी गई राशि	उपयोग
1992–93	248.80	232.79
1993–94	272.12	257.56
1994–95	273.85	301.78
1995–96	275.00	290.71
1996–97	(अनन्तिम) 275.00	267.72

(स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 1996-97 कल्याण मंत्रालय)

5.76 केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल राशि से यह संकेत मिलता है कि यह राशि 1993–94 से लगभग 275 करोड़ रुपये पर स्थिर है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सहायता की राशि समान अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को वार्षिक दर को ध्यान में रखते हुए वास्तविक अर्थ में कम हुई है। **आयोग यह सिफारिश करता है कि केन्द्र सरकार को न केवल विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल रारिश में नियमित रूप से वृद्धि करनी चाहिए ताकि न केवल बढ़ती हुई कीमतों के साथ सामंजस्य हो सके बल्कि राज्य अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अपने क्रियाकलापों को भी बढ़ा सकें।**

5.77 केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1990–91 से 1993–94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग की जांच की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हालांकि यह उपयोग कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है फिर भी राज्यों द्वारा क्रियान्वयन करने वाली ऐजन्सियों को धनराशि देने में अनुचित विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियां अप्रयुक्त पड़ी रही। मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के संबंध में अप्रयुक्त शेष राशि की सूचना प्राप्त हुई है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष बिहार राज्य सरकार को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से 1993–94 के अंत में बिहार सरकार के पास 70.50 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी। राज्य सरकारों के साथ इसकी पुनरीक्षा बैठकों के दौरान आयोग ने भी राज्य सरकारों पर विशेष केन्द्रीय सहायता का कुशलता से और समय से उपयोग करने पर जोर दिया। **इस संबंध में आयोग ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे**

क्रियान्वयन करने वाली ऐजन्सियों को समय से धनराशि देना सुनिश्चित करें। ताकि यह धनराशि बेकार न पड़ी रहे।

5.78 वर्ष 1995–96 के दौरान मंत्रालय ने एक ऐसी अप्रोत्साहन स्कीम आरम्भ की थी जिसमें परवर्ती वर्ष के आरम्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि के समकक्ष राशि को परवर्ती वर्ष में उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की जाने वाली देय राशि में से घटाए जाने का प्रावधान था। श्रम और कल्याण स्थायी समिति ने अपनी तारीख 14.8.96 की बैठक में सुझाव दिया था कि चूक करने वाले राज्यों को अप्रोत्साहित करने की बजाय मंत्रालय को इस कार्यक्रम को पूरी तरह मॉनिटर करना चाहिए और राज्यों पर विशेष संघटक योजना के तहत आवंटित राशि का पूरा–पूरा उपयोग करने पर जोर देना चाहिए। मंत्रालय ने स्थायी समिति की सिफारिश पूरी तरह स्वीकार कर ली है। **इस संबंध में आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में की गई सिफारिश को दोहराया है कि मंत्रालय उन राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता का बेहतर उपयोग किया हो। आयोग यह भी सुझाव देता है कि मंत्रालय चूक करने वाले कुछ राज्यों के मामले की विस्तृत जांच करे ताकि विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग में आने वाली बाधाओं की पहचान की जा सके। यदि संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग कम हुआ है तो राज्य सरकार को उन्हें उत्तरदायी ठहरानाचाहिए।**

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विशेष संघटक योजना

5.79 विशेष संघटक योजना की नीति के क्रियान्वयन में केन्द्रीय मंत्रालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्द्र पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों के विकास का विशेष दायित्व है। कल्याण मंत्रालय ने 1996–97 की अपनी वार्षिक रिर्पोट में उल्लेख किया है कि 67 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में से केवल 13 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तैयार करने की सूचना दी है। इस रिपोर्ट में यह भी देखा जा सकता है कि अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए आवंटित निधि देश भर की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में नहीं है।

5.80 आयोग यह महसूस करता है कि केन्द्र को अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अपेक्षित निधियों में अपेक्षाकृत अधिक अंशदान देना चाहिए क्योंकि राज्य स्वयं अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या के विकास में विषमताओं को दूर करने का पूरा कार्य करने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में यह चिन्ता का विषय है कि 67 केन्द्रीय मंत्रालयों में से केवल लगभग 13 या 14 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग विशेष घटक योजना के अंतर्गत आवंटन के लिए अनुमानित निधियों की सुचना दे रहे हैं और इन मंत्रालयों द्वारा आवंटित निधियों अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नहीं है। आयोग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों से उन सभी उपयुक्त स्कीमों, जो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सुसंगत हैं की पहचान करने का और आबंटन कम से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में करते हुए अपनी

विशेष संघटक योजना तैयार करने का आग्रह करता है। मंत्रालयों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में पृथक रूप से विशेष संघटक योजना के लिए आवंटित राशि, उसका उपयोग, वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति और अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों के कल्याण और विकास के लिए इन मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की गई मुख्य स्कीमों के विवरण भी दर्शाए जाने चाहिए। **आयोग यह भी सिफारिश करता है वित्त मंत्रालय को वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय संसद में विशेष संघटक योजना से संबंधित पृथक रिर्पोट भी प्रस्तुत करनी चाहिए जैसा कि कुछ राज्य विधान सभा में अपना बजट प्रस्तुत करते समय कर रहे हैं।**

5.81 केन्द्रीय मंत्रालयों में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने गरीबी दूर करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है जो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचितत जनजातीयों को लाभ पहुंचाने वाले कुछ गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रमों पर अगले पैरागाफों में चर्चा की गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5.82 इस कार्यक्रम के तहत जिन समूहों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातीयां, छोटे और सीमांत कृषक, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण दस्तकार और वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं अर्थात् ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 11,000/–रुपये से कम है, शामिल है। सहायता प्राप्त परिवारों में से कम से कम 50% परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से होने चाहिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 95 लाख परिवारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है जिसमें से 48. 83 लाख परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों से संबंधित हैं।

5.83 मंत्रालय ने 1991–92 से प्रायोगिक आधार पर परिवार ऋण योजना आरंभ करके प्रति परिवार निवेश के औसत स्तर में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें 1994–95 में 213 और अधिक जिलों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने 1995–96 के वास्तविक लक्ष्यों के स्थान पर लाभभोगियों के भाग के अनुसार ऋण लक्ष्य नियत करने का निर्णय किया है। इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप प्रति परिवार निवेश का औसत स्तर आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में 7889/–रुपये से बढ़कर 1996–97 (नवम्बर, 1996 तक) 14,400/–रुपये हो गया है। परिवार–ऋण योजना सभी जिलों में लागू की जानी चाहिए। लेकिन 14,400/–रुपये का निवेश गरीबी की दीन–हीन दशा, में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचितत जनजातीयों के किसी भी व्यक्ति को गरीबी से उबारने के लिए पर्याप्त नहीं था।

5.84 मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1992 से अगस्त, 1993 तक की अवधि से संबंधित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में किये गये समवर्ती मूल्यांकन, जो 1996 में प्रकाशित हुआ था, से यह

तथ्य उजागर हुआ है कि पुराने लाभभोगी परिवारों के केवल 15.96% परिवार 11,000/–रुपये की गरीबी रेखा पार कर सके। लेकिन परिवारों के आय समूहों द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि उन परिवारों, जिनकी आय आरम्भ में ही 8501/–रुपये से 11,000/–रुपये के बीच में थी, में से 48.22% लाभभोगी परिवार 11,000/–रुपये की गरीबी रेखा पार करने में सक्षम हैं। इसलिए समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट में यह देखा गया है कि इन कार्यक्रमों के तहत प्राप्त सहायता से गरीब व्यक्ति की आय में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। केवल वही व्यक्ति 11,000/–रुपये के वार्षिक आय स्तर को पार कर सके थे जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने से पहले ही इस स्तर को पार करने में समर्थ थे। इसलिए सहायता की राशि में काफी अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी गरीबी रेखा पार कर सके। इस कार्यक्रम से संबंधित विषयों का व्यापक प्रचार करने की आवश्यकता है क्योंकि वे समूह, जिन पर यह कार्यक्रम लागू किया जाना है, इस कार्यक्रम से होनेवाले लाभों से भली प्रकार से परिचित नहीं है। समवर्ती मूल्यांकन से यह पता चलता है कि 57% लाभभोगियों को इस कार्यक्रम के तहत समूह जीवन बीमा योजना के लाभ की जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्राइसेम (टी आर वाई एस ई एम) और डी डब्ल्यू सी आर ए का आई. आर. डी. पी. के साथ आपसी तालमेल बहुत कम था। कुल मिलाकर केवल 2.09% परिवारों ने बताया कि उनके सदस्यों को डी डब्ल्यू सी आर ए के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई थी और केवल 2.02% लाभभोगियों ने टी आर वाई एस ई एम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 1995–96 के दौरान आई आर डी पी के तहत वास्तविक प्रगति से संबंधित राज्य–वार ब्यौरे **अनुबंध 5.XI** में दिए गए हैं।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

5.85 स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष तक की आयु समूह के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अंततः स्वरोजगार स्थापित कर सके या किसी आर्थिक उद्यम में वेतन पर मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकें। एकीकृत ग्रामीणविकास कार्यक्रम के मामले में कुल प्रशिक्षित युवाओं में से 50% युवा अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में से होने चाहिए।

5.86 वार्षिक योजना 1995–96 और 1996–97 (नवम्बर, 96 तक) के दौरान टी आर वाई एस ई एम (ट्राइसेम) के अंतर्गत 2.91 लाख और 1.47 लाख युवाओं को प्रशिक्ष्ति किया गया था। इन दो वर्षो के दौरान इसमे क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 1,33,930 और 59480 युवा शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की 1996–97 की वार्षिक रिर्पोट के अनुसार प्रशिक्षित युवाओं में से 1995–96 में 1,41,115 (48%) और 1996–97 में 52321 (35%) युवाओं को रोजगार प्राप्त हो गया था। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आधे से अधिक युवा अपने प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं पा सके थे। रोज़गार प्राप्त न करने की इतनी अधिक दर का महत्वपूर्ण कारण यह था कि इन युवाओं

का इस कार्यक्रम के तहत वित्त और विपणन व्यवस्था से संबंधित उपयुक्त जानकारी ही नहीं दी गई थी इसलिए विपणन व्यवस्था के संबंध में उस सीमा तक अध्ययन करने के लिए निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए, जिस सीमा तक उन क्रियाकलापों के संबंध में स्वरोजगार देना संभव हो, जिनके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है,

5.87 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कराए गए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन में यह दर्शाया गया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों में से केवल 2% ने "ट्राइसेम" (स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं प्रशिक्षण) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इससे पता चलता है कि आई आर डी पी और टी आर वाई एस ई एम (ट्राईसेम) के बीच अधिक तालमेल नहीं हो पाया। आयोग की यह राय है कि चूंकि इस कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार "ट्राइसेम" के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रत्येक युवा भावी आई आर डी पी लाभभोगी है, अतः विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत एस सी डी सी प्रशिक्षण संस्थानों से और अधिक संपर्क बनाकर "ट्राइसेम" के अंतर्गत प्रशिक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को शामिल करने के मामले में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकेगा।

• मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

5.88 जवाहर रोजगार योजना इस समय देश में ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे मजदूरी रोजगार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पर होने वाले व्यय को केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।

5.89 1989–90 में जवाहर रोजगार योजना के आरम्भ से 1995–96 तक राज्यों ने 21335. 58/–करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। इस अवधि के लिए 59364 लाख श्रम दिवस बनाने का लक्ष्य रखा गया था और वास्तविक रोजगार 582354 लाख श्रम दिवस था जिससे 98.19% लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों को कुल रोजगारों में से केवल 37.43% रोजगार मिला। रोजगार प्राप्त करने के संबंध में इस स्कीम की लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। क्योंकि ग्राम स्तर पर किए गए निरीक्षणों से पता चलता है कि उक्त रिकार्ड पंचायतों द्वारा नहीं रखे गए थे।

दस लाख कुओं की स्कीम

5.90 दस लाख कुओं की स्कीम में लाभभोगियों को खुले सिंचाई कुंए, सिंचाई टैंक और खेती करने के साधन प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के तहत भूमि विकास का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 1995–96 के दौरान कुल 1,42,685 कुएं खोदे गए थे जिन पर 5387.29/– करोड़ रुपये खर्च हुए थे। मंत्रालय ने अपनी 1996–97 की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया है कि वार्षिक योजना 1996–97 (अक्तूबर, 1996 तक) के पहले सात महीनों के दौरान कुल 51521 कुएं खोदे गे थे जिनमें

से 18248 (35%) कुएं अनुसूचित जातियों के प्रयोग के लिए थे। क्षेत्रीय स्तर पर इस योजना के निरीक्षण से पता चला है कि इसके क्रियान्वयन में बहुत सी चूक हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत खोदे गए कुओं में उन स्थानों पर पानी नहीं निकला जहां अवमृदा जल बहुत नीचे था। इस स्कीम का उपयोग बेहतर ढंग से करने के लिए इसमें बोरवैल को भी शामिल करके इस स्कीम को संशोधित किया जाना चाहिए। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गद खोदे गए कुओं की आवधिक पुनरीक्षा करनी चाहिए ताकि गांव के केवल बड़े किसान ही कुओं से होने वाले सिंचाई के लाभ प्राप्त न कर सकें।

इंदिरा आवास योजना

5.91 1991 की जनगणना के अनुसार 34.10 लाख परिवारों के सिर पर छत नहीं हैं और 103.10 लाख परिवार टूटे–फूटे घरों में रह रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि, बेघरबार होने वाले परिवारों की संख्या में वार्षिक वृद्धि की दर और आवासीय यूनिट, जिनके आवासीय स्टॉक की मौजूदा वृद्धि में शामिल होने की संभावना थी, को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने यह आकलन किया है कि लगभग 176.70 लाख यूनिटों की कमी को 2002 ई. तक पुरा कर लिया जाएगा। जिसमें लगभग 103 लाख मकान ऐसे हैं जिनका ग्रेड बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और 73.70 लाख बिना छत वाले मकान शामिल हैं। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क रिहायशी मकान उपलब्ध कराना है। वर्ष 1995–96 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख मकानों के निर्माण का निर्णय लिया था जिसके लिए 1368.34 करोड़ (राज्य के भाग सहित) रुपये का आवंटन किया गया था। वर्ष 1996–97 के दौरान 1123560 के लक्ष्य की तुलना में 356855 मकानों का निर्माण किया गया था जो केवल 31.76% लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है। निर्मित मकानों में से 187565 (52%) अनुसूचित जाति के लोगों के लिए थे। चूकि यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए है इसलिए मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों को पूरा करने में कमी नहीं आनी चाहिए जैसी कि 1996–97 में आई थी। इस स्कीम के तहत निर्मित मकानों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध – 5.XII में दिया गया है।

रोजगार आश्वासन स्कीम

5.92 रोजगार आश्वासन स्कीम अक्तूबर, 1993 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। इस स्कीम के तहत गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति, जिसे रोजगार की आवश्यकता है, को 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। आरम्भ में यह स्कीम 261 जिलों के 1778 ब्लॉकों में क्रियान्वित की गई थी। मंत्रालय ने अब इस स्कीम को अगले दो वर्षो में देश के सभी ब्लॉको में लागू करने का निर्ण लिया है।

5.93 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बहुत बड़ा अनुपात खेतिहर मजदूरों का है और उनके पास वर्ष भर निश्चित रोजगार नहीं रहता है, इसलिए

ठेकेदारों, दलालों आदि द्वारा उनके शोषण की संभावना रहती है। इस संबंध में निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त उतने दिनों जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को निश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, को भी नियमित रूप से मॉनिटर किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1995–96 के दौरान राज्यों में 3467.27 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया।

ग्रामीण जल आपूर्ति

5.94 देश के अनेक भागों में अनुसूचित जाति के लोगों को पेय–जल लेने के मामले में परम्परागत रूप से भेदभाव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से हिस्सों में अब भी अनुासूचित जाति के लोगों के लिए अलग से कुंए हैं अथवा पेय–जल के स्रोत की तुलना में बहुत अधिक घटिया है। उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में सुरक्षित पेय–जल को उपलब्ध कराने के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। 1986 में राष्ट्रीय पेय–जल मिशन आरम्भ किया गया था। लेकिन पिछले 50 वर्षों के सभी प्रयासों के बावजूद सभी लोगों को पेय–जल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। ग्रामीण क्षेत्रों में पेय–जल के प्रावधान के लिए द्रुत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन निधियां उपलब्ध कराई जा रही है। 1991–92 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति के लिए द्रुत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधि की न्यूनतम 35% निधि आवंटित करने के अतिरिक्त सरकार ने डा. बाबा साहेब आम्बेडकर शताब्दी कार्यक्रम के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीयों की बस्तियों के लिए 60 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने का निर्णय किया है। इसमें से 56.70 करोड़ रुपये 1991–92 में, 2.23 करोड़ रुपये 1992–93 और 0.75 करोड़ रुपये 1993–94 में दिए गए थे।

5.95 सर्वेक्षण के अनुसार इसमें शामिल ग्रामीण जनसंख्या और राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसमें शामिल गांव निम्नलिखित है :

तालिका 5.16

ग्रामीण जनसंख्या जिन्हें पेय जल प्राप्त है।

(संख्या लाख में)

कुल ग्रामीण जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार		1995–96 तक शामिल लोग	31 मार्च, 1996 को इसमें शामिल प्रतिशत	1996–97 लक्ष्य	उपलब्धि
कुल	6286.91	5133.71	81.66	276.50	84.48
अनु जाति	1128.51	875.23	77.54	55.99	17.62
अनु जनजाति	627.51	535.58	85.35	35.85	8.29

5.96 यह देखा जा सकता है कि 31.3.96 तक अनुसूचित जाति की जन संख्या का कम से कम (77.54%) पेय–जल की व्यवस्था की गयी थी। दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की 20% से अधिक जनसंख्या के लिए सुरक्षित पेय–जल उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त कई बार

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पेय–जल के स्रोत सूख जाते हैं और यह दिखाया जाता रहता है कि इस जनसंख्या को पेय–जल उपलब्ध कराया गया है। **आयोग सिफारिश करता है कि मंत्रालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में पेय-जल की समस्या के बारे मे जानने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराना चाहिए और इसके समाधान के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।**

कृषि

5.97 अनुसूचित जाति की व्यावसायिक प्रोफाइल दर्शाती है कि वे जीविका निर्वाह के लिए सर्वाधिक रूप से कृषि पर निर्भर है। उनमें से 49.06 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है और 25.44 प्रतिशत मुख्य तौर पर छोटी जाती वाले कृषक है। सामान्य जनसंख्या के मामले में 1981 के दौरान खेतिहर मजदूर के रूप में लगे हुए लोगों के अनुपात में भारी गिरावट आई है लेकिन अनुसूचित जाति के मामले में यह गिरावट मामूली है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति के कृषकों की औसत आकार की जोत (1.47 हेक्टेयर) अन्य सामाजिक समूहों की जोतों के आकार (2.4 हेक्टेयर) की लगभग आधी होती है। सिंचित क्षेत्र का अनुपात भी अन्य सामाजिक समूहों की जोतों की तूलना मे कम था। चूंकि भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक मूल्यवान और दुर्लभ संसाधन है इसलिए अनुसूचित जाति के विकास के लिए कृषि के विकास और भूमि सुधार को महत्व दिया जाना आवश्यक है। कृषि मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विभिन्न हितकर व क्षत्रोन्मुख कार्यक्रम चलाए हैं। लेकिन मंत्रालय ने अपने अनुसूचित जाति के विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा नहीं दिया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि हमारे देश में ग्रामीण गरीब लोगों के आर्थिक विकास के संदर्भ में भूमि सुधार बहुत महत्वपूर्ण है दिसम्बर, 95 को समाप्त तिमाही तक भूमि हदबंदी कानून के क्रियान्वयन के अंतर्गत संचयी उपलब्धि से यह संकेत मिलता है कि 74,86,818 एकड़ क्षेत्र अधिशेष घोषित किया गया है और जिसमें 65,60,765 एकड़ क्षेत्र का कब्जा ले लिया गया है जो घोषित अधिशेष क्षेत्र का 87% से अधिक है। क्षेत्र वितरण के संबंध में यह देखा गया है कि अब तक वितरित 51,79,595 एकड़ क्षेत्र में अनुसूचित जाति को वितरित किया गया भाग 17,91,854 एकड़ था जो कुल वितरित किए गए क्षेत्र का 34.59% था। कुल 50,51,496 लाभभोगियों में से अनुसूचित जाति के लाभभोगियों की संख्या 18,17,322 थी जो कुल लाभभोगियों का 35.98% था। आयोग ने चिन्ता व्यक्त की है कि कुल क्षेत्र, जिस पर मुकदमेंबाजी हो रही है, 10.97 लाख एकड़ है और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्याा काफी अधिक है, से अपेक्षाकृत अधिक एकड़ भूमि पर मुकदमेंबाजी होने की सूचना प्राप्त हुई है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

5.98 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 15 करोड़ बच्चे हैं जो भारत की जनसंख्या का 17.5% है। इनमें से अधिकांश बच्ची गरीबी, गंदगी के वातावरण और

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अपर्याप्त सुविधाओं में हते हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने विद्यालय जाने वाले छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं सहित गरीब वर्ग के बच्चें के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यक्रम चलाए हैं। विभाग ने सूचित किया है कि एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम में इस वंचित वर्ग की 37 लाख प्रत्याशी और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 6 वर्ष से कम आयु के 18.60 लाख बच्चे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा इस स्कीम के क्रियान्वयन पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय 2247 करोड़ रुपये था। पूरक पोषाहार घटक के अलावा केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम परियोजना पर किया जाने वाला पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा राज्यों को सहायतार्थ अनुदान देकर वहन किया जाता है। वर्ष 1996–97 के लिए योजना व्यय में 503.94 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कुपोषण का शिकार है विभाग ने सूचित किया है कि परियोजना के लिए स्थान का चुनाव करते समय उन क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है जहां समाज के गरीब और कमजोर वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों, जहां सामाजिक सेवाओं के विकास को बढ़ाने की आवश्यकता है, में निवास करने वाले निम्न–आय परिवार विशेष तौर पर निवास करते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम को 1995–96 के दौरान देश में सभी 5320 सामुदायिक ब्लॉकों और 30.1 मुख्य शहरी झुग्गी–झोपड़ियों में एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम को मंजुरी देते हुए व्यापक बनाया गया है। लेकिन एकीकृत बाल विकास स्कीम केन्द्रों के क्षेत्रीय निरीक्षण से पता चलता है कि केन्द्रों को पर्यापत और नियमित रूप से अतिरिक्त खाद्य पदार्थ नहीं दिए गए। बहुत से क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बच्चे को इन केन्द्रों में आने की अनुमति नहीं दी जाती है या इन बच्चों को शेष जनसंख्या के बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग को एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम केन्द्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति भेदभाव रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। विभाग से अनुरोध है कि वह इस कार्यक्रम और महिलाओं के विकास से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के तहत भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सूचना एकत्र करे और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उन्हें शामिल करे ताकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सके।

संस्थागत वित्त

5.99 आय उपार्जित करने वाले कार्य कलापों के संबंध में सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आर्थिक विकास से संबंधित प्रयास किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में वित्तीय संस्थानों की भूमिका कार्यकलाप के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा की जा रही हों। जब कि सरकार स्वरोजगार से संबधित दक्षता हासिल करने के लिए विभिन्न स्कीमों एंव

कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण तथा विभिन्न क्षेत्रों में आय उपार्जित करने वाले कार्यकलापों के जरिए आर्थिक सहायता दे रही है तो भी वित्तीय संस्थानों के सरकार के प्रयासों में रह रही कमी को पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वित्तीय संस्थान, राष्टीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एन एस एफ डी सी), अनुसूचित जाति विकास निगम, (एस सी डी सी), सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, सहकारी समितियां तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इन संस्थानों ने समाज के कमजोर वर्गों की निजी साहुकारों पर निर्भरता को बहुत अधिक कम कर दिया है तथा उनका शोषण होने से बचाने में सराहनीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक को समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ऋणग्रस्तता का एक सर्वेक्षण करना चाहिए तथा निजी साहुकारों की तुलना में संस्थागत ऋण के हिस्से को सुनिश्चित करना चाहिए तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं की पहचान करनी चाहिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम

5.100 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एन एस एफ डी सी) का गठन फरवरी 1989 में एक सरकारी कंपनी के रूप में हुआ था। तथा अपनी स्थापना से ही यह निगम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। निगम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को रियायती वित्त प्रदान करता है तथा इसकी निधि राज्य स्तर के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगमों तथा संवितरण की अन्य एजेंसियों के द्वारा संवितरित की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम ने कृषि बागबानी, लघु सिंचाई, पशुपालन, लघु उद्योगों, हथ करघा, परिवहन तथा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के लिए ऋण मंजूर किए हैं, वित्तीय वर्ष 1996–97 के अंत तक 7147.43 करोड़ रूपये का कुल संवितरण किया गया है। स्कीमों के अंतरगत सहायता प्राप्त करने वाले दो लाभ भोगियों का राज्य संघ, राज्य क्षेत्रवार विवरण जिसमें रा0 अनु0 जाति, अनु0 जनजाति वित्त तथा विकास निगम ने वित्त प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाई है, **अनुबंध 5.XIII** में दिया गया है।

5.101 **चूँकि एन एस एफ डी सी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यकर्मो में ऋणका संवितरण करने वाला शीर्ष निकाय है इसलिए आयोग यह अनुभव करता**

है कि केंद्रीय सरकार को इस निगम को बैंक का दर्जा प्रदान करने का विचार करना चाहिए ताकि उसके संसाधनों के आधार में वृद्वि की जा सके तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के क्षेत्र में उसके क्रियाकलापों को विस्तृत रूप प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय आयोग ने एन एस एफ डी सी तथा अनुसूचित जाति विकास निगम के साथ बैंठक की। अनुसूचित जाति विकास निगम से विचार विमर्श करने के बाद ही आयोग ने सिफारिशें की हैं।

अनुसूचित जाति विकास निगम

5.102 अनुसूचित जाति विकास निगम (एस सी डी सी) का गठन 19 राज्यों तथा चार संघ राज्य क्षेत्रें में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए लागू की जाने वाली स्कीमों के संबंध में वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के उददेश्य से किया गया है ऐसे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें ऐसे निगम कार्य कर रहे हैं, में आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, दमन एवं द्वीप तथा दादर एवं नागर हवेली शामिल हैं। ऐसे निगमों की स्थापना का उददेश्य ब्याज की रियायती दरों पर संस्थागत ऋण जुटाना है, ये निगम मुख्यतः कृषि तथा संबंध कार्यकलापों के क्षेत्रों में लघु सिंचाई व्यापार तथा सेवाओं, परिवहन, कार्य कौशल के विकास तथा रोजगार के क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख स्कीमें शुरू करते हैं, इन निगमों की शेयर पुंजी में भारत सरकार की राज्य सरकार की 51 % तुलना में 49 % तक की सहभागिता होती है।

5.103 वर्ष 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान इन निगमों ने देश में क्रमशः 5.35 लाख, 7.54 तथा 5.83 लाख अनुसूचित जातियों के परिवारों को ऋण मुहैया कराया है।

5.104 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने तारीख 25.7.1997 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम के साथ एक बैठक आयोजित की। सम्मेलन की सिफारशें/ निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

(I) अनुसूचित जाति विकास निगम को राज्य सरकारों से समय पर शेयर पूंजी अंशदान नहीं दिया गया जिससे उनके द्वारा सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा आयी। इसलिए आयोग

यह सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति विकास निगम को डी आर डी ए की तरह नियमित रूप से निधि उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि आबंटित की गयी निधि का पूर्णतः उपयोग किया जा सके। इस संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जाति विकास निगम को नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में निधि जारी की जाए।

(II) आयोग की जानकारी में यह तथ्य भी लाया गया था कि यदि एन एस एफ डी सी से प्राप्त निधि को समय पर ऋण के रूप में संवितरित नहीं किया गया हो तो निगम से दंड स्वरूप ब्याज वसूल किया जाए। आयोग यह अनुभव करता है कि एन एस एफ डी सी द्वारा एस डी सी को दंड स्वरूप ब्याज न लगाया जाए चूंकि अधिकांश मामलों में एन एस एफ डी सी की निधि का उपयोग करने में देरी राज्य/केंद्रीय शेयर तथा राज्य सरकार की गारंटी में से राज्य सरकार से निधि को विलंब से प्राप्त करने अथवा प्राप्त न करने के कारण होती है।

(III) आयोग यह भी सिफारिश करता है कि निगम की स्थापना लागत, ब्याज उपदान तथा अशोध्य ऋण को 2% के सेवा शुल्क से पूरा नहीं किया जा सकता, इसे पूरा करने के लिए या तो एन एफ डी सी की दरों को 4% से घटाकर कम कर दिया जाए अथवा राज्य के निगमों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दरों को 6% से बढ़ाकर 7% अथवा 8% कर दिया जाए। इससे निगम को ब्याज उपदान अथवा अशोध्य ऋण पर हुए व्यय को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी विकल्पतः स्थापना लागत के लिए विशेष केंद्रीय सहायता अथवा राजस्व अनुदान में वृद्धि की जाए और यदि आवश्यक हो तो शेयर पूंजी को कम किया जाए । क्योकि प्रदत्त शेयर पूंजी की स्थिति क्रमशः
प्राधिकृत शेयर पूंजी के बराबर होती रहती है।

(IV) चूंकि निगम को जारी निधि का उपयोग मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा देर से निधि जारी करने के कारण नहीं हो पाया। इसलिए निगम को आबंटित निधि भारत सरकार द्वारा इस निगम को सीधे जारी की जाए।

(V) एन एस एफ डी सी स्कीम 30 लाख रूपये तक की लागत वाली स्कीमों की पात्रता के लिए आय की उपरी सीमा प्रतिवर्ष 22000 रूपये है। गरीब व्यक्ति के लिए परियोजना की लागत की 5% से 8% की दर पर नए उद्यम की स्थापना पर लगाये जाने वाले धन को देना संभव नहीं है। यह सुझाव है कि आय की उपरी सीमा हटा देनी चाहिए।

(VI) सावधी ऋण की एन एफ डी सी स्कीम के अंतरगत, एक लाख रूपये तक की परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक अंशदान पर जोर नहीं दिया गया है। एक लाख रूपये से उपर तथा दस लाख रूपये तक की परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक अंशदान 5% है, जबकि दस लाख रूपये से अधिक की प्रत्येक परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक अंशदान 8% है। नए उद्यम की स्थापना पर लगाए जाने वाले धन का अंशदान आवश्यक कर देने से अधिकांश मामलों में, गरीब हिताधिकारी निजी साहुकारों से शेयर ऋण लेने के लिए विवश होते हैं। जो ब्याज की जरूरत से ज्यादा दर वसूल करते हैं। अतः हिताधिकारी द्वारा नए उद्यम की स्थापना पर लगाए जाने वाले धन को भी एन एफ डी सी, एस सी डी सी अथवा एस सी ए में से उपलबद्ध कराया जाना चाहिए।

(VII) कई बार अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा बैंक को अग्रेषित प्रस्ताव नामंजूर कर दिये जाते हैं क्योंकि उन्हें अव्यवहार्य प्रस्ताव के रूप में मान लिया जाता है। इसलिए, बैंक वित्तीय वर्ष के शुरू होने पर व्यवहार्य स्कीम की एक सूची प्रकाशित करें ताकि निगम द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को अस्वीकार न किया जा सके।

(VIII) निगम द्वारा आरंभ की गयी प्रशिक्षण स्कीमों को मजदूरी रोजगारों पर भी लागू किया जाए तथा उसे स्व–रोजगार स्कीमों तक ही सीमित नहीं रखा जाए।

(IX) अनुसूचित जाति विकास निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारी वर्ग की व्यवसायिक योग्यता अपर्याप्त है, एन एस एफ डी सी उनको प्रशिक्षण देने में निगमों की सहायता कर सकती है। इस संबंध में, सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों का एक अलग से संवर्ग गठित करने का प्रस्ताव कर सकती है।

(X) अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों का मूल उद्देश्य प्रवर्तक प्रेरक गारंटीकर्ता के रूप में कार्य करना है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम तथा राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति निगमों को बैंक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को हिताधिकारियों के संबंध में बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(XI) यह सुझाव दिया जाता है कि हिताधिकारियों की संपत्तियां निगम में बंधक रखी जाएं तथा इसके लिए राज्य की गारंटी को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

5.105 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार देने के संबंध मे उपलब्ध अंतरिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि मार्च 1995 के अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बीस बैंकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार लेने वाले उधारकर्ता खातों की कुल संख्या 361.73 लाख थी, जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति द्वारा उधार लेने वालों की संख्या 99.15 लाख थी (जो कुल मिलाकर 27.4 % है) कुल बकाया राशि 61794.43 करोड़ थी, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 5428.44 करोड़ रूपये था जो केवल 8.78% था। इस प्रकार से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से निधि उधार देना जनसंख्या के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के मामले में बहुत कम है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने बुलेटिनों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार देने से संबंधित आंकडों से वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि के विवरण का पता चलता है। किन्तु यह अधिक उपयोगी होगा, यदि इन बुलेटिनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण की कार्यप्रणाली का मुल्यांकन करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को वर्ष के दौरान स्वीकृत तथा संवितरित ऋणों से संबंधित सूचना दी जाए। नीचे सारिणी 5.17 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों का विवरण दिया गया है:–

सारणी 5.17

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण

(मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	उधार के खातों की संख्या (लाख में)			बकाया राशि (रूपये करोड़ में)		
	कुल	अजा/ अजजा	प्रतिशत	कुल	अजा/ अजजा	प्रतिशत
1. प्रत्यक्ष	207.10	55.84	26.96	20812.47	2693.98	12.94
2. अप्रत्यक्ष कृषि	5.95	1.90	31.93	2700.46	116.26	4.30
3. लघु उद्योग	32.25	9.15	28.37	25842.80	764.19	2.95
4. इसमें कुटीर खादी एवं ग्रामोद्योग बहुत छोटे उद्योग आदि शामिल हैं	11.17	2.29	20.50	7733.98	174.93	2.26
5. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	116.43	32.26	27.70	12438.70	1854.01	14.90

नोटः अंतरिम आंकडे

स्त्रोतः बैंकिग प्रभाग, वित्त मंत्रलय

5.106 विभेदक ब्याज दरों की स्कीम के अंतर्गत मार्च, 95 के अंत में कुल खातों की संख्या 22.99 लाख थी जिसमें 701.84 करोड़ रूपये की बकाया राशि थी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की खाता संख्या 11॰56 थी जिसमें 420॰79 करोड़ रूपये की बकाया राशि थी तथा विभेदक ब्याज दरों की स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को ऋण दिये जाने का प्रतिशत 59.96 था।

5.107 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे भारत का औद्योगिक विकास बैंक 'आई डी बी आई' भारत का औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 'आई एफ सी आई' भारत का लघु उद्योग विकास बैंक 'एस आई डी बी आई' भारत का निर्यात आयात बैंक 'आई आर बी आई' राष्ट्रीय आवास बैंक 'एन एच बी' तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 'नाबार्ड' की वार्षिक रिर्पोटों से पता चला है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों अथवा उद्यमियों को प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से दिए गये ऋण के रूप में उनके प्रचालन का मूल्यांकन नहीं किया गया है। आयोग इन वित्तीय संस्थानों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्कीमों के मूल्यांकन तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए उनके द्वारा दिए गए कुल ऋण को शामिल करने का आग्रह करता है।

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति का पुर्नवास संबधी राष्ट्रीय स्कीम

5.108 राष्ट्रीय स्कीम मार्च 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए शुरू की गयी थी। स्कीम के अंतर्गत सिर पर मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान करने उन्हें प्रशिक्षण देने तथा उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्थाओं में उसके पुर्नवास के तीन विशिष्ट प्रचालन घटक है एस सी डी सी निचले स्तर पर स्कीम लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल एजेंसी का कार्य कर रहा है। सफाई कर्मचारियों के हितों को देखने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है तब से आयोग सफाई कर्मचारियों के कल्याण तथा विकास के लिए निगरानी एजेंसी के रूप में सक्रियता से कार्य कर रहा है इस आयोग से सफाई कर्मचारियों तथा उसके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम को लागू करने के लिए ध्यान पूर्वक प्रशिक्षण तथा निगरानी करने की आशा की जाती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोग समस्या को दूर करने के लिए उसके द्वारा उठाए गये कदमों का समर्थन करता है।

मुख्य सिफारिशें:-

5.109 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न मुददों पर विचार–विमर्श के आधार पर मुख्य सिफारिशों का उल्लेख निम्नलिखित है:

(I) **श्रम मंत्रालय को रोजगार के कुल अवसरों तथा विशेषकर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पर आर्थिक सुधारों के पड़ने वाले प्रभावों का एक विस्तृत सर्वेक्षण कराना चाहिए। (पैरा 5.7)**

(II) **जनजाति उप योजना 'टी एस पी' को लागू करने वाले राज्यों को आठवी पंचवषीय योजना तैयार करते समय गठित कार्यदल की शिफारिशों के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में जनजाति उपयोजना की तीन प्रतिशत अधिक निधि आबंटित करनी चाहिए। राज्य सरकारों को जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आबंटित निधियों का पूरा उपयोग किया गया है और जनजाति उपयोजना से अन्य निधि आबंटित नहीं की गई है। (पैरा 5.24)**

(III) **जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत विकास विशेषकर परिवहन, संचार, विद्युत तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सचेतन प्रयास करना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सहभाजन तथा लोगों को रोजगार देने के लिए जनजातीय क्षेत्रों को उदारीकरण के लाभ के अवसर प्रदान किए गए हैं। (पैरा 5.35)**

(IV) **जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएं स्थापित करते समय प्रभावित व्यक्तियों के लिए समुचित पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाने चाहिए। इस संबंध में यह सिफारिश की जाती है कि जनजातीय लोगों को विकास की इन बड़ी परियोजनाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए। (पैरा 5.35)**

(V) **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संस्थागत वित्त और अधिक उदार शर्तो पर उपलब्द्ध कराया जाना चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को दिए गये ऋण की सूचना का रिकार्ड रखना चाहिए। अनुसूचित जाति बैंको द्वारा प्राथमिकता प्रदान क्षेत्र में अग्रिम देने के लिए अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की जानी चाहिए। (पैरा 5.38)**

(VI) कृषि तथा सहकारी विभाग को लेम्पस 'एल ए एम पी एस' को क्रियाशील बनाने मजबूती प्रदान करने तथा विस्तृत आधार देने के प्रयास करने चाहिए इसी के साथ -साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि जनजातीय लोग लैंपस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर सकें। (पैरा 5.44)

(VII) ऐसे राज्यों द्वारा जनजातीय लोगों को एम एफ पी की वसूली के विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए जहां पर उन्हें अभी तक यह अधिकार नहीं दिए गये तथा टी आर आई एफ आई ई डी को जनजातीय लोगों को अपने उत्साह के लिए बेहतर पारिश्रमिक देना सुनिश्चित करना चाहिए। (पैरा 5.44)

(VIII) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से यह अपेक्षा की जाती है कि जनजातीय लोगों द्वारा उगाई गई फसलों पर अनुसंधान कार्य शुरू करके जनजातीय लोगों में अनुसंधान केन्द्र खोलकर जनजातीय लोगों द्वारा झूम खेती करने के लिए अधिक से अधिक विस्तृत पैकेज बना करके तथा अनुसूचित जनजातीयों को कृषि प्रोद्योगिकी अंतरित करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में अपने अनुसंधान कार्यकलापों के बारे में निर्देश दें। (पैरा 5.47)

(IX) संविधान के 73 वें संशोधन के बाद बनाए गये पंचायती राज संस्थानों को राज्यों के द्वारा कार्यात्मक वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्ता देनी चाहिए ताकि ये संस्थान स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकें। पंचायतों को उपयुक्त स्तरों पर लघु वन उत्पाद की स्वामित्व का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। (पैरा 5.58 एवं 5.60)

(X) सभी राज्यों को राज्यों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के लिए निधि आबंटित करनी चाहिए तथा उसके पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्मो की ध्यानपूर्वक निगरानी करनी चाहिए । तथा विशेष संघटक योजना में केवल ऐसे कार्यक्रम ही शामिल करने चाहिए जो अनुसूचित जातियों के विकास तथा कल्याण से सीधे संबंधित हैं। (पैरा 5.71 एवं 5.73)

(XI) अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित निधि का दूसरी मदों में इस्तेमाल न करने उसका दुरुपयोग न करने के लिए सभी राज्य सरकारों को विशेष घटक योजना के आबंटन से संबंधित तुरंत प्रथक बजट शीर्ष खोलने चाहिए तथा अनुसूचित जाति के कल्याण तथा विकास से संबंधित विभाग को विशेष घटक योजना की नीति तैयार करने तथा लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। (पैरा 5.72)

(XII) केंद्रीय सरकार को विशेष संघटक योजना के लिए उपर्युक्त रूप से विशेष केंद्रीय सहायता की कुल राशि को नियमित रूप से उपर्युक्त रूप से बढाते रहना चाहिए तथा राज्यों की कार्यावन्यन एजेंसीयों को समय पर निधि जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि मुश्किल से प्राप्त की गई निधि बेकार न पड़ी रहे। कल्याण मंत्रालय कुछ राज्यों द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का सही तरीके से उपयोग न करने के मामले की गहराई से जांच करे ताकि विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग करने में आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सके। (पैरा 5.76, 5.77 एवं 5.78)

(XIII) वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्रालय को संसद में विशेष संघटक योजना पर एक पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। (पैरा 5.80)

(XIV) ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बीच पेय जल की समस्या को अभिज्ञात करने तथा उसका समाधान करने के तुरन्त उपाए करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहिए। (पैरा 5.96)

(XV) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम तथा अनुसूचित जाति विकास निगम को बैंकिग संस्थानों का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे आमदनी सीमा को हटाकर ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को आसान बनाए इसके अतिरिक्त इन संस्थानों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने तथा उसके कर्मचारी वर्ग की व्यवसायिक योग्यता में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। (पैरा 5.104)

अनुबंध 5.I

संदभ पैरा 5.1

1981 और 1991 की जनगणनाओं पर आधारित कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत दर्शनेवाला विवरण

क्रं सं	राज्य/संघराज्य	जोड़		अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		1981	1991	1981	%	1991	%	1981	%	1991	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	53549673	66508008	7961730	14.87	10592066	15.93	3176001	5093	4199481	6.31
2	अरूणाचल प्रदेश	631839	864558	2.919	0.46	4052	0.47	441167	6982	550351	63.66
3	असम	19896843	22414322	1241526	6.24	1659412	7.40	2185845	10.99	2874441	12.82
4	बिहार	69914734	86374465	10142368	14.51	12571700	14.55	5810867	8.31	6616914	7.66
5	गोवा	1086730	1169793	23432	2.16	24364	2.08	10721	0.99	376	0.03
6	गुजरात	34085799	41309582	2438297	7.15	3060358	7.41	4848586	14.22	6161775	14.927
7	हरियाणा	2922618	16463648	2464012	19.07	3250933	19.75				
8	हिमाचल प्रदेश	4280818	5170877	1053958	24.62	1310296	25.34	197263	4.61	218349	22
9	जम्मू कश्मीर	5987389	7718700	497363	8.31	641200	8.31			N.A	N.A
10	कूर्नाटक	37135714	44977201	5595353	15.07	7369279	16.38	1825203	4.91	1915691	4.26
11	केरल	25453680	29098518	2549282	10.02	2886522	9.92	261475	1.03	320967	1.10
12	मध्य प्रदेश	25178844	66181170	7358533	14.10	9626679	14.55	11987031	22.97	15399034	22.27
13	महाराष्ट्र	62784171	78937187	4479763	7.14	8757842	11.09	5772038	9.19	7318281	
14	मणिपुर	1420953	1837149	17753	1.25	37105	2.02	387977	2730	632173	3.4
15	मेघालय	1335819	1774778	5492	0.41	9072	0.51	1076345	80.58	1517927	85.53
16	मिजोरम	493757	689756	135	0.03	691	0.10	46907	93.55	653565	9.75
17	नागालैंड	774930	1209546					650885	83.99	1060822	87.70
18	उड़ीसा	26370271	31659736	3865543	14.66	5129314	16.20	5914067	22.43	7032214	22.21
19	पंजाब	16788915	20281969	451103	26.87	5742528	28.31				
20	राजस्थान	34261862	44005990	5838879	17.04	7607820	17.29	4173124	12.21	5474881	12.44
21	सिक्मि	316385	406457	18281	5.87	24804	5.93	73623	23.27	90101	22.36
22	तमिलनाडु	48408077	55858946	8881295	18.35	10712266	19.18	520226	1.07	574194	1.03
23	त्रिपुरा	2053058	2757205	210384	15.12	451116	16.36	583920	28.44	853345	30.95
24	उत्तर प्रदेश	110862013	139112287	232453339	21.16	29276455	21.05	232745	0.21	287905	0.21
25	पश्चिम बंगाल	54580647	68077965	12000768	21.99	16080611	23.62	3070672	5.63	3808760	5.59

1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	188741	80661					22361	11.85	26770	9.54
2	चंडीगढ़	451610	642015	63621	14.09	105977	16.51				
3	दादर और नगर हवेली	103676	138477	2041	1.97	2730	1.97	81714	78.82	109380	78.99
4	दमन द्वीप		101586			389	3.83			11724	11.54
5	दिल्ली	6220406	9424644	1121643	18.03	1794836	19.05				
6	लक्ष्य द्वीप	40249	51707					37760	93.82	48163	93.15
7	पांडेचेरी	604471	807785	96636	15.99	131278	16.25				
भारत		685184692	6302688	105996149	15.47	138223277	16.33	53814483	7.85	67758380	8.08

अनुबंध 5.II
संदर्भ पैरा 5.1

1991 में रिहाइशा के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल ग्रामीण और शहरी जनसंख्या

क्र०सं	भारत राज्य संघ राज्य क्षेत्र	कुल शहरी/ ग्रामीण	कुल जनसंख्या	अनु०जाति की जनसंख्या	अनु०जनजाति की जनसंख्या
01	भारत	T	846302688	138223277	67758380
		R	628691670	112343797	62751026
		U	217611012	25879480	5007354
01	भारत (जम्मू कश्मीर को छोडकर	T	838583988	138223277	67758380
		R	622812376	112343797	62751026
		U	215771612	25879480	5007354
01	भारत(असम और जम्मु कश्मीर को.छोडकर)	T	816168666	136563865	61883839
		R	602885849	110913666	59979118
		U	213283817	25650199	4910221
राज्य					
01	आन्ध्र प्रदेश		66508008	10592066	4199481
		R	48620882	8758641	3880254
		U	17887126	1833425	319227
02	अरूणाचल प्रदेश	T	864558	4052	550351
		R	753930	2858	518222
		U	110628	1194	32129
03	असम	T	22414322	1659412	2874441
		R	19926527	1430131	2777308
		U	2487799	229281	97133
04	बिहार	T	86374465	12571700	6616914
		R	75021453	11437136	6153659
		U	11353012	1134564	463244
05	गोवा	T	1169793	24364	376
		R	690041	12747	89
		U	479752	11617	287
06	गुजरात	T	41309582	306358	6161775
		R	27063521	1899394	5663178
		U	14246061	1160964	498597
07	हरियाणा	T	16463648	3250966	
		R	12408904	2675277	
		U	4054744	575656	
08	हिमाचल प्रदेश	T	517877	131296	218349
		R	4721681	1227321	212940
		U	449196	82975	5409
09	जम्मु और कश्मीर	T	7718700	N.A	N.A
		R	5879300	N.A	N.A
		U	1839400	N.A	N.A
10	कर्नाटक	T	44977201	7369279	1915691
		R	31069413	5645186	1629496
		U	13907788	1724093	286195

11	केरल	T	29098518	2886522	320967
		R	21418224	2351924	309764
		U	7680294	534598	11203
12	मध्य प्रदेश	T	66181170	9626679	15399034
		R	50842333	7522394	14652730
		U	15668837	2104285	746304
13	महाराष्ट्र	T	78937187	8757842	7318281
		R	48395601	5552004	6405814
		U	30541586	3205838	912467
14	मणिपुर	T	1737149	37105	632173
		R	1331504	17705	578930
		U	505645	19400	53243
15	मेघालय	T	1771778	9072	15179027
		R	1444731	4972	1312093
		U	330047	4100	205834
16	मिजोरम	T	689756	691	653565
		R	371810	456	358113
		U	317946	235	295452
17	नागालेंड	T	1209546	-	1060822
		R	1001323	-	933145
		U	208223	-	127677
18	उड़ीसा	T	31659736	5129314	7032214
		R	27424753	4578669	6670506
		U	4234983	550645	361708
19	पंजाब	T	20281969	5742528	-
		R	14288744	4562442	-
		U	5993225	1180086	-
20	राजस्थान	T	44005990	7607820	5474881
		R	33938877	6102496	5220549
		U	10067113	1505324	254332
21	सिक्किम	T	406457	24084	90901
		R	369451	21333	83486
		U	37006	2751	7415
22	तमिलनाडु	T	55858946	10712266	574194
		R	36781354	8428040	505208
		U	19077592	2284226	68986
23	त्रिपुरा	T	2757205	451116	853345
		R	2335484	879664	839264
		U	421721	71452	14081
24	उत्तर प्रदेश	T	139112287	29276455	287901
		R	111506372	25823388	271028
		U	27605915	3453067	16873
25	पश्चिम बंगाल	T	68077965	16080611	3808760
		R	49370364	13605405	3612448
		U	18707601	2475206	196312
26	अंडमान और निकोबार	T	280661	-	26770
		R	205706	-	26168
		U	74955	-	502
27	चंड़ीगढ	T	642015	105977	-
		R	66186	14140	-
		U	575829	91837	-
28	दादर और नगर हवैली	T	138177	2730	109380

		R	126752	2243	105864
		U	11725	487	3516
29	दमन और द्वीप	T	101586	3891	11724
		R	45043	2394	9192
		U	47543	1496	2532
30	दिल्ली	T	9420644	1794836	-
		R	94019	207709	-
		U	8471625	1587127	-
31	लक्ष्य द्वीप	T	51707	-	48163
		R	22593	-	21478
		U	29114	-	685
32	पांडिचेरी	T	807785	131278	-
		R	290800	77727	-
		U	516985	53551	-

अनुबंध **5.III**
संदर्भ पैरा **5.1**

साक्षरता दरें 1991

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
आंध्र प्रदेश	44.13	55.13	32.72	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
अरूणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69	57.27	66.25	41.42	34.45	44.00	24.94
असम	52.89	61.87	43.03	53.94	63.88	42.99	49.16	48.93	38.98
बिहार	38.48	52.49	22.89	19.49	30.64	7.07	26.78	38.40	14.75
गोवा	75.51	83.64	67.09	48.73	61.55	47.51	42.91	54.43	29.01
गुजरात	61.29	73.13	48.64	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.20
हरियाणा	55.85	69.10	40.47	39.22	52.06	24.15	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.17	53.20	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
जम्मु और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	56.04	67.26	44.34	38.06	49.69	25.95	36.01	47.95	32.57
केरल	89.81	93.62	86.13	79.66	85.22	74.31	57.22	63.38	51.07
मध्य प्रदेश	44.20	58.42	28.85	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32	56.46	70.45	41.69	36.79	49.09	24.03
मणिपुर	59.89	71.63	47.60	56.44	65.28	47.41	53.63	62.39	44.48
मेघालय	49.10	53.12	44.85	44.27	54.56	31.19	46.71	59.78	43.63
मिजोरम	82.27	85.61	78.60	77.92	77.54	81.25	82.71	86.66	78.70
नागालैंड	61.65	67.62	54.75	-	-	-	60.59	66.27	54.51
उडीसा	49.09	63.09	34.68	36.78	52.42	30.74	22.31	34.44	0.21
पंजाब	58.51	65.66	50.41	41.09	59.82	31.03	-	-	
राजस्थान	38.55	54.99	20.44	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
सिक्किम	56.94	65.74	46.69	41.03	58.69	42.77	59.01	66.80	50.37
तमिलनाडू	62.66	73.75	51.33	46.74	52.36	34.89	27.89	35.25	20.23
त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
उत्तर प्रदेश	41.60	55.73	25.31	26.85	40.80	10.69	35.70	49.95	19.86
पश्चिम बंगाल	57.70	67.81	46.56	42.21	54.55	28.87	27.28	40.07	14.98
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	73.02	78.99	65.46	-	-	-	56.62	64.16	48.74

अंडमान एवं निकोबार द्वीप	73.02	78.99	65.46	-	-	-	56.62	64.16	48.74
चंडीगढ	77.81	82.04	72.34	55.44	65.75	43.54	-	-	-
दादर व नगर हवेली	40.71	53.56	26.98	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15.94
दमन और द्वीप	71.20	82.66	91.85	59.40	79.18	67.62	52.91	63.58	41.49
दिल्ली	75.29	82.01	66.99	57.60	68.77	43.82	-	-	-
लक्ष्यद्वीप	81.78	90.18	72.89	-	-	-	80.58	89.50	71.72
पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63	56.26	66.10	46.28	-	-	-
भारत	52.19	64.20	39.19	37.41	49.91	23.76	29.60	40.65	18.19

स्रोत : वार्षिक रिर्पोट कल्याण मंत्रालय 1996-97

अनुबंध **5.IV**
संदर्भ पैरा **5.12**

वर्ष **1994-95, 1995-96** और **1996-97** के दोरान राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत और राज्य योजना और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि

राज्य	अनु० जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	राज्य योजना परिव्यय	उप योजना परिव्यय	जनजाति उपयोजना परिव्यय का प्रतिशत	राज्य योजना परिव्यय	जनजातिय उप योजना परिव्यय	जनजातिय उप परियाजना परिव्यय का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	6.31	2130.00	78.76	3.70	3159.00	125.88	3.98
असम	12.82	978.83	109.75	11.21	1326.40	147.00	11.08
बिहार	7.66	2310.00	597.02	25.85	2400.00	687.02	28.63
गुजरात	14.92	224.00	237.75	106.14	2610.00	308.76	11.83
हिमाचल प्रदेश	4.22	650.00	48.50	9.00	750.00	67.50	9.00
जम्मू और कश्मीर	N.A	950.00	87.87	9.25	1165.00	119.57	10.26
कर्नाटक	4.26	3275.00	47.85	1.46	3575.00	67.68	1.89
केरल	1.10	1260.00	24.65	1.96	1550.00	24.32	1.57
मध्य प्रदेश	32.27	2750.00	627.72	22.83	2900.00	685.66	23.46
महाराष्ट्र	9.27	4400.00	330.00	7.50	5500.00	412.50	7.50
मणिपुर	34.41	240.00	84.72	35.72	300.00	119.86	39.95
उडीसा	21.44	1950.00	348.40	17.87	300.00	119.86	39.95
राजस्थान	12.44	2450.00	187.12	7.64	3200.00	305.45	9.55
सिक्किम	22.36	97.95	17.00	17.36	81.41	13.12	16.12
तमिलनाडू	1.03	2750.01	28.33	1.03	3200.00	36.39	1.14
त्रिपुरा	30.95	290.00	88.75	30.60	329.00	93.84	28.52
उत्तर प्रदेश	0.21	3842.00	2.60	0.07	4520.00	20.87	0.06
पश्चिम बंगाल	5.59	1706.00	77.03	4.52	2200.40	75.67	3.44

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.54	205.00	24.19	11.80	15.52	2.33	15.01
दमन और द्वीप	11.51	26.26	2.22	8.45	34.53	2.80	8.11
भारत	8.08	34501.05	3061.23	8.87	40549.26	3867.07	9.54

अनुबंध **5.IV** जारी
संदर्भ पैरा **5.12**

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना 1991	राज्य योजना परिव्यय	जनजातीय योजना	प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	6.31	2942.78	55.19	1.87
2	असम	12.82	1183.74	113.68	9.60
3	बिहार	7.66	-	-	-
4	गुजरात	14.92	3077.44	339.70	11.04
5	हिमाचल प्रदेश	4.22	9000.00	81.00	9.00
6	जम्मू और कश्मीर	11.00			
7	कर्नाटक	4.26	3700.00	79.81	2.16
8	केरल	1.10	2086.45	30.45	1.46
9	मध्य प्रदेश	23.27	3197.48	623.24	19.49
10	महाराष्ट्र	9.27	7083.90	535.00	7.55
11	मणिपुर	34.41	277.03	126.93	45.82
12	उडीसा	22.21	1917.26	432.35	22.55
13	राजस्थान	12.44	3200.00	342.22	10.69
14	सिक्किम	22.36			
15	तमिलनाडू	1.03	3700.72	39.42	1.07
16	त्रिपुरा	30.95	346.91	107.28	31.00
17	उत्तर प्रदेश	0.21			
18	पश्चिम बंगाल	5.59	3080.98	54.86	1.78
19	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	9.54			
20	दमन और द्वीप	11.54	23.91	3.06	12.79
जोड		7.85	36718.60	2964.19	8.07

अनुबंध 5.VI
(संदर्भ पैरा 5.35)

वर्ष 1985.86 के लिए कृषि सबंधी गणना का विवरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने वर्ष 1992 में अपने प्रकाशन में वर्ष 1985.86 के लिए कृषि संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए है। 1997 के प्रकाशन का प्रकाशित होना अभी बाकी है स्वकृषित जोत, भूमि के इस्तेमाल सिंचाई सुविधाओं फसल उगाने के पैटर्न को संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं।

क स्वकृषित जोतः

वर्ष 1980.81 तथा 1985.86 में सामाजिक समूहों द्वारा भारत में स्वकृषित जोत तथा कृषित जोत की संख्या को सारणी 1 में दर्शाया गया हैं।

वर्ष 1980.81 तथा वर्ष 1985.86 मे सामाजिक समूहों द्वारा भारत में स्वकृषित जोत तथा कृषित जोत की संख्या :

सामाजिक समूह	जोत की संख्या (हजार मे)		प्रतिशत परिवर्तन	कृषित क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)		प्रतिशत परिवर्तन
	1985	1986		1980-81	1985-86	
अनुसूचित जाति	10052(11.3)	12041(12.4)	(+19.8)	11522(7.0)	12639(7.7)	(+9.7)
अनुसूचित जनजाति	6854(7.7)	7648(7.9)	(+11.6)	16704(10.2)	17234(10.5)	(+3.2)
अन्य जातियां	71977(81.0)	77466(79.1)	(+7.6)	135571(82.8)	134689(81.8)	(-0.7)
सभी समाजिक समूह	88883(100.0)	97155(100.0)	(+9.3)	163797(100.0)	164562(100.0)	(+0.5)

वर्ष 1985.86 की कृषि संबंधी गणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जोत देश में जोतों की कुल संख्या का 12.4 प्रतिशत थी इसके विपरीत वर्ष 1980.81 में 11.3 प्रतिशत थी जिसके लगभग 19.8 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। इसके विपरीत इस अवधि के दौरान कृषित क्षेत्र में 9.7 % की वृद्धि की दर्ज की गई है। अनुसूचित जातियों की जोत जो वर्ष 1985.86 में जोत का 7.9% थी। वर्ष 1980.81 में यह 7.7% दर्ज की गई। इस प्रकार से इसमें 11.6% की वृद्धि की गई। इस अवधि के दौरान इस श्रेणी में शामिल क्षेत्र में लगभग 3.2% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के कृषकों को वर्ष 1980.81 तथा वर्ष 1985.86 के बीच में संख्या तथा क्षेत्र दोनो ही दृष्टि से अधिक लाभ हुआ है किन्तु उनके

पास अनुसूचित जनजाति की तुलना में खेती करने के लिए अनुपातः कम क्षेत्र है। वर्ष 1980.81 तथा 1985.86 में बडे आकार के वर्गो द्वारा सभी सामाजिक समूहों की जोतो के विवरण को सारणी दो में देखा जा सकता है। वर्ष 1980.81 तथा वर्ष 1985.86 दोनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में जोतों की संख्या के संबंध में सीमांत जोत सबसे अधिक अनुपात में थी। अनुसूचित जनजातियों के मामले में जोतों की संख्याओं के संबंध में यह अनुपात वर्ष 1985.86 में लगभग 70.7% से अधिक था। इसके विपरीत वर्ष 1980.81 में जोतों की संख्या का अनुपात 68.9% था इस प्रकार से इसमें 1.8 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई। अनुसूचित जाति की स्वकृषित जोत भी वर्ष 1980-81 में 39.8% से बढकर वर्ष 1985.86 में 41.3% हो गई। अन्य आकार की जोतों नामतः लघु, अर्द्ध–मध्यम तथा बडी जोतों के संबंध में कुल जोतो की तुलना में ऐसी जोतों का अनुपात अनुसूचित जातियों की जोतों के समान था। उदाहरण के लिए, वर्ष 1985.86 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के मामले में बडी जोत लगभग 9.8% थी इसके विपरीत अनुसूचित जातियों के मामले में यह 0.7% थी। इससे यह पता चलता है कि जोतों के आकार के संबंध में अनुसूचित जाति की तुलना में अनुसूचित जनजाति बेहतर स्थिति में थी।

प्रत्येक मुख्य आकार की प्रत्येक जोतों के संबंध में जोतों की कुल संख्या के प्रतिशत के अनुसार वर्ष 1980.81 तथा वर्ष 1985.86 में मुख्य आकार की प्रत्येक जोत की श्रेणी के लिए भारत में सभी सामाजिक समूहों के जोतों के विवरण को सारणी तीन में देखा जा सकता है। सीमांत जोतो के मामले में वर्ष 1985.86 में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 15.2% था इसके विपरीत अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 5.6% तथा अन्य जातियों के मामले में यह 79.2% था। अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो तथा दोनो ही मामले में यह माना जायेगा कि वर्ष 1980.81 से क्रमशः 1.4% तथा 1.2% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में जोतो के आकार में वृद्धि के साथ–साथ यह अनुपात कम भी हुआ है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में इस प्रकार का कोई एक समान पैटर्न नहीं था उदाहरण के लिए यदि केवल लघु जोतों के मामले में अनुसूचित जनजातियों की जोतों का अनुपात 10% था तो अर्द्ध– मध्यम जोतों तथा मध्यम जोतों के मामले में यह अनुपात क्रमशः 11.6% तथा 11.8% बडी जोतों के मामले में यह लगभग 11.1% अधिक था। इससे पुनः पता चलता है कि अनुसूचित जातियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के स्वकृषित जोत धारक बेहतर स्थिति में थे।

जनजातियों की जोतों का औसत आकार अनुसूचित जातियों की जोतों की तुलना में बड़े जोतों को छोड़कर अन्य जोतों में अधिक था। वर्ष 1980–81 तथा वर्ष 1985–86 के बीच तुलना करने से यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के मामले में सीमांत तथा लघु जोतों को छोड़कर अन्य सभी आकार की जोतों की श्रेणियों के औसत आकार में कमी आयी थी। अनुसूचित जनजातियों के मामलों में भी सीमांत तथा लघु जोतों को जहां यह समान स्तर पर अर्थात क्रमशः 0.48 तथा 1.43 हेक्टेयर था, छोड़कर जोतों की सभी श्रेणियों में इसी रूझान को देखा गया। इस सारणी से यह देखा जा सकता है कि सभी सामाजिक समूहों के पास कुल मिलाकर सामान आकार की जोतें है।

सारणी न0 5

वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1985-86 के दौरान भारत में सभी सामाजिक समूहों में जोतों की मुख्य आकार की श्रेणियों के अनुसार जोतों का औसत आकार

(हेक्टेयर में)

जोतों के मुख्य आकार की श्रेणिया	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		अन्य सामाजिक समूह		सभी सामाजिक समूह	
	80-81	85-86	80-81	85-86	80-81	85-86	80-81	85-86
सीमांत	0.36	0.37	0.48	0.48	0.39	0.39	0.39	0.39
लघु	1.41	1.41	1.43	1.43	1.45	1.44	1.44	1.43
अर्द्ध–मध्यम	2.71	2.70	2.74	2.73	2.79	2.43	2.78	2.77
मध्यम	5.84	5.78	5.98	5.95	6.03	5.97	6.04	5.96
बड़े आकार	16.44	16.24	15.88	15.87	15.65	17.43	17.41	17.31
सभी आकार की जोतों की श्रेणियां	1.15	1.05	2.44	2.25	1.88	1.74	1.84	1.69

जोतों के आधार पर वर्गीकरण

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जोत के आधार पर कृषित जोत की संख्या और क्षेत्रफल को क्रमशः सारणी 6 एवं 7 में देखा जा सकता है। अनुसूचित जातियों द्वारा कृषित एक करोड़ बीस लाख जोत क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र वैयक्तिक जोत क्षेत्र है, जब कि अनुसूचित जनजाति द्वारा कृषित जोत क्षेत्र लगभग 89.3 प्रतिशत था। अन्य जोत क्षेत्र 87.3 प्रतिशत है संयुक्त जोत में हिस्सेदारी का सबसे कम अनुपात लगभग 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के कृषकों का है, जबकि अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी लगभग 10.7 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के द्वारा कृषित जोत के मामलों में संस्थागत जोत लगभग नगण्य है। जबकि अन्य का काफी कम अनुपात लगभग 0.2 प्रतिशत था।

अनुसूचित जाति द्वारा कृषित कुल एक करोड़ 26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से एक करोड़ सात लाख अथवा 84.9 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्र को वैयक्तिक जोत माना गया था। वैयक्तिक जोत में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम हिस्सेदारी 84 प्रतिशत थी जबकि अन्य की हिस्सेदारी 83.2 प्रतिशत थी। जोत की संख्या की भांति जोत के क्षेत्र के मामले में की संयुक्त जोत में अनुसूचित जातियों की सबसे कम हिस्सेदारी 14.9 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रत्येक की हिस्सेदारी 15.8 प्रतिशत थी संस्थागत जोत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों की ही सबसे कम हिस्सेदारी थी जो प्रत्येक में सिर्फ 0.2 प्रतिशत है, जबकि अन्य की एक प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

सारणी-6

वर्ष 1985-86 में जोत के आधार पर भारत में सभी सामाजिक समूहों द्वारा कृषित जोतों की संख्या

संख्या हजार में

मुख्य आकार वर्ग	जोत के प्रकार								
	वैयक्तिक			संयुक्त			संस्थागत		
	अजा	अजजा	अन्य	अजा	अजजा	अन्य	अजा	अजजा	अन्य
सीमांत	7750	2885	39282	757	275	5111	1	1	86
लघु	1716	1642	12426	207	152	1754	-	नगण्य	24
अर्द्ध–मध्यम	924	1369	9184	142.	176	1436	नगण्य	नगण्य	20
मध्यम	376	771	5493	79	165	1015	नगण्य	नगण्य	17
बड़े	62	160	1252	25	51	352	नगण्य	नगण्य	16
सभी वर्ग	10828	6827	67637	1210	819	9668	2	3	160
	(90.0)	(89.3)	(87.3)	(10.0)	(10.7)	(12.5)			(0.2)

सारणी 7

वर्ष 1985.86 में जोत के आधार पर भारत में सभी सामाजिक समूहों द्वारा कृषित जोत का क्षेत्रफल

मुख्य वर्ग आकार	जोत के आकार											
	वैयक्तिक			संयुक्त			संस्थान			कुल		
	अजा	अजजा	अन्य	अजा	अजजा	अन्य	अजज	अजजा	अन्य	अजा	अजजा	अन्य।
सीमांत	2706	1393	15455	291	119	2047	नगण्य	नगण्य	28	3000	1512	17530
लघु	2422	2341	17922	290	221	2477	नगण्य	1	34	2713	2563	20433
अर्द्ध–मध्यम	2484	3720	25499	393	504	4009	1	1	56	2878	4225	29564
मध्यम	2163	4553	32729	472	1015	6107	1	1	104	2636	5570	38939
बड़े	955	2468	20482	411	874	6604	16	23	1139	1413	3365	28224
सभी वर्ग	10732	14475	112087	1888	2733	21243	19	26	1360	12639	17234	134690

कृषित जोत की काश्तकारी

1985.86 मे भारत मे जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध मे काश्तकारी आधार पर अनुसूचित जातियों की बडे स्वकृषित जोत की संख्या के वितरण को सारणी 8 में देखा जा सकता है

सारणी 8

1985.86 में भारत मे जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आधार पर अनुसूचित जातियों की स्वकृषित जोत की संख्या का वितरण:-

(संख्या हजारो मे)

जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियां	कुल जोत संख्या	पूर्ण स्वामित्व वाले एवं स्वकृषित	पूर्ण रूप से पटटे पर दिया गया क्षेत्र	अन्यया पूर्ण रूप से कृषित क्षेत्र	आंशिक स्वामित्व वाले आंशिक रूप से पट्टे पर दिया गया एवं आंशिक रूप से अन्यथा कृषित
सीमांत	8003(100.0)	7667(95.8)	72(0.9)	80(1.0)	184(2.3)
लघु	1923(100.0)	1811(94.2)	17(0.9)	16(0.8)	79(4.1)
अर्द्ध मध्यम	1067(100.0)	1014(95.0)	7(0.7)	6(0.6)	40(3.7)
मध्यम	456(100.0)	432(94.7)	4(1.0)	2(0.4)	18(3.9)
बड़े जोतों को	87(100.0)	84(97.7)	नगण्य	नगण्य	2(2.3)
सभी प्रकार की श्रेणियां	11536(100.0)	11008(94.5)	101(0.9)	104(0.9)	323(2.8)

वर्ष 1985.86 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आधार पर अ0 जातियों द्वारा कृषित क्षेत्र के वितरण को सारणी 9 में देखा जा सकता है:

सारणी - 9

वर्ष 1985.86 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आधार पर बडे आकार में अ0 जातियों द्वारा कृषित क्षेत्र का वितरण

जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियां	कुल क्षेत्र	पूर्णतया स्वामित्व वाले एवं स्वकृषित	आंशिक स्वामित्व वाले	पूर्ण रूप से पट्टे पर गया	पूर्ण रूप से कृषित	आंशिक रूप से पट्टे पर दिया गया	आंशिक रूप से कृषित
सीमांत	2992(100.0)	2845(95.1)	47(1.6)	28(0.9)	28(0.9)	33(1.1)	13(0.4)
लघु	2713(100.0)	2552(94.1)	65(2.4)	25(0.9)	21(0.8)	35(1.3)	15(0.5)
अर्द्ध मध्यम	2878(100.0)	2734(95.0)	72(2.5)	19(0.7)	14(0.5)	24(0.8)	15(0.5)
मध्यम	2636(100.0)	2503(94.9)	78(3.0)	18(0.7)	10(0.4)	17(0.6)	11(0.4)
बड़े जोतों को	1413(100.0)	1371(97.1)	28(2.0)	3(0.2)	2(0.1)	5(0.4)	3(0.2)
सभी प्रकार की श्रेणियां	12632(100.0)	12005(95.0)	289(2.3)	92(0.7)	75(0.6)	113(0.9)	57(0.5)

1985.86 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आध ाार पर अनु0 जन जातियों की स्वकृषित जोत संख्या के वितरण को सारणी 10 में देखा जा सकता है।

सारणी - 10

जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियां	कुल जोत संख्या	पूर्णतया स्वामित्व वाले और स्वकृषित	पूर्ण रूप से पूर्ण पट्टे पर दिया गया	अन्यथा पूर्ण रूप रूप से कृषित,	आंशिक रूप से आंशिक रूप से पट्टे पर या कृषित,
सीमांत	3076(100.0)	2830(92.0)	30(1.0)	106(3.4)	110(3.6)
लघु	1795(100.0)	1638(91.3)	11(0.6)	40(2.2)	106(5.9)
अर्द्ध मध्यम	1545(100.0)	1430(92.6)	7(0.5)	22(1.4)	86(5.5)
मध्यम	936(100.0)	875(93.5)	3(0.3)	6(0.7)	51(5.5)
बड़े जोतों को	212(100.0)	197(92.9)	नगण्य	1(0.5)	13(6.1)
सभी प्रकार की श्रेणियां	7564(100.0)	697(92.2)	52(0.7)	175(2.3)	366(4.8)

अनुसूचित जातियों की कुल जोत संख्या में 94.5% जोत क्षेत्र इस समूह के पूर्णतया स्वामित्व में अथवा स्वकृषित जोत के अंतर्गत माना गया जबकि क्षेत्रफल के अनुसार यह लगभग 95% था। कुल लगभग 0.9% जोत क्षेत्र में लगभग 1.7% क्षेत्र पट्टे पर दिया गया था जबकि जोत क्षेत्र की संख्या और क्षेत्रफल के अनुसार अन्यथा पूर्ण रूप से कृषित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 0.9% और 0.6% था। अनुसूचित जातियों से पूर्णतया स्वामित्व वाले और स्वकृषित वाले विभिन्न आकार वर्ग के क्षेत्र संख्या और क्षेत्रफल दोनों के वितरण में ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं था। जोत की संख्या के मामले में वास्तविक आंकडों में 94.2% से 97.7% तक और जोत की संख्या के मामले में 94.1% तक की और क्षेत्रफल के मामले में 94.1% से 97.1% तक परिवर्तन होता रहता है। बडी जोत की संख्या पूर्ण रूप से पट्टे पर दी गयी श्रेणी के अंतरगत, लगभग नगण्य मानी गयी, जब कि क्षेत्रफल के हिसाब से इसे 0.2% माना गया था। पूर्ण रूप से पट्टे पर दिये गये सीमांत और लघु जोत क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक लगभग 0.9% माना गया। सीमांत और लघु जोत के मामले में अनुसूचित जातियों के जोत क्षेत्र का काफी हिस्सा पट्टे पर दिया गया था।

1985.86 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की स्वकृषित जोत क्षेत्र के वितरण की सारणी 11 में देखा जा सकता है।

सारणी 11

1995.96 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आधार पर अनुसूचित जनजातियों की स्वकृषित जोत क्षेत्र का वितरण

जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियां	कुल क्षेत्र	पूर्ण स्वामित्व वाले और स्वकृषित	आंशिक रूप से स्वामित्व वाले	पूर्ण रूप से पटटे पर दिया गया	पूर्ण रूप अन्यथा कृषित	आंशिक से पटटे पर दिया गया	आंशिक रूप से अन्यथा कृषित
सीमांत	1511(100.0)	1384(91.6)	38(2.5)	13(0.9)	47(3.2)	11(0.7)	17(1.1)
लघु	2536(100.0)	2337(91.2)	97(3.8)	16(0.6)	54(2.1)	22(0.9)	37(1.4)
अर्द्ध मध्यम	4225(100.0)	3909(92.5)	170(4.0)	17(0.4)	55(1.3)	25(0.6)	49(1.2)
मध्यम	5570(100.0)	5203(93.5)	242(4.3)	18(0.3)	33(0.6)	21(0.4)	48(0.9)
बड़े जोतों को	3365(100.0)	3136(92.3)	176(5.2)	8(0.2)	11(0.3)	11(0.3)	22(0.7)
सभी प्रकार की श्रेणियां	17233(100.0)	15975(92.7)	722(4.2)	72(0.4)	201(1.2)	90(0.5)	173(1.0)

अनुबंध 5.VII
संदर्भ पैरा 5.44

31-3- 1994 के अनुसार बडे पैमाने वाले आदिवासी बहुउददेश्य समुदायों के आंकडों की महत्वपूर्ण मदें

क्र० सं		कुल संख्या				किस समुदाय से संबंधित		सदस्यता			
		व्यवहार्य	संभवत:व्यवहारिय	दोरहन्त	डिफंक्ट	जोड़	अ.जा.	अ.ज.जा.	छोटे किसान	सीमांत कृषक	ग्रामीण शिल्पी
	I	1	2	3	4	I	1	2	3	4	5
असम	39	0	0	0	0	30	2	27	0	0	0
बिहार	474	418	56	0	0	710	67	368	401	0	56
गुजरात	248	203	28	14	3	219	16	157	0	0	5
जम्मू और कश्मीर											
कर्नाटक	19	19	0	0	0	47	0	47	10	9	2
मध्य प्रदेश	1073	0	0	0	0	1586	325	932	0	0	0
महाराष्ट्र	984	264	674	46	0	439	27	200	51	72	4
नागालैंड	4	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
उडीसा	223	210	13	0	0	889	131	509	386	396	16
राजस्थान	268	190	76	2	0	478	42	303	369	40	7
तमिलनाडू	17	5	12	0	0	59	2	46	31	14	1
त्रिपुरा	56	56	0	0	0	132	7	112	5	0	0
उत्तर प्रदेश	102	98	4	0	0	30	7	1	7	0	2
पश्चिम बंगाल	116	68	36	10	2	143	31	112	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	27	27	0	0	0	15	0	0	0	0	0
दमन और द्वीप	1	0	1	0	0	4	0	4	3	1	0
दादर व नगर हवेली	6	6	0	0	0	11	0	10	0	0	0
मिजोरम	1	0	1	0	0	4	0	4	3	1	0
जोड़	3671	1582	900	72	5	4797	637	2833	1263	432	93

अनुबंध 5.VIII
(संदर्भ पैरा 5.44)

'लैम्पस' को क्रियाशील बनाने के लिए शंकरन समिति की सिफारिश

1 जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना और प्रबंध की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित मानदण्डों पर आधारित होनी चाहिए।

क सहकारी समितियां स्वैच्छिक आधार पर गठित की जानी चाहिए और सहकारी समितियों से जुडे जनजातीय लोगों को स्वयं अपनी कोड परंपरा, नियम एवं मानदंड बनाने और उन्हें विकसीत करने का प्रयास करना चाहिए।

ख यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रबंध और निर्णय की प्रक्रिया जनजातीय लोगों के हाथ में हो, 'लेम्पस' और जनजातीय समुदाय के बीच सीधा सम्पर्क होना चाहिए।

ग जनजातीय समुदाय के लोगों की आवश्यकता पूरी करने वाली निचले स्तर के सहकारी संगठनो को एकीकृत सेवा प्रदान करनी चाहिए, जिससे जनजातीय लोग अपने कार्य क्षेत्र में उत्पादन, विपणन और भोग की आवश्यकता पूरी कर सकें।

2 प्रत्येक 'लेम्पस' की एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में जनजातीय समुदाय के सभी लोगों को उक्त कार्यक्रम में शामिल कर सकें। इस प्रकार की कार्ययोजना तैयार करने के लिए प्रत्येक टांडा 'हैमलेट' को उसके अपने क्षेत्र में एक यूनिट के तौर पर किया जा सकता है। प्रत्येक टांडा में मितव्ययितस एवं बचत के माध्यम से संसाधनों को जुटाने के लिए और लैम्पस द्वारा संपादित की जाने वाली कार्य योजना के प्रयोग के लिए भी स्वयंसेवी समूह गठित किए जा सकते हैं।

3 'लैम्पस' की आर्थिक विकास के एकीकृत कार्यक्रम के भाग के तौर पर आर्थिक विकास के समस्त अवसरों जैसे कि कृषि पशुपालन, लघुवन उत्पाद एवं संसाधन, उपभोक्ता माल और अन्य ग्रामोद्योग एवं हस्तलिपी इत्यादि का लाभ उठाना चाहिए।

4 यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि जनजातीय लोगों में गैर जनजातीय समुदाय के लोग सहकारी संगठनो पर अपना प्रभाव न जमाने पायें और

अपने लाभ के लिए उन पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त न करें। इसलिए लैम्पस के प्रबंध बोर्ड में अधिकांश लोग जनजातीय समुदाय के ही होने चाहिए और लैम्पस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी जनजातीय समुदाय के ही होने चाहिए।

5 जहां कहीं लैम्पस इन कार्यो को निष्पादित कर सकता हो, वहां प्राथमिक विपणन समितियों को समाप्त करके दो बार संस्थाएं न बनाई जाएं।

6 सहकारी समितियों में शामिल होने के लिए जनजातीय लोगों के संकोच को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि लैम्पस द्वारा ऋण देने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सरल और अधिक लचीला बनाया जाए।

7 राज्य स्तरीय संगठनों से मिलकर बने सहायक संगठनो को निचले स्तर पर कार्य कर रहे जनजातीय सहकारी संगठनों की आवश्यकता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। राज्य स्तर के संगठनों के परामर्श से 'ट्राइफेड' को विभिन्न जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन नीति तैयार करनी चाहिए।

8 जनजातीय क्षेत्रें में उत्पादित समस्त पण्यों के लिए उपयुक्त प्रापण योजना तैयार की जानी चाहिए। ट्राइफेड, नेफेड एवं राज्य विपणन संघ जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठनो के साथ विपणन व्यवस्था एवं संपर्क को परिभाषित किया जाना चाहिए। टी डी सी सी एवं टी आर आई पी ओ जैसी संस्थाएं जनजातीय समुदाय के लोगों में अनिवार्य उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध्द कराए जाने के साधनों को और सशक्त बनाने के लिए, कपडा, नमक एवं उर्वरक इत्यादि जैसी अन्य वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद कर सकती है।

अनुबंध 5.IX
(संदर्भ पैरा 5.44)

1992-93 से 1996-97 तक विशेष संघटक योजना के अंतर्गत राज्यावार परिव्यय और व्यय

क्रम सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा.की जनसंख्या का प्रतिशत	राज्य याजना परिव्यय	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.स.यो. व्यय	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	15.93	1995.80	166.56	8.35	182.78	109.74
2	असम	7.40	892.80	57.85	6.48	36.61	63.28
3	बिहार	14.55	2215.00	180.09	8.13	95.05	52.78
4	गोवा	2.08	153.41	2.16	1.41	2.2	101.85
5	गुजरात	7.41	1875.00	71.34	3.80	57.19	80.17
6	हरियाणा	19.75	830.00	108.20	13.04	104.67	96.75
7	हिमाचल प्रदेश	25.34	490.50	60.43	12.32	53.36	88.30
8	जम्मू और कश्मीर	8.31	820.00	64.11	7.82	64.11	100.00
9	कर्नाटक	18.38	1915.00	176.02	9.19	160.49	91.18
10	केरल	9.92	913.00	123.44	13.52	83.08	67.30
11	मध्य प्रदेश	14.55	2450.33	261.56	10.67	180.68	69.08
12	महाराष्ट्र	11.09	3484.17	170.68	4.90	202.81	118.82
13	मणिपुर	2.02	210.84	1.85	0.88	2.96	160.00
14	उडीसा	16.20	1750.00	219.80	12.56	212.26	96.57
15	पंजाब	28.31	1150.00	164.06	14.27	113.11	68.94
16	राजस्थान	1729	1410.00	237.22	16.82	234.32	98.78
17	सिक्किम	5.93	110.00	5.95	5.41	5.95	100.00
18	तमिलनाडू	19.18	1766.00	293.00	16.59	300.44	102.54
19	त्रिपुरा	16.36	240.00	32.16	13.40	32.58	73.32
20	उत्तर प्रदेश	21.05	4039.92	404.99	10.02	367.56	90.76
21	पश्चिम बंगाल	23.62	154.00	185.17	12.05	100.05	53.87
22	चंडीगढ	16.51	68.00	9.47	13.93	9.92	104.75
23	दिल्ली	19.05	920.00	88.51	9.62	84.91	95.93
24	पांडिचेरी	16.25	90.00	14.47	16.08	14.93	103.18
	जोड	16.33	31330.77	3099.65	9.89	2693.02	86.88

1993-94					1994-95				
राज्य योजना	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.स.यो. व्यय	प्रतिशतता	राज्य योजना	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.स.यो. व्यय	प्रतिशतता
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1851.00	208.77	1128	21500	103.0	2130.00	284.82	13.37	216.97	76.18
956.16	63.84	6.68	54.19	84.9	178.83	73.33	7.49	62.14	84.74
750.00	104.00	13.87	94.74	91.1	900.00	166.69	18.52	152.23	91.33
170.00	2.20	1.29	1.66	75.5	182.00	4.25	2.34	2.59	60.94
1900.00	80.43	4.23	71.50	88.92	240.00	78.87	3.52	74.13	93.99
920.00	125.33	13.62	100.19	79.9	1025.50	142.56	13.90	136.10	95.47
564.84	6875	12.17	65.67	95.5	666.32	77.86	11.69	67.05	86.12
887.25	50.94	5.74	37.53	73.7	950.00	54.83	5.77	49.26	89.48
3025.00	280.69	90.28	258.93	92.2	2800.00	203.81	10.85	289.21	95.19
1003.00	98.07	9.78	87.96	89.7	1260.60	126.62	10.04	99.15	78.31
2400.00	271.49	11.31	218.27	80.4	2754.00	310.78	11.28	231.87	74.61
3804.00	196.60	5.17	216.80	110.3	4400.00	390.28	8.87	335.90	86.07
253.13	2.82	1.11	1.79	63.5	214.50	4.35	2.03	2.04	46.90
1450.00	214.53	14.80	115.48	53.8	1950.00	148.00	7.59	160.06	108.15
1250.00	195.00	15.60	105.88	54.3	1450.00	200.07	13.80	87.42	43.69
1704.76	274.35	16.09	273.23	99.6	2450.00	389.85	15.91	363.24	93.17
120.00	5.96	4.97	5.96	100.0	135.00	8.40	6.22	1.66	19.76
2102.21	563.61	26.81	335.28	59.5	2750.75	523.06	19.02	443.19	84.73
310.00	39.11	12.62	30.45	77.9	290.00	25.99	8.96	25.99	100.00
425.00	456.91	10.75	388.92	85.1	4763.00	492.24	10.33	482.49	982.2
1550.00	237.13	15.30	229.54	96.8	176.00	174.35	10.22	232.49	133.35
80.00	2.34	2.93	2.26	96.6	80.00	11.12	13.90	11.12	100.00
105.00	95.75	8.91	81.60	85.2	1560.00	140.31	8.99	84.44	60.18
108.00	17.53	16.23	16.48	94.0	135.00	21.94	16.25	20.80	94.80
32484.33	3656.15	11.26	3009.31	82.3	3777.50	4154.38	11.00	3631.54	87.41

अनुबंध 5.IX

जारी

1995-96					1996-97				
राज्य योजना	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.सं.यो. व्यय	प्रतिशतता	राज्य योजना	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.सं.यो. व्यय	प्रतिशतता
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3159.00	314.90	9.97	266.65	84.68	272.00	300.57	11.03	267.46	88.98
1326.40	98.20	7.40	79.18	80.63	1183.74	78.49	6.63	78.49	100.00
2500.00	470.91	18.84	110.34	23.43	2143.91	260.30	12.14	144.17	55.39
210. 00	2.86	1.36	2.65	92.66	191.76	3.24	1.69	2.12	65.43
2240.82	97.16	4.64	8.96	89.50	2844.46	101.42	3.57	94.43	93.11
1250.00	186.37	14.91	148.22	79.53	1375.00	177.21	12.89	148.10	83.57
750.00	90.25	12.03	94.37	104.57	900.00	109.29	12.14	104.26	95.40
1165.00	95.99	8.24	70.00	72.92	1150.00	74.74	6.50	70.00	93.66
3575.00	338.79	9.48	315.38	93.09	4360.00	391.10	8.97	259.43	66.33
1550.00	142.00	9.16	153.77	108.29	2207.27	209.65	9.50	196.03	93.50
2900.00	283.16	9.76	231.66	81.81	3144.80	339.38	10.79	328.91	96.91
6069.00	550.00	9.06	550.00	100.00	7783.63	541.95	6.96	459.49	84.78
300.00	8.91	2.97	0.00	0.00	350.00	3.84	1.10	2.20	57.29
1650.00	178.57	10.82	166.58	93.29	2205.50	244.01	11.06	231.43	94.84
1650.00	227.68	13.80	90.50	39.75	185.00	205.00	11.08	75.59	36.87
3200.00	486.67	15.21	450.56	92.58	3200.00	487.12	15.22	462.75	95.00
192.00	7.15	3.72	6.30	88.11	194.00	4.22	2.18	4.20	99.53
3200.00	618.25	19.32	483.30	78.17	3719.05	652.39	17.54	416.90	63.90
350.00	37.12	10.61	25.99	70.02	346.91	32.53	9.38	32.53	100.00
5702.00	809.28	14.19	538.66	66.56	7075.00	1420.00	20.07	930.02	65.49
2207.30	278.14	12.60	124.44	44.74	3080.94	146.85	4.77	115.17	78.43
100.00	2.47	2.47	2.47	100.00	105.34	5.90	5.60	4.97	84.24
1720.00	149.80	8.71	109.45	73.06	2090.00	185.22	8.86	164.21	188.66
175.52	28.52	16.25	23.79	83.42	175.52	32.58	18.56	30.95	195.00
47142.04	5503.15	11.67	4131.22	75.07	54400.83	6007.00	11.04	4623.81	76.97

अनुबंध 5.IX
जारी

कुल आठवी योजना 1992-97				
राज्य योजना परिव्यय	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.सं.यो. व्यय	कॉ. 32 का 30 से प्रतिशत
29	30	31	32	33
11859.80	1275.62	10.76	1148.86	90.06
5337.93	371.71	6.96	310.61	83.56
8508.91	1181.99	13.89	596.53	50.47
907.17	14.71	1.62	11.22	76.27
1110.28	429.22	3.87	384.21	89.51
4500.50	739.67	13.70	637.28	86.16
3371.64	406.58	12.06	384.71	94.62
4972.25	340.61	6.85	290.90	85.41
1567.00	1490.41	9.51	1283.44	86.11
6933.87	699.78	10.09	619.99	88.60
13649.13	1466.37	10.74	1191.39	81.25
2540.80	1849.51	7.24	1765.00	95.43
1328.47	21.77	1.64	8.99	41.30
9005.50	1004.91	11.16	885.81	88.15
7350.00	991.81	13.49	472.50	47.64
11964.76	1875.21	15.67	1784.10	95.14
751.00	31.68	4.22	24.07	75.98
13538.01	2650.31	19.58	1979.11	74.67
1536.91	166.91	10.86	138.54	83.00
25829.92	2583.42	13.87	2707.65	75.56
10085.24	1022.20	10.14	801.69	78.43
433.34	31.30	7.22	30.74	98.21
7365.00	659.59	8.96	524.61	79.54
684.04	115.04	16.82	108.95	92.97
203129.47	22420.33	11.04	18088.90	80.68

श्रोत कल्याण मंत्रालय

अनुबंध 5.X
(संदर्भ पैरा 5.74)

आठवी पंचवर्षिय योजना के दौरान विशेष घटक योजना के लिए दी गई/ विशेष उपयोग में लाई गई राशि के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार विशेष केंद्रीय सहायता

क्र० सं	1992-93		1993-94	
	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	दी गई राशि	उपयोग की गई राशि
1 आंध प्रदेश	1937.61	2667.51	2416.06	2416.06
2 असम	189.44	124.51	220.51	168.73
3 बिहार	2096.54	1640.07	2327.11	0.00
4 गोवा	2.64	3.28	2.86	2.83
5 गुजरात	908.53	593.90	796.82	729.02
6 हरियाणा	398.20	475.12	424.53	451.75
7 हिमाचल प्रदेश	502.69	465.16	699.45	556.08
8 जम्मू और कश्मीर	66.79	105.66	76.33	84.97
9 कर्नाटक	1310.06	1134.10	1282.71	1282.71
10 केरल	502.74	519.39	402.84	375.79
11 मध्य प्रदेश	1839.09	1999.65	2803.81	2793.82
12 महाराष्ट्र	1698.92	1483.59	1562.79	1790.27
13 मणिपुर	7.42	6.92	5.56	5.52
14 उडीसा	1323.38	837.54	1075.66	1775.66
15 पंजाब	625.32	445.60	875.92	669.90
16 राजस्थान	1162.90	929.16	1829.89	898.52
17 सिक्किम	3.21	3.99	3.06	3.49
18 तमिलनाडू	1911.34	1925.00	1879.00	2606.01
19 त्रिपुरा	57.38	81.90	58.85	68.65
20 उत्तर प्रदेश	5495.07	4986.12	5833.29	6749.84
21 पश्चिम बंगाल	2669.54	2669.50	2322.75	2114.57
22 चंडीगढ	39.44	9.96	12.39	12.39
23 दिल्ली	148.60	148.60	184.76	173.94
24 पांडिचेरी	13.15	23.31	14.81	25.73

अनुबंध 5.X

जारी

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 दी गई राशि	1994-95 उपयोग की गई राशि	1995-96 दी गई राशि	1995-96 उपयोग की गई राशि	1996-97 दी गई राशि	1996-97 उपयोग की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	3255.36	3228.51	3425.41	3323.13	2915.22	3510.00
2	असम	273.34	228.00	222.65	206.89	163.52	191.99
3	बिहार	0.00	744.24	0.00	1581.21	2678.61	2200.00
4	गोवा	3.95	2.36	2.09	2.91	2.09	2.04
5	गुजरात	956.68	686.31	278.90	631.74	278.90	664.58
6	हरियाणा	538.05	480.99	623.00	491.78	520.00	572.51
7	हिमाचल प्रदेश	195.72	385.22	193.63	224.38	180.29	244.80
8	जम्मू और कश्मीर	100.00	74.73	83.77	127.64	95.23	38.74
9	कर्नाटक	1873.76	1850.76	2350.09	2220.05	1885.01	1968.79
10	केरल	508.81	554.66	491.73	433.13	404.93	458.90
11	मध्य प्रदेश	2097.57	2586.70	2425.33	2102.70	1910.39	1419.18
12	महाराष्ट्र	1475.89	1673.86	1745.47	1598.00	1448.87	1505.90
13	मणिपुर	6.09	6.08	5.90	5.22	5.11	5.78
14	उडीसा	1332.84	1575.66	1311.82	1215.76	1265.07	1354.52
15	पंजाब	1626.72	839.29	571.68	670.93	883.28	610.47
16	राजस्थान	887.37	3602.00	1828.26	2311.73	1619.91	1757.37
17	सिक्किम	4.22	4.02	3.57	3.72	3.39	3.39
18	तमिलनाडू	2655.66	2193.12	2803.55	2655.66	2271.54	1186.10
19	त्रिपुरा	100.97	100.97	72.26	63.88	72.54	80.70
20	उत्तर प्रदेश	62.97.51	6373.84	5439.03	6040.07	5920.49	6025.24
21	पश्चिम बंगाल	2813.37	2813.37	2955.22	2955.22	2752.50	2742.85
22	चंडीगढ	17.40	18.60	14.86	17.88	16.23	18.22
23	दिल्ली	244.42	130.17	231.16	151.52	190.42	190.42
24	पांडिचेरी	19.31	24.99	19.62	26.68	17.46	19.64

अनुबंध **5.XI**
संदर्भ पैरा **5.84**

1996-97 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यालय के अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 कुल परिवार	अनु०जाति	प्रतिशत	अनु० जन जाति	प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	75341	22340	29.65	7434	9.87
2	अरूणाचल प्रदेश	2870	-	0.00	2870	100.00
3	असम	8923	979	10.97	2344	26.27
4	बिहार	95539	30552	31.98	14132	14.79
5	गोवा	621	6	0.97	-	0.00
6	गुजरात	28650	4350	15.18	6960	24.29
7	हरियाणा	10671	4963	46.51	-	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	4063	1456	35.84	289	7.11
9	जम्मू और कश्मीर	3994	95	2.38	122	3.05
10	कर्नाटक	55866	16489	29.52	4552	8.15
11	केरल	26523	9874	37.23	645	2.41
12	मध्य प्रदेश	46264	8798	19.02	13441	29.05
13	महाराष्ट्र	59652	12501	20.96	7961	13.35
14	मणिपुर	2479	93	3.75	1720	69.38
15	मेघालय	2020	7	0.35	2013	99.65
16	मिजोरम	396	-	0.00	396	100.00
17	नागालैंड	702	-	0.00	702	100.00
18	उडीसा	36048	9452	36.22	9345	25.92

अनुबंध 5.XI

जारी

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 कुल परिवार	अनु०जाति	प्रतिशत	अनु० जन जाति	प्रतिशत
19	पंजाब	4353	2213	50.84	-	0.00
20	राजस्थान	199339	5323	57.52	4891	25.29
21	सिक्किम	1013	55	5.43	434	42.84
22	तमिलनाडू	43248	20246	46.81	506	1.17
23	त्रिपुरा	359	48	13.37	129	35.93
24	उत्तर प्रदेश	198324	100089	50.47	1945	0.98
25	पश्चिम बंगाल	62793	20323	32.37	3687	5.87
26	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	135	-	0.00	-	0.00
27	दादर और नगर हवेली	5	1	20.00	4	80.00
28	दमन और द्वीप	140	25	17.86	43	30.71
29	लक्ष्य द्वीप	20	-	0.00	20	100.00
30	पांडिचेरी	712	216	30.34	2	0.28
	भारत	791063	270494	34.19	86587	10.95

अनुबंध **5.XII**
संदर्भ पैरा **5.91**

1996-97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निष्पादन

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनु० जाति	अनु० जनजाति	जोड़*	अनु०जाति	अनु० जन जाति	जोड़*
1	आंध्र प्रदेश	5970	1734	13134	1087.68	217.53	2775.36
2	अरूणाचल प्रदेश	0	63	63	0.00	8.36	8.36
3	असम	139	259	853	174.71	241.83	967.75
4	बिहार	43196	17233	76452	5647.21	1797.93	9884.04
5	गोवा	15	0	456	3.76	0.00	49.04
6	गुजरात	2208	9081	14197	342.98	1500.34	2318.63
7	हरियाणा	2490	0	3655	525.32	0.00	757.65
8	हिमाचल प्रदेश	436	113	836	132.19	17.72	245.30
9	जम्मू और कश्मीर	NR	NR	6450	NR	NR	851.44
10	कर्नाटक	12050	2615	18093	2073.24	492.05	3328.50
11	केरल	6313	1377	11171	912.09	62.21	1476.19
12	मध्य प्रदेश	10118	15830	39255	873.71	1234.24	3193.99
13	महाराष्ट्र	6491	6434	19282	1429.72	1104.89	4125.85
14	मणिपुर	36	234	379	4.42	30.30	47.09
15	मेघालय	0	340	340	0.00	34.58	34.58
16	मिजोरम	0	229	229	0.00	45.61	45.61
17	नागालैंड			0			
18	उडीसा	13478	12357	29931	2089.19	1909.23	4728.20

1996-97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निष्पादन

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनु० जाति	अनु० जनजाति	जोड*	अनु०जाति	अनु० जन जाति	जोड*
19	पंजाब			0			
20	राजस्थान	6338	6262	18501	653.08	660.82	2150.73
21	सिक्किम	104	168	448	22.91	37.01	100.70
22	तमिलनाडू	9196	93	10860	4213.26	38.25	4961.49
23	त्रिपुरा	122	247	369	735.00	1493.00	2228.00
24	उत्तर प्रदेश	61115	416	77896	9513.42	37.82	11831.63
25	पश्चिम बंगाल	7404	2382	13897	1166.90	379.91	2264.62
26	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	9	9	0.00	2.38	2.38
27	दादर और नगर हवेली	0	40	40	0.00	7.45	7.45
28	दमन और द्वीप	NR	NR	12	NR	NR	0.58
29	लक्ष्य द्वीप	0	0	0	0.00	2.42	2.42
30	पांडिचेरी	46	0	47	13.21	0.00	14.39
	भारत	187565	77786	356855	31614.09	11361.88	57401.97

* दूसरे भी शामिल हैं।

स्रोत:- वार्षिक रिर्पोट 1996-97 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की

अनुबंध **5.XIII**
संदर्भ पैरा **5.100**

1996-97 के दौरान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा स्वीकृत किए गये और संवितरित किए गये

क्र० सं राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की लागत	राष्ट्रीय अनु० विकास निगम	संवितरित	राशि	हिताधिकारी अनु०जाति	अनु०जन	जोड
आंध्र प्रदेश	1264.50	864.45	657.07	0.00	1830	125	1955
अरूणाचल प्रदेश	38.84	28.61	30.85	26.94	0	15	15
असम	152.93	129.98	0.00	0.00	0	75	75
बिहार	686.44	531.11	497.40	0.00	200	485	685
चंडीगढ	19.00	13.20	31.08	3.96	10	0	10
दादर और नगर हवेली दमन और द्वीप	46.25	39.25	47.10	29.83	10	15	25
दिल्ली	195.36	131.85	46.69	0.00	88	0	88
गोवा	32.86	27.70	19.02	17.50	13	0	13
गुजरात	557.86	378.55	566.00	126.83	155	60	215
हरियाणा	311.40	224.30	220.25	0.00	140	0	140
हिमाचल प्रदेश	173.36	123.37	119.10	85.35	45	16	61
जम्मू और कश्मीर	227.00	179.00	135.00	6.61	40	10	50
कर्नाटक	1456.60	969.97	455.45	365.15	441	1010	5051
केरल	261.02	206.35	133.25	41.722	92	54	346
मध्य प्रदेश	1717.95	1332.91	771.40	152.92	240	460	700
महाराष्ट्र	1636.04	1221.95	1298.37	334.70	681	276	957
मणिपुर	147.90	94.69	53.83	0.00	2	49	51

अनुबंध **5.XIII**
जारी

1996-97 के दौरान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा स्वीकृत किए गये और संवितरित किए गये

क्र० सं राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की लागत	राष्ट्रीय अनु० विकास निगम	संवितरित	राशि	हिताधिकारी अनु०जाति	अनु०जन	जोड
मिजोरम	49.03	41.17	23.04	0.00	0	27	27
नागालैंड	83.90	71.17	45.01	66.71	0	44	44
उडीसा	229.70	184.54	0.00	0.00	139	179	318
पांडिचेरी	35.58	24.92	19.90	12.20	34	0	34
पंजाब	842.00	643.75	237.90	0.00	825	0	825
सिक्किम	40.05	33.99	95.99	0.00	16	26	42
तमिलनाडू	1011.83	659.90	345.14	374.65	284	27	312
त्रिपुरा	196.90	166.61	81.95	119.78	149	145	294
उत्तर प्रदेश	2975.40	1979.20	122.00	0.00	10095	0	10095
पश्चिम बंगाल	413.00	344.95	494.94	42.89	203	37	240
जोड	14802.70	10647.44	7147.43	1807.74	19533	3135	22668

स्रोत: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम

अध्याय-V

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियो का आर्थिक विकास

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति की कुल जनसंख्या क्रमशः 1382.280 लाख और 677.58 थी जो देश की कुल जनसख्या (जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर क्रमश 16.37% और 8.08% है। वर्ष 1981की कुल जनसंख्या में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता क्रमशः 15.47% और 7.85% थी। 1981 के दौरान दस वर्षो में अनुसूचित जति (30.04%) और अनुसूचित जनजाति (26.00%) की वृद्वि दर कुल जनसंख्या की वृद्वि दर 23-97% से अधिक थी। 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शहरी अनुपात कुल जनसख्या के लिए 74.26 था जो अनुसूचित जाति के लिए 81.19 और अनुसूचित जनजाति के मामले में 93.7 था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसख्या और साक्षरता का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध 5.I, 5.II और 5.III** और मे दिया गया है।

5.2 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की प्रतिशतता समाज के अन्य वर्गो से कही अधिक है। इस संबंध मे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 1977-78, 1983 और 1987-88 में किए सर्वेक्षणो में से योजना आयोग द्वारा एकत्रित आंकडो को नीचे दोहराया है।

तालिका 5.1

योजना आयोग के पिछले आकलनों के अनुसार 1977-78 से 1987 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कुल जनसंख्या की प्रतिशतता

वर्ष	अनु.जाति	अनु.जन.जाति	कुल जनसंख्या
1977-78	56.30	68.10	48.30
1983-84	50.10	57.20	37.30
1987-88	41.50	49.90	29.90

5.3 योजना आयोग योजना बनाने की प्रक्रिया मे गरीबी के भार का अनुमान लगाता रहा है। सितम्बर, 1989 में इसने गरीबी को अनुमान लगाने के लिए निर्धारित प्रणाली पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया और प्रो.डी.टी. लक्कड़वाला की अध्यक्षता में गरीबो के अनुपात एवं संख्या के आकलन के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। विशेषज्ञ दल ने गरीबी के आकलन के लिए कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया और जुलाई, 1993 मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर योजना ने 1973-74 से गरीबी के आकलन का संशोधन किया है। संशोधित आकलन नीचे तालिका में दिया है :–

तालिका 5.2

योजना आयोग द्वारा गरीबी का संशोधित आकलन

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित
1973-74	56. 44%	49.01%	54.88%
1977-78	53. 07%	45.24%	51.32%
1983-84	45. 65%	40.79%	44.48%
1987-88	39. 00%	38.20%	38.36%
1993-94	37. 27%	32.36%	35.97%
अ.जा.	48.11%	49.48%	वर्ष 1993-94
अ.ज.जा.	51.94%	41.14%	के लिए

5.4 **तालिका 5.1** में दिए गए योजना आयोग के पहले के आंकडों और योजना आयोग द्वारा अब प्रस्तुत आंकडो से यह देखा जा सकता है कि दोनों आकलनों मे गरीबों की प्रतिशतता में अंतर है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पहले के आंकड़ों में देश में गरीबी के भार का काम अनुमान लगाया। इस अलग से आयोग द्वारा पाया गया कि विशेषज्ञ दल ने अनुसूचित जाति को एवं अनुसूचित जनजातीयों की जनसख्या में गरीबी का आकलन नहीं किया हैं। तथापि, विशेषज्ञ दल की कार्यप्रणाली के आधार पर योजना आयोग ने वर्ष 1993-94 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण एव शहरी गरीबों के अनुमान तैयार किए जो **तालिका 5.2** में दिए गए है। इन अनुमानों से यह स्पष्ट है कि लगभग आधी अनुसूचित जाति जनसंख्या और 50% से अधिक अनु. जन.जाति जनसंख्या का अधम गरीबी की स्थिति में रहना जारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग सरकार से आग्रह करता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में गरीबो का नियमित आधार पर आकलन किया जाए ताकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के उत्थान मे लगे विभिन्न मंत्रालयों और श्रमिकरणों द्वारा समुचित नीतिगत उपाय किए जा सके।

5.5 विभिन्नि जनगणना अवधियों में मुख्य कामगारो के व्यावसायिक वर्गीकरण से यह प्रकट होता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वर्ष 1961,1971, 1981 और 1991 की जनगणना के दौरान कामगारों के वर्गीकरण के विवरण के निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :–

तालिका 5.3

वर्ष 1961 से 1991 तक हुई जनगणनाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और सामान्य जनसंख्या में मुख्य कामगारों की अलग-अलग श्रेणियों का व्यावसायिक वर्गीकरण

(प्रतिशत में)

वर्ष	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. कृषक			
1961	52.78	37.76	66.18
1971	43.38	27.87	57.56
1981	41.53	28.17	54.43
1991	39.74	25.44	54.50
2. कृषि मजदूर			
1961	16.71	34.48	19.71
1971	26.32	51.74	33.04
1981	25.16	48.22	32.67
1991	19.66	49.06	32.67
3. घरेलू उधोग			
1961	6.38	6.56	2.47
1971	3.55	3.33	1.03
1981	3.99	3.31	1.42
1991	2.56	2.41	1.04
4. अन्य कामगार			
1961	24.13	21.20	9.64
1971	26.75	17.06	8.37
1981	29.32	20.30	11.8
1981	38.04	23.08	11.76

5.6 इन आंकड़ो से यह देखा जा सकता है कि 1991 में लगभग आधी अनु.जाति (49.06%) और एक तिहाई अनुसूचित जनजाति 32.69%) के मुख्य कामगार कृषि मजदूरों के रूप मे कार्यरत थे। 1961-71 के दौरान अर्थात हरित क्रांति की प्रारंभिक अवधि में कृषि मजदूरों की संख्या मे तेजी से वृद्वि हुई। इसके पश्चात सामान्य जनंसख्या में कृषि मजदूरों का प्रतिशत 1971 में 26.32% से 1991 में घटकर 19.66% हो गयी। तथापि इसी अवधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मुख्य कामगारों के मामले में कृषि मजदूरों के अनुपात में केवल मामूली सी ही कमी हुई। **कृषि मजदूर को मौसम के अनुपात में केवल मामूली ही कमी हुई।** कृषि मजदूर को मौसम के अनुसार और बहुत कम मजदूरी पर रोजगार मिलता है जो अधिकतर मानसून पर निर्भर है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति के विकास के संदर्भ मे कृषि मजदूरों के सामने आई समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक उपेक्षित वर्गों से एक हैं।

5.7 मुख्य कामगारों का व्यावसायिक वर्गीकरण यह भी दर्शाता है कि मुख्य कामगारों के सभी वर्गों में "अन्य कामगारों" की संख्या में वृद्वि हुई है, हालांकि अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति की जनसंख्या की अपेक्षा सामान्य जनसंख्या में यह वृद्वि अधिक है। इन व्यवसायों मे उधोग और सेवा क्षेत्र भी शामिल हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन हो रहे हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा ऐसे क्षेत्रों में अधिक तेजी से वृद्वि हो रही है जिनका स्थान दूसरा अथवा तीसरा है। इन क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस संदर्भ मे यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि भारत सरकार ने विगत कुछ वर्षो में आर्थिक सुधार की दिशा मे कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण नीति संबंधी परिवर्तनों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्वि भी शामिल है। बहुराष्ट्रीय निगमों सहित बहुत से क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उधमों में कर्मचारियों की संख्या घटाने के उपाय किए गए हैं ताकि घाटे को रोका जा सके। आर्थिक पुनः संरचना कार्यक्रम में कड़े आर्थिक उपायों, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाना भी शामिल है, को लागू करके बजट घाटा कम करना भी शामिल है। **इन उपायों से शिक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो के लिए रोजगार के अवसरों में कमी होने की संभावना है। इसलिए श्रम मत्रांलय को समग्र रूप से और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के मामले में आर्थिक सुधारों के कारण रोजगार के अवसरों पर पडने वाले प्रभाव का व्यापक सर्वेक्षण करना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभोन्मुख रोजगार देने के लिए और उन्हें अर्थव्यवस्था के उभर रहे क्षेत्रों में शामिल करने के लिए उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सामान्य शिक्षा को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षोन्मुख बनाने के लिए सामान्य शिक्षा के मौजूदा ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए।**

विकास के लिए उपाय

5.8 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण एवं विकास के संदर्भ में सरकार द्वारा तीन उपाय स्वीकार किए गए हैं :–

(i) भारत के संविधान और विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत सुरक्षण एवं संरक्षात्मक उपाय,

(ii) शिक्षा और रोजगार में सकारात्मक विभेद और

(iii) विभिन्न स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके विकासात्मक उपाय।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और सेवाओं में सांविधानिक उपबंधों और सुरक्षणों पर तीसरे और चौथे अध्याय में अलग से चर्चा की गई है। इस अध्याय में आर्थिक विकास के उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है।

5.9 चूंकि देश में योजना युग की शुरूआत से ही गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन तथा सम दृष्टि सहित एवं विकास को हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातीयों के मामले में, प्रथम योजना के दौरान, शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया, दूसरी योजना में सामाजिक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गयी। तीसरी योजना में विद्यालय, आवास, अस्पताल आदि जैसी संस्थागत सेवाओं की व्यवस्था करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया तथा चौथी योजना का उद्देश्य सेवाओं का समेकन, सुधार और विस्तार रहा है। पांचवीं योजना में अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास, जिसे जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) नीति के नाम से जाना जाता है, के संदर्भ मे नई नीति को अपनाया गया। छठी योजना में अनु.जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना की संकल्पना को शुरू किया गया। सातवीं योजना में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण एवं विकास के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की गईं। आठवीं योजना में नियोजन, प्रशासन, लक्ष्य समूहों को लाभ देने जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के अलावा मनुष्य द्वारा मैला उठाने की अमानवीय प्रथा के पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

I. अनुसूचित जनजातीयों का आर्थिक विकास

जनजातीय उप-योजना

5.10 जनजातीय उप योजना नीति को पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, जिसमें जनजातीय बहुल विकास ब्लाकों की पहचान करना, इन पहचान किये गये क्षेत्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत धन का अलग करने के साथ–साथ इन क्षेत्रों के संस्थागत वित्त का संघटन करना और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना शामिल है। जनजातीय उपयोजना नीति के अनुसार जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर जनजाति संकेन्द्रण समूह एवं पाकेट आते हैं। हालांकि प्राथमिक रूप से क्षेत्र आधारित नीति होने के कारण यह उपयोजना लाभोन्मुख कार्यक्रम भी शामिल करती है। आज की स्थति के अनुसार जनजातीय उप–योजना नीति 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कशमीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दमन एवं दीव में चल रही है। किसी क्षेत्र विशेष में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संकेन्द्रण होने के आधार पर 194 समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएं, 252 आशोधित क्षेत्र विकास उपागम पाकेटों और 78 समूहों की पहचान की गई और उन्हें स्थापित किया गया है। इसके अलावा, 75 आदिम जनजातीय समूहों की भी पहचान की गई है। उपर्युक्त का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है : –

तालिका- 5.4

पहचान की गई आदिम जनजातीयों की राज्यवार सूची

1. आंध्र प्रदेश

गदाबा,

1. गुटोब गदाबा
2. बोडो गदाबा प्रजा
3. बोन्डो प्रजा
4. खोण्ड प्रजा
5. परेंगी प्रजा खोण्ड
6. कुटिया खोण्ड
7. डोंगरिया खोण्ड
8. कोण्ड सवारा
9. थोती
10. चेन्चू
11. कोण्डा रेड्डी
12. कोलम्स

2. बिहार

1. असुर
2. बिरहोर
3. बिरिजिया
4. कोरवा
5. मल पहाड़िया
6. परहैया
7. सवार
8. सौरिया पहाड़िया पटना
9. हिल खड़िया

3. गुजरात

1. कथोडी
2. कोलधा
3. पधार
4. कोटवालिया
5. सिद्दी

4. कर्नाटक

1. जेनू कुरूवास
2. कोरगा

5. केरल

1. चोलानायकन
2. कुरूम्बाज
3. कदार
4. कट्टूनायकन
5. कोरगा

6. मध्य प्रदेश

1. अबुझ मारियाज
2. बैगाज
3. भरियाज
4. पहाडी कोरवा
5. कमाग
6. सेहरिया
7. बिरहोर

7. महाराष्ट्र

1. कटकरी/कवौडी
2. कोलम
3. मदिया गौड़

4. मणिपुर

1. मारम

9. उड़ीसा

1. दिदायी
2. मनकिरीड़या
3. लोदा
4. खरिया
5. बोण्डो
6. डोंगरिया खोण्ड
7. जुआंग
8. कुटिया खोण्ड
9. लंजिया सौरा
10. पौड़ी भुजान
11. सौरा
12. बिरहोर
13. चुकटिया भुजिया

10. राजस्थान

1. सहारिया

11. तमिलनाडु

1. कट्टू नायकन
2. कौटास
3. कुरूम्बास
4. इरूलास
5. पनियास
6. टोडास

12. त्रिपुरा

1. रियांगस

13. उत्तर प्रदेश

1. बुक्सा
2. राजी

14. पश्चिम बंगाल

1. टोटो
2. बिरहोर
3. लकोडा

15. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

1. शोम्पेन्स
2. ओंगी
3. ग्रेट अंडमानीज
4. जारवा
5. सेन्टीनेलीज

5.11 अनुसूचित जनजातीयों के कल्याण एवं विकास के लिए निधियां अलग से निर्धारित करने की नीति के कारण जनजातीय उप–योजना के वित्त पोषण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। जनजातीय योजना की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। यह पूरी पांचवीं योजना के लिए मात्र 751.33 करोड़ रूपये थी जो 1994-95 की वार्षिक योजना में बढ़कर 3061.23 करोड़ रूपये और 1995-96 में 3867.07 करोड़ रूपये हो गई । पांचवीं योजना के दौरान और उससे आगे जनजातीय उपयोजना के अधीन निधियों में वृद्धि को निम्नलिखित तालिका 5.5 में देखा जा सकता है : –

तालिका-5.5

राज्य योजनाओं से जनजातीय उपयोजना को मिली निधियां

(करोड़ रूपयों में)

योजनावधि	राज्य योजना	जनजातीय उप–योजना को मिली राशि	%
पाँचवीं योजना	17692.88	751.33	4.25
छठी योजना	42390.60	3718.56	8.77
सातवीं योजना	73952.90	7076.81	9.57
1990-91	20918.64	2011.97	9.62
1991-92	24337.93	2503.62	10.27
आठवीं योजना			
1992-93	24811.55	3019.73	12.17
1993-94	30375.90	2887.83	9.51
1994-95	34501.05	3061.23	8.87
1995-96	40549.26	3867.07	9.54
1996-97	36718.60	*2964.19	*8.04

* इसमें बिहार, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उ.प्र., अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का योजना परिव्यय तथा (टी.' एस. पी. को मिलने वाली निधि शामिल नहीं है क्योंकि इन राज्यों के लिए जनजातीय उपयोजना के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।

5.12 उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति की 7.5% की जनसंख्या की तुलना में राज्यों द्वारा वार्षिक योजना 1996-97 के दौरान लगभग 8% परिव्यय की व्यवस्था की गई। हांलाकि उच्च परिव्ययों का कई बार काल्पनिक निर्धारण होता है तथा आयोग ने यह भी पाया है कि इस परिव्यय को खर्च करते समय प्रायः इसे बहुत अधिक घटा दिया जाता है। इसके अलावा साक्षरता, स्वास्थ्य, आय और अन्य मामलों में अनु.जन.जाति तथा शेष जनसंख्या के विकास के बीच निरंतर व्यापक अन्तर दर्शाता है कि अधिक परिव्यय से भी अनु. जनजातियों की दशा में अनुकूल सुधार

नहीं हुआ है। 1992-93 और 1996-97 के दौरान राज्य योजना और जनजातीय उप–योजना से निधियों का राज्यवार आबंटन **अनुबंध-5 .IV** में देखा जा सकता है।

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत निधि के आबंटन और उनके उपयोग पर योजना आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्ष

5.13 जनजातीय उप–योजना नीति को अनुसूचित जनजातीयों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए निधियों के पर्याप्त आबंटन तथा निवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। पिछले कई वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की गई। राज्यों द्वारा कई सेवा पैकेज तैयार और कार्यान्वित किए गए, जिनमे शैक्षिक सुविधाओं तथा स्वास्थ्य से लेकर खाद्य सुरक्षा, पीने के पानी की सुरक्षित व्यवस्था, धनोपार्जन स्कीमों तक को शामिल किया गया। इसके अलावा, केन्द्र और राज्य सरकारों ने जनजातीयों के शोषण को रोकने के लिए कई संरक्षात्मक कानून बनाए। जनजातीय उपयोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता तथा इसका अधिकतम उपयोग महत्वपूर्ण है। इसमें इस बात की जांच करने का प्रयास किया गया है कि क्या जनजातीय उपयोजना को आबंटित निधियां दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त थीं। साथ ही इन निधियों के उपयोग की सीमा और उनके प्रयोग के ढंग का भी मूल्याकंन किया गया है।

जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित निधियां

5.14 जनजातीयों के जीवन स्तर को शेष जनसंख्या के बराबर लाने के लिए जनजातीय उपयोजना नीति को कारगर बनाने हेतु जनजातीय उपयोजना के लिए निधियों का आबंटन का आवश्यक शर्त है। तदनुसार राज्य सरकारें जनजातीय उपयोजना विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए राज्य योजना निधियों से जनजातीय उपयोजना के लिए निधियां आबंटित करती रहीं हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना आबंटन 759.33 करोड़ रू. (कुल राज्य योजना परिव्यय का 4.2%) से बढकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 14873.43 करोड़ रूपये (8.18%) हो गया है।

5.15 दिशर्निदेशों के अनुसार राज्यों को जनजातीय उपयोजना में निधियों का आबंटन, कम से कम जनजातिय जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में करना अपेक्षित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल ने सिफारिश की कि जनजातीयों और गैर जनजातीयों के बीच विकास अंतराल को कम

करने के लिए जनजातीय उपयोजना के लिए निधियों का आबंटन जनजातीय जनसंख्या के हिस्से से कम से कम 3% अधिक होना चाहिए।

तालिका-.5.6

जनजातीय उपयोजना परिव्यय का उपयोग

(प्रतिशता में)

राज्य	जनजातीय जनसं(1981)	7वीं योजना में जनजातीय उपयोजना के लिए राज्य योजना परिव्यय	7वीं योजना में जनजातीय उपयोजना के लिए प्राप्त निधि का उपयोग	जन.जातीय जनसं. (1991)	8वीं योजना में जनजातीय उपयोजना के लिए राज्य योजना परिव्यय	8वीं योजना में जन. जा. उपयोजना के लिए प्राप्त निधि का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्रप्रदेश	5.93	4.2	107.2	6.31	4.5	73.70
बिहार	8.31	26.5	91.06	7.66	28.9	92.64
गुजरात	14.22	10.5	99.06	14.92	10.9	95.95
मध्यप्रदेश	22.97	19.7	उपलब्ध नहीं	23.27	23.0	94.97
महाराष्ट्र	9.19	6.5	132.50	9.27	7.2	95.19
उड़ीसा	22.43	26.6	44.57	22.21	24.4	77.88
राजस्थान	12.21	10.6	100.29	12.44	8.7	90.66
भारत	7.85	9.57	--	8.08	9.86	---

टिप्पणी : परिव्यय और व्यय पर मॉगी गई उपयोग दरें (क) उड़ीसा के लिए एक वर्ष (ख) बिहार के लिए दो वर्ष (ग) राजस्थान के लिए तीन वर्ष और (घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के लिए चार वर्ष है।

5.16 **तालिका-5.6** से प्रकट होता है कि बिहार और उड़ीसा ही संस्तुत आबंटन सिद्वांतों का पालन कर रहे हैं जबकि अन्य सभी राज्य जनजातीय उपयोजना के अनुपात से कम योजना निधियाँ आबंटित कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 8वीं योजना के 5 वर्षो के लिए निर्धारित जनजातीय उपयोजना को योजना निधि **(8.88%)** का आबंटन जनजातीय जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में ही है।

5.17 तथापि बिहार और उड़ीसा द्वारा जनजातीय उपयोजना को अनुपात से अधिक आबंटन की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि ये दो राज्य वास्तव में वित्तीय संसाधनों की एक बड़ी राशि जनजातीयों के लिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि आबंटन वास्तव में खर्च किया जा रहा हो। उपर्युक्त तालिका के कॉलम 4 और 7 इन राज्यों की जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित निधि की उपयोग दरें दर्शाते हैं।

5.18 सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल चार राज्यों यर्थात आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने ही जनजातीय उप योजना के लिए आबंटित निधि का पूरा या कुछ अधिक खर्च किया। मध्यप्रदेश ने सातवीं योजना के लिये उपयोग दर की कोई सूचना नहीं भेजी। परंतु यह जानना

भी दिलचस्प है कि उड़ीसा, जिसने जनजातीय उपयोजना को जनजातीय जनसंख्या से अधिक योजना गत धनराशि आबंटित की, उसने सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित धनराशि का केवल 44.57% ही खर्च किया। **तालिका-5.7** से स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

तालिका-5-7

प्रतिवर्ष योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना को प्राप्त निधि का प्रति व्यक्ति आबंटन और खर्च।

राज्य		प्रति व्यक्ति आबंटन		प्रति व्यक्ति खर्च	
		7वीं योजना	8वीं योजना	7वीं योजना	8वीं योजना
1.	आन्ध्र प्रदेश	169	292	181 (107)	215 (73.70)
2.	बिहार	535	425	487 (91)	394 (92.0)
3.	गुजरात	252	387	252 (100)	371 (95.95)
4.	मध्यप्रदेश	236	298	उपलब्ध नहीं	282(95.19)
5.	महाराष्ट्र	182	379	241(132)	361 (95.19)
6.	उड़ीसा	755	476	336 (44.5)	370(77.88)
7.	राजस्थान	200	299	201 (100.3)	271 (90.66)

(लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आबंटन पर खर्च का प्रतिशत दर्शाते हैं)

5.19 आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय उपयोजना को दरें आबंटित योजनागत निधि के उपयोग की दरें, विशेष रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजना में बहुत कम है।

जनजातीय उपयोजना के लिए प्राप्त निधि का सेक्टरवार आबंटन

5.20 यह देखा गया है कि अधिकांश राज्य, योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियां जनजातीय उपयोजना को आबंटित करने के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः अधिकांश राज्य जनजाति विकास के लिए अनुपात से कम निधि आबंटित और खर्च कर रहे हैं। राज्यों द्वारा दिया जाने वाला एक तर्क यह है कि वे योजना के अंतर्गत प्राप्त निधि के विभाज्य और गैरविभाज्य घटक के बीच भेद करते है और केवल विभाज्य घटक ही जनजातीय उपयोजना के लिए होता है। दूसरे शब्दों में सामान्य राज्य योजना निधियां भी जनजातीयों और अनुसूचित क्षेत्रों के लाभ के लिए खर्च की जाती है। यदि ऐसा है तो जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित निधि मुख्य रूप से जनजातीयों के विकास पर खर्च होनी चाहिए दूसरे शब्दों में जनजातीय उपयोजना निधियों का प्रयोग मुख्य रूप से जनजातीयों के लिए बने लाभोन्मुख कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए। आयोग का विचार है कि जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत अविभाज्य निधि को भी शामिल करने के स्थान पर केवल विभाज्य निधि को ही दर्शाया जाना चाहिए तथा जनजातीयों के लाभ के लिए ही इसे पूर्णतः खर्च करना चाहिए।

तालिका-5.8

प्रमुख सेक्टरों में जनजातीय उपयोजना निधियों का आबंटन

(प्रतिशता में)

राज्य	कृषि एवं ग्रामीण विकास	सिंचाई एवं बिजली	सामाजिक सेक्टर	अन्य
आबंटन (1992-96)				
आन्ध्र प्रदेश	17.00	21.07	12.18	48.81
बिहार	24.70	30.60	15.00	29.70
गुजरात	25.87	19.59	14.01	40.53
मध्यप्रदेश	30.12	21.20	28.35	20.33
महाराष्ट्र	30.61	40.88	20.38	18.13
उडीसा*	20.45	39.55	11.92	28.08
राजस्थान*	23.31	48.54	17.56	10.59

*केवल 3 वर्षो के लिए परिव्यय

5.21 जैसा कि तालिका 5.8 से प्रकट होता है, आबंटन का ढांचा इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि व्यवहारिक रूप में राज्यों द्वारा जनजातीयों उपयोजना निधियों के आबंटन के लिए सिद्वांत का पालन किया जा रहा था। तालिका-5.8 में श्रेणी अन्य में अधिकांशतः वे कार्यक्रम आते हैं जो जनजातीयों के परिवारों/ व्यक्तियों के लिए लक्षित होते हैं। जनजातीय उपयोजना निधि का एक बड़ा भाग सिंचाई एवं बिजली, विशेष रूप से लघु सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए आबंटित किया गया है। चूंकि अनेक समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं में जनजाति और गैर जनजातीय लोग साथ–साथ शामिल होते हैं, लघु सिंचाई से होने वाले लाभों को केवल जनजाति के लिए लक्षित नहीं किया जा सकता। कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों के मामले में जनजातीय परिवारों के लिए लाभ लक्षित किए जा सकते है हालांकि उपलब्ध सूचना यह सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है कि क्या लाभ वास्तव में केवल उन्हें ही मिल रहे हैं।

5.22 सामाजिक सेक्टर के मामले में आबंटित जनजातीय उपयोजना निधियों की राशि जनजातीयों के तीव्र विकास के लिए अपर्याप्त लगती है। यह सर्वादित है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल–आपूर्ति और आवास के क्षेत्रों में जनजातीयों और गैर–जनजातीयों के बीच विकास अन्तराल बहुत अधिक है। एक उपर्यूक्त अवधि के अन्दर इस अन्तर को कम करने के लिए इन सेक्टरों में निवेश काफी अधिक करना आवश्यक है । सामान्यता सामाजिक सेक्टरों के लिए जनजातीय उपयोजना निधियों के आबंटन का जनजातीयों की तुलना में गैर–जनजातीयों के समाजिक वंचन से कोई संबंध नहीं है।

5.23 किसी सेक्टर के लिए निधियों के आबंटन हो जाने मात्र का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नही है कि खर्च वास्तव में अभिष्ट प्रयोजन के लिए हो रहा है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि

बिहार और उड़ीसा ने जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित धनराशि से काफी कम खर्च किया। कुछ राज्यों के मामले में स्वतंत्र जांचों से पता चलता है कि जनजातीयों के नाम पर अधिकांश खर्च की गई धनराशि का लाभ वास्तव में गैर–जनजातीयों को मिला, इस प्रकार की कुछ बातों का खुलासा पी. साईनाथ की पुस्तक "एवरीबडी लब्स ए गुड ड्राउट" (पेंग्विन बुक्स इंडिया 1998) में किया गया है जिन्होंने देश के गरीब एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का व्यापक रूप से दौरा किया तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के तरीकों एवं प्रभाव का मूल्यांकन किया।

कुछ टिप्पणियाँ

5.24 आयोग ने कर्नाटक, केरल, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से अन्य बातों के साथ–साथ जन जाति उप–योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा की। आयोग ने पाया कि कई राज्य अपनी जनजाति जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय उप–योजना के लिए परिव्यय नहीं दे रहे हैं। आयोग ने यह भी पाया कि वार्षिक योजना पर विचार–विमर्श के समय जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटित निधियों का अधिकांश राज्यों द्वारा उपयोग नहीं किया गया। **इस संबंध में आयोग सिफारिश करता है कि सभी राज्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय गठित कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार जनजातीय उप-योजना के लिए अपने राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता से 3% अधिक निधियां आबंटित करनी चाहिएं। सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा ही यह सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करना चाहिए कि आबंटित धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया है और जन जातीय उप-योजना पर राशि खर्च करने की बजाए विकास के अन्य किसी सेक्टर में खर्च नहीं की गयी है।**

5.25 जैसा कि स्पष्ट है, सामान्य तौर पर राज्य, कार्य दल (आठवीं योजना) द्वारा संस्तुत धनराशि आबंटन के सिद्वांतों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस आबंटन सिद्वान्त को हालांकि निर्देशात्मक माना जा सकता है, तो भी राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे जनजातीय उपयोजना हेतु योजना निधि के आबंटन के लिए अपने क्षेत्र की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ही वस्तु परक मानदण्ड तैयार करें। जनजातियों और गैर जनजातीयों के बीच विकास अंतराल दर प्रत्येक राज्य में भिन्न–भिन्न है और इसलिए इन अंतरालों को पाटने के लिए संसाधनों की जरूरतें भी अलग–अलग हैं। जनजातियों और शेष जनसंख्या के वंचन के स्तर में अंतरराज्यीय भिन्नता भी प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र में विधमान हो सकती है। प्रत्येक राज्य के लिए जनजातियों की तुलना में शेष जनसंख्या के साक्षेप वंचन का परिमापात्मक निधार्रण करना संभव हो सकता है, यदि सामाजिक महत्व के प्रत्येक क्षेत्र में संगत पैरामीटर संबंधी सूचना उपलब्ध हो। वैकल्पिक विश्वासनीय आंकड़ों के अभाव में विभिन्न सरकारी/ गैर सरकारी स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर विकास के कुछ संकेत–सूचकों संबंधी जानकारी इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए **तालिका 5.9** में प्रस्तुत की जाती है।

तालिका 5.9

विकास के संकेत सूचकः जनजाति बनाम गैर जनजाति

राज्य	प्रति व्यक्ति मासिक व्यय (रूपये)		साक्षरता दर (%)		शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000)	
	जनजातीय	गैर जनजातीय	जनजातीय	गैरजनजातीय	जनजातीय	राज्य का औसत (ग्रामीण)
1. आन्ध्र प्रदेश	128.83	156.55	13.2	45.11	130	87
2. बिहार	128.94	006.21	21.2	38.54	91	100
3. गुजरात	143.94	179.47	26.0	60.91	116	101
4. मध्यप्रदेश	122.83	224.34	15.6	43.45	154*	127
5. महाराष्ट्र	142.33	157.77	24.2	63.05	117	76
6. राजस्थान	147.83	005.94	15.7	38.81	105	111
7. उड़ीसा	124.16	131.17	18.8	48.55	177**	127

* मांडला जिला में शिशु मृत्यु दर

** कोरापुट जिला में शिशु मृत्यु पर (जनजातिय बाहुल्य क्षेत्र)

स्रोतः–एस आर एस, आर जी आई, 1988;

5.26 तीनों संकेत–सूचक मोटे तौर पर सामाजिक महत्व के तीनों क्षेत्रों अर्थात आर्थिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास को प्रकट करते हैं। बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों में आर्थिक कल्याण (जो व्यय के अनुसार मापा जाता है) के क्षेत्र में जनजातीयों का सापेक्ष वंचन अत्यधिक है। विभिन्न सेक्टरों को जन–जातीय उपयोजना निधियां आबंटित करते समय राज्यों को चाहिए कि वे जनजातीयों के लिए धनोपार्जक परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रयाप्त निधियां आबंटित करें ताकि उपयुक्त समय के अन्दर आर्थिक कल्याण के स्तरों में अंतर को पाटा जा सके।

5.27 शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीयों का सापेक्ष वंचन सब ओर व्याप्त है। इसलिए शिक्षा के लिए निधि के आबंटन हेतु सामान्य केन्द्रीय दिशानिर्देश बनाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हालांकि जनजातीयों की हालत अन्यों से बदतर है तो भी सापेक्ष वंचन आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा को छोड़कर बहुत अधिक नहीं है। इसलिए इन राज्यों को जनजातीय स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक धनराशि आबंटित करनी चाहिए।

5.28 अन्ततः यहां जनजातीय उपयोजना को राज्य योजना निधियां आबंटित करने के लिए एक सामान्य आबंटन सिद्वान्त तैयार करने का प्रयास किया गया है। इस सुझाई गई विधि को निदर्शी के रूप में मानना चाहिए। अब आय, साक्षरता–दर और शिशु मृत्यु दर के अनुमान को कल्याण के तीन संकेत सूचकों के रूप में लें। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए. ई. आर, 1996) की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ये आकलन निम्नलिखित हैं **(तालिका-5.10)**

तालिका - 5.10

कल्याण के संकेत - सूचक

	प्रति व्यक्ति आय (रूपये)	साक्षरता दर (%)	शिशु मृत्यु दर (प्रति1000)
जनजाति	3504	39.3	98
अन्य	5113	59.4	79

* ऊपर दिए गए आंकड़े एन.सी ए.ई आर. सर्वेक्षण के अनुसार है न कि जनगणना आंकड़ों पर आधारित।

5.29 सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक सेक्टर जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिशु–देखभाल, मनोरंजन, परिवार–स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वच्छता और अन्य संबंधित गतिविधियों के विकास में समुदायों के भरपूर भाग लेने की आवश्यकता है। जनजातीय परिवारों की सक्रिय भागीदारी से इसके वांछित परिणाम हो सकते हैं और इससे जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में दूरदराज की बस्तियों में जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभ पहुँच सकते हैं। जनजातीय उपयोजना नीति को समुदायों की पूर्ण भागीदारी तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रामाणिक एवं प्रभावपूर्ण सहयोग के साथ सामाजिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

5.30 कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जन जातीय उप–योजना के लिए उनके वित्तीय परिव्यय के अंतर को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग जनजातीय उपयोजना को मिली राशि के साथ संयोजन के रूप में किया जाना है ताकि उन अन्तरालों को पूरा किया जा सके जिनका अन्यथा राज्य योजना द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता। ये मूल रूप से कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, भूमि–संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मछली पालन, ग्रामीण एवं लघु उद्योगों और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि के क्षेत्रों में परिवारों के लिए धनोपार्जन स्कीमें हैं।

5.31 विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन का मापदण्ड समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, माडा पॉकेट समूहों, आदिम जनजातीय समूहों और बिखरे हुए जनजातीय समूहों के लिए निर्धारित मानकों के अधार पर निर्धारित किया गया है। आठवीं योजना के लिए जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन और 1992-93 से 1996-97 में उसका आबंटन एवं उन्हें जारी किए जाने का विवरण इस प्रकार है : –

तालिका- 5.11

आठवीं योजना के लिए जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन एवं जारी की गई राशि

(लाख रू. में)

वर्ष	आबंटन	जारी की गई राशि
8वीं योजना (1992-93 से 1996-97)	1,25,000,00	
1992-93	25,000,00	25,000,00
1993-94	29,500,00	29,484,50
1994-95	27,500,00	27,500,00
1995-96	33,000,00	33,000,00
1996-97	33,000,00	33,000,00

5.32 वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जारी की गई राज्यवार निधियां **अनुबंध 5.V** में देखी जा सकती हैं।

5.33 यह देखा गया है कि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता यह दर्शाती है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में सहायता की राशि बढ़ रही है और यह राज्यों की जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर सामने आयी है। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उनसे उत्पादकता और धनोपार्जन के लिए अधिक व्यवहारिक और प्रभावपूर्ण स्कीमें बन सकें। जैसा कि पहले बताया गया है राज्यों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग न करना और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभ के लिए इसे खर्च न करना गंभीर चिन्ता का विषय है। यह सरकारों के लिए अच्छी बात नहीं है जिन्हें अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।

विकास परियोजनाओं का प्रतिकूल प्रभाव

5.34 बड़ी परियोजनाओं जैसे उद्योग, सिंचाई, जल–विधुत आदि की संस्थापना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले जनजाति के लोगों की समस्याएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं। जनजातीय लोग अपने इतिहास के अनोखे दौर से गुजर रहे हैं जब जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के आरंभ किए जाने के कारण उत्पन्न विस्थापन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने मार्गदर्शन के लिए उनके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है।

5.35 अनुसूचित जनजातियां हमेशा ही आर्थिक विकास योजनाओं की भागीदारी में गौण स्थिति में रही है और शायद ही वे कभी मुख्यधारा में शामिल हो पायें। वस्तुतः कुछ मुख्य विकासात्मक परियोजनाओं

जैसे सिंचाई और बहु–उद्देश्यीय बांध परियोजनाओं ने जनजातीयों को उनके सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण से अलग–अलग करके उनके कष्टों को बढ़ाया ही है। यदि उदारीकरण की प्रक्रिया में उचित सुरक्षण न किए गए तो हाल के वर्षों में शुरू हुई यह प्रक्रिया अनुसूचित जनजातीयों सहित इन नुकसान उठाने वाले समूहों को और अधिक गौण स्थिति में डाल सकती हैं। इस संदर्भ में ही जनजातीयों को पूर्ण आर्थिक लाभ देने पर विचार किया जाना है। कृषि विभाग द्वारा 1992 के अपने प्रकाशन "कृषि संबंधी गणना" में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के संबंध में कृषि जोतों का ब्यौरा **अनुबंध 5.VI** में दिया गया है। निम्नलिखित विषय ऐसे हैं जिन पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है :–

(i) **सामान्य आर्थिक विकास के लिए जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से परिवहन, संचार विद्युत एंव व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास एक मूल पूर्वापेक्षा है।**

(ii) **यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास किए जाने चाहिए कि समुचित हिस्सेदारी और रोजगार के अवसरों के अनुसार उदारीकरण के लाभ अनुसूचित जनजातीयों तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों की जनजातीयों को मिलते हैं। इन क्षेत्रों में निवेश, विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी संरचना निर्माण के लिए निवेश को रक्षोपायों सहित यह सुनिश्चित करेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजातीयों का शोषण न हो तथा रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उनके कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है।**

(iii) **जनजातीय महिलाओं के लिए, विशेष रूप से कृषि और अन्य जिन क्षेत्रों से वे जुड़ी हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण, ऋण विस्तार, उद्यम वृत्ति के विकास आदि के संदर्भ में प्रोद्योगिकी स्थान्तरण के माध्यम से उनके कौशल उन्नयन आदि के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए।**

(iv) **जनजातीय/जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सभी विकास विभागों द्वारा जनजातीय जीवन शैली के लिए अनुकूल विकास गतिविधियों पर अनुसंधान किए जाने चाहिए।**

(v) **जनजातीयों की बौद्विक सम्पत्ति विशेष रूप से जैव औषधियों जड़ी-बूटी, औषधीय और सुगंधित पौध आदि की रक्षा की जानी चाहिए और संसाधित तथा पारंपरिक जनजातीय ज्ञान के आधार पर उत्पादों के व्यापक विपणन से अर्जित लाभ को संबंधित जनजाति में रायल्टी तथा लाइसेंस शुल्क में हिस्से के रूप में वापिस जनजाति विकास के लिए पहुंचाना चाहिए।**

(vi) **तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत सरकार से ऋण एवं सुविधाएं प्राप्त करने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और बड़े व्यापार संस्थानों को एक प्रशिक्षता (अप्रैन्टिसशिप) स्कीम विकसित करनी होती है जिसमें एक निश्चित संख्या में अनुसूचित जातीयों एवं अनुसूचित जनजातीयों के युवाओं, पुरूषों एवं महिलाओं दोनों को, किए जाने**

वाले कार्य के अनुरूप व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण, यूनिटों में निःशुल्क होता है और उस के पश्चात् इन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं को अनिवार्य रूप से उन्हीं औद्योगिक/ व्यापार यूनिटों में नौकरियों पर ले लिया जाता है। अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा भी इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

(vii) **अनुसूचित जनजातीयों की एक बड़ी संख्या पूर्वोत्तर में रहती है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण जनजाति लोगों के लिए आबंटित धन उन तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत प्रयास किए जाने चाहिए कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण विकास प्रयोजनों की धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए न हो बल्कि उनका उपयोग अनुसूचित जनजातीयों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए हो। यह बात अन्य क्षेत्रों उदाहरणार्थ जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए भी सत्य है जहां अनुसूचित जनजातीयों के लोग रहते हैं और जहां कानून अथवा व्यवस्था संबंधी या अन्य समस्याएं मौजूद हैं तथा धनराशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। मूल्यवर्धन के लिए उत्पाद के संसाधन, परिरक्षण एवं विपणन संबंधी यूनिटों का विकास करने के उपाय भी किए जाने चाहिए।**

(viii) **विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के कारण जनजातीयों की बड़े पैमाने पर विस्थापना ने बहुत से जनजाति समुदायों के दुखों को बढ़ा दिया है। आयोग अपनी पिछली रिपोर्ट में की गई अपनी सिफ़रिशों को दोहराता है कि इन क्षेत्रों में स्थित बड़ी विकास परियोजनाओं में जनजातीयों को भागीदार बनाया जाना चाहिए।**

5.36 **विभिन्न औषधीय पौधों से संबंधित उत्पादों और उनके संसाधन के संबंध में बौद्धिक स्वामित्व** ने आज देश के नए उदारवादी आर्थिक परिदृश्य तथा विश्व के संदर्भ में महत्व प्राप्त कर लिया है। ध्यान देने की बात यह है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की ओंज जनजाति को सेरीब्रल मलेरिया तथा अन्य रोगों का उपचार करने वाले एक पौधे के स्वामित्वाधिकार से वंचित कर दिया गया है। केरल सरकार के ट्रॉपीकल बोटानिकल गार्डन और अनुसंधान संस्थान ने बौद्धिक स्वामित्वाधिकार के सकारात्मक प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने दक्षिणी केरल के अग्रथलार हिल्स की कनी जनजाति को अरोग्य पाचा पौधे से विकसित हर्बल औषधि पर स्वामित्वाधिकार पाने में मदद की, चूंकि कनी जनजाति ने इसे पहचानने में मदद की थी। ऐसा लगता है कि संस्थान ने औषधि की जानकारी एक फार्मेसी को स्थानान्तरित कर दी, जो छः वर्ष के नवीकरणीय लाइसेंस के अंतर्गत जनजातीयों से माल प्राप्त करेगी। लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत और औषधि की बिक्री के आधार पर रॉयल्टी का 2 प्रतिशत भाग कनी जनजाति को जाएगा। समझा जाता है कि इस जनजाति से संबंधित 50 प्रतिशत परिवार अब इसके वाणिज्यिक प्रयोग के लिए इसकी खेती कर रहे हैं। इसी प्रकार के प्रस्तावों पर यह सुनिश्चित करने के लिए विचार किया जा सकता है कि औषधियों के विकास के लिए विभिन्न पौधों एवं उनके संसाधन की देशज जानकारी से जनजातीयों को लाभ पहुंचे। यह महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जैव–प्रौद्योगिकी विभाग नई आर्थिक व्यवस्था में जनजातीयों के लाभ के लिए बौद्धिक स्वामित्व की रक्षा के लिए विधायी उपायों सहित विभिन्न विषयों पर विचार करते हैं

संस्थागत वित्त

5.37 वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कोष प्रदान करने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों के ऋण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आर्थिक सहायता से जुड़े हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की धनोपार्जन स्कीमों के लिए दिए जाने वाले ऋणों के अलावा कृषक, दस्तकारों आदि को सरकार द्वारा प्रयोजित स्कीमों से अन्यथा भी निजी रूप से विशेष केन्द्रीय सहायता, अल्पावधि, मध्यावधि एवं दीर्घावधि उत्पादन ऋण मिलता है। यहां तक कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में भी अनुसूचित जनजाति के ऋणी व्यक्तियों को मिलने वाले संस्थागत वित्त के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किसी निश्चित अवधि के दौरान दिए गए ऋण का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। अनुसूचित जनजातीयों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वाणिज्यिक बैंकों से मिली वित्तीय सहायता के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

5.38 **इस संबंध में आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है :-**

(i) **भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों को संस्थागत स्रोतों से दिए गए ऋणों और अनुसूचित जनजातीयों के लाभभोगियों की संख्या से संबंधित आंकड़े अलग-अलग रखने चाहिए।**

(ii) **बैंकिग विभाग को बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उनके द्वारा अनुसूचित जनजातीयों को वास्तव में दिए गये ऋणों की तिमाही मानिटरिंग शुरू करनी चाहिए और कल्याण मंत्रालय के साथ तिमाही आधार पर इस जानकारी पर विचार करना चाहिए।**

(iii) **वर्तमान नीति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र में 10 प्रतिशत ऋण कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित है। परन्तु बैंक कमजोर वर्गों के इस 10 प्रतिशत के ऋण का लक्ष्य भी पूरा नहीं करते। इस ऋण का प्रतिशत वर्ष 1992 में 8.1%, 1993 में 8.5%, 1994 में 8.9% और 1995 में 8.7% था। 1995-96 में दिसम्बर, 1995 तक यह घटकर 8.6% हो गया। वास्तव में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का केवल 4 प्रतिशत ही कमजोर वर्गों को जाता है। बैंकिग विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जनजातीयों को ऋण देने के लिए न केवल ऊंचे लक्ष्य विशेष रूप से निर्धारित किए जाएं, बल्कि इन्हें नियमित रूप से पूरा भी किया जाए।**

(iv) **नाबार्ड को चाहिए कि वह गिरिजन को-आपरेटिव कारपोरेशन, आंध्र प्रदेश की तरह ही राज्य जनजातीय सहकारी संघों के लिए ऋृण सुविधा शुरू करें।**

(v) संबंधित उपप्रभागीय अधिकारी (एस डी ओ) द्वारा साक्ष्यांकित और ग्राम प्रमुख द्वारा प्रमाणित सामुदायिक भूमि के आधार पर अनुसूचित जनजातीयों के व्यक्तियों को ऋण दिया जा सकता है क्योंकि बहुत से जनजाति समाजों में भूमि का स्वामित्व समुदाय के आधार पर होता है।

(vi) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एन एस एफ डी सी) ने अपने प्रारंभ से फरवरी, 1996 के अंत तक 1,68,890 अनुसूचित जाति के तथा 33,474 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ऋण दिया। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिला ऋण पर्याप्त नहीं है। इस असंतुलन का उपचार होना चाहिए तथा इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए और एन एस एफ डी सी द्वारा यह देखने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए कि कम से कम एक तिहाई ऋण अनुसूचित जनजातीयों को मिले।

(vii) कल्याण मंत्रालय के अनुसूचित जाति विकास प्रभाव द्वारा दी जा रही न्यूनतम राशि में ऋण सहायता अनुसूचित जनजातीयों को भी मिलनी चाहिए।

सहकारिता

5.39 हमारे देश की जनजातीयों अन्य किसी भी प्रकार की आर्थिक अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों से अनभिज्ञ होने के कारण अपनी आजीविका के लिए पूर्णतया कृषि अथवा वन संबंधी कार्यों पर निर्भर हैं। उनकी भूमि जोतें काफी नहीं है और उनके पास गैर–सिंचाई वाली शुष्क जमीन है और इनमें अधिकांश केवल सीमांत कृषक ही हैं। तार्किक रूप से भी जनजातीय क्षेत्र बहुत दूर और प्रायः पहुंच से परे हैं। इस कारण, वे कृषि की प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक संकल्पना से अछूते और अप्रभावित रहते हैं जिस कारण वे अपनी सदियों पुराने कृषि और विपणन के तरीके पर ही विश्वास करने के लिए विवश रहते हैं। आश्चर्य की बात नहीं कि उनका लगातार शोषण होता है और वे अत्याधिक आर्थिक पिछड़ेपन और पराधीनता के शिकार होते हैं।

5.40 जनजातीयां अपनी आय के अतिरिक्त लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में छोटे–छोटे वन उत्पादों (एम एफ पी) के संग्रह और विक्रय पर भी निर्भर करती हैं। यहां भी उनका अज्ञान और भोलापन निजी व्यापारियों के हाथों उनका शोषण कराता है। साहूकार उनकी इस आर्थिक निर्भरता के कारण फलते–फूलते हैं। संक्षेप में, जनजातीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य काफी करूणाजनक है।

5.41 वर्तमान परिस्थितियों में जनजातीयों के बीच सहकारिता आंदोलन का महत्व स्पष्ट है। इसलिए जनजातीयों की आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए सहकारी संस्थानों की स्थापना परम महत्वपूर्ण है। हालांकि इस दिशा में ब्लॉक स्तर पर एल.ए.एम.पी.एस की स्थापना, राज्य स्तर पर जनजातीय विकास सहकारिता निगमों की स्थापना और राष्ट्रीय स्तर पर ट्राईफेड की स्थापना जैसे कदम उठाए गए लेकिन विभिन्न जनजातीयों और वन उत्पादों के लिए बेहतर पारिश्रमिक और बेहतर बाजार

सुनिश्चित करने के लिए इन संगठनों का प्रभाव सीमित ही है। इन संस्थानों को पुनर्गठित करने और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि ये अच्छे कार्य निष्पादन और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सहायक सेवा प्रदान कर सकें जिसकी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपेक्षा होती है।

5.42 जनजातियों के बीच सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए विगत में कई अध्ययन किए गए। प्लान परियोजना समिति के समाज कल्याण दल (1959) ने सिफारिश की कि "वनों का वाणिज्यिक प्रयोग का अधिकार ठेकेदारों के स्थान पर सहकारी समितियों को सौंपा जाए।" ढेबर आयोग (1961) ने सिफारिश की कि "उत्पादक की बिक्री और विपणन तथा जनजातीय लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित मूल्य पर, आपूर्ति पर सहकारी समितियों के माध्यम से विशेष ध्यान देना चाहिए। पिछड़ा वर्ग की सहकारी समितियों के कार्यदल (1961) ने जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन के धीमें विकास का कारण संरचनात्मक कमजोरी, प्रक्रियात्मक दोष, प्रबंधन समस्या, दोषपूर्ण कार्यप्रणाली और जनजातीयों के सर्वथा अनुपयुक्त व्यापार तरीकों/परिपाटियों को अपनाना बताया है। श्री.के.एस. बावा की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल ने जनजाति सदस्यों को उत्पादन एवं उपभोग ऋण देने, कृषि एवं लघु वन उत्पाद का विपणन अपने हाथ में लेने तथा उपभोक्ता वस्तुओं एवं कृषि साधनों का वितरण करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में एल.ए.एम.पी.एस. के गठन का सुझाव दिया ताकि जनजातीय लोग एक ही जगह से सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। ग्रामीण निर्धनों के लिए बनी सहकारी समितियों के संगठन पर बनी समिति (1991) की रिपोर्ट में श्री एस. आर. शंकरन ने जनजातीयों के लिए मौजूद सहकारी संस्थानों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए कई सुझाव दिए।

5.43 इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्य–योजना हेतु रूपरेखा बनाए जाने की आवश्यकता है। योजना का मूल उद्देश्य जनजातीयों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि वे स्वयं अपनी–अपनी सहकारी समितियां स्थापित कर सकें और अपनी विपणन नीतियों पर निर्णय ले सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं।

5.44 देश के जनजाति क्षेत्रों में 31–3–94 की स्थिति के अनुसार 3671 एल.ए.एम.पी.एस. थे। परंतु इनमें से आधे अव्यवहार्य थे। हालांकि एल.ए.एम.पी.एस. जनजातीयों के लिए हैं, लेकिन बहुत से मामलों में जजनातीय लोग कम हैं और इसीलिए अधिकांशतः निर्णय की शक्ति गैर–जनजातीय सदस्यों के पास होती है। 31–3–94 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सभी एल.ए.एम.पी.एस. की कुल मिलाकर सदस्यता 47.48 लाख थी जिसमें से केवल 28.33 लाख अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। एल.ए.एम.पी.एस. के संबंध में अधिक जानकारी **अनुबंध-5.VII** में देखी जा सकती है। अनुबंध से यह भी पता चलता है कि कुल ऋण प्राप्तकर्ताओं में 61.85 प्रतिशत जनजातीय लोगों का था और वर्ष 1993–94 के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 36.71 प्रतिशत अल्पावधि ऋण और 57.04 प्रतिशत मध्यावधि ऋण मिला। विभिन्न मूल्यांकन रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश एल.ए.एम.पी.एस में अनिवार्य बुनियादी संरचना का अभाव है और जनजातीय लोगों के समाजिक–आर्थिक विकास पर इसका सीमित प्रभाव है। शंकरन समिति रिपोर्ट ने एल.ए.एम.पी.एस को मजबूत बनाने और उन्हें पुनः सक्रिय करने के

लिए विभिन्न उपाय सुझाए थे। ये **अनुबंध-5.VII** में दिए गये हैं। इन उपायों का तत्काल कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं :-

(i) **जनजातीयों की उत्पादन, विपणन और उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल.ए.एम.पी.एस. द्वारा एकीकृत सेवा सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

(ii) **एल.ए.एम.पी.एस. द्वारा एकीकृत आर्थिक विकास कार्यक्रम के एक अंश के रूप में आर्थिक विकास के भागों जैसे कृषि, पशु-पालन, उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य ग्राम उद्योग एवं हस्थकरधा उद्योग आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए।**

(iii) **नाबार्ड को जनजातीय विकास सहकारी निगमों को ऋण देने के लिए एक पृथक लाइन खोलनी चाहिए जैसा कि इसने एल.ए.एम.पी.एस. को प्रदान करने के लिए गिरिजन सहकारी निगम के मामले में किया है।**

(iv) **एल.ए.एम.पी.एस. की उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य टी.डी.सी.सी. भी एल.ए.एम.पी.एस. को ऋण दे सकते हैं।**

(v) **जनजातीयों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। सभी संसाधनों को गतिशील बनाने के लिए स्वयं-सहायता समूह जैसी अग्रज समितियों का गठन करना चाहिए। जनजातीय किसानों एवं एल.इ.एम.पी.एस. के बीच सम्पर्क साधन के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षित जनजातीय युवाओं को लगाकर ग्रामीण स्तर पर सम्पर्क कार्यकर्त्ताओं का जाल बिछाया जा सकता है।**

(vi) **लघु वन उत्पादों का विभिन्न मदों, वर्तमान बाजार दरों तथा इन लघु वन उत्पादों के अंतिम संबंध में जनजातीय लोगों की स्पष्टीकरण देने के लिए एक आसूचना अभियान चलाया जाए ताकि वे जनजातीयों द्वारा संग्रह की गई मदों की आर्थिक संभावनाओं को जान सकें। ये अभियान उन औषधीय जड़ी-बूटियों के मामले में भी प्रासंगिक है, जो वनों मे मिलती हैं।**

(vii) **उपर्युक्त आसूचना अभियान के साथ-साथ जनजातीयों के बीच सहकारिता आंदोलन के संदेशों और लाभों को प्रसारित करने के भी प्रयास करने चाहिए।**

(viii) **अधिकांश राज्यों ने लघुवन उत्पादों के संग्रहण के लिए जनजातीयों के पूर्ण अधिकार को मान्यता दी हैं जहां कहीं ऐसा नहीं हुआ, संबंधित राज्य सरकारों को चाहिए जनजातीयों को ये अधिकार देने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसी प्रकार उत्पाद के विपणन के लिए जनजातीयों की मदद करने के प्रयोजन से स्थापित राज्य टी.डी.सी.सी. अथवा समान प्रकार की सरकारी सहकारी समितियों को लघुवन उत्पाद मदों के संबंध में पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में, निजी व्यापारी, जो मुख्य रूप से इन मदों**

से जुड़े हैं। जनजातीयों के उनके उत्पादों के लिए बहुत कम मूल्य देकर उनका शोषण करते हैं।

(ix) **हालांकि लघुवन उत्पाद मदों के संबंध में सहकारी समितियों को पूर्ण अधिकार देना एक महत्वपूर्ण कदम हैं, फिर भी इन सहकारी समितियों के लिए यह भी आवश्यक है कि इन मदों की बाजार संभावनाओं को साकार रूप देने के लिए वाणिज्यिक नीति के संबंध में उनके पास स्पष्ट रूप-रेखा हो। सहकारी संस्थाओं जैसे भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड(ट्राइफैड) राज्य टी.डी.सी.सी. एल.ए.एम.पी.एस. आदि को मिलकर देश के लघुवन उत्पादों के अधिकतम उपयोग के लिए विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए।**

(x) **जनजातीय उत्पादों के प्रमाण एवं विक्रय के क्षेत्र में कई सहकारी संस्थायें पहले ही कार्य कर रही है। लेकिन जनजातीयों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिए जाने के अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनो को इकट्ठा करने और कार्य को सही ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। ट्राइफेड, जो कि एक शीर्षस्थ सहकारी संस्था है, के पास इस संबंध में पहले ही आदेश हैं और इसे इस मामले में पहल करनी चाहिए और अपनी सिफारिशों के साथ इस दिशा में काम करना चाहिए।**

5.45 राज्य और केन्द्रीय स्तर के जनजातीय संगठनों के सहायता के अलावा एल.ए.एम.पी.एस. राज्य और केन्द्रीय स्तर के संघों और अन्य विशेष वाणिज्य एवं व्यापार संस्थाओं की नेटवर्किंग की स्थापना की भी आवश्यकता है। राज्य स्तर की संस्थाओं द्वारा बुनियादी स्तर की संस्थाओं को व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिए जाने की भी आवश्यकता है।

कृषि

5.46 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति संख्या का 42.54% मुख्य कामगार थे उसमें से 54.43% कृषक और 32.67% कृषि श्रमिक थे। इसलिए लगभग 87% मुख्य कामगार पूर्णतया या अधिकांशतः कृषि पर निर्भर थे अनुसूचित जनजातीयों की 42.9% स्वकर्षित जोतें सीमांत किसानों (एक हेक्टेयर से कम) की थीं और 24.1% छोटे किसानो (1से 2 हेक्टेयर) से संबंधित थी। केवल 2.2% बड़ी स्वकर्षित जोतें (10 हेक्टेयर और अधिक) थीं। लेकिन अनुसूचित जनजातीयों द्वारा स्वकर्षित कुल क्षेत्र का केवल 9.9% सीमांत अनुसूचति जनजाति के किसानों द्वारा स्वकर्षित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीयों द्वारा स्वकर्षित क्षेत्र का 16.5 % अर्ध–मध्यम किसानों (2 से 4 हेक्टेयर) का और 31.12% मध्यम किसानों (4 से 10 हेक्टेयर) और 16.6% बड़े किसानों (10 और अधिक हेक्टेयर) संबंधित हैं।

5.47 यह स्पष्ट है कि कृषि ही अनुसूचित जनजातीयों का मुख्य आधार है और इनमें अधिकाशं या तो कृषक हैं और/अथवा कृषि श्रमिक। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में मुख्य फसल की उत्पादकता महत्पूर्ण है, जो अनुसूचित जनजातीयों को प्रदान की जानी चाहिए। यह सर्वविदित है कि सामान्यता जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में उत्पादकता अधिकांश फसलों के मामलों मे राज्य की औसत से कम होती है। कुछ जनजातीय विशेष फसलो जैसे तिल्ली, ज्वार आदि के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशे की जाती हैं:–

(i) कृषि विभाग को जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और गैर-जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में तुलना करते हुए उत्पादकता आंकडों की मानिटरिंग शुरू करनी चाहिए। उन्हें चुनी गई फसलों/केवल अनुसूचित जनजातीयों द्वारा की गई खेती की उत्पादकता को भी नियमित रूप से मानीटर करना चाहिए आंकडो में दिखाए गए उत्पादकता के रूख का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी कमियों को दूर करते हुए कदम उठाए जाने चाहिए।

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) को अपनी अनुसंधान संबंधी गतिविधियों, विशेष रूप से जनजातीयों द्वारा खराब संसाधनों की सहायता से उगाई जाने वाली फसलों पर केन्द्रित करनी चाहिए। लम्बे समय तक रखे जा सकने वाले मोटे अनाज का विकास, उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर बीज, जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध बायोमास का प्रयोग करने के लिए कृषि पद्धतियों, जैव-खाद, बारानी खेती पद्धतियां अनुसूचित जनजातीयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

(iii) अनुसूचित जनजातीयों के लिए कृषि प्राधोगिकी को विकसित करने और उसके हस्तांरण के समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को देखना चाहिए कि इससे उनकी खाद सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसलिए अनुसंधान अध्ययन इस प्रकार कृषि पर केन्द्रित होने चाहिए जो अनुसूचित जनजातीयों की खाद सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें।

(iv) हालांकि जनजातीय अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर आधारित है, फिर भी अधिकांश जनजातीय किसान अभी भी सदियों पुरानी आदिम पद्धतियों से कृषि करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अपनी अनुसंधान गतिविधियों का लक्ष्य उनकी कृषि पद्धतियों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलो को बनाना चाहिए ताकि उसमें सुधार किया जा सके।

(v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में अनुसंधान केन्द्र खोले जाएं।

(vi) झूम खेती करने वाले जनजातीय लोगों के लिए व्यापक पैकेज विकसित किए जाने चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषकों के लिए कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित वर्तमान स्कीम उन अन्य राज्यों में भी शुरू की जानी चाहिए जहां अनुसूचित जनजातियां झूम खेती करती हैं।

(vii) बागवानी और पुष्पकृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(viii) बीजों के परिवहन के लिए आर्थिक सहायता की पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है, अन्य राज्यों में जनजातीय किसानों को भी दी जानी चाहिए क्योंकि इनमें से अधिकांश, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

(ix) जहां तक अनुसूचित जनजातीयों का संबंध है, छोटे किट्स के वितरण के स्थान पर अधिक पैदावार देने वाले बीजों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के पैकेज के सुसम्बद्ध प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(x) **अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को जो भूमि हीन हैं और रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं, कृषि मंत्रालयों की स्कीमों के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से कृषि श्रमिकों आदि द्वारा अपने कौशल उन्नयन के लिए प्रयोग किए जाने वाले कृषि औजारों एवं उपकरणों के क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।**

पशुपालन

5.48 जनजातीयों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्पूर्ण स्थान है। जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका के साध के रूप में इसका दूसरा स्थान है। जनजातीयों द्वारा दुधारु एंव भारवाही पशुओं के साथ–साथ सुअर, बकरी और कुक्कुट पालन भी किया जाता है। इस क्षेत्र में चलने वाले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत कई अनुसूचित जनजातियां लाभान्वित हुई हैं। परन्तु पशुपालन जिसमें जनजातीयों की आय बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं की पूर्ण स्थापना अभी तक नहीं हुई है। वस्तुतः विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीयों को मिलने वाले लाभों के संबंध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

5.49 इस संबंध में आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जनजातीयों को मिलने वाले लाभों के संबंध में पर्याप्त आंकड़े तैयार किए जाने चाहिए। संबंधित मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों को ग्रमीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से जनजातिय क्षेत्रों में पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के मूलभूत ढांचे तथा जनजातिय उपयोजना के लिए रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इन क्षेत्रों में पी. एच. सी. तथा उपकेन्द्रों की तरह पशुपालन केन्द्रों की स्थापना के लिए नियमों में छूट दी जानी चाहिए। जनजातिय क्षेत्रों में पशुधन के कोटि–उन्नयन के लिए विशेष नीति तैयार की जानी चाहिए। स्थानीय ग्रामीण/जनजातिय युवा को आवश्यक प्रशिक्षण दे कर उन्हें शमिल करते हुए सादे एंव मेहनती पशुचिकित्सकों की स्कीम तैयार की जाए। साथ ही, लोगों में जागरूकता लाई जाए तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इसमें लोगों को भागीदारी सुनिश्चत की जानी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम

5.50 ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने सभी कार्यक्रमों और उप–योजनाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातीयों के लिए अलग से वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण एक समान नहीं कर रहा है। जबकि ऐसा किया जाना चाहिए और प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्कीम वास्तविक एवं वित्तीय प्रति व्यक्ति लाभ को नियमित रूप से मानीटर किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातीयों के हितों के विरुद्ध पाई गई। किन्हीं प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए और उसके तत्काल उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। उपचारात्मक उपाय स्कीम विशेष से जुड़े हुए और यदि आवश्यक हो तो राज्य विशेष से संबन्धित होने चाहिए।

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5.51 इसके अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजातीयों का प्रतिशत 1993–94 में 17.05 था, जो घटता हुआ 1994–95 में 15.26% और 1995–96 में 13.32% रह गया। अनुसूचित जनजातीयों

पर किया गया प्रति व्यक्ति निवेश सामान्य श्रेणी के प्रति व्यक्ति निवेश से कम है और यदि इसकी अनुसूचित जाति के लिए प्रति व्यक्ति निवेश से तुलना की जाए तो यह और भी कम है। उदाहरण के लिए 1993–94 में ये आंकड़े सामान्य श्रेणी के लिए 7449/– रुपये, अनुसूचित जनजातियों के लिए 6552/–रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 8670/– रुपये थे।

5.52 पिछले कुछ वर्षों के दौरान छोटे किसानों पर प्रति व्यक्ति निवेश अपर्याप्त रहा। सीमांत किसानों पर और भी कम तथा कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों पर तो और भी कम था। दूसरी श्रेणी की तुलना में तीसरी श्रेणी में अधिक अनुसूचित जनजातीयों के आने की संभावना है और जो प्रथम श्रेणी में होने थे, वे द्वितीय श्रेणी में हैं। (उदाहरण के लिए 1993–94 में छोटे किसानों के लिए प्रति व्यक्ति निवेश 10,569/– रुपये, सीमांत किसानों के लिए 9164/–रुपये और कृषि श्रमिकों के लिए 8210/– रुपये तथा ग्रामीण कारीगरो के लिए 8089/–रुपये था।) इन सभी प्रवृतियों का विश्लेषण और उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

(ii) जवाहर रोजगार योजना एंव ई.ए.एस.

5.53 केवल जवाहर रोजगार योजना में ही अनुसूचित जनजातीयों का अंश 18% से 19 % के बीच स्थिर रहा लेकिन ई.ए.एस. के अंतर्गत रोजगार उत्पन्न करने के लिए पहले से अधिक राशि मिल रही है। अनुसूचित जनजातीयों का अंश 1994–95 में 33.27% से घटकर 1995–96 से 28.06% हो गया। यहां भी अनुसूचित जनजातीयों का अंश 1994–95 में 28% से घटकर 1995–96 में 22% हो गया। इन प्रवृत्तियों को बदलने की जरूरत है।

(iii) इंदिरा आवास योजना एंव एम.डब्ल्यू.एस

5.54 मानिटर करने की पद्वति दोषपूर्ण है। आंकड़े मेल नहीं खाते क्योंकि अनूसूचित जनजाति प्रधान राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों कें आंकड़े नहीं दे रहे हैं।

(iv) डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए

5.55 डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. मूलतः गरीबी रेखा से नीचे रह रही ग्रमीण महिलाओं के उत्थान का कार्यक्रम है। इसलिए अनुसूचित जातियों एंव अनुसूचित जनजातीयों के सदस्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता पाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10–15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है और प्रत्येक समूह को 25,000/– रुपये की आवर्ती राशि दी जाती है। आवर्ती राशि का प्रयोग करने वाले धनोपार्जन किया जाता है। आठवीं योजना (1995–96 के अंत तक) के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीयों की सदस्यता इस प्रकार थी :––

तालिका-5.12

डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. समूहों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीयों का प्रतिनिधित्व

वर्ष	बनाया गया समूह	कुल	सदस्यता				
			अनुसूचित जाति	%	अनुसूचित जनजाति	%	अ.जा.,अ.ज.जा. की संयुक्त प्रतिशतता
1992-93	9029	125744	92155	24.98	32175	25.72	50.22
1993-94	15430	268525	121524	46.26	57447	21.43	66.69
1994-95	37884	591696	234481	39.63	1683	15.49	55.12
1995-96	22277	481651	481651	42.38	47273	9.81	53.19

5.56 यह देखा जा सकता है कि आठवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संचयी प्रतिशत 50% से अधिक था।

आर्थिक विकास और पंचायती राज संस्थाएं

5.57 संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में सदस्य और सरपंच के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं सहित 7 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि समाज के इन वर्गों से होंगे। संविधान का अनुच्छेद 243 (छः), जो पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, बताता है कि "संविधान के उपबंधों के अधीन, राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों को वे शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जिन्हें वह स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक समझता है और उक्त विधि में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने के संबंध में उन शर्तों को जो इसमें विनिर्दिष्ट हों, के अधीन उपयुक्त स्तर पर पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को बढ़ाने के लिए उपबंध निहित हो सकते हैं तथा उन्हें अनुसूची 11 के अधीन सूचीबद्ध मामलों से संबंधित शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं "11वीं अनुसूची पंचायतों को भूमि विकास से सामुदायिक परिसंपत्तियों के रख–रखाव तक 29 विषय सौंपती है।

5.58 इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं स्वयं तैयार करेंगे और निष्पादित करेंगे। **आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों को इन संस्थाओं को क्रियात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए ताकि ये संस्थाएं संविधान के अधीन यथा परिकल्पित स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करें।**

5.59 इसके अतिरिक्त, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम 1996 के उपबंध को अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है और इसे 24 दिसम्बर, 1996 से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में प्रवृत्त किया गया है।

5.60 यह अधिनियम, ग्रामसभा को ऐसे कार्यक्रम के अधीन लाभभोगियों की पहचान करने सहित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करने की शक्तियां प्रदान करता है। पूर्वेक्षण लाइसेंसों या खनन या खनिज पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या पंचायत से उपयुक्त स्तर पर परामर्श लिया जाएगा और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण या विकास परियोजनाओं अथवा परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पुनर्वास के लिए पहले उनकी सिफारिशें प्राप्त की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर लघु वनोत्पाद का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।

5.61 **चूंकि पंचायती राज संस्थाओं को अभी मजबूती से स्थापित होना है इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि संबंधित राज्यों को विधान को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए तत्काल उपयुक्त उपाय करने चाहिएं ताकि जनजातीयों को अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यो में पूरी सहभागिता मिल सके।**

II. अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास

5.52 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 1382.23 लाख थी और वे देश की कुल जनसंख्या (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) के 16.37% का प्रतिनिधित्व करते थे जिनमें से 11.23 करोड़ लोग (81.28%) ग्रमीण क्षेत्रों में रहते थे। देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 22 राज्यों और 5 संध राज्य क्षेत्रों में बंटी हुई है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब (28.31%), पश्चिम बंगाल (23.62%) और उत्तर प्रदेश (21%) में अनुसूचित जातियां मिलकर कुल जनसंख्या का काफी बड़ा भाग बनती है। 199 की जनगणना के अनुसार जाति की 11.23 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। अनुसूचित जातियों की कुल मिलाकर अधिकतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश (2.93 करोड़), पश्चिम बंगाल (1.61 करोड़) बिहार (1.16 करोड़), तमिलनाडु (1.07 करोड़), आंध्र प्रदेश (1.06 करोड़), और मध्य प्रदेश (0.96 करोड़) में है। अधिक जनसंख्या अर्थात अनुसूचित जातियों की 40% से अधिक जनसंख्या वाले देश में 119 ब्लाक हैं। ये ब्लाक बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु,

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित है।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना

5.63 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छठी योजना के दौरान विशेष संघटक योजना की नीति अपनाई गई थी। इस नीति में विकास के विभिन्न शीर्षों के तहत अनुसूचित जातियों के विकास से सीधा संबंध रखने वाली स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य और केन्द्र की योजना से परिव्यय का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार के इन प्रयासों को भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरा किया है। इस नीति का एक और महत्त्वपूर्ण घटक बैंक–ग्राह्य परियोजनाओं के लिए संस्थागत वित्त जुटाना था जिसमें अनुसूचित जाति विकास निगम को एक उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह करना था।

5.64 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी ने अपनी विशेष संघटक योजनाएं तैयार की थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (अर्थात 1992–93 से 1996–97) के दौरान विशेष संघटक योजना के अधीन परिव्यय का राज्यवा ब्यौरा **अनुबंध- 5.IX** में देखा जा सकता है।

5.65 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विशेष संघटक योजना के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि अधिकांश राज्यों, जिनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और चण्डीगढ़ शामिल हैं, में 1996–97 के दौरान अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के अधीन कम प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना 1994–95 के दौरान केरल के अलावा इन राज्यों में से अधिकांश राज्यों ने अपनी अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के अधीन कम निधियां रखी थीं। आयोग चिन्ता के साथ यह भी नोट करता है कि 1995–96 के दौरान अधिकांश राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, चण्डीगढ़ और दिल्ली में राज्य की योजनाओं से विशेष संघटक योजना के लिए दी गई निधि का प्रतिशत 1994–95 में तत्संबंधी निधि की तुलना में 1995–96 में कम रहा है। **अनुबंध 5.IX** में उल्लिखित विशेष संघटक योजना के अधीन व्यय के ब्यौरों से यह पता चलता है कि 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्य और संघराज्य क्षेत्र वर्ष 1994–95 की योजना के दौरान इसके अधीन रखी गई राशि का व्यय नहीं कर सके।

5.66 1990–91 से 1996–97 तक की छठी, सातवीं और वार्षिक योजनाओं के दौरान विशेष संघटक योजना के अधीन राज्य योजना से कुल परिव्यय और व्यय निम्न प्रकार से थे :–

तालिका 5.13

राज्य योजना के विशेष संघटक योजना के अंतर्गत परिव्यय और व्यय

योजना अवधि	राज्य योजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना परिव्यय	परिव्यय का प्रतिशत	वास्तविक व्यय प्रतिशत	व्यय का परिव्यय प्रतिशत का	
छठी योजना						
सातवीं योजना	47149.89	3614.66	7.66	2978.70	6.32	82.41
वार्षिक योजनाएं	89322.89	7385.42	8.27	6916.62	7.74	93.65
1990–91	23255.49	2377.82	10.23	2105.83	9.07	88.56
1991–92	28041.04	3066.37	10.93	2936.45	10.47	95.76
आठवीं योजना						
1992–93	30684.47	30.90	10.07	2892.89	9.43	93.61
1993–94	32728.54	3487.89	10.65	2933.98	8.96	84.12
1994–95	36842.12	4059.45	11.02	3466.94	9.41	85.40
1995–96	46958.01	5913.86	12.59	उपलब्ध नहीं है–		
1996–97	54400.83	6007.00		–वही–		

स्रोत: कल्याण मंत्रालय

5.67 कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात के लिए बार–बार जोर दिया है कि वे अपनी अनुसूचित जाति का जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विशेष संघटक योजना परिव्यय में वृद्धि करें। लेकिन देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.48% (1991) की तुलना में 1996–97 के दौरान विशेष संधटक योजना के अधीन राज्य योजना परिव्यय 11.02% परिकलित किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात की तुलना में सदैव कम रहा है। उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि **हालांकि इन वर्षो में विशेष घटक योजना के अंतर्गत परिव्यय में बढ़ोतरी होती रही है फिर भी विशेष संघटक योजना की निधि का कभी भी पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ है। आयोग यह महसूस करता है कि न केवल राज्य योजना परिव्यय से विशेष संघटक योजना के लिए निधियां प्रदान की जांए जो कम से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन इस योजना के तहत वास्तविक व्यय को भी उसी स्तर तक लाया जाना चाहिए। पुनरीक्षा बैठकों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों पर इसके लिए भी दबाव डाला गया था।**

विशेष संघटक योजना का प्रभाव

5.68 विशेष संघटक योजना की नीति अपनाने से एक मुख्य लाभ यह हुआ है कि इससे निधि का आबंटन और निधि के प्रवाह का विशेष तौर पर अनुसूचित जाति के विकास के लिए प्रयोग होगा और एक अवधि के बाद वित्तीय आबंटन के अनुसार विशेष संघटक योजना के आकार में भी वृद्धि होगी।

5.69 लेकिन अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य वर्गो के विकास के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या की स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। निम्नलिखित साक्षरता दरों में अंतर–दशवार्षिक प्रवृत्ति और व्यावसायिकता प्रवृत्ति (1981 की जनगणना और 1991 की जनगणना के आधार पर) दर्शाती है कि मुख्य विकास संकेतकों के संबंधों में अनुसूचित जातियां विकास के इस अन्तर को दूर करने में अक्षम हैं। नीचे दी गई तालिका से संकेत मिलता है कि महिला साक्षरता के मामले में 1981–91 के दौरान यह अन्तर और अधिक हुआ है।

तालिका 5.14

अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या में साक्षरता दर

वर्ष	शेष जनसंख्या (गैर अनुसूचित जाति जनसंख्या)		अनुसचित जाति/जनजाति	
	व्यक्ति	महिला	व्यक्ति	महिला
1981	41.22	29.51	21.39	10.93
1991	57.69	44.82	37.41	23.76

5.70 अनुसूचित जाति जनसंख्या की व्यवसायिक रूपरेखा से पता चलता है कि कृषि पर आधारित क्रियाकलापों पर निर्भरता अभी भी बहुत अधिक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष तौर पर कृषि श्रमिकों के संबंध में व्यवसाय विविधता में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है।

5.71 राष्ट्रीय आयोग ने इन राज्यों के विकास कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कर्नाटक, केरल, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल और चण्डीगढ़ के साथ बैठकें आयोजित की हैं। पुनरीक्षा के दौरान आयोग ने इन राज्यों की विशेष घटक योजनाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया। आयोग द्वारा यह अवलोकन किया गया कि अधिकांश राज्य, राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के लिए निधियों का आबंटन नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि कुछ राज्यों में आबंटित निधि अप्रयुक्त पड़ी रहती है। आयोग को यह भी पता चला कि कुछ राज्यों में बड़ी परियोजनाओं जैसे

पावर, सड़क आदि के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत दर्शाया गया है। इस प्रकार परिव्यय के अभिप्राय परक निर्धारण से विशेष संघटक योजना नीति का उद्देश्य पूरा नहीं होता और इसलिए राज्य सरकारों को विशेष संघटक योजना में केवल उन्हीं कार्यक्रमों/स्कीमों को शमिल करना चाहिए जिनका सीधा संबंध इस वर्ग के लोगों के विकास से हो। यह आयोग सिफारिश करता है कि **सभी राज्यों को राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के लिए निधि आबंटित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक मोनिटर करना चाहिए कि निधि का पूरा उपयोग किया गया है। राज्य सरकारों को अपनी विशेष संघटक योजना में उन कार्यक्रमों में सुधार लाना चाहिए जिनका प्रत्यक्ष संबंध अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण से हो।** इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि आबंटित निधि के व्यय की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का किसी अन्य मद पर व्यय नहीं किया गया है, मुख्य सचिव स्तर पर नियमित पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

5.72 इस आयोग ने अपनी पुनरीक्षा बैठकों में यह भी देखा है कि अधिकांश राज्यों में विशेष संघटक योजना की मॉनिटरिंग पर्याप्त और प्रभावी नहीं थी। 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, से जिन्होंने विशेष घटक योजना तैयार की है, में से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यक्रम की मॉनिटारिंग में सुधार लाने के लिए अब तक विशेष बजट शीर्ष खोले हैं। शेष 6 राज्य नामतः जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम, बंगाल, गोवा और चंडीगढ़ ने विशेष संघटक योजना के लिए पृथक बजट शीर्ष अभी खोलना है। बारह राज्य नामतः असम, बिहार, गोवा, गुजराज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास से संबन्धित विभागों को विशेष संघटक योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए नोडल विभाग बनाया है। चौदह राज्य नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग समितियां गठित की हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि सभी राज्य सरकारों को तत्काल अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित निधि को अन्य मदों पर खर्च करने अथवा उनका दुरुप्रयोग न करने के लिए विशेष संघटक योजना के आबंटन के लिए पृथक बजट शीर्ष खोलना चाहिए और अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास से संबंधित विभाग को विशेष संघटक योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।**

5.73 विशेष संघटक योजना की एक बड़ी कमी अनुसूचित जाति से सीधा संबंध रखने वाली स्कीमें तैयार न करना और विशेष संघटक योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों का नैमी क्रियान्वयन न होना है। सामाजिक–आर्थिक विकास के संबंध में अनुसूचित जाति और शेष जनसंख्या के बीच असमानताओं को दूर करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य का न होना है। इस आयोग को यह पता चला है कि अनेक मामलों में विशेष संघटक योजना के अंतर्गत आंबटित निधियों का प्रयोग अन्य क्षेत्रों की मांग पूरा करने के लिए किया गया है। इससे राज्य सरकार के पक्ष में प्रतिबद्धता की कमी और समानतावादी समाज का

गठन करने के लिए सांविधिक बाध्यताओं को पूरा करने की महत्त्वहीनता का पता चलता है। 28% की अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात वाले पंजाब राज्य का उदाहरण देते हुए यह विशेष रूप से कहा जा सकता है कि इस राज्य में विशेष घटक योजना को जोर–शोर से लागू नहीं किया गया। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में राज्य सरकार ने विशेष संघटक योजना के लिए 1994–95, 1995–96 और 1996–97 के दौरान क्रमशः 13.80 प्रतिशत, 11.94 और 11.08 प्रतिशत निधि आंबटित की गई। 1994–95 और 1995–96 की वार्षिक योजनाओं में दिखाए गए व्यय संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि तीन वर्षो के दौरान आबंटित अपर्याप्त परिव्यय विशेष संघटक योजना के क्रियान्वयन के दौरान घटकर मूल आबंटन का आधा रह गया। राज्य सरकार को विशेष संघटक योजना के लिए उनकी विकास योजना में उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि विशेष संघटक योजना के लिए निर्धारित की गई निधियों का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए न किया जाए। **कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से प्रभावशील बनाने के लिए राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष घटक योजना के अंतर्गत सभी स्कीम अनुसूचित जाति के लोगों की विशेष आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार हों। विशेष घटक योजना के अधीन उपयुक्त स्कीम तैयार करके मुख्य क्षेत्रों जैसे कृषि, पशु पालन, डेरी विकास, मछली पालन, लघु और कुटीर उद्योग, चमड़ा, बुनाई कपड़ा (वस्त्र), हथकरधा आदि में स्कीमों के लिए अधिक निधि का आबंटन किया जाना चाहिए।**

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

5.74 विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देना अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा किए जा रहे वित्त पोषण का महत्वपूर्ण साधन है। विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग इस अंतर को समाप्त करने के लिए और परिवारोन्मुख आय सृजित करने वाली स्कीमों में महत्त्वपूर्ण अप्राप्त निवेश को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किए गए विकास कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। 1992–93 से 1996–97 के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता **अनुबन्ध-5.X** में देखी जा सकती है।

5.75 विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सापेक्षिक पिछड़ेपन, योजना में कम्पोजिट आर्थिक विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत, राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में राज्य की वार्षिक योजना के लिए विशेष घटक योजना का प्रतिशत, विशेष तौर पर पर असुरक्षित समूहों के लिए कार्यक्रम और पिछले वर्ष के दौरान विशेष संघटक योजना के क्रियान्वन जैसे मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस शर्त, कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग ऐसी रीति से करना चाहिए जिससे अनुसूचित जातियों के विकास के प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहन मिले, के अधीन 50% अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ब्लॉक में आधारभूत विकास शील कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि राज्य सरकारों को योजना

और योजनेतर आबंटन के अंतर्गत दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता निधि के संबंध में राज्य सरकारों के दायित्व को बदलना नहीं चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 1992–93 से लेकर अब तक दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि नीचे दर्शायी गयी है :

तालिका-5.15

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और उसका उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	दी गई राशि	उपयोग
1992–93	248.80	232.79
1993–94	272.12	257.56
1994–95	273.85	301.78
1995–96	275.00	290.71
1996–97	(अनन्तिम) 275.00	267.72

(स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 1996-97 कल्याण मंत्रालय)

5.76 केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल राशि से यह संकेत मिलता है कि यह राशि 1993–94 से लगभग 275 करोड़ रुपये पर स्थिर है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सहायता की राशि समान अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को वार्षिक दर को ध्यान में रखते हुए वास्तविक अर्थ में कम हुई है। **आयोग यह सिफारिश करता है कि केन्द्र सरकार को न केवल विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल रारिश में नियमित रूप से वृद्धि करनी चाहिए ताकि न केवल बढ़ती हुई कीमतों के साथ सामंजस्य हो सके बल्कि राज्य अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अपने क्रियाकलापों को भी बढ़ा सकें।**

5.77 केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1990–91 से 1993–94 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग की जांच की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हालांकि यह उपयोग कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है फिर भी राज्यों द्वारा क्रियान्वयन करने वाली ऐजन्सियों को धनराशि देने में अनुचित विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं। मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के संबंध में अप्रयुक्त शेष राशि की सूचना प्राप्त हुई है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष बिहार राज्य सरकार को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से 1993–94 के अंत में बिहार सरकार के पास 70.50 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी। राज्य सरकारों के साथ इसकी पुनरीक्षा बैठकों के दौरान आयोग ने भी राज्य सरकारों पर विशेष केन्द्रीय सहायता का कुशलता से और समय से उपयोग करने पर जोर दिया। **इस संबंध में आयोग ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे**

क्रियान्वयन करने वाली ऐजन्सियों को समय से धनराशि देना सुनिश्चित करें। ताकि यह धनराशि बेकार न पड़ी रहे।

5.78 वर्ष 1995–96 के दौरान मंत्रालय ने एक ऐसी अप्रोत्साहन स्कीम आरम्भ की थी जिसमें परवर्ती वर्ष के आरम्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि के समकक्ष राशि को परवर्ती वर्ष में उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की जाने वाली देय राशि में से घटाए जाने का प्रावधान था। श्रम और कल्याण स्थायी समिति ने अपनी तारीख 14.8.96 की बैठक में सुझाव दिया था कि चूक करने वाले राज्यों को अप्रोत्साहित करने की बजाय मंत्रालय को इस कार्यक्रम को पूरी तरह मॉनिटर करना चाहिए और राज्यों पर विशेष संघटक योजना के तहत आवंटित राशि का पूरा–पूरा उपयोग करने पर जोर देना चाहिए। मंत्रालय ने स्थायी समिति की सिफारिश पूरी तरह स्वीकार कर ली है। **इस संबंध में आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट में की गई सिफारिश को दोहराया है कि मंत्रालय उन राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता का बेहतर उपयोग किया हो। आयोग यह भी सुझाव देता है कि मंत्रालय चूक करने वाले कुछ राज्यों के मामले की विस्तृत जांच करे ताकि विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग में आने वाली बाधाओं की पहचान की जा सके। यदि संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग कम हुआ है तो राज्य सरकार को उन्हें उत्तरदायी ठहरानाचाहिए।**

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विशेष संघटक योजना

5.79 विशेष संघटक योजना की नीति के क्रियान्वयन में केन्द्रीय मंत्रालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्द्र पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों के विकास का विशेष दायित्व है। कल्याण मंत्रालय ने 1996–97 की अपनी वार्षिक रिर्पोट में उल्लेख किया है कि 67 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में से केवल 13 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तैयार करने की सूचना दी है। इस रिपोर्ट में यह भी देखा जा सकता है कि अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए आवंटित निधि देश भर की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में नहीं है।

5.80 आयोग यह महसूस करता है कि केन्द्र को अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अपेक्षित निधियों में अपेक्षाकृत अधिक अंशदान देना चाहिए क्योंकि राज्य स्वयं अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या के विकास में विषमताओं को दूर करने का पूरा कार्य करने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में यह चिन्ता का विषय है कि 67 केन्द्रीय मंत्रालयों में से केवल लगभग 13 या 14 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग विशेष घटक योजना के अंतर्गत आवंटन के लिए अनुमानित निधियों की सुचना द्रे रहे हैं और इन मंत्रालयों द्वारा आवंटित निधियों अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नहीं है। आयोग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों से उन सभी उपयुक्त स्कीमों, जो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सुसंगत हैं की पहचान करने का और आबंटन कम से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में करते हुए अपनी

विशेष संघटक योजना तैयार करने का आग्रह करता है। मंत्रालयों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में पृथक रूप से विशेष संघटक योजना के लिए आवंटित राशि, उसका उपयोग, वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति और अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों के कल्याण और विकास के लिए इन मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित की गई मुख्य स्कीमों के विवरण भी दर्शाए जाने चाहिए। **आयोग यह भी सिफारिश करता है वित्त मंत्रालय को वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय संसद में विशेष संघटक योजना से संबंधित पृथक रिर्पोट भी प्रस्तुत करनी चाहिए जैसा कि कुछ राज्य विधान सभा में अपना बजट प्रस्तुत करते समय कर रहे हैं।**

5.81 केन्द्रीय मंत्रालयों में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने गरीबी दूर करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है जो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचितत जनजातीयों को लाभ पहुंचाने वाले कुछ गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रमों पर अगले पैरागाफों में चर्चा की गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5.82 इस कार्यक्रम के तहत जिन समूहों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातीयां, छोटे और सीमांत कृषक, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण दस्तकार और वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं अर्थात् ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 11,000/–रुपये से कम है, शामिल है। सहायता प्राप्त परिवारों में से कम से कम 50% परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से होने चाहिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 95 लाख परिवारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है जिसमें से 48.83 लाख परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों से संबंधित हैं।

5.83 मंत्रालय ने 1991–92 से प्रायोगिक आधार पर परिवार ऋण योजना आरंभ करके प्रति परिवार निवेश के औसत स्तर में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें 1994–95 में 213 और अधिक जिलों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने 1995–96 के वास्तविक लक्ष्यों के स्थान पर लाभभोगियों के भाग के अनुसार ऋण लक्ष्य नियत करने का निर्णय किया है। इन हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप प्रति परिवार निवेश का औसत स्तर आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में 7889/–रुपये से बढ़कर 1996–97 (नवम्बर, 1996 तक) 14,400/–रुपये हो गया है। परिवार–ऋण योजना सभी जिलों में लागू की जानी चाहिए। लेकिन 14,400/–रुपये का निवेश गरीबी की दीन–हीन दशा, में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचितत जनजातीयों के किसी भी व्यक्ति को गरीबी से उबारने के लिए पर्याप्त नहीं था।

5.84 मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1992 से अगस्त, 1993 तक की अवधि से संबंधित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में किये गये समवर्ती मूल्यांकन, जो 1996 में प्रकाशित हुआ था, से यह

तथ्य उजागर हुआ है कि पुराने लाभभोगी परिवारों के केवल 15.96% परिवार 11,000/–रुपये की गरीबी रेखा पार कर सके। लेकिन परिवारों के आय समूहों द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि उन परिवारों, जिनकी आय आरम्भ में ही 8501/–रुपये से 11,000/–रुपये के बीच में थी, में से 48.22% लाभभोगी परिवार 11,000/–रुपये की गरीबी रेखा पार करने में सक्षम हैं। इसलिए समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट में यह देखा गया है कि इन कार्यक्रमों के तहत प्राप्त सहायता से गरीब व्यक्ति की आय में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। केवल वही व्यक्ति 11,000/–रुपये के वार्षिक आय स्तर को पार कर सके थे जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने से पहले ही इस स्तर को पार करने में समर्थ थे। इसलिए सहायता की राशि में काफी अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी गरीबी रेखा पार कर सके। इस कार्यक्रम से संबंधित विषयों का व्यापक प्रचार करने की आवश्यकता है क्योंकि वे समूह, जिन पर यह कार्यक्रम लागू किया जाना है, इस कार्यक्रम से होनेवाले लाभों से भली प्रकार से परिचित नहीं है। समवर्ती मूल्यांकन से यह पता चलता है कि 57% लाभभोगियों को इस कार्यक्रम के तहत समूह जीवन बीमा योजना के लाभ की जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्राइसेम (टी आर वाई एस ई एम) और डी डब्ल्यू सी आर ए का आई. आर. डी. पी. के साथ आपसी तालमेल बहुत कम था। कुल मिलाकर केवल 2.09% परिवारों ने बताया कि उनके सदस्यों को डी डब्ल्यू सी आर ए के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई थी और केवल 2.02% लाभभोगियों ने टी आर वाई एस ई एम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 1995–96 के दौरान आई आर डी पी के तहत वास्तविक प्रगति से संबंधित राज्य–वार ब्यौरे **अनुबंध 5.XI** में दिए गए हैं।

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

5.85 स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह करने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष तक की आयु समूह के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अंततः स्वरोजगार स्थापित कर सके या किसी आर्थिक उद्यम में वेतन पर मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकें। एकीकृत ग्रामीणविकास कार्यक्रम के मामले में कुल प्रशिक्षित युवाओं में से 50% युवा अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में से होने चाहिए।

5.86 वार्षिक योजना 1995–96 और 1996–97 (नवम्बर, 96 तक) के दौरान टी आर वाई एस ई एम (ट्राइसेम) के अंतर्गत 2.91 लाख और 1.47 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था। इन दो वर्षो के दौरान इसमे क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 1,33,930 और 59480 युवा शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की 1996–97 की वार्षिक रिर्पोट के अनुसार प्रशिक्षित युवाओं में से 1995–96 में 1,41,115 (48%) और 1996–97 में 52321 (35%) युवाओं को रोजगार प्राप्त हो गया था। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आधे से अधिक युवा अपने प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं पा सके थे। रोजगार प्राप्त न करने की इतनी अधिक दर का महत्वपूर्ण कारण यह था कि इन युवाओं

का इस कार्यक्रम के तहत वित्त और विपणन व्यवस्था से संबंधित उपयुक्त जानकारी ही नहीं दी गई थी इसलिए विपणन व्यवस्था के संबंध में उस सीमा तक अध्ययन करने के लिए निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए, जिस सीमा तक उन क्रियाकलापों के संबंध में स्वरोजगार देना संभव हो, जिनके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है,

5.87 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कराए गए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन में यह दर्शाया गया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों में से केवल 2% ने "ट्राइसेम" (स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं प्रशिक्षण) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इससे पता चलता है कि आई आर डी पी और टी आर वाई एस ई एम (ट्राईसेम) के बीच अधिक तालमेल नहीं हो पाया। आयोग की यह राय है कि चूंकि इस कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार "ट्राइसेम" के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रत्येक युवा भावी आई आर डी पी लाभभोगी है, अतः विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत एस सी डी सी प्रशिक्षण संस्थानों से और अधिक संपर्क बनाकर "ट्राइसेम" के अंतर्गत प्रशिक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को शामिल करने के मामले में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकेगा।

- **मजदूरी रोजगार कार्यक्रम**

5.88 जवाहर रोजगार योजना इस समय देश में ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे मजदूरी रोजगार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पर होने वाले व्यय को केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।

5.89 1989–90 में जवाहर रोजगार योजना के आरम्भ से 1995–96 तक राज्यों ने 21335. 58/–करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। इस अवधि के लिए 59364 लाख श्रम दिवस बनाने का लक्ष्य रखा गया था और वास्तविक रोजगार 582354 लाख श्रम दिवस था जिससे 98.19% लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। इस अवि के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों को कुल रोजगारों में से केवल 37.43% रोजगार मिला। रोजगार प्राप्त करने के संबंध में इस स्कीम की लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। क्योंकि ग्राम स्तर पर किए गए निरीक्षणों से पता चलता है कि उक्त रिकार्ड पंचायतों द्वारा नहीं रखे गए थे।

दस लाख कुओं की स्कीम

5.90 दस लाख कुओं की स्कीम में लाभभोगियों को खुले सिंचाई कुंए, सिंचाई टैंक और खेती करने के साधन प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के तहत भूमि विकास का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 1995–96 के दौरान कुल 1,42,685 कुएं खोदे गए थे जिन पर 5387.29/– करोड़ रुपये खर्च हुए थे। मंत्रालय ने अपनी 1996–97 की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया है कि वार्षिक योजना 1996–97 (अक्तूबर, 1996 तक) के पहले सात महीनों के दौरान कुल 51521 कुएं खोदे गे थे जिनमें

से 18248 (35%) कुएं अनुसूचित जातियों के प्रयोग के लिए थे। क्षेत्रीय स्तर पर इस योजना के निरीक्षण से पता चला है कि इसके क्रियान्वयन में बहुत सी चूक हुई है। इस स्कीम के अंतर्गत खोदे गए कुओं में उन स्थानों पर पानी नहीं निकला जहां अवमृदा जल बहुत नीचे था। इस स्कीम का उपयोग बेहतर ढंग से करने के लिए इसमें बोरवैल को भी शामिल करके इस स्कीम को संशोधित किया जाना चाहिए। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गद खोदे गए कुओं की आवधिक पुनरीक्षा करनी चाहिए ताकि गांव के केवल बड़े किसान ही कुओं से होने वाले सिंचाई के लाभ प्राप्त न कर सकें।

इंदिरा आवास योजना

5.91 1991 की जनगणना के अनुसार 34.10 लाख परिवारों के सिर पर छत नहीं हैं और 103.10 लाख परिवार टूटे–फूटे घरों में रह रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि, बेघरबार होने वाले परिवारों की संख्या में वार्षिक वृद्धि की दर और आवासीय यूनिट, जिनके आवासीय स्टॉक की मौजूदा वृद्धि में शामिल होने की संभावना थी, को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने यह आकलन किया है कि लगभग 176.70 लाख यूनिटों की कमी को 2002 ई. तक पुरा कर लिया जाएगा। जिसमें लगभग 103 लाख मकान ऐसे हैं जिनका ग्रेड बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और 73.70 लाख बिना छत वाले मकान शामिल हैं। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क रिहायशी मकान उपलब्ध कराना है। वर्ष 1995–96 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख मकानों के निर्माण का निर्णय लिया था जिसके लिए 1368.34 करोड़ (राज्य के भाग सहित) रुपये का आवंटन किया गया था। वर्ष 1996–97 के दौरान 1123560 के लक्ष्य की तुलना में 356855 मकानों का निर्माण किया गया था जो केवल 31.76% लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है। निर्मित मकानों में से 187565 (52%) अनुसूचित जाति के लोगों के लिए थे। चूकि यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए है इसलिए मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों को पूरा करने में कमी नहीं आनी चाहिए जैसी कि 1996–97 में आई थी। इस स्कीम के तहत निर्मित मकानों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध – 5.XII में दिया गया है।

रोजगार आश्वासन स्कीम

5.92 रोजगार आश्वासन स्कीम अक्तूबर, 1993 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। इस स्कीम के तहत गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति, जिसे रोजगार की आवश्यकता है, को 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। आरम्भ में यह स्कीम 261 जिलों के 1778 ब्लॉकों में क्रियान्वित की गई थी। मंत्रालय ने अब इस स्कीम को अगले दो वर्षो में देश के सभी ब्लॉको में लागू करने का निर्ण लिया है।

5.93 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बहुत बड़ा अनुपात खेतिहर मजदूरों का है और उनके पास वर्ष भर निश्चित रोजगार नहीं रहता है, इसलिए

ठेकेदारों, दलालों आदि द्वारा उनके शोषण की संभावना रहती है। इस संबंध में निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण के अतिरिक्त उतने दिनों जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को निश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, को भी नियमित रूप से मॉनिटर किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1995–96 के दौरान राज्यों में 3467.27 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया।

ग्रामीण जल आपूर्ति

5.94 देश के अनेक भागों में अनुसूचित जाति के लोगों को पेय–जल लेने के मामले में परम्परागत रूप से भेदभाव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से हिस्सों में अब भी अनुासूचित जाति के लोगों के लिए अलग से कुंए हैं अथवा पेय–जल के स्रोत की तुलना में बहुत अधिक घटिया है। उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में सुरक्षित पेय–जल को उपलब्ध कराने के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। 1986 में राष्ट्रीय पेय–जल मिशन आरम्भ किया गया था। लेकिन पिछले 50 वर्षों के सभी प्रयासों के बावजूद सभी लोगों को पेय–जल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। ग्रामीण क्षेत्रों में पेय–जल के प्रावधान के लिए द्रुत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अधीन निधियां उपलब्ध कराई जा रही है। 1991–92 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति के लिए द्रुत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधि की न्यूनतम 35% निधि आवंटित करने के अतिरिक्त सरकार ने डा. बाबा साहेब आम्बेडकर शताब्दी कार्यक्रम के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीयों की बस्तियों के लिए 60 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने का निर्णय किया है। इसमें से 56.70 करोड़ रुपये 1991–92 में, 2.23 करोड़ रुपये 1992–93 और 0.75 करोड़ रुपये 1993–94 में दिए गए थे।

5.95 सर्वेक्षण के अनुसार इसमें शामिल ग्रामीण जनसंख्या और राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसमें शामिल गांव निम्नलिखित है :

तालिका 5.16

ग्रामीण जनसंख्या जिन्हें पेय जल प्राप्त है।

(संख्या लाख में)

कुल ग्रामीण जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार		1995–96 तक शामिल लोग	31 मार्च, 1996 को इसमें शामिल प्रतिशत	1996–97 लक्ष्य	उपलब्धि
कुल	6286.91	5133.71	81.66	276.50	84.48
अनु जाति	1128.51	875.23	77.54	55.99	17.62
अनु जनजाति	627.51	535.58	85.35	35.85	8.29

5.96 यह देखा जा सकता है कि 31.3.96 तक अनुसूचित जाति की जन संख्या का कम से कम (77.54%) पेय–जल की व्यवस्था की गयी थी। दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की 20% से अधिक जनसंख्या के लिए सुरक्षित पेय–जल उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त कई बार

सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पेय–जल के स्रोत सूख जाते हैं और यह दिखाया जाता रहता है कि इस जनसंख्या को पेय–जल उपलब्ध कराया गया है। **आयोग सिफारिश करता है कि मंत्रालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में पेय-जल की समस्या के बारे मे जानने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराना चाहिए और इसके समाधान के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।**

कृषि

5.97 अनुसूचित जाति की व्यावसायिक प्रोफाइल दर्शाती है कि वे जीविका निर्वाह के लिए सर्वाधिक रूप से कृषि पर निर्भर है। उनमें से 49.06 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है और 25.44 प्रतिशत मुख्य तौर पर छोटी जाती वाले कृषक है। सामान्य जनसंख्या के मामले में 1981 के दौरान खेतिहर मजदूर के रूप में लगे हुए लोगों के अनुपात में भारी गिरावट आई है लेकिन अनुसूचित जाति के मामले में यह गिरावट मामूली है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति के कृषकों की औसत आकार की जोत (1.47 हेक्टेयर) अन्य सामाजिक समूहों की जोतों के आकार (2.4 हेक्टेयर) की लगभग आधी होती है। सिंचित क्षेत्र का अनुपात भी अन्य सामाजिक समूहों की जोतों की तूलना मे कम था। चूंकि भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक मूल्यवान और दुर्लभ संसाधन है इसलिए अनुसूचित जाति के विकास के लिए कृषि के विकास और भूमि सुधार को महत्व दिया जाना आवश्यक है। कृषि मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विभिन्न हितकर व क्षत्रोन्मुख कार्यक्रम चलाए हैं। लेकिन मंत्रालय ने अपने अनुसूचित जाति के विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा नहीं दिया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि हमारे देश में ग्रामीण गरीब लोगों के आर्थिक विकास के संदर्भ में भूमि सुधार बहुत महत्वपूर्ण है दिसम्बर, 95 को समाप्त तिमाही तक भूमि हदबंदी कानून के क्रियान्वयन के अंतर्गत संचयी उपलब्धि से यह संकेत मिलता है कि 74,86,818 एकड़ क्षेत्र अधिशेष घोषित किया गया है और जिसमें 65,60,765 एकड़ क्षेत्र का कब्जा ले लिया गया है जो घोषित अधिशेष क्षेत्र का 87% से अधिक है। क्षेत्र वितरण के संबंध में यह देखा गया है कि अब तक वितरित 51,79,595 एकड़ क्षेत्र में अनुसूचित जाति को वितरित किया गया भाग 17,91,854 एकड़ था जो कुल वितरित किए गए क्षेत्र का 34.59% था। कुल 50,51,496 लाभभोगियों में से अनुसूचित जाति के लाभभोगियों की संख्या 18,17,322 थी जो कुल लाभभोगियों का 35.98% था। आयोग ने चिन्ता व्यक्त की है कि कुल क्षेत्र, जिस पर मुकदमेंबाजी हो रही है, 10.97 लाख एकड़ है और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्याा काफी अधिक है, से अपेक्षाकृत अधिक एकड़ भूमि पर मुकदमेंबाजी होने की सूचना प्राप्त हुई है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

5.98 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 15 करोड़ बच्चे हैं जो भारत की जनसंख्या का 17.5% है। इनमें से अधिकांश बच्ची गरीबी, गंदगी के वातावरण और

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अपर्याप्त सुविधाओं में हते हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने विद्यालय जाने वाले छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं सहित गरीब वर्ग के बच्चें के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यक्रम चलाए हैं। विभाग ने सूचित किया है कि एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम में इस वंचित वर्ग की 37 लाख प्रत्याशी और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 6 वर्ष से कम आयु के 18.60 लाख बच्चे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा इस स्कीम के क्रियान्वयन पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय 2247 करोड़ रुपये था। पूरक पोषाहार घटक के अलावा केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम परियोजना पर किया जाने वाला पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा राज्यों को सहायतार्थ अनुदान देकर वहन किया जाता है। वर्ष 1996–97 के लिए योजना व्यय में 503.94 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कुपोषण का शिकार है विभाग ने सूचित किया है कि परियोजना के लिए स्थान का चुनाव करते समय उन क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है जहां समाज के गरीब और कमजोर वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों, जहां सामाजिक सेवाओं के विकास को बढ़ाने की आवश्यकता है, में निवास करने वाले निम्न–आय परिवार विशेष तौर पर निवास करते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम को 1995–96 के दौरान देश में सभी 5320 सामुदायिक ब्लॉकों और 30.1 मुख्य शहरी झुग्गी–झोपड़ियों में एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम को मंजुरी देते हुए व्यापक बनाया गया है। लेकिन एकीकृत बाल विकास स्कीम केन्द्रों के क्षेत्रीय निरीक्षण से पता चलता है कि केन्द्रों को पर्यापत और नियमित रूप से अतिरिक्त खाद्य पदार्थ नहीं दिए गए। बहुत से क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के बच्चे को इन केन्द्रों में आने की अनुमति नहीं दी जाती है या इन बच्चों को शेष जनसंख्या के बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। महिला और बाल विकास विभाग को एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम केन्द्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों के प्रति भेदभाव रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। विभाग से अनुरोध है कि वह इस कार्यक्रम और महिलाओं के विकास से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के तहत भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सूचना एकत्र करे और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उन्हें शामिल करे ताकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सके।

संस्थागत वित्त

5.99 आय उपार्जित करने वाले कार्य कलापों के संबंध में सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आर्थिक विकास से संबंधित प्रयास किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में वित्तीय संस्थानों की भूमिका कार्यकलाप के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा की जा रही हों। जब कि सरकार स्वरोजगार से संबधित दक्षता हासिल करने के लिए विभिन्न स्कीमों एंव

कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण तथा विभिन्न क्षेत्रों में आय उपार्जित करने वाले कार्यकलापों के जरिए आर्थिक सहायता दे रही है तो भी वित्तीय संस्थानों के सरकार के प्रयासों में रह रही कमी को पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वित्तीय संस्थान, राष्टीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एन एस एफ डी सी), अनुसूचित जाति विकास निगम, (एस सी डी सी), सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, सहकारी समितियां तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इन संस्थानों ने समाज के कमजोर वर्गो की निजी साहुकारों पर निर्भरता को बहुत अधिक कम कर दिया है तथा उनका शोषण होने से बचाने में सराहनीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक को समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की ऋणग्रस्तता का एक सर्वेक्षण करना चाहिए तथा निजी साहुकारों की तुलना में संस्थागत ऋण के हिस्से को सुनिश्चित करना चाहिए तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ऋण उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं की पहचान करनी चाहिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम

5.100 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एन एस एफ डी सी) का गठन फरवरी 1989 में एक सरकारी कंपनी के रूप में हुआ था। तथा अपनी स्थापना से ही यह निगम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। निगम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को रियायती वित्त प्रदान करता है तथा इसकी निधि राज्य स्तर के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगमों तथा संवितरण की अन्य एजेंसियों के द्वारा संवितरित की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम ने कृषि बागबानी, लघु सिंचाई, पशुपालन, लघु उद्योगों, हथ करघा, परिवहन तथा सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों के लिए ऋण मंजूर किए हैं, वित्तीय वर्ष 1996–97 के अंत तक 7147.43 करोड़ रूपये का कुल संवितरण किया गया है। स्कीमों के अंतरगत सहायता प्राप्त करने वाले दो लाभ भोगियों का राज्य संघ, राज्य क्षेत्रवार विवरण जिसमें रा0 अनु0 जाति, अनु0 जनजाति वित्त तथा विकास निगम ने वित्त प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाई है, **अनुबंध 5.XIII** में दिया गया है।

5.101 **चूँकि एन एस एफ डी सी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यकर्मों में ऋणका संवितरण करने वाला शीर्ष निकाय है इसलिए आयोग यह अनुभव करता**

है कि केंद्रीय सरकार को इस निगम को बैंक का दर्जा प्रदान करने का विचार करना चाहिए ताकि उसके संसाधनों के आधार में वृद्धि की जा सके तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के क्षेत्र में उसके क्रियाकलापों को विस्तृत रूप प्रदान किया जा सके। राष्ट्रीय आयोग ने एन एस एफ डी सी तथा अनुसूचित जाति विकास निगम के साथ बैंठक की। अनुसूचित जाति विकास निगम से विचार विमर्श करने के बाद ही आयोग ने सिफारिशें की हैं।

अनुसूचित जाति विकास निगम

5.102 अनुसूचित जाति विकास निगम (एस सी डी सी) का गठन 19 राज्यों तथा चार संघ राज्य क्षेत्रें में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक विकास के लिए लागू की जाने वाली स्कीमों के संबंध में वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के उददेश्य से किया गया है ऐसे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें ऐसे निगम कार्य कर रहे हैं, में आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, दमन एवं द्वीप तथा दादर एवं नागर हवेली शामिल हैं। ऐसे निगमों की स्थापना का उददेश्य ब्याज की रियायती दरों पर संस्थागत ऋण जुटाना है, ये निगम मुख्यतः कृषि तथा संबंध कार्यकलापों के क्षेत्रों में लघु सिंचाई व्यापार तथा सेवाओं, परिवहन, कार्य कौशल के विकास तथा रोजगार के क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख स्कीमें शुरू करते हैं, इन निगमों की शेयर पुंजी में भारत सरकार की राज्य सरकार की 51 % तुलना में 49 % तक की सहभागिता होती है।

5.103 वर्ष 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान इन निगमों ने देश में क्रमशः 5.35 लाख, 7.54 तथा 5.83 लाख अनुसूचित जातियों के परिवारों को ऋण मुहैया कराया है।

5.104 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने तारीख 25.7.1997 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम के साथ एक बैठक आयोजित की। सम्मेलन की सिफारशें/ निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:–

(I) अनुसूचित जाति विकास निगम को राज्य सरकारों से समय पर शेयर पूंजी अंशदान नहीं दिया गया जिससे उनके द्वारा सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा आयी। इसलिए आयोग

यह सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति विकास निगम को डी आर डी ए की तरह नियमित रूप से निधि उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि आबंटित की गयी निधि का पूर्णतः उपयोग किया जा सके। इस संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जाति विकास निगम को नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में निधि जारी की जाए।

(II) आयोग की जानकारी में यह तथ्य भी लाया गया था कि यदि एन एस एफ डी सी से प्राप्त निधि को समय पर ऋण के रूप में संवितरित नहीं किया गया हो तो निगम से दंड़ स्वरूप ब्याज वसूल किया जाए। आयोग यह अनुभव करता है कि एन एस एफ डी सी द्वारा एस डी सी को दंड़ स्वरूप ब्याज न लगाया जाए चूंकि अधिकांश मामलों में एन एस एफ डी सी की निधि का उपयोग करने में देरी राज्य/केंद्रीय शेयर तथा राज्य सरकार की गारंटी में से राज्य सरकार से निधि को विलंब से प्राप्त करने अथवा प्राप्त न करने के कारण होती है।

(III) आयोग यह भी सिफारिश करता है कि निगम की स्थापना लागत, ब्याज उपदान तथा अशोध्य ऋण को 2% के सेवा शुल्क से पूरा नहीं किया जा सकता, इसे पूरा करने के लिए या तो एन एफ डी सी की दरों को 4% से घटाकर कम कर दिया जाए अथवा राज्य के निगमों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दरों को 6% से बढ़ाकर 7% अथवा 8% कर दिया जाए। इससे निगम को ब्याज उपदान अथवा अशोध्य ऋण पर हुए व्यय को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी विकल्पतः स्थापना लागत के लिए विशेष केंद्रीय सहायता अथवा राजस्व अनुदान में वृद्धि की जाए और यदि आवश्यक हो तो शेयर पूंजी को कम किया जाए । क्योकि प्रदत्त शेयर पूंजी की स्थिति क्रमशः
प्राधिकृत शेयर पूंजी के बराबर होती रहती है।

(IV) चूंकि निगम को जारी निधि का उपयोग मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा देर से निधि जारी करने के कारण नहीं हो पाया। इसलिए निगम को आबंटित निधि भारत सरकार द्वारा इस निगम को सीधे जारी की जाए।

(V) एन एस एफ डी सी स्कीम 30 लाख रूपये तक की लागत वाली स्कीमों की पात्रता के लिए आय की उपरी सीमा प्रतिवर्ष 22000 रूपये है। गरीब व्यक्ति के लिए परियोजना की लागत की 5% से 8% की दर पर नए उद्यम की स्थापना पर लगाये जाने वाले धन को देना संभव नहीं है। यह सुझाव है कि आय की उपरी सीमा हटा देनी चाहिए।

(VI) सावधी ऋण की एन एफ डी सी स्कीम के अंतरगत, एक लाख रूपये तक की परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक अंशदान पर जोर नहीं दिया गया है। एक लाख रूपये से उपर तथा दस लाख रूपये तक की परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक अंशदान 5% है, जबकि दस लाख रूपये से अधिक की प्रत्येक परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक अंशदान 8% है। नए उद्यम की स्थापना पर लगाए जाने वाले धन का अंशदान आवश्यक कर देने से अधिकांश मामलों में, गरीब हिताधिकारी निजी साहुकारों से शेयर ऋण लेने के लिए विवश होते हैं। जो ब्याज की जरूरत से ज्यादा दर वसूल करते हैं। अतः हिताधिकारी द्वारा नए उद्यम की स्थापना पर लगाए जाने वाले धन को भी एन एफ डी सी, एस सी डी सी अथवा एस सी ए में से उपलबद्ध कराया जाना चाहिए।

(VII) कई बार अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा बैंक को अग्रेषित प्रस्ताव नामंजूर कर दिये जाते हैं क्योंकि उन्हें अव्यवहार्य प्रस्ताव के रूप में मान लिया जाता है। इसलिए, बैंक वित्तीय वर्ष के शुरू होने पर व्यवहार्य स्कीम की एक सूची प्रकाशित करें ताकि निगम द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को अस्वीकार न किया जा सके।

(VIII) निगम द्वारा आरंभ की गयी प्रशिक्षण स्कीमों को मजदूरी रोजगारों पर भी लागू किया जाए तथा उसे स्व–रोजगार स्कीमों तक ही सीमित नहीं रखा जाए।

(IX) अनुसूचित जाति विकास निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारी वर्ग की व्यवसायिक योग्यता अपर्याप्त है, एन एस एफ डी सी उनको प्रशिक्षण देने में निगमों की सहायता कर सकती है। इस संबंध में, सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों का एक अलग से संवर्ग गठित करने का प्रस्ताव कर सकती है।

(X) अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों का मूल उद्देश्य प्रवर्तक प्रेरक गारंटीकर्ता के रूप में कार्य करना है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम तथा राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति निगमों को बैंक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को हिताधिकारियों के संबंध में बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(XI) यह सुझाव दिया जाता है कि हिताधिकारियों की संपत्तियां निगम में बंधक रखी जाएं तथा इसके लिए राज्य की गारंटी को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

5.105 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार देने के संबंध मे उपलब्ध अंतरिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि मार्च 1995 के अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बीस बैंकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार लेने वाले उधारकर्ता खातों की कुल संख्या 361.73 लाख थी, जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति द्वारा उधार लेने वालों की संख्या 99.15 लाख थी (जो कुल मिलाकर 27.4 % है) कुल बकाया राशि 61794.43 करोड़ थी, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 5428.44 करोड़ रूपये था जो केवल 8.78% था। इस प्रकार से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से निधि उधार देना जनसंख्या के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के मामले में बहुत कम है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने बुलेटिनों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार देने से संबंधित आंकडों से वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि के विवरण का पता चलता है। किन्तु यह अधिक उपयोगी होगा, यदि इन बुलेटिनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण की कार्यप्रणाली का मुल्यांकन करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को वर्ष के दौरान स्वीकृत तथा संवितरित ऋणों से संबंधित सूचना दी जाए। नीचे सारिणी 5.17 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों का विवरण दिया गया है:-

सारणी 5.17

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण

(मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	उधार के खातों की संख्या (लाख में)			बकाया राशि (रूपये करोड़ में)		
	कुल	अजा/ अजजा	प्रतिशत	कुल	अजा/ अजजा	प्रतिशत
1. प्रत्यक्ष	207.10	55.84	26.96	20812.47	2693.98	12.94
2. अप्रत्यक्ष कृषि	5.95	1.90	31.93	2700.46	116.26	4.30
3. लघु उद्योग	32.25	9.15	28.37	25842.80	764.19	2.95
4. इसमें कुटीर खादी एवं ग्रामोद्योग बहुत छोटे उद्योग आदि शामिल हैं	11.17	2.29	20.50	7733.98	174.93	2.26
5. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	116.43	32.26	27.70	12438.70	1854.01	14.90

नोट: अंतरिम आंकडे

स्त्रोत: बैंकिग प्रभाग, वित्त मंत्रलय

5.106 विभेदक ब्याज दरों की स्कीम के अंतर्गत मार्च, 95 के अंत में कुल खातों की संख्या 22.99 लाख थी जिसमें 701.84 करोड़ रूपये की बकाया राशि थी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की खाता संख्या 11०56 थी जिसमें 420०79 करोड़ रूपये की बकाया राशि थी तथा विभेदक ब्याज दरों की स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को ऋण दिये जाने का प्रतिशत 59.96 था।

5.107 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे भारत का औद्योगिक विकास बैंक 'आई डी बी आई' भारत का औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 'आई एफ सी आई' भारत का लघु उद्योग विकास बैंक 'एस आई डी बी आई' भारत का निर्यात आयात बैंक 'आई आर बी आई' राष्ट्रीय आवास बैंक 'एन एच बी' तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 'नाबार्ड' की वार्षिक रिर्पोटों से पता चला है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों अथवा उद्यमियों को प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से दिए गये ऋण के रूप में उनके प्रचालन का मूल्यांकन नहीं किया गया है। आयोग इन वित्तीय संस्थानों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्कीमों के मूल्यांकन तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए उनके द्वारा दिए गए कुल ऋण को शामिल करने का आग्रह करता है।

सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति का पुर्नवास संबधी राष्ट्रीय स्कीम

5.108 राष्ट्रीय स्कीम मार्च 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए शुरू की गयी थी। स्कीम के अंतर्गत सिर पर मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान करने उन्हें प्रशिक्षण देने तथा उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्थाओं में उसके पुर्नवास के तीन विशिष्ट प्रचालन घटक है एस सी डी सी निचले स्तर पर स्कीम लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल एजेंसी का कार्य कर रहा है। सफाई कर्मचारियों के हितों को देखने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है तब से आयोग सफाई कर्मचारियों के कल्याण तथा विकास के लिए निगरानी एजेंसी के रूप में सक्रियता से कार्य कर रहा है इस आयोग से सफाई कर्मचारियों तथा उसके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम को लागू करने के लिए ध्यान पूर्वक प्रशिक्षण तथा निगरानी करने की आशा की जाती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोग समस्या को दूर करने के लिए उसके द्वारा उठाए गये कदमों का समर्थन करता है।

मुख्य सिफारिशें:-

5.109 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न मुददों पर विचार–विमर्श के आधार पर मुख्य सिफारिशों का उल्लेख निम्नलिखित है:

(I) **श्रम मंत्रालय को रोजगार के कुल अवसरों तथा विशेषकर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पर आर्थिक सुधारों के पड़ने वाले प्रभावों का एक विस्तृत सर्वेक्षण कराना चाहिए। (पैरा 5.7)**

(II) **जनजाति उप योजना 'टी एस पी' को लागू करने वाले राज्यों को आठवी पंचवषीय योजना तैयार करते समय गठित कार्यदल की शिफारिशों के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में जनजाति उपयोजना की तीन प्रतिशत अधिक निधि आबंटित करनी चाहिए। राज्य सरकारों को जनजातीय उपयोजना के कायार्न्वयन की प्रगति पर अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आबंटित निधियों का पूरा उपयोग किया गया है और जनजाति उपयोजना से अन्य निधि आबंटित नहीं की गई है। (पैरा 5.24)**

(III) **जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत विकास विशेषकर परिवहन, संचार, विद्युत तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सचेतन प्रयास करना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सहभाजन तथा लोगों को रोजगार देने के लिए जनजातीय क्षेत्रों को उदारीकरण के लाभ के अवसर प्रदान किए गए हैं। (पैरा 5.35)**

(IV) **जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएं स्थापित करते समय प्रभावित व्यक्तियों के लिए समुचित पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाने चाहिए। इस संबंध में यह सिफारिश की जाती है कि जनजातीय लोगों को विकास की इन बड़ी परियोजनाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए। (पैरा 5.35)**

(V) **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संस्थागत वित्त और अधिक उदार शर्तो पर उपलब्द्व कराया जाना चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को दिए गये ऋण की सूचना का रिकार्ड रखना चाहिए। अनुसूचित जाति बैंको द्वारा प्राथमिकता प्रदान क्षेत्र में अग्रिम देने के लिए अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि की जानी चाहिए। (पैरा 5.38)**

(VI) कृषि तथा सहकारी विभाग को लेम्पस 'एल ए एम पी एस' को क्रियाशील बनाने मजबूती प्रदान करने तथा विस्तृत आधार देने के प्रयास करने चाहिए इसी के साथ -साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि जनजातीय लोग लैंपस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर सकें। (पैरा 5.44)

(VII) ऐसे राज्यों द्वारा जनजातीय लोगों को एम एफ पी की वसूली के विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए जहां पर उन्हें अभी तक यह अधिकार नहीं दिए गये तथा टी आर आई एफ आई ई डी को जनजातीय लोगों को अपने उत्साह के लिए बेहतर पारिश्रमिक देना सुनिश्चित करना चाहिए। (पैरा 5.44)

(VIII) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से यह अपेक्षा की जाती है कि जनजातीय लोगों द्वारा उगाई गई फसलों पर अनुसंधान कार्य शुरू करके जनजातीय लोगों में अनुसंधान केन्द्र खोलकर जनजातीय लोगों द्वारा झूम खेती करने के लिए अधिक से अधिक विस्तृत पैकेज बना करके तथा अनुसूचित जनजातीयों को कृषि प्रोद्योगिकी अंतरित करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में अपने अनुसंधान कार्यकलापों के बारे में निर्देश दें। (पैरा 5.47)

(IX) संविधान के 73 वें संशोधन के बाद बनाए गये पंचायती राज संस्थानों को राज्यों के द्वारा कार्यात्मक वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्ता देनी चाहिए ताकि ये संस्थान स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकें। पंचायतों को उपयुक्त स्तरों पर लघु वन उत्पाद की स्वामित्व का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। (पैरा 5.58 एवं 5.60)

(X) सभी राज्यों को राज्यों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में विशेष संघटक योजना के लिए निधि आबंटित करनी चाहिए तथा उसके पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्मो की ध्यानपूर्वक निगरानी करनी चाहिए । तथा विशेष संघटक योजना में केवल ऐसे कार्यक्रम ही शामिल करने चाहिए जो अनुसूचित जातियों के विकास तथा कल्याण से सीधे संबंधित हैं। (पैरा 5.71 एवं 5.73)

(XI) अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित निधि का दूसरी मदों में इस्तेमाल न करने उसका दुस्पयोग न करने के लिए सभी राज्य सरकारों को विशेष घटक योजना के आबंटन से संबंधित तुरंत प्रथक बजट शीर्ष खोलने चाहिए तथा अनुसूचित जाति के कल्याण तथा विकास से संबंधित विभाग को विशेष घटक योजना की नीति तैयार करने तथा लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। (पैरा 5.72)

(XII) केंद्रीय सरकार को विशेष संघटक योजना के लिए उपर्युक्त रूप से विशेष केंद्रीय सहायता की कुल राशि को नियमित रूप से उपर्युक्त रूप से बढाते रहना चाहिए तथा राज्यों की कार्यावन्यन एजेंसीयों को समय पर निधि जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि मुश्किल से प्राप्त की गई निधि बेकार न पड़ी रहे। कल्याण मंत्रालय कुछ राज्यों द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का सही तरीके से उपयोग न करने के मामले की गहराई से जांच करे ताकि विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग करने में आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सके। (पैरा 5.76, 5.77 एवं 5.78)

(XIII) वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्रालय को संसद में विशेष संघटक योजना पर एक पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। (पैरा 5.80)

(XIV) ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के बीच पेय जल की समस्या को अभिज्ञात करने तथा उसका समाधान करने के तुरन्त उपाए करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करना चाहिए। (पैरा 5.96)

(XV) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम तथा अनुसूचित जाति विकास निगम को बैंकिंग संस्थानों का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे आमदनी सीमा को हटाकर ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को आसान बनाए इसके अतिरिक्त इन संस्थानों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने तथा उसके कर्मचारी वर्ग की व्यवसायिक योग्यता में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। (पैरा 5.104)

अनुबंध 5.I
संदभ पैरा 5.1

1981 और 1991 की जनगणनाओं पर आधारित कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत दर्शनेवाला विवरण

क्रं सं	राज्य/संघराज्य	जोड़		अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		1981	1991	1981	%	1991	%	1981	%	1991	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	53549673	66508008	7961730	14.87	10592066	15.93	3176001	5093	4199481	6.31
2	अरूणाचल प्रदेश	631839	864558	2.919	0.46	4052	0.47	441167	6982	550351	63.66
3	असम	19896843	22414322	1241526	6.24	1659412	7.40	2185845	10.99	2874441	12.82
4	बिहार	69914734	86374465	10142368	14.51	12571700	14.55	5810867	8.31	6616914	7.66
5	गोवा	1086730	1169793	23432	2.16	24364	2.08	10721	0.99	376	0.03
6	गुजरात	34085799	41309582	2438297	7.15	3060358	7.41	4848586	14.22	6161775	14.927
7	हरियाणा	2922618	16463648	2464012	19.07	3250933	19.75				
8	हिमाचल प्रदेश	4280818	5170877	1053958	24.62	1310296	25.34	197263	4.61	218349	22
9	जम्मू कश्मीर	5987389	7718700	497363	8.31	641200	8.31			N.A	N.A
10	कूर्नाटक	37135714	44977201	5595353	15.07	7369279	16.38	1825203	4.91	1915691	4.26
11	केरल	25453680	29098518	2549282	10.02	2886522	9.92	261475	1.03	320967	1.10
12	मध्य प्रदेश	25178844	66181170	7358533	14.10	9626679	14.55	11987031	22.97	15399034	22.27
13	महाराष्ट्र	62784171	78937187	4479763	7.14	8757842	11.09	5772038	9.19	7318281	
14	मणिपुर	1420953	1837149	17753	1.25	37105	2.02	387977	2730	632173	3.4
15	मेघालय	1335819	1774778	5492	0.41	9072	0.51	1076345	80.58	1517927	85.53
16	मिजोरम	493757	689756	135	0.03	691	0.10	46907	93.55	653565	9.75
17	नागालैंड	774930	1209546					650885	83.99	1060822	87.70
18	उड़ीसा	26370271	31659736	3865543	14.66	5129314	16.20	5914067	22.43	7032214	22.21
19	पंजाब	16788915	20281969	451103	26.87	5742528	28.31				
20	राजस्थान	34261862	44005990	5838879	17.04	7607820	17.29	4173124	12.21	5474881	12.44
21	सिक्मि	316385	406457	18281	5.87	24804	5.93	73623	23.27	90101	22.36
22	तमिलनाडु	48408077	55858946	8881295	18.35	10712266	19.18	520226	1.07	574194	1.03
23	त्रिपुरा	2053058	2757205	210384	15.12	451116	16.36	583920	28.44	853345	30.95
24	उत्तर प्रदेश	110862013	139112287	232453339	21.16	29276455	21.05	232745	0.21	287905	0.21
25	पश्चिम बंगाल	54580647	68077965	12000768	21.99	16080611	23.62	3070672	5.63	3808760	5.59

1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	188741	80661					22361	11.85	26770	9.54
2	चंडीगढ़	451610	642015	63621	14.09	105977	16.51				
3	दादर और नगर हवैली	103676	138477	2041	1.97	2730	1.97	81714	78.82	109380	78.99
4	दमन द्वीप		101586			389	3.83			11724	11.54
5	दिल्ली	6220406	9424644	1121643	18.03	1794836	19.05				
6	लक्ष्य द्वीप	40249	51707					37760	93.82	48163	93.15
7	पांडेचेरी	604471	807785	96636	15.99	131278	16.25				
भारत		685184692	6302688	105996149	15.47	138223277	16.33	53814483	7.85	67758380	8.08

अनुबंध 5.II
संदर्भ पैरा 5.1

1991 में रिहाइशा के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल ग्रामीण और शहरी जनसंख्या

क्र०सं	भारत राज्य संघ राज्य क्षेत्र	कुल शहरी/ ग्रामीण	कुल जनसंख्या	अनु०जाति की जनसंख्या	अनु०जनजाति की जनसंख्या
01	भारत	T	846302688	138223277	67758380
		R	628691670	112343797	62751026
		U	217611012	25879480	5007354
01	भारत (जम्मू कश्मीर को छोडकर	T	838583988	138223277	67758380
		R	622812376	112343797	62751026
		U	215771612	25879480	5007354
01	भारत(असम और जम्मु कश्मीर को.छोडकर)	T	816168666	136563865	61883839
		R	602885849	110913666	59979118
		U	213283817	25650199	4910221
राज्य					
01	आन्ध्र प्रदेश		66508008	10592066	4199481
		R	48620882	8758641	3880254
		U	17887126	1833425	319227
02	अरूणाचल प्रदेश	T	864558	4052	550351
		R	753930	2858	518222
		U	110628	1194	32129
03	असम	T	22414322	1659412	2874441
		R	19926527	1430131	2777308
		U	2487799	229281	97133
04	बिहार	T	86374465	12571700	6616914
		R	75021453	11437136	6153659
		U	11353012	1134564	463244
05	गोवा	T	1169793	24364	376
		R	690041	12747	89
		U	479752	11617	287
06	गुजरात	T	41309582	306358	6161775
		R	27063521	1899394	5663178
		U	14246061	1160964	498597
07	हरियाणा	T	16463648	3250966	
		R	12408904	2675277	
		U	4054744	575656	
08	हिमाचल प्रदेश	T	517877	131296	218349
		R	4721681	1227321	212940
		U	449196	82975	5409
09	जम्मु और कश्मीर	T	7718700	N.A	N.A
		R	5879300	N.A	N.A
		U	1839400	N.A	N.A
10	कर्नाटक	T	44977201	7369279	1915691
		R	31069413	5645186	1629496
		U	13907788	1724093	286195

11	केरल	T	29098518	2886522	320967
		R	21418224	2351924	309764
		U	7680294	534598	11203
12	मध्य प्रदेश	T	66181170	9626679	15399034
		R	50842333	7522394	14652730
		U	15668837	2104285	746304
13	महाराष्ट्र	T	78937187	8757842	7318281
		R	48395601	5552004	6405814
		U	30541586	3205838	912467
14	मणिपुर	T	1737149	37105	632173
		R	1331504	17705	578930
		U	505645	19400	53243
15	मेघालय	T	1771778	9072	15179027
		R	1444731	4972	1312093
		U	330047	4100	205834
16	मिजोरम	T	689756	691	653565
		R	371810	456	358113
		U	317946	235	295452
17	नागालेंड	T	1209546	-	1060822
		R	1001323	-	933145
		U	208223	-	127677
18	उड़ीसा	T	31659736	5129314	7032214
		R	27424753	4578669	6670506
		U	4234983	550645	361708
19	पंजाब	T	20281969	5742528	-
		R	14288744	4562442	-
		U	5993225	1180086	-
20	राजस्थान	T	44005990	7607820	5474881
		R	33938877	6102496	5220549
		U	10067113	1505324	254332
21	सिक्किम	T	406457	24084	90901
		R	369451	21333	83486
		U	37006	2751	7415
22	तमिलनाडु	T	55858946	10712266	574194
		R	36781354	8428040	505208
		U	19077592	2284226	68986
23	त्रिपुरा	T	2757205	451116	853345
		R	2335484	879664	839264
		U	421721	71452	14081
24	उत्तर प्रदेश	T	139112287	29276455	287901
		R	111506372	25823388	271028
		U	27605915	3453067	16873
25	पश्चिम बंगाल	T	68077965	16080611	3808760
		R	49370364	13605405	3612448
		U	18707601	2475206	196312
26	अंडमान और निकोबार	T	280661	-	26770
		R	205706	-	26168
		U	74955	-	502
27	चंड़ीगढ	T	642015	105977	-
		R	66186	14140	-
		U	575829	91837	-
28	दादर और नगर हवैली	T	138177	2730	109380

		R	126752	2243	105864
		U	11725	487	3516
29	दमन और द्वीप	T	101586	3891	11724
		R	45043	2394	9192
		U	47543	1496	2532
30	दिल्ली	T	9420644	1794836	-
		R	94019	207709	-
		U	8471625	1587127	-
31	लक्ष्य द्वीप	T	51707	-	48163
		R	22593	-	21478
		U	29114	-	685
32	पांडिचेरी	T	807785	131278	-
		R	290800	77727	-
		U	516985	53551	-

अनुबंध **5.III**
संदर्भ पैरा **5.1**

साक्षरता दरें 1991

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	कुल व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
आंध्र प्रदेश	44.13	55.13	32.72	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
अरूणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69	57.27	66.25	41.42	34.45	44.00	24.94
असम	52.89	61.87	43.03	53.94	63.88	42.99	49.16	48.93	38.98
बिहार	38.48	52.49	22.89	19.49	30.64	7.07	26.78	38.40	14.75
गोवा	75.51	83.64	67.09	48.73	61.55	47.51	42.91	54.43	29.01
गुजरात	61.29	73.13	48.64	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.20
हरियाणा	55.85	69.10	40.47	39.22	52.06	24.15	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.17	53.20	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
जम्मु और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	56.04	67.26	44.34	38.06	49.69	25.95	36.01	47.95	32.57
केरल	89.81	93.62	86.13	79.66	85.22	74.31	57.22	63.38	51.07
मध्य प्रदेश	44.20	58.42	28.85	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32	56.46	70.45	41.69	36.79	49.09	24.03
मणिपुर	59.89	71.63	47.60	56.44	65.28	47.41	53.63	62.39	44.48
मेघालय	49.10	53.12	44.85	44.27	54.56	31.19	46.71	59.78	43.63
मिजोरम	82.27	85.61	78.60	77.92	77.54	81.25	82.71	86.66	78.70
नागालैंड	61.65	67.62	54.75	-	-	-	60.59	66.27	54.51
उडीसा	49.09	63.09	34.68	36.78	52.42	30.74	22.31	34.44	0.21
पंजाब	58.51	65.66	50.41	41.09	59.82	31.03	-	-	
राजस्थान	38.55	54.99	20.44	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
सिक्किम	56.94	65.74	46.69	41.03	58.69	42.77	59.01	66.80	50.37
तमिलनाडू	62.66	73.75	51.33	46.74	52.36	34.89	27.89	35.25	20.23
त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
उत्तर प्रदेश	41.60	55.73	25.31	26.85	40.80	10.69	35.70	49.95	19.86
पश्चिम बंगाल	57.70	67.81	46.56	42.21	54.55	28.87	27.28	40.07	14.98
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	73.02	78.99	65.46	-	-	-	56.62	64.16	48.74

अंडमान एवं निकोबार द्वीप	73.02	78.99	65.46	-	-	-	56.62	64.16	48.74
चंडीगढ	77.81	82.04	72.34	55.44	65.75	43.54	-	-	-
दादर व नगर हवेली	40.71	53.56	26.98	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15.94
दमन और द्वीप	71.20	82.66	91.85	59.40	79.18	67.62	52.91	63.58	41.49
दिल्ली	75.29	82.01	66.99	57.60	68.77	43.82	-	-	-
लक्ष्यद्वीप	81.78	90.18	72.89	-	-	-	80.58	89.50	71.72
पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63	56.26	66.10	46.28	-	-	-
भारत	52.19	64.20	39.19	37.41	49.91	23.76	29.60	40.65	18.19

स्रोत : वार्षिक रिर्पोट कल्याण मंत्रालय 1996-97

अनुबंध **5.IV**
संदर्भ पैरा **5.12**

वर्ष **1994-95, 1995-96** और **1996-97** के दोरान राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत और राज्य योजना और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि

राज्य	अनु० जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	राज्य योजना परिव्यय	उप योजना परिव्यय	जनजाति उपयोजना परिव्यय का प्रतिशत	राज्य योजना परिव्यय	जनजातिय उप योजना परिव्यय	जनजातिय उप परियाजना परिव्यय का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	6.31	2130.00	78.76	3.70	3159.00	125.88	3.98
असम	12.82	978.83	109.75	11.21	1326.40	147.00	11.08
बिहार	7.66	2310.00	597.02	25.85	2400.00	687.02	28.63
गुजरात	14.92	224.00	237.75	106.14	2610.00	308.76	11.83
हिमाचल प्रदेश	4.22	650.00	48.50	9.00	750.00	67.50	9.00
जम्मू और कश्मीर	N.A	950.00	87.87	9.25	1165.00	119.57	10.26
कर्नाटक	4.26	3275.00	47.85	1.46	3575.00	67.68	1.89
केरल	1.10	1260.00	24.65	1.96	1550.00	24.32	1.57
मध्य प्रदेश	32.27	2750.00	627.72	22.83	2900.00	685.66	23.46
महाराष्ट्र	9.27	4400.00	330.00	7.50	5500.00	412.50	7.50
मणिपुर	34.41	240.00	84.72	35.72	300.00	119.86	39.95
उडीसा	21.44	1950.00	348.40	17.87	300.00	119.86	39.95
राजस्थान	12.44	2450.00	187.12	7.64	3200.00	305.45	9.55
सिक्किम	22.36	97.95	17.00	17.36	81.41	13.12	16.12
तमिलनाडू	1.03	2750.01	28.33	1.03	3200.00	36.39	1.14
त्रिपुरा	30.95	290.00	88.75	30.60	329.00	93.84	28.52
उत्तर प्रदेश	0.21	3842.00	2.60	0.07	4520.00	20.87	0.06
पश्चिम बंगाल	5.59	1706.00	77.03	4.52	2200.40	75.67	3.44

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.54	205.00	24.19	11.80	15.52	2.33	15.01
दमन और द्वीप	11.51	26.26	2.22	8.45	34.53	2.80	8.11
भारत	8.08	34501.05	3061.23	8.87	40549.26	3867.07	9.54

अनुबंध **5.IV** जारी
संदर्भ पैरा **5.12**

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जनगणना 1991	राज्य योजना परिव्यय	जनजातीय योजना	प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	6.31	2942.78	55.19	1.87
2	असम	12.82	1183.74	113.68	9.60
3	बिहार	7.66	-	-	-
4	गुजरात	14.92	3077.44	339.70	11.04
5	हिमाचल प्रदेश	4.22	9000.00	81.00	9.00
6	जम्मू और कश्मीर	11.00			
7	कर्नाटक	4.26	3700.00	79.81	2.16
8	केरल	1.10	2086.45	30.45	1.46
9	मध्य प्रदेश	23.27	3197.48	623.24	19.49
10	महाराष्ट्र	9.27	7083.90	535.00	7.55
11	मणिपुर	34.41	277.03	126.93	45.82
12	उडीसा	22.21	1917.26	432.35	22.55
13	राजस्थान	12.44	3200.00	342.22	10.69
14	सिक्किम	22.36			
15	तमिलनाडू	1.03	3700.72	39.42	1.07
16	त्रिपुरा	30.95	346.91	107.28	31.00
17	उत्तर प्रदेश	0.21			
18	पश्चिम बंगाल	5.59	3080.98	54.86	1.78
19	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	9.54			
20	दमन और द्वीप	11.54	23.91	3.06	12.79
जोड		7.85	36718.60	2964.19	8.07

अनुबंध 5.VI
(संदर्भ पैरा 5.35)

वर्ष 1985.86 के लिए कृषि सबंधी गणना का विवरण

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने वर्ष 1992 में अपने प्रकाशन में वर्ष 1985.86 के लिए कृषि संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए है। 1997 के प्रकाशन का प्रकाशित होना अभी बाकी है स्वकृषित जोत, भूमि के इस्तेमाल सिंचाई सुविधाओं फसल उगाने के पैटर्न को संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं।

क स्वकृषित जोतः

वर्ष 1980.81 तथा 1985.86 में सामाजिक समूहों द्वारा भारत में स्वकृषित जोत तथा कृषित जोत की संख्या को सारणी 1 में दर्शाया गया हैं।

वर्ष 1980.81 तथा वर्ष 1985.86 मे सामाजिक समूहों द्वारा भारत में स्वकृषित जोत तथा कृषित जोत की संख्या :

सामाजिक समूह	जोत की संख्या (हजार मे)		प्रतिशत परिवर्तन	कृषित क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)		प्रतिशत परिवर्तन
	1985	1986		1980-81	1985-86	
अनुसूचित जाति	10052(11.3)	12041(12.4)	(+19.8)	11522(7.0)	12639(7.7)	(+9.7)
अनुसूचित जनजाति	6854(7.7)	7648(7.9)	(+11.6)	16704(10.2)	17234(10.5)	(+3.2)
अन्य जातियां	71977(81.0)	77466(79.1)	(+7.6)	135571(82.8)	134689(81.8)	(-0.7)
सभी समाजिक समूह	88883(100.0)	97155(100.0)	(+9.3)	163797(100.0)	164562(100.0)	(+0.5)

वर्ष 1985.86 की कृषि संबंधी गणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जोत देश में जोतों की कुल संख्या का 12.4 प्रतिशत थी इसके विपरीत वर्ष 1980.81 में 11.3 प्रतिशत थी जिसके लगभग 19.8 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। इसके विपरीत इस अवधि के दौरान कृषित क्षेत्र में 9.7 % की वृद्धि की दर्ज की गई है। अनुसूचित जातियों की जोत जो वर्ष 1985.86 में जोत का 7.9% थी। वर्ष 1980.81 में यह 7.7% दर्ज की गई। इस प्रकार से इसमें 11.6% की वृद्धि की गई। इस अवधि के दौरान इस श्रेणी में शामिल क्षेत्र में लगभग 3.2% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के कृषकों को वर्ष 1980.81 तथा वर्ष 1985.86 के बीच में संख्या तथा क्षेत्र दोनो ही दृष्टि से अधिक लाभ हुआ है किन्तु उनके

पास अनुसूचित जनजाति की तुलना में खेती करने के लिए अनुपातः कम क्षेत्र है। वर्ष 1980.81 तथा 1985.86 में बडे आकार के वर्गो द्वारा सभी सामाजिक समूहों की जोतो के विवरण को सारणी दो में देखा जा सकता है। वर्ष 1980.81 तथा वर्ष 1985.86 दोनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में जोतों की संख्या के संबंध में सीमांत जोत सबसे अधिक अनुपात में थी। अनुसूचित जनजातियों के मामले में जोतों की संख्याओं के संबंध में यह अनुपात वर्ष 1985.86 में लगभग 70.7% से अधिक था। इसके विपरीत वर्ष 1980.81 में जोतों की संख्या का अनुपात 68.9% था इस प्रकार से इसमें 1.8 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई। अनुसूचित जाति की स्वकृषित जोत भी वर्ष 1980-81 में 39.8% से बढकर वर्ष 1985.86 में 41.3% हो गई। अन्य आकार की जोतों नामतः लघु, अर्द्ध–मध्यम तथा बडी जोतों के संबंध में कुल जोतो की तुलना में ऐसी जोतों का अनुपात अनुसूचित जातियों की जोतों के समान था। उदाहरण के लिए, वर्ष 1985.86 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के मामले में बडी जोत लगभग 9.8% थी इसके विपरीत अनुसूचित जातियों के मामले में यह 0.7% थी। इससे यह पता चलता है कि जोतों के आकार के संबंध में अनुसूचित जाति की तुलना में अनुसूचित जनजाति बेहतर स्थिति में थी।

प्रत्येक मुख्य आकार की प्रत्येक जोतों के संबंध में जोतों की कुल संख्या के प्रतिशत के अनुसार वर्ष 1980.81 तथा वर्ष 1985.86 में मुख्य आकार की प्रत्येक जोत की श्रेणी के लिए भारत में सभी सामाजिक समूहों के जोतों के विवरण को सारणी तीन में देखा जा सकता है। सीमांत जोतो के मामले में वर्ष 1985.86 में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 15.2% था इसके विपरीत अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 5.6% तथा अन्य जातियों के मामले में यह 79.2% था। अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो तथा दोनो ही मामले में यह माना जायेगा कि वर्ष 1980.81 से क्रमशः 1.4% तथा 1.2% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में जोतो के आकार में वृद्धि के साथ–साथ यह अनुपात कम भी हुआ है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में इस प्रकार का कोई एक समान पैटर्न नहीं था उदाहरण के लिए यदि केवल लघु जोतों के मामले में अनुसूचित जनजातियों की जोतों का अनुपात 10% था तो अर्द्ध– मध्यम जोतों तथा मध्यम जोतों के मामले में यह अनुपात क्रमशः 11.6% तथा 11.8% बडी जोतों के मामले में यह लगभग 11.1% अधिक था। इससे पुनः पता चलता है कि अनुसूचित जातियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के स्वकृषित जोत धारक बेहतर स्थिति में थे।

जनजातियों की जोतों का औसत आकार अनुसूचित जातियों की जोतों की तुलना में बड़े जोतों को छोड़कर अन्य जोतों में अधिक था। वर्ष 1980–81 तथा वर्ष 1985–86 के बीच तुलना करने से यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के मामले में सीमांत तथा लघु जोतों को छोड़कर अन्य सभी आकार की जोतों की श्रेणियों के औसत आकार में कमी आयी थी। अनुसूचित जनजातियों के मामलों में भी सीमांत तथा लघु जोतों को जहां यह समान स्तर पर अर्थात क्रमशः 0.48 तथा 1.43 हेक्टेयर था, छोड़कर जोतों की सभी श्रेणियों में इसी रूझान को देखा गया। इस सारणी से यह देखा जा सकता है कि सभी सामाजिक समूहों के पास कुल मिलाकर सामान आकार की जोतें है।

सारणी न0 5

वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1985-86 के दौरान भारत में सभी सामाजिक समूहों में जोतों की मुख्य आकार की श्रेणियों के अनुसार जोतों का औसत आकार

(हेक्टेयर में)

जोतों के मुख्य आकार की श्रेणिया	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		अन्य सामाजिक समूह		सभी सामाजिक समूह	
	80-81	85-86	80-81	85-86	80-81	85-86	80-81	85-86
सीमांत	0.36	0.37	0.48	0.48	0.39	0.39	0.39	0.39
लघु	1.41	1.41	1.43	1.43	1.45	1.44	1.44	1.43
अर्द्ध–मध्यम	2.71	2.70	2.74	2.73	2.79	2.43	2.78	2.77
मध्यम	5.84	5.78	5.98	5.95	6.03	5.97	6.04	5.96
बड़े आकार	16.44	16.24	15.88	15.87	15.65	17.43	17.41	17.31
सभी आकार की जोतों की श्रेणियां	1.15	1.05	2.44	2.25	1.88	1.74	1.84	1.69

जोतों के आधार पर वर्गीकरण

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जोत के आधार पर कृषित जोत की संख्या और क्षेत्रफल को क्रमशः सारणी 6 एवं 7 में देखा जा सकता है। अनुसूचित जातियों द्वारा कृषित एक करोड़ बीस लाख जोत क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र वैयक्तिक जोत क्षेत्र है, जब कि अनुसूचित जनजाति द्वारा कृषित जोत क्षेत्र लगभग 89.3 प्रतिशत था। अन्य जोत क्षेत्र 87.3 प्रतिशत है संयुक्त जोत में हिस्सेदारी का सबसे कम अनुपात लगभग 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के कृषकों का है, जबकि अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी लगभग 10.7 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के द्वारा कृषित जोत के मामलों में संस्थागत जोत लगभग नगण्य है। जबकि अन्य का काफी कम अनुपात लगभग 0.2 प्रतिशत था।

अनुसूचित जाति द्वारा कृषित कुल एक करोड़ 26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से एक करोड़ सात लाख अथवा 84.9 प्रतिशत हेक्टेयर क्षेत्र को वैयक्तिक जोत माना गया था। वैयक्तिक जोत में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम हिस्सेदारी 84 प्रतिशत थी जबकि अन्य की हिस्सेदारी 83.2 प्रतिशत थी। जोत की संख्या की भांति जोत के क्षेत्र के मामले में की संयुक्त जोत में अनुसूचित जातियों की सबसे कम हिस्सेदारी 14.9 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रत्येक की हिस्सेदारी 15.8 प्रतिशत थी संस्थागत जोत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों की ही सबसे कम हिस्सेदारी थी जो प्रत्येक में सिर्फ 0.2 प्रतिशत है, जबकि अन्य की एक प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

सारणी-6

वर्ष 1985-86 में जोत के आधार पर भारत में सभी सामाजिक समूहों द्वारा कृषित जोतों की संख्या

संख्या हजार में

मुख्य आकार वर्ग	जोत के प्रकार: वैयक्तिक			संयुक्त			संस्थागत		
	अजा	अजजा	अन्य	अजा	अजजा	अन्य	अजा	अजजा	अन्य
सीमांत	7750	2885	39282	757	275	5111	1	1	86
लघु	1716	1642	12426	207	152	1754	-	नगण्य	24
अर्द्ध–मध्यम	924	1369	9184	142.	176	1436	नगण्य	नगण्य	20
मध्यम	376	771	5493	79	165	1015	नगण्य	नगण्य	17
बड़े	62	160	1252	25	51	352	नगण्य	नगण्य	16
सभी वर्ग	10828	6827	67637	1210	819	9668	2	3	160
	(90.0)	(89.3)	(87.3)	(10.0)	(10.7)	(12.5)			(0.2)

सारणी 7

वर्ष 1985.86 में जोत के आधार पर भारत में सभी सामाजिक समूहों द्वारा कृषित जोत का क्षेत्रफल

मुख्य वर्ग आकार	जोत के आकार: वैयक्तिक			संयुक्त			संस्थान			कुल		
	अजा	अजजा	अन्य	अजा	अजजा	अन्य	अजज	अजजा	अन्य	अजा	अजजा	अन्य।
सीमांत	2706	1393	15455	291	119	2047	नगण्य	नगण्य	28	3000	1512	17530
लघु	2422	2341	17922	290	221	2477	नगण्य	1	34	2713	2563	20433
अर्द्ध–मध्यम	2484	3720	25499	393	504	4009	1	1	56	2878	4225	29564
मध्यम	2163	4553	32729	472	1015	6107	1	1	104	2636	5570	38939
बड़े	955	2468	20482	411	874	6604	16	23	1139	1413	3365	28224
सभी वर्ग	10732	14475	112087	1888	2733	21243	19	26	1360	12639	17234	134690

कृषित जोत की काश्तकारी

1985.86 मे भारत मे जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध मे काश्तकारी आधार पर अनुसूचित जातियों की बडे स्वकृषित जोत की संख्या के वितरण को सारणी 8 में देखा जा सकता है

सारणी 8

1985.86 में भारत मे जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आधार पर अनुसूचित जातियों की स्वकृषित जोत की संख्या का वितरणः—

(संख्या हजारो मे)

जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियां	कुल जोत संख्या	पूर्ण स्वामित्व वाले एवं स्वकृषित	पूर्ण रूप से पटटे पर दिया गया क्षेत्र	अन्यया पूर्ण रूप से कृषित क्षेत्र	आंशिक स्वामित्व वाले आंशिक रूप से पट्टे पर दिया गया एवं आंशिक रूप से अन्यथा कृषित
सीमांत	8003(100.0)	7667(95.8)	72(0.9)	80(1.0)	184(2.3)
लघु	1923(100.0)	1811(94.2)	17(0.9)	16(0.8)	79(4.1)
अर्द्ध मध्यम	1067(100.0)	1014(95.0)	7(0.7)	6(0.6)	40(3.7)
मध्यम	456(100.0)	432(94.7)	4(1.0)	2(0.4)	18(3.9)
बड़े जोतों को	87(100.0)	84(97.7)	नगण्य	नगण्य	2(2.3)
सभी प्रकार की श्रेणियां	11536(100.0)	11008(94.5)	101(0.9)	104(0.9)	323(2.8)

वर्ष 1985.86 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आधार पर अ0 जातियों द्वारा कृषित क्षेत्र के वितरण को सारणी 9 में देखा जा सकता है:

सारणी - 9

वर्ष 1985.86 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आधार पर बडे आकार में अ0 जातियों द्वारा कृषित क्षेत्र का वितरण

जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियां	कुल क्षेत्र	पूर्णतया स्वामित्व वाले एवं स्वकृषित	आंशिक स्वामित्व वाले	पूर्ण रूप से पट्टे पर गया	पूर्ण रूप से कृषित	आंशिक रूप से पट्टे पर दिया गया	आंशिक रूप से कृषित
सीमांत	2992(100.0)	2845(95.1)	47(1.6)	28(0.9)	28(0.9)	33(1.1)	13(0.4)
लघु	2713(100.0)	2552(94.1)	65(2.4)	25(0.9)	21(0.8)	35(1.3)	15(0.5)
अर्द्ध मध्यम	2878(100.0)	2734(95.0)	72(2.5)	19(0.7)	14(0.5)	24(0.8)	15(0.5)
मध्यम	2636(100.0)	2503(94.9)	78(3.0)	18(0.7)	10(0.4)	17(0.6)	11(0.4)
बड़े जोतों को	1413(100.0)	1371(97.1)	28(2.0)	3(0.2)	2(0.1)	5(0.4)	3(0.2)
सभी प्रकार की श्रेणियां	12632(100.0)	12005(95.0)	289(2.3)	92(0.7)	75(0.6)	113(0.9)	57(0.5)

1985.86 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आध ाार पर अनु0 जन जातियों की स्वकृषित जोत संख्या के वितरण को सारणी 10 में देखा जा सकता है।

सारणी - 10

जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियां	कुल जोत संख्या	पूर्णतया स्वामित्व वाले और स्वकृषित	पूर्ण रूप से पूर्ण पट्टे पर दिया गया	अन्यथा पूर्ण रूप रूप से कृषित,	आंशिक रूप से आंशिक रूप से पट्टे पर या कृषित,
सीमांत	3076(100.0)	2830(92.0)	30(1.0)	106(3.4)	110(3.6)
लघु	1795(100.0)	1638(91.3)	11(0.6)	40(2.2)	106(5.9)
अर्द्ध मध्यम	1545(100.0)	1430(92.6)	7(0.5)	22(1.4)	86(5.5)
मध्यम	936(100.0)	875(93.5)	3(0.3)	6(0.7)	51(5.5)
बड़े जोतों को	212(100.0)	197(92.9)	नगण्य	1(0.5)	13(6.1)
सभी प्रकार की श्रेणियां	7564(100.0)	697(92.2)	52(0.7)	175(2.3)	366(4.8)

अनुसूचित जातियों की कुल जोत संख्या में 94.5% जोत क्षेत्र इस समूह के पूर्णतया स्वामित्व में अथवा स्वकृषित जोत के अंतर्गत माना गया जबकि क्षेत्रफल के अनुसार यह लगभग 95% था। कुल लगभग 0.9% जोत क्षेत्र में लगभग 1.7% क्षेत्र पट्टे पर दिया गया था जबकि जोत क्षेत्र की संख्या और क्षेत्रफल के अनुसार अन्यथा पूर्ण रूप से कृषित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 0.9% और 0.6% था। अनुसूचित जातियों से पूर्णतया स्वामित्व वाले और स्वकृषित वाले विभिन्न आकार वर्ग के क्षेत्र संख्या और क्षेत्रफल दोनों के वितरण में ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं था। जोत की संख्या के मामले में वास्तविक आंकडों में 94.2% से 97.7% तक और जोत की संख्या के मामले में 94.1% तक की और क्षेत्रफल के मामले में 94.1% से 97.1% तक परिवर्तन होता रहता है। बडी जोत की संख्या पूर्ण रूप से पट्टे पर दी गयी श्रेणी के अंतरगत, लगभग नगण्य मानी गयी, जब कि क्षेत्रफल के हिसाब से इसे 0.2% माना गया था। पूर्ण रूप से पट्टे पर दिये गये सीमांत और लघु जोत क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक लगभग 0.9% माना गया। सीमांत और लघु जोत के मामले में अनुसूचित जातियों के जोत क्षेत्र का काफी हिस्सा पट्टे पर दिया गया था।

1985.86 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की स्वकृषित जोत क्षेत्र के वितरण की सारणी 11 में देखा जा सकता है।

सारणी 11

1995.96 में भारत में जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में काश्तकारी आधार पर अनुसूचित जनजातियों की स्वकृषित जोत क्षेत्र का वितरण

जोतों के आकार की प्रमुख श्रेणियां	कुल क्षेत्र	पूर्ण स्वामित्व वाले और स्वकृषित	आंशिक रूप से स्वामित्व वाले	पूर्ण रूप से पटटे पर दिया गया	पूर्ण रूप अन्यथा कृषित	आंशिक से पटटे पर दिया गया	आंशिक रूप से अन्यथा कृषित
सीमांत	1511(100.0)	1384(91.6)	38(2.5)	13(0.9)	47(3.2)	11(0.7)	17(1.1)
लघु	2536(100.0)	2337(91.2)	97(3.8)	16(0.6)	54(2.1)	22(0.9)	37(1.4)
अर्द्ध मध्यम	4225(100.0)	3909(92.5)	170(4.0)	17(0.4)	55(1.3)	25(0.6)	49(1.2)
मध्यम	5570(100.0)	5203(93.5)	242(4.3)	18(0.3)	33(0.6)	21(0.4)	48(0.9)
बड़े जोतों को	3365(100.0)	3136(92.3)	176(5.2)	8(0.2)	11(0.3)	11(0.3)	22(0.7)
सभी प्रकार की श्रेणियां	17233(100.0)	15975(92.7)	722(4.2)	72(0.4)	201(1.2)	90(0.5)	173(1.0)

अनुबंध 5.VII
संदर्भ पैरा 5.44

31-3- 1994 के अनुसार बडे पैमाने वाले आदिवासी बहुउददेश्य समुदायों के आंकडों की महत्वपूर्ण मदें

क्र० सं	कुल संख्या					किस समुदाय से संबंधित		सदस्यता			
		व्यवहार्य	संभवत:व्यवहारिय	दोरहन्त	डिफंक्ट	जोड़	अ.जा.	अ.ज.जा.	छोटे किसान	सीमांत कृषक	ग्रामीण शिल्पी
	I	1	2	3	4	I	1	2	3	4	5
असम	39	0	0	0	0	30	2	27	0	0	0
बिहार	474	418	56	0	0	710	67	368	401	0	56
गुजरात	248	203	28	14	3	219	16	157	0	0	5
जम्मू और कश्मीर											
कर्नाटक	19	19	0	0	0	47	0	47	10	9	2
मध्य प्रदेश	1073	0	0	0	0	1586	325	932	0	0	0
महाराष्ट्र	984	264	674	46	0	439	27	200	51	72	4
नागालैंड	4	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
उडीसा	223	210	13	0	0	889	131	509	386	396	16
राजस्थान	268	190	76	2	0	478	42	303	369	40	7
तमिलनाडू	17	5	12	0	0	59	2	46	31	14	1
त्रिपुरा	56	56	0	0	0	132	7	112	5	0	0
उत्तर प्रदेश	102	98	4	0	0	30	7	1	7	0	2
पश्चिम बंगाल	116	68	36	10	2	143	31	112	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	27	27	0	0	0	15	0	0	0	0	0
दमन और द्वीप	1	0	1	0	0	4	0	4	3	1	0
दादर व नगर हवेली	6	6	0	0	0	11	0	10	0	0	0
मिजोरम	1	0	1	0	0	4	0	4	3	1	0
जोड़	3671	1582	900	72	5	4797	637	2833	1263	432	93

अनुबंध 5.VIII
(संदर्भ पैरा 5.44)

'लैम्पस' को क्रियाशील बनाने के लिए शंकरन समिति की सिफारिश

1 जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना और प्रबंध की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित मानदण्डों पर आधारित होनी चाहिए।

क सहकारी समितियां स्वैच्छिक आधार पर गठित की जानी चाहिए और सहकारी समितियों से जुडे जनजातीय लोगों को स्वयं अपनी कोड परंपरा, नियम एवं मानदंड बनाने और उन्हें विकसीत करने का प्रयास करना चाहिए।

ख यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रबंध और निर्णय की प्रक्रिया जनजातीय लोगों के हाथ में हो, 'लेम्पस' और जनजातीय समुदाय के बीच सीधा सम्पर्क होना चाहिए।

ग जनजातीय समुदाय के लोगों की आवश्यकता पूरी करने वाली निचले स्तर के सहकारी संगठनो को एकीकृत सेवा प्रदान करनी चाहिए, जिससे जनजातीय लोग अपने कार्य क्षेत्र में उत्पादन, विपणन और भोग की आवश्यकता पूरी कर सकें।

2 प्रत्येक 'लेम्पस' की एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में जनजातीय समुदाय के सभी लोगों को उक्त कार्यक्रम में शामिल कर सकें। इस प्रकार की कार्ययोजना तैयार करने के लिए प्रत्येक टांडा 'हैमलेट' को उसके अपने क्षेत्र में एक यूनिट के तौर पर किया जा सकता है। प्रत्येक टांडा में मितव्ययितस एवं बचत के माध्यम से संसाधनों को जुटाने के लिए और लैम्पस द्वारा संपादित की जाने वाली कार्य योजना के प्रयोग के लिए भी स्वयंसेवी समूह गठित किए जा सकते हैं।

3 'लैम्पस' की आर्थिक विकास के एकीकृत कार्यक्रम के भाग के तौर पर आर्थिक विकास के समस्त अवसरों जैसे कि कृषि पशुपालन, लघुवन उत्पाद एवं संसाधन, उपभोक्ता माल और अन्य ग्रामोद्योग एवं हस्तलिपी इत्यादि का लाभ उठाना चाहिए।

4 यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि जनजातीय लोगों में गैर जनजातीय समुदाय के लोग सहकारी संगठनो पर अपना प्रभाव न जमाने पायें और

अपने लाभ के लिए उन पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त न करें। इसलिए लैम्पस के प्रबंध बोर्ड में अधिकांश लोग जनजातीय समुदाय के ही होने चाहिए और लैम्पस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी जनजातीय समुदाय के ही होने चाहिए।

5 जहां कहीं लैम्पस इन कार्यो को निष्पादित कर सकता हो, वहां प्राथमिक विपणन समितियों को समाप्त करके दो बार संस्थाएं न बनाई जाएं।

6 सहकारी समितियों में शामिल होने के लिए जनजातीय लोगों के संकोच को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि लैम्पस द्वारा ऋण देने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सरल और अधिक लचीला बनाया जाए।

7 राज्य स्तरीय संगठनों से मिलकर बने सहायक संगठनो को निचले स्तर पर कार्य कर रहे जनजातीय सहकारी संगठनों की आवश्यकता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। राज्य स्तर के संगठनों के परामर्श से 'ट्राइफेड' को विभिन्न जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन नीति तैयार करनी चाहिए।

8 जनजातीय क्षेत्रें में उत्पादित समस्त पण्यों के लिए उपयुक्त प्रापण योजना तैयार की जानी चाहिए। ट्राइफेड, नेफेड एवं राज्य विपणन संघ जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठनो के साथ विपणन व्यवस्था एवं संपर्क को परिभाषित किया जाना चाहिए। टी डी सी सी एवं टी आर आई पी ओ जैसी संस्थाएं जनजातीय समुदाय के लोगों में अनिवार्य उपभोक्ता सामग्री उपलब्द्ध कराए जाने के साधनों को और सशक्त बनाने के लिए, कपडा, नमक एवं उर्वरक इत्यादि जैसी अन्य वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद कर सकती है।

अनुबंध 5.IX
(संदर्भ पैरा 5.44)

1992-93 से 1996-97 तक विशेष संघटक योजना के अंतर्गत राज्यावार परिव्यय और व्यय

क्रम सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा.की जनसंख्या का प्रतिशत	राज्य याजना परिव्यय	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.स.यो. व्यय	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	15.93	1995.80	166.56	8.35	182.78	109.74
2	असम	7.40	892.80	57.85	6.48	36.61	63.28
3	बिहार	14.55	2215.00	180.09	8.13	95.05	52.78
4	गोवा	2.08	153.41	2.16	1.41	2.2	101.85
5	गुजरात	7.41	1875.00	71.34	3.80	57.19	80.17
6	हरियाणा	19.75	830.00	108.20	13.04	104.67	96.75
7	हिमाचल प्रदेश	25.34	490.50	60.43	12.32	53.36	88.30
8	जम्मू और कश्मीर	8.31	820.00	64.11	7.82	64.11	100.00
9	कर्नाटक	18.38	1915.00	176.02	9.19	160.49	91.18
10	केरल	9.92	913.00	123.44	13.52	83.08	67.30
11	मध्य प्रदेश	14.55	2450.33	261.56	10.67	180.68	69.08
12	महाराष्ट्र	11.09	3484.17	170.68	4.90	202.81	118.82
13	मणिपुर	2.02	210.84	1.85	0.88	2.96	160.00
14	उडीसा	16.20	1750.00	219.80	12.56	212.26	96.57
15	पंजाब	28.31	1150.00	164.06	14.27	113.11	68.94
16	राजस्थान	1729	1410.00	237.22	16.82	234.32	98.78
17	सिक्किम	5.93	110.00	5.95	5.41	5.95	100.00
18	तमिलनाडू	19.18	1766.00	293.00	16.59	300.44	102.54
19	त्रिपुरा	16.36	240.00	32.16	13.40	32.58	73.32
20	उत्तर प्रदेश	21.05	4039.92	404.99	10.02	367.56	90.76
21	पश्चिम बंगाल	23.62	154.00	185.17	12.05	100.05	53.87
22	चंडीगढ	16.51	68.00	9.47	13.93	9.92	104.75
23	दिल्ली	19.05	920.00	88.51	9.62	84.91	95.93
24	पांडिचेरी	16.25	90.00	14.47	16.08	14.93	103.18
	जोड	16.33	31330.77	3099.65	9.89	2693.02	86.88

1993-94					1994-95				
राज्य योजना	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.स.यो. व्यय	प्रतिशतता	राज्य योजना	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.स.यो. व्यय	प्रतिशतता
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1851.00	208.77	1128	21500	103.0	2130.00	284.82	13.37	216.97	76.18
956.16	63.84	6.68	54.19	84.9	178.83	73.33	7.49	62.14	84.74
750.00	104.00	13.87	94.74	91.1	900.00	166.69	18.52	152.23	91.33
170.00	2.20	1.29	1.66	75.5	182.00	4.25	2.34	2.59	60.94
1900.00	80.43	4.23	71.50	88.92	240.00	78.87	3.52	74.13	93.99
920.00	125.33	13.62	100.19	79.9	1025.50	142.56	13.90	136.10	95.47
564.84	6875	12.17	65.67	95.5	666.32	77.86	11.69	67.05	86.12
887.25	50.94	5.74	37.53	73.7	950.00	54.83	5.77	49.26	89.48
3025.00	280.69	90.28	258.93	92.2	2800.00	203.81	10.85	289.21	95.19
1003.00	98.07	9.78	87.96	89.7	1260.60	126.62	10.04	99.15	78.31
2400.00	271.49	11.31	218.27	80.4	2754.00	310.78	11.28	231.87	74.61
3804.00	196.60	5.17	216.80	110.3	4400.00	390.28	8.87	335.90	86.07
253.13	2.82	1.11	1.79	63.5	214.50	4.35	2.03	2.04	46.90
1450.00	214.53	14.80	115.48	53.8	1950.00	148.00	7.59	160.06	108.15
1250.00	195.00	15.60	105.88	54.3	1450.00	200.07	13.80	87.42	43.69
1704.76	274.35	16.09	273.23	99.6	2450.00	389.85	15.91	363.24	93.17
120.00	5.96	4.97	5.96	100.0	135.00	8.40	6.22	1.66	19.76
2102.21	563.61	26.81	335.28	59.5	2750.75	523.06	19.02	443.19	84.73
310.00	39.11	12.62	30.45	77.9	290.00	25.99	8.96	25.99	100.00
425.00	456.91	10.75	388.92	85.1	4763.00	492.24	10.33	482.49	982.2
1550.00	237.13	15.30	229.54	96.8	176.00	174.35	10.22	232.49	133.35
80.00	2.34	2.93	2.26	96.6	80.00	11.12	13.90	11.12	100.00
105.00	95.75	8.91	81.60	85.2	1560.00	140.31	8.99	84.44	60.18
108.00	17.53	16.23	16.48	94.0	135.00	21.94	16.25	20.80	94.80
32484.33	3656.15	11.26	3009.31	82.3	3777.50	4154.38	11.00	3631.54	87.41

अनुबंध 5.IX
जारी

1995-96					1996-97				
राज्य योजना	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.सं.यो. व्यय	प्रतिशतता	राज्य योजना	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.सं.यो. व्यय	प्रतिशतता
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3159.00	314.90	9.97	266.65	84.68	272.00	300.57	11.03	267.46	88.98
1326.40	98.20	7.40	79.18	80.63	1183.74	78.49	6.63	78.49	100.00
2500.00	470.91	18.84	110.34	23.43	2143.91	260.30	12.14	144.17	55.39
210. 00	2.86	1.36	2.65	92.66	191.76	3.24	1.69	2.12	65.43
2240.82	97.16	4.64	8.96	89.50	2844.46	101.42	3.57	94.43	93.11
1250.00	186.37	14.91	148.22	79.53	1375.00	177.21	12.89	148.10	83.57
750.00	90.25	12.03	94.37	104.57	900.00	109.29	12.14	104.26	95.40
1165.00	95.99	8.24	70.00	72.92	1150.00	74.74	6.50	70.00	93.66
3575.00	338.79	9.48	315.38	93.09	4360.00	391.10	8.97	259.43	66.33
1550.00	142.00	9.16	153.77	108.29	2207.27	209.65	9.50	196.03	93.50
2900.00	283.16	9.76	231.66	81.81	3144.80	339.38	10.79	328.91	96.91
6069.00	550.00	9.06	550.00	100.00	7783.63	541.95	6.96	459.49	84.78
300.00	8.91	2.97	0.00	0.00	350.00	3.84	1.10	2.20	57.29
1650.00	178.57	10.82	166.58	93.29	2205.50	244.01	11.06	231.43	94.84
1650.00	227.68	13.80	90.50	39.75	185.00	205.00	11.08	75.59	36.87
3200.00	486.67	15.21	450.56	92.58	3200.00	487.12	15.22	462.75	95.00
192.00	7.15	3.72	6.30	88.11	194.00	4.22	2.18	4.20	99.53
3200.00	618.25	19.32	483.30	78.17	3719.05	652.39	17.54	416.90	63.90
350.00	37.12	10.61	25.99	70.02	346.91	32.53	9.38	32.53	100.00
5702.00	809.28	14.19	538.66	66.56	7075.00	1420.00	20.07	930.02	65.49
2207.30	278.14	12.60	124.44	44.74	3080.94	146.85	4.77	115.17	78.43
100.00	2.47	2.47	2.47	100.00	105.34	5.90	5.60	4.97	84.24
1720.00	149.80	8.71	109.45	73.06	2090.00	185.22	8.86	164.21	188.66
175.52	28.52	16.25	23.79	83.42	175.52	32.58	18.56	30.95	195.00
47142.04	5503.15	11.67	4131.22	75.07	54400.83	6007.00	11.04	4623.81	76.97

कुल आठवी योजना 1992-97				
राज्य योजना परिव्यय	वि.सं.यो. परिव्यय	प्रतिशतता	वि.सं.यो. व्यय	कॉ. 32 का 30 से प्रतिशत
29	30	31	32	33
11859.80	1275.62	10.76	1148.86	90.06
5337.93	371.71	6.96	310.61	83.56
8508.91	1181.99	13.89	596.53	50.47
907.17	14.71	1.62	11.22	76.27
1110.28	429.22	3.87	384.21	89.51
4500.50	739.67	13.70	637.28	86.16
3371.64	406.58	12.06	384.71	94.62
4972.25	340.61	6.85	290.90	85.41
1567.00	1490.41	9.51	1283.44	86.11
6933.87	699.78	10.09	619.99	88.60
13649.13	1466.37	10.74	1191.39	81.25
2540.80	1849.51	7.24	1765.00	95.43
1328.47	21.77	1.64	8.99	41.30
9005.50	1004.91	11.16	885.81	88.15
7350.00	991.81	13.49	472.50	47.64
11964.76	1875.21	15.67	1784.10	95.14
751.00	31.68	4.22	24.07	75.98
13538.01	2650.31	19.58	1979.11	74.67
1536.91	166.91	10.86	138.54	83.00
25829.92	2583.42	13.87	2707.65	75.56
10085.24	1022.20	10.14	801.69	78.43
433.34	31.30	7.22	30.74	98.21
7365.00	659.59	8.96	524.61	79.54
684.04	115.04	16.82	108.95	92.97
203129.47	22420.33	11.04	18088.90	80.68

श्रोत कल्याण मंत्रालय

अनुबंध 5.X
(संदर्भ पैरा 5.74)

आठवी पंचवर्षिय योजना के दौरान विशेष घटक योजना के लिए दी गई/ विशेष उपयोग में लाई गई राशि के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार विशेष केंद्रीय सहायता

क्र० सं	1992-93 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को दी गई राशि	उपयोग की गई राशि	1993-94 दी गई राशि	उपयोग की गई राशि
1 आंध्र प्रदेश	1937.61	2667.51	2416.06	2416.06
2 असम	189.44	124.51	220.51	168.73
3 बिहार	2096.54	1640.07	2327.11	0.00
4 गोवा	2.64	3.28	2.86	2.83
5 गुजरात	908.53	593.90	796.82	729.02
6 हरियाणा	398.20	475.12	424.53	451.75
7 हिमाचल प्रदेश	502.69	465.16	699.45	556.08
8 जम्मू और कश्मीर	66.79	105.66	76.33	84.97
9 कर्नाटक	1310.06	1134.10	1282.71	1282.71
10 केरल	502.74	519.39	402.84	375.79
11 मध्य प्रदेश	1839.09	1999.65	2803.81	2793.82
12 महाराष्ट्र	1698.92	1483.59	1562.79	1790.27
13 मणिपुर	7.42	6.92	5.56	5.52
14 उडीसा	1323.38	837.54	1075.66	1775.66
15 पंजाब	625.32	445.60	875.92	669.90
16 राजस्थान	1162.90	929.16	1829.89	898.52
17 सिक्किम	3.21	3.99	3.06	3.49
18 तमिलनाडू	1911.34	1925.00	1879.00	2606.01
19 त्रिपुरा	57.38	81.90	58.85	68.65
20 उत्तर प्रदेश	5495.07	4986.12	5833.29	6749.84
21 पश्चिम बंगाल	2669.54	2669.50	2322.75	2114.57
22 चंडीगढ	39.44	9.96	12.39	12.39
23 दिल्ली	148.60	148.60	184.76	173.94
24 पांडिचेरी	13.15	23.31	14.81	25.73

अनुबंध 5.X

जारी

क्र0 सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 दी गई राशि	1994-95 उपयोग की गई राशि	1995-96 दी गई राशि	1995-96 उपयोग की गई राशि	1996-97 दी गई राशि	1996-97 उपयोग की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	3255.36	3228.51	3425.41	3323.13	2915.22	3510.00
2	असम	273.34	228.00	222.65	206.89	163.52	191.99
3	बिहार	0.00	744.24	0.00	1581.21	2678.61	2200.00
4	गोवा	3.95	2.36	2.09	2.91	2.09	2.04
5	गुजरात	956.68	686.31	278.90	631.74	278.90	664.58
6	हरियाणा	538.05	480.99	623.00	491.78	520.00	572.51
7	हिमाचल प्रदेश	195.72	385.22	193.63	224.38	180.29	244.80
8	जम्मू और कश्मीर	100.00	74.73	83.77	127.64	95.23	38.74
9	कर्नाटक	1873.76	1850.76	2350.09	2220.05	1885.01	1968.79
10	केरल	508.81	554.66	491.73	433.13	404.93	458.90
11	मध्य प्रदेश	2097.57	2586.70	2425.33	2102.70	1910.39	1419.18
12	महाराष्ट्र	1475.89	1673.86	1745.47	1598.00	1448.87	1505.90
13	मणिपुर	6.09	6.08	5.90	5.22	5.11	5.78
14	उडीसा	1332.84	1575.66	1311.82	1215.76	1265.07	1354.52
15	पंजाब	1626.72	839.29	571.68	670.93	883.28	610.47
16	राजस्थान	887.37	3602.00	1828.26	2311.73	1619.91	1757.37
17	सिक्किम	4.22	4.02	3.57	3.72	3.39	3.39
18	तमिलनाडू	2655.66	2193.12	2803.55	2655.66	2271.54	1186.10
19	त्रिपुरा	100.97	100.97	72.26	63.88	72.54	80.70
20	उत्तर प्रदेश	62.97.51	6373.84	5439.03	6040.07	5920.49	6025.24
21	पश्चिम बंगाल	2813.37	2813.37	2955.22	2955.22	2752.50	2742.85
22	चंडीगढ	17.40	18.60	14.86	17.88	16.23	18.22
23	दिल्ली	244.42	130.17	231.16	151.52	190.42	190.42
24	पांडिचेरी	19.31	24.99	19.62	26.68	17.46	19.64

अनुबंध **5.XI**
संदर्भ पैरा **5.84**

1996-97 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यालय के अंतर्गत आने वाले परिवारों की संख्या

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 कुल परिवार	अनु०जाति	प्रतिशत	अनु० जन जाति	प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	75341	22340	29.65	7434	9.87
2	अरूणाचल प्रदेश	2870	-	0.00	2870	100.00
3	असम	8923	979	10.97	2344	26.27
4	बिहार	95539	30552	31.98	14132	14.79
5	गोवा	621	6	0.97	-	0.00
6	गुजरात	28650	4350	15.18	6960	24.29
7	हरियाणा	10671	4963	46.51	-	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	4063	1456	35.84	289	7.11
9	जम्मू और कश्मीर	3994	95	2.38	122	3.05
10	कर्नाटक	55866	16489	29.52	4552	8.15
11	केरल	26523	9874	37.23	645	2.41
12	मध्य प्रदेश	46264	8798	19.02	13441	29.05
13	महाराष्ट्र	59652	12501	20.96	7961	13.35
14	मणिपुर	2479	93	3.75	1720	69.38
15	मेघालय	2020	7	0.35	2013	99.65
16	मिजोरम	396	-	0.00	396	100.00
17	नागालैंड	702	-	0.00	702	100.00
18	उडीसा	36048	9452	36.22	9345	25.92

अनुबंध 5.XI

जारी

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 कुल परिवार	अनु०जाति	प्रतिशत	अनु० जन जाति	प्रतिशत
19	पंजाब	4353	2213	50.84	-	0.00
20	राजस्थान	199339	5323	57.52	4891	25.29
21	सिक्किम	1013	55	5.43	434	42.84
22	तमिलनाडू	43248	20246	46.81	506	1.17
23	त्रिपुरा	359	48	13.37	129	35.93
24	उत्तर प्रदेश	198324	100089	50.47	1945	0.98
25	पश्चिम बंगाल	62793	20323	32.37	3687	5.87
26	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	135	-	0.00	-	0.00
27	दादर और नगर हवेली	5	1	20.00	4	80.00
28	दमन और द्वीप	140	25	17.86	43	30.71
29	लक्ष्य द्वीप	20	-	0.00	20	100.00
30	पांडिचेरी	712	216	30.34	2	0.28
	भारत	791063	270494	34.19	86587	10.95

अनुबंध **5.XII**
संदर्भ पैरा **5.91**

1996-97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निष्पादन

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनु० जाति	अनु० जनजाति	जोड*	अनु०जाति	अनु० जन जाति	जोड*
1	आंध्र प्रदेश	5970	1734	13134	1087.68	217.53	2775.36
2	अरूणाचल प्रदेश	0	63	63	0.00	8.36	8.36
3	असम	139	259	853	174.71	241.83	967.75
4	बिहार	43196	17233	76452	5647.21	1797.93	9884.04
5	गोवा	15	0	456	3.76	0.00	49.04
6	गुजरात	2208	9081	14197	342.98	1500.34	2318.63
7	हरियाणा	2490	0	3655	525.32	0.00	757.65
8	हिमाचल प्रदेश	436	113	836	132.19	17.72	245.30
9	जम्मू और कश्मीर	NR	NR	6450	NR	NR	851.44
10	कर्नाटक	12050	2615	18093	2073.24	492.05	3328.50
11	केरल	6313	1377	11171	912.09	62.21	1476.19
12	मध्य प्रदेश	10118	15830	39255	873.71	1234.24	3193.99
13	महाराष्ट्र	6491	6434	19282	1429.72	1104.89	4125.85
14	मणिपुर	36	234	379	4.42	30.30	47.09
15	मेघालय	0	340	340	0.00	34.58	34.58
16	मिजोरम	0	229	229	0.00	45.61	45.61
17	नागालैंड			0			
18	उडीसा	13478	12357	29931	2089.19	1909.23	4728.20

अनुबंध **5.XII**
जारी

1996-97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निष्पादन

क्र० सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनु० जाति	अनु० जनजाति	जोड*	अनु०जाति	अनु० जन जाति	जोड*
19	पंजाब			0			
20	राजस्थान	6338	6262	18501	653.08	660.82	2150.73
21	सिक्किम	104	168	448	22.91	37.01	100.70
22	तमिलनाडू	9196	93	10860	4213.26	38.25	4961.49
23	त्रिपुरा	122	247	369	735.00	1493.00	2228.00
24	उत्तर प्रदेश	61115	416	77896	9513.42	37.82	11831.63
25	पश्चिम बंगाल	7404	2382	13897	1166.90	379.91	2264.62
26	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	9	9	0.00	2.38	2.38
27	दादर और नगर हवेली	0	40	40	0.00	7.45	7.45
28	दमन और द्वीप	NR	NR	12	NR	NR	0.58
29	लक्ष्य द्वीप	0	0	0	0.00	2.42	2.42
30	पांडिचेरी	46	0	47	13.21	0.00	14.39
	भारत	187565	77786	356855	31614.09	11361.88	57401.97

* दूसरे भी शामिल हैं।

स्रोत:- वार्षिक रिर्पोट 1996-97 ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की

अनुबंध **5.XIII**
संदर्भ पैरा **5.100**

1996-97 के दौरान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा स्वीकृत किए गये और संवितरित किए गये

क्र० सं राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की लागत	राष्ट्रीय अनु० विकास निगम	संवितरित	राशि	हिताधिकारी अनु०जाति	अनु०जन	जोड
आंध्र प्रदेश	1264.50	864.45	657.07	0.00	1830	125	1955
अरूणाचल प्रदेश	38.84	28.61	30.85	26.94	0	15	15
असम	152.93	129.98	0.00	0.00	0	75	75
बिहार	686.44	531.11	497.40	0.00	200	485	685
चंडीगढ	19.00	13.20	31.08	3.96	10	0	10
दादर और नगर हवेली दमन और द्वीप	46.25	39.25	47.10	29.83	10	15	25
दिल्ली	195.36	131.85	46.69	0.00	88	0	88
गोवा	32.86	27.70	19.02	17.50	13	0	13
गुजरात	557.86	378.55	566.00	126.83	155	60	215
हरियाणा	311.40	224.30	220.25	0.00	140	0	140
हिमाचल प्रदेश	173.36	123.37	119.10	85.35	45	16	61
जम्मू और कश्मीर	227.00	179.00	135.00	6.61	40	10	50
कर्नाटक	1456.60	969.97	455.45	365.15	441	1010	5051
केरल	261.02	206.35	133.25	41.722	92	54	346
मध्य प्रदेश	1717.95	1332.91	771.40	152.92	240	460	700
महाराष्ट्र	1636.04	1221.95	1298.37	334.70	681	276	957
मणिपुर	147.90	94.69	53.83	0.00	2	49	51

अनुबंध **5.XIII**
जारी

1996-97 के दौरान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा स्वीकृत किए गये और संवितरित किए गये

क्र० सं राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की लागत	राष्ट्रीय अनु० विकास निगम	संवितरित	राशि	हिताधिकारी अनु०जाति	अनु०जन	जोड
मिजोरम	49.03	41.17	23.04	0.00	0	27	27
नागालैंड	83.90	71.17	45.01	66.71	0	44	44
उडीसा	229.70	184.54	0.00	0.00	139	179	318
पांडिचेरी	35.58	24.92	19.90	12.20	34	0	34
पंजाब	842.00	643.75	237.90	0.00	825	0	825
सिक्किम	40.05	33.99	95.99	0.00	16	26	42
तमिलनाडू	1011.83	659.90	345.14	374.65	284	27	312
त्रिपुरा	196.90	166.61	81.95	119.78	149	145	294
उत्तर प्रदेश	2975.40	1979.20	122.00	0.00	10095	0	10095
पश्चिम बंगाल	413.00	344.95	494.94	42.89	203	37	240
जोड	14802.70	10647.44	7147.43	1807.74	19533	3135	22668

स्रोत: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम

अध्याय -VI

भूमि

प्रस्तावना

6-1 समाज में सामाजिक–आर्थिक हैसियत और अधिकारिता निर्धारित करने में भूमि एक महत्वपूर्ण कारक हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि का मालिकाना हक देना ही उन्हें समर्थ बनाने का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका हो सकता है। भूमि का मालिकाना अधिकार ही उन्हें प्रतिष्ठा एवं स्थिरता प्रदान करता है तथा उनकी जीवन शैली, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समता को निर्धारित करता है। भूमि का मालिकाना हक मिलने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग स्वावलम्बी होते हैं और समाज का समृद्ध वर्ग उनसे बेगार एवं सस्ती मजदूरी नहीं करवा पाते। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदाय पर अत्याचार के प्रमुख कारणों में भूमि विवाद भी एक अतयंत महत्वपूर्ण कारण हैं। इस अध्याय में भूमि हदबंदी कानून, भूमि अन्तरण न करने संबंधी विनियम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों में भूमि वितरण करने एवं भूमि से संबंधित रिकार्डों के रख–रखाव की स्थिति के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया हैं।

6.2 हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लगभग 85 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन यापन कृषक के तौर पर या कृषि मजदूर के तौर पर कृषि पर निर्भर होता है। 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग 40% ग्रामीण जनसंख्या कृषि कार्य कर रही है जबकि सिर्फ 25% अनुसूचित जाति के लोग कृषक के तौर पर कृषि कार्य कर रहे है। इसके विपरीत अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लगभग 49% कृषि मजदूर के तौर पर कार्य कर रहा है, जबकि कुल ग्रामीण जनसंख्या का 20% भाग कृषि मजदूर के तौर पर कृषि कार्य कर रहा है। फिर भी अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति यद्यपि इससे बेहतर है क्योंकि उनमें से 55% लोग कृषक हैं और 33% लोग कृषि मजदूर हैं। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अनुसूचित जाति में भूमि–स्वामित्व का प्रतिशत कुल ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा काफी कम है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं भूमि जोत

व्यावसायिक वितरण

6.3 1961 की जनगणना से लेकर 1991 तक की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के मुख्य कामगारों के व्यावसायिक वितरण में बदलती हुई प्रवृत्ति से संबंधित जानकारी नीचे **तालिका 6.1** में दी गई है।

तालिका 6.1

क्रम संख्या	कामगारों की श्रेणी	सामान्य 1961	सामान्य 1971	सामान्य 1981	सामान्य 1991	अ॰ जा॰ 1961	अ॰ जा॰ 1971	अ॰ जा॰ 1981	अ॰ जा॰ 1991	अ॰ ज॰ जा॰ 1961	अ॰ ज॰ जा॰ 1971	अ॰ ज॰ जा॰ 1981	अ॰ ज॰ जा॰ 1991
1.	कृषक	52.78	43.38	41.53	39.74	37.76	27.87	28.17	25.44	68.18	57.56	54.43	54.50
2.	कृषि मजदूर	16.71	26.32	25.16	19.66	34.48	51.74	48.22	49.06	19.71	33.04	32.67	32.69
3.	घरेलू उद्योग	06.38	3.55	3.99	02.56	06.56	03.33	03.31	02.41	02.47	01.03	01.42	01.04
4.	अन्य श्रमिक	24.13	26.75	29.32	38.04	21.20	17.06	20.30	23.08	09.64	08.37	11.84	11.76

स्रोतः- जनगणना रिपोर्ट

6.4 **तालिका-1** से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या, जो अपने जीवन यापन के लिए मुख्यतः कृषि एवं अन्य सहायक कार्यो पर ही निर्भर रहती हैं, कई वर्षो से भूमि पर कब्जा घटता चला जा रहा है। कृषकों, यहां तक कि छोटे किसानों, की स्थिति से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति के लोग धीरे–धीरे अन्य कामगारों के दल में शामिल हो रहें हैं। कृषकों की श्रेणी से लेकर कृषि मजदूर की श्रेणी अथवा कामगारों की अन्य श्रेणी तक अनुसूचित जाति के लोगों की इस प्रतिकूल परिवर्तनशीलता के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : – 1. इन लोगों को इनकी अपनी भूमि से जबरदस्ती बेदखल करना 2. स्वामित्व का अधिकार प्रदान न किया जाना 3. अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि हदबंदी के अंर्तगत सीमांत भूमि एवं अन्य श्रेणी की भूमि के आबंटन की धीमीगति। अधिकांश मामलों में अनुसूचित जाति के लोगों की जोतें सीमांत या लघु आकार की ही होती होती हैं। ऐसी स्थिति में जहां अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर रहते हैं और सामाजिक हैसियत के प्रतीक के तौर पर जिनके पास अन्य

चीजों का अभाव है, वहां भूमि पर उनका कब्जा होने के महत्त्व को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि जोत

6.5 कृषि संबंधी गणना से विभिन्न श्रेणी की जनसंख्या द्वारा भूमि जोत तथा अन्य तरीकों से भूमि का उपयोग करने के बारे में आकंड़ों का पता चलता है। कृषि संबंधी गणना का नवीनतम प्रकाशन वर्ष 1985–86 की गणना से संबंधित है। यद्यपी कृषि संबंधी गणना प्रत्येक 5 वर्षो में की जाती है परंतु 1985–86 के बाद की गई गणना के परिणाम अभी भी उपलब्ध नही हो सके है। जैसा कि वर्ष 1970–71 से 1985–86 तक की कृषि संबंधी गणना से पता चलता है, सामान्य जनसंख्या और अनुसूचित एवं अनु॰जन.जाति की जनसंख्या के बीच स्वकर्षित भूमि जोत का एक तुलनात्मक विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है।

तालिका- 6.2

सभी आकार की श्रेणियों के संबंध में जोतों की संख्या

(दस लाख में)

कृषि संबंधी गणना का वर्ष	सभी समाजिक		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	संख्या	प्रतिशत वृद्वि	संख्या	सभी समूहों का प्रतिशत	संख्या	सभी समूहो का प्रतिशत
1970–71	71	---	अनु॰जाति/अनु॰ ज॰जा॰ के लिए अलग से कृषि			
1976–77	81.6	14.9	संबंधी गणना पहली बार सिर्फ वर्ष 1980–81में की गई			
1980–81	88.9	8.9	10.05	11.3	6.85	7.7
1985–86	97.2	9.3	12.04	12.4	7.65	7.9

स्रोतः– वर्ष 1985–86 की कृषि संबंधी गणना की रिपोर्ट

6.6 उपर्युक्त तालिका, सभी आकार की जोतों की श्रेणियों एवं सामाजिक समूहों में विभिन्न गणना अवधि के दौरान स्वकृषित जोतों की संख्या में अनियमित वृद्धि को दर्शाती है, हालांकि वर्ष 1985–86 में अनु॰ जा॰ एवं अनु॰ज॰जा की भुमि जोत की प्रतिशत वृद्धि वर्ष 1980–81 की गणना की अपेक्षा थोडी सुधरी है सभी आकार की जोतों की श्रेणियों एवं सभी सामाजिक समूह में स्वकृर्षित जोत की कुल संख्या में वर्ष 1970–71 से लेकर वर्ष 1976–77 तक 7 करोड़ 10 लाख से 8 करोड़ 16 लाख तक की वृद्धि हुई और इस प्रकार से इसमें कुल 14.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई वर्ष 1976–77 से लेकर वर्ष 1980–81 तक जोत की कुल संख्या में 8.9 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वर्ष 1980–81 में जोत की

कुल संख्या 8 करोड़ 89 लाख हो गई। जिसमें वर्ष 1985–86 में 9 करोड़ 72 लाख की और वृद्धि हुई और इस प्रकार से इसमें कुल 9.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अनु॰ जाति की जोत जो वर्ष 1980–81 में 1 करोड़ 5 लाख थी और जिसकी कुल जोत में 11.3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी यह भी वर्ष 1985–86 में 1 करोड़ 2.04 लाख (12.4 प्रतिशत) हो गई। अनुसूचित जनजाति की जोत हिस्सेदारी जो वर्ष 1980–81 में 6 करोड़ 85 लाख (7.7 प्रतिशत) थी वर्ष 1985–86 में बढ़कर 7 करोड़ 65 लाख (7.9 प्रतिशत) हो गई।

6.7 **तालिका 6.3**, वर्ष 1980–81 एवं 1985–86 की कृषि संबंधी गणना के अनुसार अनु॰ जा॰ एवं अनु॰ ज॰ जा और गैर अनु॰ जा॰ जाति की जोतों के मुख्य आकार की श्रेणियों के स्वकर्षित जोत के प्रतिशत वितरण को दर्शाती है।

तालिका-6.3

जोतों के मुख्य आकार की श्रेणियों में स्वकृषित जोत का प्रतिशत वितरण

क्रम0 सं0	जोतों के मुख्य आकार की श्रेणियां	अ॰ जा॰		अ॰ ज॰ जा॰		गैर अ॰ जा/अ॰ ज॰ जा	
		1980-81	1985-86	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86
1.	सीमांत	68.9	70.7	39.8	41.3	56.2	57.5
2.	लघु	16.3	16.0	22.6	23.5	11.9	18.3
3.	अर्ध मध्यम	9.5	8.8	20.5	20.2	14.0	13.7
4.	मध्यम	4.4	3.8	13.7	12.2	9.3	8.4
5.	बड़े	0.9	0.7	3.4	2.8	2.6	2.1

स्रोतः वर्ष 1985-86 की कृषि संबंधी गणना रिपोर्ट

6.8 यह देखा जा सकता है कि सभी सामाजिक समूह में अर्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार के जोतों की श्रेणियों में भूमि जोत के प्रतिशत में वर्ष 1980–81 से 1985–86 में कमी आयी है। दूसरी ओर सभी सामाजिक समूहों में सीमांत एवं लघु श्रेणी के किसानों की जोत की संख्या में वर्ष 1980–81 से लेकर वर्ष 1985–86 तक वृद्धि हुई। फिर भी **तालिका-3** में दी गई जानकारी को **तालिका-2** की जानकारी से मिलाकर देखने से यह पता चलता कि विभिन्न सामाजिक समूहों में जोत की संख्या में निस्संदेह रूप से वृद्धि हुई परंतु मध्यम एवं बड़े आकार की जोतों की श्रेणियों वाले अधिकांश लोगों के पास अपनी भूमि नहीं रही।

सबसे ज्यादा प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, क्योंकि वर्ष 1980–81 से लेकर वर्ष 1985–86 तक अनु॰ जा॰ एवं गैर अ॰जा॰/ अ॰ज॰जा॰ की अपेक्षा अ॰ज॰जा॰ में मध्यम एवं बड़े आकार की श्रेणियों की जोतों के प्रतिशत में कमी हुई है। **जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, वर्ष 1990-91 में कृषि संबंधी गणना का परिणाम अभी तक उपलब्ध नही हो पाया है। अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ की भूमि जोत के बारे में एन0 एस0एस0ओ0 द्वारा एक संर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणाम, सर्वेक्षण कराऐ जाने के 7-8 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक उपलब्ध नही है। संबंधित मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि किसी भी समय कराए गये सर्वेक्षण/गणना के परिणाम कम से कम समयावधि में प्रकाशित कार दिया जाए, जिससे अध्ययन से उपलब्ध आंकडों का योजना में बेहतर ढ़ग से उपयोग किया जा सके।**

भूमि जोतें एवं कृषित (उपयोग में लाया गया) क्षेत्र

6.9 **तालिका 6.4** में वर्ष 1980–81 तथा 1985–86 की कृषि संबंधी गणना के अनुसार अनु॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा तथा गैर अ॰जा॰ एवं अ॰ज॰जा॰ की स्वकृषित जोतों की संख्या और उसके द्वारा कृर्षित क्षेत्र एवं इन समूहों के जोतों के औसत आकार के बारे में जानकारी दी गई हैः–

तालिका-6.4

वर्ष 1980-81 एवं 1985-86 में भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा स्वकृर्षित जोत की संख्या एवं क्षेत्रफल

सामाजिक समूह	**जोत की संख्या (लाख में)**		**कृषित क्षेत्रफल लाख हेक्टे0 में)**		**औसत भूमि जोत (हेक्टेयर में)**	
	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86	1980-81	1985-86
अनु॰जा॰	100.52 (11.3)	120.41 (12.4)	115.22 (7.0)	126.39 (7.7)	1.15	1.05
अनु॰ज॰जा॰	68.54 (7.7)	76.48 (7.9)	167.04 (10.2)	172.34 (10.5)	2.44	2.25
अन्य	719.77 (81.00)	774.66 (79.7)	1355.71 (82.8)	1346.89 (81.8)	1.88	1.74
सभी सामाजिक समूह	888.83 (100.00)	971.55 (100.00)	1637.97 (100.00)	1645.62 (100.00)	1.84	1.69

स्रोत :– वर्ष 1985–86 की कृषि संबंधी गणना रिपोर्ट

टिप्पणी :-(1) कोष्ठकों में दिए गये आंकड़ों से सामाजिक समूहों के प्रतिशत का पता चलता है।

6.10 उपर्युक्त **तालिका 6.4** में यह देखा गया है कि विभन्न सामाजिक समूहों द्वारा कृषित क्षेत्र में सामान्यतः 1980–81 से लेकर 1985–86 तक वृद्धि हुई है, सिवाय इसके कि गैर अनु॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ द्वारा कृषित क्षेत्र में आंशिक रूप से कमी आई है। हालांकि जोतों की संख्या और क्षेत्र एवं कृषित क्षेत्र में 1980–81 से लेकर 1985–86 तक वृद्धि हुई तथापि 1980–81 से 1985–86 तक सभी सामाजिक समूहो की भूमि जोतों की औसत कम हुई। 1980–81 में कुल जोतों का 11.3 प्रतिशत, 1985–86 में 12.4 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति से संबंधित है, लेकिन अनुसूचित जातियों द्वारा कृषित कुल क्षेत्र का प्रतिशत 1980–81 में सिर्फ 7 प्रतिशत और 1985–86 में 7.7 प्रतिशत है, जबकि देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15 प्रतिशत हैं। 1980–81 से लेकर 1985–86 तक जोतों के मुख्य आकार की श्रेणियों के अनुसार अ॰ जा; अ॰ज॰जा एवं गैर अ॰जा॰ गणना तथा सभी सामाजिक समूहों द्वारा जोत के औसत आकार के बारे में जानकारी तालिका 6.5 में दी गई है:

तालिका - 6.5

जोतों का औसत आकार

(हेक्टेयर में क्षेत्रफल)

जोतो के मुख्य आकार की श्रेणी	अ॰ जा॰ 1980–81	अ॰ जा॰ 1985 86	अ॰ज॰जा॰ 1980–81	अ॰ज॰जा॰ 1985–86	गैर अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ 1980 81	गैर अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ 1985–86	सभी सामाजिक समूह 1980–81	सभी सामाजिक समूह 1985–86
सीमांत	0.36	0.37	0.48	0.48	0.39	0.39	0.39	0.39
लघु	1.41	1.41	1.43	1.43	1.45	1.44	1.44	1.43
अर्ध मध्यम	2.71	2.70	2.74	2.73	2.79	2.43	2.78	2.77
मध्यम	5.84	5.78	5.98	5.95	6.03	5.97	6.04	5.96
बड़े	16.44	16.24	15.88	15.87	15.65	17.43	17.41	17.21
जोतों के सभी आकार की श्रेणियां	1.15	1.05	2.44	2.25	1.88	1.74	1.84	1.69

स्रोत :- वर्ष 1985–86 की कृषि संबंधी गणना रिपोर्ट

6.11 अनुसूचित जाति के जोतो का औसत आकार वर्ष 1980–81 में 1.15 हेक्टेयर से वर्ष 1985–86 तक 1.05 हेक्टेयर रह गया। अ॰ज॰ जाति के मामले में जोतो के औसत आकार में वर्ष 1980–81 से लेकर वर्ष 1985–86 तक 2.44 हेक्टेयर से 2.25 हेक्टेयर की कमी आई। उपयुक्त तालीका में यह भी देख गया कि अनुसूचित जनजाति की जोतो का औसत आकार वर्ष 1980–81 एवं 1985–86 के दौरान अनु॰ जाति की जोतों के औसत

आकार के दोगुनें से भी अधिक था। जोतों का यह आकार गैर अ.जा./ अ.ज.जा. समुदाय के लोगों की जोतों के औसत आकार से भी अधिक था, जो क्रमशः 1980-81 एवं 1985-86 के दौरान 1.88 एवं 1.74 हेक्टेयर था।

6.12 वर्ष 1985-86 में जोतों के मुख्य आकार की श्रेणियों के संबंध अनु.जा. एवं अ.ज.जा के लोगों की अलग से स्वकृषित जोत की संख्या का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण क्रमशः **अनुबंध-6.1** एवं **6.11** में दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 1985-86 में जोतों की मुख्य आकार की श्रेणियों के संबंध में अ.जा. एवं अ.ज.जा के लोगों की अलग से स्वकृषित जोतों के क्षेत्र को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण क्रमशः **अनुबंध 6.111** एवं **6.1V** में दिया गया है। निम्नलिखित **तालिका-6.6**, से प्रत्येक राज्य में जोतों के प्रत्येक मुख्य आकार की श्रेणियों के संबंध में, अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए वितरित प्रतिशत के अनुसार राज्यों के क्रम निर्धारण का पता चलता है।

तालिका - 6.6

वर्ष 1985-86 की कृषि संबंध गणना के अनुसार जोतों के मुख्य आकार की श्रेणियों के संबंध में अ.जा. एवं अ.ज.जा. के भूमि धारकों के प्रतिशत के अनुसार राज्यों के क्रम निर्धारण दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	जोतों के प्रत्येक **मुख्य आकार की श्रेणियों** के लिए अनु.जा. **की** धनी आबादी वाल राज्य					जोतों के प्रत्येक मुख्य अकार की श्रेणियों के लिए अ.ज.जा. की धनी आबादी वाले राज्य				
क्रम	बड़े	मध्यम	अर्ध मध्यम	लघु	सीमांत	बड़े	मध्यम	अर्ध मध्यम	लघु	सीमांत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	राज.	सि.	मणि	मणि	सि.	नागा.	नागा.	आ.प्र.	मणि.	केरल
	7.1%	17.5%	33.4%	33.3%	100%	29.0%	33.9%	30.9%	35.7%	74.4%
II	गुज.	गुज.	गुज.	ज. क.	केरल	सिक.	आ.प.	मेघा.	महा.	प. ब.
	2.0%	13.8%	24.3%	30.9%	98.7%	7.6%	28.4%	27.1%	30.2%	71.7%
III	म. प्र.	म. प्र.	पंजाब	कर्ना.	बि.	अ.प्र.	म्र.प्र.	महा.	मेध.	हि.प्र.
	1.2%	10.3%	22.0%	30.0%	91.2%	6.2%	18.4%	26.5%	30.0%	60.6%
IV	कर्ना.	हरि.	राज.	महा.	त्रिपुरा	म.प्र.	महा.	हिमा.	असम	त्रिपुरा
	1.2%	10.25%	20.7%	27.3%	87.4%	4.7%	16.5%	25.0%	29.8%	56.7%
V	महा.	महा.	हरि.	गुज.	उ.प्र.	राज.	गुज.	म.प्र.	कर्ना.	उ.प्र.
	1.0%	9.4%	20.5%	27.0%	83.4%	3.1%	15.45%	23.4%	287%	54.8%
VI	आ.प्र.	पंजाब	महा.	हरि.	त.ना.	महा.	सि.	सि.	त्रि.	बिहार
	0.3%	8.0%	20.2%	25.6%	81.6%	2.8%	15.38%	23.1%	28.3%	54.6%

स्रोत :- वर्ष 1985-86 की कृषि संबंधी गणना रिपोर्ट

6.13 **तालिका 6.6,** जो अनुबंध I एवं II में दिए गए विवरण का सार है, से यह पता चलता है के अनुसूचित जाति के लोगों के पास सीमांत आकार की सबसे अधिक जोते है। सिक्किम में, अनुसूचित जाति के लगभग, सभी भूमि धारकों के पास सीमांत श्रेणी की जोतें हैं, जबकि केरल में (98.7 प्रतिशत) अनु.जा., बिहार में (91.2 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, त्रिपुरा में (87.4 प्रतिशत) अनु.जा., उ.प्र. में (83.5 प्रतिशत) अ.जा. और तमिलनाडु में (81.6 प्रतिशत) अनु.जा. समुदाय के लोगों के पास सीमांत आकार की श्रेणी की जोतें हैं। इसी प्रकार अ.ज.जा. के लोगों के पास भी काफी अधिक सीमांत आकार की श्रेणी की जोतें हैं। जोतों की इस प्रकार की श्रेणी में अ.जन. जाति के पास सबसे अधिक केरल में (74.4 प्रतिशत) जोतें हैं। इसके बाद प. बंगाल (71.7), हिमाचल प्रदेश (60.6 प्रतिशत) त्रिपुरा (56.7 प्रतिशत) उ.प्र. (54.8 प्रतिशत) और बिहार (54.6 प्रतिशत) इस श्रेणी के अन्तर्गत आते है।

6.14 बड़े आकार की जोतों को देखने पर पता चलता है कि अनु.ज.जा. के लोगों की स्थिति बेहतर है। नागालैंड में अ.ज.जा. के लोगों के पास 29 प्रतिशत बड़े आकार की जोतें हैं जबकि राजस्थान में 7.1 प्रतिशत अ.जा. के लोगों के पास बड़े आकार की जोतें है। बड़े आकार की जोत वाले ऐसे अन्य राज्य, जिसमें अ.ज.जा. की आबादी अपेक्षाकृत कम हैं वे इस प्रकार है:– सिक्किम (7.6 प्रतिशत) अरूणाचल प्रदेश (6.2 प्रतिशत) मध्य प्रदेश (4.7 प्रतिशत) राजस्थान (3.1 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (2.8 प्रतिशत) अनु.जाति में बड़े आकार के जोतों के मामले में स्थिति बेहतर नहीं है। आंध्र प्रदेश में सिर्फ 0.3 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 1 प्रतिशत, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश प्रत्येक में 1.2 प्रतिशत, गुजरात में 2 प्रतिशत और राजस्थान में 7.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों के पास बड़े आकार की श्रेणियों की जोतें है।

6.15 वर्ष 1985–86 की कृषि संबंधी गणना (नवीनतम उपलब्ध) द्वारा जैसा कि पता चलता है, विभिन्न सामाजिक समूहों एवं जोतों के मुख्य आकार की श्रेणियों में स्वकृषित जोतों से संबंधित **तालिका 6.2 एवं 6.6** में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बातों का पता चलता है।:–

(1) देश में 9 करोड़ 72 लाख स्वकृषित जोतों में अनु.जा. की हिस्सेदारी 12.4 प्रतिशत थी और अनु.ज.जा की हिस्सेदारी 7.9 प्रतिशत थी।

(2) जहां तक जोतों की संख्या का संबंध है प्रत्येक सामाजिक समूह में सीमांत जोतों का अनुपात अधिक था। अनुसूचित जाति में यह अनुपात 70.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति में 41.3 प्रतिशत और अन्य में 57.5 प्रतिशत था।

(3) संख्या और जोतों के आकार के अनुसार अनुसूचित जातियों की तुलना में अनुसूचित जनजाति की स्थिति बेहतर थी। कुल जोतों में लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार की जोतों की संख्या अनुसूचित जाति की तुलना में अनुसूचित जनजाति से काफी अधिक थी। 1985–86 के दौरान अनुसूचित जाति के पास 0.7 प्रतिशत बड़ी जोतों की संख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति के पास बड़ी जोतों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग 2.8 प्रतिशत था।

(4) विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा कृषित क्षेत्र के अनुसार कुल कृषित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के पास सबसे कम (7.7 प्रतिशत) कृषित क्षेत्र था, जबकि अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास (10.5 प्रतिशत) और अन्य समुदाय के लोगों के पास 81.8 प्रतिशत कृषित क्षेत्र था।

(5) 1985–86 के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों की जोतों का औसत आकार 1. 05 हेक्टेयर था, जो अनुसूचित जनजाति (2.25 हेक्टेयर) और अन्य (1.69 हेक्टेयर) की अपेक्षा काफी कम था।

6.16 वर्ष 1985–86 की कृषि संबंधी गणना के पश्चात प्रामाणिक आंकड़े न मिल पाने के कारण आयोग, भूमि जोतों के संबंध में वर्तमान स्थिति पर किसी प्रकार की समीक्षा करने में लाचार है। कृषि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि किसी भी समय कराए गए सर्वेक्षण/गणना के परिणाम सही समय में प्रकाशित कर दिए जाएं, जिससे परिणामों पर समय से अमल किया जा सके।

भूमि सुधार

6.17 राष्ट्रीय भूमि सुधर नीति तैयार करने का मुख्य आशय ग्रामीण समाज के अर्थिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करना था, जिससे विभिन्न सामाजिक समूहों में भूमि वितरण के किसी प्रकार के असंतुलन को समाप्त किया जा सके। यद्यपि भूमि सुधर नीति के मुख्य उद्देश्यों जैसे कि मध्यस्थ भू. धारण को समाप्त करना, काश्तकारी सुधार, कृषि जोत के स्वामित्व पर हदबंदी, चकबंदी, भूमि रिकार्डो के संकलन और उन्हें अद्यतन रखना, भूमिहीनों को हदबंदी से अधिक और अन्य किस्म की भूमि के वितरण इत्यादि के बारे में छठी योजना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक समय

अनुसूची बनाई गई, विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

6.18 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) के दौरान अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण पर कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में (अगस्त 1990) यह अवलोकन किया कि हालांकि मध्यंस्थता की नीति को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी अन्य पहलुओं से संबंधित नियमों को लागू करने में समय लगा और इसे परिणम स्वरूप मूल उद्देश्य की प्राप्ति में अत्यधिक निराशा ही सामने आई" इसके अलावा कार्यदल ने यह भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल जैसे एक या दो राज्यों को छोड़कर काश्तकारी कानून से जैसे कि अपेक्षा की गई थी, काश्तकारों को किसी प्रकार की सुरक्षा नही मिली, क्योंकि वहां अधिकांश क्षेत्रों में खेती के रिकार्ड रखने का उपयुक्त चलन ही नही था। यहां तककि जहां ऐसा किया भी गया वहां भू–स्वामियों ने निजी खेती के बहाने काफी हद तक काश्तकारों से पीछा छुड़ाने के लिए कानून को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।

6.19 हदबंदी कानून के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यदल का यह विचार था कि कृषि संबंधी भूमि हदबंदी के कानूनों को लागू करने में सफलता नही मिली। इस पर जहां लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर अधिक भूमि का अनुमान लगाया गया था वहां सिर्फ 70 लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित किया गया। इस प्रकार लगभग 40 लाख लाभर्थियों को 4 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई।

6.20 वर्ष 1996–97 की ग्रामींण एवं रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कृषि जोतों के हदबंदी कानूनों के लागू होने के समय से ही अधिवेष रूप में घोषित की जाने वाली भूमि की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रही है। पूरे देश में 30.9.96 तक अधिशेष घोषित कुल भूमि 74.94 लाख एकड़ थी। इसमें से 64.84 लाख भूमि पर कब्जा ले लिया गया और 52.13 लाख एकड़ भूमि 51.21 लाख लाभभोगियों को वितरित की गई है लगभग 36 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं और लगभग 14 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों से संबंधित है। अधिशेष भूमि अधिकृत भूमि तथा वितरित की गई भूमि का राज्यवार ब्यौरा (30.9.96 तक एकत्रित आंकड़) अनुबंध 6–में दिया गया है।

6.21 निम्नलिखित तालिका में सितम्बर, 1996 तक हदबंदी नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में भूमि सुधरों में हुई प्रगति की व्यापक जानकारी दी गई है।

तालिका 6.7

30.9.96 को अधिशेष घोषित की गई भूमि, कब्जा की गई भूमि तथा अनु॰ जातियों/अनु॰ जनजातियों के तथा अन्य लाभभोगियों में वितरित भूमि की प्रगति को दिखाने वाला विवरण

अधिशेष घोषित क्षेत्र	74.94 लाख एकड़
अधिकृत (कब्जा की गई) भूमि	64.84 लाख एकड़
निम्नलिखित श्रेणियों को वितरित क्षेत्र	
अनु॰ जाति	18.08 लाख एकड़
अनु॰ जनजाति	7.31 लाख एकड़
अन्य (गैर अनु॰ जाति/अनु॰जनजाति	26.74 लाख एकड़
कुल	52.13 लाख एकड़
निम्नलिखित श्रेणियों के लाभभोगियों की संख्या	
अनु॰जाति	18.49 लाख
अनु॰जन॰जाति	7.19 लाख
अन्य (गैर अनु॰जाति/अनु॰जनजाति)	25.53 लाख
कुल	51.21 लाख

स्रोत : - वार्षिक रिपोर्ट 1996–97 ग्रमीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय।

6.22 इस आयोग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हदबंदी नियमों के संबंध में राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है : –

आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश कृषि जोत हदबंदी अधिनियम 1961 में लागू किया गया । चूंकि इसके कार्यान्वयन की गति काफी धीमी थी, इसलिए इसके स्थान पर एक संशोधित अधिनियम आंध्र प्रदेश भूमि सुधार, कृषिजोतों की हदबंदी अधिनियम, 1973 रखा गया। इसे संविधान की नवीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि एक परिवार जिसके 5 से अधिक सदस्य नहीं है मानक जोत भूमि का हकदार है। यदि संख्या 5 से अधिक है तो प्रत्येक सदस्य मानक जोत के 1/5 भाग का हकदार है। यह अधिनियम 11.1.1975 को लागू किया गया।

बिहार राज्य में, भूमि की हदबंदी बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र का निर्धारण तथा अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की गई है। प्रति परिवार भूमि पर निर्धारित की जाने वाली हदबंदी निम्न प्रकार है:—

(क) 15 एकड़ भूमि, जो प्रवाहित सिंचाई (फ्लो इरिगेशन)/ट्यूबवैल से सिंचाई डाल सिंचाई (लिफ्ट इरिगेशन) से सिंचित की जाती है, अथवा सिंचित की जा सकती है, जिसका नियंत्रण केन्द्र अथवा सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) निजी डाल (लिफ्ट) सिंचाई अथवा निजी तौर पर ट्यूबवैल से सिंचाई करके सिंचित 18 एकड़ भूमि, जिसके लिए एक से अधिक मौसम हेतु जल उपलब्ध हो सकता है।

(ग) 25 एकड़ सिंचित भूमि अथवा हाथ से सिंचित भूमि, जिसके लिए एक से ज्यादा मौसमों के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है।

(घ) ऊपर उल्लिखित भूमि से इतर 30 एकड़ भूमि

(ङ.) 37 एकड़ पहाडी, रेतीली वन भूमि, जो कि जलमग्न है अथवा किसी अन्य प्रकार की भूमि जिस पर अधिकतर धान, रबी अथवा नकदी फसलों की खेती होती है।

(च) 45 एकड़ भूमि, जो बारह मास जलमग्न रहती है अथवा अन्य प्रकार की भूमि, जिस प्रकार धान, रबी अथवा नकदी इनमें से किसी भी फसल की खेती नहीं की जाती।

गुजरात प्रत्येक परिवार के लिए जोत भूमि की हदबंदी गुजरात कृषि भूमि हदबंदी अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

केरल केरल भूमि सुधार नियम के अनुसार कोई भी परिवार 20 एकड़ से अधिक भूमि अपने पास नही रख सकता है। इस सिद्धांत का सिंचाई सुविधाओं अथवा भुमि आदि के प्रकार को ध्यान में रखते हुए पालन किया जाता है।

त्रिपुरा त्रिपुरा भू राजस्व तथा भू सुधार अधिनियम, 1960 संसद द्वारा 1960 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में कृषि भूमि पर हदबंदी लागू करने हेतु उपबंध भी शामिल है। हदबंदी नियम 24.1.171 से पूर्वव्याप्ति सहित 1974 में राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी होने के फलस्वरूप संशोधित किया गया । 1960 के अधिनियम में संशोधन पूर्व की उच्चतम सीमा 5 सदस्यों के परिवार के लिए 25 मानक एकड़ थी। विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित संशोधित उच्चतम सीमा नीचे दी गई है।

(क) वयस्क अविवाहित व्यक्ति के लिए, 2 मानक हैक्टेयर।

(ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो अपने परिवार में अकेला जीवित बचा है, 2 मानक हेक्टेयर।

(ग) उस व्यक्ति के मामले में जिसका परिवार दो से अधिक किन्तु अधिकतम 5 सदस्यों का हैं, 4 मानक हेक्टेयर,

(घ) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसका 5 सदस्यों से अधिक का परिवार है, 4 मानक हेक्टेयर एवं 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रत्येक सदस्य के लिए 0.06 मानक हेक्टेयर, किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए कुल उच्चतम सीमा किसी भी स्थिति में 7.20 मानक हेक्टेयर से अधिक न हो।

दादर एवं नगर हवेली दादर एवं नगर हवेली भूमि सुधार विनियम के अनुसार (i) दो अथवा अधिक फसलों की खेती के लिए सक्षम भूमि के मामले में 7.5 हेक्टेयर भूमि विनियमित की जाएगी अथवा (ii) एक फसल उगाने की सक्षम भूमि के मामले में 11 हेक्टेयर भूमि तथा (iii) अन्य भूमि के मामले में 16 हेक्टेयर। उक्त विनियम के कार्यान्वयन पर, कुल 2941 हेक्टेयर, 90 एकड़ अधिशेष भूमि भूमिहीन मजदूरों को आबंटित की गई।

दमन एवं दीव दमन एवं दीव में भूमि की कोई हदबंदी नहीं है।

दिल्ली दिल्ली जोत भूमि (हदबंदी) संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा–3 के उपबंध के अंतर्गत कोई व्यक्ति स्वंय अथवा यदि उसका परिवार है, तो अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ, चाहे भूमिदार अथवा आसामी अथवा अन्य पार्टी के रूप में, निम्नलिखित से अधिक भूमि रखने का हकदार नहीं है।

(क) (i) 7.25 हेक्टेयर, उस भूमि के मामले जिस पर सिंचाई की जाती है और जिस पर एक वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाई जा सकती हैं।

(ii) 5.8 हेक्टेयर ऐसी भूमि की स्थिति में जिस पर सरकारी सिंचाई स्रोत से सिंचाई की जाती है और जिस पर वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाई जा सकती हैं।

(ख) (i) 10.9 हेक्टेयर, ऐसी भूमि की स्थिति में जिस पर निजी सिंचाई स्रोत से सिंचाई की जाती है और जिस पर वर्ष में कम से कम एक फसल उगाई जा सकती है।

(ii) 8,7 हेक्टेयर, ऐसी भूमि की स्थिति में जिस पर सरकारी सिंचाई स्रोत से सिंचाई की जाती हैं और जिस पर कम से कम एक फसल उगाई जा सकती है।

(iii) 21.8 हेक्टेयर बागानों सहित अन्य प्रकार की भूमि के मामले में।

पांडिचेरी पांडिचेरी भू सुधार (भूमि का हदबंदी बन्दोबस्त) अधिनियम, 1973 के अनुसार भूमि की हदबंदी निर्धारित की जाती है और इस इस अधिनियम के अनुसार 6 मानक निर्धारित किए गये हैं।

6.23 हदबंदी (उच्चतम सीमा) नियमों के कार्यान्वयन को राज्यों द्वारा पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। ये नियम मुलतः 30-40 वर्ष पहले बनाए गए थे और कुछ मामलों में ये नियम 20-25 वर्ष पहले संशोधित किये गये थे। इन नियमों के कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता है। जनसंख्या के साथ-साथ जोत भूमियों की किस्म और आकार प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। राज्य पृथक रूप से हदबंदी नियम पारित करते है किन्तु इन नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त प्रयास नही किए जा रहे हैं।

6.24 राज्य सरकारों ने अधिशेष घोषित बहुत से क्षेत्रों में अभी तक कब्जा नही लिया है। ऐसे क्षेत्र मुख्यतः विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी में लंबित पड़े हैं। अधिशेष भूमि के वितरण में विलम्ब से न केवल आजीविका के स्रोत की प्रतीक्षा कर रहे गरीब लोगों को परेशानी होती है, अपितु इससे वितरण हेतु पड़ी भूमि की उर्वरता भी कम हो जाती है। **राज्य सरकार को नियम में ही परिवर्तन करके न्यायालयों में मुकदमे में पडी भूमियों को जल्दी छुडाने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए। इसी प्रकार, जो भूमि किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्त है और उनका वितरण किया जाना है तो उन्हें अनु. जति एवं अनु जन जाति तथा अन्य पात्र गरीब परिवारों को वितरित किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपनी आजीविका के लिए भूमि का जल्द से जल्द उपयोग कर सके।**

सरकारी बंजर भूमि तथा भूदान भूमि का विवरण

6.25 जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है (26 नवम्बर,1996 को नई दिल्ली में हुए राज्य राजस्व सचिव सम्मेलन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत सूचना के आधार पर (142.87 लाख एकड़ सरकारी बंजर भूमि 88.48 लाख लाभभोगियों को वितरित की गई । ऐसा शायद पहली बार हुआ कि राज्य सरकारों ने सरकारी बंजर भूमि वितरण के कार्यक्रम के अंतर्गत लाभभोगियों की संख्या बताई। तथापि, राज्यों द्वारा बताई गई नवम्बर, 1995 तक वितरित भूमि की मात्रा 127.97 लाख एकड़ थी, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि नवम्बर 1995 से नवम्बर 1996 के दौरान 14. 90 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई। सभी लाभभोगियों को सरकारी बंजर भूमि के वितरण की राज्य वार स्थिति **अनुबंध 6. VI** में दी गई है। **तथापि, अनु॰ जातियों और अनु जनजातियों के मध्य बंजर भूमि तथा भूदान की भूमि वितरित करने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नही है। भविष्य में इसे शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि इस संबंध में हुई प्रगति का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन करने में आयोग और अन्य एजेंसियां समर्थ हो सकें।**

6.26 सरकार की किसी भी स्कीम के अंतर्गत भूमि आबंटन महिला आबंटी के नाम से अथवा आबंटी तथा उसके पति/पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, जहां भूमि पहले से ही आबंटित कर दी गई हैं किन्तु पट्टा अथवा स्वामित्व अधिकार अभी जारी किया जाना है तो वह पत्नी तथा पति के संयुक्त नाम से किया जाना चाहिए, केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां पति और पत्नी में से एक ही जीवित है।

काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना

6.27 ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना तथा काश्तकारों/बटाई पर काम करने वाले श्रमिकों को मालिक की इच्छानुसार भूमि छोड़ने के अधिकारों से सुरक्षा प्रदान करने पर राज्यों द्वारा पर्याप्त ध्यान नही दिया जा रहा है, ताकि भूमि के स्वामी इन श्रमिकों को जब चाहे निकाल न पाएं। राज्य ऐसे कई काश्तकारों के संबंध में निर्दिष्ट/सही–सही तथा पृथक आकंड़े भी नही दे रहे हैं, जिन्हें जोत पर दी जाने वाली भूमि पर स्वामित्व अधिकार दिए गए हैं और किसी की इच्छानुसार भूमि छोड़ने से रोकने के लिए काश्तकारों का केवल रिकार्ड रखा गया है। जो सूचना प्रस्तुत की गई है, उससे भी अनु॰ जाति/अनु जनजाति के कारश्तकारों के बारे में पृथक रूप से कोई डाटा उपलब्ध नही है। **चूकि अनु॰जाति/अनु॰जनजाति के लाभभोगियों को लाभ पहुंचाना लक्ष्य है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय को अपनी अनुवीक्षण प्रणाली को संशोधित करना होगा जिससे राज्य सरकार तथा**

अन्य एजेंसियों से एकत्रित सूचना में अनु. जाति/अनु. जनजाति के लाभभोगियों के बारे में विशिष्ट सूचना भी शामिल की जा सके।

भूमि रिकार्डो के कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम

6.28 1988–89 में, भूमि संबंधी अध्ययनों की उप स्कीम के रूप में भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की गई तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरे देश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 24 जिलों को शामिल करने के लिए 4.83 करोड़ रूपयें की राशि मंजूर की गई।

6.29 आठवीं योजना अवधि के दौरान केवल कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के लिए 48.50 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई। उक्त राशि में से 1995–96 के अंत तक 223 परियोजनाओं को वित्त संबंधी सहायता देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 39.26 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 1996–97 में भूमि रिकार्डो के कम्प्यूटरीकरण पर कुल आबंटन 20.00 करोड़ रूपये रखा गया है जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण रूप से मंजूर कर दिया गया जिसमें अतिरिक्त 100 प्रोजेक्ट जिले शामिल किए जाएगे और इसके अलावा चल रही परियोजनाओं को दूसरी/तीसरी/चौथी/अंतिम किस्त भी दी जाएगी। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की 1996–97 की रिपोर्ट में पाया गया है कि पत्र व्यवहार, क्षेत्र के दौरे तथा भूमि रिकार्डो के कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम को तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के संबंध में हुए राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के बावजूद राज्यों द्वारा बताई गई वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति पूर्णतः संतोषजनक नही है। भूमि रिकार्डो के कम्प्यूटरीकरण पर बनाई गई राष्ट्रीय संचालन समीति ने 27 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में हुई अपनी पिछली बैठक में इस पर ध्यान दिया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे कार्यक्रमों की कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए उपयुक्त एवं सुधारात्मक उपाय करें। गरीब काश्तकारों के हित में, जिनमें से अधिकांश अनु. जति/अनु. जनजाति से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में अद्यतन भूमि रिकार्ड रखने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं।

राजस्व व्यवस्था सुदृढ़ बनाने तथा भूमि रिकार्डो को अद्यतन बनाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (एस आर ए तथा यू एस आर)

6.30 सबसे पहले यह स्कीम बिहार और उडीसा राज्यों के लिए 1987–88 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी। वर्ष 1989–90 में इस स्कीम को अन्य राज्यों के लिए भी

अनुमोदित किया गया और 1989–90,1990–91, 1991–92 तथा 1992–93 में विभिन्न राज्यों को धनराशि दी गई, सातवी योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत 20.81 करोड़ रूपये की लागत के संबंध में कुल 13.95 करोड़ रूपये का पूंजी परिव्यय मंजूर किया गया । आठवीं योजना में राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भूमि रिकार्डो को अद्यतन करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के लिए 175.00 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया और 1995–96 तक 79.08 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई। वित्त वर्ष 1996–97 के लिए बजट संबंधी आबंटन 18.80 करोड़ रूपये था। हालांकि, केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष के लिए सहायता दे रही हैं किन्तु राज्य इस स्कीम को अधिक गंभीरता से नही ले रहें है। चूंकि भूमि रिकार्डो का उचित रखरखाव अनु॰ जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ही हित में है, जो कम पढ़े लिखे हैं और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव डालें कि वे दोनों स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का इष्टतम उपयोग करें।

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1997 को बुलाया गया राज्य राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन

6.31 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि 26 और 27 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्य राजस्व सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 21 महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई । इनमें भूमि वितरण, काश्तकारी सुधार तथा अन्य भूमि संबंधी मामले शामिल हैं। भूमि रिकार्डो को अद्यतन बनाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम तथा स्कीम, जिन्हें नवीं योजना अवधि में लिया जाना अपेक्षित हैं, के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई। जिन मामलों पर राजस्व सचिवों के सम्मेलन में चर्चा की गई, 28 जनवरी 1997 को नई दिल्ली में हुए राज्य राजस्व मंत्री सम्मेलन में उन्हीं मुद्दों पर आगे चर्चा की गई । ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में सामान्य एवं अनु॰ जातियों/अनु॰ जनजातियों के लिए की गई अत्यधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैः–

(1) अधिकृत तथा पहले से ही राज्य सरकार के पास निहित भूमि, जिस पर बाद में मुकदमा चल रहा हो, अल्पावधि लाइसेंस देकर भूमिहीनों में वितरित की जाए, बशर्ते कि न्यायालय/अंतिम अपील न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसी भूमि/लाइसेंस स्वतः रद्द हो जाए। जिससे कि भूमिहीन ग्रामीण तब तक इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करते रहें, जब तक कि इसके प्रतिकूल न्यायालय का कोई निर्देश न हो। (सिफारिश संख्या–6)।

(2) हदबंदी वाली अधिशेष भूमि, भूदान की भूमि तथा सरकारी बंजर भूमि को आबंटित करते समय अनु॰ जाति/अनु॰ जनजाति के परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुल लाभभोगियोंमें से 40 प्रतिशत केवल महिलाओं को दी जानी चाहिए और शेष ममलों में आबंटन पति और पत्नी दोनों के नाम से होना चाहिए (सिफारिश संख्या–7)।

(3) राज्य कार्य योजनाएं तैयार करेंगे, और जो सरकारी बंजर भूमि वितरित नही की गई हैं, और जिसके वितरण में कोई बाधा नही है तथा जो खेती करने के लिए उपयुक्त है ऐसी भूदान की भूमि को पात्र ग्रामीणों को 30 सितम्बर 97 तक वितरित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त नही है उसे ग्रामीण विकास/क्षेत्र विकास की चल रही स्कीमों का लाभ उठाते हुए विकसित किया जाना चाहिए (सिफारिश संख्या–8)

(4) हस्तांतरित जनजातीय भूमि की वापसी के लिए राज्य सरकारों राजस्व कां राजस्व तंत्र को कारगर बनाकर तथा पंचायती राज संस्थाओं और अन्य गैर सरकारी संगठनों की इस प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाकर ऐसे विशेष अभियान चलाने चाहिएं (सिफारिश संख्या–9)

(5) राज्य सरकारें हस्तांतरित जनजातीय भमि के लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए तहसील/उप–मंडलीय मुख्यालय /खंड़ मुख्यालय में एक विधिक सैल खोलने पर विचार करें। जनजातियों द्वारा ली गई विधिक सहायता के मामले में आई वास्तविक लागत राज्य–सरकारों द्वारा वहन की जानी चाहिए और उसकी अदायगी मौजूदा प्रणालियों के माध्यम से की जाए (सिफारिश संख्या–10)।

(6) जिन राज्यों ने हस्तांतरित जनजातीय भूमि के लिए प्रभावी विधान नहीं बनाए हैं, वे अविलंब ऐसे विधान बनाए और जिन राज्यों ने यं विधान लागू किए हैं वे उनका जोरदार और प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करें (सिफारिश संख्या–11)

(7) जनजातीयों तथा अन्यों द्वारा जोती जा रही वन भूमि तथा 1980 के पहले से निरंतर अधिकृत वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू

करते समय अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद और साथ ही प्रयावरण और वन मंत्रालय द्वारा अपने तारिख 18–9–90 के पत्र संख्या 13–1–1990 एफ पी (1) के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वन अधिकारियों द्वारा पट्टा वितरित करने का कार्य पूरा करने हेतू उपाए किए जाने चाहिएं। (सिफारिश संख्या–12)।

(8) राज्य सरकारें हद बंदी की अधिशेष भूमि, भूदान की भूमि तथा सरकारी बंजर भूमि के निर्धारित समय में अर्थात आगामी तिमाही की 25 तारिख तक वितरण करने पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी (सिफारिश संख्या–13)।

(9) जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने तथा भूमि को वापस दिलाने के कार्य में ग्राम पंचायतों को भी शामिल करना चाहिए। (सिफारिश संख्या–22)।

(10) राज्य सरकारों को, जहां तक संभव हो, कृषि से इतर प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह कृषि संबंधी नीति का मूल उद्देश्य है और किसानों के साथ–साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए मूल आर्थिक नीति है (सिफारिश संख्या–31)।

(11) गांव की सार्वजनिक भूमि का प्रबंध जहां अभी तक नहीं किया गया है, वहा ग्राम पंचायत को सौंपा जाना चाहिए। राज्य सरकारें गांव की सार्वजनिक भूमि को पुनः उपयोग करने का कार्य वाटर शैड एसोसिएशन, जहां भी ये बनी हैं अथवा बनाई जा रही हैं, को सौंपने पर विचार करें। ग्राम पंचायत/ वाटर शैड एसोसिएशनों द्वारा भूमि के विकास और उसे पुनः उपयोग में लाने का कार्य अपने हाथ में लेना जरूरी है। भूमिहीन निर्धन तथा अनु॰ जाति/ अनु॰ जनजाति के सदस्यों सहित गांव के अन्य कमजोर वर्ग भूमि के भोगधिकार में बराबर की हकदारी की व्यवस्था के साथ साथ गांव की सार्वजनिक भूमि के विकास एवं उसे पुनः उपयोग में लाने के कार्य में सक्रिय रूप से शामिल हों। (सिफारिश संख्या–32)

(12) "भूमि सुधार : नवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कार्यसूची" पर 18 और 19 जनवरी, 1997 को एन आई आर ओ, हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की

सिफारिशों की राज्यों द्वारा विधिवत जांच की जायेगी ताकि एस आर ए एवं यू एल आर के अंतर्गत स्कीमें प्रस्ताव तैयार करने और भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण सहित भूमि सुधार पर उनके नवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सके (सिफारिश संख्या–38)।

6.32 आयोग सशक्त रूप से यह सिफारिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय राजस्व मंत्रीयों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करेगा और नियमित आधार पर राज्य सरकारों के साथ स्थिति की समीक्षा करेगा।

भूमि का हस्तांतरण

6.33 जनजातियों के निहित स्वार्थों, साहूकारों और विशेषकर उन लोगों, के कारण जो रोजगार अथवा अन्यथा की वजह से जनजातीयों क्षेत्रों में रह रहे हैं, अपनी भूमि से निरंतर वंचित रहना पडता है। जनजातीय लोगों की भूमि के हस्तांतरण की समस्या की ओर सरकार का विशेष रूप से ध्यान गया है। इस संबंध में नियम बनाए गए हैं और उन नियमों के कार्यान्वयन का विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा अध्ययन किया गया है, और उन नियमों में संशोधन के लिए सुझाव दिए गए हैं। जनजातियों की घनी आबादी वाले राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने जनजातीय भूमि का गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों को हस्तांतरण रोकने तथा हस्तांतरित जनजातीय भूमि को वापस करने के लिए विशेष अधिनियम/विनियम बनाए हैं। ऐसे अधिनियमो/विनियमों की सूची **अनुबंध - 6.VII** में दी गई है। तथापि, ये नियम/विनियम सामान्यतः अनुसूचित तथा जनजातीए क्षेत्रों में रहने वाली जनसुचित जनजातियों पर ही लागू होते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की क्रमशः पांचवी और छठी अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध विशेष उपबंधें द्वारा शासित होता है तथा राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित जनजातीय भूमि को रोकने के लिए पास किए गए विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विशेष प्रावधान रखे गए हैं, फिर भी जिन राज्यों में विधायी एवं कार्यकारी उपाय किये गये हैं, लगभग उन सभी राज्यों में भूमि हस्तांतरण की प्रथा चल रही है। इस परिस्थिति का मुख्य कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू नियम हैं जो सुस्पष्ट नहीं है और उनमें यह कमी होने की वजह से बेइमान स्वार्थी लोग गरीब अनुसूचितजनजाति के लोगों को परेशान और उत्पीड़ित करते हैं। उदाहरण के लिए, उडिसा, बिहार आदि जैसे कुछ राज्यों में नियमों में यह उपलब्ध है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जनजातीय भूमि गैर जनजातीय व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है। जनजातीय भूमे के गैर–जनजातीय व्यक्तियों को हस्तांतरित करने के मुकदमें सिविल न्यायालय की सीमा में

आते हैं। कानूनी प्रक्रियाएं जटिल होती हैं और मामलो को निपटाने में सामान्यतः न्यायालय में बहुत समय लगता है। जब गरीब जनजातीय व्यक्ति पूरी तरह से थक जाता है और उब जाता है तब वह अपनी उस भूमि को छोड़ने को विवश हो जाता है, जो उसका मुख्य सहारा ही नहीं अपितु उस भूमि का उसके लिए बहुत अधिक महत्व होता है। इन कारणों से राज्य उपलब्ध कानूनी उपबंधों के बावजूद जनजातीय भूमि के गैर जनजातीय व्यक्ति को किये गये हस्तांतरण को प्रभावी रूप से रोक पाने में असर्थ होते हैं और राज्य जनजातियों को हस्तांतरित भूमि वापस भी नहीं दिला पाते हैं। यद्यपि इस संबंध में कुछ परिणाम सामने आए हैं, फिर भी सभी राज्यों में इस संबंध में हुई प्रगति कुल मिला कर काफी धीमी है जैसे कि निचे दी गई तालिका 6.8 से स्पष्ट है:—

तालिका-6.8

30.11.96 तक हस्तांतरित भूमि तथा जनजातियों को वापस लौटाई गई भूमि का क्षेत्रफल दर्शाने वाला विवरण

	राज्य/संघ	हस्तांतरित क्षेत्रफल		वापस किया गया क्षेत्रफल		अस्वीकृत क्षेत्रफल		शेष क्षेत्रफल		भूमि का क्षेत्रफल	
क्रम सं.	राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या	हस्तांतरित क्षेत्रफल	मामलों की संख्या	वापस किया गया क्षेत्रफल	मामलें की संख्या	अस्वीकृत क्षेत्रफल	मामलों की संख्या	क्षेत्रफल	मामलों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	आंध्र प्रदेश	65925	277354	26039	105020	26531	129845	13219	42380	23848	96648
2.	असम	2065	4338	1609	1060	17	20	379	3268	एन आर	एन आर
3.	बिहार	85360	104560	44268	43324	31595	49021	11416	12437	42291	45118
4.	गुजरात	38538	118839	32149	102476	4076	3754	2313	9609	36225	109230
5.	हिमाचल प्रदेश	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	कर्नाटक	42582	130373	22040	69465	16687	47159	3731	13460	21834	67862
7.	मध्यप्रदेश	53806	158403	48388	148978	29596	97123	5418	9426	एन आर	एन आर
8.	महाराष्ट्र	45634	एन आर	20906	105632	एन आर	एन आर	757	4994	20029	99486
9.	उड़ीसा	97355	93985	48440	50366	47741	42622	5192	3721	7043	46611
10.	राजस्थान	593	3445	213	363	55	884	325	218	एन आर	एन आर
11.	त्रिपुरा	28440	24639	27729	6074	17176	16418	1648	7429	एन आर	4924
	कुल	460300	915443	271835	632759	173474	389847	44398	106989	151270	469879

स्रोत : ग्रामीण क्षेत्र एवं विकास मंत्रालय को 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट

6.34 जैसा कि दी गई तालिका से पता चलता है कि जनजातीय भूमि का हस्तांतरण और उसे जनजातियो को वापस दिए जाने के मामले की सूचना सभी राज्यों के संबंध में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना अधूरी है। वापस किए गए, अस्वीकृत किए गए तथा शेष मामलों की संख्या/क्षेत्रफल संबंधी आंकड़ों को रजिस्टर्ड हस्तांतरण के मामलों की संख्या /क्षेत्रफल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। किन्तु यें आंकड़े अधिकतर मामलों से मेल नहीं खातें हैं। आंकड़ों

का मिलान करने पर समग्र रूप से ये बदल सकते हैं। तथापि इन 11 राज्यों में रजिस्टर्ड भूमि हस्तांतरण काफी अधिक (37.7 %) मामलों को रद्द करने का पता चलता है। रद्द किए गए मामलों में शामिल क्षेत्रफल भी काफी अधिक अर्थात 42.6 % है।

6.35 केरल राज्य में जनजातीय भूमि हस्तांतरण की स्थिति नीचे बताई गई है जो कि राज्य में जनजातीयों के समक्ष मौजूद बहुत सी समस्याओं की द्योतक है।

केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध तथा हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन) संशोधन बिधेयक, 1996

6.36 जिन अनुसूचित जनजातियों की भूमि हस्तांतरित की गयी है, उनकी समस्या से संबंधित मामला केरल में अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु कार्यकर्मों की समीक्षा के दौरान नवम्बर 1996 में आयोग के समक्ष चर्चा के लिए आया था।
केरल के राजस्व आयुक्त ने बताया कि केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध तथा हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 1975 वास्तव में 1982 से, पूर्व व्याप्ति प्रभाव से 1986 में लागू किया गया। इसी बीच बहुत से व्यक्ति विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई नितियों और कार्यक्रमों के अंतर्गत वायनाड, पलक्काड एवं इडुक्की जिलों में जनजाती भूमि खरीदने अथवा उस पर कब्जा करने के लिए उत्साहित हुए। चूंकि उन लोगों ने इस भूमि पर कब्जा किया तथा उस पर काफी खर्च किया है इसलिए यह संभव नहीं है कि उनसे वह भूमि छोडने को कहा जाए। इसलिए, राज्य सरकार ने केरल अन0 जनजाति (भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध तथा हस्तांतरित भूमि कर प्रत्यावर्तन) अधिनियम 1975 में आवश्यक उपबंध शामिल करके, जनजातीयों को मुआयजा देने के लिए अधिनियम बनाने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने समिक्षा बैठक में यह महसूस किया कि संशोधन शायद अधिनियम के मूल उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सलाह दी है कि राज्य सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करे।

6.37 केरल सरकार के मुख्य सचिव ने दिसम्बर, 1996 मे उत्तर दिया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया था कि :–

(1) केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तांतरण प्रतिबंध तथा हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन)अधिनियम, 1975 में 1.1.1960 के बाद तथा अधिनियम के लागू होने की तारिख से इस अधिनियम में जनजातीय भूमि पर सभी प्रकार के लेन देन को अवैध करने का उपबंध है। यद्यपि अधिनियम 1975 में पास

किया गया था किन्तु नियम 1986 में बनाए गए और अधिनियम 1.1.1982 के पूर्वव्याप्ति प्रभाव से 1.8.86 को लागू किया गया।

(2) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अन्य हस्तांतरित भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित तथा निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को वापस किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को राज्य सरकार से ऋण दिया जाना चाहिए जिसे 20 वार्षिक किस्तों में वापस लिया जाए।

(3) यद्यपि राजस्व प्रभागीय अधिकारियों ने 1986 में जांच शुरू कर दी थी किन्तु उसके निपटान में कई कारणों से विलंब हो गया था। भूमि की वापसी हेतू आवेदन करने के लिए समय 31.12.1995 तक बार–बार बढ़ाया जाता रहा। दर्ज किए गए 8000 आवेदन पत्रों में से 4738 आवेदन पत्रों की 7967 एकड़ भूमि की अनुमति दी गई। तथापि सरकार ने यह पाया कि अब भूमि की वापसी बहुत मुश्किल हो गई है और इससे कानून एवं व्यवस्था की बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भूमि लेन–देन के 50 प्रतिशत से अधिक मामले एक एकड़ से कम के हैं और लगभग 75 % मामलें एक हेक्टेयर से कम के हैं। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। और बहुत सी भूमि तो कई बार कई लोगों द्वारा खरीदी जा चुकी है और इनमें से कुछ क्षेत्रों में कस्बें बन चुके हैं।

(4) समस्या की जटिलता और अधिनियम के मौजूदा उपबंधों का कार्यान्वयन अव्यवहारिक होने के कारण राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संशोधन विधेयक पास किया है। विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राजस्व मंत्री ने जनजातीय संगठनों, विधि वेत्ताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कई बार चर्चा की। संशोधन में हस्तांतरित भूमि के बराबर भूमि देने के उपबंध पर विचार किया गया है। जहां तक संभव हो जनजातीयों को उनके गांव में ही भूमि दी जाए, जिससे कि उनकी आवास की पारम्परिक संकल्पना को बनाए रखा जा सके। नियमों के बनने तथा लागू होने (24-1-1986) की तारिख से पहले किए गए एक हैक्टेयर से कम लेन–देन को ही अवैध किया जाता है। एक हैक्टेयर से अधिक भूमि का लेन देन तब तक अवैध है, जब तक कि गैर जनजातीय व्यक्ति को भूमि की किमत

का भुगतान नहीं करता है। 24.1.1986 के बाद किया गया कोई भी लेन देन अवैध है और ऐसे लेन देन पर कानून के दंड़िक उपबंध लागू होंगे।

(5) संशोधन में, संरचनात्मक आवश्यकताओं जैसे आवास, जल आपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य संबंधि देख भाल आदि उपलब्ध करवाने सहित हस्तांतरण भूमि के समग्र विकास की स्कीम पर विचार किया गया है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि को पहले से ही चुन लिया गया है। चुनी गई भूमि की उपयुक्तता की पुष्टि करने के लिए और स्कीम की कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, जनजातीय नेताओं, जनजातिय संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

(6) मौजूदा ओ. पी में माननीय उच्च न्ययालयों की एकल बैंच द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में, उक्त निर्देशों पर डिविजन बैंच द्वारा रोक लगा दी गई है। और अब पूरा मामला, इस प्रयोजन के लिए गठित माननीय उच्च न्ययालय की पूर्ण बैंच के सामने लंबित है।

6-38 केरल सरकार ने उपरोक्त विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा है। इस संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय होने के कारण, कल्याण मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के अंतर्गत इस विधेयक को ओपचारिक विचार विमर्श के लिए इस आयोग को भेजा है। उपरोक्त विधेयक के उपलबंधें पर आयोग द्वारा विस्तार से विचार किया गया है। यह देखा गया है कि राज्य में बाद की सरकारों ने केरल अनुसूचित जाति (भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध और हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम 1975 को लागू करने के लिए कदम नहीं उठाय हैं और गैर अनुसूचित जनजाति के लोग अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हस्तांतरित भूमि पर कब्जा जमाए हुये हैं। मुल अधिनियम में संसोधन कर के, राज्य सरकार संगत अधिनियम के होते हुए भी अनुसूचित जनजातियों से गैर अनुसूचित जनजातियों द्वारा हस्तांतरित की गई भूमि को विधिक/विनियमित करना चाहती थी। **इस लिए आयोग ने प्रस्तावित संशोधन पर कल्याण मंत्रालय को निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए :–**

(1) **अधिनियम जैसा आज है, इसे 20-01-86 को 01-01-82 से भूतलक्षी प्रभाह सहित अधिसूचित किया गया था। यह भी बहुत बिलम्ब से हुआ क्योंकि मुल अधिनियम 1975 पारित किया गया था और इसे 11-11-75 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई थी।**

(2.) **धारा 5 -क जोड़कर किया जा रहा संशोधन, अनुसूचित जनजाति के लोगों को वापस नहीं की गई भूमि को अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजातियों को दिए गए भूमि के सभी अंतरणों को विधिसम्मत विनियमित कर देगा। वास्तव में इससे मूल अधिनियम का उददेश्य ही निष्प्रभावी हो जायेगा जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों से भूमि के अंतरण पर रोक लगाना है तथा इन वर्गो के लोगों को उनकी भूमि वापस लौटाई जानी थी।**

6-39 **गृह मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और केरल की राज्य सरकार आयोग की सलाह के अनुसार आवश्यक कदम उठाए और आयोग को यथासमय इसके बारे में सूचित करें।**

भूमि हस्तांतरण विनियम

6-40 आयोग में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों में और राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों से गैर जनजातीय लोगों को भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों पर, नीचे चर्चा की जाती है :–

आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 का आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियम अधिनियम 1977 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार गैर जनजातीय लोग, 1959 के बाद, ऐसे क्षेत्रों में भूमि रखने के लिए पात्र हैं। जनजातीय क्षेत्र में भूमि का अंतरण अवैध है और गैर जनजातीय लोगों को बेदखल किया जायेगा। इस संबंध में दण्ड का भी प्रावधान है। समाज कल्याण विभाग ने जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच स्थलों के आबंटन का संशोधन करते हुए, अपने तारिख 15-2-1990 के सामान्य आदेश संख्या 17, समाज कल्याण (ग) विभाग द्वारा निम्न प्रकार से आदेश जारी किए हैं:–

अनुसूचित जातियां	:	50 % प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियां	:	10 %
पिछड़े वर्ग	:	30 %
अन्य निर्धन	:	10 %

बिहार बिहार राज्य में, तीन तीन काश्तकारी विधियां, नामतः छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, संथाल परगना काश्तकारी (प्रतिपूरक उपबंध) अधिनियम,

1949 और बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 लागू हैं। ये अधिनियम, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से गैर कानूनी रूप से ली गई भूमि को उन्हें वापस दिलवाने और गैर कानूनी रूप से भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए बनाए गए हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रभागों के जिलों में लागू है जबकि संथाल परगना काश्तकारी (प्रतिपूरक उपबंध) अधिनियम, 1949 दुमका, साहिब गंज गोड्डा और देवघर जिलों में लागू हैं। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 ऐसे उप जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में लागू है, जो अनुसूचित क्षेत्र के साथ सहविस्तारी (को–टर्मिनस) हैं। जनजातीय भूमि को गैर जनजातीय व्यक्ति को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जनजातीय भूमि पर किसी भी प्रकार के गैर – कानूनी कब्जे को जिला प्राधिकारियों द्वारा जनजातियों को वापस दिलवाया जायेगा। जनजातीय लोगों की भूमि को विभिन्न तरीकों से लिया जा रहा है, जैसे बिक्री द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि लेकर, बंधक द्वारा, पट्टे द्वारा और अन्य तरीकों से। भूमि अर्जन के अतिरिक्त अन्य तरीकों से ली गई भूमि का 80 प्रतिशत गैर जनजातियों के पास गया है। यह पाया गया है कि अनुसूचित जनजातियों को भूमि हस्तांतरण संबंधी सुरक्षात्मक विधियों की जानकारी सामान्यतः नहीं हैं। जहां जानकारी है, वहां भी, वे, जनजातीय वर्गों में व्याप्त निर्धनता और विधि की जटिल प्रक्रिया कानून का आश्रय नहीं ले पाते है।

बिहार राज्य सरकार ने भूमि के हस्तांतरण का पता लगाने और उसे वापस दिलवाने के लिए उपाय किए हैं। प्रत्येक अपर कलेक्टर, उप प्रभागीय अधिकारी, उप कलेक्टर और सहायक बंदोबस्त अधिकारी को ऐसे गैर कानूनी हस्तांतरण की जानकारी लेने और कब्जा वापस दिलाने का अधिकार दिया गया है। भूमि की वापसी संबधी ऐसी प्रत्येक कार्यवाही में जिसमें अनुसूचित जनजाति एक पक्षकार हो, उपायुक्त भी एक पक्षकार होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को नगरपालिका क्षेत्र तक भी बढ़ा दिया गया है। प्राधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि मामला जनजाति के सदस्य के पक्ष में हुआ है, तो उन्हें प्रत्यक्ष कब्जा दिलवाने के लिए तत्परता से कार्य करना चाहिए।

गुजरात तारीख 4 अप्रैल 1961 की अधिसूचना के अनुसार, गुजरात सरकार ने, राज्य को उन अनुसूचित क्षेत्रों के सभी गांवों में, जहां सर्वेक्षण बंदोबस्त शुरू नहीं किया गया है और जहां तारिख 4 अप्रैल 1961 की अधिसूचना जारी करने से पहले धारा 73–क के उपबंधों को लागू नहीं किया गया है, वहां भूमि राजस्व

कोड की धारा 73–क के उपबंधों को लागू किया है। राज्य सरकार ने जनजातियों को भूमि के हस्तांतरण से बचाने के लिए या एल एन डी–8 स्कीम के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में, विशेष इकाइयां बनाकर, मौजूदा राजस्व मशीनरी को भी मजबूत किया है। इन इकाइयों के अध्यक्ष उप कलेक्टर होते हैं और ये (1) व्यारा (2) राजपिपला (3) डाहोड और (4) हिम्मतनगर में कार्य कर रही है। इन्हें अनधिकृत हस्तांतरण का पता लगाने और मूल दखलकारों को कब्जा वापस दिलवाने के अधिकार दिए गए हैं।

कर्नाटक कर्नाटक अनु॰ जाति/अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमियों के अंतरण का निषेध) अधिनियम, 1978, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए, सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के अंतरण को निषिद्ध करता है और अधिनियम के पारित होने से पहले या बाद में अंतरण की गई ऐसी भूमि की वापसी की व्यवस्था करता है। राजस्व विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कनार्टक एस सी/ एस टी (पी टी सी एल) अधिनियम, 1978 के अधीन अनुसिचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के मूल प्राप्त कर्त्ताओं को वापस दिलाई गई भूमि की स्थिति निम्नलिखित हैं :–

वर्ष तक	पता लगाए गए मामले	संबंधित भूमि (एकड़ में)	वापस ली गई भूमि (एकड़ में)	लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
1990-91	311	883	2104	873
1994-95	42263	115262	63077	20091
1995-96	3819	15111.2	6388	1969

यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया था और अभी तक भूमि का 50 प्रतिशत अर्थात 130373.24 एकड़ में से केवल 69465 एकड़ वापस लिया गया है। 1990-91 और 1994-95 के बीच 42,000 मामलों का पता चला है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हस्तांतरित भूमि का पता लगाने और उसकी वापसी के लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में भूमि सुधारों को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश भूमि राजस्व कोड 1959 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। भूमि प्रबंधन की रूपरेखा मध्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। परन्तु हस्तांतरित जनजातीय भूमि की वापसी

के लिए, कोड की धारा 170-क और 170-ख के प्रावधान रखें गए है। इन उपबंधों के अनुसार ऐसे अधिसुचित क्षेत्रों में, जहां जनजातियों के लोगों के बहुसंख्या हो, कोई जनजातीय अपनी भूमि को हस्तांतरित या अन्यथा किसी और को नही दे सकता है। किसी जनजातीय की भूमि को, न्यायालय के किसी आदेश के निष्पादन में न तो जब्त किया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है।

ऐसे पट्टाधारियों को, जिन्हें विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत समय-समय पर पट्टे दिए गए हैं, भूमि के कब्जे की सुपुर्दगी सुनिश्चित करवाने के लिए तारीख 14-11-88 से "अधिकार अभियान" नामक विशेष अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश भूमि राजस्व कोड, 1959 की धारा 25 में संशोधित किया गया है। इस संशोधन के अनुसार, तहसीलदारोंऔर राजस्व अधिकिारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे मामलों को जहां आबंटितियों को भूमि का कब्जा नही मिला है या जहां उनसे कब्जा छीन लिया गया है, स्वप्रेरणा से निपटा सकें। इस अधिकार अभियान के परिणामस्वरूप 77390 लाभभोगियों को 9184.412 हेक्टेयर भूमि का कब्जा दिया गया है। सरकार ने एक स्कीम शुरू की है, जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकार अभियान के लाभभोगियोंको विकास के लिए 1000/-रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है। 14500 व्यक्तियों को 98,49,756 रूपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

महाराष्ट्र भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य में जनजातियों से ली गई भूमि की वापसी के लिए निम्नलिखित विधियों का अधिनियमन किया गया है।

1. महाराष्ट्र भूमि राजस्व कोड और काश्तकारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974
2. महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1964

6-41 जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण को रोकने, उनसे ली गई भुमि की वापसी के लिए विभिन्न राज्यों में विनियम बनाए गए हैं, परन्तु जनजातीय लोगों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाई है। ये विनियम बहुत पहले बनाए गये और इन विनियमों के साथ कार्य करने का हमारा अनुभव, हमारी भविष्य की नीतियों के लिए मार्गनिर्देशक सिद्वांत होना चाहिए। भूमि के आबंटन की स्कीमें भीं निष्प्रभावी हो रही है, क्योंकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित

जनजातियों को आबंटित कि गई भूमि या तो गैर अनुसूचित जातियों/गैर अनुसूचित जनजातियों द्वारा हस्तांतरित या अतिक्रमण कर ली गई है। यदि भूमि के हस्तातरण को रोकने और हस्तांतरित/अतिक्रमण की गई भूमि की वापसी के लिए समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भूमि पर आधारित स्कीमों की योजना बनाने का कार्य बेकार हो जाएगा, जबकि भूमि बहुसंख्या अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों की जीविका का साधन है। **चूंकि प्रमुखतः साहूकारों पर, इनकी निर्भरता के कारण भूमि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तातरण किया जाता है, इसलिए भूमि के आबंटन की प्रत्येक स्कीम के साथ जुड़ी हुई, विनिर्दिष्ट स्कीमें भी बनाई जानी चाहिए जिससे आंबंटीतियों को, आबंटित भूमि से समुचित और किफायती प्रयोग के लिए साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े। यह भी सिफारिश की जाती है कि**

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से गैर अनुसूचित जातियों/जनजातियों को भूमि का अंतरण, गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति को व्यक्ति की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिला से विवाह होने की स्थिति में भी न किया जाए।

(ख) एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को या एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से दूसरे अनुसूचित जनजातिके व्यक्ति को भूमि के अंतरण के लिए विनियम,

(ग) भूमि के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आबंटितियों के लिए पूर्व-क्रम के अधिकार, और

(घ) अपनी देय राशियों की वसूली के लिए वित्तीय संस्थाओं और सरकार एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जाति/समान अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि की बिक्री पर निषेध के लिए केन्द्रिय विधि निर्देश हो। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि उन लोगों कि लिए कड़े दण्ड का प्रावधान होना चाहिए, जो जनजातीयों की भूमि को हड़पने में लगे हुए हैं या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वापस दिलवाई गई भूमि पर पुनः कब्जा करना चाहते है।

मुख्य परियोजनाओं के कारण विस्थापना और पुनर्वास

6-42 प्रत्येक समाज की प्रगति को, मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास, मानवता के लाभार्थ प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के लिए, विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना सहित

आधारभूत संरचनात्मक विकास के अर्थ में मापा जाता है। उद्योग, सिंचाई और बिज़ली क्षेत्रों की प्रमुख परियोजनाएं हमेश शहरी क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। ये क्षेत्र अधिकांशतः जनजातिय क्षेत्र होते है या इनमें अधिकांशतः जनजातिय लोग रहते है। जब कभी, कोई प्रमुख परियोजना स्थापित की जाती है, तो इसके लिए जनजातिय क्षेत्र का हिस्सा ले लिया जाता है जिसके कारण जनजाती के व्यक्ति विस्थपित हो जाते है चूंकि, परियोजना रिपोर्टो में, परियोजनाओं की स्थापना के कारण, विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी कोई घटक नही है, इसलिए गृह मंत्रालय ने परियोजना रिपोर्ट के भाग के रूप में, विस्थापित जनजातीयों के लिए पुनर्वास योजना सहित मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों के होते हुए भी परियोजनाएं, विस्थापित होने वाले जनजातीयों की समस्या पर ध्यान दिए बिना बनाई जाती हैं या विस्थापित जनजातीयों और समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्ववर्ती, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पहले आयुक्त ने इस मुद्दे को केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य के समक्ष बार–बार उठाया है। समाज के विकास के नाम पर मानव विकास और कल्याण को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अतिरिक्त, उनकी भावनाओं पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

6.43 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की 29 वीं और 30 वी रिपोर्ट में, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस आयोग की पिछली तीन रिपोर्टो में विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के कारण विस्थापित हुए जनजातीयों की दुर्दशा को दर्शाया गया हैं। **इसलिए, आयोग यह सिफारिश करता है, कि कल्याण मंत्रालय को उद्योग, सिंचाई, उर्जा मंत्रालयों आदि से परामर्श करके, देश के किसी भी भाग में स्थापित की जाने वाली परियाजनाओं को बनाने और मंजूरी की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय अनुदेश देने चाहिए, जिससे विस्थापना और पुनर्वास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर, संबंधित प्रधिकारियों द्वारा समुचित ध्यान दिया जाए। आयोग अपनी इस पहली सिफारिश को पुनः दोहराता है कि विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थपित हुए या होने वाले जनजातीयों और अन्य को, परियोजनाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए।**

6.44 1975 में, केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए बीस सूत्री कार्यक्रम को, 14.1.1982 को जब प्रधान मंत्री द्वारा नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी तब पुनः शुरू किया गया है। उसके 7 वें प्वाइन्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों को तेज करने के लिए कहा गया है। 1986 में, संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई, जो 01-04-1987 से लागू हुई। संशोधित कार्यक्रम का प्वाइन्ट

11 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न्याय से संबंधित है। इसके साथ इसमें (I) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबंटित की गई भूमि का कब्जा सुनिश्चित करवाना,(II) भूमि आबंटन कार्यक्रम को पुनः चलाना, तथा (III) अपने निवासी स्थानों से विस्थापित किए गए जनाजातीयों का पुनर्वास सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

6.45 दिल्ली के छावला, धूलसिरस, दौलतपुर और उज्जवा गांवों के अनुसूचित जाति के निवासियों नें 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत, उन्हें आबंटन की गई भूमि पर, स्वामित्तव अधिकारों को मनाही के संबंध में इस आयोग के समक्ष अभ्यावेदन किया है। उन्होंनें कहा है कि उन्हें यह भूमि वर्ष 1975-76 में आबंटित की गई थी और वे तब से ही इस भूमि पर खेती कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि आबंटन के समय यह भूमि, बंजर थी और इन ग्रामीणों ने अपनी कड़ी मेहनत और मेहनत से की गई कमाई से, भूमि को खेती के योग्य बनाया और भूमि पर फसल उगाना आरम्भ कर दिया। इन गावों के अनुसूचित जाति के लोग, उन्हें बहुत पहले, प्रधानमंत्री के बीच सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित की गई भूमि के स्वामित्व अधिकारों को दिए जाने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों के पास गए हैं।

6.46 अपीलकर्ता ने आयोग का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है के दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 लगाकर, उनकी भूमि पर, विकास संबंध गतिविधियां जैसे दुकानें, अस्पताल, स्कूल , पार्क और अन्य गतिविधियां जैसे सीमा सुरक्षा बल के लिए प्रशिक्षण शिविरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस भूमि के आबंटितियों ने अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की विकास संबंधी गतिविधि आरम्भ करने से पहले उन्हें भूमि का स्वामित्व अधिकार दिया जाना चाहिए। स्वामित्व अधिकार के आबंटन के लिए भूमिहीन किसान मजदुर संर्घष समिति ,दिल्ली से भी इसी प्रकार का मामला प्राप्त हुआ हैं। चुंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति, पिछले दो वर्षो से आयोग के पास आ रहे हैं, इसीलिए आयोग इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली के समक्ष ले गया है। विकास आयुक्त, दिल्ली और उपप्रभागीय मजिस्ट्रेंट, नजफगढ़, 18-12-96 को, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। बाद में, उपायुक्त दक्षिण–पश्चिम दिल्ली, संयुक्त सचिव राजस्व और उपप्रभागीय मजिस्ट्रेंट नजफगढ़ 24-2-97 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और इस बात के लिए सहमत हो गये कि स्तविक खेती हरों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने में कोई समस्या नही थी। उपयुक्त गांव के निवासी, आबंटित की गई भूमि के स्वामित्व अधिकारों के आबंटन के लिए, इस आयोग पर काफी दबाव डाल रहे थे।

6.47 दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए, कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए नवम्बर, 96 को हुई, मुख्य सचिव और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र के अन्य

अधिकरियों के साथ हुई बैठक में, इस मामले पर चर्चा की गई, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने दिल्ली के मुख्य मंत्री को एक अर्धशासकीय पत्र लिखा, जिसमें उन्होनें आबंटितियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने और स्वमित्व के अधिकारों तथा लाभ उठाने के लिए प्रयाप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया, जिससे यदि आबंटितियों की भूमि विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए भी ली जाती है, तो वे आसानी से प्रतिपूर्ति का दावा कर सके।

6.48 इस मुद्दे पर मुख्य सचिव, दिल्ली राजस्व सचिव, दिल्ली और दिल्ली सरकार के अन्य संबंधित अधिकारियों से प्रभावी चर्चा हुई। राजस्व सचिव ने कहा है के कुछ ऐसे विधिक उपबंध है, जिनके कारण 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जाति के आबंटितियों को भूमिधरी अधिकार प्रदान नही किए जा सकते है। विस्तृत चर्चा के बाद, राजस्व सचिव और मुख्य सचिव पूरी स्थिति की समीक्षा करने और भूमि सुधार से संबंधित मौजूदा अधिनियमों और भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने के लिए उपाय करने के लिए सहमत हो गए, जिससे 20 सूत्री कार्यक्रम या इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के अधीन भूमि के आबंटितियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि के अधिकार मिल सकें। मुख्य सचिव ने आयोग को अश्वास्त किया कि एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाएगी और आयोग को इसकी सूचना दी जाएगी। अपने लिखित उत्तर में राजस्व सचिव एवं – विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार ने इसके साथ–साथ निम्नलिखित उत्तर दिया :–

> कानून में पाई जाने वाली कमियों के अतिरिक्त, जिसके अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि आबंटितियों को भूमिधरी अधिकार सीधे प्रदान नहीं किए जा सकते है। सरकार के पिछले अनुभव से भी निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:–
>
> (I) आबंटितियों ने सामान्य मुख्तार नामे और बिक्री करार द्वारा इस प्रकार की भूमि को बेच दिया और वे फिर भूमिहीन हो गए।
>
> (II) अधिकांश मामलों में, आवेदको के पट्टे को प्रारम्भिक आबंटन के बाद वैध नही बताया गया हैं। इसलिए आवेदको की हैसियत के संबंध में भी प्रश्न चिह्न लगे थे।
>
> (III) गांव प्रधानो द्वारा बताये गये बहुत से लाभभोगी, आबंटन के लिए आय के मानदण्ड पूरे नही करते है। सरकार ने, पहले से ही प्रत्येक जिले में जांच समितियां गठित कर दी है।

प्रशासनिक एवं विधिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए, ऊपर बताय गए अनुसार भूमिधरी अधिकार प्रदान करना संभव नही है। यह अर्धन्यायिक कार्यवाहियां है और विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाहियां की जानी चाहिए।

6.49 अध्यक्ष तो चर्चा के दौरान कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंर्तगत निर्धन और अशिक्षित अनुसूचित जातियों को आबंटित की गई भूमि के पट्‌टे का पुनः वैधीकरण सरकार की जिम्मेदारी थी यदि सरकार द्वारा पुनः वैधीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो अनुसूचित जाति के आबंटियों को परेशान करने का कोई कारण नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेज और दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना से यह स्पष्ट है कि गाँव छावला और ढूलसिरस और दिल्ली के अन्य गाँवों में, 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई थी, उन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधीन उपबंधों के अनुसार स्वामित्व अधिकार नहीं दिए गए थे। उनके मामलों को राजस्व अधिकारियों आदि के न्यायालयों में घसीटा जा रहा है। माफिया और समाज विरोधी तत्वों द्वारा, उनकी भूमि पर बलात् कब्जा करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी कुछ विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए उनकी भूमि लेने की कार्रवाई शुरू का दी है। यह देखा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन भूमि के आबंटितियों को, तरह–तरह से परेशान किया जा रहा हैं जैसे :–

(I) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं।

(II) स्वामित्व अधिकार न होने के कारण, आबंटी भू स्वामियों के लिए उपलब्ध विभिन्न भूमि विकास स्कीमों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इन आबंटितों पर बहुत से आर्थिक दबाव डाले जाते हैं और कुछ मामलो में, अपनी भूमि के विकास, कृषि संबंधी निवेश आदि के लिए, उनके द्वारा किए गए निजी ऋण के कारण, उनमें से कुछ को अपनी भूमि साहुकारों को अंतरित करनी पड़ती है।

(III) विकास संबंधी गतिविधियों और भूमि की कीमते बढ़ाने के कारण, बहुत से भू माफिया, उनकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं।

(IV) 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन आबंटित भूमि को अर्जित करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों को भूमि आबंटित करने के लिए सरकार इसे एक बार अर्जित कर चुकि

है और इसे विकास संबंधी परियोजना के नाम पर पूनः अर्जित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करके सरकार उन लोगों को विस्थापित कर रही हैं, जिन्हें उसने स्वयं बसाया था। दूसरे, सरकार भूमि के उन अनुसूचित जाति के आबंटियों को मुआवजा देने या सहायता अनुदान प्रदान करके और उनके पुनर्वास के प्रबंध से बचना चाह रही है, जिसकी भूमि को अर्जित किया जाना है।

(V) चूंकि अनुसूचित जातियों के आबंटितियों अधिकांश के रिकॉर्ड जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए वे सरकारी प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई अपनी भूमि के लिए प्रतिपूर्ती का दावा नहीं कर सके।

6.50 इसलिए आयोग यह सिफारिश करता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन भूमि के अनुसूचित जाति के आबंटियों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के उपबंधों के अनुसार, पात्रता की वास्तविक तारीख से स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएं। अर्जन की कार्यवाही को तब तक निलंबित किया जाए, जब तक स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है।

इसके बाद, यदि आबंटियों से उनकी भूमि लेना वास्तव में आवश्यक समझा जाए, तो आबंटियों को वैकल्पिक भूमि और भूमि के विकास के लिए सहायता के रूप में पर्याप्त प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को यदि आवश्यक हो तो दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के संशोधन की आवश्यकता पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि यह अधिनियम 40 वर्ष पूर्व लागू हुआ था और अधिनियम के मौजूदा उपबंध आजकल की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

सिफारिशें

6.51 पिछले पैराग्राफों में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है उन विभिन्न मुद्दों के आधार पर, आयोग निम्नलिखित सिफारिशें करता है :--

(1) कृषि-गणना प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती हैं और कृषि-गणना के आधार पर प्रकाशित की गई रिपोर्टें, देश में भूमि से संबंधित प्रमुख प्राधिकृत आँकड़े हैं। पिछली कृषि गणना 1990-91 में हुई थी। कृषि गणना का परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों ने छठी योजना में विशेष संघटक योजना के दृष्टिकोण और

5वीं योजना में जनजातीय उपयोजना के दृष्टिकोण से विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है। इन कार्यक्रमों से, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की भूमि संबंधी हैसियत सहित उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने चाहिए थे। इसलिए यह वांहित होगा की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में भूमि से संबंधित कार्यक्रम, स्कीमें और कार्यवाई योजना तैयार करने के लिए अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हों। कृषि मंत्रालय, इस संबंध में तेजी से कार्य करवाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये (देखे पैरा 6-16)।

(2) राज्यों को हपबंदी संबंधी बिधियों के कार्यान्वयन पर उचित महत्व देना चाहिए। ये नियम मूलतः 30-40 वर्ष पहले बने थे और कुछ मामलों में, इस नियमों में 20-25 वर्ष पहले संशोधन हुए थे। इन नियमों को कार्यान्वित करने की तत्काल आवश्यकता है। चूंकि अलग-अलग राज्यों में भूमि की गुणता और धारित भूमि का आकार और इसके साथ-साथ (आबादी) भी भिन्न-भिन्न है। इसलिए राज्यों ने हपबंदी संबंधी विधि नियम अलग-अलग पारित किए हैं परन्तु इन नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं।(देखे पैरा 6.23)

(3) बड़ी संख्या में क्षेत्रों को अधिकोष घोषित किया गया है, जिनका राज्य सरकारों को अभी कब्जा लेना है। ऐसे क्षेत्र जो मुख्यतः विभिन्न न्यायालयों में, मुकदमेबाजी में लम्बित पड़े हैं। राज्य सरकारों को, इस विधि में ही उपयुक्त परिवर्तन करके, न्यायालयों में मुकदमों में पड़ी हुई भूमि को शीघ्र छुड़वाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसी प्रकार ऐसी भूमि, जिस पर कोई देनदारी नहीं है और जो वितरण के लिए पड़ी हुई है उसे पात्र अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य निर्धन परिवारों के बीच बांट देना चाहिए, जिससे वे अपनी जीविका के लिए शीघ्रातिशीघ्र भूमि का प्रयोग कर सकें। अधिशेष भूमि के विवरण में देरी से न केवल आजीविका के साधनों की प्रतीक्षा में बैठे गरीब व्यक्तियों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी बल्कि इससे वितरण के लिए तैयार भूमि की उर्वरता भी क्षीण होगी। (देखें पैरा 6.24)

(4) वितरण के लिए मौजूद बंजर भूमि और भूदान की भूमि तथा किये गये भू-वितरण और प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में नोडल मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने भी बताया कि इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा जानकारी नहीं भेजी जा रही है। यह भी देखने में आया है कि जो आंकड़े मौजूद है उनसे अनु. जा./अनु

ज. जा. के लाभार्थियों और बंजर भूमि तथा भूदान की भूमि में से उन्हें अंतरित भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है जबकि ऐसे आबंटन में प्राथमिकता अनु. जा./अनु. ज. जा. के लाभार्थियों को दी जाती है। अनु. जा./अनु. ज. जा. के लाभार्थियों के बारे में जानकारी राज्य सरकार द्वारा भी दी जाए ताकि आयोग और अन्य एजेंसियां इस संबंध में कि गई प्रगति पर निगरानी एवं नियंत्रण रख सकें और उसका मूल्याकंन का सकें। (संदंभ पैरा 6.25)

(5) सरकार की किसी भी स्कीम के अंतर्गत भूमि का आबंटन महिला के नाम में अथवा आबंटी और उसके पति / उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में किया जाए। अगर कोई भूमि आबंटित की जा चुकि है लेकिन उसका पट्टा या उसके स्वामित्व अधिकार अभी नहीं दिए गए हैं तो पट्टा या स्वामित्व अधिकार अगर पति पत्नि में से एक ही व्यक्ति जीवित है तो ऐसे मामले को छोड़कर पत्नी और पति के संयुक्त नाम में दिए जाए (संदर्भ पैरा 6.26)

(6) ऐसा प्रतीत होता है कि काश्तकारों को स्वामित्व दिए जाने और काश्तकारों/बटाईदारों को वेदखल करनें के विरूद्ध अधिकारों के संरक्षण के कार्यक्रम पर राज्यों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य कुछ ऐसे काश्तकारों को जिन्हे अधिकृत भूमि पर स्वामित्व के अधिकार में दे दिए गए हैं और जिन्हें केवल काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया है इच्छानुसार वेदखल किये जाने के संबंध में विशिष्ट/सही और अलग-अलग आकंड़े भी नहीं दे रहे हैं। जो भी जानकारी दी है उनमें अ. जा./अ. ज. जा. के काश्तकारों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं दिए गए हैं। चूंकि अ. ज./अ.ज.जा. के लाभार्थियों के बारे में सूचना प्राप्त करना ही लक्ष्य है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय अपनी अनुवीक्षण व्यवस्था में संशोधन करे ताकि राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त सुचनाओं में अ.जा./अ. ज. जा. के लाभार्थियों के बारे में विशिष्ट जानकारी रहे। (संदर्भ पैरा 6.27)

(7) गरीब भूमि धारको के हित में जिनमें अधिकांश अ. जा./अ. ज. जा. के होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय प्रत्येक जिले में भूमि संबंधी अद्यतन रिकार्ड रखने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि संबंधी रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण करने की स्कीम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। (संदर्भ पैरा 6.29)

(8) हांलाकि केन्द्र प्रत्येक वर्ष अनुदान दे रहा है फिर भी राज्यों में भूमि संबंधी राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने को कीम को अधिक गंभीरता से शुरू नहीं किया है।

चूंकि भूमि संबंधी रिकार्ड को उचित ढ़ंग से रखना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विशेष हित में होता है। क्योंकि वे कम पढ़े लिखे और सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का शीघ्र अनुकूलतम उपयोग करवाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव डालें। (संदर्भ पैरा 6.30)

(9) आयोग पर जोर सिफारिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी एवं नियंत्रण रखें और इस संबंध में राज्य सरकारों की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करें (संदर्भ पैरा 6.32)

(10) अतः आयोग ने केरल अनुसूचित जनजाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कल्याण मंत्रालय को निम्नलिखित विचार भेजे।

(क) अधिनियम को जिस रूप में आज है दिनांक 1-9-82 के पूर्व प्रभाव से दिनांक 20-1-86 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि यह तारीख भी काफी बाद की है, क्योंकि वर्ष 1995 में पारित मूल अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 11-11-75 को प्राप्त हुई थी।

(ख) धारा 5-क जोड़कर संशोधन करने से अ. ज. जा. से गैर अ. ज जा. को भूमि संबंधी ऐसे सभी हस्तातरण कानूनी/नियमित हो जाते है जो अ. ज. जा. को प्रत्यावर्तित नहीं किए गए हैं। इससे मूल अधिनियम के उद्धेश्य प्रभाव शून्य हो जाएंगे जिसमें अ. ज. जा. से गैर अ. ज. जा. को भूमि के हस्तातरण पर और उनको किसी हस्तांतरण की भूमि के प्रत्यावर्तन पर प्रतिबंध था।

गृह मंत्रालय कल्याण मंत्रालय और केरल राज्य सरकार आयोग के परामर्श के अनुसार आवन्यक कार्रवाई करें और उनके बारे में यथोचित अवधि में आयोग को सूचित करें। (संदर्भ पैरा 6.38)

(11) जैसा कि निजी साहूकारों पर निर्भर रहना भूमि के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तांतरण का मुख्य कारण होता है इसलिए भूमि आबंटन की प्रत्येक स्कीम को शामिल करने के लिए विशिष्ट स्कीमें बनाई जानी चाहिए ताकि आबंटियों को आबंटित भूमि का उचित और किफयती ढ़ंग से इस्तेमाल करने के लिए निजी साहूकारों पर निर्भर न रहना पड़े। यह भी सिफारिश की जाती है कि (क) अ. जा./अ. ज. जा. के व्यक्ति से गैर अ. ज. /अ. ज. जा. के व्यक्ति को भूमि के हस्तांतरण पर पूर्ण रोक लगाने इसमें गैर अ. जा./अ. ज. जा. के व्यक्ति द्वारा अ. जाः/अ. ज. जा. की महिला से विवाह करके भूमि का हस्तांतरण भी शामिल है। (ख) अ. जा. के एक व्यक्ति

से अ॰ जा॰ के दूसरे व्यक्ति को अथवा अ॰ ज॰ जा॰ के एक व्यक्ति से अ॰ ज॰ जा॰ के दूसरे व्यक्ति को भूमि के हस्तांतरण का नियमन करने के लिए (ग) अ॰ जा॰/ अ॰ ज॰ जा॰ के भूमि आबंटियों के पक्ष में अग्रक्रयाधिकार पी-एम्पशन देने कि लिए और (घ) वित्तीय संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों द्वारा अपनी प्राप्त राशि की वसूली के लिए अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के व्यक्ति को भूमि बेच देने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समान केन्द्रीय कानून/दिशा निर्देश हो। आयोग का यह सिफारिश है कि जनजातिय लोगों का भूमि हथियाने और/अथवा अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ के लोगों को दी गई भूमि का पुनः हस्तांतरण करने में शामिल पाए जाने वाले लोगों को निवारक दण्ड दिए जाने का प्रावधन किया जाए (संदर्भ पैरा 6.41)

12 इसलिए आयोग की सिफारिश है कि कल्याण मंत्रालय, उद्योग, सिंचाई, उर्जा आदि मंत्रालयों के साथ परामर्श करके देश के किसी भी भाग में प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाएं तैयार करने और उनकी मंजूरी देने की प्रक्रिया का नियमन करने के लिए केन्द्रीय दिशा निर्देश तैयार करे ताकि विस्थापन और पुनः स्थापन से संबंधित इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारी समुचित ध्यान दे सकें। आयोग अपनी इस पिछली सिफारिश पर भी जोर देता है कि विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित अथवा विस्थापित होने वाले जनजातीय लोगों (तथा अन्य लोगों) को उन परियोजनाओं में भागीदार बनाया जाए (संदर्भ पैरा 6.43)

अनुबंध 6-1
(संदर्भ पैरा ६.१२)

प्रमुख वर्गों (श्रेणियों) के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के लिए स्वकर्षित (आपरेशनल होल्डिंग) जोन क्षेत्रों का राज्यवार वितरण-1985-86

संख्या हजारों में
प्रमुख वर्ग (श्रेणी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		सीमांत	छोटी	अर्ध मध्यम	मध्यम	बड़ी	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	705	181	92	25	3	1006
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	70.08	17.99	9.15	2.49	0..30	100.00
2.	असम	श्रेणीवार क्षेत्रफल	69	28	14	3	...	114
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	60.53	24.56	12.28	2.63	0.00	100
3.	बिहार	श्रेणीवार क्षेत्रफल	1240	72	35	11	1	1359
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	91.24	5.30	2.58	0.81	0.07	100
4.	गोवा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	....	....	.....	....	....	......
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	....	....	....	....	....	....
5.	गुजरात	श्रेणीवार क्षेत्रफल	50	41	37	21	3	152
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	32.89	26.97	24.34	13.82	1.97	100
6.	हरियाणा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	17	10	8	4	....	39
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	43.59	25.64	20.51	10.26	0.00	100
7.	हिमाचल प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	141	27	10	2	---	180
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	78.33	15.00	5.56	1.11	0.00	100.00
8.	जम्मू और काश्मीर	श्रेणीवार क्षेत्रफल	55	30	10	2	----	97
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	56.70	30.93	10.31	2.06	0.00	100.00
9.	कर्नाटक	श्रेणीवार क्षेत्रफल	222	150	86	36	6	500
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	44.40	30.00	17.20	7.20	1.20	100.00
10.	केरल	श्रेणीवार क्षेत्रफल	387	4	1	---	---	392
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	98.72	1.02	0.26	0.00	0.00	100.00
11.	मध्य प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	441	235	181	100	12	969
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	45.51	24.25	18.68	10.32	1.24	100.00
12.	महाराष्ट्र	श्रेणीवार क्षेत्रफल	272	176	130	61	7	646
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	42.11	27.24	20.12	9.44	1.08	100.00
13.	मणिपुर	श्रेणीवार क्षेत्रफल	1	1	1	--	--	3
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	100.00
14.	उड़ीसा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	336	93	45	9	1	484
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	69.42	19.21	9.30	1.86	0.21	100.00
15.	पंजाब	श्रेणीवार क्षेत्रफल	23	12	11	4	---	50
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	46.00	40.00	22.00	8.00	0.00	100.00
16.	राजस्थान	श्रेणीवार क्षेत्रफल	219	167	146	124	50	706
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	31.02	23.65	20.68	7.56	7.08	100.00
17.	सिक्किम	श्रेणीवार क्षेत्रफल	1	---	---	---	---	1
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	100.00	0.00	0.00	0.000	0.00	100.00
18.	तमिलनाडु	श्रेणीवार क्षेत्रफल	176	112	39	9	1	337
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	52.23	33.23	11.57	2.67	0.30	100.00
19.	त्रिपुरा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	36	8	2	---	---	46
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	78.26	17.39	4.35	0.00	0.00	100.00
20.	उत्तर प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	2523	354	120	27	2	3026
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	83.38	11.70	3.97	0.89	0.07	100.00
21.	पश्चिम बंगाल	श्रेणीवार क्षेत्रफल	1051	223	98	16	---	1388
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	75.72	16.07	7.06	1.15	0.00	100.00
22.	सभी संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणीवार क्षेत्रफल	4	---	---	---	---	4
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	100.00	0.00	0.000	0.000	0.000	100.00
23.	संपूर्ण भारत	श्रेणीवार क्षेत्रफल	8508	1923	1067	456	87	12041
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	70.66	15.97	8.86	3.97	0.72	100.00

प्रमुख वर्गों (श्रेणियों) के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वकर्षित जोन क्षेत्रों का राज्यवार वितरण-1985-86

संख्या हजारों में
प्रमुख वर्ग (श्रेणी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		सीमांत	छोटी	अर्ध मध्यम	मध्यम	बड़ी	जोड़
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आंध्र प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	241	122	106	49	6	524
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	45.99	23.28	20.23	9.35	1.15	100.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	13	15	25	23	5	81
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	16	18.52	30.86	28.40	6.17	---
3.	असम	श्रेणीवार क्षेत्रफल	147	94	57	16	1	315
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	46.67	29.84	18.10	5.08	0.32	100.00
4.	बिहार	श्रेणीवार क्षेत्रफल	500	149	146	100	21	916
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	54.59	16.27	15.94	10.92	2.29	100.00
5.	गुजरात	श्रेणीवार क्षेत्रफल	113	92	89	55	7	356
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	31.74	25.84	25.00	15.45	1.97	100.00
6.	हिमाचल प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	20	8	4	1	---	33
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	60.61	24.24	12.12	3.03	0.00	100.00
7.	कर्नाटक	श्रेणीवार क्षेत्रफल	66	52	38	21	4	181
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	36.46	28.73	20.99	11.60	2.21	100.00
8.	केरल	श्रेणीवार क्षेत्रफल	32	9	2	---	---	43
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	74.42	20.93	4.65	0.00	0.00	100.00
9.	मध्य प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	615	393	441	347	88	1884
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	32.64	20.86	23.41	18.42	4.67	100.00
10.	महाराष्ट्र	श्रेणीवार क्षेत्रफल	132	166	146	91	15	550
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	24.00	30.18	26.55	16.55	2.73	100.00
11.	मणिपुर	श्रेणीवार क्षेत्रफल	24	20	11	1	---	56
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	42.86	35.71	19.64	1.79	0.00	100.00
12.	मेघालय	श्रेणीवार क्षेत्रफल	59	51	46	13	1	170
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	34.71	30.00	27.06	7.65	0.59	100.00
13.	नागालैंड	श्रेणीवार क्षेत्रफल	8	19	19	42	36	124
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	6.65	15.32	15.32	33.87	29.03	100.00
14.	उड़ीसा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	451	265	182	62	5	965
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	46.74	27.46	18.86	6.42	0.52	100.00
15.	राजस्थान	श्रेणीवार क्षेत्रफल	279	173	152	97	22	723
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	38.59	23.93	91.02	13.42	3.04	100.00
16.	सिक्किम	श्रेणीवार क्षेत्रफल	4	3	3	2	1	13
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	30.77	23.08	23.08	15.38	7.69	100.00
7.17.	तमिलनाडु	श्रेणीवार क्षेत्रफल	30	16	9	3	-----	58
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	51.72	27.59	15.52	5.17	0.00	100.00
18.	त्रिपुरा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	68	34	17	1	---	120
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	56.67	28.33	14.17	0.83	0.00	100.00
19.	उत्तर प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	17	5	5	4	---	31
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	44.84	16.13	16.13	12.90	0.00	100.00
20.	पश्चिम बंगाल	श्रेणीवार क्षेत्रफल	312	86	32	5	---	435
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	71.72	19.77	7.36	1.15	0.00	100.00
21.	सभी संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणीवार क्षेत्रफल	31	23	13	2	---	69
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	44.93	33.333	18.84	2.90	0.00	100.00
२२.	संपूर्ण भारत	श्रेणीवार क्षेत्रफल	3161	1795	1545	936	212	7649
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	41.33	23.47	20.20	12.24	2.77	100.00

स्रोतः-कृषि जनगणना 1985–96 की रिपार्ट (कुल का प्रतिशत)

अनुबंध 6.1I1
(संदर्भ पैरा 6.12)

प्रमुख वर्गों (श्रेणियों) के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों के लिए स्वकर्षित जोत क्षेत्रों का राज्यवार वितरण-1985-86

(संख्या हजारों में)

			प्रमुख वर्ग श्रेणी					
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		सीमांत	छोटी	अर्थ मध्यम	मध्यम	बड़ी	जोड़
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आंध्र प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	291	253	235	140	39	998
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	30.38	26.41	24.53	14.61	4.07	100.00
2.	असम	श्रेणीवार क्षेत्रफल	34	39	37	17	2	129
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	26.36	30.23	28.68	13.18	1.55	100.00
3.	बिहार	श्रेणीवार क्षेत्रफल	299	99	94	60	15	567
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	52.73	17.46	16.58	10.58	2.65	100.00
4.	गोवा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	.....	.....	नगन्ण	...	...	....
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	---	----	----	----	----	----
5.	गुजरात	श्रेणीवार क्षेत्रफल	27	60	101	121	48	357
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	7.56	16.81	28.29	33.89	13.45	100.00
6.	हरियाणा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	8	15	23	22	7	75
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	10.67	20.00	30.67	29.33	9.33	100.00
7.	हिमाचल प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	56	37	26	12	2	133
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत	42.11	27.82	19.55	9.02	1.50	100.00
8.	जम्मू और कश्मीर	श्रेणीवार क्षेत्रफल	22	39	28	9	1	99
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	22.22	39.39	28.28	9.09	1.01	100.00
9.	कर्नाटक	श्रेणीवार क्षेत्रफल	113	218	231	210	85	857
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	13.19	25.44	26.95	24.50	9.92	100.00
10.	केरल	श्रेणीवार क्षेत्रफल	41	5	2	---	---	48
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	85.42	10.42	4.17	0.00	0.00	100.00
11.	मध्य प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	194	334	496	573	177	1774
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	10.94	18.83	27.96	32.30	9.98	100.00
12.	महाराष्ट्र	श्रेणीवार क्षेत्रफल	126	251	354	349	102	1182
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	10.66	21.24	29.95	29.53	8.63	100.00
13.	मणिपुर	श्रेणीवार क्षेत्रफल	नगन्ण	1	3	2	---	6
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	----	---	----	-----	---	---
14.	उड़ीसा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	142	126	117	52	14	451
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	31.49	27.94	25.94	11.53	3.10	100.00
15.	पंजाब	श्रेणीवार क्षेत्रफल	12	17	29	22	4	84
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	14.29	20.24	34.52	26.19	4.76	100.00
16.	राजस्थान	श्रेणीवार क्षेत्रफल	114	237	413	768	880	2412
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	4.73	9.83	17.12	31.84	36.48	100.00
17.	सिक्किम	श्रेणीवार क्षेत्रफल	---	1	1	---	---	2
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00
18.	तमिलनाडु	श्रेणीवार क्षेत्रफल	242	154	104	47	9	556
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	43.53	27.70	18.71	8.45	1.62	100.00
19.	त्रिपुरा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	17	13	4	----	----	34
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	50.00	38.24	11.76	0.00	0.00	100.00
20.	उत्तर प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	842	484	320	148	28	1822
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	46.21	26.56	17.56	8.12	1.54	100.00
21.	पश्चिम बंगाल	श्रेणीवार क्षेत्रफल	417	330	261	83	---	1091
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	38.22	30.25	23.92	7.61	0.00	100.00
22.	समस्त संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणीवार क्षेत्रफल	२	नगन्ण	नगन्ण	नगन्ण	नगन्ण	2
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	100.00	---	---	---	---	100.00
23.	संपूर्ण भारत का	श्रेणीवार क्षेत्रफल	**3000**	**2713**	**2878**	**2636**	**1413**	**12639**
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	**23.74**	**21.47**	**22.77**	**20.86**	**11.18**	**100.00**

स्रोत :-कृषि जनगणना 1985–86 की रिपोर्ट

अनुबंध 6.1V,
(संदर्भ पैरा 6.12)

प्रमुख वर्गों (श्रेणियों) के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वकर्षित जोत क्षेत्रों का राज्यवार वितरण-1985-86

(संख्या हजारों में)
प्रमुख वर्ग श्रेणी

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		सीमांत	छोटी	अर्थ मध्यम	मध्यम	बड़ी	जोड़
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आंध्र प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	117	176	279	280	93	945
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	12.38	18.62	29.52	29.73	9.84	100.00
2.	अरूणांचल प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	9	23	71	136	97	336
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	.....	....	....	....	....	....
3.	असम	श्रेणीवार क्षेत्रफल	76	124	148	85	11	444
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	17.12	27.93	33.33	19.14	2.48	100.00
4.	बिहार	श्रेणीवार क्षेत्रफल	203	210	408	599	332	1752
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	11.59	11.99	23.29	34.19	18.95	100.00
5.	गुजरात	श्रेणीवार क्षेत्रफल	57	134	252	318	90	851
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	6.70	15.75	29.61	37.37	10.58	100.00
6.	हिमाचल प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	19	11	11	6	2	39
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	23.08	28.21	28.21	15.38	5.13	100.00
7.	कर्नाटक	श्रेणीवार क्षेत्रफल	34	76	105	124	66	405
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	8.40	18.77	25.93	30.62	16.30	100.00
8.	केरल	श्रेणीवार क्षेत्रफल	10	11	6	2	1	30
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	33.33	36.67	20.00	6.66	3.33	100.00
9	मध्य प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	276	574	1216	2106	1406	5578
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	4.95	10.29	21.80	37.76	25.21	100.00
10.	महाराष्ट्र	श्रेणीवार क्षेत्रफल	72	238	391	537	208	1454
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	4.95	16.37	27.44	36.93	14.31	100.00
11.	मणिपुर	श्रेणीवार क्षेत्रफल	15	26	28	7	---	76
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	19.74	34.21	36.84	9.21	0.00	100.00
12.	मेघालय	श्रेणीवार क्षेत्रफल	32	68	117	72	13	302
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	10.60	22.52	38.74	23.84	4.30	100.00
13.	नागालैंड	श्रेणीवार क्षेत्रफल	3	24	49	260	596	932
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	0.32	2.58	5.26	27.90	63.95	100.00
14.	उड़ीसा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	240	378	496	358	75	1547
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	15.51	24.43	32.06	23.14	4.85	100.00
15.	राजस्थान	श्रेणीवार क्षेत्रफल	130	247	426	581	351	1735
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	7.49	14.24	24.55	33.49	20.23	100.00
16.	सिक्किम	श्रेणीवार क्षेत्रफल	2	3	8	14	10	37
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	5.41	8.11	21.62	37.84	27.03	100.00
17.	तमिलनाडु	श्रेणीवार क्षेत्रफल	14	22	25	20	5	86
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	16.28	25.58	29.07	23.26	5.81	100.00
18.	त्रिपुरा	श्रेणीवार क्षेत्रफल	38	55	44	6	---	143
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	26.57	38.46	30.77	4.20	0.00	100.00
19.	उत्तर प्रदेश	श्रेणीवार क्षेत्रफल	6	7	14	22	4	53
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	11.32	13.21	26.42	41.51	7.55	100.00
20.	पश्चिम बंगाल	श्रेणीवार क्षेत्रफल	150	122	86	28	1	387
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	38.76	31.52	22.22	7.24	0.26	100.00
21.	सभी संघराज्य क्षेत्र	श्रेणीवार क्षेत्रफल	19	35	37	9	2	102
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	18.63	34.31	36.27	8.82	1.96	100.00
22.	संपूर्ण भारत	श्रेणीवार क्षेत्रफल	**1512**	**2563**	**4225**	**5570**	**3365**	**17235**
		(कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत)	**8.77**	**14.87**	**24.51**	**32.32**	**19.52**	**100.00**

अनुबंध 6-V

(संदर्भ पैरा 6.20)

अधिशेष घोषित की गई भूमि, कब्जे में ली गई भूमि और अनु. जाति और-अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को वितरित की गई भूमि का राज्यवार क्षेत्रफल

(30–9–1996 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिशेष घोषित क्षेत्रफल	क्षेत्रफल जिसका कब्जा ले लिया गया	क्षेत्रफल जो लाभ-भोगियों को को वितरित किया गया	लाभभोगियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लाभभोगी		अनु.जन जाति के लाभ भोगी	
						क्षेत्र.	सं.	क्षेत्र.	सं.
1.	आंध्र प्रदेश	79565	634262	594352	521563	226890	216537	118653	81228
2.	असम	612380	575837	479878	441804	45746	43406	58476	41809
3.	बिहार	488257	342134	303217	372529	179161	229832	39333	42384
4.	गुजरात	231172	158953	133999	31376	83247	14584	29276	13061
5.	हरियाणा	93511	85348	87259	27392	37623	11753	0	0
6.	हिमाचल प्रदेश	282581	281652	3340	4400	2305	2934	139	261
7.	जम्मू–कश्मीर	455575	450000	450000	450000	00	0	0	0
8.	कर्नाटक	267758	155026	117147	31415	71133	18953	3578	974
9.	केरल	137833	94856	64283	145106	25197	62174	5165	7435
10.	मध्य प्रदेश	355828	299218	185313	72131	49433	21528	73577	26997
11.	महाराष्ट्र	729548	663445	554870	140580	161715	41945	97952	29217
12.	मणिपुर	1830	1685	1682	1258	128	96	97	72
13.	उड़ीसा	176459	165618	154298	135219	49075	45561	64689	50010
14.	पंजाब	222594	109146	103487	28287	44015	11301	0	0
15.	राजस्थान	601922	558179	452174	77899	145317	28453	44173	848
16.	तमिलनाडु	193657	171114	162369	135269	62096	59729	237	183
17.	त्रिपुरा	1995	1944	1599	1424	218	256	448	359
18.	उत्तर प्रदेश	561377	527036	390501	346209	263815	236599	1487	797
19.	पश्चिम बंगाल	1270965	1202009	965293	2151632	359519	800870	186958	419849
20.	दादर और नगर हवेली	9406	9305	6851	3353	53	30	6795	3321
21.	दिल्ली	1132	394	394	654	277	495	0	0
22.	पांडिचेरी	2326	1160	1022	1359	612	797	0	0
	जोड़	**7493771**	**6484321**	**5213328**	**5120859**	**1807575**	**1848833**	**731033**	**718805**

अनुबंध- 6.VI
(संदर्भ पैरा 6.25)

26.11.1996 को आयोजित सम्मेलन में राजस्व सचिवों द्वारा बताए गए विभिन्न राज्यों में सरकारी बंजर भूमि और भूदान भूमि के संबंध में वितरण दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्रफल लाख एकड़ में)

सरकारी बंजर भूमि का वितरण | **भूदान भूमि का वितरण**

क्रम सं.	राज्य	(1995) से पूर्व की सुचना के अनुसार	26.11.96 को दी गई सूचना के अनुसार		लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या (लाख में)	संदान की गई भूमि	वितरित	शेष क्षेत्र. वितरित किये गये
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.4	44.51	24.66	1.96	1.09	0.87	55.61
2.	असम	3.75	5.89	7	0.01	0.01	0	100
3.	बिहार	9.75	12.16	11.28	21.18	7.03	14.15	33.19
4.	गोवा	0.05	सूचित नहीं	किया गया				
5.	गुजरात	13.81	13.93	----	0.34	0.27	0.07	79.41
6.	हरियाणा	0.03	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0.02	0.02	0	100
7.	हिमाचल प्रदेश	0.17	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0.01	0.001	0	100
8.	कर्नाटक	13.72	25.8	3.85	0.11	0.05	0.06	0
9.	केरल	4.57	4.63	5.75	0.02	0.02	0	100
10.	मध्य प्रदेश	1.71	0.79	सूचित नहीं	4.1	2.6	1.5	63.41
11.	महाराष्ट्र	10.23	सुचित नही	किया गया	1.1	0.83	0.27	75.45
12.	मणिपुर	0.32		ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं				
13.	मिजोरम	0.74	सूचित नहीं	सूचित नहीं	----	---	---	---
14.	उड़ीसा	6.64	6.89	4.28	6.39	5.8	0.59	90.77
15.	पंजाब	1.1	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0.05	0.01	0.04	20
16.	राजस्थान	0.93	0.93	सूचित नहीं	6.06	2.36	3.7	38.94
17.	तमिलनाडु	2.07	2.65	2.58	0.25	0.21	0.04	84
18.	त्रिपुरा	1.32	सूचित नहीं	सूचित नही	...	....	...	...
19.	उत्तर प्रदेश	22.28	24.39	29.01	4.37	4.21	0.16	96.34
20.	पश्चिम बंगाल	4.32	सूचित नहीं	सूचित नही	नगण्य	0	0	0
21.	दिल्ली	0.06	0.3	0.07	---	---	---	---
22.	**जोड़**	**127.97**	**142.87**	**88.48**	**45.97**	**24.52**	**21.45**	**53.33**

स्रोत :- ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1996–97

टिप्पणी :-शेष राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने सूचना नहीं भेजी।

अनुबंध- 6.VII
(संदर्भ पैरा 6.33)

जनजातीय उप-योजना (टी. एस. पी.) वाले राज्यों में भूमि संबंधी कानून

क्रम सं.	राज्य	लागू विधान	मुख्य बातें
1.	आंध्र प्रदेश	यथा संशोधित आंध्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) भूमि अंतरण विनियम 1959	यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है। अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण दिया जाए।
2.	असम	वर्ष 1981 में यथा संशोधित असम भू–राजस्व विनियम 1886	विनियम के अध्याय में जनजातीय क्षेत्र और ब्लॉक बनाए गए हैं। जनजातियों के हितों में इन क्षेत्रों और ब्लॉकों में भूमि का हस्तांतरण विनिमय और पट्टे पर देना प्रतिबंधित है।
3.	बिहार	(क) छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908	यह अधिनियम राज्य में अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन पर लागू होता है।
		(ख) संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम 1949	यह अधिनियम संथाल परगना डिवीजन क्षेत्र पर लागू होता है।
		(ग) बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969	यह अधिनियम राज्य के सभी अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है।
4.	गुजरात	बम्बई भू–राजस्व (गुजरात द्वितीय संशोधन अधिनियम 1980)	यह अधिनियम जनजातीय भूमि का अंतरण रोकता है और इसमें भूमि वापस दिलाने की व्यवस्था है।
5.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण विनियम अधिनियम 1969	यह अधिनियम भूमि का जनजातीय से गैर–जनजातीय लोगों को हस्तांतरण रोकता है।
6.	कर्नाटक	कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय जनजातीय भूमि के अंतरण पर रोक) अधिनियम 1978	इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा सौपी गई भूमि ही आती है। इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा धारित सभी भूमि लाने के लिए इसका विस्तार किया जाए।
7.	केरल	केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध और हस्तांतरित भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम 1975	अधिनियम को जनवरी 1986 में अधिसूचना जारी करके पहली जून 1982 से प्रवृत्त किया गया था।

8.	मध्य प्रदेश	(1) मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959	संहिता की धारा 153 में अनुसूचित जनजातियों की भूमि हस्तांतरण के विरूद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है।
		(2) मध्य प्रदेश भूमि वितरण विनियम अधिनियम 1964	अधिनियम मध्य भारत क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त है।
9.	मणिपुर	मणिपुर भू–राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960	अधिनियम की धारा 158 के अंतर्गत अ.ज.जा. की किसी भी भूमि का उपायुक्त की अनुमति के बिना गैर अ.ज.जा. को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता/परन्तु यह अधिनियम पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, अतः पहाड़ी क्षेत्र की जनजातियां इसमें नहीं आती।
10	महाराष्ट्र	(1) वर्ष 1974 में यथा संशोधित महाराष्ट्र भू–राजस्व संहित 1966	इस कानूनों के अंतर्गत गैर–कानूनी ढंग से हस्तांतरित भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए जनजातियों द्वारा आवेदन की अवधि केवल 3 वर्ष है।
		(2) महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम 1974	यह अवधि वर्ष 1977 में समाप्त हो गई. यद्यपि राजस्व अधिकारियों द्वारा मामले दायर करने के स्व–प्रेरणा उपबंध कानून के अंतर्गत विद्यमान है, तथापि राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को 3 वर्ष की सीमित अवधि के बाद भी स्वतः आवेदन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
11.	उड़ीसा	(क) उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति का अंतरण (अ.ज.जा. द्वारा) विनियम 1956 (ख) यथा संशोधित उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम 1960	यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में अ. ज. जा. की भूमि के अन्तरण पर प्रतिबंध लगाता है। अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि के अंतरण पर भी रोक लगाता है।

12	राजस्थान	(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955	वर्ष 1955 का यह अधिनियम अ. ज. जा. की भूमि को बिक्री, उपहार, बंधक, उप किराए पर देकर विनिमय आदि के द्वारा अंतरण किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है।
		(ख) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956	राज्य सरकार अ.ज.जा. की भूमि में अतिक्रमण करने वाले ट्रेसपासारज के विरूद्ध स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को प्राधिकार देने के लिए इस अधिनियम की धारा 91 में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रही है।
13.	सिक्किम	वर्ष 1977 का राजस्व आदेश संख्या–1	वर्ष 1977 का राजस्व आदेश प्रवृत्त है। अध्याय 7 में सिक्किम कृषि भूमि सीमा तथा सुधार अधिनियम 1977 में अ. ज. जा. द्वारा भूमि का हस्तांतरण करने पर रोक का प्रावधान है। यह अध्याय अभी प्रवृत्त नहीं किया गया है।
14.	तमिलनाडु	राजस्व बोर्ड–बी.एस.ओ. के स्थायी आदेश 15–40	बी. सी. ओ. 15–40 तमिलनाडु की मलचाली और शोलेज जनजातियों पर ही लागू होता है। इनमें इन जनजातीयों को सौपी गई भूमि का डिवीजनल आयुक्त की अनुमति के बिना अंतरण किए जाने पर प्रतिबंध है। राज्य में अ.ज. जाति की भूमि का अंतरण रोकने संबंधी अभी कोई विधान नहीं है। प्रारूप विधेयक तैयार कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई चल रही है।
15.	त्रिपुरा	यथा संशोधित त्रिपुरा भू–राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम 1960	अधिनियम की धारा में 187 अ. ज. जा. की भूमि को कलक्टर के अनुमति के बिना अन्य लोगों को हस्तांतरण किए जाने पर प्रतिबंध है। तथापि केवल 1.1.1969 के बाद

			के अंतरण ही संशोधन करके प्रत्यावर्तन उपबंधों के अंतर्गत आते हैं।
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संशोधन में उत्तर प्रदेश भूमि कानून (संशोधन) अधिनियम 1982	संशोधनकारी अधिनियम 23.9.1981 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट मामले (स्वर्ण सिंह बनाम राज्य सरकार) में पड़ा रहने के कारण इसे कभी लागू नहीं किया जा सका। राज्य सरकार को स्थगनादेश रद्द करवाने के लिए न्यायालय में जाना चाहिए।
17.	पश्चिम बंगाल	यथा संशोधित पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955	अधिनियम के अध्याय 11–क में जनजातीय भूमि का हस्तांतरण करने पर प्रतिबंध है और उसमें प्रत्यावर्तन का प्रावधान है।

अध्याय – VII

सेवा संबंधी सुरक्षण

इस समय भारत सरकार अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती में और पदोन्नतियों में भी अनुसूचित जाति को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। इस संबंध में ब्यौरे **अनुबंध 7.1** में देखे जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा अ.जा. और अ.ज.जाति को आरक्षण विधान के माध्यम से न देकर अनुदेशों और कार्यपालिक आदेशों के माध्यम से दिया गया है। सरकारी बैंकों और सरकारी उद्यमों की सेवाओं में आरक्षण वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग द्वारा और सरकारी उद्यम विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी अलग अनुदेशों द्वारा शासित होता है। देश में ऐसे अन्य कई सांविधिक अथवा असांविधिक प्रतिष्ठान हैं, जिनमें आरक्षण कार्यपालक अनुदेशों के माध्यम से दिया जाता है।

7.2 तथापि, आयोग ने पाया है कि आरक्षण नीति का ठीक प्रकार से अनुपालन करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई कानून न होने के कारण आरक्षण नीति का ईमानदारी से अनुपालन नहीं हो रहा है।

7.3 इसलिए अ.जा. और अ.ज.जा. के आरक्षण के संबंध में कानून बनाने की विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय–समय पर मांग उठायी जाती रही है।

7.4 इस संबंध में कल्याण मंत्रालय द्वारा एक मसौदा विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियुक्तियों अथवा पदों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों पर आरक्षण विधेयक 1996 तैयार किया गया है, जो टिप्पणियों के लिए आयोग को प्राप्त हुआ। इस विधेयक पर आयोग में विचार–विमर्श किया गया और टिप्पणियां कल्याण मंत्रालय को भेज दी गई। **आयोग की सिफारिश है कि सेवाओं में आरक्षण के पूरे मुद्दे को अविलम्ब कानूनी आधार दिया जाए और विधेयक को कल्याण मंत्रालय द्वारा यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत कर दिया जाए। मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि इस प्रस्तावित अधिनियम में शास्तिक खंड जोड़ा जाए, जिसमें ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का उपबंध हो जो जानबूझकर आरक्षण नीति का दुरूपयोग गलत निवर्चन अथवा उसे लागू न करने के लिए उत्तरदायी हों। अनुकल्पतः राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकते हैं ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए संवैधानिक सुरक्षणों को स्पष्ट असंदिग्ध कानूनी दर्जा मिल सके।**

सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

(क) केन्द्रीय सरकार में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

7.5 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1.1.95 को केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समूहवार प्रतिनिधित्व इस प्रकार था।

तालिका 7.1

दिनांक 1.1.95 को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल संख्या	अ.जा.	प्रतिशत	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
क	65,408	6,637	10.15	1,891	2.89
ख	1,08,857	13,797	12.67	2,913	2.68
ग	23,41,863	3,78,172	16.15	1,33,176	5.69
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	10,41,082	2,21,380	21.26	67,453	6.48
सफाई कर्मचारी	1,77,527	78,719	44.34	12,269	6.91
योग	35,57,210	6,19,986	17.43	2,05,436	5.78

7.6 उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार के समूह क और ख पदों पर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अभी तक 15 प्रतिशत के निर्धारित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। समूह "ग" और "घ" में अनुसूचित जाति के आरक्षण की प्रतिशतता 15 प्रतिशत से अधिक हो गई है। अनुसूचित जनजाति के मामले में सभी समूहों में प्रतिशतता 7.5 से कम है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि समूह 'ग' और 'घ' तक में अनुसूचित जनजाति की 7.5 प्रतिशत निर्धारित प्रतिशतता को अभी पूरा किया जाना है। आयोग ने जैसा कि अपनी वर्ष 1994–95 और 1995–96 की पिछली रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों ही तरह के उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

ख. केन्द्रीय सरकार उद्यमों में अ.जा./अ.ज.जा. के प्रतिनिधित्व

7.7 सरकारी उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में 1.1.1996 को विभिन्न समूहों के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था:

तालिका - 7.2

दिनांक 1.1.96 को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारी की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता	अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
क	1,98,625	16,710	8.41	4,505	2.27
ख	1,64,402	15,921	9.68	5,788	3.52
ग	11,32,860	2,16,801	19.14	98,816	8.72
घ	4,77254	1,06,934	22.41	50,958	10.68
(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)					
योग	19,73,141	3,56,366	18.06	1,60,067	8.11
सफाई कर्मचारी	24,623	21,506	87.34	800	3.25
सकल	19,97,764	3,77,872	18.91	1,60,867	8.05

7.8 उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी उद्यमों में समूह "ग" और "घ" पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर को पार कर चुका है। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही के संबंध में समूह "क" और "ख" म स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। इसलिए समूह "क" और "ख" में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

ग. सरकारी बैंकों में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

7.9 सरकारी बैंकों में वर्ष 1969 और 1–1–1996 को कर्मचारियों के चारों संवर्गों में कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण **अनुबंध-7.II** में दिया गया है। इससे पता चलता हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नगण्य था और बैंकों को सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाने के बाद इसमें तीव्र वृद्धि हो गई। सरकारी बैंकों की

सेवाओं में दिनांक 1–1–1996 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है :–

तालिका - 7.3

सरकारी बैंकों में 1-1-1996 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

संवर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता	अ.ज.जा. के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
क अधिकारी	2,52,898	28,102	11.11	9,235	3.65
ख क्लर्क	4,73,133	69,493	14.69	22,269	4.71
ग अधीनस्थ कर्मचारी (सफाई कर्मचारियों सहित)	2,18,980	62,400	28.49	12,794	5.84
सकल योग	9,45,011	1,59,995	16.93	44,298	4.69

7.10 उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अब भी निर्धारित प्रतिशतता से काफी कम है जबकि क्लर्क संवर्ग में यह निर्धारित स्तर के लगभग पहुँच गया है। इसलिए अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बढ.ाये जाने के प्रयास किये जाते रहने और उस पर समुचित ध्यान देते रहने की आवश्यकता है ताकि यह देखा जा सके कि सभी स्तरों पर अधिकारी संवर्ग में पद भरे हुए हैं। सभी पदों और सभी श्रेणी के पदों में आरक्षण की व्यवस्था नए अनुच्छेद 16 (4) (क) के अंतर्गत 77वां संवैधानिक संशोधन करके की गयी है। अधीनस्थ कर्मचारियों की श्रेणी में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व आरक्षण की निर्धारित प्रतिशत से अधिक हो चुका है। जहां तक अनुसूचित जनजाति का संबंध है, सभी संवर्गों में उनका प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत से कम बना हुआ है। इसलिए उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने के लिए और अधिक कारगर उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसलिए इन केन्द्रों में और अधिक गहन प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर–शिक्षण पदों पर अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

7.11 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण शिक्षण पदों पर लेक्चरर ग्रेड तक और गैर–शिक्षण पदों पर सभी ग्रेडों में दिया जाता है। रीडर और प्रोफेसर पदों पर आरक्षण देना शुरू नहीं किया गया है। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सरकार के दिशा–निर्देश लागू किए जाने के संबंध में शीर्ष निकाय है, इसलिए यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यालय में हुई बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष रखा गया और उनसे जोर देकर कहा गया कि रीडर और प्रोफेसर स्तर पर भी आरक्षण लागू करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर वर्ष 1995-96 के दौरान दिनांक 1-1-1996 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है जो, **अनुबंध-7.III** पर देखी जा सकती है। विश्वविद्यालयवार स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :

i. हैदराबाद विश्वविद्यालय : लेक्चरर संवर्ग में कुल 73 पदधारियों में से अ.जा. की संख्या 8 (11 प्रतिशत) और अ.ज.जा. की संख्या एक (1.4 प्रतिशत) थी जो बिल्कुल अपर्याप्त है। गैर–शिक्षण पदों के मामले में, समूह 'ख' पदों पर अ.जा. का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था, जबकि अ.ज.जा. की स्थिति सभी ग्रुपों में संतोषजनक नहीं थी।

ii. असम विश्वविद्यालय : यह देखने में आया है कि कुल 25 लेक्चररों में से अ.जा. के 6 (24 प्रतिशत) और अ.ज.जा. के 3 (12 प्रतिशत) थे। गैर–शिक्षण पदों में भी समूह "क" पदों को छोड़कर स्थिति संतोषजनक थी।

iii. तेजपुर विश्वविद्यालय : कुल 15 लेक्चररों में से अनुसूचित जाति का कोई लेक्चरर नहीं था और अनु.ज. जा. का केवल एक लेक्चरर था। गैर–शिक्षण पदों की स्थिति भी काफी निराशाजनक है क्योंकि उनमें समूह "क" और "ख" में अ.जा. और अ.ज.जा. का ,कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं तथा समूह "ग" में भी अ.जा. का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत से काफी कम है।

iv. दिल्ली विश्वविद्यालय : कुल 133 लेक्चररों में से अ.जा. के 3(2.26 प्रतिशत) और अ.ज.जा. का एक (0.75 प्रतिशत) लेक्चरर थे समूह "क" के गैर–शिक्षण पदों में अ.जा. का प्रतिनिधित्व नगण्य था और समूह "ख" तथा "ग" में यह संतोषजनक नहीं था। अनु.ज.जा. का प्रतिनिधित्व समूह 'ख' में शून्य और समूह "क" "ग" और "घ" में न के बराबर था।

v. जामिया मिलिया इस्लामियां विश्वविद्यालय : लेक्चररों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शून्य था और गैर–शिक्षण पदों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं थी। स्पष्ट है कि लेक्चरर के ग्रेड में भर्ती में विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण नीति लागू नहीं की जा रही है।

vi. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय : कुल 74 लेक्चररों में से अ.जा. के 5(6.7 प्रतिशत) और अ.ज.जा. के 3 (4.05 प्रतिशत) थे। समूह "क" और "ख" के गैर–शिक्षण पदों में अ.जा. का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था तथा अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व सभी समूहों में नगण्य था अतः स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।

vii. एनईएचयू शिलंग : लेक्चरर के ग्रेड में अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व 53.3 प्रतिशत था लेकिन अ.जा. का प्रतिनिधित्व शून्य था। गैर–शिक्षण पदों में अ.जा. का प्रतिनिधित्व समूह "क" में शून्य था और समूह "ख", "ग" तथा 'घ' में नगण्य था, जबकि समूह "क", "ख", 'ग' और "घ" में अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व क्रमशः 84.2 प्रतिशत, 56 प्रतिशत, 71 प्रतिशत और 79 प्रतिशत था।

viii. नागालैण्ड विश्वविद्यालय : सभी 16 लेक्चरर अ.ज.जा. के हैं तथा गैर–शिक्षण पदों पर समूह "क" में 90 प्रतिशत, समूह "ख" में 100 प्रतिशत, समूह "ग" में 92.7 प्रतिशत तथा समूह "घ" में 93.7 प्रतिशत प्रतिनिधि अ.ज.जा. के थे।

ix. पांडिचेरी विश्वविद्यालय : कुल 56 लेक्चररों में से 11 (19.6 प्रतिशत) अ.जा. के हैं तथा अ.ज.जा. का कोई लेक्चरर नहीं है। गैर–शिक्षण पदों पर 'क' तथा "घ" समूह में अ.ज.जा. के लोगों की संख्या संतोषजनक नहीं थी। गैर–शिक्षण पदों पर समूह "ख" तथा "ग" में अ.ज. जा. का प्रतिनिधित्व शून्य तथा समूह "क" और "घ" में ये न के बराबर थे। इसलिए अ. ज.जा. का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

x. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय : कुल 535 लेक्चररों में से अ.जा. या अ.ज.जा. का कोई लेक्चरर नहीं था। गैर–शिक्षण पदों पर समूह "क" में अ.जा. के प्रतिनिधित्व शून्य तथा समूह "ख" और "ग" में न के बराबर थे जबकि समूह "क" तथा "ख" में अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व शून्य तथा समूह "ग" तथा "घ" में यह न के बराबर था। स्पष्टतया विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

xi. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास इस विश्वविद्यालय के शिक्षण तथा गैर शिक्षण पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

xii. विश्वभारती विश्वविद्यालय : कुल 140 लेक्चररों (रु. 2200–4000, 3000–5000 तथा 3700–5700 के वेतनमान के लेक्चररों सहित) में से अनु. जाति के 11 (7.9 प्रतिशत) तथा अ.ज.जा. के 2 (1.4 प्रतिशत) लेक्चरर थे। गैर–शिक्षण पदों पर समूह "क" तथा "ख" में अ.ज.जा. की स्थिति संतोषजनक नहीं थी तथा समूह "क" में अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व शून्य तथा समूह "ख" तथा "ग" में न के बराबर था। इससे पता चलता है कि आरक्षण नीति को लागू करने में कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही।

7.12 उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने आरक्षण नीति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद गंभीरतापूर्वक आरक्षण नीति को लागू नहीं किया। ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। **इसलिए आयोग ने जोरदार सिफारिश की कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तुरन्त उपचारी उपाय किए जाएं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा आरक्षण नीति को समुचित प्रकार से लागू करना सुनिश्चित किया जाए।**

दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थिति की समीक्षा :

7.73 दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों तथा उनके संघों की ओर से बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों जिनमें विश्वविद्यालय पर आरक्षण नीति का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे, को देखते हुए आयोग ने उपकुलपति तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रमुखों सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों और विभिन्न कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया। दिनांक 27-1-97 को विश्वविद्यालय परिसर में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष ने की। विचार–विमर्श के दौरान, आयोग ने शैक्षिक पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि कम होने पर नाराजगी जाहिर की तथा स्वतंत्रता के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा न होने के कारणों को जानना चाहा।

7.14 अधिकांश प्रधानाचार्यों ने लेक्चररों के पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार विशेषकर विज्ञान के विषयों तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपलब्ध न होने का प्रश्न उठाया। अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षित पदों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाए तथा उसके अनुसार ही आवेदन पत्र

आमंत्रित किए जाएं तथा अ.जा./अ.ज.जा. के पदों का विशेष रूप से उल्लेख किए बिना ही केवल पदों का विज्ञापन दे देना उचित नहीं होगा, क्योंकि आरक्षित पदों को स्पष्ट करने से अ.जा/अ.ज.जा. के उम्मीदवारों द्वारा सामान्य श्रेणी वाले पदों के लिए आवेदन करने की संभावना नहीं रहेगी।

7.15 आरक्षण नीति को लागू करने के संबंध में निराशाजनक स्थिति को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आयोग ने विश्वविद्यालय प्राधिकारियों पर इस सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए दवाब डाला। **आयोग के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण नीति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित तथा भरी न गई पिछली रिक्तियों का पता लगाकर लागू किया जाए तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) दिनांक के प्रश्न पर विचार किया जाए और उसका निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा लिया जाए।** अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को विश्वविद्यालय तथा कालेजों में प्रवेश/छात्रावास तथा कोचिंग सुविधाओं शिक्षण/गैर शिक्षण पदों की भर्ती के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ (सेल) बनाने की भी सलाह दी।

7.16 आयोग द्वारा लिए गए उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया। **यह आयोग का सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारी उपाय करने चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य सभी विश्वविद्यालयों द्वारा आरक्षण संबंधी नीति को समुचित रूप से लागू किया जा रहा है या नहीं।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समीक्षा बैठक :

7.17 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने 13-8-97 को हुई बैठक में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण संबंधी नीति को लागू करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वि. अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग के सचिव के साथ विचार विमर्श किया। हालांकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले अन्य स्वायत्त संगठनों की तरह गैर शिक्षण पदों में समूह "क" के पदों तक भर्ती तथा पदोन्नति में अनुसूचित जाति को क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत आरक्षण देना आवश्यक है परन्तु पूर्व पैराओं में दिए गए ब्यौरों से यह देखा जा सकता है कि लगभग सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है।

7.18 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए हैं तथा 9-10-96 को इस संबंध में अनुदेश जारी किए हैं कि स्टाफ श्रेणियों के लिए अनुदानों को केवल अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण संबंधी नीति को पूरी तरह लागू करने के बाद ही जारी किया जाए। परन्तु इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9-10-.96 को अपने द्वारा जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए स्टाफ के वेतन का केवल 10 प्रतिशत अनुदान ही रोक रखा था। आयोग की दृष्टि से इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने अनुदेशों के अनुसार अनुदान राशि का केवल 10 प्रतिशत रोक लेना पर्याप्त नहीं था। **तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 9-10-96 के अनुदेशों के प्रभाव तथा विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए गए विशेष भर्ती अभियानों (एसआरडी) का मूल्यांकन किया जाए।**

7.19 आयोग ने यह भी पाया कि शिक्षण पदों के मामले में सीधी भर्ती में आरक्षण रीडर तथा प्रोफेसर के पदों को आरक्षण की सीमा से बाहर रखते हुए लेक्चरर के स्तर तक सीमित था। **आयोग ने महसूस किया कि आरक्षण नीति के संबंध में इस प्रकार का प्रतिबंध उचित नहीं है, इसलिए आयोग ने रीडर तथा प्रोफेसरों सहित सभी स्तरों पर सीधी भर्ती में आरक्षण लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया।**

7.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति को लागू करने की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए स्थायी समितियों की नियुक्ति की है। वह आयोग को भी स्थायी समितियों की समीक्षा बैठकों में शामिल करने पर सहमत हो गया है।

7.21 आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षकों के स्तर तक नियुक्ति के लिए अ.जा/अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में तथा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाए।

7.22 **रस्तोगी समिति ने सिफारिश की कि स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा 1993 के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को लेक्चरर पद के योग्य होने के लिए एनईटी/एसएलईटी से छूट दी जाए। आयोग ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में रस्तोगी समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर सकता है।**

7.23 आयोग ने महसूस किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तारीख 21-6-93 के उन मार्गनिर्देशों का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। जिनमें यह अपेक्षा की गई है कि

रजिस्ट्रार के स्तर तक यह आरक्षण तब तक लागू हो सकता है यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 4 या उससे अधिक समकक्ष पद हो। इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन मार्गनिर्देशों में संशोधन करने की अत्यावश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।

(ङ) न्यायिक सेवाओं तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

7.24 आयोग ने न्यायिक सेवाओं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधी ों के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का अवलोकन करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में, आयोग ने विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) से संपर्क किया, मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों से आयोग को आवश्यक आंकडे भेजने के लिए कहा। इस संबंध में आयोग को कुछ राज्यों से जो ब्यौरे प्राप्त हो सके, उनका उल्लेख नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका 7.4

न्यायिक सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

	कुल	अ.जा.	प्रतिशतता	अ.ज.जा.	प्रतिशतता
1. गुजरात (7-1-1996 को)					
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश	27	0	0	0	0
राज्य की उच्चतर न्यायिक सेवा	95	3	3.66	0	0
राज्य की न्यायिक सेवा	46	39	8.60	7	1.72
2. हरियाणा (1-1-96 को)					
हरियाणा उच्चतम न्यायिक सेवा	81	1	1.23	–	–
हरियाणा सिविल सेवा	114	22	19.27	–	–
3. हिमाचल प्रदेश (1-1-96 को)					
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हि.प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा	27	4	14	1	4
हि.प्र. न्यायिक सेवा	59	4	7	शून्य	शून्य
4. केरल (1-1-96 को)					
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	25	1	4	0	0
केरल उच्चतर न्यायिक सेवा	82	*7	*8.53	0	0
केरल न्यायिक सेवा	287	*31	*11.03		

*अ.ज./अ.ज.जा. दोनों के लिए

5. तमिलनाडु (1-1-96 को)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	20	*2	10.00	0	0
राज्य न्यायिक सेवा	560	*96	17.14		

*अ.ज./अ.ज.जा. दोनों के लिए

6. सिक्किम (1-1-96 को)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सिक्किम वरिष्ठ न्यायिक सेवा	5	शून्य	शून्य	1	20
सिक्किम न्यायिक सेवा	6	4	66.67	1	16.67

7. दिल्ली (1-1-96 को)

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा	72	8	9.75	1	1.22
दिल्ली न्यायिक सेवा	158	28	17.72	1	06

8. राजस्थान (फरवरी 89 के अनुमान)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9. उड़ीसा (फरवरी 98 के अनुसार

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	15	1	6.2	शून्य	शून्य

10. जबलपुर मध्य प्रदेश (फरवरी 98 के अनुसार)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11. कलकत्ता (फरवरी 98 के अनुसार)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	39	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12. मुम्बई (फरवरी 98 के अनुसार)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	50	2	1	शून्य	शून्य

13. कर्नाटक (1.1.96 को)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	उ.नहीं	3		1	

14. पंजाब और हरियाणा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	29	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. तमिलनाडु (1.1.97 को)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	38	4	10.53	शून्य	शून्य

16. गुवाहाटी (1.1.96 को)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	13	शून्य	शून्य	2	15.38

7.25 यह देखा गया है कि राज्य न्यायिक सेवाओं के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम है हालांकि इन सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण होता है। **इसलिए न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के सभी संभव उपाय करने होंगे।**

विशेष भर्ती अभियान 1996 के अंतर्गत उपलब्धि

7.26 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित (पहले से चली आ रही) बैकलॉग रिक्तियां ऐसी आरक्षित रिक्तियाँ है जो किसी भी वर्ष में भरी न जा सकने के कारण अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत कर दी जाती हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, बैंकों और बीमा निगमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैक लॉग (पहले से चली आ रही रिक्तियों) को एक निश्चित समय सीमा में भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) चलाया है। विशेष भर्ती अभियान 1995 की प्रक्रिया 15.7.1996 से 31.3.1997 तक की अवधि के लिए बढ़ाई गई थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विशेष भर्ती अभियान के लिए अभिनिर्धारित रिक्तियां भरी गई रिक्तियों और ऐसी रिक्तियां जो भरी न गई हों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई सूचना निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका-7.5

विशेष भर्ती अभियान की प्रगति

मद	विभिन्न सेवा वर्गों में पदों की संख्या				
	क	ख	ग	घ	जोड़
क. भारत सरकार के विभाग					
1. अनुसूचित जाति					
पहले से चले आ रहे रिक्त पद (विकलांग)	493	853	5604	1910	8860
भर्ती किए गए	124	415	2473	1037	4049
	(25.15)	(48.65)	(44.12)	(54.20)	(45.69)
शेष बैक लॉग	369	438	3131	873	4011
	(74.84)	(57.34)	(55.87)	(45.70)	(54.30)

2. अनुसूचित जनजाति

पहले से चले आ रहे रिक्त पद (बैक लॉग)	511	617	5785	3009	9922
भर्ती किए गए	58 (11.35)	283 (45.86)	1673 (28.91)	1184 (39.34)	3198 (32.33)
शेष बैक लॉग	453 (88.64)	334 (54.13)	4112 (71.08)	1825 (60.65)	6724 (67.76)

	पहले से चली आ रही रिक्तियां (बैकलॉग) (रिक्तियां)	भर्ती किए गए	शेष बची पहले की (बैकलॉग) (रिक्तियां)
ख. बैंक			
अनुसूचित जाति	603	331 (54.89)	272 (45.10)
अनुसूचित जनजाति	881	391 (44.38)	490 (55.60)
ग. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम			
अनुसूचित जाति	2996	359 (11.81)	2642 (88.18)
अनुसूचित जनजाति	2708	202 (7.45)	2506 (92.54)

टिप्पणी–कोष्ठक (ब्रैकेट) में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

7.27 उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि केन्द्र सरकार तथा बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 1996 के विशेष भर्ती अभियान की उपलब्धि भी काफी असंतोषजनक रही, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों में यह उपलब्धि नगण्य रही क्योंकि अ.जा. की बैकलॉग के रूप में पहचान की गई कुल रिक्तियों का 88.18 प्रतिशत तथा अ.ज.जा. की बैकलॉग की कुल रिक्तियों में से 92.54 प्रतिशत को भरा नहीं गया। यह स्पष्ट है कि विशेष भर्ती अभियान की प्रकिया को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया तथा उसे केवल नेमी कार्य माना गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति पर इस अध्याय के पिछले भाग में विचार विमर्श किया गया है। यह देखा गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व विशेाकर सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और न्यायिक क्षेत्र के अपेक्षाक त उच्च पदों पर

भी निर्धारित संख्या तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि विशेष भर्ती अभियानों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए परन्तु इससे बैकलॉग की रिक्तियां कम होने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में सहायता मिली।

7.28 जैसा कि हमने पहले कहा है, भारत सरकार में विशेष भर्ती अभियानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए शुरू किया था क्योंकि सामान्य भर्ती प्रक्रिया के द्वारा ये रिक्तियाँ भरी नहीं गई थी। पहले, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने तारीख 25-4-89 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/6/88 – स्था. (एससीडी) के द्वारा बैकलॉग रिक्तियों को भरने का परिपत्र जारी किया तथा आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 50 प्रतिशत की सीमा को विशेष भर्ती अभियान के लिए लागू नहीं किया गया। उपर्युक्त के बावजूद अधिकांश विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बैकलॉग की अत्यधिक रिक्तियां खाली पड़ी है। जैसाकि तालिका में दिखाया गया है। हालांकि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने हाल में **तारीख 29-08-97 को कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/5/97 स्था. (आर)** जारी किया है जिसमें विशेष भर्ती अभियान को जारी न रखने के अलावा बैकलॉग रिक्तियों सहित सभी रिक्तियों के संबंध में 50 प्रतिशत की सीमा रखी गई है।

7.29 इस आदेश को जारी करने से पहले आयोग से परामर्श नहीं किया गया जबकि संविधान के अनुसार इस प्रकार का परामर्श लेना अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अधिकांश विभागों में समूह "क" तथा "ख" में तथा कुछ विभागों में समूह "ग" तथा "घ" में भी आरक्षण के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए अब भी संघर्षरत है। ऐसे में दोनों (अ.जा./अ.ज.जा.) की बैकलॉग तथा वर्तमान रिक्तियों के संबंध में 50 प्रतिशत की सीमा को लागू करने से बैकलॉग रिक्तियों को भरने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। **इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के तारीख 27-8-97 के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए।**

पदोन्नति में आरक्षण

7.30 जैसा कि आयोग की पिछली रिपोर्ट में ब्यौरेवार स्पष्ट किया गया है, पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया था परन्तु उच्चतम न्यायालय ने इसे 15-11-97 तक जारी रखने की अनुमति दे दी थी। इस मामले में निर्णय के फलस्वरूप संविधान में संवैधानिक (77वां संशोधन) अधिनियम 1995 के द्वारा संशोधन किया गया तथा संविधान में

अनुच्छेद 16 (4) (क) को शामिल किया गया। नए अनुच्छेद के द्वारा राज्य को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पक्ष में राज्य के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में किसी श्रेणी या श्रेणियों के लिए पदोन्नति के मामलों में आरक्षण, जो राज्य की राय में उसकी सेवाओं में पर्याप्त न हों, के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है।

7.31 संशोधन के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की गई कि पदोन्नति में आरक्षण की सभी श्रेणियों तथा पदों, समूह "क" की निम्नतम श्रेणी से ऊपर की श्रेणी जहां तक पदोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति सीमित है, सहित के सभी स्तरों तक बढ़ाया जाएगा। यह स्पष्ट है कि सेवाओं में विशेषकर "क" और "ख" समूहों में अनु.जाति और अनु. जनजाति का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

7.32 तथापि, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-08-97 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/18/95 – स्था. (आर) भाग – II में इस प्रकार का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है तथा केवल पदोन्नति में आरक्षण को बढ़ाया गया है जैसा इस समय प्रावधान है। विचार विमर्श करने पर आयोग ने अपना मत प्रकट किया कि पदोन्नति में आरक्षण को समूह "क" सहित, सभी स्तरों तक के लिए बढ़ाया जाए। हालांकि राष्ट्रीय आयोग के सुझावों तथा मत को अनदेखा कर दिनांक 13-8-97 को आदेश जारी कर दिया। **आयोग ने सिफारिश की कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 77वें संशोधन के अभिप्राय के अनुसार सभी श्रेणियों के पदों के लिए बढ़ाया जाए।**

7.33 प्रारंभ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 20011/1/96 स्था. (डी) के द्वारा दिनांक 30.1.97 को अनुदेश जारी किए, जिसमें उसने वरिष्ठता निर्धारण के अपने अनुदेशों में संशोधन किया तथा दिनांक 27-7-97 के कार्य ज्ञापन सं. 360/2/23/96 स्था. (आर) द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में छूट को वापस ले लिया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने **दिनांक 30-01-97 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20011/1/96 - स्था. (डी)** द्वारा वरिष्ठता निर्धारण के अपने पहले के अनुदेशों में संशोधन किया। पहले अनुदेशों के अनुसार, पूर्व चयन के माध्यम से पदोन्नत व्यक्ति बाद के चयन द्वारा पदोन्नत व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से वरिष्ठ होंगे। दिनांक 30-01-97 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी वरिष्ठता में पहले पदोन्नति अ.जा. या अ.जा.जा. के अभ्यर्थियों से ऊपर होंगे यदि सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी अपेक्षाकृत निम्न ग्रेड में वरिष्ठ हों। समझा जाता है कि ये आदेश भारत संघ तथा अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान आदि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तारीख 10-10-85 के निर्णय के

अनुसार जारी किए गए हैं। हालांकि इस आदेश के सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की वरिष्ठता को प्रभावित करने के गंभीर परिणाम थे परन्तु इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श नहीं लिया गया जबकि इस प्रकार का परामर्श अनुच्छेद 338 के अनुसार अनिवार्य है।

7.34 इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीश लाल तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा (जे टी 1997 (5) एससी 38 7) के मामले में दिनांक 7-5-97 को स्पष्ट रूप से निर्णय दिया, जिसमें वरिष्ठता की पहली संकल्पना को फिर से लागू करने को कहा गया था। भारत सरकार ने जगदीश लाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम अधिमत के आधार पर इन अनुदेशों को वापस नहीं लिया।

7.35 **दिनांक 22-07-.97 के कार्यालय ज्ञा. सं. 36012/23/96 स्था. (आर)** के संबंध में यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों/रिक्तियों को भरने की जरूरत के अनुसार भारत सरकार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में इन वर्गों के अभ्यर्थियों को कुछ छूट तथा सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रकार की छूट तथा सुविधा का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 7.IV में दिया गया है। हालांकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इन्दिरा साहनी तथा एस. विनोद कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अभिवचन के आधार पर इन छूटों को वापस ले लिया है तथा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है, देखें दिनांक 22.07.97 का कार्यालय ज्ञा. सं. 36012/23/96 स्था.(आर.

7.36 यह फिर दोहराया जाता है कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद तथा सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को छूट तथा सुविधा के प्रावधान करने के बावजूद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व विशेषकर क. तथा ख. समूहों में निर्धारित स्तरों के अनुसार नहीं है। इन छूटों तथा सुविधाओं को वापस लेने से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर और भी कम हो गए हैं। इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इस समय खाली पड़ी रिक्तियों को भरने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया है।

7.37 वर्तमान पदोन्नति नीति में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए पदोन्नति में 15 प्रतिशत तथा अ.ज.जा. के लिए 7.5 प्रतिशत की निर्धारित प्रतिशतता का प्रावधान है। परन्तु इस व्यवस्था से विसंगति उत्पन्न होती है, विशेषकर तब जब क्षेत्रीय जनसंख्या में अत्यधिक अन्तर हो तथा भरे जाने वाले संवर्गों के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो। उत्तर पूर्व की जनजातियों के

संबंध में किए गए इस बात के विश्लेषण को देखा जा सकता है, जिसका ब्यौरा **अनुबंध-7.V** में दिया गया है। आयोग ने पहले भी इस असंगत स्थिति पर विचार करने तथा पदोन्नति के प्रतिशत को ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सिफारिश की थी।

आयोग को प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटारा :

7.38 इस संबंध में आयोग द्वारा अपनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संदर्भ में अभ्यावेदनों/शिकायतों की छानबीन की जा रही है। आयोग की 1993–94 की रिपोर्ट में बताया गया कि इस वर्ष के दौरान आयोग को सेवा संबंधी मामलों के बारे में 5453 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 2183 शिकायतें आयोग से अलग अन्य प्राधिकारियों को भेजी गई थी। इसलिए उन पर कोई कार्रवाही नहीं की गई। शेष 3270 शिकायतों में से कुछ मामले पूरी तरह प्रशासनिक प्रकार के थे। ऐसे मामलों का भी शिकायतकर्ता को अपनी शिकायतें सीधे संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाने की सलाह देते हुए निपटान किया गया शेष शिकायतों के संबंध में कार्रवाई की गई।

7.39 1994–95 तथा 1995–96 के दो वर्षों के दौरान आयोग के मुख्यालयों तथा राज्य कार्यालयों में कुल 5220 तथा 1996–97 में 3388 शिकायतें प्राप्त हुई जिन पर आयोग द्वारा कार्रवाई की गई। इन मामलों का विषयवार वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

तालिका 7.6

	1994–95 तथा 1995–96	1996–97
1. नियुक्ति	1375	723
2. पदोन्नति	1480	873
3. स्थानांतरण	485	292
4. उत्पीड़न/भेदभाव	940	606
5. अन्य (अनुशासनिक मामले) प्रतिकूल एसीआर के मामले खेल, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति तथा वरिष्ठता आदि	940	894
कुल	5220	3388

7.40 वर्ष 1996–97 के दौरान जांच के लिए, लिए गए कुल 3388 मामलों में से 1225 मामलों का निपटान किया गया तथा 2133 मामलों में कार्रवाई की जा रही है। अनेकानेक शिकायतों/अभ्यावेदनों की छानबीन तथा अन्य संगठनों के अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर आयोग द्वारा विचार विमर्श करने से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। आयोग को रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मामले भी प्राप्त हुए अनुवर्ती पैराग्राफों में इनमें से कुछ मामलों तथा मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में उत्पीड़न :

7.41 भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 24-6-1985 को कार्यालय ज्ञापन सं. 36026/3/85 स्थापना (अ.जा./अ.ज.जा.") द्वारा अनुदेश जारी किए कि अ.जा तथा अनु.ज.जा. के अधिकारियों का समाज में उनके जन्म के आधार पर उत्पीड़न न किया जाए तथा उनके साथ भेदभाव न किया जाए। इन अनुदेशों के बावजूद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का उत्पीड़न जारी है, जो नीचे उल्लिखित दो मामलों से स्पष्ट है।

7.42 दिल्ली विकास प्राधिकरण की एलवी शाखा में क्षेत्र अन्वेशक के रूप में कार्यरत अ. जा. के एक व्यक्ति ने आयोग को अभ्यावेदन दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन आयुक्त (एलएम) दि.वि.प्रा. ने जाति का नाम लेकर उसे गाली दी तथा सेवा से बरखास्त करने की धमकी दी और इस प्रकार उसका उत्पीड़न किया गया। शिकायतकर्ता को 23-6-94 को कार्यमुक्ति के आदेश दे दिए गए। उसने इस आधार पर स्वयं को एल.पी. शाखा से हटाने का विरोध किया कि उसे कोई स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए गए थे तथा वह 24-6-94 से 27-7-94 तक छुट्टी पर चला गया था। उसने 28-7-94 को पुनः एल.पी. शाखा में कार्यभार ग्रहण किया। एल पी शाखा द्वारा उसकी छुट्टी तथा कार्यभार ग्रहण को मंजूर कर उसके आवेदन को योजना विभाग को भेज दिया तथा उसके बाद उसे 15-2-95 को कार्यमुक्त कर दिया गया। उसने योजना विभाग में 16-2-95 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। हालांकि शिकायतकर्ता 2-8-94 से नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहा परन्तु उसे 2.8.94 से 15.2.95 तक की अवधि का वेतन नहीं दिया गया क्योंकि शिकायतकर्ता के बार–बार अनुरोध करने पर भी इस अवधि को विनियमित नहीं किया गया।

7.43 आयोग ने इस मामले को दि.वि.प्रा. के समक्ष उठाया तथा दि.वि.प्रा. के आयुक्त एवं सचिव ने आयोग को 16.7.96 को सूचित किया कि 2.8.94 से 15.3.95 तक की अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा काल की अवधि मानते हुए विनियमित करने के प्रयास किए गए हैं तथा वेतन

देने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं परन्तु दि.वि.प्रा. का वित्त विभाग वेतन का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं है।

7.44 यह अ.जा. के कर्मचारी के उत्पीड़न का स्पष्ट मामला था। आयोग ने विचार व्यक्त किया कि चूंकि आवेदक कार्यालय की एल.पी. शाखा में नियमित रूप से उपस्थित रहा है तथा चूंकि उसके मामले में दि.वि.प्रा. के आयुक्त एवं सचिव ने भी सिफारिश की है, इसलिए 2.8.94 से 15.2.95 तक की अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा काल की अवधि माना जाए तथा तदनुसार उसके वेतन तथा अन्य बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

7.45 जहां तक एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाति का नाम लेकर गाली देने के आरोप का संबंध है इस संबंध में आयोग के हस्तक्षेप से पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई।

केन्द्रीय विद्यालय में उत्पीड़न :

7.46 नई दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालय की अ.जा. की एक महिला अध्यापक (स्नातकोत्तर) ने आयोग को शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न तथा अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार की शिकायत की गई थी। आयोग ने मामले की जांच पड़ताल की इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा संगठन के आयुक्त को भी आयोग के कार्यालय बुलाया गया। आयोग द्वारा की गई जांच से पता चला कि प्रधानाध्यापक द्वारा महिला अध्यापक का उत्पीड़न एवं अपमान किया गया। इसलिए आयोग ने संगठन को निम्नलिखित टिप्पणी दी :–

(क.) के. विद्या. संगठन के प्राधिकारी संगठन के एक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करें।

(ख.) प्रधानाध्यापक का स्कूल से तत्काल स्थानांतरण किया जाए।

(ग.) यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के प्राधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई न कर पाए तो यह आयोग चाहे तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है।

7.47 केन्द्रीय विद्यालय संगठन उपर्युक्त ढंग से कार्रवाई करने में असफल रहा। अतः आयोग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थानीय पुलिस की सहायता से प्रधानाध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जिस पर कार्रवाई की जा रही है इसके बाद उक्त संगठन ने प्रधानाचार्य का दिल्ली से बाहर तबादला भी कर दिया है तथा उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी है।

7.48 इस प्रकार यह पाया गया कि सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन करने पर कुछ प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को परेशान तथा प्रताड़ित किया जा रहा है। **अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि उच्च प्रशासनिक प्राधिकारियों को इस संबंध में ज्यादा सतर्क और प्रतिकियात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को किसी भी रूप में परेशान तथा अपमानित नहीं किया जा रहा है।**

सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं में पदोन्नति

7.49 दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सीनियर सेकेण्डरी स्कूल) में टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक) के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार ने आयोग के समक्ष यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उसने पीजीटी (स्नातकोत्तर अध्यापक) के पद के लिए आवेदन किया था। जो 1.11.94 से खाली पड़ा हुआ था। पात्र होने के बावजूद स्कूल के प्रबंधक वर्ग ने उसके मामले पर कोई विचार नहीं किया। यह मामला स्कूल के प्रबंध मंडल के समक्ष उठाया गया उसने यह दावा किया कि स्कूल को अर्थशास्त्र मे पी.जी.टी. के रिक्त पद की बजाय अंग्रेजी में पीजीटी के अतिरिक्त पद की जरूरत थी। उक्त स्कूल की प्रबंध समिति के अध्यक्ष को आयोग के समक्ष बुलाया गया तथा यह पता चला कि स्कूल के प्रबंधक मंड़ल ने स्पष्ट रूप से अर्थशास्त्र के दो पीजीटी अध्यापकों की मांग भेजी थी तथा प्रार्थी ने अर्थशास्त्र में पीजीटी के पद पर पदोन्नति के लिए नवम्बर, 1994 में आवेदन किया था। क्योंकि उन्हें 5 दिन के अंदर अर्थशास्त्र में एम.ए. की डिग्री प्राप्त होने वाली थी लेकिन 5 दिन का इंतजार करने की बजाय प्रबंध मंडल ने नए व्यक्ति की नियुक्ति करने से संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी तथा जांच पड़ताल के दौरान आयोग को यह पता चला कि टीजीटी के पद पर रहते हुए प्रार्थी को कक्षा 11 को अर्थशास्त्र पढ़ाने का कार्य सौंपा गया था जो वास्तव में पीजीटी स्नातकोत्तर अध्यापक को सौंपा जाना चाहिए था।

7.50 चूँकि पीजीटी (अर्थशास्त्र) का पद नवम्बर 1994 से खाली पड़ा हुआ था तथा प्रार्थी उस पद के लिए अर्हता प्राप्त था और पदोन्नति पाने का पात्र था आयोग के विचार से स्कूल

के प्रबंधक मंडल द्वारा बिना किसी वैध कारण के मौजूदा रिक्त पद पर प्रार्थी को पदोन्नत न करना अनुसूचित जाति के अध्यापक के प्रति भेदभाव बरतने तथा अन्याय करने को दर्शाता है तथा आयोग ने स्कूल के प्रबंधक मंडल से जल्दी से जल्दी प्रार्थी को पदोन्नत करने के लिए कहा **आयोग यह सिफारिश करता है कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करे कि सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधक मंडल द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों की उचित प्रकार सुरक्षा की गई हो।**

संयुक्त सीमा शुल्क के तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालयों में पड़े रिक्त पदों को अनारक्षित करना।

7.51 भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पद को अनु.जा. अथवा अनु.ज.जा. का उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पद को अनारक्षित करके सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है।

7.52 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा–शुल्क कार्यालय के अनु.जाति तथा अनु.जनजाति कल्याण संघ बेंगलूर द्वारा आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई कि 1987 से 1992–93 की अवधि के दौरान अधीक्षक (ग्रुप बी) के ग्रेड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पड़े आरक्षित रिक्त पदों पर सामान्य उम्मीदवारों की पदोन्नति करते समय आयुक्त, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन किया गया था इसलिए पूर्वोक्त रिक्त पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे जाने चाहिए अनुसूचित जाति संघ ने यह आरोप भी लगाया कि उक्त संगठन ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक खंडशः रीति से की जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पात्र जोन (Zone of Consideration) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पूरे लाभ नहीं मिल पाए आयोग द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की गई तथा यह पाया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अधीक्षक (ग्रुप बी) के कुछ रिक्त पद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पदों को अनारक्षित किए बिना सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भर दिए गए थे। आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकार्डों से पता चलता है कि इस संबंध में दो अलग–अलग मामलों में केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंगलूर द्वारा भी जांच की गई तथा इस संगठन को वर्ष 1987 से 1992–93 के दौरान सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे गए आरक्षित रिक्त पदों को अनारक्षित कराने के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करने तथा जहां वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की एक से अधिक अनुपूरक बैठकें हुई हों वहां रिक्त पदों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया

का पालन करने का निर्देश दिया गया था। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये निर्देश जारी किये, कि दिशा निर्देशों के अनुसार इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को शामिल किया जाए तथा अनारक्षण से संबंधित मामलों पर उनकी राय मांगी जाए तथा यह विभाग 1987 और उसके बाद हुई सभी पदोन्नतियों की समीक्षा करें और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षित स्थानों का लाभ प्रदान करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक बुलाए।

7.53 आयोग यह सिफारिश करता है कि वित्त मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप करें और यथासंभव जल्दी से जल्दी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यथित कर्मचारियों को न्याय दिलवाए।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा भर्ती नियमों में किए गए संशोधन

7.54 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 15.05.1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी/14017/22/80–स्था (आर.आर.) में दिए गए अनुदेशों के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि (1) जहां सेवा संबंधी नियम पहली बार बनाए जा रहे हों अथवा संशोधित किए जा रहे हों वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि उनसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें तथा (2) जहां भी नियमों को संशोधित करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति द्वारा पहले लिए जाने वाले लाभों को समाप्त कर दिया गया है वहां उन्हें फिर से लागू कर दिया जाना चाहिए हालांकि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार किए बिना इस संबंध में एक सामान्य नीति निर्धारित करना संभव नहीं है।

7.55 1996 के शुरू में के. जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) में तदर्थ आधार पर नियुक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के दो अधिकारियों ने आयोग के समक्ष यह आरोप लगाते हुए एक याचिका प्रस्तुत की थी कि उप–अधीक्षक के पद को ग्रुप बी से ग्रुप "ए" में वर्गीकृत कर दिया गया है तथा उक्त पद को पुनः वर्गीकृत करने का प्रयोजन पुलिस अधीक्षक के ग्रेड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की नियमित पदोन्नति को रोकना था क्योंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ ग्रुप "ए" के अंतर्गत होने वाली पदोन्नतियों में नही है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऊपर दिए गए का.ज्ञा. में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करते हुए पुलिस अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति करते समय पहले मिलने वाले आरक्षण के लाभ को जारी रखा जाए।

7.56 आयोग ने यह मामला के.जाँ.ब्यू. के समक्ष प्रस्तुत किया जिसने आयोग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन के बारे में बताया कि भर्ती के संशोधित नियमों में भी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण ग्रुप "ए" पद के रूप में उप अधीक्षक के पद के पुनः वर्गीकरण के आधार पर दिया जाना था। परन्तु जब आयोग ने इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संपर्क किया तो उसने यह बताया कि तारीख 31.1.97 को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए यह आरक्षण भर्ती के नियमों में लागू नहीं होगा क्योंकि तारीख 1.2.1997 से पुलिस उप अधीक्षक के पद को ग्रुप "ए" के रूप में वर्गीक त कर दिया गया था।

7.57 आयोग ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि कार्मिक एवं प्र िक्षण विभाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुलिस उप अधीक्षकों की पदोन्नति पुलिस अधीक्षक के संवर्ग में करने संबंधी हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए के.जां.ब्यूरो को दिए गए अपने आ वासन से मुकर गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का उपर्युक्त निर्णय उपर दिए गए अपने ही अनुदेशों के प्रतिकूल है क्योंकि के.जां. ब्यूरो में ग्रुप "ए" के रूप में पुलिस उप अधीक्षक के पद के पुनः वर्गीकरण से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुलिस उप अधीक्षकों को पुलिस अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित होना पड़ा अतः आयोग जोरदार शब्दों में यह सिफारिश करता है कि पुलिस अधीक्षक के पदों के लिए संशोधित किए गए भर्ती संबंधी नियमों की समीक्षा की जाए तथा उन नियमों में अपवादस्वरूप इस आशय का यह खंड शामिल किया जाए कि तारीख 31.1.1997 को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारी पुलिस अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में आरक्षण संबंधी लाभ पाने के हकदार होंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एकमात्र रिक्त पद

7.58 दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इससे संबंधित कालेजों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव द्वारा आरक्षण नीति का उल्लंघन किए जाने का एक मामला आयोग के ध्यान में लाया गया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन वी.पी. चेस्ट संस्थान (पटेल चेस्ट संस्थान) द्वारा दफ्तरी और हवलदार के पदों पर पदोन्नति के समय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया था आयोग ने यह मामला संस्थान के निदेशक के समक्ष उठाया जिन्होंने संबंधित रोस्टरों की जांच की। आयोग ने इस संबंध में विश्वविद्यालय के संपर्क अधिकारी की राय भी मांगी।

7.59 उक्त संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की ब्यौरेवार जांच करने के बाद यह पाया गया कि दफ्तरी और हवलदार के लिए रिक्त एक–एक पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को पदोन्नत कर दिया गया था जबकि आरक्षण रोस्टर के अनुसार इन पदों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पदोन्नत किया जाना चाहिए था। क्योंकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किए गए प्रथम प्वाइंट को अग्रनीत कर दिया गया था। चूंकि दोनों पदों के लिए अनु. जाति के पात्र उम्मीदवार मौजूद थे अतः उन्हें पदोन्नति नहीं दिए जाने के पीछे कोई औचित्य नहीं था।

7.60 आयोग ने कहा कि संस्थान ने भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशा. सुधार विभाग के ता. 29.4.95 के का.ज्ञा.सं. 1/9/74 स्था. (एससीटी) तथा तारीख 30.11.81 के कार्यज्ञा.सं. 36011/39/81 – स्था. (एस.सी.टी) में दिए गए अनुदेशों का उल्लंघन किया है जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि यदि भर्ती के प्रारंभिक वर्ष में केवल एक रिक्त पद हो और तदनुरूपी रोस्टर प्वाइंट अनु.जा. अथवा अनु.जनजाति के लिए हो तो इस रिक्त पद को अनारक्षित पद (Unreserved) माना जाए तथा आरक्षण को भर्ती के परवर्ती तीन वर्षों में अग्रनीत कर दिया जाए तथा परवर्ती वर्ष (वर्षों) में केवल एक रिक्त पद होने पर भी इसे भर्ती के प्रारंभिक वर्ष से अग्रनीत आरक्षण को आरक्षित पद माना जाए। इन परिस्थितियों में आयोग ने संस्थान से यथोपूर्वोक्त दो अग्रनीत आरक्षित प्वाइंटों के लिए अनु.जा. के कर्मचारी को पदोन्नत करने के लिए कहा जिससे कि उन्हें न्याय दिलाया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें।

दि.वि.प्रा. में आरक्षण रोस्टर

7.61 नवम्बर, 1996 में संसद सदस्य द्वारा आयोग के अध्यक्ष के ध्यान में यह बात लाई गई कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षण पालिसी का उल्लंघन किया गया है तथा कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के पद पर कार्यरत अनु. जाति के एक कर्मचारी को आरक्षण रोस्टर के सही ढंग से तैयार न होने के कारण सहा. इंजीनियर के पद पर पदोन्नति देने से इन्कार कर दिया गया था।

7.62 यह मामला आयोग द्वारा दि. वि. प्रा. के समक्ष लाया गया तथा अधिकारियों की एक टीम ने सहा. इंजीनियर के पद से संबंधित आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण किया। मामले पर गंभीर रूप से विचार करते हुए आयोग में दि. वि. प्रा. के उपाध्यक्ष को भी बुलाया गया। रोस्टरों तथा अन्य रिकार्डों के निरीक्षण से यह पता चला कि 1996 में सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति

करते समय अनु. जा. से संबंधित तीन अग्रनीत रिक्त पदों पर विचार नहीं किया गया। यद्यपि अनुजाति की श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त पदों की वास्तविक संख्या 8 थी लेकिन 1996 में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में इस श्रेणी के लिए केवल पांच रिक्त पदों को "आरिक्षत" रूप में दर्शाया गया था। यदि अनु. जा. के लिए 8 रिक्त पदों को आरक्षित पदों के रूप में माना जाता तो प्रार्थी की वरिष्ठता के आधार पर स. इंजी. के ग्रेड में पदोन्नति हो गई होती।

7.63 ऊपर दर्शाई गई स्थिति से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से दि. वि. प्रा. के प्राधिकारियों द्वारा आरक्षण रोस्टर को सही ढंग से तैयार न करने के कारण अनु. जाति के उम्मीदवार को पदोन्नति देने से इंकार करने का मामला है। अतः आयोग ने दि. वि. प्रा. से उनके रोस्टर को संशोधित करने और पिछली तारीख से प्रार्थी को पदोन्नत करने के लिए कहा।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम में पदोन्नति

7.64 जून 1996 में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कुछ (स्टोर कीपर) द्वारा आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई कि उन्हें सहायक ग्रेड – 1 (स्टोर) के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके पास स्नातक की डिग्री नहीं है आयोग द्वारा यह मामला निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अक्टूबर 1996 में मुख्य प्रबंध निदेशक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए और स्नातक डिग्री होने की शर्त पर पुनः विचार करने के लिए सहमत हो गए जो कि स्टोर कीपर की स. ग्रेड–1 में पदोन्नति करने के लिए अर्हता संबंधी अनिवार्य र्तों में से एक थी जनवरी 1997 में निगम ने आयोग को सूचित किया कि आयोग द्वारा दी गई सलाह का अनुपालन करते हुए निगम ने सहायक ग्रेड – I स्टोर तथा सहायक ग्रेड – I (बिक्री) के पदों से संबंधित भर्ती नियमों को संशोधित कर दिया है जिससे कि ऐसे स्टोर कीपर जो स्नातक नहीं है उनको भी पदोन्नति संबंधी अवसर प्रदान किए जा सकें तथा साथ ही निगम ऐसे उम्मीदवारों की पदोन्नति पर भी विचार कर रहा था जिन पर स्नातक की डिग्री न होने के कारण विचार नहीं किया था।

संपर्क अधिकारी की भूमिका

7.65 अपनी तीसरी रिपोर्ट में आयोग ने संपर्क अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डाला क्योंकि समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण संबंधी आदेशों का नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से उसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है संस्थान

में आरक्षण नीति को सही ढंग से कार्यान्वित करने में प्रशासनिक प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क अधिकारी की एक आंतरिक व्यवस्था है। इस बात को अनुभव करते हुए कि यह संस्थान कारगर ढंग से कार्य नहीं कर रहा है आयोग ने संपर्क अधिकारियों से परस्पर घनिष्ठता से बातचीत करने का निर्णय किया। अतः आयोग ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपर्क अधिकारियों की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की।

1. 10 जुलाई, 1996 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संपर्क अधिकारियों की बैठक

2. 27 अगस्त, 1996 को कान्सटीट्यूशनल क्लब नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संपर्क अधिकारियों की बैठक।

3. कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यलयों तथा सार्वजनिक उद्यमों के संपर्क अधिकारियों की बैठक। यह बैठक 31 अक्टूबर, 1996 को कलकत्ता मं आयोजित की गई थी।

4. महाराष्ट्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभागों, सार्वजनिक उद्यमों तथा सार्वजनिक बैंकों के संपर्क अधिकारियों की बैठक। यह बैठक तारीख 14–6–1997 को मुंबई में आयोजित की गई थी।

5. आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित सार्वजनिक उद्यमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संपर्क अधिकारियों की बैठक जो तारीख 17.10.97 को बैंगलूर में आयोजित की गई थी।

7.66 उपर्युक्त बैठकों से प्रशासनिक प्रक्रिया में संपर्क अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचार और मुद्दे उभर कर सामने आए दिल्ली में आयोजित दो बैठकों के आधार पर मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को इस संबंध में ता. 7.10.96 **(अनुबंध-7.VI)** को एक परिपत्र जारी किया गया।

7.67 आयोग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों तथा उनकी एसोसिएशनों/संघों द्वारा उन्हें उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच से संबंधित कार्य में संपर्क अधिकारियों को भी सक्रिय रूप

से शामिल किया है। संपर्क अधिकारी जाति संबंधी झूठे प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत किए जाने के मामलों की जांच करने में भी आयोग को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन किए जाने की वास्तविक स्थिति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी रखने के लिए आयोग सभी संपर्क अधिकारियों द्वारा छमाही रिपोर्टें भी प्राप्त कर रहा है।

7.68 आयोग यह महसूस करता है कि संपर्क अधिकारियों को मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वे सेवाओं/पदों के संबंध में प्राप्त कार्रवाई अनु. जाति/अनु.जनजाति के पर्याप्त अभ्यावेदनों के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र ज्यादा प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। प्रशिक्षण एवम् कार्मिक विभाग को यथा संभव नियमित रूप से संपर्क अधिकारियों के लिए मार्गदर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों की भूमिका

7.69 भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए तथा सामाजिक व्यवस्था के कारण बरते जाने वाले भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय–समय पर आदेश जारी किए हैं। लेकिन आयोग में बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाली शिकायतों से पता चलता है कि भारत सरकार के निर्देशों तथा आदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे इन श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों में असंतोष की भावना बढ़ रही है अतः अपने हितों की सुरक्षा के लिए अनुजाति तथा अनु. जनजाति के कर्मचारियों में अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/बैंकों आदि में अपनी रजिस्टर्ड एसोसिएशन/संगठन स्थापित किए हैं। लेकिन इन एसोसिएशनों को गठित करने का प्रयोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि संबंधित प्रबंधक मंडल द्वारा इन्हें सुनवाई का अवसर न प्रदान किया जाए। ऐसे कई एसोसिएशन यह शिकायत लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पास गए कि संबंधित प्रबंधक मंडल अथवा विभागों द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण वे कार्य करने की स्थिति में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये एसोसिएशन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आयोग ने इस संबंध में श्रम, उद्योग कल्याण, कार्मिक एवम् लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालयों के सचिवों तथा बैंकिंग विभाग और सार्वजनिक उद्यमों से चर्चा की।

7.70 चर्चा के दौरान आयोग ने प्रतिभागियों के समक्ष इस बात पर बल दिया था कि संपर्क अधिकारी की मौजूदा व्यवस्था अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की

शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पा रही। इसके अलावा सामान्य यूनियन भी आरक्षण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं थी क्योंकि सामान्य यूनियन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों के बीच परस्पर मतभेद थे अतः कई बार उनके हित आपस में टकरा जाते थे। इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने यह कहा कि सी एस एस नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की यूनियनों को मान्यता प्रदान करना भी संभव नहीं है क्योंकि ये नियम जाति, समुदाय आदि के आधार पर गठित संगठनों को मान्यता प्रदान करने की अनुमति नहीं देते।

7.71 इस संबंध में आयोग ने यह देखा कि बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के कर्मचारियों द्वारा गठित एसोसिएशनों की नियमित सुनवाई करने के लिए बैंकिंग डिवीजन तथा आर्थिक कार्य–विभाग द्वारा पहले से ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह महसूस किया कि अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के कर्मचारियों की सामान्य तथा व्यक्तिगत शिकायतों पर चर्चा करने के लिए इन एसोसिएशनों को एक मंच (फोरम) प्रदान करने से इन जातियों के समक्ष आने वाली समस्याओं को कम करने में सहायता मिलेगी तथा इससे कार्यालयों तथा संगठनों में निर्बाध रूप से कार्य करने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार होगा। अतः आयोग यह महसूस करता है कि अनु. जाति तथा जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण शीघ्रता पूर्वक करने के लिए अनु. जाति तथा अनु. जन जाति के कर्मचारियों द्वारा गठित एसोसिएशनों की नियमित रूप से सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है।

7.72 इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक उद्यमों तथा बैंकिंग विभाग से यह अनुरोध किया कि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों को कुछ न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए अपने नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा तैयार किया गया परिपत्र जारी करें परिपत्र की प्रति **अनुबंध 7.VII** में संलग्न है। **आयोग सभी सरकारी विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए यह सिफारिश करता है कि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की एसोसिएशन को निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करें।**

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की व्यक्तिगत शिकायतों तथा साथ ही इन समुदायों से संबंधित कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े सामान्य मुद्दों पर चर्चा

करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों के साथ मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय/परियोजना/फील्ड/आंचलिक कार्यालय स्तर पर तिमाही/आवधिक बैठकें आयोजित करना।

(2) इन बैठकों के कार्यवृत्त को तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। एसोसिएशन को कार्यवृत्त पर प्रबंधक वर्ग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए।

(3) प्रबंधक वर्ग/विभाग मुख्यालय - क्षेत्रीय/परियोजना/आंचलिक/फील्ड आदि विभिन्न स्तरों पर इन एसोसिएशनों के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए इन्हें कार्यालय के लिए उपयुक्त जगह, टेलीफोन तथा अन्य आव यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में भी विचार करें।

7.73 उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग का यह आग्रह है कि सभी विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/बीमा कंपनियों को आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया जाए तथा साथ ही इस संबंध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की एसोसिएशनों को सूचित किया जाए।

अनारक्षण संबंधी प्रस्ताव

7.74 जैसा कि इस अध्याय में पहले उल्लेख किया जा चुका है कि "सीधी भर्ती के मामले में किसी भी समूह की सेवाओं के पदों को अनारक्षित करना स्वीकार्य नहीं है। पदोन्नति से संबंधित मामलों में यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार उस रिक्त पद को भरने के लिए मौजूद न हो तो यथास्थिति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पद को अनारक्षित किया जा सकता है तथा इसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है यह बात पदोन्नति से संबंधित उन मामलों पर लागू नहीं होती जहां समूह "बी" के अंतर्गत समूह "सी" से समूह "बी" में तथा समूह "बी" से समूह "ए" की सबसे निचली श्रेणी में चयन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा भर्ती के बाद वाले तीन वर्गों में दी गयी हो।

7.75 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि पदों को अनारक्षित करने से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि आरक्षित पद पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति करने से संबंधित सभी उपाय कर लिए गए हैं तथा अपरिहार्य स्थिति में ही पद को अनारक्षित किया गया है।

7.76 वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान आयोग में प्राप्त पदों को अनारक्षित करने से संबंधित प्रस्तावों की संख्या क्रमशः 618 और 428 थी। वर्तमान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अंतरिम उत्तर भेजा जाता है तथा प्रस्तावों का विश्लेषण तथा जांच अच्छी तरह की जाती है। जरूरत होने पर आयोग की बैठकों में इन पर चर्चा की जाती है। हाल ही में आयोग ने अनारक्षण करने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तथा उन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए है।

7.77 विभिन्न विभागों से मिले पदों को अनारक्षित करने से संबंधित प्रस्तावों का विश्लेषण करने पर आयोग ने यह पाया कि भर्ती नियमों के अनुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के कारण मंत्रालय/विभाग आरक्षित पदों को भरने में असमर्थ हैं क्योंकि पात्रता जोन के अंतर्गत फीडर काडर में कोई भी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। आयोग की यह राय है कि वरिष्ठ स्तरों पर आरक्षित पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा न भरे जाएं। यदि विभाग में उपयुक्त कार्यरत व्यक्ति मौजूद न हों तो संबंधित नियम को संशोधित करते हुए विभाग द्वारा सीधी भर्ती करके पदों को भरने के प्रयास किए जाने चाहिए। विशिष्ट आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार मौजूद न हो तो रिक्त पद निरपवाद रूप से कोटे की परस्पर अदला–बदली करके किसी अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाना चाहिए।

7.78 पदों को अनारक्षित करने संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने यह पाया कि कुछ मामलों में फीडर कॉडर से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के संबंध में विचार करने के अलावा नियमों के तहत उपबंधित सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। यह भी देखने में आया है कि अधिकतर मामलों में अ. श्रेणी लिपिक, स्टेनों, मैकेनिक, अन्वेषक, अनुसंधान अधिकारी आदि पदों के फीडर कॉडर में उपयुक्त उम्मीदवारों के मौजूद न होने के कारण पदों को अनारक्षित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे मामलों में आयोग ने यह निर्णय लिया है कि विभागों को अपने भर्ती संबंधी नियमों को संशोधित करना चाहिए तथा सीधी भर्ती द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती की व्यवस्था की जाए जिससे कि वे आरक्षित पदों के लाभ से वंचित न रहें। इसके अतिरिक्त विभाग को यह सलाह भी दी गई है कि यदि भर्ती सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा की जानी हो तो विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।

7.79 कुछ मामलों में जहां भर्ती वर्ष में केवल एक रिक्त पद था वहां उस पद को अनारक्षित करने से संबंधित प्रस्ताव विभाग द्वारा इस आयोग को अग्रेषित कर दिया गया था। ऐसा प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भर्ती के प्रारंभिक वर्ष में केवल एक रिक्त पद के लिए आरक्षण नहीं रखा जाता। एक रिक्त पद को आगे के तीन भर्ती वर्षों में अग्रनीत कर दिया

जाता है और यदि पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो भर्ती के बाद वाले वर्ष में अनारक्षण समाप्त किया जाना अपेक्षित है।

7.80 वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति करने संबंधी मामलों में जहां उल्लिखित तारीख को फीडर ग्रेड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार मौजूदा समय में पात्र न हो लेकिन जिनके पैनल की वैद्य अवधि के दौरान पात्र हो जाने की संभावना हो तो उनके मामलों को उनके पात्र हो जाने की तारीख से प्रभावी किया जा सकता है। आयोग सिफारिश करता है कि "सी" तथा "डी" समूह की स्थिति में जहां पदोन्नति चयन पद्यति पर आधारित होती है तथा अ.जाति/अनु. जनजाति के लिए अलग पात्रता जोन की व्यवस्था पहले से की गई हो, विभाग को इस अलग पात्रता जोन से संबंधित नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। यदि पदोन्नति संबंधी कोटे सहित सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियमों की व्यवस्था की गई हो तो विभाग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 10.7.90 के का. ज्ञापन सं. ए.बी. 14017/30/80–स्था. /आर–आर के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए जिसके अंतर्गत पदोन्नति पदों को अस्थायी रूप से सीधी भर्ती कोटा को निर्दिष्ट किया जा सकता है और सीधी भर्ती के माध्यम से अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के पात्र उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है। कुछ मामलों में पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों की व्यवस्था की गई है ऐसा न होने पर पदों को पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण करके भरा जाता है, ऐसा भी नहीं होता तो दोनों प्रकार के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। ऐसे मामलों में विभागों को नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा करनी चाहिए क्योंकि प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण किए जाने पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

7.81 पूर्वोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पदों को अनारक्षण करना यदि वास्तव में अनिवार्य हो तो उसे एक अंतिम उपाय माना जाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संपूर्ण मामले की पुनः जांच करनी चाहिए तथा यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पद पदोन्नति द्वारा न भरा जा सकता हो तो उनके लिए सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाए। अतः कुछ मामलों में पुर्नजांच करके नियमों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

7.82 सेवा सुरक्षणों से संबंधित जिन मामलों का ऊपर विश्लेषण किया गया है, उनसे पता चलता है कि यद्यपि आरक्षण की व्यवस्था द्वारा सेवा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है लेकिन निर्धारित स्तरों तक इन जातियों का प्रतिनिधित्व लाने के लिए सभी स्तरों पर गंभीर रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है इस संबंध में अधिनियम पारित करके आरक्षण संबंधी संपूर्ण मामले को विधि सम्मत ठोस आधार प्रदान किया जाना अत्यधिक आवश्यक है।

अनुबंध 7.1

संदर्भ पैरा 7.1

सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत दर्शाने वाली सारणी

1. सीधी भर्ती

क्र.सं.	विधि	प्रतिशत			रोस्टर	आरक्षित रोस्टर बिंदुओं की सख्यां			अभ्युक्तियां (कब से प्रभावी हैं)
		अनु.जाति	अनु.जजा.	अन्य पिछड़े वर्ग		अजा	अजजा	अन्य पिछड़े वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती	8.33	–	–	–	–	–	–	1943
2.	अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती	12.5	–	–	–	–	–	–	1947
3.	अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती	12.5	5	–	–	–	–	–	1950
4.	–वही–	15	7.5	–	40 प्वाइंट	6	3	–	25.3.1970
5.	–वही–	15	7.5	27	200 प्वाइंट	30	15	54	8.9.1993

6.	अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से अन्यथा सीधी भर्ती	16.66	–	–	–	–	–	–	1947
7.	–वही–	16.66	5	–	–	–	–	–	1950
8.	–वही–	16.66	7.5	–	40प्वाइंट	7	3	–	25.3.1970
9.	–वही–	16.66	7.5	25.83	120प्वाइंट	20	9	31	8.9.93
10	राज्य/क्षेत्र में दिल्ली को छोड़कर अनु. जाति और अनु. जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में				100प्वाइंट				
II.	**पदोन्नति**								
1.	सीमित विभागीय प्रति योगिता परीक्षा	12.5	5	–	–	–	–	–	1957 (श्रेणी I,II,III,IV) 1963 (श्रेणी II,III,IV)
2.	वर्ग ''ग'' एवं ''घ'' में चयन	12.5	5	–	–	–	–	–	1963

3.	सीमित विभागीय प्रतियोगिता (II,III,IV) चयन द्वारा पदोन्नती (III,IV)	–	–	–	–				1968 सीधी भर्ती 50% से अधिक नहीं
4.	वरिष्ठता एवं उपयुक्त	15	7.5	–	40प्वाइंट	6	3	–	27.11.1972 (सीधी भर्ती) के घटक 50 प्रतिशत से अधिक नहीं
5.	चयन की रीति (वर्ग "ग" से "ख" "ख" में और "ख" से वर्ग "क" के निम्नतम रंग पुर (पद पर)	15	7.5	–	40प्वाइंट	6	3	–	20.7.1974 (सीधी भर्ती)* के घटक 50% से अधिक नहीं

* सीधी भर्ती को 50 प्रतिशत तक की सीमा को बढ़ाकर 1976 में 66.66 प्रतिशत और उसके बाद 1989 में 75 प्रतिशत कर दी गई।

तथापि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 2.7.97 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रिक्त आधारित चालू गणनाओं को पद आधारित रोस्टरों में बदल दिया गया है। इस विषय पर रिपोर्ट में अलग से टिप्पणी दी गई है क्योंकि आयोग का विचार है कि वह आर. के. सव्वरवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से पूरी तरह सहमत नहीं है और यह निर्णय अपने आप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के हितों के प्रतिकूल है।

अनुबंध 7.II

(संदर्भ पैरा 7.9)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवा में कार्यरत अनु. जाति/अनु. जन. जाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

वर्ष	कुल संख्या	अधिकारी				कुल संख्या	लिपिक				कुल संख्या	अधीनस्थ कर्मचारी सफाई कर्मचारी सहित			
		अनु. जाति	%	जन जाति	%		अनु. जाति	%	जन. जाति	%		अनु. जाति	%	जन.जाति	%
1969	24546	33	0.13	-	-	90789	412	0.45	-	-	42809	2632	6.15	-	-
1975	65100	553	0.84	87	0.13	90789	9815	5.30	1271	0.68	90760	14835	16.34	1534	1.69
1980	132964	4047	3.04	864	0.64	184862	35493	11-95	5258	1-77	121808	24556	20-15	2545	2-08
1981	147778	5661	3-85	1303	0-88	296963	41042	12-60	7172	2-20	117034	20395	17-43	4019	3-43
1982	161631	7463	4.62	1741	1.08	325476	45516	12.99	91437	2.60	141036	31619	22.93	6068	3.96
1983	172844	8752	5.06	2309	1.33	350307	50696	13.48	11080	2.95	153280	35154	22.93	6068	3.96
1984	190753	10867	5.70	2799	1.46	376097	55634	13.92	13244	3.31	158465	37834	23.87	6722	4.24
1985	109081	140018	7.03	3542	1.78	399411	59152	14.13	15407	3.65	168386	42068	24.98	7312	4.34
1986	206660	15089	7.30	3810	1.84	418365	39641	13.63	15924	3.70	175541	43781	24.94	7715	4.39
1987	211353	16523	7.81	4148	1.96	434057	63088	14.53	16.41	3.69	183900	46752	25.42	8032	4.36
1988	215959	18037	8.35	4748	2.19	435740	60716	13.93	16733	3.85	188290	48100	25.55	8400	.46
As on 1.190	232852	20537	8.81	5759	2.47	463492	65017	14.02	19793	4.27	205635	54146	26.33	11039	5.36
As on 1.1.91	237057	21756	9.17	6432	2.17	468321	66584	14.2	20886	4.45	210229	55902	26.59	11579	5.00
As on 1.1.93	233880	23224	9.93	7357	3.15	449468	64750	14.41	20036	4.46	204858	55820	27.25	114647	5.60
1.1.94	249016	25515	10.24	8333	3.34	470873	66051	14.45	21500	4.56	215819	60098	27.85	12419	5.75
1.195	250806	26861	10.71	8818	3.52	473429	66787	14.53	21990	4364	217509	61012	28.05	12430	5.72
1.196	252898	28102	11.11	9235	3.65	473133	69493	14.69	22269	4.71	218980	62400	30.00	12794	5.54

(* 14 Nationalised Banks and SBI & its associate banks)

अनुबंध 7.III

(संदर्भ पैरा 7.11)

1.1.96 को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन और गैर अध्यापन से सम्बन्धित पदों में अनु. जाति और अनु. जन जाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

क्र.सं	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम		अध्यापन पद प्रोफसर	रीडर	लेक्चरार	गैर–अध्यापन पद (वर्ग) क	ख	ग	घ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश									
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	जोड़	*69	*76	73	64	138	400	469
		अनु. जाति	–	–	08	10	15	66	107
		प्रतिशत	–	–	11	15.6	10.9	15.5	22.8
		अनु.जाति	–	–	01	02	02	12	21
		प्रतिशत	–	–	1.4	3.1	1.4	3.0	4.5

*आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं

क्र.सं	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम		प्रोफसर	रीडर	लेक्चरार	क	ख	ग	घ
असम									
2.	असम विश्वविद्यालय	जोड़	7	23	25	5	9	62	53
		अनु.जाति	–	–	6	–	2	9	11
		प्रतिशत	–	–	24	–	22.2	14.5	20.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अनु.जनजाति	–	–	3	–	2	6	5
		प्रतिशत	–	–	12.0	–	22.2	9.7	9.4
3.	तेजपुर विश्वविद्यालय	जोड़	3	3	15	14	5	18	27
		अनु. जातिं	–	–	–	–	–	5.6	14.8
		प्रतिशत	–	–	–	–	5.6	14.8	
		अनु.जन जाति	–	–	1	–	–	2	2
		प्रतिशत	–	–	6.7	–	–	11.1	7.4
दिल्ली									
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय	जोड़	314	229	133	174	297	1516	1181
		अनु.जाति	3	1	3	2	22	184	435
		प्रतिशत	0.96	0.44	2.26	1.15	7.41	12.14	36.83
		अनु.जाति	–	1	1	2	–	17	19
		प्रतिशत	–	0.44	0.75	1.15	–	1.12	1.61
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	जोड़	80	135	209				
		अनु. जाति	–	1	–				
		प्रतिशत	–	0.74	–				
		अनु. जाति	–	–	–				
		प्रतिशत	–	–	–				

जहां कहीं सफाई कर्मचारी हों उन्हें वर्ग 'घ' में सम्मिलित किया गया है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय		जोड़	172	130	74	87	205	506	583
		अनु. जाति	1	3	5	11	18	75	234
		प्रतिशत	0.58	2.31	6.76	12.64	8.78	14.82	40.19
		अनु. जाति	–	1	3	1	2	5	11
		प्रतिशत	–	0.77	4.05	1.15	0.98	0.99	1.89
मेघालय									
7. एनईएचयू		जोड़	68	74	60	38	159	729	563
		अनु. जाति	–	–	–	–	1	18	12
		प्रतिशत	–	–	–	–	0.6	2.5	2.1
		अनु.ज.जाति	11	22	32	32	89	.517	445
		प्रतिशत	16.2	29.7	53.3	84.2	56.0	71.0	79.0
नागालैंड									
8. नागालैंड		जोड़	7	8	16	14	10	55	79
		अनु. जाति	–	–	–	–	–	–	–
		प्रतिशत		–	–	–	–	–	– –
		अनु.ज.जाति	–	2	16	13	10	51	74
		प्रतिशत	–	25	100	93	100	92.7	93.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पांडिचेरी									
9. पांडिचेरी		जोड़	24	55	56	29	52	165	267
		अनु. जाति	–	2	11	4	9	28	31
		प्रतिशत		–	3.6	19.6	13.8	17.3	17 11.6
		अनु.ज.जाति	–	–	–	–	–	–	1
		प्रतिशत		–	–	–	–	–	– 0.4
उत्तर प्रदेश									
10. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी		जोड़	270	392	535	124	193	2535	3026
		अनु. जाति	–	–	–	–	01	13	488
		प्रतिशत		–	–	–	–	0.52	0.51 16.1
		अनु.ज.जाति	–	–	–	–	–	04	09
		प्रतिशत		–	–	–	–	–	0.16 03
11. बनारस हिंदु		जोड़				उपलब्ध नहीं			
		अनु. जाति							
		प्रतिशत							
		अनु.ज.जाति							
		प्रतिशत							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल									
12.	विश्व भारती	जोड़	57	*155	*140	63	210	493	797
		अनु.जाति	–	2	11	5	20	33	267
		प्रतिशत	–	1.3	7.9	7.9	9.5	17.1	33.5
		अनु.ज.जाति	–	1	2	–	2	14	97
		प्रतिशत		–	0.6	1.4	–	1.0	28 12.2

* 84 प्रोफेसर संक्षिप्त वेतनमान (4500–5700) में शामिल हैं

* * इसमें लेक्चरर वेतनमान (2200–4000, 3000–5000, 3700–5700) शामिल है (एसोसिएट, हाउस ट्यूटर/स्टडी सुपरवाइजर के अतिरिक्त)

अनुबंध- 7 - IV
(संदर्भ पैरा 7.35)

सीधी भर्ती

अ.जाति और अ.ज.जाति के आवेदकों को रियायत देना

1 आयु छूट : किसी सेवा अथवा पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, अ.जाति और अ.ज.जाति के अभ्यार्थियों के मामले में पांच वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

2. फीस रियायत : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति/चयन के लिए निर्धारित फीस की अदायगी न करने की छूट दी गई है।

3. रेल/बस भाड़े की व्यवस्था : स्टेशन से बाहर साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए लघुतम मार्ग का रेल/बस का भाड़ा दिया जाएगा।

आरक्षित रिक्ति पदों को भरने के लिए छूट और किए गए अन्य उपाय

4. मानकों में छूट :–**(गृहमंत्रालय के तारीख 25.7.70 का का. ज्ञा. सं. 1.1.70 - स्था. (एस.सी.टी.)**–यदि सीधी भर्ती के मामले में, अ.जाति और अ.ज. जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों के लिए सामान्य मानकों के आधार पर सभी रिक्तियों के लिए, अ.जाति और अ.ज.जाति के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों पर, इन्हीं समुदायों का चयन किया जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि ऐसे पद अथवा पदों के लिए वे अनुपयुक्त न हों।

5. सीधी भर्ती में अनुभव की योग्यता में छूट – (कार्मिक एवं प्र ा.सु. विभाग के तारीख 5.9.75 के का.ज्ञा. सं. 27/10/71 - स्था. (एससीटी) और तारीख 21.5.81 के का.ज्ञ. सं. डी - 1458/81 - स्था (एससीटी)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में सं.लो.से. आयोग/सक्षम प्राधिकारी स्व–विवेक से 'अनुभव' की योग्यता में छूट तब दे सकता है जब यदि चयन की किसी भी स्थिति में उनकी यह राय हो कि आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अ. जाति और अ.जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी का अलग से साक्षात्कार :– (गृह मंत्रालय के तारीख 31.7.70 के का.ज्ञा.सं. 1/1/70 स्था./ (एससीटी)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किसी ऐसे दिन या चयन समिति की ऐसी बैठक में लिया जाना चाहिए जिस दिन या जिस बैठक में सामान्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार न लिया जाना हो ताकि अ.जाति और अ.ज.जाति के अभ्यर्थियों की तुलना सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना से न की जाए और साक्षात्कार लेने वाले प्राधिकारी/बोर्ड को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के चयन के लिए मानकों में दी गई छूट के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के साथ सम्बद्ध करना

जहां तक संभव होगा एक उपयुक्त रैंक का अधिकारी चयन बोर्ड/वि.प.सं. (डीपीसी) के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। समूह 'ग' और 'घ' के मामले में यह अनिवार्य है कि उनकी भर्ती और पदोन्नति के हित पर ध्यान देने के लिए एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अधिकारी सह–सम्बद्ध किया जाए।

8. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण सुविधा

चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे कई केन्द्रों द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आई.ए.एस; आई.पी.एस.; इंजीनियरी सेवाओं आदि के लिए प्रशिक्षण की निर्दिष्ट अवधि के लिए निः शुल्क भोजन/आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

9. पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों पर छूट (ता. 10.4.1989 के का.ज्ञा.सं. 22011/5/86 -स्था. द्वारा परिचलित विभागीय पदोन्नति संबंधी दिशा निर्देशों का पैरा 6.32

i) समूह "क" के ऐसे पदों पर जिनमें संशोधित वेतनमान में अंतिम वेतन 5700 रु. प्रतिमाह है, चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अधिकारी इतने वरिष्ठ हैं कि उन्हें ऐसे रिक्त पदों की संख्या में शामिल किया जा सकता है जिनके लिए

चयन सूची बनाई जानी है यदि पदोन्नति के पात्रता जोन में आते हैं तो उन्हें उस सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न समझे जाएं।

ii) समूह "ख" से समूह "ख में और समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम सेवाओं/पदों पर चयन द्वारा नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर चयन अनु.जा./अनु.ज.जाति के केवल उन्हीं अधिकारियों में से ही किया जाएगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार के ता. 24 दिसम्बर 1980 के का.ज्ञा.सं. 22011/3/76 स्था. (डी) में निर्दिष्ट सामान्य जोन में आते हैं। यदि चयन के सामान्य जोन में अनु. जातियों/अनु.ज.जातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में न हो तो इसे रिक्तियों की संख्या से पांच गुणा अधिक बढ़ाया जाए और तब इनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए बढ़ाए गए क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि अनु.जाति/अ.ज.जाति के अभ्यर्थियों की संख्या अन्य उम्मीदवारों की भांति वरिष्ठता को पूरा ध्यान में रखते हुए गुण–दोष के आधार पर उनके लिए आरक्षित पदों की संख्या की तुलना में रिक्तियों की संख्या से कम हो तो इस अन्तर को इन समुदायों के ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करके भरा जाएगा जो पात्रता जोन में आते हैं भले ही उनके गुण–दोष (मेरिट) और बैच मार्क कुछ भी हों लेकिन वे पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाएं।

iii) जहां तक समूह ग और समूह घ में चयन किए जाने का संबंध है अनु.जा./अनु. ज.जाति के अधिकारियों की चयन सूची आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य चयन सूची के अलावा अलग से भी तैयार की जानी चाहिए। अनु. जाति/अनु.जनजाति के जो अधिकारी सामान्य पात्रता जोन में आते हैं उन पर विचार और निर्णय उसी आधार पर किया जाएगा जिस आधार पर अन्य लोगों के लिए किया जाता है और इनमें से अनु.जाति और अनु.ज.जाति के जिन अधिकारियों का चयन इस आधार पर किया गया हो उन्हें उनके लिए बनाई गई पृथक–पृथक चयन सूची में शामिल करने के लिए विचार करने के साथ–साथ सामान्य चयन सूची में भी शामिल किया जाएगा। अनु.जाति और अनु.ज.जाति के लिए पृथक–पृथक बनाई गई चयन सूची में अ.जाति/अनु.ज.जाति के उम्मीदवारों पर उन्हीं में से पृथक–पृथक विचार किया जाएगा। अन्य लोगों में से नहीं और उनका चयन कर लिए जाने पर उन्हें उनसे संबंधित पृथक सूची में शामिल किया जाएगा भले ही अन्य अधिकारियों की तुलना में उनका मेरिट और सवर्ग प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित बैच मार्क कुछ भी हो। यदि अनु.जा./अनु.जनजाति के उम्मीदवार उपरोक्त सामान्य सूची में उनकी स्थिति के आधार पर उनके लिए आरक्षित रिक्तियों से कम संख्या में हों तो इस अन्तर का अनु.जातियों और अनु.ज.जातियों के लिए बनाई गई पृथक चयन सूचियों में इन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों का चयन करके दूर किया जाएगा।

10. विभागीय परीक्षा में मानकों की छूट (डी.ओ.पी.टी के ता. 23.12.1970 के का.ज्ञा.सं. 8/12/69 स्था. (एससीटी) और ता. 21.1.97 के का.ज्ञा.सं. 36021/10/76 स्था. (एस.सीटी) अब डी.ओ.पी.टी. के ता. 22.7.97 के का.ज्ञा. द्वारा वापस ले लिया गया है।

विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और विभागीया अर्हक परीक्षा में पदोन्नति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अनु.जाति/अनु.ज.जाति के अभ्यर्थियों के पक्ष में मानकों में उपयुक्त छूट दी जा सकती है।

11. पदोन्नति के पदों पर आयु छूट

यदि किसी सेवा/पद पर पदोन्नति के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई हो तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट उन पदों के मामलों में छोड़कर दे दी जाएगी जो दुर्गम क्षेत्र में लगी ड्यूटियों या आपरेशन ड्यूटियों या पैरा सैन्य संगठनों से संबंधित हैं।

अनुबंध - 7.V
(संदर्भ पैरा 7.37)

पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षण नीति

पूर्वोत्तर राज्यों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता इस प्रकार है

(राज्यवार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जनसंख्या	अनु.जाति की जनसंख्या	प्रतिशतता	अनु.ज.जाति की जनसंख्या	प्रतिशतता
1.	अरुणाचल प्रदेश	8,64,558	4052	0.47	5,5035	63.66
2.	असम	2,24,14,332	1,659,412	70.40	28,74,441	12.87
3.	मणिपुर	18,37,149	37,105	2.02	6,32,173	34.41
4.	मेघालय	17,74,448	9072	0.51	15,17,927	85.53
5.	मिजोरम	6,89,756	691	0.10	6,59,565	94.75
6.	नागालैंड	12,09,546	शून्य	शून्य	10,60,822	87.76
7.	त्रिपुरा	27,57,205	451116	16.36	8,53,345	30.95
कुल जोड़		31,546,924	2161448	6.85	7653368	24.26

1. जिन मामलों में जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर केन्द्रीय सरकार सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सेवा में "ग" "घ" समूह में भर्ती की जाती है उनमें पूर्वोत्तर राज्यों में यह (आरक्षण) नीति अपनाई जाती है।

2. किन्तु जहां पदोन्नति का मामला है वहां नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मान्य/लागू नहीं है क्योंकि यहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की स्थिति बाकी देश से ठीक विपरीत है अर्थात् अनुसूचित जाति के लिए 16.48 और अनुसूचित जनजाति के लिए 8.08 प्रतिशत और अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत निश्चित किया गया है। इसी प्रकार इन राज्यों के पश्चिम में अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति का कोटा 15 प्रतिशत है जो इस (फीडर) संवर्ग के लिए, ऐसे अधिक लोग न होने के कारण संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पश्चिम में अ.ज.जाति का पदोन्नति कोटा 7.5 प्रतिशत है लेकिन कोटा कम होने के कारण वे पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी कार्यालयों/उद्यमों में पदोन्नति के लिए इस आरक्षण प्रतिशतता के निर्धारण को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

3. आयोग ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि सरकार को इस विसंगति को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और अ.ज. जाति के कर्मचारियों को न्याय दिलाना चाहिए।

अनुबंध - 7.VI
(संदर्भ पैरा 7.66)

संख्या 4/25/96 एस एस डब्ल्यू – II
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

पांचवां तल, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली – 110003
तारीख 7 अक्तूबर, 96

सेवा में,

सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के सचिव
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संपर्क अधिकारी

विषय : विज्ञान भवन में तारीख 10.7.96 को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के संपर्क अधिकारियों की और कांस्टीट्यूशनल क्लब में तारीख 27.8.96 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सभी संपर्क–अधिकारियों की बैठक में हुई चर्चा में उठाए गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई

महोदय,

सम्पर्क अधिकारियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल का सृजन एक आन्तरिक व्यवस्था है जो आरक्षण नीति का समुचित कार्यान्वयन करने के लिए प्रबंधक वर्ग/विभाग को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया गया है। हालांकि समय के साथ–साथ यह आन्तरिक व्यवस्था ठीक से कार्य नहीं कर पाई जिसके परिणामस्वरूप आयोग के सामने कई शिकायतें आई हैं।

सम्पर्क अधिकारियों को सक्रिय बनाने के लिए आयोग ने दो सेमिनार (संगोष्ठियां) आयोजित किए, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सम्पर्क अधिकारियों का सेमिनार तारीख 10.7.96 को आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन केन्द्रीय कल्याण मंत्री ने किया और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के संपर्क अधिकारियों का दूसरा सेमिनार ता. 27.8.96 को आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने किया। चर्चा के दौरान उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों से सचिवों और विभागाध्यक्षों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और संपर्क अधिकारियों को अवगत कराया गया ताकि संपर्क अधिकारियों के लिए एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो अनु.जाति/अनु.जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने और आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने में कारगर व्यवस्था साबित हो सके।

2. सम्पर्क अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में समय–समय पर कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्रों में बताया गया है। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि संपर्क अधिकारियों की व्यवस्था अ.जा./अनु.जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए की गई आन्तरिक व्यवस्था के रूप में कारगर ढंग से कार्य नहीं कर रही है। इस बात का अनुमान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के सबंध में आयोग द्वारा शिकायतें दूर करने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों से लगाया जा सकता है। यह भी पाया गया है कि अ. जाति/अ.ज. जाति की संपर्क अधिकारियों और विभागाध्यक्षों तक आसानी से पहुंच नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि संपर्क अधिकारियों की व्यवस्था को और अधिक कारगर ढंग से बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाए।

3. सचिव/विभागाध्यक्ष और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के उच्च प्रबंधक वर्ग, आरक्षण नीति कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह है। संपर्क अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहयोग दें। चूंकि संपर्क अधिकारी आरक्षण मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए अतः वरिष्ठ अधिकारियों का सीधी भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा मामलों के प्रत्येक चरण में परामर्श लेना चाहिए। जहां तक संभव हो संपर्क अधिकारी का सेवाकाल तीन वर्ष होना चाहिए।

4. कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सेवा में अनु. जातियों/ अनु.ज. जातियों के अभ्यावेदनों से संबंधित कार्यों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में उप सचिव से नीचे के रैंक के अधिकारी को नामित न किया जाए। संपर्क अधिकारी को उसके कार्य और जिम्मेवारियों के संबंध में उचित मार्गदर्शन/ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बड़े मंत्रालय/विभाग जैसे, रेलवे, डाक–तार, दूर संचार, रक्षा, गृह, उद्योग इत्यादि को छोड़कर शेष छोटे मंत्रालयों/विभागों में पूरे समय संपर्क अधिकारी रखना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। बड़े मंत्रालय/विभाग में पूरे समय के लिए संपर्क अधिकारी होना चाहिए ताकि वह मंत्रालय/विभाग की आरक्षण नीति पर कड़ी नजर रख सके। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में भी पूरे समय के लिए संपर्क अधिकारी होना चाहिए जहां अधिक संख्या में कर्मचारी हों खासकर जहां कुल कर्मचारियों की संख्या 10,000 से अधिक हो।

5. संपर्क अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे आरक्षण नीति के मामले की आवश्यक जानकारी और विशेषज्ञता हासिल है। और वह ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह नीति के समुचित कार्यान्वयन के बारे में प्रबंधक वर्ग को परामर्श दे सके। उसे अ.जाति/अ.ज.जाति के कर्मचारियों को उचित मार्गदर्शन/प्रशिक्षण देना चाहिए। संपर्क अधिकारी को अधीनस्थ कार्यालयों का दौरा करना चाहिए और रोस्टर का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

सम्बद्ध अनुदेशों का कार्यान्वयन हो रहा है। उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में मंत्रालय/विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों से नियमित रूप से आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। संपर्क अधिकारी को आरक्षण मामलों को आयोग को तब भेजना चाहिए जब इसके और विभागाध यक्षों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के बीच मतभेद हो।

6. मंत्रालय/विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में जहां अ.जाति/अ.ज.जाति सेल(कक्ष) है उन्हें मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है और जहां अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं वहां इन्हें खोला जाए। इस सेल को, मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अनुपात में पर्याप्त स्टाफ दिया जाना चाहिए। इस सेल को सीधे सम्पर्क अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए।

7 सम्पर्क अधिकारी को शिकायतें दूर करने और आरक्षण मामलों को मॉनीटर करने के लिए प्रशासन और अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखना चाहिए। अ.जाति/अ.ज.जातिके कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पहले संबंधित संपर्क अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए और अपने संगठन के सभी चैनलों से संपर्क करने के बाद ही आयोग से सम्पर्क करना चाहिए। आयोग उसी समय अ.जाति/अ.ज. जाति से प्राप्त सभी अभ्यावेदन/शिकायतों को सचिवों/विभागाध्यक्षों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को भेजेगा और शिकायतों को दूर करने के लिए उन्हें दो महीने का समय देगा तथा विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को दी जाएगी। संपर्क अधिकारी को भी भेजे गए अभ्यावेदनों की सूचना दी जाएगी ताकि अविलम्ब और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र उत्तर देने की कार्रवाई की जा सके।

8. आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए संपर्क अधिकारी को रोजगार कार्यालय तथा विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं आदि के साथ संपर्क करना चाहिए। आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर संपर्क अधिकारियों को प्रबंधन को सलाह देनी चाहिए कि वे पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ऐसे तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित करें यहीं नहीं, जहां भी तकनीकी रूप से अर्हक व्यक्ति उपलब्ध न हों वहां पी.एस.ई. संभावित अभ्यर्थियों का चयन कर सकता है, उन्हें छात्रवृत्ति देकर प्रशिक्षित करें। इस संबंध में उन्हें उन्नत जनशक्ति नियोजन के लिए तकनीकी संस्थाओं से संपर्क करना चाहिए। भर्ती नियमों के उपबंधों पर ध्यान देने तथा यह देखने की आवश्यकता है कि जब भी आवश्यक हो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की भर्ती को सरल बनाने के लिए कैसे उनमें संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों से सम्बन्धित मामलों पर न्यायालय में समुचित रूप से प्रतिवाद करना होगा तथा जहां भी न्यायालय का निर्णय आरक्षण नीति/मुद्दे के खिलाफ होता है विशेष अनुमति याचिका एस.एल.पी.) दाखिल करनी चाहिए। यदि विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दाखिल करने में विलम्ब हो तो विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराकर कार्रवाई की जाए।

10. संपर्क अधिकारी को जाति के झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके आरक्षण संबंधी लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी झूठे मामलों में व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं और उनके विरुद्ध आपराधिक मामला चलाया जाए। संपर्क अधिकारी को हमेशा जाति प्रमाण–पत्र की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कोई भी भर्ती झूठे प्रमाणपत्र के आधार पर तो नहीं की गई है।

11. उत्कृष्ट संपर्क अधिकारी को पुरस्कार देने के लिए प्रस्ताव पर आयोग द्वारा विचार किया गया है। संपर्क अधिकारियों के लिए सामान्य आधार पर प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों के प्रस्ताव पर भी आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

12. आयोग संपर्क अधिकारियों के लिए एक पुस्तिका तैयार करेगा, जिसमें इससे संबंधित सरकार के सभी सुसंगत अनुदेशों तथा निर्णयों को शामिल किया जाएगा।

13. इस समय एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल तथा संपर्क अधिकारी की कार्यप्रणाली की कोई अनुवीक्षा नहीं की जा रही है। इस बात पर सहमति हुई थी कि राष्ट्रीय आयोग अब से विभिन्न संगठनों में संपर्क अधिकारियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल की अनुवीक्षा करेगा तथा उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगा।

अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दिशा में मंत्रालय/विभागों/पी.एस.ई. द्वारा कार्रवाई की जाए तथा संपर्क अधिकारियों की संस्था को मजबूत बनाया जाए तथा आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों को समय पर दूर करने के लिए उसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

भवदीय,

ह०

(एस.वी.सिंह)

उप सचिव

अनुबंध - 7.VII
(संदर्भ पैरा 7.72)

4/23/96–एस एस डब्ल्यू II

सेवा में,

सचिव,
लोक उद्यम विभाग
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
नई दिल्ली

विषय : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई एसोसिएशन को नियमित सुनवाई तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने से सम्बन्धित अनुदेश।

महोदय,

मुझे एतद्द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों तथा सुझावों पर चर्चा करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एसोशिएशन को सुनवाई का अवसर देने, ऐसी चर्चाओं के लेखबद्ध कार्यवृत्त तथा मुख्यालय प्रादेशिक आंचलिक/क्षेत्रीय आदि जैसे विविध स्तरों पर इन एसोसिएशनों के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए कार्यालय हेतु स्थान, टेलीफोन आदि जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग द्वारा तैयार किए गए परिपत्र की प्रति इसके साथ संलग्न करने का निर्देश हुआ है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्त संस्थाओं को इन एसोसिएशनों के साथ बैठक करने के अवसर देने के लिए पहले ही अनुदेश दे दिए है जिसे परिपत्र के साथ संलग्न किया गया है। अनुरोध है कि आप सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को परिपत्र के अनुसार आवश्यक अनुदेश जारी करें ताकि सुनवाई किए जाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों को एक फोरम उपलब्ध कराने की कार्यविधि में एकरूपता लाई जा सके।

इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।

भवदीय,
ह०
(सुरिन्द्र सिंह)
निदेशक

इस रिपोर्ट में प्रति संलग्न नहीं है।

अनुबंध 7 - VII
(जारी)

सेवा में,

संयुक्त सचिव (बीमा)
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली।

विषय : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई एसोसिएशनों को नियमित सुनवाई तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में अनुदेश

महोदय,

मुझे एतदद्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों तथा सुझावों पर चर्चा करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एसोसिएशनों की सुनवाई किए जाने, ऐसी बैठकों के लेखबद्ध कार्यवृत्तों तथा कार्यालय हेतु स्थान, टेलीफोन आदि जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग द्वारा तैयार किए गए परिपत्र की प्रति इसके साथ संलग्न करने का निर्देष हुआ है। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि इन एसोसिएशनों के साथ बैठकें करने के अवसर देने तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्त संस्थाओं को पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। इन अनुदेशों की प्रति इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि आप हमारे परिपत्र को सभी बीमा निगमों में परिचालित करें ताकि सुनवाई किए जाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों के फोरम बनाने में कार्यविधि में एकरूपता लाई जा सके।

इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।

भवदीय,
ह0--
(सुरिन्द्र सिंह)
निदेशक

इस रिपोर्ट में प्रति संलग्न नहीं है।

(परिपत्र – अनुबंध 7 - VII में दर्शाए गए पत्र का अनुलग्नक)

जैसा कि आपको विदित है कि संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भारत सरकार ने तदनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए समय–समय पर आदेश जारी किए हैं जो सामाजिक आधार पर इनके साथ होने वाले भेदभाव से इन्हें बचाते हैं। किन्तु, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही शिकायतों से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों तथा आदेशों का ईमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है तथा इन श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए अनेक लोक सार्वजनिक उद्यमों/बैंकों आदि में अपनी पंजीकृत एसोसिएशन/संगठन तैयार किए हैं। यद्यपि, ऐसी एसोसिएशनों को बनाने का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उन्हें संबद्ध प्रबंधन द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा।

इस संबंध में बैंकों तथा वित्त संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों द्वारा बनाई गई एसोसिएशनों को नियमित सुनवाई के लिए 15.9.1989. 02.02.1995 तथा 24.05.1996 को बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

महसूस किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की आम शिकायतों के साथ–साथ व्यक्तिगत शिकायतों की चर्चा करने के लिए इन एसोसिएशनों को एक फोरम उपलब्ध कराने से उनके द्वारा झेली जा रही समस्याओं को कम करने में सहायता मिलेगी तथा इससे कार्यालयों तथा संगठनों में सुचारू रूप से कार्य करने का अनुकूल वातावरण बनेगा। अतएव, आयोग यह महसूस करता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को तुरंत दूर करने के लिए उनके द्वारा बनाई गई एसोसिएशनों को सम्यक सुनवाई की आवश्यकता है।

इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन को निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से अनुरोध किया है :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों और इन समुदायों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित आम मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों के साथ मुख्यालय तथा प्रादेशिक, परियोजना/क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय स्तर पर त्रैमासिक/आवधिक बैठकें करना।

2. इन बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड किए जाएं तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। एसोसिएशनों को कार्यवृत्त पर प्रबंधन की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए।

3. प्रबंधन/विभाग मुख्यालय – प्रादेशिक/परियोजना/आंचलिक/क्षेत्रीय आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर इन एसोसिएशनों के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान, टेलीफोन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में भी विचार करें।

ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/बीमा कंपनियां आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दे सकती है तथा इनके बारे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एसोसिएशनों को भी सूचित किया जाए।

*****

अध्याय - VIII

समुदाय के झूठे प्रमाण-पत्र

किसी विशेष राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित विशिष्ट जाति/जनजाति के व्यक्ति का जाति तथा जनजाति का प्रमाण–पत्र लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं (अनुच्छेद 330 एवं 332) तथा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिका निकायों (अनुच्छेद 243घ तथा 243 न) तथा किसी कार्यालय या पद में प्रारंभिक नियुक्ति तथा राज्य में अनुच्छेद 16 (1), 16 (4) एवं 16 – (4)–(क) में अधीन किसी पद में पदोन्नति के लिए भी सीटों के आरक्षण का अधिकार प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। जाति प्रमाण–पत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आशयित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अ–सांविधिक लाभों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

8.2 अनुसूचित जाति "एवं" अनुसूचित जनजाति" शब्द अनुच्छेद 366(24), 341 एवं 366 (25) तथा 342 में परिभाषित किए गए हैं जिन्हें यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है :–
अनुच्छेद 366 (24) "अनुसूचित जातियों" से ऐसी जातियां, मूल वंश या जन जातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के समूह अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद, 341 के अधीन "अनुसूचित जातियां" समझा जाता हैं।

अनुच्छेद 341 उपबंधित है :

(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथा स्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "अनुसूचित जातियां" समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अथवा जाति, मूल वंश या जनजाति के भाग या उसमें के समूह को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा उपर कहा गया है, उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 366(25) : "अनुसूचति जनजातियों" से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के समूह अभिप्रेत है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन "अनुसूचित जनजातियां" समझा जाता है।

अनुच्छेद 342 में उपबंधित है :

(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जन जातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातियों के समुदायों के भागों या उनमें के समूहों को विनिर्दि ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "अनुसूचित जनजातियां" समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के समूह को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है, उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8.3 भारत सरकार ने उन प्राधिकारियों का उल्लेख करते हुए समय–समय पर कई परिपत्र जारी किए हैं जो जाति प्रमाणपत्र जारी करेंगे। ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं जिनमें किसी विशेष अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाणपत्र, ऐसे प्रमाणपत्रों को जारी करने संबंधी सिद्धांतों के अनुसार पूर्णतया जारी नहीं किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार गृह मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 22.3.1977 को पत्र भेजा। उस पत्र का सुसंगत अंश नीचे प्रस्तुत है :–

> "यह समझा गया है कि कुछ राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपने राजपत्रित अधिकारियों को ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति प्रदत्त की है और यहां तक कि संसद सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों (विधायकों) आदि द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर राजस्व प्राधिकारी को भी ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है। यदि यही पद्धति जारी रही तो जाली प्रमाणपत्र जारी किए जाने का पूर्ण खतरा है क्योंकि जांच का उचित माध्यम न होने से ऐसे प्राधिकारी ऐसे प्रमाणपत्रों में उल्लिखित तथ्यों की वास्तविक सत्यता को मु किल से ही सुनिश्चित कर सकते हैं ऐसे झूठे प्रमाण पत्र जारी करने से रोकने के लिए जांच का मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।"

8.4 इस बात पर जोर दिया गया कि उस इलाके, जिसका कि दावेदार निवासी है, के राजस्व संबंधी अभिलेखों की जानकारी केवल राजस्व प्राधिकारियों को ही हो सकती है तथा वे ऐसे प्रमाणपत्रों को जारी करने से पूर्व विश्वसनीय जांच–पड़ताल करने की स्थिति में होंगे। उपरोक्त स्प टीकरण तथा सुझाव के बावजूद ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसी ाक्ति प्राप्त प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र उचित रूप से सत्यापित किए बिना अयोग्य व्यक्तियों को लापरवाही से या जानबूझकर जारी किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप छल कपट से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए अभिप्रायित लाभ अनुचित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सभी मुख्य सचिवों को 19 जून, 1982 को पत्र संख्या 12025/1/82 एस सी बी सी डी– IV भेजा, जिसमें उपर्युक्त टिप्पणी विशेष रूप से संसूचित की गई है और उनसे अनुरोध किया गया था कि "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के झूठे प्रमाणपत्र धारक गैर–अनुसूचित जातितथा गैर–अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले का पता लगाने के लिए सख्त उपाय किए जाएं, उन्हें ऐसे लाभों से वंचित किया जाए जिनके लिए वे हकदार नहीं है, तथा उन्हें उचित दंड दिया जाए तथा ऐसे झूठे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन शीघ्रता के साथ जाली प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मामलों की तेजी से न्यायिक जांच करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करें और जिन लोगों को न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराधों के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए उन व्यक्तियों के नामों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए।

8.5 आयोग की अंतिम रिपोर्ट में संवैधानिक उपबंधों से संबंधित मुद्दों, समुदाय का प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों के संबंध में गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वाराजारी किए गए आदेशों, तत्संबंधी प्रपत्र, समुदाय प्रमाण पत्र जारी/सत्यापित करने के लिए जांच–सूची (Check list), हाल ही के कुछ न्यायिक निर्णय तथा एकसमान कानून आदि की आव यकता को पहले ही शामिल कर लिया गया है। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद, आयोग ने यह देखा है कि असली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले उनके उचित लाभों से वंचित करते हुए झूठे जाति प्रमाणपत्रों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। संबंधित विभागों/संगठनों तथा अभियोजन एजेंसियों (अभिकरणों) द्वारा की जा रही कार्रवाई में ढिलाई बरते जाने के कारण धोखेबाज लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

8.6 आयोग को समुदाय के झूठे प्रमाण–पत्रों के संबंध में बहुतायत में प्राप्त हो रही शिकायतों के मिलते रहने से इस संकट के निरंतर बने रहने का संकेत मिलता है। समुदाय के झूठे प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति नौकरियों एवं असली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करवाई गई अन्य रियायतों/सुविधाओं को अनाधिकार रूप से ग्रहण

कर रहे हैं। शैक्षिक संस्थाओं में भी अनुचित व्यक्तियों ने अनेक सीटें प्राप्त की हुई हैं। इसके अलावा, समुदाय के झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर आरक्षित पदों पर चयनित होने के उदाहरण भी देखने में आए हैं। समुदाय के झूठे प्रमाणपत्रोंकी समस्या के विस्तार की समीक्षा आयोग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। इस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय दोनों में इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 1992 से 1997 तक की अवधि के दौरान मुख्यालय में 588 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1992	101
1993	90
1994	115
1995	116
1996	82
1997	84
कुल संख्या	**588**

8.7 आयोग के मुख्यालय के अतिरिक्त राज्यों में, इसके अलग–अलग कार्यालयों से भी उपर्युक्त अवधि के दौरान समुदाय के झूठे प्रमाणपत्रों की 1489 िकायतें प्राप्तु हुई हैं। राज्य–वार सूचना नीचे दी गई है :

राज्यों में इसके अलग-अलग कार्यालय	प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या
1. आन्ध्रप्रदेश	656
2. तमिलनाडु	338
3. त्रिपुरा	434
4. कर्नाटक	20
5. असम	10
6. उत्तर प्रदेश	6
7. गुजरात	3
8. मध्य प्रदेश	2
9. मेघालय	5
10. केरल	2
11. चंडीगढ़	3
12. पश्चिम बंगाल	9
13. उड़ीसा	1
जोड़	**1489**

8.8 उपरोक्त आंकड़े समुदाय के झूठे प्रमाणपत्रों की समस्या के विस्तार को इंगित करते हैं। लेकिन यह खतरे को पूरे विस्तार से नहीं दर्शाता क्योंकि आयोग को केवल उन्हीं मामलों की सूचना प्राप्त है जहाँ कुछ कर्मचारी या संघ अपनी जानकारी के अनुसार समुदाय के झूठे प्रमाणपत्रों के ऐसे मामले प्रकट करने के लिए अपनी इच्छा से सामने आते हैं। वास्तव में समस्या काफी गंभीर हो गई है जिस पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आयोग अपनी तरफ से खतरो को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय कर रहा है। जहां कहीं भी आयोग को सम्बद्ध प्राधिकारियों से मामले की स्थिति/दोशी व्यक्ति आदि के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई, वहां इसने मामलों के तुरंत निपटान के लिए अपनी सिविल न्यायालय शक्तियों का उपयोग किया।

8.9 आयोग की जानकारी में आए झूठे प्रमाणपत्रों के कुछ मामलों का विश्लषेण करने से पूर्व यह संगत होगा कि हम इस संबंध में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विशष रूप से उल्लेख करें।

(1) एम. वेंकट सत्यनारायण मूर्ति बनाम निदेशक, जनजाति कल्याण और अन्य (1989) ए एल टी 165) के मामले में, माननीय न्यायमूर्ति के रामास्वामी ने कहा कि "मामले से अलग कर देने से पूर्व, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि विलम्ब से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाता है। संविधान की उदेशिका के अनुच्छेद 14 से 16 तक, 29 और 46 के अधीन सबसे कमजोर सामाजिक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक न्याय देने के लिए सामाजिक स्तर के मामले के शीघ्र निपटान में चूक होने से शोषण बढ़ेगा और हितकारी नीति विफल हो जाएगी। अनुच्छेद 46 में यह व्यादेश है कि राज्य सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। बी एन आर राव बनाम प्रधानाचार्य उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के मामले में पैरा 14 में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह कम से कम अवधि में सामाजिक स्तर के विवाद का निपटारा करने के लिए द्रुतगामी कार्यविधि तैयार करे। दिसम्बर, 1985 में यह राज्य सरकार को सूचित किया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सरकार ने शीघ्रता से कार्यवाही करने पर कोई ध्यान दिया हो। न्यायिक प्रक्रिया से भी इसे अंतिम रूप देने में विलंब होता है और यह सामान्य सी बात है कि अंतिम सुनवाई की तारीख तक, अपात्र व्यक्ति चिकित्सा, इंजीनियरी आदि के विशेष क्षेत्रों में अंतरिम आदेशों के कारण पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं और इसके पश्चात् निर्णय निर्विवाद तथ्य बन जाता है। कुछ मामलों में, पात्र व्यक्तियों को कार्याविधिक विलंब के कारण वे लाभ नहीं मिल पाते जिनके वे विधि सम्मत रूप से हकदार होते हैं। इस प्रकार प्रशासनिक ढील और न्यायिक प्रक्रिया शोषण या अन्याय को बढ़ावा देने के मुख्य स्रोत बन गए हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका को इस अव्यवस्था का और अनुच्छेद 46 के शोषण

रोकने के अधिदेश का संज्ञान होना चाहिए। इस न्यायालय की रजिस्ट्री में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुकदमे आने के 15 दिन के अन्दर और उसके बाद के नियम तामील न किए जाने तक रिकार्ड प्राप्त करने के लिए सरकारी रूप से पैरवी करने वालों को नोटिस दिया जाए और अंतिम सुनवाई के लिए सूची में सबसे ऊपर रखकर एक माह के पश्चात् रिट याचिकाएं डाक से भेज देनी चाहिए ताकि दावे के निर्णय में कम से कम विलंब हो।

(2) बी. बासावालिंगप्पा बनाम डी मुनीचिन्नप्पा, (1965)। एस.सी.आर. 316, के मामले में यह प्रश्न, कि क्या भोवी वोड्डार जाति है जिसे पहले राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया गया था, विचारार्थ आया है। प्रतिवादी ने, जो वोड्डार जाति का है अनुसूचित जाति भोवी के रूप में चुनाव लड़ा था। संविधान की न्यायपीठ ने अनुच्छेद 341 की रूपरूखा की जांच की ओर खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के संबंध में संविधान के कठोर उपबंधों पर विचार करते हुए अपीलार्थी के प्रतिविरोध को मान्य ठहराया। यह किसी को अधिकार नहीं है कि वह मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिसूचना में उल्लिखित किसी जाति को शामिल करे – यदि विचाराधीन जाति का अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। इसलिए यह साक्ष्य देने का अधिकार नहीं था कि विशेष जाति अनुसूचित जाति थी जिसका 1950 के आदेश में उल्लेख नहीं है।

(3) भइयालाल बनाम हरीकृष्ण सिंह और अन्य (1965) 2 एस.सी.आर. 874 के मामले में भी यही प्रश्न आया था, संविधान की अन्य न्यायपीठ ने निर्णय किया कि संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के अधीन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, राष्ट्रपति ने अभिव्यक्त रूप से जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के समूह को अनुसूचित जाति के रूप में आदेश में उन्हें शामिल करके अधिसूचना को सीमित करने के लिए प्राधिकृत किया। यह पूर्ण राज्य पर या राज्य के उन भागों के संबंध में लागू होगा जहां राष्ट्रपति इस बात से संतु ट हों कि मूलवंश, जाति या जनजाति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच करने पर ऐसा विनिर्देश न्यायोचित है।

(4) सरिश कुमार चौधरी बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य (1990) एस.यू.पी.पी.एस.सी.सी. 220 के मामले में तीन न्यायाधी ों की न्यायपीठ को इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या त्रिपुरा राज्य में लसकर समुदाय अनुसूचित जाति है। संविधान की रूपरेखा की जांच करने के बाद यह निर्णय किया कि यद्यपि विशेष जनजाति या जाति, जनजाति समुदायों में शामिल जाति/जनजाति का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति आदेश में, प्रविष्टियों की जांच करने

के लिए साक्ष्य स्वीकार्य हो सकते हैं, यह साक्ष्य स्वीकार्यता आदेश में अधिनियमित सीमाओं तक सीमित हैं। यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि वह राष्ट्रपति के आदेश में कुछ जोड़–तोड़ करें।

(5) कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त जनजाति विकास और अन्य (1994) 6 एस.सी.सी. 241 में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने पुनः विचार किया कि क्या कोली, महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग, महादेव कोली को, महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है। यह निर्णय किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976 के अन्तर्गत संशोधन के पश्चात् जातियों, जनजातियों या उप–जाति, जनजातियों या जनजाति **समुदाय के भागों या समूहों की घोषणा करके इसमें जोड़ने–तोड़ने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी और राष्ट्रपति की अधिसूचना, संसद द्वारा संशोधन के अधीन निर्णायक है।**

(6) एस. सवतलगनादोस बनाम आंचलिक प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (1966) 1955 के एस एल पी 27571 में उच्चतम न्यायालय ने, दो न्यायाधीश वाली न्यायपीठ जिसमें न्यायमूर्ति के रामास्वामी और न्यायमूर्ति जी.बी. पटनायक शामिल थे, 25.1.1996 को यह निर्णय लिया और देखा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के खंड–9 के अधीन सिविल न्यायालय को सामाजिक दर्जे (स्तर) के मामलों का निर्णय करने की कोई अधिकारिता नहीं और वे सामाजिक दर्जे (स्तर) की घोषणा के लिए सक्षम नहीं हैं।

(7) पालघाट जिला धनडन समुदाय संमरधना समिति बनाम केरल राज्य (1994) आई एस सी सी 347 में, तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने निर्णय दिया कि केरल राज्य में धनडन को अनुसूचित जाति का घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह जांच करने का निर्देश दिया कि इजावास या थिय्यास जो अन्य पिछड़े वर्ग है। (टैपर्स) धनडन हैं या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दया कि उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए थे कि क्या पूर्व चित्तूर नाम ताल्लुक से भिन्न क्षेत्रों में और पूर्व मालाबार जिले में किसी अन्य स्थान में भी पालघाट जिले में इजावास से अलग धनडन नाम का समुदाय था, परंतु यह जाँच करने की अनुमति नहीं है क्योंकि न तो न्यायालय या न ही राज्य सरकार को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची में संशोधन करने या उसमें कुछ घटाने का कोई अधिकार है, इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश विधि के अनुसार सही नहीं था।

(8) नित्यानन्द शर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य जे टी 1996 (2) एस सी 117 के मामले में यह प्रश्न, कि लोहार बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति के हैं या नहीं

विचारार्थ आया बिहार में, लोहारों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया था। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा किया था। लोहार केवल लोहार हैं जबकि लोहरा राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के हैं। शीर्ष न्यायालय ने निर्णय लिया कि न्यायालय के लिए यह विचार करना उचित नहीं था कि लोहार वे लोहरा हैं जिन्हें अनसूचित जनजाति का घोषित किया गया है।

(9) वालसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय और अन्य (1996) एस सी 57 में यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या प्रगतिशील वर्ग की महिला पिछड़े वर्ग (मछुआरे) के पुरुष से विवाह करके पिछड़े वर्ग का होने का दावा कर सकती है। यह निर्णय किया गया कि वह उक्त दर्जे के लिए हकदार नहीं थी। लक्षित समूह को वितरण न्याय का पश्चात्वर्ती लाभ नहीं मिलना चाहिए।

(10) क्या मणिपुर के आठ गांवों से किंग (अवांग), पलेओंग, खुरखुल, कोडकस्क, लाइमराम, क्वाता, लेह मराम खुनोन (जैरीनपोकपी) और एन्ड्रो में रहने वाले लॉयस से अलग लॉयस अनुसूचित जाति का दावा करने के लिए हकदार है यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या 1996 का 14517 श्री हेइख्म सुचन्दा सिंह और अन्य बनाम लॉयस कैकचिंग, मणिपुर (अनुसूचित जाति उत्थान निकाय) के प्रतिनिधि और अन्यों द्वारा रखा गया था? माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि उच्च न्यायालय का निर्णय सही था कि जब तक सूची में विधिवत् रूप से संशोधन नहीं हो जाएं, लॉयस अनुसूचित जाति के दर्जे का हकदार होगा। लेकिन जाति प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक में भी वही अयोग्यता है जो अनुसूचित जनजाति के आवेदक में थी। केवल वे सभी, जो इस मापदण्ड को पूरा करते हैं, संविधान के अनुच्छे 341 (2) के अधीन संसद द्वारा विधिवत् रूप से संशोधन न किए जाने तक प्रमाणपत्र के लिए हकदार हैं।

(11) निदेशक, जनजाति कल्याण, आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम तवेती गिरी और अन्य (सिविल अपील संख्या 4545/95, जिस पर तारीख 18.4.95 को निर्णय किया, के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह इसलिए आवश्यक है कि जारी किए गए प्रमाणपत्रों की अतिशीघ्रता और तत्परता से संवीक्षा की जाए। उस प्रयोजन के लिए, यह आवश्यक है कि सामाजिक दर्जे वाले प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने, उनकी संवीक्षा और उनके अनुमोदन की कार्यविधि को कारगर बनाया जाए। माननीय न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि भारत सरकार को अधिक विस्तार से मामले की जांच करनी होगी और आवश्यक दिशा निर्देशों सहित एक समान विधान लाना होगा और उन व्यक्तियों के लिए दांडिक परिणाम के नियम निर्धारित करने होंगे जो संविधान की अवज्ञा करते हैं और वास्तविक जनजातियों आदि के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त करने में कठिनाई पैदा करते हैं ताकि झूठे रिकार्ड तैयार करने के जोखिम और

साधारण/कपटी व्यक्तियों द्वारा असंवैधानिक लाभों को प्राप्त करने से बचा जा सकेगा। ऐसा न हो कि संविधान की उद्देशिका के अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 14, 15, 16, 38 और 39 के अधीन दिए गए सामाजिक आर्थिक न्याय देने का संवैधानिक उद्देश्य विफल हो जाए।

8.10 आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में झूठे प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण मामलों का विश्लेषण, कार्यविधि में कमी और चूक की मुख्य – मुख्य बातें, झूठे प्रमाणपत्र धारकों के विरुद्ध कार्रवाई करने में प्रशासनिक प्राधिकारियों की ओर से की गई ढील का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है :

I. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

(1) श्री षण्मुगासुन्दरम ने जारी किए गए तारीख 19.4.83 के नियुक्ति पत्र के आधार पर 4.6.83 को बैंक में चपरासी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उसने जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसे अनुसूचित जनजाति समुदाय की कोन्डा रेड्डी जनजाति का घोषित किया था। प्रमाण पत्र तहसीलदार, भवानी द्वारा पहले 21.6.76 और बाद में 29.4.83 को कार्यभार ग्रहण करने के समय जारी किया था। उससे कहा गया कि वह सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी (आर डी ओ) द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, जो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रधान कार्यालय ने अपनी तारीख 9.3.84 के पत्र द्वारा इस शर्त पर उसकी सेवा को स्थायी किया कि वह अनुसूचित जनजाति के किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। इसी दौरान, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच से यह पता लगा कि वह अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है। जब बैंक ने आरोप–पत्र जारी करने का विचार किया तो उसने उच्च न्यायालय, मद्रास में रिट याचिका संख्या 20674/94 दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त किया। बैंक को कार्रवाई करने का अधिकार देते हुए 15.10.96 को रिट याचिका खारिज की गई। जबकि बैंक द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही थी तभी उस कर्मचारी ने 12.12.96 को एक और रिट याचिका सं. 19295/96 दायर की और अनुशासनिक कार्यवाहियों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया। बैंक ने स्थगन आदेश को रद्द कराने के सम्बन्ध में कार्रवाई की थी।

(2) श्री आर. परथिबन ने 20.6.83 को बैंक में चपरासी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तहसीलदार, तिरुवरूर द्वारा तारीख 8.12.77 को जारी किए गए समुदाय प्रमाणपत्र के अनुसार उसे कोन्डा रेड्डी अनुसूचित जनजाति समुदाय का घोषित किया गया था परन्तु कार्यभार ग्रहण करने के समय उसने सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी (आर डी ओ) द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उसे अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई थी और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था जिसका

उसने पालन नहीं किया। तारीख 26.3.84 के पत्र द्वारा प्रधान कार्यालय ने सामान्य श्रेणी के कर्मचारी के रूप में उसकी सेवा को स्थायी किया और अनुसूचित जनजाति समुदाय का होने के रूप में मिलने वाले लाभों से उसे वंचित रखा। जिला समाहर्ता ने तारीख 14.2.87 की रिपोर्ट में बताया कि वह अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है और फलतः उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र झूठा था। जबकि बैंक जाति का झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार कर रहा था तभी उसने रिट याचिका संख्या 20155/94 दायर कर दी और बाद में रिट याचिका संख्या 19293/96 दायर की ओर अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिए स्थगन आदेश प्राप्त किया। उस पर तामील करने के लिए मसौदा आरोप पत्र शाखा में भेजा गया था परन्तु स्थगन आदेश के कारण इसे दिया नहीं जा सका।

(3) श्री ए.एल. अलागार कुमार ने 16.5.83 को क्षेत्र अधिकारी के रूप में बैंक में कार्यभार संभाला। उसने तहसीलदार उसीलमपट्टी द्वारा तारीख 6.6.83 और 23.7.84 को जारी किए गए दो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जिसमें उसे कटटुनाइकन (अनुसूचित जनजाति समुदाय) का घोषित किया गया था। उसकी सेवा को स्थायी कर दिया गया। परन्तु उसके समुदाय की जांच करने पर राजस्व मंडल अधिकारी (आर डी ओ) द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 7.2.95 की रिपोर्ट के अनुसार वह उस समुदाय का नहीं था। इसलिए बैंक ने उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने पर विचार किया। उसने रिट याचिका संख्या 18651/94 दाखिल करके अनुशासिक कार्यवाहियों के लिए स्थगन आदेश प्राप्त किया उस रिट याचिका को तारीख 15.10.96 को खारिज कर दिया गया। बाद में उसने दूसरी रिट याचिका संख्या 19132/96 दाखिल की और स्थगन आदेश प्राप्त किया। परन्तु, इसी बीच, उसे तारीख 30.11.96 को, इस आधार पर कि उसे झूठे प्रमाणपत्र के आधार पर रोजगार प्राप्त किया था, आरोप पत्र जारी किया। स्थगन आदेश के कारण आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। बैंक स्थगन आदेश को रद्द करवाने के लिए कार्रवाई कर रहा था।

(4) श्री एन. सुन्दरेशन ने 23.7.81 को लिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और बाद में 1.7.86 से उसे जे एम जी स्केल – I के पद पर पदोन्नत किया गया। उसने बताया कि वह कोन्डा रेड्डी समुदाय का है और उसने बैंक में नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ तारीख 24-10-77 को तहसीलदार, तिरुवारूर द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। उसने बैंक के निर्देश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (राजस्व मंडल अधिकारी) द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। मामला राजस्व प्राधिकारी के पास भेजा गया और यह अब तक उसके पास विचार के लिए पड़ा है। झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर रोजगार प्राप्त करने के लिए कार्यवाहियां, यदि की गई हों तो उसमें बाधा डालने के लिए उसने दो रिट याचिकाएं 20036/94 और 19136/96 दाखिल की। जबकि पहली रिट याचिका 15.10.96 को रद्द कर

दी गई थी। परन्तु दूसरी विचाराधीन है। कोई भी आरोप–पत्र जारी नहीं किया जा सका क्योंकि अभी तक राजस्व प्राधिकारी ने विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी है।

8.11 युनाइटेड कमर्शियल बैंक के उपर्युक्त 4 चुने हुए मामलों में सभी से यह पता चलता है कि बैंक प्राधिकारियों ने उपर्युक्त – आवेदकों को अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी थी यद्यपि उनके द्वारा प्रस्तुत समुदाय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, जब वे सक्षम प्राधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उन्हें सामान्य आवेदकों के रूप में समझा भी गया। इससे पता लगता है कि मामले पर नियमानुसार गंभीर रूप से कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप धोखेबाज व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर सेवा में बने रहे।

II. जीवन बीमा निगम :

(1) श्री एस. चन्द्रमोहन को वर्ष 1984 में लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया उसने 1.7.1980 को तहसीलदार नानगुनेरी, तमिलनाडु द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसे कोन्डा रेड्डी समुदाय का बताया गया था। 6.6.91 को जिला समाहर्ता ने सूचित किया कि जांच करने पर यह पता लगा कि प्रमाणपत्र जाली और नकली था। जीवन बीमा निगम ने अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ कीं। श्री चन्द्रमोहन ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास (डब्ल्यू पी 1993 का 101) में रिट याचिका दाखिल की, जिसके कारण अनुशासनिक कार्यवाहियां रोक दी गईं।

(2) श्री एम.आर. आनन्द की 28.6.1990 को समुदाय प्रमाणपत्र के आधार पर सहायक के रूप में नियुक्ति हुई थी। प्रमाणपत्र में यह घोषित किया था कि वह उस "कोन्डा रेड्डी" समुदाय से संबंधित है जिसे तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। तारीख 29.3.1990 का अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र तहसीलदार, पुरासवालकम तमिलनाडु द्वारा जारी किया गया था। जांच करने पर जिला समाहर्ता सेलम ने 30.5.1991 को सूचित किया कि उपरोक्त प्रमाणपत्र झूठा था। उक्त रिपोर्ट के आधार, जीवन बीमा निगम ने श्री आनन्द के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए 19.7.1993 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन उसने माननीय उच्च न्यायालय मद्रास में रिट याचिका (डब्ल्यू पी 1993 का 14520) दाखिल की। न्यायालय ने श्री आनन्द द्वारा दाखिल रिट याचिका पर कार्रवाई होने तक जिला समाहर्ता के तारीख 30.5.1991 के पत्र के अनुसार सभी आगे की कार्यवाहियां रोक दीं।

8.12 जीवन बीमा निगम के उपर्युक्त दोनों मामलों से पता चलता है कि नियुक्ति प्राधिकारी ने नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं करवाए थे। इसकी प्रमाणित विधि यह है कि जाति/समुदाय प्रमाणपत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी सील सहित जारी किया गया है, तब तक विधिमान्य दस्तावेज रहेगा जब तक इसे उक्त प्राधिकारी या उच्च प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जाता। यदि समुदाय के दर्जे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ की जा सकती हैं। इन मामलों में जाति प्रमाणपत्र को रद्द किया जाना चाहिए जब यह सत्यापित और पुष्टि हो जाए कि ये झूठे थे। प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिए जाने पर उपर्युक्त कर्मचारी स्थगन आदेश प्राप्त नहीं कर सकते।

III. भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड

1. श्री एन.जी. के पेट्रो को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर 24.6.1980 को नियुक्त किया गया था। उसने प्रभारी तहसीलदार पार्वतीपुरम, आन्ध्र प्रदेश द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसकी जनजाति ओरिया होलवा लिखी गई है। उसका अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जिला समाहर्ता, विजियानगरम को 4.7.81 को जांच के लिए भेजा गया था। जिला समाहर्ता ने बताया कि श्री पैट्रो अनुसूचित जनजाति का नहीं है। प्रबंधक वर्ग ने 19.12.1981 को श्री पैट्रो के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की परन्तु बाद में आगे की अनुशासनिक कार्यवाही रोक दी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तत्कालीन आयुक्त, भारत सरकार के कहने पर प्रबंधक वर्ग ने नए सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की और 5.6.1987 को उन्हीं आरोपों के आधार पर आरोप–पत्र दिया। इसके बाद कारण बताओ नोटिस भी दिया गया जिसमें सेवा से बरखास्तगी का प्रस्ताव था। श्री पैट्रो ने उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश में कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश ने उक्त रिट याचिका (डब्ल्यू पी 1987 का 15378) पर अंतिम रूप से निपटान किया और 16.2.95 को निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

(i) वर्ष 1981 में जिला समाहर्ता, विजयनगरम की रिपोर्ट को आधार बनाने के अलावा भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स ने, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि श्री पैट्रो अनुसूचित जनजाति के नहीं है, कोई अलग से जांच नहीं की।

(ii) यद्यपि जिला समाहर्ता की रिपोर्ट के अनुसरण में पहले आरोप पत्र जारी किया गया था परन्तु प्रबंध समिति की बैठक में इसके निर्णय को ध्यान में रखकर बीएचपीवी प्रबंधक वर्ग ने आगे की कार्रवाई रोक दी।

(iii) जिला समाहर्ता की 1981 की उसी रिपोर्ट के आधार पर, जिस पर प्रबंध समिति ने पहले कार्रवाई रोक दी थी पुनः वर्ष 1987 में 1981 के बाद के किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखे बिना उसी पहलू के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू की गई।

(iv) जब कोई धोखाधड़ी की जाए तो उसका उचित समय में ईमानदारी से पता लगाया जाए और श्री पैट्रो 18 वर्ष की लम्बी सेवा करते रहे।

(v) इन परिस्थितियों में अनुशासनिक कार्यवाहियों को आगे जारी रखा जाना वांछनीय नहीं है।

8.13 भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स ने उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश की खंड (न्याय) पीठ में रिट अपील दाखिल की जिस पर अभी कार्यवाही जारी है। इस आयोग ने भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स प्रबंधक वर्ग से इस मामले पर चर्चा करने के पश्चात् सलाह दी कि वे उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए अपने काउन्सेल को निर्देश दें।

2. श्री आई.बी. राजेन्द्र प्रसाद को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर सहायक इंजीनियर के पद पर 7.5.79 को नियुक्त किया था। उसने तारीख 22.11.76 को तहसीलदार, नुजविद, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें उसे – "मान्या कापू" जनजाति का बताया गया था। 15.4.86 को, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जांच के लिए जिला समाहर्ता, कृष्णा जिला को भेजा गया था। 25.6.86 को, निदेशक, जनजाति कल्याण, हैदराबाद ने सूचित किया कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में मान्या कापू समुदाय को अनुसूचित जनजाति कभी भी घोषित नहीं किया और इसलिए श्री प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र वैध नहीं है। उसे यह भी निर्देश दिया गया कि वह जिला समाहर्ता, कृष्णा से इस सम्बन्ध में मिलने वाले किसी उत्तर का इंतजार न करें। इस पत्र के आधार पर, 6.6.1987 को श्री प्रसाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। श्री प्रसाद ने उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश में रिट याचिका दाखिल करके अनुशासनिक कार्यवाहियों को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख 21.7.90 के अपने आदेश द्वारा निर्णय दिया कि 'मान्या कापू' समुदाय उस 'कोन्डा कापू' का पर्यायवाची नहीं है जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति है। इस निर्णय के अनुसार श्री प्रसाद ने आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंड (न्याय) पीठ के समक्ष रिट अपील की। माननीय उच्च न्यायालय की खंड (न्याय) पीठ ने उक्त रिट अपील (रिट अपील 1990 की 1054) को अपने तारीख 22.2.96 के आदेश द्वारा निर्णय दिया कि "जाति का झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के मामले में और ऐसे

प्रमाणपत्र के आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे उसी पद पर बने रहने दिया गया। यद्यपि जाति का झूठा प्रमाणपत्र देने के सम्बन्ध में अपीलार्थी को प्रतिवाद का अवसर दिए बिना उसे जारी किया गया जाति का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया किन्तु कानून की दृष्टि में उसे सही माना जाएगा और उसे या उसकी संतान को इस आधार पर किसी भी क्षेत्र में जो चाहे कोई भी हो, कोई और लाभ नहीं दिया जाएगा और अपीलार्थी और उसकी संतान को भविष्य में किसी प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजाति का नहीं समझा जाएगा।" आयोग ने बीएचपीवी को उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश की खंड (न्याय) पीठ के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल करने के लिए सलाह दी। बीएचपीवी ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल की। परन्तु 8.12.97 को एसएलपी की सुनवाई के समय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और तद्नुसार एसएलपी रद्द कर गई।

3. श्री एन.एस.सी. बोस को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर निम्न श्रेणी लिपिक (टाइपिस्ट) के रूप में 2.9.79 को नियुक्त किया था। उसका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार, चिराला, आन्ध्र प्रदेश द्वारा 26.10.77 को जारी किया गया था जिसमें उसकी जाति "बोया (वाल्मीकि)" लिखी थी। 6.3.81 को, जिला समाहर्ता, प्रकाशम से इस प्रमाणपत्र की वास्तविकता के सत्यापन के लिए अनुरोध किया गया। 21.11.81 को जिला समाहर्ता ने सूचित किया कि श्री बोस बोया वाल्मीकि जाति के हैं, जो अनुसूचित जनजाति है। जिला समाहर्ता से आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की अनुसचित जनजाति की अधिसूचना के मद्देनजर उक्त प्रमाणपत्र को सत्यापित करने का पुनः अनुरोध किया। जिला कलक्टर ने ता. 6.6.92 के अपने पत्र में बताया कि श्री बोस उस "वाल्मीकि" जाति का नहीं है जो आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर श्री बोस के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की है। जांच अधिकारी ने ता. 10.1.97 के अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया कि श्री बोस का जाति संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करने और अनेक दस्ततावेजों में स्वयं को अनुसूचित जनजाति का घोषित करने में कोई दोष नहीं था क्योंकि उसका जाति संबंधी प्रमाणपत्र चिराला के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया था और चूंकि जिला कलक्टर की ता. 21.11.81 और ता. 6.6.82 की दो रिपोर्ट इस संबंध में परस्पर विरोधी थी कि क्या वह अनुसूचित जनजाति का है? लेकिन इनमें एकमात्र एकरूप्ता यह थी कि श्री बोस "बाल्मीकि बोया" जाति का है। आयोग ने भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड के प्रबंधक वर्ग को सलाह दी है कि वह संबंधित जिला कलक्टर को उस कर्मचारी के पक्ष में जारी किए गए जातीय प्रमाणपत्र रद्द करने का स्पष्ट आदेश जारी करने के लिए लिखें और प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाने पर भा.है.प्ले.एण्डवै. (वीएचपीवी) को उसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

4. श्री टी सूर्यनारायण की नियुक्ति ता. 8.12.1979 को एक कारीगर के रूप में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बिंदु पर की गई थी। श्री टी. सूर्यनारायण ने ता. 5.12.79 कोपुरोहितुनिवाल्सा, तालुक सेलू जिला विजयानगरम, आंध्र प्रदेश के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। उनका अनुसूचित जनजाति संबंधी वह प्रमाण पत्र ता. 3.6.81 को सत्यापन के लिए विजयानगरम के जिला कलक्टर को भेजा गया। ता. 30.10.81 को जिला कलक्टर ने सूचित किया कि श्री सूर्यनरायण दास "आदिआन्ध्र" जाति का है जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति अधिसूचित की गई है। श्री टी सूर्यनारायण के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई और श्री टी सूर्यनारायण ने अनुशासनिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने ता. 25.7.88 के आदेश द्वारा वह याचिका (1988 की रिट याचिका 7494) अनुशासनिक प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए खारिज कर दी कि श्री सूर्यनारायण को ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर दिए जाएं जिनके आधार पर उसने अनुशासनिक कार्यवाही न करने की मांग की थी। अन्ततः अधिरोपित आरोप सिद्ध हुए किन्तु प्रबंधक वर्ग ने श्री सूर्यनारायण के खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया और उसे अनुसूचित जाति के रिक्त पद पर समायोजित किया। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने बीएचपीवी के प्रबंधक वर्ग को सुझाव दिया कि वह संबंधित कलक्टर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी को जारी किए गए अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रमाणपत्र रद्द करने का लिखित अनुरोध करे। प्रमाण पत्र रद्द करने संबंधी आदेश प्राप्त होने के पश्चात प्रबंधक वर्ग को सेवा समाप्त करने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए।

8.14 भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड के इन सभी चार मामलों से पता चलता है कि नियोक्ता प्राधिकारियों ने अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से प्रारंभिक नियुक्ति के समय सत्यापित नहीं कराए थे। जिला कलक्टर की रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधक वर्ग द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई जो विधि के अनुसार सही नहीं है क्योंकि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले वह प्रमाणपत्र औपचारिक रूप से रद्द किया जाना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि बीएचपीवी के विधि विभाग ने ये मामले उच्च न्यायालय के समक्ष सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति अभी भी कार्य कर रहे हैं। ये सभी प्रमाण पत्र उन संबंधित तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए थे जो राजस्व संबंधी रिकार्ड की आसानी से जांच कर सकते थे। आश्चर्यजनक बात है कि प्रमाणपत्रों को जारी करने से पहले कोई समुचित जांच–पड़ताल नहीं की गई। अतः राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना

चाहिए कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पूरी सावधानी और जिम्मेदारी से जाति संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जाएं।

IV. एयर इण्डिया

(1) श्री एम.जे. पीडेडे की नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पद पर ता. 26.6.83 को ड्राइवर के रूप में की गई थी। उसने दि. 7.4.83 को बम्बई, महाराष्ट्र के कलक्टर द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसकी जनजाति महादेव कोली बताई गई थी। उसका वह अनसूचित जनजाति संबंधी प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए कलेक्टर, बम्बई का भेजा गया, जिसने यह बताया कि उसका वह प्रमाणपत्र सही नहीं था। प्रबंधक वर्ग ने श्री पीडेडे के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की और उसे सामान्य उम्मीदवार माना इसी आधार पर दि. 21.2.97 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और इस आयोग की सलाह के अनुसार आपराधिक मामला प्रारंभ करने के लिए एक शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई गई। श्री पीडेडे ने उच्च न्यायालय मुम्बई में एक रिट याचिका दायर की और उक्त आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश ले लिया। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी 1977 की रिट याचिका 464) की कि " उक्त आदेश याची के पीठ पीछे और उसे सुने जाने का मौका दिए बिना दिया गया है" उपर्युक्त परिस्थितियों में कि याची ने रिट में अंतरिम राहत देने की प्रार्थना करके इसे प्रथम दृष्ट्या मामला बना दिया है। इस आक्षेपित आदेश पर ता. 21.2.77 को रोक लगा दी गई है।

(2) श्री एम.एल. श्रीयन की नियुक्ति तारीख 1.9.75 को अनुसूचित जाति के आरक्षित पद पर कार्यालय सहायक के रूप में की गई थी उसने तारीख 30.11.81 को मंगलूर, कर्नाटक के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसकी जाति "मोगर" बताई गई थी। सत्यापन कराने पर मंगलौर के तहसीलदार ने सूचना दी कि श्रीयन द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र झूठा था। उसके खिलाफ तारीख 19.7.84 को अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई। उसकी काफी वर्षों की संतोशजनक सेवा अवधि और उसके द्वारा पहली बार किए गए कदाचार को ध्यान में रखते हुए उसकी वेतनवृद्धियाँ स्थगित कर दी गई और उसे लिपिक के पद पर पदावन कर दिया गया। बाद में आयोग की सलाह के अनुसार तारीख 21.2.97 को इसी आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त की गई और आपराधिक मामला शुरू करने के लिए तारीख 25.9.96 को पुलिस अधीक्षक, मंगलूर के पास एक शिकायत दर्ज की गई। श्री श्रीयन ने उच्च न्यायालय, मुम्बई में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल, 1977 को यह टिप्पणी दी है। (1977 की रिट याचिका 371) कि 'उक्त आदेश याची के पीठ पीछे और उसे सुने जाने के लिए उपयुक्त अवसर दिए बिना जारी दिया गया है। इन परिस्थितियों में हम समझते हैं कि याची ने रिट में आंतरिम राहत देने की प्रार्थना करके

इसे प्रथम दृष्ट्या मामला बना दिया है। याची को दिए गए 21 फरवरी 1977 के आदेश को रोक दिया गया है।

3. श्री एस.रंगानाथन की नियुक्ति ता. 3.2.80 को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर एयर क्राफ्ट इंजीनियर के रूप में की गई थी। उसने 18.8.79 को मद्रास तमिलनाडु के महानगर, मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उनकी जनजाति "कोंडा रेड्डी" बताई गई थी। उसका प्रमाणपत्र 3.5.82 को सत्यापन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, तिरुची को भेजा गया जिसने यह बताया कि श्री रंगानाथन अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है। उसके खिलाफ पहली बार ता. 2.4.83 को अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई और उसकी आयु तथा संतोषजनक सेवा रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए, उदारतापूर्ण दृष्टिकोण के अधीन 17.5.89 को दण्डस्वरूप केवल उसका मूल वेतन कम कर दिया गया। बाद में आयोग की सलाह के अनुसार इसी आरोप के आधार पर ता. 20.2.97 को उसकी सेवाएं समाप्त की गई और उसके खिलाफ आपराधिक मामला शुरू करने के लिए को पुलिस आयुक्त चेन्नई के पास शिकायत दर्ज की गई। श्री रंगानाथन ने उच्च न्यायालय मुम्बई में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 397, 1977 में यह टिप्पणी की है कि "उक्त आदेश याची के पीठ पीछे और उसे सुने जाने के लिए उपयुक्त अवसर दिए बिना जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि "याचिका की सुनवाई और उसका अन्तिम निर्णय होने तक ता. 20.2.1997 के आक्षेपित (संदिग्ध) आर्डर का प्रवर्तन और कार्यान्वयन रोक दिया जाए और याची को उसकी सेवाएं जारी रखने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादी को निर्देश दिए जाएं।

(4) श्री एसपी हेतया की नियुक्ति सामान्य उम्मीदवार के रूप में 9 जून 1978 को क्लीनर के रूप में की गई थी। 25 जुलाई, 1983 को उसने एक अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह सत्यापित किया गया था कि उसकी अनुसूचित जनजाति किश्चियन महोदव कोली है। उसका अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रमाणपत्र ता. 1.9.83 को सत्यापन के लिए कलक्टर, थाने के पास भेजा गया था। वासाई के कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने ता. 12.3.85 के अपने पत्र में बताया कि श्री हेत्या अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है और उसका प्रमाणपत्र रद्द किया गया था। प्रबंधक वर्ग ने श्री हेत्या को सूचना दी कि उसको जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र रद्द हो चुका है और उसे सामान्य उम्मीदवार माना जाएगा बाद में इस आयोग की सलाह पर ता. 21.2.97 को श्री हेत्या की सेवाएं समाप्त कर दी गई। श्री हेत्या ने उच्च न्यायालय, मुम्बई में अपनी सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 1221, 1997 में यह टिप्पणी दी है कि "याची की नियुक्ति सामान्य श्रेणी में की गई थी और उसे सभी मामलों में सामान्य श्रेणी का व्यक्ति मान्य माना जाता रहा था। इन परिस्थितियों में प्रतिवादी

संख्या। (एयर इण्डिया) द्वारा ता. 21.2.97 को पारित किया गया सेवा समाप्ति का आदेश पूर्णतः अवैध और अनुचित है। याची की लगभग 20 वर्ष की सेवा को विधिक दृष्टि से इस रूप में समाप्त नहीं किया जा सकता।" न्यायालय ने यह भी निर्देश दिए कि "याची को दोबारा सेवा में रखा जाएगा और वह सेवा में बने रहने सहित वेतन और अन्य सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।"

8.15 एयर इण्डिया के इन सभी चार मामलों से पता चलता है कि प्रबंधक वर्ग ने समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी संगत आदेशों में दिए गए उपबंधों का उल्लंघन किया क्योंकि उनका जाति का प्रमाणपत्र झूठा साबित होने के बाद भी उन्होंने व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त नहीं कीं। इसके विपरीत प्रबंधक वर्ग ने उनके प्रति नरमी का रुख अपनाया और उन्हें मामूली दण्ड दिया। बाद में आयोग के हस्तक्षेप करने पर प्रबंधक वर्ग ने उनकी सेवाएं समाप्त कीं और इसके लिए भी उन्होंने विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। परिणामस्वरूप वे न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर सके।

V. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड :

(1) श्री प्रकालथन की नियुक्ति ता. 25.2.82 को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में एक अकुशल कामगर के रूप में ता. 15.5.1975 के उस जाति संबंधी प्रमाणपत्र के आधार पर की गई जिसमें उसकी जाति कोंडा रेड्डी (अनुसूचित जनजाति) बताई गई थी। ता. 31.12.1983 को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उसकी जाति का सत्यापन करने के लिए यह मामला त्रिरुनेल्वली के जिला कलक्टर के पास भेजा गया। सत्यापन के पश्चात ता. 2.3.1989 को त्रिरुनेल्वेली के जिला कलक्टर ने वह जाति संबंधी प्रमाणपत्र रद्द कर दिया और इसी के आधार पर भा.है.इ.लि. ने श्री प्राकलाथन को एक आरोप पत्र दिया और उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की। ता. 24.7.1991 को श्री प्रकालथन ने जिला कलक्टर के आदेश के विरुद्ध उच्च मद्रास के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और स्थगन आदेश (रिट याचिका 4899/1991 ले लिया जिसमें भा. है.इ.लि. को उसके विरुद्ध विभागीय जांच तब तक नहीं करने का अनुरोध किया गया जब तक कि सरकार के विरुद्ध दायर रिट याचिका सं. 4899/1991 पर निर्णय नहीं ले लिया जाता। चूंकि भा.है.इ.लि. उच्च न्यायालय में एक पार्टी नहीं था उसने ता. 3.1.95 को जांच प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की यह रिट याचिका 18.4.1995 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। ता. 18.4.1994 को ही उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 4899/91 मंजूरी दी और इसे त्रिरुनेल्वली के जिला कलक्टर को श्री प्रकालयन की जाति के संबंध में दुबारा जांच करने के लिए लौटा दिया। दुबारा जांच करने के बाद जिला कलक्टर

ने 17.11.1995 को रद्द करने संबंधी अपने पूर्व आदेश की पुष्टि की और श्री प्रकालतन ने तत्काल त्रिरुनेल्वेली के जिला कलक्टर और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विरुद्ध दूसरी रिट याचिका (रिट याचिका 748/1996) दायर की और स्थगन आदेश ले लिया।

(2) श्री एम.आर. रामराजन की नियुक्ति, ता. 25.2.1982 को कुलिथलइ, तमिलनाडु के प्रथम श्रेणी के अपर मजिस्ट्रेट द्वारा ता. 15.12.1977 को जारी किए गए जाति संबंधी प्रमाणपत्र के आधार पर अकुशल कामगार के रूप में की गई थी जिसमें उसे कोडा रेड्डी (अनुसूचित जनजाति) जाति का बताया गया था। ता. 31.12.1983 को उसका मामला सत्यापन के लिए तिरूची के जिला कलक्टर को भेजा गया। 14.10.1998 के तिरूची के जिला कलक्टर ने जाति संबंधी प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। श्री रामराजन ने ता. 14.10.1998 को चेन्नई के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (रिट याचिका 15991/1988) दायर की। जिसमें जिला कलक्टर की सत्या पन रिपोर्ट पर आपत्ति लगाई गई थी।/ता. 31.10.88 को भा. है. इ. लि. ने जाति सबंधी झूटा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उसे आरोप पत्र दिया और एक जांच समिति का गठन किया। ता. 13.7.90 को चेन्नई के उच्च न्यायालय ने विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यह मामला निपटाया और तिरूची के जिला कलक्टर को पुनः जांच करने का निदेश दिया। तिरूची के जिला कलक्टर ने जाति प्रमाणत्र रद्द करने संबंधी अपने पूर्व आदेश की पुष्टि की जिसके विरोध में श्री रामराजन ने चेन्नई, के उच्च न्यायालय में दूसरी रिट याचिका (रिट याचिका 5239/91) दायर की और स्थगन आदेश ले लिया। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) श्री आर. नवनीतकृष्णन की नियुक्ति ता. 1.10.1982 को इंजीनियर प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई थी। उसने उसीलमपट्टी, जिला मदुरई के विशेष तहसीलदार द्वारा जारी किया गया एक जाति संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसकी जाति कोंड़ा रेड्डी बताई गई थी। चेगंलेपेठ के जिला कलक्टर को, उसका उस जिले में स्थायी निवास होने के नाते ता. 2.2. 89 को श्री नवनीतकृष्णन की जाति का सत्यापन करने के लिए अनुरोध किया गया। मदुरई के जिला कलक्टर से भी उसकी जाति का सत्यापन करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उसी लमपट्टी के जिस विशेष तहसीलदार द्वारा जाति संबंधी प्रमाणपत्र जारी किया गया था वह उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता था। जांच करने के पश्चात् और स्वयं उपस्थित होने का अवसर देने के बाद जिला कलक्टर ने ता. 20.2.1997 को वह जाति सबंधी प्रमाणपत्र रद्द् कर दिया। ता. 20.3.1977 को भा. है. इ. लि. ने श्री नवीनतकृष्णन को आरोप पत्र दिया। ता. 31.3.1997 को श्री नवनीतकृष्णन ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका (रिट विविध याचिका 7339/79) दायर की और न्यायालय ने भा. है इ. लि. को कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने का आदेश देते हुए उस पर रोक लगा दी। ता. 4.7.1997 को भा. है. इ. लि. ने भी

रोक को निष्प्रभावी करने के लिए प्रतियाचिका दायर की और वह रिट उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी।

(4) श्री आर. कमलकानन की नियुक्ति ता. 25.2.1982 को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तिरूची में धुरइयूर के तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ता. 8.8.1997 के जाति संबंधी और कुलिधलई के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ता. 27.2.1979 के जाति संबंधी प्रमाणपत्र के आधार पर अकुशल कामगार के रूप में की गई थी। उस प्रमाणपत्र में उसे कोंडा रेड्डी (अनुसूचित जनजाति) जाति का बताया गया था। ता. 31.12.1983 को तिरूचिरापल्ली के जिला कलक्टर से उसकी जाति का सत्यापन करने का अनुरोध किया गया और उसके जाति संबंधी मूल प्रमाणपत्र ता. 9.2.1988 को कलक्टर के पास भेजे गये थे। श्री आर. कमलकानन का जाति संबंधी प्रमाणपत्र ता. 22.5.1988 को रद्द किया गया। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 1.10.1988 को श्री कमलकानन को आरोप पत्र दिया। ता. 5.12.88 को चेन्नई के उच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। (रिट याचिका 15545/1988 चेन्नई के उच्च न्यायालय के ता. 3.7.90 के आदेश के अनुसार जिला कलक्टर ने दुबारा जांच की और रद्द किए गए अपने पूर्व जाति संबंधी प्रमाणपत्र ता. 7.2.1991 की पुष्टि की। श्री कमलकानन ने कलक्टर के आदेश के विरूद्ध ता. 13.3.1991 को दूसरी रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने याचिका मंजूर कर ली तथा उसे जिला कलक्टर द्वारा दुबारा कार्यवाही के लिए भेज दिया। हालांकि तिरूचि के जिला कलक्टर ने ता. 05.12.1995 को रद्द किए जाने के आदेश की पुष्टि की थी लेकिन 20.12.1995 को श्री कमलकानन द्वारा तीसरी रिट याचिका दायर की गई और चेन्नई उच्च न्यायालय ने श्री आर. कमलकानन के विरूद्ध अगली प्रत्येक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने रोक को नि प्रभावी करने के लिए ता. 4.7.1997 को एक काउन्टर रिट दायर की है।

8.16 जाति संबंधी झूठे प्रमाणपत्र के सभी मामलों, जिनमें चेन्नई के उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए गए हैं, को देखने से पता चलता है कि जाति/जनजाति का सत्यापन प्रारंभिक नियुक्ति के समय नहीं किया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने प्रमाणपत्रों का सत्यापन करवाने में काफी समय लिया है, यहां तक कि कुछ मामलों में 5 वर्ष तक लग गए। चूंकि जाति संबंधी झूठे प्रमाणपत्रों के धारक व्यक्ति अपने विरूद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने में सफल रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपने मामले न्यायालय के समक्ष दोषसिद्ध करने में समर्थ तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया है।

VI.भारतीय उर्वरक निगम

8.17 आयोग ने दो व्यक्तियों अर्थात् श्री जे. मललाए, मिल राइट फिटर मैकेनिकल और श्री रमेश बाबू, स्टेनों सहायक द्वारा जाति संबंधी झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में आंध्र प्रदेश के भारतीय उर्वरक निगम, रामगुंडुम यूनिट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ की शिकायत पर जांच शुरू की थी।

8.18 आयोग द्वारा की गई विस्तत जांच से यह पता चला कि वरिष्ठ कार्यकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी श्री के. चलामैय्या ने उन दोनों कर्मचारियों को जानबूझकर बचाने का प्रयास किया जिन्होंने जाति संबंधी झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके भारतीय उर्वरक निगम में कार्यभार ग्रहण किया था।

8.19 भारतीय उर्वरक निगम के अनुशासनिक प्राधिकारी ने तकनीकी पृष्ठभूमि के व्यक्ति होने के नाते विधि की जानकारी नहीं होने का दावा किया और आयोग द्वारा जांच किए जाने पर यह पता चला कि उन्होंने कार्मिक विभाग से लिखित में कोई सलाह नहीं मांगी थी। उन्होंने आयोग के समक्ष यह स्वीकार किया कि उन्हें जाति संबंधी झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर होने वाले परिणामों की जानकारी थी। लेकिन उन्होंने उन दोनों को पदाक्नवत करते हुए उन्हें बचाने का प्रयास किया और यह आदेश दिया कि उन्हें ता. 11.9.95 को भारतीय उर्वरक निगम में गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। ऐसा किया जाना भारत सरकार के उन अनुदेशों का स्पष्ट उल्लंघन था जिनमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जाति संबंधी झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाएं।

8.20 आयोग का यह विचार था कि यह पूर्णतः विधि के निर्देशों की जानबूझकर की गई अवज्ञा का मामला है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 217 के अधीन दण्डनीय है। अतः आयोग ने भारतीय उर्वरक निगम को श्री चल्लाभैय्या के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने और उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी शुरू करने के लिए कहा। आयोग की सलाह के अनुपालन में भारतीय उर्वरक निगम ने ता. 1.8.97 को पेड्डाचल्ली के न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष श्री चल्लाभैय्या के विरूद्ध एक िकायत दर्ज की और विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए ता. 14.8.1997 को उन्हें एक आरोपपत्र दिया। इस मामले पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था।

टिप्पणियां/सिफारिशें

8.21 उपर्युक्त जाति संबंधी झूठे मामलों के आधार पर आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं।

(1) विधि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए गए अनु. जाति तथा अनु. जनजाति के झूठे प्रमाणपत्रों के मामलों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नियोक्ता प्राधिकारी जाति संबंधी प्रमाणपत्रों के मामलों पर सख्ती से कार्रवाही नहीं कर रहे हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों में यह कहा गया है कि नियोक्ता प्राधिकारी प्रमाणपत्र धारकों के स्थायी निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अनु. जाति तथा अनु. जनजाति संबंधी प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराएं तथा यदि सत्यापन से यह स्पष्ट हो कि उम्मीदवार का दावा झूठा है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जाएं। चूंकि प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों का पालन पूरी सावधानी से नहीं किया जा रहा था, भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने विस्तृत अनुदेश जारी किए जिनमें जाति संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम प्राधिकारियों का विशेष रूप से उल्लेख किया है तथा नियोक्ता प्राधिकारियों को यह निर्देश दिए कि अनु.जाति/अनु. जनजाति का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों के नियुक्ति प्रस्ताव में निम्नलिखित खण्ड को शामिल किया जाए।

> ''यह नियुक्ति अनन्तिम है तथा जाति/जनजाति सबंधी प्रमाणपत्र का उपयुक्त माध्यम से सत्यापन कराए जाने के अधीन है और यदि सत्यापन से यह स्प ट हो कि अनु. जाति/अनु. जनजाति को सदस्य होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है तो सेवाएं तत्काल बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन की जा सकते वाली ऐसी किसी अतिरिक्त कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर दी जाऐगी।''

तथापि, यह भी देखा गया है कि नियोक्ता प्राधिकारी सामान्यतः उपर्युक्त खण्ड को नियुक्ति प्रस्ताव में शामिल नहीं कर रहे हैं। अतः आयोग यह सिफारिश करता है कि नियुक्ति प्रस्ताव में उपर्युक्त खण्ड को शामिल न करना गंभीर चूक माना जाए तथा प्रस्ताव जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आव यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

(3) सत्यापन तथा रद्दीकरण की संकल्पना काफी भिन्न है। सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षतः या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जांच पड़ताल की जानी होती

है जबकि रद्द किए जाने की प्रक्रिया के अधीन सक्षम प्राधिकारी जांच पड़ताल करता है, मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करके उनका रिकार्ड रखता है तथा निष्कर्ष प्राप्त कर लेने पर उनके कारण बताता है। सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी को यह सिद्ध करने के निर्देश देता है कि उक्त प्रमाणपत्र गलत तरीके से जारी नहीं किया गया है चूंकि सारी जिम्मेदारी प्रमाणपत्र के उस जारीकर्ता प्राधिकारी पर आ जाती है, प्रमाणपत्र धारक की नहीं होती, इसलिए प्रमाणपत्र धारक को उस प्रमाणपत्र की वैधता सिद्ध करने के लिए नहीं कहा जा सकता। यदि सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र की अवैधता से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह प्रमाणपत्र रद्द करने का आदेश दे सकता है और पदधारी पर झूठे और नकली दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए मुकदमा भी चलाया जा सकता है। प्रमाणपत्र रद्द करने संबंधी आदेश प्राप्त होने पर नियोक्ता प्राधिकारी कारण बताओं नोटिस जारी कर सकता है और उनकी सेवा समाप्त कर सकता है क्योंकि उन व्यक्तियों ने झूठे नकली दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद प्राप्त करने के लिए चालाकी से काम किया।

(4) भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए ऐसे आवश्यक अनुदेशा जारी करने चाहिए ताकि जाति संबंधी झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर सेवा में आने वाले व्यक्ति तकनीकी आधार पर अनुशासनिक कार्यवाहियों के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने में सफल न हो सके। अनुदेशों में एक खण्ड यह भी शामिल किया जाए कि दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने से होने वाली तकनीकी चूक वाले मामलों पर गंभीरता पूर्वक विचार कियाजाएगा और संबंधित प्राधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को भी झूठे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस संबंध में जैसा कि आयोग ने पहले भी सुझाव दिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति संबंधी प्रमाणपत्र दिए जाने के कार्य को विनियमित करने के लिए एक विस्तृत विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि यह विधेयक संसद द्वारा लागू किया जाता है तो जाति संबंधी झूठा प्रमाणपत्र जारी करने को रोकने में यह मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आयोग यह सिफारिश करता है कि विधेयक में आयोग द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों को शामिल करते हुए इसे यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्याय-IX

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अपराध और अत्याचार

यह गंभीर चिंता और खेद का विषय है कि हमारे समाज में इसका सबसे कमजोर और असुरक्षित वर्ग भेदभाव, शोषण और अत्याचारों से पीड़ित बना हुआ है। भारत के संविधान में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अशंक्तता दूर करने और उनके विरूद्ध भेदभाव दूर करने के लिए, प्रावधान किए जाने के बावजूद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हुए अत्याचारों के बारे में देश के सभी भागों से परिवर्ती संख्या में सूचना प्राप्त होना जारी है।

9.2 मुख्य संवैधानिक प्रावधान निम्नानुसार हैः–

अनुच्छेद 15(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर–

क. दुकानों में, सार्वजनिक भाजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या

ख. पूर्णतः या अंशतः राज्यनिधि से पोषित या जन साधारण के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों स्नान घाटों, सडकों व सार्वजनिक सैरगाहों के उपयोग, के संबंध में किसी भी अशक्तता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत – "अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्व किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने को स्तन्त्रता – (I) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के न्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का समान हक होगा।

9.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित विशेष अधिनियम बनाए गए हैं। ये हैः– नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

9.4 अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को 1976 में संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में पुनः नामित किया गया। इस संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता के आचरण को दोनों संज्ञेय और अप्रशम्य अपराध बनाया गया और इस अपराध के लिए अपेक्षाकृत कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी।

9.5 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15 क (I) के अंतर्गत राज्य सरकारों पर विधितः यह दायित्व डाला गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि "अस्पृश्यता" का अंत करने से उत्पन्न अधिकार "अस्पृश्यता" के कारण किसी प्रकार की निर्योग्यता से पीडित व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते हैं और उनके द्वारा उन अधिकारों का उपयोग किया जाता है, ऐसे उपाय करें जो आवश्यक हों। ऐसा, कानूनी सहायता का प्रावधान करके, इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाने या अभियोजनों पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करके, विशेष न्यायालय गठित करके और ऐसे उपाय निर्धारित करने या कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए समुचित स्तर पर समितियों का गठन करके किया जा सकता है। केन्द्र सरकार को, ऐसे कदम उठाने, जो राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों के समन्वय के लिए आवश्यक हैं, और प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यकरण पर रिपोर्ट पटल पर रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। केन्द्र सरकार अभी तक वर्ष 1993 तक की अवधि की 14 रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत कर चुकी है।

अस्पृश्यता न केवल शारीरिक रूप में ही बल्कि लोगों के मन में भी गहरी समाई हुई है।

9.6 नीचे दिए गए आंकड़े (एन.सी.आर. बी. के अनुसार) दर्शाते हैं कि, स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भ अस्पृश्यता का अंत नहीं किया जा सका है, जैसा संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंधित किया गया हैं और ऐसी घटनाओं की सूचना निरंतर मिल रही है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले

वर्ष	मामले
1995	1528
1996	1417
1997	1157

9.7 स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी अस्पृश्यता विद्यमान रहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:–

क. जाति व्यवस्था की गहरी जड़े

ख. अनुसूचित जातियों द्वारा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे रहना,

ग. निरक्षरता

घ. अनुसूचित जातियों में सामाजिक जागरूकता का अभाव

ड़ धार्मिक साहित्य से उत्पन्न कठोरता और पूर्वाग्रह।

कई मामलों मे "शारीरिक" अस्पृश्यता के स्थान पर मानसिक और सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार करने की घटनाओं की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है।

9.8 अस्पृश्यता लम्बे समय से चली आ रही सामाजिक बुराई है जिसे संगठित रूपसे और दृढ निश्चयी सामाजिक कार्रवाई से दूर किया जा सकता है। वर्षों से इस सामाजिक बुराई की यंत्रणा झेल रहे अशिक्षित और निर्धन लोगों को अधिनियम एवं पुलिस कार्रवाई मात्र से समाज में गरिमा नहीं मिल सकती है। इसके लिए कुल मिलाकर पूरे समाज को ही प्रयास करना होगा। यह आज की चुनौती है। सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलकदमी उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सकती है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989।

9.9 ऐसी बर्बर घटनाएं, निरंतर घटित हो रही हैं जिनके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगो को जान–माल से हाथ धोना पड़ता है। दलितों पर कई तरह के अत्याचारों की अनेकों घटनाए हो रही है जिनसे प्रायः बहुत अधिक विकृत सामाजिक व्यवहार प्रकट होता है, जैसे लोगों को अखाद्य वस्तुए जैसे मानव मल–मूत्र खाने और पीने के लिए मजबूर करना, अनेक परिसरों में अस्थिपंजर या कूड़ा–कचरा डालना, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेय जल को प्रदूषित करना और उन्हें झूठे मामलों में फंसाना आदि। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक सकने में किए गए सभी उपाय पर्याप्त कारगर नहीं पाए गए। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नामक शीर्षक से कानून बनाया गया जिसमें पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार को विधिक रूप में परिभाषित किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अत्याचारों को विनिर्दिष्ट करता है। ये इस प्रकार है:– (घृणित पदार्थ खाने के लिए मजबूर करना उनकी (2) भूमि में कूड़ा

कचरा फेंकना (3)निवारण करना (4) भूमि पर अवैध कब्जा, (5) बेदखल करना, (6) बंधुआ मजदूर, (7) मतदान के दौरान अभित्रासित करना, (8) अनिष्ट कारक मुकदमे बाजी, (9) झूठी सूचना, (10) सार्वजनिक रूप से अपमान करना, (11) शील भंग करना, (12) यौन शोषण, (13) जल स्रोत को गन्दा या अपवित्र करना, (14) सार्वजनिक अभिगम के स्थान पर प्रवेश न करने देना, (15) निवास से बेदखल करना, (16) विस्फोटकों से अनिष्ट करना, (17) भवनों को तोड़ना, (18) साक्ष्य का अधिक्रमण करना। इन अपराधों के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की तुलना में कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। हिरासत में बलात्कार, राजमार्ग पर डकैती और रात के समय मकान में जबरन घुसपैठ जैसे अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता में न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है जबकि ये अपराध अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने सहित आजीवन कारावास से दण्डनीय हैं इस अधिनियम में संपत्ति जब्त करना, निष्कासन (एकसटर्नमेंट) और दण्डात्मक जुर्माना वसूल करना तथा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालयों और विशेष अभियोजको की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अपराधों और अत्याचारों के संबंध में राज्यों/संघ के गृह सचित और पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का दिनांक 16-12-1996 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन

9.19 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अपराधों के विषय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का दिनांक 16–12–96 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन भारत के माननीय गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा किया गया। यह बैठक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करने और विशेष रूप से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हुई थी। इस बात पर बल दिया गया कि अधिनियम में दिए गए निवारक उपायों को ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रवर्तित किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग गरिमा पूर्वक रह सकें तथा सुरक्षित महसूस कर सके। यह अनिवार्य है कि सतर्कता और विधि के अनुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए। इस बात पर भी बल दिया गया कि पुलिस कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1955 के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित सिफारिशें की गयी:–

(1) चूंकि सभी मामलों की जांच करने के लिए उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिससे जांच में विलंब हो रहा है इसलिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 7 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि समुचित जांच करने के लिए उपपुलिस अधीक्षक से निचले रैंक के अधिकारियों द्वारा जांच करना संभव हो सके। यह सिफ़ारिश की गई कि नियम में संशोधन किया जाए ताकि राज्य सरकारों को जांच करवाने के लिए अधिकारियों को नामित करने की शक्ति प्राप्त हो सके।

(2) इस बात पर सहमति हुई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा (4) में संशोधन किया जाए ताकि कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी अधिकारियों को इसमें शामिल किया जा सके। इस प्रकार इस धारा की पंक्ति 2 में "अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति न होने के कारण" शब्दों को विलोपित किया जाए।

(3) न्यायालायों में मामलों का शीघ्र विचारण और निपटान सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन को पुलिस के प्रति, विशेष रूप से जिला स्तर पर, जिम्मेवार बनाया जाना आवश्यक है।

(4) वर्तमान में इन अपराधों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) और 3(2) में सूचीबद्व किया गया है। अधिकांश अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया कि धारा 3(1) के अंतर्गत सभी अपराधो के लिए समान दण्ड की व्यवस्था है हालाकिं इनका स्वरूप छोटे–मोटे अपराधों से लेकर गम्भीर किस्म के अपराधों में परिवर्तन होता है इस प्रकार अपराधों का पूर्ण सुधार अपेक्षित है तथा इसके बाद कुछ अपराधों को विलोपित किया जा सकता है।

(5) इस अधिनियम के समुचित प्रवर्तन के लिए अन्य एजेंसियों की सहायता भी अपेक्षित है क्योंकि यह कार्य अकेले पुलिस तंत्र द्वारा नहीं किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों और पंचायतों की भागीदारी के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

(6) विचारण किये जाने की प्रक्रिया के लिए आंनद स्वरूप तिवारी बनाम राम रतन जाटव दो अन्य व्यक्तियों के बारे में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 23–8–95 देखा जा सकता है। इस निर्णय में न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का दर्जा और स्तर सत्र न्यायालय के समक्ष है लेकिन यह सत्र न्यायालय नहीं है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के उपबंधों द्वारा बाध्य नहीं है तथा

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 में दी गई परिस्थितियों में संज्ञान ले सकता है। मामलों का प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान देने के लिए विशेष न्यायालय की शक्तियों के संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सभी अधिकारियों को तदअनुसार कार्यवाही करने के लिए परिचालित किया गया था।

(7) जहां दर्ज मामलों की संख्या अधिक है और अनिर्णीत मामलों की संख्या भी काफी है तो राज्य सरकार को विशेष न्यायालय गठित करने तथा कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता लेने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

9.11 आयोग ने कल्याण मंत्रालय को इन संसोधनों की सिफारिश अलग से की है ताकि अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन किये जा सके और सबंद्ध प्राधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी किये जा सकें। आयोग द्वारा सभीं राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए सम्मेलन के कार्यवृत्त परिचालित किये जा चुके हैं। कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय, जो विभिन्न सिफारिशों से संबद्व है, को भी की गई कार्यवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजनी चाहिए।

9.12 इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदम तथा उनके सुझाव जिनपर सम्मेलन में चर्चा की गई नीचे दिए जाते हैं।

1. आंध्र प्रदेश

मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में पी.सी.आर. सैल गठित किया गया है। यह अपराध अन्वेषण जांच विभाग (सी०आई०डी०) का भी भाग है, इसलिए इसे अपराध अन्वेषण विभाग विंग, जिसका अध्यक्ष अपर महानिदेशक होता है, की जांच क्षमता और समर्थन का लाभ भी प्राप्त है। फील्ड स्तर पर पी.सी.आर. सैल की सहायता समुचित संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जाती है। पी.सी.आर. सैल द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखा जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राहत और पुनर्वास का कार्य देखा जाता है। समाज कल्याण आयुक्त को नियमों के तहत नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी जिलों मे विशेष न्यायालय निर्दिष्ट किए गए है और विशेष अभियोजक भी नियुक्त किए गए है। अस्पृश्यता संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है और जांच तथा अभियोजन के लिए तथा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए उचित कार्य वाही की जा रही है। दिनांक 15-1-95 से

भारत सरकार के नियमों के तहत यथानिर्धारित राहत और पुनर्वास के मानको का पालन किया जा रहा है। मामलों को उच्चतमस्तर पर भी मानीटर किया जा रहा है।

यह भी उल्लेख किया गया कि अत्याचार निवारण नियम के नियम 7 में किए गए प्रावधान के कारण शीघ्र जांच करने और मुकदमा चलाने में बाधा आती है क्योंकि केवल उप पुलिस अधीक्षक तथा उससे उच्च अधिकारी ही इन अपराधों की जांच कर सकते हैं। चूंकि इस रैंक के अधिकारी सीमित संख्या में हैं। इसलिए इस उपबंध के कारण अधिकांश मामलों में विलम्ब हो जाता है। यह सुझाव भी दिया गया था कि जांच प्रक्रिया तेज करने के लिए उप पुलिस अधीक्षक के रैंक से नीचे निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को भी इन मामलों की जांच करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

2. असम

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत ऐसे कोई अपराध दर्ज नहीं किए गए हैं।

3. बिहार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरूद्व होने वाले अपराधों का अनुवीक्षण करने के लिए बिहार सरकार ने राज्य, डिवीजन, जिला और ब्लाक स्तर पर प्रकोष्ठ स्थापित किये हैं। 14 नये थाने स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है मुख्यालय में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ हैं। थानों में अधिनियमों और नियमों की प्रतियां दी गई हैं तथा 35 जिलों को संवेदनशील जिले के रूप में घोषित किया गया है। अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट विशेष न्यायालय गठित करने का सुझाव दिया गया था।

4. गुजरात

निवारक उपाय किए जा रहे हैं। अपराध दर में वृद्वि हुई है। राष्ट्रीय आयोग के अध यक्ष ने गुजरात के अधिकारियों को काफी संख्या में अनिर्णीत पड़े मामलों को निपटाने के लिए अलग से विशिष्ट विशेष न्यायालय गठित करने तथा इस प्रयोजन के लिए कल्याण मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का निर्देश दिया।

5. कर्नाटक

अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में नागरिक अधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ गठित किया गया है और उनकी सहायता के लिए महानिरीक्षक एवं अन्य अधिकारी हैं।

6. **केरल**

केरल में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अपराधों और अत्याचारों पर नजर रखने के लिए अपर महानिदेशक के अधीन विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है तथा वयानाड, कासारगोड तथा पालघाट में तीन चलते–फिरते दस्ते (मोबाइल स्क्वायड) है।

7. **मध्यप्रदेश**

26 जिलों मेंअनुसूचित जाति कल्याण (अनुसूचित जनजाति कल्याण) थाने तथा शेष जिलों मे अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ है। अधिकारियों को संवेदनशील बनने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया गया है। 14 जिलों में अत्याचार संभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है तथा अन्य छः जिलों में सर्वेक्षण चल रहा हैं। 10 विशेष न्यायालय गठित किये गये है तथा 15 विशेष न्यायालय शीघ्र गठित किये जा रहें हैं पुलिस मुख्यालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ हैं।

8. **महाराष्ट्र**

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की संख्या घट रही है। पुलिस द्वारा गम्भीर मामलों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है।

9. **उड़ीसा**

लोगों में जागरूकता बढ़ने से ऐसे मामलों की संख्या में वृद्वि हुई है अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ विद्यमान है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा पुर्नवास किया जाता है।

10. **राजस्थान**

अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया कि अभियोजन के प्रति पुलिस को उत्तरदायी बनाया जाए।

11. **तमिलनाडु**

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 4 विशिष्ट विशेष न्यायालय हैं पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाऐ जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने 85 गांवों की अत्याचार संभावित गाँवों के रूप में भी पहचान की है।

12.उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 68 निर्दिष्ट विशेष न्यायालय हैं, निवारक उपाय किए जा रहें हैं तथा जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को इस कार्य के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। अत्याचार के मामलों में पीडितों को तुरन्त आर्थिक राहत दी जाती है।

13.पश्चिम बंगाल

सभी जिला न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

14. ***चंढीगढ***

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों के विचारण के लिए सत्र न्यायालय चंढीगढ को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

15.पांडिचेरी

सद्भाव पूर्ण वातावरण होने के कारण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मामले नहीं है। मुख्यालय ने एक पृथक पी.सी.आर. प्रकोष्ठ (सैल) है। 3 विशेष थाने भी स्थापित किये गये हैं।

9.13 आयोग ने कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों मे राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें की जिनमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गयी:–

(I) कुछ राज्यों ने ही, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश ने विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए है। इतने अधिक मामलों के निपटान के लिए न्यायालय में आधारभूत सुविधाएं अर्प्याप्त है।

(II) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार अधिकांश न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 193 के कारण अपराधों का संज्ञान पृथक रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत नहीं ले रहे हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद इस मुद्दे को स्पष्ट करने तथा यदि आवश्यक हो तो नियमों आदि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(III) बहुत से मामले दोष मोचन में समाप्त ही रहे हैं क्योंकि 6o9 सॉक्षी साक्ष्य देने नहीं आ रहे है और अभियोजन कारगर नही है। अभियोजन अधिकारियों तथा पुलिस का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सॉक्षी न्यायालय में उपस्थित हों। इसके अतिरिक्त न्यायालय भी कभी–कभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सॉक्षियों को हितबद्व साक्षी के रूप में मान रहे हैं। इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है।

(IV) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 विभिन्न स्तरों पर अनुवीक्षण (मानीटर) सर्तकता तथा कार्यन्वयन समितियां गठित करने का प्रावधान करता है। सभी राज्यों में ये समितियां गठित नही की गई है और जहां गठित की गई है वहां ये नियमित रूप से बैठक या मामलों का अनुवीक्षण (मॉनीटर) नहीं कर रही हैं। जैसा उनसे अपेक्षित है।

(V) पुलिस कर्मियों का आरिऐन्टेशन तथा उनके समुचित प्रशिक्षण में भी सुधार किये जाने की आवश्यकता है यह भी पाया गया है कि कई थानो में अधिनियम की अनुदित प्रतियां नहीं हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस अधिकारी उपयुक्त धाराओं का उपयोग करने में समर्थ नहीं है

9.14 इस बात पर भी बल दिया गया कि इन अधिनियमों के उपबंधों के बारे में लोगों में जागृति पैदा की जाए तथा पुलिस अधिकारियों को भी त्वरित कार्यवाई करनी चाहिए। ऐसी स्थिति से ही अंततः अपराधों के निवारण में सहायता मिलेगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्व अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय

9.15 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 के तहत दर्ज किए गए मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आने वाले अपराध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों से अधिक गंभीर होते हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दिये जाने वाले दण्ड भी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किये गये अपराधों के लिए दिये जाने वाले दण्ड से अधिक कड़े हैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14 और 15 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:–

धारा 14 राज्य सरकार विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से शांसकीय राजपत्र में सूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत अपराधों को विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।

धारा 15 पत्येक विशिष्ट न्यायालय के लिए, शांसकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय के मामलों के संचालन के परियोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

9.16 आयोग को प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय किए गए है:–

1. आंध्र प्रदेश

वर्ष 1991 के दौरान चित्तूर, गुंटूर और महबूबनगर में तीन विशिष्ट विशेष सैशन न्यायालय को मंजूरी दी गयी थी। आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा चरणबद्ध रीति से 23 विशेष चलते फिरते न्यायालयों (मोबाइल कोर्टो) की मंजूरी दी गयी है।

2. असम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत विशेष न्यायालयों के रूप में तराई जिलों के सभी सेशन न्यायालयों तथा पर्वतीय जिलों के उप–आयुक्त के सभी न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

3. बिहार

सभी जिलों में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय।

4. गोवा

उत्तरी गोवा, पणजी और दक्षिण गोवा में तीन निर्दिष्ट विशेष न्यायालय ।

5. गुजरात

सभी जिला सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

6. हरियाणा

नागरिक अधिकार संरक्षण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लम्बित मामलों की संख्या केवल 30 है, इसे ध्यान में रखते हुए कोई विशेष न्यायालय गठित नही किया गया।

7. हिमाचल प्रदेश

नौ जिलों शिमला, मण्डी, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगडा, ऊना, चम्बा और बिलास पुर में जिला और सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

8. जम्मू और काश्मीर·

सूचना प्राप्त नहीं हुई (तथापित, राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू है। जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम राज्य में लागू नहीं है।

9. कर्नाटक

बीजापुर, कोलार, रायचूर और गुलबर्ग स्थित चार विशेष न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में जिला, सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

10 केरल

राज्य के 14 जिलों में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय हैं अर्थात त्रिवेद्रम, क्विलोन, पथनमिथिटटा, एलेप्पी, कोटटायम थोडीपूझा, एरनाकुलम, त्रिचूर, पालघाट, कोजीइकोडे, तिलेचरी, मंजेरी, कापेटटा और कासारगोडे।

11. मध्यप्रदेश

10 विशिष्ट विशेष न्यायालयों – धार, शाजापुर, मोरेना, शाहडोल, दामोह, रायसे, मांडला, रायपुर, बस्तर और बिलासपुर के अतिरिक्त शेष जिलों में सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

12. **महाराष्ट्र**

प्रत्येक जिले में जिला सेशन न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी तरह से, बृहद मुम्बई जिले के लिए मुम्बई सिटी सिविल न्यायालय और बृहद मुम्बई के सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

13. **मणिपुर**

• पूर्वी और पश्चिमी मणिपुर जिलों के जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

14. **मेघालय**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों के विचारण के लिए सभी जिलों में विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किए गए है।

15. उड़ीसा

सभी 13 जिलों के सेशन न्यायाधीशों तथा छः अपर सेशन न्यायाधिशों को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया।

16. पंजाब

प्रत्येक जिले में वरिष्ठतम अपर–सेशन न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

17. राजस्थान

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित विचारण के लिए जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, पाली, अलवर, मेड़ता, प्रतापगढ़, दौसा, झालवार, सवाई–माधोपुर, सारण, टांक, और श्रीगंगानगर जिलों में विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं।

18. सिक्किम

जिला और सेशन न्यायालय (ई.एन.एन.) को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

19. तमिलनाडु

सभी जिलों मे विद्यमान सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

20. त्रिपुरा

पश्चिमी त्रिपुरा, उत्तर त्रिपुरा और दक्षिण त्रिपुरा के तीन जिलों में सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

21. उत्तर प्रदेश

सभी जिला सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

22. पश्चिम बंगाल

सभी जिला सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

जिला और सेशन न्यायालय, अंडमान और निकोबार द्वीप पोर्ट ब्लेयर को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

24. *चंडीगढ़*

सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

25. दमन और दीव

सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

26. दिल्ली

अपर–सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

27. पांडिचेरी

मुख्य न्यायिक न्यायाधीश पांडिचेरी, एस. डी. जे. एम. कराइकल और प्रथम श्रेणी न्यायिक न्यायाधीश यनम को विशेष न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

9.17. आयोग ने पाया कि निर्दिष्ट किए गए विशेष न्यायालय, लम्बी कार्यवाही, साक्षियों द्वारा रूचि न दिखाने तथा अनु.जनजाति के विरूद्व हुए अत्याचारों के इन मामलों के साथ न्याय कर पाने की स्थिति में नहीं है। आयोग की राय है कि अत्याचार के मामलों पर शीघ्र विचार के लिए केवल विशिष्ट विशेष न्यायालय गठित किये जाने चाहिए न कि निर्दिष्ट न्यायालय।

पुलिस कर्मिकों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला

9.18 आयोग ने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के नागरिक अधिकारों के प्रति पुलिस कर्मिकों को संवेदनशील बनाने संबंधी विषय पर, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कार्यशाला की जिसका आयोजन दिनांक 31–8–1996 को जिला पुलिस गाजियाबाद द्वारा किया गया था। कार्यशाला के निष्कर्ष निम्नानुसार है।

(1) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य मुख्यतः दलित अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निवारक उपाय करना और साथ ही उनके प्रति लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है।

(2) पुलिस स्टेशन में शिकायत अथवा रिपोर्ट प्राप्त होते ही निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को मामले की जांच पड़ताल करने के लिए घटना–स्थल पर शीघ्र पहुंचना चाहिए ताकि सही और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके। इससे एक ओर तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही दूसरे अपराधियों तथा उस क्षेत्र के अन्य लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा।

(3) पुलिस को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में

तत्परतापूर्वक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। ये मामले जांच पड़ताल के दौरान ही पुलिस द्वारा बंद न किए जांए। इससे इन दोनों अधिनियमों के अपबंधो और भावना का उल्लंघन होता है। ऐसे मामले न्यायालय में विचारण के लिए भेजे जाने चाहिए।

(4) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के मामले न्यायालय में बडी संख्या में निपटान हेतु लम्बित हैं और प्रति वर्ष आने वाले ऐसे मामलों में वृद्वि भी होती जा रही है। प्रत्येक जिले में अपेक्षित संख्या में विशिष्ट विशेष न्यालयों की स्थापना करके ही इस समस्या का समाधान न किया जा सकता है।

(5) यह देखा गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों के शीघ्र विचारण में रूकावट का कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साक्षियों को पक्षपाती साक्षी के रूप में माना जाना है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के लोग साक्ष्य देने के लिए आगे आना नहीं चाहते हैं। अभियोजन पक्ष को कई बार साक्षियों मे इस बात के लिए भय होने के कारण साक्षी नहीं मिल पाते कि मिथ्या साक्ष्य के लिए उन्हें दण्डित किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष को साक्षियों को विश्वास में लेने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी संभव उपाय करने चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण और विशिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना से मामले का प्रत्यक्ष संज्ञान लेकर शीघ्र जांच करना सरल होगा जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है।

भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन मामलों की समीक्षा

9.19 आयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह विभाग से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर हुए विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के संबंध में मासिक आकड़े प्राप्त करता है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों की मौटे तौर पर पांच श्रेणियों अर्थात (I) हत्या, (II) गंभीर चोट, (III) बलात्कार (IV) आगजनी और (V) भा.दंड संहिता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अथवा नागरिक अधिकार संरक्षण के अधीन अन्य अपराध के संबंध में पुलिस के पास दर्ज मामलों के बारे में भी राज्यों से आंकड़े मांगे गए थे और वर्ष 1995, 1996 और 1997 के ये ऑकड़े नीचे दिए गए हैं।

तालिका 9.1

1955 से 1997 तक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर विभिन्न प्रकार के अपराधों और अत्याचारों से संबंधित पुलिस के पास दर्ज मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम स.	अपराध का स्वरूप	अनुसूचित जातियां				अनुसूचित जनजातियां				जोड़
		1995	*1996*	*1997*	*जोड़*	*1995*		*1996*	*1997*	*जोड़*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	हत्या	571	543	503	1617	75	94	उ.न	189	1786
2.	चोट	4544	4585	3462	12591	688	694	उ.न.	1382	13973
3.	बलात्कार	873	949	1002	2824	369	314	उ.न.	683	3507
4.	अपहरण	276	281	242	799	74	50	उ.न.	124	923
5.	डकैती	70	90	57	217	18	32	उ.न.	50	267
6.	लूटपाट	218	213	157	588	27	21	उ.न.	48	636
7.	आगजनी	500	464	384	1348	40	51	उ.न.	91	1439
8.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	1528	1417	1157	4102	71	72	उ.न.	143	4245
9.	अनु.जाति और अनु.जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989	13925	9620	7831	31376	1480	574	उ.न.	2234	33610
10.	अन्य अपराध	10492	13278	71693	35463	2656	2891	उ.न.	5547	41010
	जोड़	32997	31440	26488	96925	5498	4973	उ.न.	10471	101396

यह विवरण एन.सी.आर. बी. के आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 1997 के लिए अनुसूचित जाति के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जातियों से संबंधित जानकारी में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण केलैन्डर वर्ष 1997 के पूरे आंकडे शामिल हैं।

9.20 उपर्युक्त **तालिका 9.1** से यह पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों (1995–97) के दौरान अनुसूचित जातियों पर हुए अपराधों और अत्याचारों के 90925 मामले दर्ज किए गए। इसमें हत्या के 1617, गंभीर चोट के, 12591 और बलात्कार के 2824 मामले शामिल हैं। इनके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन 31376 मामले और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधिन 41o2 मामले दर्ज किए गए।

9.21 पिछले दो वर्षो (1995–96) में अनुसूचित जातियों के विरूद्व हुए अपराधों और अत्याचारों के पुलिस के पास दर्ज मामलों, की कुल संख्या 10471 है इसमें हत्या के 169, गंभीर चोट के 1382, बलात्कार 683, व्ययहरण और अपहरण के 124, डकैती क़े 50, लूटपाट के 48,

आगजनी के 91, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 143, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 2234 और अन्य अपराधों के 5547 मामले शामिल हैं।

9.22 उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के विरूद्व अपराध के दर्ज मामलों की दर अनुसूचित जनजातियों के विरूद्व अपराध दर्ज मामलों की संख्या से बहुत अधिक है। यह भी चलता है कि विभिन्न अधिकारियों, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 शामिल है, प्रावधान होने के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरूद्व अपराधों और अत्याचारों में कोई स्पष्ट कमी नहीं हुई है।इसलिए अत्याचार निवारण अधिनियम और नियमों में अनुबद्ध निवारक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। नीचे **तालिका 9.2** मे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के मामलों से संबंधित सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 9.2

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन वर्ष 1996 के दौरान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए और लंबित मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	राज्य	मामलों की संख्या अग्रानीत	प्राप्त	जोड़	मामलों की संख्या निपटाएं गए मामले	दोषमुक्ति का निर्णय	दोषसिद्वि का निर्णय	वर्ष के अंत तक अभी भी लंबित मामले
1.	आंध्र प्रदेश	2555	491	3o46	1568	–	–	1478
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	"	"	"	"	"	"	"
4.	बिहार	48	24	72	1	–	1	71
5.	गोंवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	हरियाणा	"	"	"	"	"	"	12
8.	हिमाचल प्रदेश	1o	2	12	–	–	–	12
9.	जम्मू और कशमीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10. कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11. केरल	14	28	42	–	–	–	42
12. मध्यप्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13. महाराष्ट्र	"	"	"	"	"	"	"
14. मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15. मेघालय	"	"	"	"	"	"	"
16. मिजोरम	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17. नागालैंड	"	"	"	"	"	"	"
18. उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19. पजांब	"	"	"	"	"	"	"
20. राजस्थान	"	"	"	"	"	"	"
21. सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22. तमिलनाडु	333	32	365	93	9०	3	272
23. त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24. उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
25. पश्चिम बंगाल	"	"	"	"	"	"	"
26. अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27. चंडीगढ़	"	"	"	"	"	"	"
28. दादरी एवं नगर हवेली	"	"	"	"	"	"	"
29. दमन और दीव	"	"	"	"	"	"	"
3०. दिल्ली	25	9	34	1०	7	–	17
31. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32. पाडिचेरी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत: यह जानकारी विभिन्न राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से आयोग ने प्राप्त की।

तालिका सं. 9.2 दर्शाता है कि कुछ राज्यों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन छूआछूत आदि से संबंधित मामले अभी भी दर्ज किए जाते हैं और अधिकांश मामलों में दोषमुक्ति का निर्णय दिया जाता है।

9.23 **तालिका 9.3** नीचे दर्शाती है कि विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान से संबंधित जानकारी कुछ ही राज्यों से प्राप्त हुई है। यह भी पता चलता है कि विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आदि में काफी अधिक संख्या मे मामले लंबित पड़े हैं। इसलिए इन राज्यों में भी विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना करना आवश्यक है।

तालिका 9.3

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन वर्ष 1996 के दौरान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों और अनिर्णीत पड़े मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	राज्य	मामलों की संख्या			मामलों की संख्या			वर्ष के अतं तक
		अग्रानीत	प्राप्त	जोड़	निपटाएं गए मामले	दोषमुक्ति का निर्णय	दोषसिद्दि का निर्णय	अभी भी लंबित मामल
1.	आंध्र प्रदेश	689	2229	2918	755	–	–	2163
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	5	–	5	–	–	–	5
4.	बिहार	658	363	1021	89	76	13	904
5.	गोंवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	हरियाणा	"	"	"	"	"	"	12
8.	हिमाचल प्रदेश	14	12	26	25	4	–	21
9.	जम्मू और कशमीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

में 4 मामलों में कुल 23 पुलिस अधिकारी शामिल पाए गए और पिछले तीन वर्षों में 20 पुलिस अधिकारियों को पहले ही सिद्वदोष ठहराया जा चुका है। तालिका 9.4 में यह जानकारी तालिका बद्व की गई है। आयोग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करने की मांग की है।

9.26 **तालिका 9.4** दर्शाती है कि वर्ष 1994,1995 और 1996 की जानकारी केवल राजस्थान और उड़ीसा राज्य से प्राप्त हुई है।

9.27 आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, पांडिचेरी और लक्षद्वीप जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

9.28 ऐसे मामलों में पुलिस के शामिल होने के बारे में जानना हृदय विदारक है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्व हुए अत्याचारों के संबंध में असुरक्षित कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए वस्तुतः जिम्मेदार होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस द्वारा स्वयं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न की जाए राज्य सरकार द्वारा कड़े उपाय करने चाहिए।

9.29 आयोग ने 1993–97 के दौरान अत्याचार निवारण अधिनियम के नियम 12 के अधीन पीडित् व्यक्तियों को दी गई राहत के बारे में भी पूछताछ की। तथापि, चूकिं अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध मे हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या अत्याचार निवारण नियमावली के अधीन पात्र मामलों में राहत दी गई है।

9.30 आयोग ने राज्यों से पूछा था कि क्या उन्होंने अत्याचार निवारण नियमावली के नियम 18 के अधीन यथापेक्षित केन्द्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। किसी भी राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी और आयोग यह बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या नियमों के अनुपालन के संबंध में कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग में प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई

9.31 आयोग का अत्याचार और नागरिक अधिकार संरक्षण स्कन्ध अनुसूचित जाति के लोगों के विरूद्व छूआछूत आचरण और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हुए अत्याचारों से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों और उनके संबंधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों शिकायतों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों और कल्याण संस्थाओं से प्राप्त पत्रों और संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों के जैसे लोक सेवकों के माध्यम से आयोग की जानकारी में आने वाले मामलों की जांच आयोग में की जाती है। आयोग को अत्याचार की घटनाओं और छुआछूत संबंधी अपराधों की जानकारी प्रेस और प्रचार के अन्य माध्यमों जैसे रेडियो, टी.वी. आदि के माध्यम से भी मिलती है।

9.32 ये मामले संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाए जाते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में जिला प्राधिकारियों को फैक्स अथवा वायरलैस द्वारा संदेश भेजा जाता है कि मामले के तथ्यों और स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गंभीर स्वरूप के अत्याचार के मामलों में स्थलीय जांच करने और तुरंत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग के फील्ड अधिकारियों को वायरलैस संदेश भेजे जाते हैं। हाल ही में, आयोग ने, जिसके पास अब कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को अत्याचार की कोई घटना होने के 24 घंटे के अंदर उसकी सूचना और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में ई–मेल संदेश भेजने का निदेश दिया है। विशिष्ट मामलों मे आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी अपराधों के घटने के स्थानों पर जाते हैं और ब्यौरेवार जांच करते हैं।

9.33 आयोग के सदस्य मेरठ जिले के इकवारा गांव में गए जहां दिनांक 5–1–97 को इकवारा गांव के विरोधी गिरोह ने छः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या करदी थी। इस घटना से नई तरह की दुश्मनी और अन्तर–जातीय गिरोह के विद्वेष का पता चलता है। आयोग ने तुरन्त राज्य सरकार और जिला प्राधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें लिखा तथा एक सदस्य ने घटनास्थल का दौरा किया आयोग के हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित हुआ कि जिला प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा–व्यवस्था की एवं परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई की।

9.34 1.12.97 को बिहार में जहांनाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 50 से भी अधिक व्यक्तियों, जिसमें 32 अनुसूचित जाति के लोग थे, की नृशंस हत्या करने की घटना ने पूरे देश को चौका दिया। आयोग ने तुरंत इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया और आयोग के एक सदस्य ने घटना स्थल का दौरा भी किया। इस घटना से समाज के कमजोर वर्गो की दयनीय स्थिति और शोषित स्थिति का पता चला है। राज्य सरकार को अपराधियों पर मुकदमा चलाने और पीड़ित व्यक्तियों तथा उनके आश्रित को सभी तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भूमि संबंधी विवाद, न्यूनतम श्रम मजदूरी का भुगतान न करने, शिक्षा का अभाव, खराब अवसंरचना आदि जैसे संघर्षो के मूल कारणों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिससे कि कमजोर वर्गो की स्थिति को मजबूत किया जा सके।

9.35 जिला अधिकारयों, राज्य के अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टो और घटनास्थल पर जांच रिपोर्टो की ए.पी.सी. आर. विंग में जांच की जाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों का यह पता लगाने के लिए विश्लेषण किया जाता है कि राज्यों/ जिला प्रशासन/पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की गई कर्रवाई वैध है अथवा नहीं और भारतीय दंड संहिता/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अधीन है अथवा नहीं संबंधित अधिकारियों की ओर से होने वाली चूक/ कमियों को स्थानीय प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है और उन्हें शीघ्र कार्रवाई करने तथा सुधारात्मक उपाय करने का निदेश दिया जाता है जिसमे स्थानीय पुलिस द्वारा मामलों को शीघ्र दर्ज करना और जांच–पड़ताल करना, न्यायालयों में मामलों का चालान करना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संगत खंडो का अनुप्रयोग करना और अपराधी को गिरफ्तार करना आदि शामिल है।

9.36 आयोग अत्याचार से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के अधीन तुरंत उपाय करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निदेश देता रहा है ताकि अत्याचार से पीड़ितों को सामाजिक, आर्थिक और विधिक न्याय दिया जा सके जिसमें अत्याचार से पीड़ितों अथवा उनके परिवार को राहत राशि देना, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना और क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करना शामिल है।

9.37 वर्ष 1996 और 1997 के दौरान आयोग के मुख्यालय में अत्याचार के कुल 1651 मामलों, जिसमें स्थलीय जांच रिपोर्टें भी शामिल है, पर कार्रवाई की गई। 1651 मामलों का अपराध–वार वर्गीकरण तालिका 9.5 में दिया गया है।

तालिका 9.5

वर्ष 1996 और 1997 के दौरान अत्याचार पीड़ितों से प्राप्त राज्य-वार अत्याचार के मामले

क.स.	राज्य	हत्या	गंभीर चोट	बलात्कार	आगजनी	भ० दंड संहिता	पी सी आर.	सी एण्ड आर	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	41	1	53	2	20	3	90	210
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	1	–	1		1	3
4.	बिहार	17	1	–	2	–	2	64	86
5.	गोवा	–	–	–	–	–		2	2
6.	गुजरात	–	2	4	–	1		10	17
7.	हरियाणा	9	–	7	1	2		81	100
8.	हिमाचल प्रदेश	3	–	1	–	–		3	7
9.	जम्मू और कशमीर	–	–	–	–	–		2	3
10.	कर्नाटक	1	1	–	–	2		19	23
11.	केरल	–	–	1	–	1		11	13
12.	मध्यप्रदेश	9	–	6	–	3		42	61
13.	महाराष्ट्र	5	1	–	–	3	–	32	41
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	1	1
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	1	1
17.	नागालैंड	1	–	–	–	–	–	1	2
18.	उड़ीसा	2	–	–	–	1	–	17	20
19.	पजांब	5	–	3	–	1	–	17	26
20.	राजस्थान	11	–	4	1	2	–	119	137
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	4	–	–	1	6	1	5	63
23.	त्रिपुरा	1	–	–	–	1	–	1	3
24.	उत्तर प्रदेश	17	5	22	5	14	4	467	587
25.	पश्चिम बंगाल	2	–	5	–	–	–	25	32
26.	अंडमान और निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	चंडीगढ	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादरी और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	6	1	3	2	1	–	200	213
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	जोड़	187	12	110	14	59	11	258	1651

9.38 अनु.जाति/अनु.जन जाति के संबंध में अपराधों और अत्याचारों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विशिष्ट आंकड़ों पर खंड–।। के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अध्यायों में विचार किया गया है। बृहत स्तर पर आंकड़ों के विश्लेषण और ऐसे मामलों, जिन पर आयोग में ही कार्रवाई हुई है, के आधार पर सामान्य टिप्पणियां और सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नियमावली के अधीन अत्याचारों को रोकने और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए।

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन नियमों के कार्यान्वयन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अपराधों के विभिन्न कारणों और सुधारात्मक उपयों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य और जिला स्तर के न्यायालयों में जाएंगे।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन मामलों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट न्यायालय होना चाहिए क्योंकि नियमित न्यायालयों, जिन्हें अब विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है में पहले ही दूसरे मामलों की संख्या बहुत अधिक है। अत्याचार के मामलों पर विचारण केवल विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है और उन्हें निचली अदालतों में विचारण के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।

(4) अत्याचार के प्रत्येक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्रता से दर्ज की जाए और बिना विलम्ब जांच पड़ताल का काम पूरा किया जाना चाहिए।

(5) अपराधी को यथासंभव शीघ्र गिरफ्तार किया जाना चाहिए और विशेष न्यायालय में मामले का चालान किया जाए। अधिनियम में यथा उपबंधित विशेष लोक अभियोजक को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई करनी चाहिए कि मामले को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रभावी है।

(6) अनु०जाति/अनु०जनजाति पर अपराध और अत्याचार के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम, 12(4) के अधीन राहत दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में तुरंत राहत प्रदान करनी चाहिए।

(7) हत्या और बलात्कार के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे पीड़ित व्यक्ति के संपूर्ण परिवार को गहरा दुःख पहुंचता है और प्रायः ऐसी हानि होती है जिसकी भरपाई नामुमकिन होती है। ऐसी घटनाओं और मामलों की पुष्टि के लिए समय पर कार्रवाई और जांच अपेक्षित है।

(8) केन्द्र और राज्य सरकारों को इन अधिनियमों और नियमों के कार्यकरण उपबंधों के अनुसार अनुवीक्षण (मानीटर) और समीक्षा करनी चाहिए और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित आवश्यक विवरणी और रिपोर्ट भेजनी चाहिए। यह देखा गया है कि अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंध में कल्याण मंत्रालय द्वारा केवल एक रिपोर्ट अबतक प्रस्तुत की गई है।

(9) अधिनियम और नियमों के उपबंधो का पर्याप्त प्रचार करना और उनके संबंध में जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है। इसमे सभी समुदायों गैर (अनु०जाति/अनु०जनजाति समुदायों सहित) को सही संदेश देना और गलत जानकारी का खंडन करना शामिल है।

(10) राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनु०जाति/अनु०जनजाति के विरूद्ध हुए अत्याचारों और अपराधों की प्रमुख घटनाओं के संबंध में सूचना समय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अयोग को निकनैट के माध्यम से घटना होने के 24 घंटे के अंदर समय पर भेजदी जाती है।

(11) जैसा कि अध्याय में पाया गया है, आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी बहुत से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त नहीं होती है। इस स्थिति की व्यापक जांच को सरल बनाने के लिए ऐसी जानकारी समय पर प्राप्त होना बहुत महत्वपूर्ण है।

(12) केन्द्र सरकार को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और उसके नियमों और अनु०जाति एवं अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और उसके तहत बनाए गए नियमों में आवश्यक संशोधन करने पर विचार करना चाहिए जैसा कि विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श किया गया है और आयोग ने अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए कल्याण मंत्रालय को पहले सुझाव भी दिए गए हैं। कुछ सुझाव इस रिपोर्ट के किसी अन्य अध्याय में अलग से भी दिए जा रहे हैं।

अध्याय - X

सांविधानिक और वैधानिक संशोधन

10.1 पूर्ववर्ती सभी अध्यायों में हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षणों के कार्यकरण के संबंध में विश्लेषण और चर्चा की है और साथ ही कतिपय अधिनियमों तथा नियमों में परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया है। इस अध्याय में हम संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1955 में कतिपय अन्य परिवर्तनों की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे।

अनुच्छेद 338 में संशोधन

10.2 जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, बहु सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए 65 वें सांविधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। इसके तहत आयोग को व्यापक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौपीं गई थीं। इस संशोधन के अनुसरण में स्थापित आयोग ने संविधान तथा अन्य संबद्ध अधिनियमों तथा नियमों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणो के कार्यकरण के संबंध में जाँच–पड़ताल करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। आयोग में आने वाली शिकायतों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। तथापि यह हमारा दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा है कि व्यापक जांच–पड़ताल के बावजूद भी कई विभाग/प्राधिकरण आयोग के निदेशों और निष्कर्षों को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं समस्या केवल संबंधित विभागों/ प्रबंधको के रवैये की नहीं है। बल्कि वस्तुतः अनुच्छेद 338 में, जैसा कि इस समय प्रतिपादित हैं, आयोग को दी गई शक्तियों में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि आयोग की सिफारिशें और निदेश बाध्य हैं। इस प्रकार इस स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि अनुच्छेद 338 में संशोधन करने और आयोग को, सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा अपने निष्कर्षो के कार्यान्वयन के संबंध में, निदेश जारी करने की शक्ति देने की वास्तव में आवश्यकता है और इसका पूरा औचित्य भी है और साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि सुरक्षणों का उल्लंघन करने वाले लोक सेवकों, के विरूद्व कार्रवाई की जानी है।

10.3 यह भी देखा गया है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टे सरकार द्वारा काफी लम्बे समय से संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और संविधान में इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार भी की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय ले

रही है। इस तरह आयोग के सुझाव/सिफारिशें न तो सदन को और न ही अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को प्राप्य है। धीरे–धीरे इनका महत्व ही समाप्त हो जाता है और ये निष्फल बन जाते हैं। की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट को संसद में मुख्य रिपोर्ट से अलग प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। इस प्रकार यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर संसद में रिपोर्ट रखी जाए और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट छः माह के भीतर प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट के उन भागों को जिनका संबंध विधान मंडलों से है, संबंधित राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए भी इसी प्रकार समय सीमा निर्धारित की जाए।

10.4 इस संबंध में संशोधन के लिए प्रस्ताव **अनुबंध 10.1** में देखा जा सकता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, नियमावली 1995 और नागरिक अधिकर संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधन

10.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की आवश्यकता पर काफी समय से आयोग का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। आयोग ने इन दोनों अधिनियमों के कार्य करण के संबंध में विभिन्न जनसभाओं में बहुत प्रकार से विचार–विमर्श किए है। 30.11.1996 को गाजियाबाद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के नागरिक अधिकारों के लिए "पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। बाद में आयोग द्वारा 16. 12.96 को नई दिल्ली में सभी राज्यों के गृह सचिवों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के विरूद्व अपराध और अत्याचार के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। आयोग ने संबंधित मंत्रालयों और इन दोनों अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों को निपटाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक अभियोजको के साथ बैठक भी की थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ अपनी समीक्षा बैठकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्व निरंतर हो रहे अपराधों और अत्याचारों तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षित उपायों और साधनों पर विशेष ध्यान दिया गया था। आयोग को विभिन्न अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठनों, (नेशनल एक्शन फोरम फार सोशल जस्टिस) से भी उपर्युक्त अधिनियमों में संशोधन करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं।

10.6 आयोग के मुख्यालय में ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्व हुए अपराधों और अत्याचारों के संबंध में 800 से भी अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न फोरमों में हुए उपर्युक्त विचार –विमर्शो/बैठकों और उसमें दिए गए सुझावों के आधार पर आयोग ने उपर्युक्त अधिनियमों और नियमों में संसोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसे **अनुबंध-10.II** में देखा जा सकता है।

10.6 इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अत्याचार से पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले और उनके मामलों पर तुरंत विचारण हो, इसमें कुछ ऐसे अपराध भी शामिल हैं जिन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया है और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए जिससे जानबुझकर और जाति पर आधारित अपराधों को रोका जा सके। आयोग सिफारिश करता है कि भारत सरकार संविधान में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति नियमावली, 1995 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधनों पर शीघ्र विचार करे।

अनुबंध 10.1

(संदर्भ पैरा 10.4)

संविधान के अनुच्छेद 338 में प्रस्तावित संशोधन

संविधान के अनुच्छेद 338 में विद्यमान उपबंध	अनुच्छेद 338 में प्रस्तावित संशोधन
खंड 5 (क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या इस समय प्रवृत्त किसी विधि या सरकार के किसी आदेश के आधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुतीक्षण करना और ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना और सुधारक कार्रवाई / कार्यान्वयन के लिए ऐसे निदेश / निष्कर्ष जारी करना।
5 (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित किए जाने से सबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और सुधारात्मक कार्रवाई/ कार्यान्वयन के लिए ऐसे निदेश/ निष्कर्ष जारी करना।
5(ख) (I) (शामिल किया जाना है)	जहां जांच करने से यह पता चलता है कि किसी लोक सेवक ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सुरक्षणों का उल्लघंन किया है अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सुरक्षणों के उल्लंघन को रोकने में लापरवाही बरती है तो संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सुधारात्मक उपाय करने और संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्व मुकदमों की कार्यवाही अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई, जो आयोग उचित समझे, की सूचना देने की सिफारिश की जाए।

खंड–6 राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें संघ से संबंधित सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि किसी सिफारिश को स्वीकृत नही किया गया है तो उसके कारण बताए जाएगें। खंड–7 जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय के बारे में है जिसका संबंध किसी राज्य सरकार से है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवायेंगे। रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उस राज्य से संबंधित सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि किसी सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया है तो उसके कारण बताए जाएंगे।	राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाऐगें और एक ज्ञापन इसे प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाऐगें जिसमें संघ से संबंधित सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि किसी सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया गया है तो उसके कारण बताए जाएंगे। जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय के को बारेमें है जिसका, संबंध किसी राज्य सरकार से है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे तीन माह के भीतर राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे, और एक ज्ञापन इसे प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर राज्य के गया विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे, जिसमें उस राज्य से संबंधित सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख होगा और यदि किसी सिफारिश को स्वीकृत नहीं किया गया है तो उसके कारण बताए जाएंगे।

अनुबंध -10.II

(संदर्भ पैरा 10.6)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में प्रस्तावित संशोधन

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधन

अधिनियम में मूल उपबंध	प्रस्तावित संशोधन
3.(I) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है	"अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है" शब्दों को हटा दें।
3 (i) (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को "बेगार" करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बालत्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा।	"श्रम के लिए मजदूरी अथवा संविदागत मजदूरी की भुगतान करने से इंकार करता है "शब्दों को अंत में जोड़ जाएं।
3.(i) (xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा।	धारा 3.(i) (xii) को पूरा हटा दिया जाए और धारा 3.(i) (xiii), 3.(i) (xiv) और 3.(i)(xv) को 3.(i) (xii), 3.(i) (xiii) और 3.(i) (xiv) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाए।
नई धारा 3.(i) (xv), (xvi) और 3 (2) (i), (ii) और (ii) शामिल की जानी है।	3.(i) (xv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को धमकाकर धन वसूलता है। 3.(i) (xvi) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातिके व्यक्तियों का बहिष्कार करता है अथवा बहिष्कार में सहायता करता है। 3.(2) कोई भी व्यक्ति (i) जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग

उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती,करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नही होगी किंतु जो आजीवन कारावास हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(ii) जिसका अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सामूहिक बलात्कार और सामूहिक हत्या में दोषसिद्व होता है, वह आजीवन कारावास, जिसमे मृत्यु का दंडादेश भी हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(iii) जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 339 से 366 के अधीन अपराध करेगा, वह भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रदत्त दुगने जुर्माने और दंड, दोनों से दंडनीय होगा।

4. कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह करावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

"जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है" शब्दों को हटादें और "छह माह किंतु एक वर्ष तक की हो सकेगी" के स्थान पर "दो वर्ष" रखा जाए।

4 (I) (जोड़ा जाना है)

अपराधों को उकसाने वाले भी समान रूप से दंडनीय है, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उपबंधित है।

धारा 14 राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक

"विनिर्दिष्ट" शब्द के स्थान पर "स्थापित" शब्द रखा जाए और "सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में" शब्दों के स्थान पर "सेशन न्यायालय के स्तर को विशेष न्यायालय" शब्दों को रखा जाए।

जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।	
धारा 24 (जोडी जानी है)	इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय है और संक्षिप्त विचारण के अधीन हैं।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 में प्रस्तावित संशोधन

नियमों में मूल उपबंध	**प्रस्तावित संशोधन**
7 (2) उप–नियम (I) के अधीन नियुक्त अन्वेषण अधिकारी परम अग्रता के आधार पर तीस दिन के अंदर अन्वेषण कार्य पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसके पश्चात उसे उस राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक को तत्काल भेद देगा।	अंत में यह जोड़ी जाए– "और तीन माह के भीतर विचारण पूरा किया जाए"
7 (3) नई धारा जोड़ी जानी है)	यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में विनिर्दिष्ट न्यायालय सेशन न्यायालय हैं और इसलिए अपराधों का विचारण निचले स्तर के न्यायालयों में कार्यवाहियों की सुपुर्दगी के माध्यम से की जाती है जो शीघ्र विचारण के लिए उचित नहीं है। अब से यह विचारण विशेष न्यायालयों में ही किए जाएं। पुरानी धारा –6 (3) को धारा 6(4) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाए।

(ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधन

धारा (3)

धारा 3 के अंतिम पैराग्राफ में "एक मास और अधिक से अधिक" शब्दों और "एक सौ रूपए और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए।

धारा (4)

धारा 4 के अंतिम पैराग्राफ में "एक मास और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए और इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में भी "एक सौ रूपए और अधिक से अधिक" शब्द को हटा दिया जाए।

धारा (5)

धारा 5 के अंतिम पैराग्राफ में ''एक मास और अधिक से अधिक" और अंतिम पंक्ति में ''एक सौ रूपए और अधिक से अधिक शब्दों को हटा दिया जाए।

धारा (6)

धारा 6 में ''एक मास और अधिक से अधिक शब्दों और ''एक सौ रूपए और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए।

धारा (6)

धारा 6 में उप–धारा (I) के अंतिम पैरा में ''एक मास और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए। इसी पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में एक सौ रूपए और अधिक से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए।

उप –धारा 6 (2) (II) में अंतिम पैरा में ''एक मास और अधिक से अधिक शब्दों और ''एक सौ रूपए और अधिक से अधिक शब्दों को हटा दिया जाए।

उप–धारा 6 (क) में ''तीन मास और अधिक से अधिक" शब्दों को हटाया जाए। अंतिम पंक्ति में ''एक सौ रूपए और अधिक से अधिक ''शब्दों को हटाया जाए।

नई धारा 6 (3) जोडी जानी है

नई उप–धारा 6 (I) (3) जोड़ी जाए जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि अपराधों को फुसलाने वाले भी समान रूप से दंडनीय हैं जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उपबंधित है।

धारा 11

धारा II की उप–धारा II (क) में ''छः माह और अधिक से अधिक एक वर्ष'' ''शब्दों को हटा दिया जाए और उनके स्थान पर ''दो वर्ष'' शब्दों को रखा जाए। अंतिम पंक्ति में ''दो सौ रूपए और अधिक से अधिक पाँच सौ रूपए शब्दों को हटा दिया जाए और ''दो हजार रूपए'' शब्दों को जोड़ा जाए।

धारा II की उप–धारा II (ख) में ''एक वर्ष और अधिक से अधिक दो वर्ष से अधिक" शब्दों को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर ''तीन'' वर्ष शब्दों को रखा जाए और अंतिम पंक्ति में ''पांच सौ रूपए और अधिक से अधिक एक हजार" शब्दों को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर ''तीन हजार रूपए'' शब्दों को रखा जाए।

अध्याय-XI

मुख्य सिफारिशों का सारांश

विभिन्न अध्यायों में ब्यौरेवार सिफारिशें की गई हैं। प्रत्येक अध्याय में दी गई मुख्य सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है:-

	सिफारिश	पैराग्राफ सं:

अध्याय I – प्रस्तावना

1.	आयोग को उपर्युक्त कार्यकलापों को निर्बाध रूप से करने में कठिनाई हो रही क्योंकि आयोग को उपलब्ध कराई गई जनशक्ति और बजट अपर्याप्त है। अनु. जाति और अनु.जनजाति आयुक्त के पहले के 72 पदों को और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के असांविधिक राष्ट्रीय आयोग को 12.3.1992 को समाप्त कर दिया गया था और लम्बे समय पत्राचार करने और उच्च स्तरों पर बैठकें करने के बावजूद अभी तक इन पदों को पुनः प्रवर्तित नहीं किया गया। आयोग ने इन 72 पदों के अतिरिक्त कम्प्यूटर सैल, विधिक सैल, और जन–संपर्क सैल के लिए 15 नए पदों सृजित करने के लिए अनुरोध किया है, आयोग को निर्बाध रूप से कार्य करने के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार द्वारा इन पदों की स्वीकृति की जानी है। जहां तक बजट का संबंध है, आयोग, मुख्यालय और राज्य कार्यालयों के आधुनिकीकरण की अपनी योजना को वापस लेने के लिए मजबूर, है क्योंकि सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित निधि स्वीकृत नहीं की है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार आयोग को अपेक्षित जनशक्ति और बजट उपलब्ध कराए ताकि आयोग अपने कार्यों और सांविधिक दायित्वों को आसानी से पूरा कर सके।	1.15

स्तर की योजनाएं, वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं और भावी योजनाएं तैयार करने और उनका अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

8. अभी तक केवल सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया है सुरक्षा बलों, वैज्ञानिक स्थापनाओं, न्यायपालिका आदि की सेवाओं में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। स्वत्रंता के पचास वर्ष बाद, जबकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, तो इन क्षेत्रों को आरक्षण की सीमा से अलग रखने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित रखने का कोई कारण नजर नहीं आता। 2.40

9. सरकार संसद/राज्य विधान मंडल/अन्य सार्वजनिक निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। आयोग का विचार है कि महिलाओं की समानता के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 2.41

10. स्पष्टतः हमारा अगला कार्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की मूलभूत आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर ध्यान देना उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा देना और समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाना, उन्हें आर्थिक से सक्षम बनाना और उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ना है जो कि 50 वर्ष पूर्व संविधान निर्माताओं के कल्पित घोषणा–पत्र में था। ऐसी नीति से न केवल भेदभाव, कुंठा और बढ़ती हुई हिंसा और आपसी संघर्ष पर नियंत्रण होगा बल्कि राष्ट्र निर्माण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सक्रिय भागीदार भी होंगे। 2.42

अध्याय III – संवैधानिक सुरक्षण और सुरक्षात्मक उपाय

1. आयोग सिफारिश करता है कि प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के तारीख 13.8.97 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करके सभी स्तरों पर सभी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। 3.26

2. आयोग सिफारिश करता है कि आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के तीन माह के अंदर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के छः माह के अंदर संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा अनुच्छेद 338 के खंड में उचित संशोधन करके किया जाए। 3.29

3. हालांकि आयोग को व्यापक जिम्मेदारियॉ सौंपी गई हैं जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आयुक्त और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्त्तव्य ही शामिल नहीं हैं बल्कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति के संबंद्ध सभी प्रमुख नीतियों को तैयार करने में सहयोग देना और परामर्श देना, जैसे मामले भी शामिल हैं। किन्तु आयोग को जो शक्तियॉ दी गई हैं वह इन मुद्दों को प्रभावपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये सुझाव संस्तुति प्रकृति के हैं, बाध्यकारी नहीं है। आयोग का मानना है कि इस पूरे मुद्दे की पुनः जांच करने की आवश्यकता है और संविधान के तहत आयोग को अधिक प्रभावपूर्ण शक्तियां दिए जाने की आवश्यकताहै। 3.30

4. राज्य सरकार मुख्यतः राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए और विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अपराध और अत्याचार को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। दोषी को दण्ड देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करना, समय पर पूरी जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद शिकायतों की जांच की जाए। पुलिस के स्तर पर जांच किए गए मामलों की नियमित मानीटरिंग एवं परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है ताकि सही मामलों को बंद न किया जा सके। 3.35

5. वन नीति के संबध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस नीति के दिशा निर्देशों का सही भावना से अनुपालन किया जाए ताकि जनजातीय लोगों को कम 3.39

से कम कठिनाइयों का सामना करना पडे। इसलिए इनको संस्थागत तरीके से मानीटर करना एवं इनका कार्यान्वयन और समीक्षा करना आवश्यक है।

6.	एक ऐसे तंत्र को गठित करने की जरूरत है जो भूमि के हस्तांरण मामलों का पता लगाए और कानूनी कार्रवाई करे।	3.40
7.	कानूनी प्रक्रिया और भूमि के हस्तांतरण संबधी कानून को सरल बनाने की जरूरत है और समय एवं धन संबंधी प्रक्रियाओं को कम करने एवं जहां भी संभव हो पूरी कानूनी सहायता प्रदान करने की जरूरत है।	3.40
8.	भूमि रिकार्डो का सर्वेक्षण, निपटारा एवं उन्हें अधतन करने की कार्रवाई शीघ्र की जाए और भू–स्वामी के रूप में मालिकाना हक संबंधी पक्के सबूत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हाथों में सौंपे जाएं।	3.40
9.	भूमि हस्तांरण के पंजीकरण को संबंधित अधिनियम या विनियम के अंतर्गत अनापत्ति मिलने पर ही किया जाना चाहिए।	3.40
10.	ऐसे गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों जिन्होंने भूमि से बेदखली के आदेश मिलने पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जमीन पर अपना कब्जा जारी रखा है उनके लिए कड़े दण्ड के प्रावधान की जरूरत है।	3.40
11.	केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तांतरण प्रतिबंध एवं अन्य हस्तान्तरित भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम 1975 के प्रस्तावित संशोधन के तहत जिन लोगों ने एक हैक्टेयर से अधिक की भूमि अर्जित की है उन्हें एक विकल्प दिया जा रहा है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करके बेदखली से बच सकते हैं। प्रभावित जनजातियों को उसके अनुपात में अन्य जमीन एवं वित्तीय सहायता से क्षतिपूर्ति की जाए। आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि ऐसे संशोधन से वही प्रयोजन और उद्देश्य शिथिल होंगे जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था। जनजातियां, अपनी जमीन खो देंगी और वे विस्थापित हो जाएंगे और पुनः स्थापना की प्रक्रिया में इससे भी अधिक कठिनाईयां उठानी पड़ेंगी। दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति की भूमि को वापस लेने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और उनलोगों को बराबर की जमीन एवं क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।	3.43
12.	जनजातीय क्षेत्रों में आबकारी नीति के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। (1) मौजूदा दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। (2) अनुसूचित क्षेत्रों में आबकारी ठेकेदारों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।	3.45

(3) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यदि गांव की अधिकांश जनसंख्या व्यापारिक शराब की दुकानों का विरोध करती हो तो ऐसी दुकानें स्थापित नहीं की जानी चाहिए।

13. यद्यपि, कई राज्यों ने धन उधार देने के कार्य के लिए कानून बनाए हैं और ऋण सहायता भी दी है फिर भी इन सुरक्षात्मक कानूनों को लागू करने में भी कमी रही है। इसके अतिरिक्त संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भी साहूकारों द्वारा किए जा रहे शोषण को रोकने के लिए नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ऋणग्रस्तता की स्थिति के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित बातें संगत होंगी। .40

(I) उधार देने एवं ऋण सहायता संबधी मौजूदा अधिनियमों विनियमों को दृढता से लागू करना।

(II) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के तहत ऋण/वित्तीय प्रणाली में उपभोग आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार समाज के जिस कमजोर वर्ग से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोग जुड़े हैं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक जरूरतों पर ध्यान रखने के लिए उत्पादक प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले ऋणों में उपभोग ऋण क्रेडिट को शामिल किया जाना चाहिए।

14. संविधिक तौर पर तय की गई न्यूनतम मजदूरी में मौजूदा असमानता को भी दूर किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए कि सभी आर्थिक गतिविधियों में सामान्य श्रमिक की दैनिक मजदूरी के सिद्वान्तों का अनुकरण करते हुए इस तरह निर्धारित किया जाना चाहिए कि परिवार के एक सदस्य की आय पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो। 3.49

15. कार्य घंटों में किसी कटौती के अनुपात में दैनिक मजदूरी में कटौती पर केवल उन स्थितियों को छोड़कर प्रतिबंध होना चाहिए जिनमें कार्य लगातार चलने वाला न हो और कार्य इतना कम हो कि केवल एक आदमी के लिए भी पूरे दिन का काम न हो। 3.50

16. समुदायों को सूची में शामिल करने/बाहर निकालने का प्रश्न काफी संवेदनशील और जटिल है क्योंकि सूचीकृत समुदायों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभिन विकास कार्यक्रमों के तहत लाभ के साथ–साथ आरक्षण एवं सुरक्षण भी दिए जाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं वास्तविकताओं को निर्धारित करने के लिए एक सुस्पष्ट उद्देश्यपरक तंत्र स्थापित 3.61

करना चाहिए ताकि केवल वास्तविक दावों को ही स्वीकार किया जाए (प्रत्यक्ष समान जाति में शामिल होने वालों सहित) ऐसे तंत्र को यथा संभव पारदर्शी होना चाहिए।

17. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने एवं उसमें से नाम हटाने संबंधी मामलों का नियमित आधार पर अध्ययन एवं परीक्षण करने के लिए सरकार को एक नियमित निकाय का गठन करना चाहिए जिसमें कई विशेषज्ञ/जनता के प्रतिनिधि शामिल हों। इस निकाय की सिफारिशों को इस मामले में निर्णय लेने के लिए एक आधार तैयार करना चाहिए। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार सरकार को कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले आयोग से सलाह लेनी चाहिए। 3.64

अध्याय IV – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति का शैक्षणिक विकास

1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की तीसरी रिपोर्ट (1994–95 एवं 1995–96) में इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि राज्यों को मौजूदा शैक्षणिक आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना होगा और राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालयों में बच्चों एवं अध्यापकों दोनों के लिए नई विधियां एवं परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू करके शिक्षा एवं अध्ययन के लिए विद्यालयों का वातावरण और अधिक प्रेरक हो। कार्य स्थलों, गांवों आदि में पर्याप्त सहायता प्रणाली (व्यवस्था) शुरू करनी होगी ताकि बच्चों को अपनी मां की सहायता करके उन्हें परिवार के लिए धन कमाने में सहायता करने का बहाना लेकर शिक्षा से दूर न किया जा सके।	4.17
2.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी व्यवस्था ज्यादा कारगर बनाने और सभी सरकारी कर्मचारियों एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को इस क्षति पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। सभी शैक्षणिक स्कीमों को इन समुदायों की मूलभावानुसार बनाया जाना चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में उसमें भाग ले सकें। गरीब मां–बाप को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना, बच्चों को विद्यालय भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।	4.22
3.	राज्यों को अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच में ही विद्यालय छोड़ने की प्रवृति को रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए।	4.23
4.	वर्ष 1995–96 के दौरान प्राथमिक स्तर पर दाखिला लेने वालों का अनुपात 113.03% था किन्तु यह मिडिल स्तर पर 50.4% तक कम हो गया। इस तरह मिडिल स्तर पर आई कमी बहुत अधिक है। इसे तुरंत रोकने की जरूरत है।	4.31
5.	यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय भवन, शिक्षण सामग्री जैसी शैक्षणिक जरूरतों को प्रत्येक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बस्तियों विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाए।	4.39
6.	आयोग का मानना है कि छात्रवृत्ति के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का पैसा समय पर बॉटने के लिए प्रयास किए जाएं और इस स्कीम को कार्यान्वित करने में आने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।	4.46
7.	आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशेष और अति–विशिष्टि पाठ्यक्रमों में आरक्षण के साथ–साथ फीस में भी रियायत दी जानी चाहिए। ताकि वे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में काम करने की सुविधा हासिल कर सकें।	4.17

8. आयोग ने पाया कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक–पूर्व 250 रू. की छात्रवृत्ति दी जाती है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पश्चात 150 रू. की छात्रवृत्ति दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति की राशि में कमी करना उन छात्रों के लिए एक दण्ड है जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह भी सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को यह राशि बढ़ानी चाहिए। 4.47

9. आयोग सिफारिश करता है कि जो मां–बाप मलिन कार्यों में लगे हैं उनके बच्चों को मैट्रिक–पूर्व एवं मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति देने के लिए अपनी गैरयोजनागत राशि संबंधी आवश्यकताओं को वित्त आयोग अर्वाड के अनुसार करना चाहिए। यदि राज्य गैर योजनागत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास करने में उनके हितों की रक्षा करने के लिए इन योजनाओं के तहत धन जारी करें। 4.48

10. आयोग ने यह पाया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बालिका छात्रावासों को बनाने संबंधी प्रस्ताव समय पर कल्याण मंत्रालय को नहीं भेजे जाते हैं। इस देरी के कारण कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त केन्द्रीय सहायता देने में असमर्थ है। इसलिए समय पर उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के लिए कल्याण मंत्रालय को समय पर प्रस्ताव भेजने संबंधी प्रयास किये जाने चाहिए। राज्य संघ क्षेत्रों को इन छात्रावास भवनों के उचित रखरखाव के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। 4.52

11. राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों को इस स्कीम को अपनाने के लिए आगे आना चाहिए जिससे विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की संख्या स्वतः ही बढ़ेगी। 4.17

12. यह देखा गया है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और पाठ्य चर्या संबंधी विवरणों को केन्द्रों में नहीं रखा जाता है। यह भी देखा गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तीन महीने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं जो कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के जिन छात्रों को विस्तृत कोचिंग की जरूरत होती है उनके लिए पर्याप्त नहीं है। चूकिं अधिकतर लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं इसलिए छात्रावास सुविधा न होने पर उन्हें प्रशिक्षण जारी रखने में कठिनाई होती है। इन केन्द्रों में छात्रों को पढाने के लिए वरिष्ठ प्राध्यापकों को नहीं बुलाया जाता है। सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों को छात्रों के परिणाम और अंकों का 4.62

नियमित अंतरालों पर व्यापक विश्लेषण करना चाहिए और इस स्थिति से निपटने के प्रयास करने चाहिए।

13. आयोग सिफारिश करता है कि कम साक्षरता वाले क्षेत्रों विशेषतोर पर जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा परिसर खोलने संबंधी केन्द्र सरकार की स्कीम के तहत विद्यालय खोलते समय यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए कि कुछ विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाएं जहां आदिम जनजातियों के समूह रहते हैं और उन विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि इन विद्यालयों में अपने बच्चे भेजने के लिए माता–पिता प्रेरित हों। 4.74

14. कल्याण मंत्रालय को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षत्रों के प्रशासन से विचार–विमर्श करके अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों मे मैरिट को अपग्रेड करने संबंधी स्कीम को कारगर तरीके से कार्यान्वित करने व व्यावसायिक पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों व छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए जिससे मेडिकल एवं इंजीनियरी आदि क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यह लक्षित ग्रुप सफल हो सके। आयोग ने पाया है कि मंत्रालय इस स्कीम को अनमने ढंग से लागू कर रहा है अतः यह सिफारिश की जाती है कि इस स्कीम को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। 4.76

15. आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना को अपनाना चाहिए ताकि प्रशिक्षित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकें। 4.79

16. जिन राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों में अनुसूचित जाति के छात्रों का 5 प्रतिशत से कम नामांकन होता है उन्हें इसके लिए उचित उपाय करने चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के बच्चे आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 4.84

17. जिन राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत से कम नामांकन रहता है और विशेष कर ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जहां जनजाति जनसंख्या बहुल्य हो, वहां अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशेष कोचिंग सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में मिडिल स्तर पर बेहतर छात्रावास एवं विद्यालय सुविधा होने से नामांकन भी अधिक संख्या में होगा। 4.86

18. सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए ताकि मेघावी छात्रों को चुना 4.89

गैर योजनागत धन से अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती तो केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के शैक्षण्कि विकास के लिए उनके हितों की रक्षा हेतु इन स्कीमों के तहत लगातार निधि देती रहे।

5. जिन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक हो किन्तु उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 5 प्रतिशत से भी कम छात्रों का नामांकन होता है तो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विशेष कोचिंग सुविधा देनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में अच्छे छात्रावास और विद्यालय व्यवस्था होने पर नामांकन भी अधिक होगा। आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रदान की गई उच्च शैक्षणिक सुविधाओं के कार्यान्वयन और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विश्वविद्यालय आरक्षण दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 102 कक्षा के बाद से शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर अधिकाधिक जोर दिया जाना चाहिए। मौजूदा रोजगार के अवसर एवं भविष्य की संभावित रोजगार जरूरतों का पता लगाया जाना चाहिए एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ऐसे व्यवसायों में कुशल बनाया जाए जिनमें रोजगार के अधिक अवसर हों। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट पाठयक्रमों में आरक्षण के साथ–साथ फीस में भी रियायत दी जानी चाहिए ताकि वे आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में सेवा करने की सुविधा हासिल कर सकें।

बालिका शिक्षा एव छात्रावास

7. विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा छोटे बच्चों एवं पढ़ने वाले बच्चों को शाम तक देख रेख करने की सुविधा देकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा सकता है

8. यह पाया गया है कि कई राज्यों में बालिकाओं के लिए बहुत कम छात्रावास हैं। जहां पर छात्रावास थे उनमें सुविधाएं काफी कम थीं इसलिए राज्यसरकार एवं संघ राज्य प्रशासनों द्वारा समय पर उपर्युक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कल्याण मंत्रालय को प्रस्ताव पेश करने के प्रयास करने चाहिए ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास भवनों के उपयुक्त रख रखाव के लिए पर्याप्त उपाय कर सकें एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

अध्याय V — —अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

1. श्रम मंत्रालय को सभी वर्गों एवं विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में रोजगार के अवसरों पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव का व्यापक सर्वेक्षण करना चाहिए। 5.7

2. जनजातीय उप योजना को क्रियान्वित करने वाले सभी राज्यों को आठवीं पंच वर्षीय योजना बनाते समय स्थापित कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत से 3 प्रतिशत अधिक धन जनजातीय उपयोजना को आबंटित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को जनजातीय उपयोजना कार्यान्वयन की प्रगति को बारीकी से मानीटर करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आबंटित धन का पूरा–पूरा उपयोग हुआ है और जनजातीय उपयोजना से दूसरे क्षेत्रों को कोई भी अंतरण नहीं किया गया है। 5.24

3. जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत विकास को, विशेषकर परिवहन संचार, बिजली और व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सोचविचार कर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि लाभ में हिस्सेदारी और रोजगार सृजन जैसे उदारीकरण के लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचें।

4. जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं को चालू करते समय प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पैकेज तयार किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह सिफारिश की जाती है कि जनजातीय लोगों को इन बड़ी विकास परियोजनाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए। 5.35

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आधिक उदार शर्तों एवं निबंधनों पर संस्थागत वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और भारतीय रिर्जव बैंक एंव अन्य वित्तीय संस्थाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दिए गए ऋणों का रिकार्ड रखना चाहिए एवं उसे नियमित आधार पर प्रकाशित कराना चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले ऋण के लिए धन की उपलब्धता बैंक के प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में से बढ़ायी जानी चाहिए। 5.38

6. कृषि एवं सहकारिता विभाग को लैम्पस (एल.ए.एम.पी.एस.) को गतिशील, मजबूत एवं बहुत आधार प्रदान करने के साथ ही प्रक्रिया को आसान बनाकर जनजातियों को "लैम्पस" की सुविधा आसानी से मिले यह सुनिश्चित करना चाहिए। .44

7. जिन राज्यों द्वारा एम एफ पी संग्रह के विशेष अधिकार अभी तक जनजातियों को नहीं दिए गए है वहां वे अधिकार उन्हें दिए जाएं और ट्राइफैड (टी.आर.आई.एफ. ई.डी) द्वारा जनजातियों के उत्पादों की उचित कीमत दिलानी चाहिए। 5.44

अध्याय VI – भूमि

1. कृषि जनगणना पांच वर्ष में एक बार की जाती है और कृषि जनगणना के आधार पर प्राकाशित रिपोर्टो में देश के भूमि संबंधी प्रामाणिक आंकडे होते हैं। पिछली कृषि जनगणना वर्ष 1990–91 में की गई थी। इस जनगणना के निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष संघटक योजना एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप–योजना के प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने के बाद राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों से अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा जिसमें उनकी भूमि की स्थिति में बदलाव भी शामिल है। इसलिए यह वांछनीय हैकि अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजातिके विशेष संदर्भ में भूमि से सम्बन्धित कार्यक्रम, स्कीमें और कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए वांछनीय भूमि संबंधी अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हों। कृषि मंत्रालय को इस संबंध में मशीनरी को मजबूत करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। 6.16

2. अधिकतम भूमि सीमा कानून को लागू करने के कार्य को राज्यों द्वारा महत्व नहीं दिया गया हैं ये कानून मूलतः 30–40 वर्ष पहले बनाए गए थे और कुछ मामलों में इन कानूनों का 20–25 वर्ष पहले संशोधन किया गया था। इन कानूनों को लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि जनसंख्या की तुलना में भूमि को गुणवत्ता एवं जोतों के आकार अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हैं। राज्यों द्वारा अलग से अधिकतम भूमि सीमा कानून पारित किए गए हैं किन्तु इन कानूनों को लागू करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किए गए हैं। 6.27

3. बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्रों को अधिशेष किया गया है जिन्हें अभी राज्यों द्वारा कब्जे में लिया जाना है। इन क्षेत्रों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमें लम्बित पड़े है। राज्य सरकार को कानून में उपयुक्त फेरबदल करके अदालतों में मुकदमें बाजी में लम्बित पड़ी भूमि का मोचन कराना चाहिए। इसी तरह हकदारी से मुक्त और वितरण की जाने वाली भूमि को पात्र अ.जा. एवं अ.ज.जा. तथा गरीब परिवारों में वितरित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने जीविकापार्जन के लिए इस जमीन का अतिशीघ्र उपयोग कर सकें। अधिशेषन भूमि के वितरण में हो रही देरी से न केवल जीविको पार्जन के साधनों की प्रतीक्षा कर रहे गरीब व्यक्तियों की कठिनाइयां बढ़ेगी बल्कि इससे वितरित की जाने वाली भूमि के उपजाऊपन में गिरावट आएगी। 6.29

4. वितरण के लिए उपलब्ध परती भूमि एवं भूदान भूमि और प्रतिवर्ष किए गए वितरण तथा लाभार्थियों की संख्या संबंधी अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में

नोडल ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने भी उल्लेख किया है कि इस विषय पर राज्य सरकारों द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है। यह भी ध्यान में आया है कि उपलब्ध आकड़ों से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के संबंध में और परती भूमि एवं भूदान भूमि में से उनको दी गई हस्तातंरित भूमि के संबंध में सूचना नहीं मिलती है। यधपि ऐसे आबंटनों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के संबंध में भी राज्य सरकारों द्वारा सूचना दी जानी चाहिए ताकि आयोग और अन्य एजेंसियां इस संबंध में हुई प्रगति को मानीटर कर सकें एवं उसका मूल्यांकन कर सकें।

5. सरकार किसी भी स्कीम के अर्न्तगत किए जाने वाले भू–आबंटन महिलाओं या आबंटियों के और उसके पति/पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाना चाहिए। जब भूमि पहले ही आबंटित की जा चुकी हो किन्तु पट्टा यास मालिका हक न दिया गया हो तो उस स्थिति में पट्टा मालिकाना हक पति और पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से जारी किया जाना चाहिए सिवाय उस स्थिति के जब दंपत्ति में से केवल एक ही व्यक्ति जीवित हो। 6.26

6. काश्तकारों को मालिकाना अधिकार देने और बेदखली को रोकने के काश्तकार/ बंटाईदार के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम को राज्यों में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। जिन काश्तकारों को किराए की भूमि के मालिकाना हक दिए गए हैं और इच्छा पर बेदखली से बचने के लिए जिन्हें केवल काश्तगार के रूप में रिकार्ड किया गया है राज्य सरकारें भी उनके विशिष्ट सही और अलग–अलग आंकड़े नहीं दे पा रहीं हैं। दी गई सूचना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं दिये जाते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी ही इसका लक्ष्य होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मानीटर सम्बन्धी अपनी प्रणाली में संशोधन किए जाएं ताकि राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई सूचना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के संबंध में विशेष सूचना उपलब्ध हो सके। 6.27

7. गरीब किसानों (भू–धारकों) के हित में जिसमें अनेक लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय प्रत्येक जिले में अधतन भूमि रिकार्ड रखने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि रिकार्डो के कम्प्यूटरीकरण की स्कीम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।

8. यद्यपि केन्द्र प्रतिवर्ष राज्यों को अनुदान दे रहा है किन्तु राज्य भूमि रिकार्डो के राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए स्कीम को गंभीरता से लागू नहीं कर रहे हैं। चूंकि भूमि संबंधी रिकार्डो का उचित रख रखाव उन अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जनजाति के हित में महत्त्वपूर्ण है जो कि कम पढीलिखी और सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय राज्यों/संघ क्षेत्रों पर यह दबाव डाले कि वह इन दोनों स्कीमों के तहत उपलब्ध धन का अधिकतम उपयोग करें। 6.30

9. आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन को मानीटर करे और नियमित रूप से राज्य सरकारों की स्थिति की समीक्षा करें। 6.32

10. आयोग ने केरल अनुसूचित जनजाति भूमि हस्तांरण प्रतिबंध एवं हस्तांरित भूमि का प्रत्यावर्तन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कल्याण मंत्रालय को निम्नलिखित टिप्पणियां भेजी हैं। 6.38

(क) यह अधिनियम जिस रूप में आज है वह 1.1.82 से पूर्व प्रभाव से दिनांक 20.1.86 को अधिसूचित किया गया था यह तारीख भी बहुत बाद की है क्योंकि मूल अधिनियम 1975 में पारित किया गया और इस पर दिनांक 11.11.75 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी।

(ख) धारा 5–क को जोड़कर संशोधन करने से अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों को हस्तांतरित ऐसी सभी भूमि वैध/नियमित हो जाती है जो अनुसूचित जनजाति को प्रत्यावर्तित नहीं की गई। इसके लागू होने से मूल अधिनियम का वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जो अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें किसी भी भूमि हस्तांतरण को वापस दिलाने के लिए था।

गृह मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और केरल सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपाय करने चाहिए और इसकी सूचना उचित समय में आयोग को देनी चाहिए।

11. साहूकारों पर निर्भरता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि हस्तांतरण का मुख्य कारण है इसलिए भूमि आबंटन की प्रत्येक स्कीम के साथ ही विशेष स्कीमें बनाई जानी अपेक्षित हैं ताकि आंबटी उस आबंटित भूमि का उचित और आर्थिक उपयोग करने के लिए साहूकारों पर निर्भर न रहें। यह भी सिफारिश की जाती है कि निम्नलिखित 6.41

के लिए एक समान केन्द्रीय कानून/निर्देश हों। (क) गैर अनु.जा. / अनु.ज.जा. के लोगों अनु.जा./अनु.ज.जा. की लड़कियों से विवाह करने पर भूमि हस्तांतरण सहित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि हस्तांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध (ख) एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से दूसरी अनुसूचित जाति के व्यक्ति या एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से दूसरी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किए गए भूमि हस्तांतरण का निपटान (ग) भूमि के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आबंटियों को अग्र क्रयाधिकार (पहले खरीदने का अधिकार) (घ) वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों से अपने ऋणों की वसूली के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि की बिक्री पर प्रतिशेध आयोग यह भी सिफारिश करता है कि जनजातीय लोगों की भूमि को प्राप्त करने वाले लोगों तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को वापस दिलाई गई भूमि का पुनः हस्तांतरण करने वाले लोगों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान किया जाए।

12. अतः आयोग सिफारिश करता है कि कल्याण मंत्रालय, उधोग, सिंचाई, ऊर्जा आदि मंत्रालयों के परामर्श से देश के किसी भी भाग में लगाई जानेवाली परियोजना को बनाने एवं उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए केंन्द्रीय निर्देश तैयार करे ताकि संबंधित प्राधिकरण द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान रखा जाए। आयोग अपनी पहली सिफारिश को पुनः दोहराता है कि विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित या विस्थापित होने वाली जनजातियों (और अन्य लोगों) को परियोजना में भागीदार बनाया जाए। 6.43

इस पूरे मामले की पुनः जांच करनी चाहिए और यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता हो, तो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार पुनः जांच के लिए कई मामलों में नियमों में संशोधन करने की जरूरत होगी।

अध्याय VIII – समुदाय सम्बन्धी जाली प्रमाण पत्र

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी जाली प्रमाणपत्रों के मामलों के विश्लेषण करने पर, जिसमें न्यायालयों ने स्थगन आदेश दिया है से पता चलता है कि नियोक्ता प्राधिकारी समुदाय प्रमाण पत्रों के मामलों पर सख्ती से काम नहीं ले रहे हैं। 8.21

2. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों में उपबंधित है कि नियोक्ता प्राधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र धारक के स्थायी निवास स्थान के सक्षम प्राधिकरण से करवाना चाहिए और यदि सत्यापन से पता चलता है कि अभ्यार्थी का दावा गलत है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए। चूंकि प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों का पूरी सावधानी से पालन नहीं किया जा रहा था इसलिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करते हुए विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं औरअनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का दावा करने वाले अभ्यार्थियों के नियुक्ति प्रस्ताव में निम्नलिखित खण्ड को शामिल करें। 8.21

3. यह नियुक्त अस्थायी है और जाति / जनजाति सम्बधी प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन के अध्याधीन है और यदि सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, जो भी मामला हो, से संबंधित होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए, झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। 8.21

4. तथापि, यह देखा गया है कि नियोक्ता प्राधिकारी सामान्यतः नियुक्ति प्रस्ताव में उक्त खंड को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि नियुक्ति प्रस्ताव में उक्त खंड को शामिल न किया जाना गंभीर चूक मानी जानी चाहिए और प्रस्ताव जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्व आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। 8.21

5. सत्यापन एवं निरस्तीकरण(रद्दीकरण) दो अलग–अलग संकल्पनाएं हैं। सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षः या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से जांच की जानी होती है। जबकि निरस्तीकरण प्रक्रिया विधिवत होती है। निरस्तीकरण प्रक्रिया के तहत प्राधिकारी जांच करता है, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड करता है और निकाले गए निष्कर्ष के कारण देता है। प्राधिकारी जारी करने वाले

प्राधिकारी को यह प्रमाणित करने के निदेश देता है कि उक्त प्रमाण पत्र गलत ढंग से जारी नहीं किया गया है क्योंकि इसका पूरा उत्तरदायित्व जारी करने वाले प्राधिकारी का होता है न कि प्रमाण–पत्र धारक का। इसलिए प्रमाण पत्र धारक को प्रमाण पत्र की वैधता को प्रभावित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह प्रमाण पत्र अवैध है तो वह उस प्रमाण पत्र को रद् करने का आदेश दे सकता है और झूठे एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र हासिल करने के कारण धारक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, निरस्तीकरण आदेश प्राप्त होने पर नियोक्ता प्राधिकारी झूठे/ जाली दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद प्राप्त कर चुके व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है और उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

6. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्रियाविधि एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में आने वाले व्यक्ति तकनीकी आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त न कर सकें। अनुदेशों में एक खंड यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण होने वाली तकनीकी गलतियों को गंभीरता से लिया जाएगा और सम्बन्धित प्राधिकारी के विरूद्व सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जाली प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भी जाली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जवाब देह ठहराया जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों को जाति/ समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने को विनियमित करने के लिए व्यापक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया जाता है तो समुदाय सम्बन्धी प्रमाणपत्र की इस समस्या पर नियंत्रण रखने में यह एक उपलब्धि साबित होगी। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि आयोग के सुझावों एवं सिफारिशों को शामिल करते हुए इस बिल को यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्याय IX – अपराध एवं अत्याचार

1. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा सभी प्रयास किये जाने चाहिए और उसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। 9.30

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन नियमों को कार्यान्वित करने से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों से संबंधित विभिन्न कारणों एवं उनकी रोकथाम सम्बन्धी उपायों पर विचार –विमर्श करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर उनके पास मंच (फोरम) उपलब्ध होगा। 9.30

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आने वाले मामलों पर विचारण के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें होनी चाहिए क्योंकि इस समय विशेष अदालत के रूप में नामित की गई नियमित अदालतों में पहले से ही अन्य मामलों की भरमार है। अत्याचार के मामलों पर विशेष अदालतों द्वारा ही विचार किया जाना चाहिए और उन्हें विचारण के लिए निचली अदालतों को नहीं भेजा जाना चाहिए। 9.30

4. अत्याचार के प्रत्येक मामले में प्रथम सूचना रपट शीघ्र दर्ज की जानी चाहिए और मामले की जांच–पड़ताल के कार्य शीघ्र पूरे किए जाने चाहिए। 9.38

5. अभियुक्तों को शीघ्रातिशीघ्र गिरफतार किया जाना चाहिए और उस मामले के सम्बन्ध में चालान करके विशेष अदालत में भेजा जाना चाहिए। अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले विशेष लोक अभियोजक (वकील) को सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामले को सिद्व करने में सबूत प्रभावी हैं। 9.38

6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 के नियम 12 (4) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता तत्काल दी जानी चाहिए। 9.38

7. हत्या एवं बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति के पूरे परिवार को गहरी और प्रायः अपूर्णीय क्षति होती है। ऐसी घटनाओं एवं मामलों की पुष्टि करने के लिए समय पर कार्रवाई एवं जांच–पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है। 9.38

8. यथा उपबंधित अधिनियमों एवं नियमों के अनुसरण में कार्यप्रणाली का केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुवीक्षण एवं समीक्षा की जानी चाहिए और संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक विवरणियां एवं रिपोर्टें भेजी जानी चाहिए। यह देखा गया है कि अभी तक कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के संबंध में केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 9.38

9. इन अधिनियमों एवं नियमों के उपबंधों का पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार किए जाने की आवश्यकता है ताकि सभी समुदायों (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति सहित) को इसकी सही जानकारी मिले और दूसरे उन्हें इस संबंध में गलत सूचना मिलने से बचाया जा सके। 9.38

10. राज्य/संघ शासित राज्य प्रशासनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों एवं अपराधों की प्रमुख घटनाओं से संबंधित सूचना को घटना के घटित होने के 24 घंटे के भीतर निक–नैट के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाना चाहिए। 9.38

11. जैसा कि इस अध्याय में देखा गया है कि आयोग को अपेक्षित सूचना कई राज्य/ सरकारों संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त नहीं हुई है। स्थिति की व्यापक जांच–पड़ताल को सरल बनाने के लिए इन सूचनाओं का समय पर पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है। 9.38

12. इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और नियमावली एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं केन्द्र सरकार नियमावली द्वारा विभिन्न फोरमों में चर्चा के अनुसार व कल्याण मंत्रालय को आयोग द्वारा पहले से दिए गए सुझावों के अनुरूप आवश्यक संशोधन करने पर विचार करना चाहिए। 9.38

अध्याय X – सांविधानिक एवं वैधानिक संशोधन

आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और इस रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद एवं राज्य विधान सभाओं में रखे जाने के लिए यह आयोग सिफारिश करता है कि अनुबंध 10.I के प्रस्ताव के अनुसार अनुच्छेद 338 में संशोधन किया जाए। 10.2 10.3

2. आयोग ने अनुबंध 10.II के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इन संशोधनों के मुख्य उद्देश्य अत्याचार पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने तथा उन पर विचार करने, ऐसे अपराधों को शामिल करने, जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया हैं तथा कड़े दण्ड का प्रावधान करने से हैं, जिससे जान–बूझ कर एवं जातिगत आधार पर किए गए अपराधों को रोका जा सके। 10.6 10.7

3. आयोग सिफारिश करता है कि भारत सरकार द्वारा संविधान एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995, एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधनों पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए। 10.7

तालिकाओं और अनुबंधों की सूची

तालिका सं. अनुबंध सं.	शीर्षक	पैरा सं.	पृष्ठ सं.
	अध्याय I प्रस्तावना		
अनुबंध 1.1	संविधान (पैंसठवां संसोधन) अधिनियम, 1990	1.2	7-9
अनुबंध 1.2	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के राज्य कार्यालयों की अवस्थिति और अधिकार क्षेत्र	1.4	10
	अध्याय II स्वतंत्रता के 50 वर्ष पश्चावलोकन और आगे के नियत कार्य		
तालिका सं. 2.1	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	2.5	15
तालिका सं. 2.2.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कुल जनसंख्या में पुरूष / महिलावार साक्षरता प्राप्त करने की प्रवृत्ति	2.7	16
तालिका सं. 2.3	1961 से 1991 तक की जनगणना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और कुल जनसंख्या में मुख्य कामगारों का व्यावसायिक वर्गीकरण	2.9	16
तालिका सं. 2.4	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कुल जनसंख्या का प्रतिशत	2.11	17
तालिका सं. 2.5	केन्द्र सरकार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार की स्थिति	2.14	18

तालिका सं. 2.6	देश के 150 विश्वविद्यालयों से अधिक में समाज विज्ञान और विज्ञान संकायों में विभिन्न सामाजिक समूहों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व	2.16	19
तालिका सं. 2.7	भारतीय दूतावासों में पदों के विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्यों का प्रतिनिधित्व	2.18	20
तालिका सं. 2.8	उच्च न्यायालयों में विभिन्न सामाजिक समूहों का न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में प्रतिनिधित्व	2.20 2.21	20
तालिका सं. 2.9	1996 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	2.22	21
तालिका सं. 2.10	निम्नलिखित दो समयावधियों में "ए" श्रेणी की सरकारी/गैर सरकारी–दोनों सेवाओं में विभिन्न जातियों/समुदायों का प्रतिशत और उनकी जनसंख्या	2.24	22
तालिका सं. 2.11	जनजातीय/गैर जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों के विकास को दर्शाने वाले आंकड़े	2.25 2.26	23
तालिका सं. 2.12	गैर अनुसूचित जाति/गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित ज़ाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध किए गए अपराध	2.27	24
तालिका सं. 2.13	अनुसूचित ज़ाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए योजना परिव्यय	2.31	25
परिशिष्ट 2.1	पश्चावलोकन तीसरी रिपोर्ट से लिए गए उद्धरण,	2.43	31-40

अध्याय IV अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा

तालिका सं. 4.1	वर्ष 1961 से 1991 तक की साक्षरता प्रवृत्ति	4.8	64
तालिका सं. 4.2	1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर से कम वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4.11	65
तालिका सं. 4.3	भारत में कुल महिला साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता दर से कम वाले राज्य	4.16	67
तालिका सं. 4.4	वर्ष 1995–96 के दौरान प्राइमरी और मिडिल स्तर में अनुसूचित जातियों और कुल जनसंख्या के संबंध में तुलनात्मक नामांकन अनुपात	4.18	68
तालिका सं. 4.5	वर्ष 1981–82 और 1990–91 के दौरान प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी शिक्षा स्तरों पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के बीच में शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों की दर	4.21	69
तालिका सं. 4.6	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता की तुलना में पीछे रहने वाले राज्य	4.24	70
तालिका सं. 4.7	भारत में कुल महिला साक्षरता की तुलना में अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर से कम वाले राज्य	4.27	71
तालिका सं. 4.8	वर्ष 1995–96 के लिए प्राइमरी, मिडिल स्तर में अनुसूचित जनजातियों और कुल जनसंख्या के संबंध में तुलनात्मक नामांकन अनुपात	4.30	72

तालिका सं. 4.9	वर्ष 1981–82 और 1990 के दौरान प्राइमरी, मिडिल और सेकंडरी स्तरों पर बीच में शिक्षा छोड़ देने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों की दर	4.32	73
तालिका सं. 4.10	छः आई टी डी पी राज्यों में प्राइमरी और मिडिल स्तर में विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या।	4.38	75
तालिका सं. 4.11	पी एम एस की भरण पोषण भत्ता दरें	4.40	76
तालिका सं. 4.12	पी एस एस के लिए आय सीमा	4.42	77
तालिका सं. 4.13	वर्ष 1992–93 से 1996–97 के दौरान पी एम एस की प्रगति	4.45	78
तालिका सं. 4.14	सफाई कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना की प्रगति	4.54	81
तालिका सं. 4.15	वर्ष 1978–79 और 1995–96 के दौरान पूर्व स्नातक, स्नातक, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सभी पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का तुलनात्मक नामांकन	4.81	91
परिशिष्ट 4.I	साक्षरता दर – 1991	4.7	104
अनुबंध 4.II	1961 से 1991 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार साक्षरता दर	4.11	105
अनुबंध 4.III	वर्ष 1961, 1971, 1981 और 1991 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार महिला साक्षरता	4.16 4.25	106

अनुबंध 4.IV	1990 के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों में से बीच में ही पढाई छोड़ने वालों की दर	4.23	107
अनुबंध 4.V	वर्ष 1995– 1996 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य विद्यार्थीयों की कक्षा I-V और VI-VIII में नामांकन अनुपात	4.31	108
अनुबंध 4.VI	वर्ष 1990– 91 के दौरान अनुसूचित जनजाति की बीच में ही पढाई छोड़ने वालों की दर	4.35	109
अनुबंध 4.VII	दिनांक 1–10–1995 से पी. एस. एम. की दर में संशोधन करने से सबंधित कल्याण मंत्रालय का दिनांक 14–2–96 का परिपत्र	4.40	110-111
अनुबंध 4.VIII	30 सितंबर 1995 की स्थिति के अनुसार शिक्षा में नामांकन दर	4.48	112
अनुबंध 4-IX	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों में वर्ष 1996–97 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रवेश की राज्य–वार स्थिति	4.87	113-117

अध्याय V अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

तालिका सं. 5.1	योजना आयोग के पिछले आकलनों के अनुसार 1977–78 से 1987–88 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता	5.2	118
तालिका सं. 5.2	योजना आयोग द्वारा गरीबी का संशोधित आकलन	5.3	119

तालिका सं. 5.3	वर्ष 1961 से 1991 तक हुई जनगणनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सामान्य जनसंख्या मे मुख्य कामगारों की अलग–अलग श्रेणियों का व्यावसायिक वर्गीकरण	5.5	120
तालिका सं. 5.4	पहचान की गई आदिम ज़नजातियों की राज्य वार सूची	5.10	123
तालिका सं. 5.5	राज्य योजनाओं से जनज़ातीय उपयोजना को मिली निधियां	5.11	124
तालिका सं. 5.6	जनजातीय उपयोजना परिव्यय का उपयोग	5.16	126
तालिका सं. 5.7	प्रतिवर्ष योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना को प्राप्त निधियों का प्रति व्यक्ति आबंटन और खर्च	5.18	127
तालिका सं. 5.8	सभी सेक्टरों में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत निधि का आबंटन	5.21	128
तालिका सं. 5.9	विकास के संकेत सूचक जनजाति बनाम गैर जनजाति	5.25	130
तालिका सं. 5.10	कल्याण के संकेत –सूचक	5.28	131
तालिका सं. 5.11	आठवीं योजना के लिए जनज़ातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन	5.31	132
तालिका सं. 5.12	डी डब्लयू सी आर ए समूहों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	5.55	143
तालिका सं. 5.13	राज्य योजना से विशेष संघटक योजना के अंतर्गत परिव्यय और व्यय	5.66	146

तालिका सं. 5.14	अनुसूचित जातियों और शेष जनसंख्या की साक्षरता दर	5.69	147
तालिका सं. 5.15	विशेष संघटक योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता और उसका उपयोग	5.75	150
तालिका सं. 5.16	ग्रामीण जनसंख्या जिन्हें पेयजल प्राप्त है	5.95	156
तालिका सं. 5.17	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण	5.105	163
अनुबंध 5.I	1981 और 1991 की जनगणनाओं पर आधारित कुल जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण	5.1	168-169
अनुबंध 5.II	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों मे कुल ग्रामीण/शहरी जनसंख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या	5.1	170-172
अनुबंध 5.III	साक्षरता दर 1991	5.1	173-174
अनुबंध 5.IV	वर्ष 1994–95 से 1996–97 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत और राज्य योजना और जन जातीय उप–योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि	5.12	175-176
अनुबंध 5.V	एस सी ए के अंतर्गत जनजाति उपयोजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार धन देने और आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान उसका उपयोग	5.32	177

अनुबंध 5.VI	वर्ष 1985–86 की कृषि संबंधी गणना के अनुसार स्वकर्षित (आपरेशनल) जोत, भूमि के इस्तेमाल, सिंचाई सुविधाओं और फसल उगाने के पैटर्नों से संबंधित टिप्पणी	5.35	178-186
अनुबंध 5.VII	31.3.1994 की स्थिति के अनुसार एल.ए.एम.पी. एस. की और सदस्यों की संख्या	5.44	187
अनुबंध 5.VIII	एल. ए. एम. पी. एस. को क्रियाशील बनाने के लिए शंकरन समिति की सिफारिश।	5.44	188-189
अनुबंध 5.IX	वर्ष 1992–93 से 1996 1997 की अवधि के दौरान विशेष संघटक योजना के अंतर्गत राज्य–वार परिव्यय और खर्च	5.64	190-193
अनुबंध 5.X	वर्ष 1992–93 से 1996–97 के दौरान विशेष संघटक योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विशेष केन्द्रीय सहायता	5.74	194-195
अनुबंध 5.XI	वर्ष 1996–97 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले परिवार	5.84	196-197
अनुबंध 5.XII	1996–97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निष्पादन	5.91	198-199
अनुबंध 5.XIII	1996–97 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा स्वीकृत और संवितरित किए गए ऋण	5.100	200-201

अध्याय VI भूमि

तालिका स. 6.1	1961 की जनगणना से लेकर 1991 तक की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के मुख्य कामगारों के व्यावसायिक वितरण में बदलती हुई प्रवृत्ति	6.3	203
तालिका स. 6.2	वर्ष 1970–71 से 1985–86 तक की कृषि संबंधी गणना के दौरान सामान्य जनसंख्या और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बीच स्वकृषित आपरेशनल जोत	6.5	204
तालिका स. 6.3	जोतों के मुख्य आकार की श्रेणियों में स्वकृषित आपरेशनल जोतों का प्रतिशत वितरण	6.7	205
तालिका स. 6.4	वर्ष 1980 –81 एवं 1985–86 में भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा स्वकृषित आपरेशनल जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल	6.9	206
तालिका स. 6.5	जोतों के औसत आकार	6.10	207
तालिका स. 6.6	वर्ष 1985–86 की कृषि संबंधी गणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमि धारकों की प्रतिशत जोतों के अनुसार राज्यों का क्रम निर्धारण	6.12	208
तालिका स. 6.7	30–9–96 को अधिशेष घोषित की गई भूमि, कब्जे में ली गई भूमि तथा अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य लाभभोगियों में वितरित भूमि की प्रगति को दिखाने वाला विवरण	6.21	212
तालिका स. 6.8	30–11–96 की स्थिति के अनुसार हस्तांतरित तथा उनको वापस लौटाई गई भूमि का क्षेत्रफल	6.33	222

अनुबंध 6.I	प्रमुख वर्गो (श्रेणियों) 1985–86 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के लिए स्वकृषित (आपरेशनल) की संख्या का राज्यवार वितरण	6.13	240
अनुबंध 6.II	प्रमुख वर्गो (श्रेणियों) 1985–86 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के लिए स्वकृषित (आपरेशनल) जोतों की संख्या का राज्यवार वितरण	6.13	241
अनुबंध 6.III	प्रमुख वर्गो (श्रेणियों) 1985–86 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के लिए स्वकृषित (आपरेशनल) के क्षेत्रफल का राज्यवार वितरण	6.12	242
अनुबंध 6.IV	प्रमुख वर्गो (श्रेणियों) 1985–86 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियो के लिए स्वकृषित (आपरेशनल) जोतों के क्षेत्रफल का राज्वार वितरण	6.12	243
अनुबंध 6.V	अधिशेष घोषित की गई भूमि, कब्जे में ली गई भूमि और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभ प्राप्तकर्ताओं को वितरित की गई भूमि का राज्यवार क्षेत्रफल	6.20	244
अनुबंध 6.VI	26.11.1996 को आयोजित सम्मेलन में राजस्व सचिवों द्वारा सूचित की गई विभिन्न राज्यों में सरकारी बंजर भूमि और भूदान भूमि का वितरण	6.25	245
अनुबंध 6.VII	जनजातीय उप–योजना (टी.एस.पी.) वाले राज्यों में भूमि संबंधी कानूनों की सूची	6.33	246-249

अध्याय VII सेवा संबंधी सुरक्षण

तालिका सं.7.1	दिनांक 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारीसेवाओं मेंअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	7.5	251

तालिका सं.7.2	दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	7.7	252
तालिका सं.7.3	दिनांक 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार बैंकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व	7.9	253
तालिका सं. 7.4	न्यायिक सेवाओं और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	7.24	259
तालिका सं.7.5	विशेष भर्ती अभियान की प्रगति	7.26	261
तालिका सं. 7.6	1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में सेवा संबंधी मामलों क आयोग को प्राप्त शिकायतों का विवरण	7.39	266
अनुबंध 7.I	सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत दर्शाने वाली तालिका	7.1	281-283
अनुबंध 7.II	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवा में कार्यरत अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाती के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण	7.9	284
अनुबंध 7.III	1.1.96 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों में अध्यापन और गैर–अध्यापन से संबंधित पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व	7.11	285-289
अनुबंध 7.IV	सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छूट एवं रियायतें	7.35	290-293
अनुबंध 7.V	पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षण नीति	7.37	294

अनुबंध 7.VI	संपर्क अधिकारी की भूमिका के संबंध में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के सचिवों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सभी मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को जारी किया गया दिनांक 7.10.1996 का परिपत्र	7.66	295-298
अनुबंध 7.VII	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ऐसोसिएशनों को कतिपय न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था देने से संबंधित डी.पी.ई./बैंकिंग प्रभाग (डिवीजन) को जारी किया गया दिनांक 4.2.1998 का परिपत्र	7.72	299-302

अध्याय IX अपराध एवं अत्याचार

तालिका सं. 9.1	1994 से 1996 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए विभिन्न प्रकार के अपराधों और अत्याचारों से संबंधित पुलिस में दर्ज मामलों को दर्शाने वाला विवरण	9.19	342
तालिका सं. 9.2	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन वर्ष 1996 के दौरान न्यायालयों में निपटाए गए और लंबित मामलों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण	9.22	343
तालिका सं. 9.3	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन वर्ष 1996 के दौरान, विशेष न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों और अनिर्णीत पड़े मामलों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण	9.23	345
तालिका सं. 9.4	वर्ष 1994 से 1996 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध हुए अपराधों और अत्याचारों में पुलिस अधिकारीयों का हाथ और उनकी दोषसिद्धि	9.24	347

तालिका सं. 9.5	वर्ष 1996 और 1997 के दौरान अत्याचार पीड़ितों से आयोग में प्राप्त राज्य-वार अत्याचार के मामले	9.37	351

अध्याय X सांविधानिक और वैधानिक संशोधन

अनुबंध 10.I	संविधान के अनुच्छेद 338 में प्रस्तावित संशोधन	10.4	357-358
अनुबंध 10.II	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधन	10.6	359-362